# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 74
Dated 18 MAR 2009

(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

## सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

*[चतुर्दश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)]*

**अंक 6, सोमवार, 3 मार्च, 2008/13 फाल्गुन, 1929 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण** | 1 |
| **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख** | |
| क्वालालम्पुर में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को तथा सिडनी में एकदिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहला फाइनल मैच जीतने पर सीनियर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई | 1-2 |
| **पृथक तेलंगाना राज्य बनाए जाने की मांग के बारे में** | 2-13 |
| **सदस्यों द्वारा निवेदन** | |
| मुंबई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के साथ हिंसा की घटनाओं के बारे में | 13-35, 629-636 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80 | 35-145 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 583 से 804 | 145-610 |
| **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य** | |
| (एक) विदेश नीति से संबंधित घटनाक्रम | |
| श्री प्रणब मुखर्जी | 612-617 |
| (दो) 27.2.2008 को उधना और सूरत रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी संख्या 9031 (मुंबई सेन्ट्रल-भुज) कच्छ एक्सप्रेस से कुचले जाने से हुई 16 लोगों की मौत | |
| श्री लालू प्रसाद | 627-629 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 617-622 |
| **राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक** | 622-623 |
| **सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*** | |
| (एक) परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008 | 623 |
| (दो) रेल (संशोधन) विधेयक, 2008 | 624 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण | 623 |
| रेल (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण | 624 |
| नियम 377 के अधीन मामले | 637–649 |
| (एक) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त निधियां आवंटित किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री एस.के. खारवेनथन | 637–638 |
| (दो) मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता | |
| डा. टोकचोम मैन्या | 638–639 |
| (तीन) गुजरात के व्यापी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री किसनभाई वी. पटेल | 639 |
| (चार) पालनपुर-खेडब्रम्हा-श्यामला से होते हुए कांडला-अंबाजी को जोड़ने वाले मार्ग तथा अहमदाबाद-आबू मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री हरिसिंह चावड़ा | 639–640 |
| (पांच) गुंटूर का अन्य शहरों से बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए नई रेल सेवाएं आरम्भ किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री राव्यापति सांबासिवा राव | 640–641 |
| (छह) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री अधीर चौधरी | 641–642 |
| (सात) गुजरात के राजकोट में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किये जाने की आवश्यकता | |
| डा. वल्लभभाई कथीरिया | 642 |
| (आठ) गुजरात राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और एक आईआईटी स्थापित किये जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता | |
| श्री काशीराम राणा | 642–643 |
| (नौ) बिहार के भागलपुर में प्राचीन ''विक्रमशिला विश्वविद्यालय'' को बौद्ध सर्कल में शामिल किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री सैयद शाहनवाज हुसैन | 643 |
| (दस) उत्तर प्रदेश के बरेली में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री संतोष गंगवार | 644 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| (ग्यारह) पाले और शीत लहर के कारण फसल की हानि झेल रहे राजस्थान के कृषकों को आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री रामसिंह कस्वां | 644 |
| (बारह) केरल में नोटरियों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता | |
| श्रीमती पी. सतीदेवी | 645 |
| (तेरह) झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में आग की घटनाओं पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री बंसगोपाल चौधरी | 645 |
| (चौदह) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता | |
| श्री हरिकेवल प्रसाद | 645–646 |
| (पन्द्रह) उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में बीड़ी कामगारों को पर्याप्त मजदूरी और सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री शैलेन्द्र कुमार | 646 |
| (सोलह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-104 पर भुतही-बालान नदी पर एक पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता | |
| श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव | 646–647 |
| (सत्रह) देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक व्यापक नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री डी. वेणुगोपाल | 647 |
| (अठारह) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हाजी वारिस अली की ''दरगाह'' के पास रेलवे उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता | |
| श्री कमला प्रसाद रावत | 648 |
| (उन्नीस) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के नौपदा इस्टेट गांव में रेल प्राधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को बेदखल किये जाने से रोके जाने की आवश्यकता | |
| श्री किन्जरपु येरननायडु | 648–649 |
| **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव** | 649–751 |
| श्री अजीत जोगी | 649–671 |
| श्रीमती कृष्णा तीरथ | 671–679 |
| श्री लाल कृष्ण आडवाणी | 679–693 |
| श्री मोहम्मद सलीम | 701–726 |

| विषय | | स्तंभ |
|---|---|---|
| | श्री रमेश दूबे | 726–727 |
| | श्री आलोक कुमार मेहता | 727–731 |
| | श्री भर्तृहरि महताब | 731–738 |
| | श्री अजय चक्रवर्ती | 738–743 |
| | श्री सालवेल स्वाई | 743–751 |
| | श्री अधीर चौधरी | 751 |
| अनुबंध-I | | |
| तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | | 763 |
| अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | | 764–770 |
| अनुबंध-II | | |
| तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | | 771–772 |
| अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | | 771–772 |

## लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**
श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**
श्री पी.डी.टी. आचारी

## लोक सभा

सोमवार, 3 मार्च, 2008/13 फाल्गुन, 1929 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

## सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** महासचिव शपथ ग्रहण हेतु सदस्य का नाम लेंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत (गढ़वाल-उत्तराखंड)

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): अध्यक्ष जी, हमें इंडियन क्रिकेट-टीम का अभिनंदन करना चाहिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अभी थोड़ा धैर्य रखिए। हमें एक बात बोलने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइए। मेरी बात सुनकर आप खुश होंगे।

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

## अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

**क्वालालम्पुर में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को तथा सिडनी में एकदिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहला फाइनल मैच जीतने पर सीनियर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, यह बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय युवाओं ने 2 मार्च, 2008 को क्वालालम्पुर में फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हरा कर अन्डर-19 वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता है।

विराट कोहली के नेतृत्व में युवा टीम ने अपनी कुशलता और अत्यधिक दृढ़ता का परिचय दिया और विश्व कप जीत लिया। यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है।

यह हर्ष का विषय है कि वरिष्ठ भारतीय क्रिकेट टीम ने भी कल सिडनी में एक-दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मैच के प्रथम मैच में आस्ट्रेलिया पर निर्णायक विजय हासिल की।

मुझे विश्वास है कि अन्डर-19 भारतीय क्रिकेट टीम को उनकी उपलब्धि पर बधाई देने तथा उन्हें और वरिष्ठ भारतीय क्रिकेट टीम को भावी मैचों में सफलता की कामना करने में सभा मेरा साथ देगी।

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

## पृथक तेलंगाना राज्य बनाए जाने की मांग के बारे में

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** नायडु साहब, आप जो कर रहे हैं, यह सही नहीं है, आप बैठ जाइए। हम एक-एक करके सभी मैम्बर्स को बुलाएंगे।

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.02 बजे**

*(इस समय श्री के. चन्द्रशेखर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप यहां रहेंगे तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री राव, मैं इसका संज्ञान नहीं ले सकूंगा। मैं यही कह सकता हूं कि अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। यहां से मैं आपकी बात नहीं सुन सकूंगा। वे भी कुछ रिकार्ड नहीं कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं विचार करूंगा। मुझे नोटिस मिल गया है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): तेलंगाना राज्य बनना चाहिए *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने स्थान पर जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ भी रिकार्ड मत करें।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** यहां से कही गई बातों को रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप यहां से बोलेंगे तो कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। अपनी सीट पर जाकर बोलेंगे, वही रिकार्ड में जाएगा।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मेरी अनुमति के बिना कहीं से भी कही गई बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** आपको बोलने का अधिकार है। आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपकी जो भी बात है कृपया वहां से बोलें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। कुछ भी रिकार्ड मत करें।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आप से त्यागपत्र नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको अपने स्थान से बोलने का अवसर दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.06 बजे**

*(इस समय श्री के. चन्द्रशेखर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)*

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोगों को क्या परेशानी है?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** वे इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं। हमें उनके विचारों का आदर करना चाहिए चाहे आप सहमत हों या न हों।

*...(व्यवधान)*

**श्री के. चन्द्रशेखर राव** (करीमनगर): पचास वर्षों से धोखा दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप दोनों एक साथ कैसे बोल सकते हैं। आप एक-एक करके बोलिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बी. विनोद कुमार** (हनमकोंडा): महोदय, हम चुप नहीं रहेंगे *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह तो इंटरनल बात हो गई है।

*...(व्यवधान)*

**श्री रविन्द्र नाइक धाराबाद** (बारंगल): अध्यक्ष महोदय, 50 साल से तेलंगाना के बारे में ऐसा हो रहा है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री आठवले, कृपया बैठ जाए। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** श्री के. चन्द्रशेखर राव।

*[हिन्दी]*

**श्री के. चन्द्रशेखर राव:** तेलंगाना के बारे में जिसने वायदा किया उसने खुद ही नहीं निभाया।

*[अनुवाद]*

अध्यक्ष महोदय, जब यू.पी.ए. सरकार का गठन हुआ था तो तेलंगाना राज्य के गठन के बारे में तेलंगाना के लोगों को स्पष्ट आश्वासन दिया गया था। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक में भी लोगों को आश्वासन दिया था। उन्हें समान राय की आशा थी जो हुआ भी। परन्तु कांग्रेस दल और यू.पी.ए. सरकार ने तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है। यू.पी.ए. सरकार द्वारा वायदा पूरा न किये जाने के विरोध में त्याग-पत्र दे रहा हूं। *...(व्यवधान)*

**श्री बी. विनोद कुमार:** महोदय, मैं भी अपना त्याग-पत्र दे रहा हूं। *...(व्यवधान)* सभी राजनीतिक दल *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब कोई भाषण नहीं होगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस पत्र पर ध्यान दूंगा। इसकी एक प्रक्रिया है। मुझे अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रविन्द्र नाइक धाराबाद:** अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। पचास साल से जो अन्याय हो रहा है, तेलंगाना के लिए सभी पार्टियों की ओपिनियन लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया था *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप ऐसे यहां संख्या कम कर रहे हैं इससे मुझे खुशी नहीं हो रही है।

**पूर्वाह्न 11.08 बजे**

*(इस समय, श्री के. चन्द्रशेखर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)*

*[हिन्दी]*

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपके साथ मुझे भी बहुत वर्षों तक रहने का अनुभव हुआ है, लेकिन यह पहला प्रसंग है, जब संसद के एक नहीं, चार सदस्यों ने सदन में अपना त्यागपत्र दिया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह सही है।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैं चाहता हूं कि तेलंगाना के विषय पर सही ढंग से सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तेलंगाना के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कहा गया है, यद्यपि यह बात काफी समय से चल रही थी। जब हमारी सरकार थी, तब हमने तीन नए राज्य गठित किये—केवल इस आधार पर नहीं ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत गलत तरीका है, आप बैठिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मोहम्मद सलीम, अध्यक्षपीठ ने प्रतिपक्ष के माननीय नेता को निवेदन करने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): उनका स्वागत है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप उनको अपनी बात समाप्त करने दें। उनकी सहायता न करें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप अपनी बात जारी रखना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हां, मैं सहमत हूं कि नोटिस दिया गया है तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद भी होना है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपका किस विषय में नोटिस है? क्या तेलंगाना के बारे में है?

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में नोटिस है। ...*(व्यवधान)* हम एक सप्ताह से नोटिस दे रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** आडवाणी जी ने इसके बारे में कहा है। मैंने लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन की बात को सुना है।

...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** मैं एक सप्ताह से नोटिस दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध कर सकता हूं? यह आपकी सभा है। समय कीमती है।

*[हिन्दी]*

आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यो, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। आप जब चाहें कोई भी मुद्दा नहीं उठा सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रपाल सिंह यादव** (झांसी): अध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखंड के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। वहां आत्महत्याएं हो रही हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं हाउस एडजर्न करके चला जाऊंगा, फिर आपकी बुंदेलखंड की बात या कुछ भी बात नहीं होगी।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बड़े ही खेद का विषय है। मैं बार-बार बता रहा हूं कि मैंने किन-किन विषयों की अनुमति नहीं दी है। जब प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते थे, मैंने उन्हें अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वे अपनी बात कहने के लिए आतुर थे और मैंने उन्हें अनुमति दी है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप सभा की प्रतिक्रिया देखें। परन्तु उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही है।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, ये लीडर आफ दी ऑपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मल्होत्रा जी, हम एक नई परम्परा देख रहे हैं। यह बजट सत्र है। आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर मिला है। इस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है और कोई भी इस अवसर का उपयोग नहीं कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** बहुत ठीक, मुझे लगता है कि आप सभा की कार्यवाही नहीं चलाने देना चाहते हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया कोई भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में न जाने दें।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने अपनी योग्यता के अनुसार विपक्ष को अधिकतम सम्मान दिया है। मैं आडवाणी जी का बहुत सम्मान करता हूं, इसे आप भी सभी लोग जानते हैं। जब भी उन्होंने चाहा है, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अनन्त कुमार, आप उनके लिए नहीं बोल सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपसे और सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अनन्त कुमार, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** हम सरकार के रवैये के खिलाफ और तेलंगाना राज्य न बनने के प्रोटैस्ट में वाकआउट करते हैं। *...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.13 बजे**

*(तत्पश्चात्, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया प्रतीक्षा करें।

विपक्ष के माननीय सदस्य सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं। हमें अनुशासन और गरिमामय तरीके से सदन की कार्यवाही चलानी चाहिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं मौका देना चाहता हूं और इशू रेज करने के लिए एलाऊ भी करता हूं।

*[अनुवाद]*

परन्तु आप अध्यक्षपीठ को सभा की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए मजबूर करते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह जी, कृपया अपना निवेदन करें।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपको अपनी बात कहने के लिए बुलाऊंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने भी नोटिस दिया है, आपने भी नोटिस दिया है और अन्य दस मैम्बर्स ने नोटिस दिया है।

*...(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कोई पहला या दूसरा नोटिस नहीं होता।

*...(व्यवधान)*

**श्री एल. राजगोपाल (विजयवाडा):** अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। मुझे इस पर आपत्ति है। मैं इसका विरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है, आपकी बात रिकार्ड हो गयी है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या मैं दस सदस्यों के नाम एक साथ बुलाऊं? क्या आप यही चाहते हैं? मुझे उन्हें बोलने का अवसर देना है, मुझे उन्हें भी बोलने का मौका देना है, मुझे अन्य को भी बोलने का मौका देना है। क्या मैं सबको एक साथ बुलाऊं। ये क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)*

**श्री एल. राजगोपाल:** महोदय, इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय:** आपने इस पर आपत्ति की है, इसका विरोध किया है, यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में आ गयी है।

**श्री एल. राजगोपाल:** महोदय, हम रिकार्ड को ठीक करना चाहते हैं। भाजपा ने वर्ष 1998 में वायदा किया था।

**अध्यक्ष महोदय:** अब तेलंगाना पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री राजगोपाल इस पर आपत्ति करते हैं?

**श्री एल. राजगोपाल:** महोदय, मैं इस पर न केवल कड़ा आपत्ति करता हूं बल्कि यह भी कहना चाहता हूं कि भाजपा ने वर्ष 1998 में जब वे राजग के सदस्य थे तब 'एक वोट-दो राज्य' का वायदा किया गया था। उन्होंने इसका वायदा किया था। वे छह वर्ष तक सत्ता में रहे और इसे कार्यान्वित करने से मना कर दिया। उन्होंने तीन नए राज्यों का गठन किया परन्तु तेलंगाना हेतु इन्कार कर दिया जबकि तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने कभी कोई वायदा नहीं किया *...(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी ने केवल सैकेंड एस.आर.सी. का वायदा किया था जिसे टी.आर.एस. ने स्वीकृत किया और इसके अनुरूप कांग्रेस ने समझौते पर हस्ताक्षर किये *...(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरन्नायडु (श्रीकाकुलम):** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री येरननायडु, मैंने देखा है कि आप हर रोज सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने देखा है कि आप हर रोज सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरन्नायडु:** महोदय, उन्होंने तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कोई भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे खेद है, मुझे इस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** इस सत्र के शुरू होने से ही मुझे लग रहा है कि आप रोज सभा में व्यवधान कर रहे हैं। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते।

*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

## सदस्यों द्वारा निवेदन

### मुंबई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के साथ हिंसा की घटनाओं के बारे में

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आपको वास्तव में अध्यक्षपीठ की आवश्यकता है?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत ही संवेदनशील सवाल उठाना चाहते हैं जो इस देश की अखंडता और एकता से जुड़ा हुआ है। हमने इस संबंध में नोटिस दिया था और आपने हमें बोलने का समय दिया है।

**अध्यक्ष महोदय:** हमने आपको बारह बजे, क्वैश्चन ऑवर के बाद, बोलने के लिए कहा था।

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें बोलने का समय दिया। देश में कई महीनों से विवाद चल रहा है, हालांकि यह विवाद काफी पहले से है, जबकि उत्तर भारत विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, देश के दूसरे हिस्सों में बराबर मारपीट और हत्या की घटनाएं होती रही हैं। जब भी ऐसी घटना भारतीयों के साथ दुनिया के दूसरे देशों में होती है तो देश काफी चिंतित रहता है, लेकिन इस देश में ही, एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं तब ऐसा होता है, यह विचारणीय है। इसकी शुरुआत असम से हुई। वहां काफी संख्या में बिहार के लोगों की हत्या की गई। इधर नए सिरे से महाराष्ट्र में, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जिस ढंग से उत्तर भारतीयों के साथ खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ ऊटपटांग भाषा बोलकर व्यवहार हुआ, एक नए दल के नेता, जो मराठियों का मसीहा बनना चाहते हैं, के अनावश्यक भाषण के चलते जो विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में महाराष्ट्र से लोग बिहार की तरफ आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील सवाल है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, और *..... बयान में कहा जाता है ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया नाम नहीं लें।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** ठीक है, इसे निकाल दिया जाएगा लेकिन महोदय हमने नाम इसलिए लिया है क्योंकि उन्हीं की बदौलत सारी घटना घटी है। *...(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): हम हिंदीभाषी लोगों की रक्षा करने वाले लोग हैं *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री आठवले, मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले:** इनके लिए हम लोग हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

*[हिन्दी]*

आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** बहुत हो गया है। ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या यह सभा एक तमाशा बन गयी है।

*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** अध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है। देश के जितने भी प्रदेश हैं, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से उन प्रदेशों को नाम दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र को महाराष्ट्र इसलिए कहा गया, क्योंकि यह आर्थिक राजधानी है। इसके आर्थिक राजधानी होने का कारण है। इसका कारण है कि वहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब होता है-चुंबक। देश में जितना भी पैसा होता है, चुंबक महाराष्ट्र में उसको खींच लेता है। इतना ही नहीं, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जैसे झारखंड में टाटा के कारखाने लगे हुए हैं लेकिन उनका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, रिलायंस के कारोबार कहीं भी हों लेकिन उनका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। स्टेट बैंक का मुख्यालय भी वहीं है। पेट्रोलियम और कैरोसिन तेल उत्तर प्रदेश और बिहार में बेचे जाते हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल के मुख्यालय महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी बनाने में सिर्फ मराठियों का हाथ नहीं है बल्कि देश के एक-एक व्यक्ति का हाथ है जिसके चलते महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी बना है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रभुनाथ सिंह जी, क्या मैं एक मिनट के लिए बोल सकता हूं। मैं समझता हूं कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। यह हर व्यक्ति की बाध्यता है कि कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भाग में सम्मान के साथ रहने को स्वतंत्र है। मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूं। अत:, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला तंत्र उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। भारत के किसी भी नागरिक पर आक्रमण या उसे परेशान करने वाली कार्रवाई के विरुद्ध हम अपना असंतोष और कड़ी आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरा अधिकार है और प्रत्येक नगारिक का अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में रहे और आप सबको भी यही बोलना चाहिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** वहां गवर्नमेंट लॉ एंड आर्डर मेन्टेन नहीं कर रही है *...(व्यवधान)* वहां की गवर्नमेंट कदम नहीं उठा रही है *...(व्यवधान)*

**प्रो. महादेवराव शिवनकर** (चिमूर): वहां भाषावाद काम करता है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइए। क्या प्रोफेसर, आप भी ऐसे करते हैं? आपसे छात्र क्या सीखते हैं?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री नायडु, आप फिर खड़े हो गये हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** अध्यक्ष महोदय, आर्थिक राजधानी बनाने में देश के एक-एक व्यक्ति का हाथ है, जिसके कारण महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी बना है। भाषाओं के बारे में भी कहा जाता है और बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। इस तरह के बयान देने वालों के लिए हम कहना चाहते हैं कि मोक्षदायिनी गंगा और शिवजी के एक ज्योतिर्लिंग श्रीविश्वनाथ के कारण बनारस दुनिया की संस्कृति का केन्द्र बिन्दु रहा है। बिहार में गया बौधों का धर्मस्थल होने के कारण वह स्थान दुनिया का केन्द्र बिन्दु रहा है। वहां के लोगों को संस्कृति और सभ्यता सिखाने वाले लोगों को एक बार बिहार और उत्तर प्रदेश में जाकर वहां की संस्कृति और सभ्यता को देख लेना चाहिए और फिर उन्हें महाराष्ट्र में बैठकर संस्कृति की बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि उन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिहार में आने की जरूरत है।

महोदय, हम आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं क्योंकि हमारी छठ पूजा पर हमला किया जा रहा है। छठ पूजा में हम सूर्य की उपासना करते हैं। बिहार का यह पर्व सबसे महान पर्वों में माना जाता है। हमारी पूजा के नाम पर कहा जाता है कि गंगा में स्नान किया जाता है या समुद्र में। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा नमकीन पानी पीते-पीते उनका दिमाग भी नमकीन जैसा हो चुका है। अगर गंगा के किनारे बैठकर उसकी मिठास ले लेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको उन्हें पटना आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** अध्यक्ष महोदय, हम कोई तनावपूर्ण भाषा नहीं बोलेंगे, हम केवल एक बात निवेदन करके अपनी बात समाप्त करेंगे कि इस देश के प्रदेशों में सिर्फ कांग्रेस का ही राज नहीं है, विभिन्न जगहों पर विभिन्न पार्टियों का राज है। कहीं भारतीय जनता पार्टी का राज है, कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का मिला हुआ राज है, कहीं जनता दल यूनाइेड और भारतीय जनता पार्टी का मिला हुआ राज है। लेकिन ये घटना वहीं होती हैं, जहां कांग्रेस शासित प्रदेश हैं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ऐसा बोलेंगे, तो वे भी जवाब देंगे।

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** असम में कांग्रेस का राज है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का राज है और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अभी भाषण दिया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के आने से यहां गंदगी फैल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि एक भिंडरवाला को पालकर कांग्रेस के लोगों ने अंजाम देख लिया और दूसरे भिंडरावाला को पालकर अगर वे लोग इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं तो यह देश टुकड़े नहीं हो सकता *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप यहां से वहां चले गये हैं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, आप बोलिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी का भी जो बयान आया है, वह एक द्वंद्व का बयान था *...(व्यवधान)* गृह मंत्री का देश में जो बयान आया है, वह एक द्वंद्व भरा बयान आया है *...(व्यवधान)* उन्हें चुनना होगा कि राष्ट्र और महाराष्ट्र में कौन सर्वोच्च है। उन्होंने महाराष्ट्र को प्राथमिकता इसलिए दी है कि वर्ष 1966 में *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको फिर बोलने का मौका मिलेगा।

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** हम सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करते हैं। वर्ष 1966 में वहां बाल ठाकरे साहब ने इसी तरह का बयान देकर अपने आपको मराठियों का मसीहा घोषित कर दिया था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी आज वहां कार्रवाई नहीं कर रही है। *...(व्यवधान)* उन्होंने धारा 153, 153ए और 153बी में मुकदमा किया और उसमें राज ठाकरे की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, वह दूल्हे की तरह न्यायालय में गये और ढाई घंटे में न्यायालय से छूटकर वापस आ गये। इसीलिए इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में मकोका कानून लागू है। ये राष्ट्रदोही बयान है।

**अध्यक्ष महोदय:** उन्हें कोर्ट ने बेल दी है, इसमें कोई क्या कर सकता है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वहां कांग्रेस का शासन है और राज ठाकरे को मकोका कानून में गिरफ्तार करके जेल में बंद करना चाहिए, ताकि यह देश टूटने न पाये और राष्ट्र की एकता और अखंडता बरकरार रहे *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** हम न्यायालय को बाध्य नहीं कर सकते।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं और हमें भरोसा है कि कांग्रेस के लोग इसे गंभीरता से लेंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** देवेन्द्र प्रसाद जी, आप बोलिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, आप हमें और क्यों परेशान कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप उनकी बात सुनिये, वह क्या बोल रहे हैं। हम आपको बोलने का मौका देंगे, क्योंकि आपके खिलाफ बोला गया है, इसलिए आपको भी बोलने का मौका देंगे।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** इतने महत्वपूर्ण इश्यु पर बहस हो रही है *...(व्यवधान)* हम एक सप्ताह से नोटिस दे रहे हैं, लेकिन आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)* राष्ट्र की एकता से बढ़कर कोई दूसरा सवाल नहीं हो सकता। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं समझता हूं कि मुझे शीघ्र सभा स्थगित करनी पड़ेगी। हमें इस शोर-शराबे के दौरान सब कुछ पारित कर लेना चाहिए। हमें घर जाना चाहिए। एक दिन के समय में बजट पारित कर दिया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

यह एक फार्स हो गया है।

*[अनुवाद]*

क्या कोई भी कभी भी उठकर अध्यक्षपीठ को आदेश दे सकता है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** सर, एक्सन नहीं हो रहा है, इसीलिए यह सब हो रहा है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हम आप सभी से आपके कोआपरेशन के लिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं।

*[अनुवाद]*

कृपया सहयोग करें। मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी सदस्य किसी ऐसे मुद्दे का उदाहरण नहीं दे सकता, जिसे उठाने की अनुमति नहीं दी गयी है।

*[हिन्दी]*

तब भी आप लोग ऐसे जबर्दस्ती करते हैं। देवेन्द्र प्रसाद जी, आप बोलिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महत्व के अति संवेदनशील विषय पर आपने सदन में बोलने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हमें आभार नहीं चाहिए। हमें थोड़ा कोआपरेशन चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** सर, फिर हम यहीं बंद कर देते हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है, आप बोलिए। आपको तो बोलने का मौका दिया है।

*...(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** सर, हमें बड़ी तकलीफ होती है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हमें भी ज्यादा होती है।

*...(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** सर, यह क्या बात है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सवाल है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको तो हमने बोलने का मौका दिया है।

*[अनुवाद]*

मैंने आपको आमंत्रित किया है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, हमने नियम के तहत नोटिस दिया है। सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि यह केवल महाराष्ट्र का सवाल नहीं है, आए दिन असम में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनके साथ। यही नहीं, आज महाराष्ट्र में असाधारण स्थिति उत्पन्न की जा रही है। चालीस सालों से जो कुछ हुआ, इसकी बुनियाद कहां है? कभी-कभी इसकी बुनियाद पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। न केवल अमिताभ बच्चन, जो फिल्मी स्टार हैं, जो बिग-बी के नाम से जाने जाते हैं, न केवल उनके कार्यालय पर हमला हो रहा है बल्कि महाराष्ट्र में सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के दुधहा गांव के निवासी श्री किसन सिंह, जो पुणे में भूजा बेचकर अपनी गुजर-बसर कर रहे हैं, दस वर्षों से वह वहां

भूजा भूंज रहे थे, उनके हाथ काटकर गांव भेज दिये गये हैं। यह कितना संवेदनशील मामला है? दोनों हाथ कटे हुए हैं। फोटो गलत नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसे यहां रखना चाहता हूं। इसे देख लिया जाए कि किस तरह से किशन सिंह के दोनों हाथ काटकर पुणे से गांव भेज दिये गये हैं। हॉस्पिटल में जब वह अचेतावस्था में था, वह सुबह देखता है कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। यह सेना कौन है? यह महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है या हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने वाली सेना है? यह सेना क्या चीज है? यह महाराष्ट्र नव निर्माण सेना नहीं बल्कि पूरे देश को ध्वस्त करने वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है जिसने हाथ काटने का काम, दरिंदगी और हैवानियत की सीमा को भी पार कर देने वाला ऐसा काम किया है। यह उत्तर भारतीयों के साथ घटित हुई कोई आम घटना नहीं है। उत्तर भारतीयों का इस देश के प्रति बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह महाराष्ट्र की वही धरती है, जहां के किसान नेता श्री शरद पवार साहब बैठे हुए हैं जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने न केवल जन्म भूमि बल्कि कर्म क्षेत्र भी बनाया था और जहां से समता का संदेश हिन्दुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को मिला था। वह महाराष्ट्र की धरती जहां महात्मा फूले ने पूरे देश में एक संदेश दिया था और उसी महाराष्ट्र की धरती की पुत्री लता मंगेशकर ने देश के लिए बलिदान होने वाले शहीदों के लिए, देशवासियों को आवाज दी थी, उस गीत के बोल थे:

ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी,
सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी।

उस धरती से अगर ऐसी आवाज आती है, तो उस धरती की न केवल आर्थिक स्थिति खराब होगी, बल्कि मैं समझता हूं कि पूर्वांचलवासी, चाहे उत्तर भारत के रहने वाले बिहार के लोगों को टार्गेट बनाकर, जिस तरह वहां से पलायन हो रहा है, एक दिन में हजारों-हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, अभी तक बीस हजार लोग केवल बिहार में, भोजपुर इलाके में पलायन होकर गये हैं। बारह हजार लोग उत्तर प्रदेश, शाहजहांनपुर आदि में पलायन होकर गये हैं। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की दुहाई देते हैं जिन्होंने समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए आदर्श और सिद्धांत पेश किया था, आज उस धरती पर क्या हो रहा है? जो धरती समाजवादी नेता मधु दंडवते का कर्म क्षेत्र रहा है, जिस धरती पर मधु दंडवते ने ही नहीं, बल्कि समाजवादी नेताओं ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आवाज दी थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण क्या हैं? इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? मुम्बई में उत्तर भारतीयों के साथ ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, यह कोई चर्चा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** 50-60 लोग घायल हो गये हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग डिबेट कर रहे हैं, बैठ जाइये। आपको प्रेजीडेंट अड्रैस पर बोलने का मौका मिलेगा।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। मुम्बई में 43 प्रतिशत लोग मराठी हैं, जबकि 57 प्रतिशत उत्तर भारत और पूर्वांचल के लोग हैं। मुम्बई नगरी, जो देश की आर्थिकर राजधानी है, सुन्दर महानगरी है, उसे अपने खून-पसीने से पूर्वांचलवासियों ने बनाने का काम किया है। पूरे देश में चाहे बंगलौर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे महाराष्ट्र में पुणे हो, उन लोगों ने अपने पसीने और मेहनत से उनके आर्थिक विकास में खास योगदान किया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** और उसमें केवल पूर्वांचल के लोगों का योगदान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके कारण क्या हैं? मैं इसके कारण बताने के लिए दो मिनट में बोलना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** इस मुद्दे पर पूरा डिबेट कैसे होगा?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

कृपया इन शब्दों को निकाल दें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आठवले जी, आप बैठ जाइये, नहीं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। हम आपको बाहर भेजना चाहेंगे।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** मैं कनक्लूड करना चाहता हूं। इस तरह की संकीर्ण राजनीति है। देश के संविधान का उल्लंघन करना, आखिर ऐसी इजाजत कौन दे सकता है? क्या किसी भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान का उल्लंघन करने की छूट दी जा सकती है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** क्या किसी भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने की छूट दी जा सकती है? मैं कुछ सवाल छोड़ रहा हूं जो पूरे देश के सवाल हैं। हम लोग एक समान हैं। क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार और केन्द्र सरकार *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** हर कोई कहता है कि यह गलत है, परन्तु फिर भी सभा में यह जारी है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** इस देश में कानून की पालना ही नहीं होगी, बल्कि आचरण करना होगा, नहीं तो मैं मांग करता हूं कि मतदाता सूची से ऐसे लोगों का नाम निकालने के लिए इलैक्शन कमीशन को भेजा जाये। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बस कीजिए। श्री शाहनवाज जी।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के ऐसे संगठन महाराष्ट्र निर्माण सेना पर प्रतिबंध लगाया जाये। देश के कई सामाजिक और असामाजिक तत्व, ऐसी बातों को हवा देते हैं, ऐसे संगठनों को बैन करना चाहिए। ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाना चाहिए, मैं यह मांग करता हूं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** केवल श्री सैयद शाहनवाज हुसैन के निवेदन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले? मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, मैं इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** देवेन्द्र जी, यह सही नहीं है। आप 10 मिनट से बोल रहे हैं, क्या बात है?

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष जी, अंत में एक बात कहना चाहता हूं जो इकबाल ने कही है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हम हाउस एडजर्न करके चले जाएंगे।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** मैं केवल एक मिनट में कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय एकता के संबंध में है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह दुख की बात है कि चेयर की बात कोई नहीं सुनता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं एक लाईन सुनाना चाहता हूं:

गुलिस्तां में गर फूलों का कत्लेआम होता है,

सबब कुछ भी हो, बागबां बदनाम होता है

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। अब श्री सैयद शाहनवाज हुसैन बोलेंगे।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह तो चर्चा से कुछ अधिक हो गया है।

*[हिन्दी]*

हम दो मिनट से ज्यादा किसी को नहीं देंगे। आज़मी जी, आप बैठ जाइए। जब हम आपको बुलायेंगे तभी आप बोलेंगे।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** अध्यक्ष महोदय, मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या एक साथ दस मैम्बर्स बोलेंगे? हम कब आपको बुलायेंगे, यह हम पर छोड़ दीजिए।

*[अनुवाद]*

कृपया मुझे आदेश न दें।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** अध्यक्ष महोदय, प्रभुनाथ सिंह जी ने अपनी सारी बात रखी है। मैं विषय की कटुता बढ़ाने के लिए नहीं, उसे घटाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे महाराष्ट्र और बिहार के बीच में जंग दिखे। यह स्टेट का मामला है और हम संसद सदस्यों के जितने अधिकार हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, लालू जी वहां से बोल रहे हैं। जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप उनकी बात नहीं सुनिये, हमें देखकर बोलिए। वे अच्छा रेलवे बजट बोलते हैं और दिया है।

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** हमको भागलपुर में कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम थोड़ा नाराज हैं। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं कोई कटुता पैदा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। यह विषय बड़ा गंभीर है। जो विषय यहां पर आया है, महाराष्ट्र में इस तरह की चर्चा शुरू हुई, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उससे उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। छठ पर्व को पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। इसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम अपने त्यौहार को कैसे मनाते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में गणपति जी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से छठ पर्व पर पूजा पूरे देश में और दुनिया में होती है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है, वह बहुत ही गलत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं शेरो-शायरी में उलझना नहीं चाहता। मैं दो टूक शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं कि आजकल परंपरा चल पड़ी है कि उल्टी-सीधी बात कहकर पब्लिसिटी प्राप्त करें। मेरा इल्जाम उस व्यक्ति पर नहीं है जिस व्यक्ति ने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए बयान दिया, हमारा इल्जाम इस सरकार पर है कि अगर कोई व्यक्ति इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए बयान देता है तो आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, आपके पास मकोका है। आपने उनको इतने दिन तक समझा-बुझाकर रखा और आपने उनको पूरी पब्लिसिटी दी। *...(व्यवधान)* हमारा इल्जाम केन्द्र की कांग्रेस सरकार और यूपीए सरकार पर है क्योंकि बिहार में इनकी, यूपीए की सरकार नहीं आई *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** राज्य सरकार यहां नहीं है। समस्या यही है। आप राज्य सरकार को बता नहीं सकते।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं सरकार की जवाबदेही फिक्स कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** राज्य सरकार यहां उपस्थित नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** यह यूपीए सरकार की जिम्मेदारी है। स्टेट में और सेन्टर में यूपीए की सरकार है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री रामजीलाल सुमन।

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू भी नहीं हुआ और आपने खत्म कर दिया। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपने बहुत अच्छा कहा है।

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** मैं एक मिनट में बात समाप्त करूंगा। मेरा इल्जाम है कि केन्द्र सरकार ने जान-बूझकर इस मामले को बढ़ने दिया। अगर पहले ही दिन ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार किया होता तो उसे इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती। बिहार में चूंकि कांग्रेस खत्म हो गई है, इसलिए उसे उत्तर भारतीयों से लगाव नहीं है। इसलिए जान-बूझकर एक पार्टी के द्वारा कांग्रेस वहां उत्तर भारतीयों का अपमान करवा रही है और जान-बूझकर इन्होंने इस मामले को बढ़ाने का काम किया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी बात ही नहीं आई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** आपकी पूरी बात हो गई। श्री रामजीलाल सुमन।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपका नाम रामजीलाल सुमन नहीं है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** केवल श्री राजमीलाल सुमन का निवेदन ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मेरे यह कहने के पश्चात कि 'कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा'' कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाए। केवल श्री रामजीलाल सुमन का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री रामजीलाल सुमन, आप जल्दी बोलिए। एक मिनट में आप अपनी बात खत्म कीजिए।

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी हमारे लायक दोस्तों ने कहा, यह बहुत गंभीर सवाल है। मुम्बई में 1 करोड़ 60 लोग रहते हैं और उनमें लगभग 45 लाख लोग उत्तर भारतीय हैं। मुम्बई को मुम्बई बनाने में उत्तर भारतीयों का भारी योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में जो बड़े उद्योग हैं, उन पर गुजराती और मारवाड़ियों का अधिकार है। दूध का कारोबार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का अधिकांश काम पंजाबियों के हाथ में है। इसलिए मुम्बई की आज जो शक्ल है, उसमें पूरे हिन्दुस्तान का योगदान है। इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह राज्य का विषय है। भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, इसका काम यह देखना है कि हमारा घर ठीक ठाक रहे। यहां भाषा, धर्म एवं क्षेत्रवाद के नाम पर किसी को तनाव पैदा करने का अधिकार दे दिया जाए, इसे रोकना भारत सरकार का काम है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय**, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि 3 फरवरी को समाजवादी पार्टी की मुम्बई में रैली थी और उससे पहले महाराष्ट्र नव-निर्माण सेना के अध्यक्ष ने, ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जानता हूं, उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी थी। दस दिन तक वहां की सरकार क्या करती रही, मैं जानना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कोई भी यहां उत्तर नहीं दे सकता। समस्या यही है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप राज्य सरकार के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। उनकी तरफ से यहां कोई जवाब देने वाला नहीं है। यही समस्या है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन:** अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि 11 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। हमारा आरोप है कि वह केस इतना हल्का था कि इतने गंभीर सवाल पर फौरन जमानत हो गई। ...*(व्यवधान)* ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, वहां 20 हजार लोग केवल नासिक से पलायन हुए, यह बहुत गंभीर घटना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ इतनी सी बात है कि नव-निर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं, ...*(व्यवधान)*... * वे अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** सुमन जी, आप दो मिनट बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन:** अध्यक्ष महोदय, आगे विधान सभा के चुनाव हैं, इसलिए विधान सभा के चुनाव में लाभ लेने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री इलियास आजमी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करे।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आजमी** (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं प्रभुनाथ सिंह जी, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी और रामजी लाल सुमन जी की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक आदमी ने बकवास की, एक आदमी ने गुंडागर्दी की और मुम्बई में पूरे देश की अंतरात्मा जाग गई। काश, देश की अंतरात्मा उस समय जागी होती, जब छः दिसम्बर, 1992 को और सात जनवरी, 1993 को उसी मुम्बई में कांग्रेस की सरकार, उसकी पुलिस और शिवसेना तथा सब लोगों ने मिल कर जिस तरह इंसानियत का कत्लेआम किया था, अगर उस वक्त भी यह अंतरात्मा जाग गई होती, असम में नीरी के वाकयात पर अगर अंतरात्मा जागी होती तो शायद देश को बहुत सारी ट्रेजडियों से निजात मिल गई होती। ...*(व्यवधान)* जब अंतरात्मा जागी है, देर से सही। यहां सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ, अगर उस समय देश की अंतरात्मा इसी तरह जागी होती तो आज शायद बहुत सारी ट्रेजडियों से हम बच गए होते। ...*(व्यवधान)* मैं स्वागत करता हूं पहली बार जो हमारे देश की अंतरात्मा जागी है और जिस आदमी ने जगाई है, वह भी धन्यवाद का पात्र है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया केवल मुद्दे का उल्लेख करें। मो. सलीम आपको केवल 1 मिनट का समय दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और हम समझते हैं कि आज हमारे देश में जो एक तरफ ग्लोबल इकोनोमी और दूसरी तरफ लोकल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पोलिटिक्स का दौर चला है, यह कम्पीटिटिव पोलिटिक्स है। अपने को जो लोग राष्ट्रवादी मानते हैं, वे मुम्बई में महाराष्ट्रवादी बन जाते हैं। आजादी के बाद से योजनाबद्ध तरीके से मुम्बई शहर को हमारे देश का आर्थिक केन्द्र बनाने की कोशिश की गई। सरकार की पालिसी थी। पूर्वी एवं उत्तर क्षेत्र से इकोनोमी को पुश करके पश्चिम क्षेत्र में ले जाया गया। मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो इकोनोमी चल रही है, उससे इंटरनल माइग्रेशन होगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह आर्थिक कारणों से जाएंगे। यह हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 60 के दशक से साऊथ इंडियंस के खिलाफ टारगेट किये गये, जिन्हें उस समय मद्रासी कहा जाता था, चाहे वे मलयाली, तेलगु, कन्नड़ या चेन्नई के लोग हों, उन पर हमला किया गया। यह एक घाव है, ये पिछले कई महीनों से हो रहा है। आप एमएनएस की बात कर रहे हैं, ये तो घाव एक है, लेकिन जो नासूर है, वो तो ताव है ...*(व्यवधान)** इस तरह से ऐसी राजनीति की गई—जैसे यह हो रहा है कि कोई भी ऐसे कम्पीटिटिव पोलिटिक्स में मारो, काटो, जलाओ, नुकसान करो और उसके बाद राजनैतिक समझौता कर लो—चाहे वह एनडीए हो या कांग्रेस पार्टी हो। ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते रहे हैं। इससे देश और राष्ट्रीय एकता का नुकसान हो रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं कलकत्ता शहर से आता हूं, वहां भी अलग-अलग प्रदेश से लोग आते हैं। आज बंगाल के 40 हजार लोग मुम्बई से भगाए गए हैं, जो जेम्स एंड ज्वैलरी में काम करते हैं। मिदनापुर जिले के 40 हजार लोग बिहार एवं यूपी के लोगों के साथ बंगाल के नाम पर ...*(व्यवधान)*

हम समझते हैं कि केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देना चाहिए, ...*(व्यवधान)** यह चुनावी राजनीति नहीं है, वास्तविकता की बात है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** राज्य सरकार के बारे में जो कहा गया है।

*[अनुवाद]*

उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में विशेषकर मुम्बई में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्त्ताओं ने जो कुछ भी किया है, उसके समर्थन में मैं यहां नहीं खड़ा हुआ हूं और न ही मैं उनकी वकालत करना चाहता हूं। लेकिन मुम्बई में जो घटनाएं हुई हैं, उसके पहले असम में जो घटनाएं हुई थीं ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इस प्रकार के किसी मुद्दे पर चर्चा करने में यही खतरा है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'** (बेगूसराय): अगर असम में घटनाएं हुईं, क्या महाराष्ट्र में हो सकती हैं? ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस पर और चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** आप सुनिये तो सही कि मैं क्या राजनीति कर रहा हूं और कौन राजनीति कर रहा है? ...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** ...*(व्यवधान)**

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** आप उनका नाम लेकर, ...*(व्यवधान)** क्या यहां कुछ भी बोल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** इस बारे में सामना अखबार में आर्टिकल लिखा गया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष महोदय, क्या ये लोग किसी का नाम लेकर कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मो. सलीम, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** इसके लिए आप लोग, आप जैसे नेता जिम्मेदार हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रभुनाथ जी, मैं जानता था कि यही होगा। इसीलिए मैंने आपसे विनती की थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी। ठीक है, देश का बंटवारा और कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ हूं, न ही किसी की वकालत कर रहा हूं *...(व्यवधान)* निन्दा ही कर रहा हूं, लेकिन आप सुन तो लीजिए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** गीते जी, आप वहां देखकर क्यों बोल रहे हैं। आप मुझे एड्रेस कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष जी, इससे पहले इस विषय को लेकर सबसे ज्यादा आतंक असम में हुआ था *...(व्यवधान)* लालू जी, आप सुन तो लीजिए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** गीते जी, आप मुझे एड्रेस करके जो बोलेंगे, वही रिकार्ड होगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष महोदय, वहां कई बिहारियों की हत्या हो गई थी। मुम्बई में तो कुछ भी नहीं हुआ है, जितना हुआ है, उससे ज्यादा बवाल खड़ा किया गया है। यह वास्तविकता है, आप लोगों को इसे समझना चाहिए। वास्तव में इसकी चर्चा यहां करने की भी आवश्यकता नहीं थी। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह देश के लिए बहुत ही दु:ख का दिन है।

*[हिन्दी]*

अगर हाउस में इस तरह से चलेगा तो क्या होगा?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हाउस चले?

*...(व्यवधान)*

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':** हमारी मांग है कि रिजर्व बैंक का हैडक्वार्टर दिल्ली में लाया जाए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मेरी अनुमति के बिना बोले गए एक शब्द को भी मत लिखिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोगों ने मुझे कैसी नौकरी दी है, मैं चाहता भी नहीं था। आप मुझे इस नौकरी से छुटकारा दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप लोग बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हम इस तरह बर्ताव कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

मैं आप लोगों से अपील करता हूं आप लोग सोचिए कि क्या यह देश के लिए ठीक है?

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष महोदय, जो लोग मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप मुद्दे पर बोलिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** यह सही नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** *...(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा। इसको निकाल दीजिए।

*...(व्यवधान)*

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### किसानों को पैकेज

***61. श्री प्रबोध पाण्डा:**
**डा. चिन्ता मोहन:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण ऋणग्रस्तता संबंधी राधाकृष्ण समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने और किसानों के लिए एक नया पैकेज तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पैकेज को लागू करने के लिए अनुमानत: कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी;

(ग) देश में इस समय अनुमानत: ऐसे कितने किसान हैं जो संस्थागत ऋण प्रणाली से बाहर चले गए हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि किसान सरकार की ऋण योजनाओं से वंचित न रह जाएं?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) और (ख) प्रो. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित कृषि ऋणग्रस्तता पर विशेषज्ञ दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में है।

किसानों हेतु ऋण छूट और ऋण राहत की स्कीम वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बजट में सरकार द्वारा घोषित की गई है। इस स्कीम के अधीन 31 मार्च, 2007 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा सभी कृषि ऋण और 31 दिसम्बर, 2007 तक अतिदेय को कवर किया जायेगा।

सीमांत किसानों (अर्थात एक हैक्टेयर तक की जोत) और छोटे किसानों (1-2 हैक्टेयर) के लिए सभी कृषि ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक अतिदेय थे और 29 फरवरी, 2008 तक अदा नहीं किये गये थे, पर पूरी छूट दी जायेगी। अन्य किसानों के मामले में सभी ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक अतिदेय थे और जिन्हें 29 फरवरी, 2008 तक अदा नहीं किया गया था के लिए एकमुश्त निपटान स्कीम होगी। एकबारगी निपटान के अधीन शेष 75 प्रतिशत के भुगतान पर 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। पुन: संरचित कृषि ऋण और बैंकों द्वारा 2004 और 2006 में पुन: निर्धारित जो विशेष पैकेज के जरिये किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य अवधि में निर्धारित अन्य ऋण भी उसी प्रतिमान पर छूट अथवा ओटीएस के पात्र होंगे। माफ किये जा रहे अतिदेय ऋणों के कुल मूल्य का अनुमान 50,000 करोड़ रुपये लगाया गया है और अतिदेय ऋणों पर ओटीएस राहत का अनुमान 10,000 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ग) बैंकों की वर्तमान डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा ऐसी सूचनाएं परिग्रहित (कैप्चर) नहीं की जाती।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

***विवरण***

भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के परामर्श से किसानों को और अधिक ऋण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के उपाय सुझाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक कार्य दल का गठन किया था

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ताकि विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों द्वारा कृषि ऋण प्राप्त किये जाने के लिए लागत और समय को कम किया जा सके। कार्य दल की तीन सिफारिशों अर्थात 50,000 रुपये तक के छोटे ऋणों के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र (एनओसी) से छूट देना; परामर्श केन्द्र खोलने पर विचार करना तथा स्थानीय प्रशासन/ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मुहैया कराये गये प्रमाणपत्र के आधार पर भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों और मौखिक पट्टेदारी को ऋण दिया जाना स्वीकृत किया गया था तथा तदनुसार बैंकों को सलाह दी गई थी।

2. डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर संघीय बजट (2007-08) में दो निधियों अर्थात विकासात्मक और संवर्धनात्मक हस्तक्षेपों की लागत को पूरा करने के लिए नाबार्ड के साथ 'वित्तीय समावेशन निधि' तथा प्रौद्योगिकी अभिग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए एक 'वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि' के गठन की घोषणा की गई थी। प्रत्येक निधि में 40 : 40 : 20 के अनुपात में केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा किये जाने वाले अंशदान से प्रारम्भिक वित्तपोषण से 500 करोड़ रुपये की एक समग्र कार्पस होगा। वित्तीय समावेशन हेतु एक व्यापक नीति के कार्यान्वयन से ऋण सहित वित्तीय सेवाओं तक ग्रामीण जनसंख्या के अतिसंवेदनशील तबकों की पहुंच में वृद्धि होने की आशा है।

3. इस पर विचार करते हुए कि ब्याज की उच्च दरें फार्म ऋण लेने में किसानों के लिए प्रायः एक बाधा के रूप में कार्य करती हैं, केन्द्रीय बजट (2006-07) में यह घोषणा की गई थी कि 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर दिये जाएंगे। तदनुसार, वर्तमान में भारत सरकार की ब्याज सहायता से लगभग सभी बैंकों द्वारा निचले (ग्राउंड) स्तर पर 7 प्रतिशत की दर से फसल ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह स्कीम वर्ष 2007-08 और 2008-09 में भी जारी है।

4. बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि:

1. कृषि ऋणों के संबंध में प्रलेखन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए;

2. 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए प्रतिभूति (कोलेटरल) नहीं देना होगा;

3. सभी पात्र किसानों को निर्बाध ऋण प्राप्त करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएं।

5. वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों के भाग के रूप में बैंकों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिभूति और निधियों के लक्षित उपयोग पर जोर दिये बिना 25,000 रुपये तक के साधारण ऋण कार्ड जारी करें।

6. भारत सरकार ने तीन वर्षों (वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07) में कृषि ऋण को दोगुना करने के लिए जून 2004 में व्यापक कृषि ऋण पैकेज घोषित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्धारिती हैं:

(i) अनुसूचित बैंकों (वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान 50 लाख नए किसानों को वित्तपोषित करने की सलाह दी गई। इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान 50 लाख नए किसानों को वित्तपोषित करने के लक्ष्य से बहुत अधिक उपलब्धि मिली है।

(ii) पैकेज में विपदाग्रस्त और बकायेदार किसानों के लिए कुछ ऋण राहत उपाय भी शामिल हैं ताकि वे और ऋण ले सकें। इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) स्कीम और गैर-संस्थागत उधारदाताओं जैसे साहूकारों आदि के ऋणी किसानों को राहत भी प्रदान की गई ताकि वे बैंकों से और ऋण प्राप्त कर सकें।

7. नाबार्ड ने गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच पहुंच सुधारने के लिए स्वावलंबी समूह-बैंक सम्पर्क कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो विश्व में सबसे बड़ा स्वावलंबी समूह कार्यक्रम बन गया है। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और काश्तकार समूहों (टीएफजी) को वित्तपोषित करें।

8. बैंकों को सलाह दी गई है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन पायलट आधार पर किया जाए। पायलट आधार पर किए गए इस समावेशन की सफलता के आधार पर राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य के अन्य जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करेगी।

9. वित्त की पहुंच सुधारने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बैंकिंग कॉरेस्पोडेंट/बैंकिंग फेसिलिटेटर मॉडलों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किये गये हैं।

10. दुर्गम भौगोलिक भूखण्ड/दूरस्थ क्षेत्रों (जहां अवसंरचना का अभाव है और जहां बैंक शाखाएं खोलना खर्चीला है) में प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी सहित) के प्रयोग के जरिये पहुंच को बेहतर बनाने के लिए पायलट आधार पर कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। कई बैंक पायलट कार्यक्रम को दोहराने के लिए अर्थोपायों और साधनों की जांच कर रहे हैं।

11. माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र (6), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (6) और केरल (3) के 31 ऋणग्रस्त जिलों में किसानों की विपदा कम करने के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा की जिसमें दिनांक 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय कृषि ऋणों पर पूरे ब्याज की माफी शामिल हैं ताकि किसान बैंकिंग प्रणाली से नया ऋण लेने के लिए तत्काल पात्र बन सकें। बैंकिंग क्षेत्र के जरिये इन 31 जिलों में अतिरिक्त कृषि ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा रहा है।

12. सहकारी ऋण प्रणाली, जो विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्था है, वित्तीय, संरचनात्मक और प्रबंधकीय कमजोरियों के कारण कार्य ठीक से नहीं कर पा रही है। अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए वैद्यनाथन समिति द्वारा यथा संस्तुत उपायों का पैकेज कार्यान्वयनाधीन है, जिसमें 13,596 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय का अनुमान है। अब तक पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार और नाबार्ड के साथ 17 राज्यों अर्थात-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

13. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने दीर्घावधिक ऋण संरचना को सक्रिय बनाने के लिए प्रो. वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए पैकेज की विषयवस्तु पर एक समझौता किया है इस पैकेज की लागत का अनुमान 3,074 करोड़ रुपये है जिसमें से केन्द्रीय सरकार का अंश 2642 करोड़ रुपये अथवा कुल बोझ का 86 प्रतिशत होगा।

**रक्षा खरीद नीति में संशोधन**

*62. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री मोहन सिंह:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा खरीद नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार स्वदेशी और देश में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी रक्षा सौदों में शामिल करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) सरकार ने अपेक्षित क्षमताओं तथा निर्धारित समय सीमा में सशस्त्र सेनाओं की अनुमोदित अपेक्षाओं की शीघ्र अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु 1 सितम्बर, 2006 से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी-2006) प्रख्यापित की थी।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 में इसके कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त किये गये व्यावहारिक अनुभव के आलोक में प्रत्येक दो वर्ष के बाद अधिप्राप्ति प्रक्रिया की समीक्षा करने हेतु प्रावधान है।

भारतीय कंपनियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू तकनीकी/औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 में पूंजीगत अर्जनों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:

(1) अर्जनों को 'खरीदो' निर्णय के अंतर्गत लाया गया है। 'खरीदो' का अर्थ होगा उपस्कर की सीधी खरीद। अधिप्राप्ति के स्रोत के आधार पर इस श्रेणी को 'खरीदो (भारतीय)' तथा 'खरीदो (वैश्विक)', के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। 'भारतीय' का अर्थ होगा केवल भारतीय विक्रेता तथा 'वैश्विक' का अर्थ होगा विदेशी के साथ-साथ भारतीय विक्रेता। 'भारतीय खरीदो' में, यदि प्रणालियों का संघटन किसी भारतीय विक्रेता द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें कम से कम 30 प्रतिशत स्वदेशी अंश होना चाहिए।

(2) 'खरीदो और बनाओ' निर्णय के अंतर्गत शामिल अर्जनों का अर्थ होगा एक विदेशी विक्रेता से खरीदना तथा इसके बाद देश में इसका लाइसेंस उत्पादन/स्वदेशी विनिर्माण करना।

(3) 'बनाओ' निर्णय के अंतर्गत शामिल अर्जनों में स्वदेश में डिजाइन, विकास तथा उत्पादन किये जाने वाली उच्च प्रौद्योगिकी जटिल प्रणालियां शामिल होंगी।

*[हिन्दी]*

**लम्बित सिंचाई परियोजनाएं**

***63. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केन्द्रीय सहायता से शुरू की गई अनेक बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के निर्माण कार्य की गत एक वर्ष के दौरान समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भावी रूपरेखा क्या है तथा ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कौन सी नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार और परियोजनावार केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान की गयी है?

**जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज):** (क) अभी तक एआईबीपी के अंतर्गत 236 वृहद और मध्यम परियोजनाओं/परियोजना घटकों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इनमें से 9वीं और 10वीं योजना अवधि के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत 177 परियोजनाएं शुरू की गई। अभी तक 91 परियोजनाएं/परियोजना घटक पूरे कर लिये गये हैं जिनमें 9वीं और 10वीं योजना की 61 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, एआईबीपी के अंतर्गत सभी वृहद् और मध्यम परियोजनाओं की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष में दो बार क्षेत्रीय दौरे करके की जाती है जिसके पश्चात निगरानी रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय और राज्य सरकारों के जल संसाधन/सिंचाई विभाग सहित अन्य संबंधित कार्यालयों को प्रस्तुत की जाती है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर आवधिक समीक्षाएं भी की गई हैं।

(घ) समय-समय पर की गई समीक्षाओं और मॉनीटरिंग के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय ने एआईबीपी के अंतर्गत जारी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किये हैं जिनमें परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग, क्षमता सृजन के संबंध में केन्द्रीय सहायता के उपयोग को वास्तविक उपलब्धियों से जोड़ना, समझौता ज्ञापन और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आधार पर अनुदान जारी करना, जारी परियोजना के पूरी होने पर ही नई परियोजना शुरू करना, इत्यादि शामिल हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप एआईबीपी के अंतर्गत 2006-07 के दौरान 9.37 लाख हेक्टेयर की रिकार्ड क्षमता सृजित की गई है।

ग्यारहवीं योजना में एआईबीपी में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं में दसवीं योजना से आगे जाने वाली एआईबीपी के अंतर्गत चालू परियोजनाएं, कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज की जारी और नई परियोजनाएं, सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं, राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई विकास वाले राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं और 1:1 के मानदंड पर आधारित नई परियोजनाएं शामिल हैं।

(ङ) चालू एआईबीपी परियोजनाओं के राज्यवार नामों, एआईबीपी में शामिल किये जाने का वर्ष, पूरा होने की वर्तमान स्थिति, पूरा होने की संभावित तिथि, 2004-05 के दौरान 27 फरवरी, 2008 तक उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता, एआईबीपी के अंतर्गत लक्षित क्षमता और मार्च, 2007 तक सृजित क्षमता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

(हजार हेक्टे. में) (रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्यक्षेत्र और सम्बन्धित परियोजनाओं का नाम | एआईबीपी में शामिल करने की योजना | एआईबीपी में शामिल करने का वर्ष | जिस वर्ष में पूर्ण हुई | योजना अवधि | समय पर/विलंबित | एआईबीपी के अधीन लक्षित क्षमता | मार्च, 2007 तक सृजित क्षमता | क्षमता सृजन की प्रतिशतता | निर्मितियों के दौरान जारी की गई सीएसएस/अनुदान | | | | 2004-05 से 2007-08 तक जारी कुल सीएसएस/अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **आंध्र प्रदेश** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | श्रीरामसागर चरण-1 | VIII | 1996-97 | 2005-06 | पूर्ण | | 122.56 | 117.91 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. | चेय्येरू (अन्नमय) | VIII | 1996-97 | 2003-04 | पूर्ण | | 5.26 | 5.26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | तिम्मसानी कुप्पम | IX | 1997-98 | 2006-07 | पूर्ण | | 40.16 | 40.16 | 100.00 | 59.63 | 17.89 | 0.00 | | 77.52 |
| 4. | सोमसिला | IX | 1997-98 | 2006-07 | पूर्ण | | 32.28 | 23.00 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5. | नागार्जुनसागर | IX | 1998-99 | 2005-06 | पूर्ण | | 27.94 | 25.07 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 6. | मधुकलवा | IX | 1998-99 | 2005-06 | पूर्ण | | 9.39 | 9.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 7. | गुंडलवागु | IX | 2000-01 | 2007-08 | पूर्ण | | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8. | मुन्नेरुवागु | IX | 2000-01 | 2006-07 | पूर्ण | | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.90 |
| 9. | कनुपुर नहर | IX | 2000-01 | | आच्छादित | | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 10. | वेंगलरायसागर जलप्रपात | IX | 2000-01 | | XIवीं योजना | विलंबित | 10.00 | 3.64 | 36.40 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | | 5.84 |
| 11. | वामसधारा चरण-2 फेज-1 | X | 2003-04 | | 2007-08 | समय पर | 17.10 | 10.93 | 63.91 | 21.18 | 0.00 | 6.68 | | 27.86 |
| 12. | एसआरएसपी का एफएफसी | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 127.40 | | 247.40 |
| 13. | एसआरएसपी चरण-2 | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 178.07 | 8.16 | 4.58 | 0.00 | 2.27 | 72.00 | | 74.27 |
| 14. | तटीपुडी एलआईएस | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 83.61 | 4.98 | 5.96 | 0.00 | | 48.22 | | 48.22 |
| 15. | पुष्पला एलआईएस | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 75.24 | 4.99 | 6.63 | 0.00 | | 33.12 | 13.97 | 47.08 |
| 16. | रायलवागु | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6.71 | 6.71 |
| 17. | गोरकलवागु | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28.35 | 32.12 | 60.47 |
| 18. | मचकोलवागु | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 28.35 | 28.35 |
| 19. | पेन्नावागु | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50.63 | 50.63 |
| 20. | निलवाई | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.85 | 15.55 | 18.40 |
| 21. | श्री वेंकटराम चौम | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.78 | 74.54 | 82.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | अलीसागर एसआईएस | X | 2006-07 | 2007-08 | पूर्ण | | 21.77 | 21.77 | 100.00 | 0.00 | | 13.50 | 2.87 | 6.37 |
| 23. | मुरुक्क एसआईएस | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.95 | 6.55 | 17.50 |
| 24. | वे. चोक्का राव एसआईएस | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 266.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 298.13 | 405.00 | 703.13 |
| 25. | वेसीगस्तु | X | 2006-07 | | 2007-08 | समय पर | 9.73 | 5.67 | 58.27 | 0.00 | | 36.09 | 26.25 | 62.34 |
| 26. | पुंडलाबट्टम | X | 2005-06 | | 2007-08 | समय पर | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.61 | 39.74 | | 99.35 |
| 27. | स्वर्णमुखी | X | 2005-06 | | 2007-08 | समय पर | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 5.93 | | 11.86 |
| 28. | तीरकर्मा तीर्थ संग्राम | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | | | 33.01 |
| 29. | पलेम्बागु | X | 2005-06 | | 2007-08 | समय पर | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | | | 9.54 |
| 30. | थोटापल्ली बैराज | X | 2005-06 | | 2009-10 | समय पर | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.14 | | | 63.14 |
| | कुल | | | | | | 1136.14 | 280.93 | | 87.55 | 311.38 | 816.42 | 576.85 | 1792.20 |
| | **आंध्र** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | चाडुवरा | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 11.76 | 10.60 | 90.14 | 0.08 | 1.76 | | | 1.83 |
| 2. | हर्बाईपुर लिफ्ट | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 3.04 | 3.04 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 3. | रुम्बी | VIII | 1996-97 | 2001-02 | पूर्ण | | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 4. | धनसिरी | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 68.37 | 26.00 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 5. | चम्पावती | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 24.99 | 1.45 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 6. | बोरोसिंघ | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 13.56 | 1.50 | 11.06 | 0.00 | 3.60 | | | 3.60 |
| 7. | बोर्दोकराई | IX | 1997-98 | 2004-05 | पूर्ण | | 8.59 | 7.20 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 8. | बूढ़ी दिहांग | IX | 1997-98 | | 2008-09 | विलंबित | 4.49 | 1.93 | 42.98 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 9. | कोलांग बेसिन में एकीकृत सिंचाई | IX | 1997-98 | 2006-07 | पूर्ण | | 9.29 | 4.42 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 10. | कालोंगा* | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 2.69 | 2.60 | 96.65 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 11. | जमुना सिंचाई का आधुनिकीकरण | IX | 2001-02 | | 2008-09 | विलंबित | 13.76 | 8.50 | 61.78 | 0.00 | 7.25 | | | 7.25 |
| | कुल | | | | | | 160.74 | 67.44 | 41.96 | 0.08 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 12.68 |
| | **बिहार** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | पश्चिमी कोसी | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 212.05 | 144.80 | 68.29 | 19.88 | 5.96 | 1.70 | 16.30 | 43.84 |
| 2. | ऊपरी किउल | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 12.18 | 12.18 | 100.00 | 1.34 | 0.08 | 0.00 | | 1.41 |
| 3. | दुर्गावती | VIII | 1996-97 | | आस्थगित | विलंबित | 20.30 | 3.30 | 16.26 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | | 1.40 |
| | बागसागर | IX | 1997-98 | | 2007-08 | विलंबित | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00. | 0.00 | | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ओरनी जलाशय | IX | 1997-98 | 2006-07 | पूर्ण | | 9.56 | 9.46 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5. | बिलासी जलाशय | IX | 1997-98 | 2000-01 | पूर्ण | | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 6. | सोन आधुनिकीकरण | IX | 1998-99 | 2007-08 | विलंबित | | 314.58 | 264.64 | 84.12 | 16.00 | 8.80 | 1.53 | 14.67 | 41.00 |
| 7. | बक्सर | IX | 2000-01 | 2011-12 | विलंबित | | 2.49 | 0.83 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | कुल | | | | | | 575.15 | 439.21 | 76.36 | 37.22 | 16.24 | 3.23 | 30.97 | 87.65 |
| | झारखंड | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | मुमानी | IX | 1997-98 | | 2008-09 | विलंबित | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.39 | 3.71 | 5.46 |
| 2. | बोरदह | IX | 1997-98 | | आच्छादित | विलंबित | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | तलसू | IX | 1997-98 | 2002-03 | पूर्ण | | 6.10 | 6.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. | कंसजोर | IX | 1997-98 | | 2008-09 | विलंबित | 6.29 | 4.50 | 71.54 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | | 0.48 |
| 5. | सेनुआ | IX | 1997-98 | | 2008-09 | विलंबित | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.71 | 0.00 | 0.90 | 7.60 |
| 6. | सुरंगी | IX | 1997-98 | | 2008-09 | विलंबित | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.66 |
| 7. | तपकारा जलाशय | IX | 1997-98 | 2002-03 | पूर्ण | | 1.82 | 1.52 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8. | ऊपरी कंडा | X | 2004-05 | | 2008-09 | समय पर | 7.07 | 1.86 | 26.31 | 8.27 | 1.44 | 0.90 | | 10.61 |
| 9. | पंचखेरो | X | 2004-05 | | 2008-09 | समय पर | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1.05 | 0.00 | | 5.54 |
| | कुल | | | | | | 59.17 | 13.98 | 23.63 | 21.29 | 5.04 | 1.29 | 5.74 | 33.36 |
| | गोवा | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | सलौलिम | IX | 1997-98 | 2006-07 | पूर्ण | | 6.44 | 6.29 | 97.67 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.65 |
| 2. | तिस्करी | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 14.52 | 0.86 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 18.34 | 20.25 |
| | कुल | | | | | | 20.96 | 7.15 | 34.11 | 0.65 | 0.00 | 1.91 | 18.34 | 20.90 |
| | गुजरात | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | सरदार सरोवर | VIII | 1996-97 | | 2009-10 | विलंबित | 1792.00 | 394.10 | 21.99 | 530.50 | 339.60 | 121.89 | 350.00 | 1341.99 |
| 2. | धुव | VIII | 1996-97 | 1999-2000 | पूर्ण | | 2.91 | 2.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | मुक्तेश्वर | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 5.07 | 4.57 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. | सिपू | VIII | 1996-97 | 1999-2000 | पूर्ण | | 1.02 | 1.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5. | दमनगंगा | IX | 1997-98 | 1999-2000 | पूर्ण | | 6.69 | 6.69 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | कर्जन | IX | 1997-98 | 1999-2000 | पूर्ण | | 5.99 | 5.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 7. | सूखी | IX | 1997-98 | 1999-2000 | पूर्ण | | 3.49 | 3.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8. | देव | IX | 1997-98 | 1997-98 | पूर्ण | | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 9. | वतरक | IX | 1997-98 | 1999-2000 | पूर्ण | | 3.71 | 3.71 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 10. | हरनव-II | VIII | 1996-97 | 1997-98 | पूर्ण | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 11. | उमरिया | VIII | 1996-97 | 1996-97 | पूर्ण | | 0.16 | 0.16 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 12. | अबी-IV | IX | 2000-01 | | 2010 | विलंबित | 3.75 | 0.93 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 13. | ओजट-II | IX | 2000-01 | | 2010 | विलंबित | 1.80 | 0.56 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 14. | ब्राह्मणी-II | IX | 2000-01 | | 2010 | विलंबित | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 15. | भादर-II | X | 2002-03 | | 2010 | विलंबित | 1.50 | 0.50 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | कुल | | | | | | 1829.18 | 424.73 | 23.22 | 530.50 | 339.60 | 121.89 | 350.00 | 1341.99 |
| | **हरियाणा** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | गुड़गांव नहर | VIII | 1996-97 | 2003-04 | पूर्ण | | 20.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. | जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई | IX | 1997-98 | | आस्थगित | | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | डब्ल्यूआरसीपी | VIII | 1998-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 131.97 | 109.09 | 82.66 | 11.14 | 6.00 | 3.17 | | 20.31 |
| | कुल | | | | | | 220.97 | 109.09 | 49.37 | 11.14 | 6.00 | 3.17 | 0.00 | 20.31 |
| | **हिमाचल प्रदेश** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | शाहनहर सिंचाई परियोजना | IX | 1997-98 | | 2008-09 | विलंबित | 24.76 | 2.51 | 10.14 | 0.00 | 8.83 | 0.72 | 21.41 | 30.96 |
| 2. | सिधाता | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 5.35 | 0.15 | 2.71 | 1.13 | 6.08 | 1.00 | 25.73 | 33.93 |
| 3. | चेंजर लिफ्ट सिंचाई परियोजना | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.15 | 0.50 | 23.40 | 25.69 |
| | कुल | | | | | | 33.15 | 2.66 | 8.01 | 1.77 | 16.06 | 2.22 | 70.54 | 90.58 |
| | **जम्मू-कश्मीर** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | मारवल लिफ्ट* | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 11.39 | 11.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. | लेथपोरा लिफ्ट* | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 2.66 | 2.66 | 100.00 | 0.45 | 0.30 | 0.00 | | 0.75 |
| 3. | कोयल लिफ्ट* | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 2.15 | 2.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. | रणबीर नहर का आधुनिकीकरण* | IX | 1999-2000 | | 2009-10 | विलंबित | 7.67 | 1.76 | 22.95 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 17.88 | 25.44 |
| 5. | न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण* | IX | 1999-2000 | | 2006-07 | पूर्ण | 1.23 | 1.21 | 98.37 | 0.00 | 2.92 | 2.70 | | 5.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | कबुआ नहर का आधुनिकीकरण | IX | 1999-2000 | 2006-07 | पूर्ण | | 3.21 | 3.21 | 100.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | 1.00 |
| 7. | राजपोथ लिफ्ट | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 4.77 | 1.89 | 9.36 | 17.44 |
| 8. | ऋत लिफ्ट | IX | 2000-01 | | 2009-10 | विलंबित | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 4.42 | 1.85 | 9.18 | 17.00 |
| 9. | इगो के सिंचाई परियोजना | IX | 2000-01 | 2006-07 | पूर्ण | | 3.47 | 3.47 | 100.00 | 0.50 | 0.27 | 0.00 | | 0.77 |
| 10. | जंगीर नहर का आधुनिकीकरण | IX | 2001-02 | 2006-07 | पूर्ण | | 2.14 | 2.14 | 100.00 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | | 1.70 |
| 11. | रफियाबाद उच्च लिफ्ट सिंचाई | IX | 2001-02 | | 2008-09 | विलंबित | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 2.83 | 1.65 | 7.83 | 14.70 |
| 12. | दाडी नहर का आधुनिकीकरण | X | 2006-07 | | 2009-10 | समय पर | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.27 | 12.52 | 15.79 |
| 13. | मार्तण्ड नहर का आधुनिकीकरण | X | 2006-07 | | 2009-10 | समय पर | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.46 | | 4.46 |
| 14. | मव खुल का आधुनिकीकरण | X | 2006-07 | | 2009-10 | समय पर | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.43 | 0.92 | 3.35 |
| 15. | बबुल नहर का आधुनिकीकरण | XI | 2007-08 | | 2008-09 | समय पर | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.45 | 1.45 |
| 16. | कंडी नहर का आधुनिकीकरण | XI | 2007-08 | | 2010-11 | समय पर | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6.52 | 6.52 |
| | कुल | | | | | | 70.94 | 27.99 | 39.46 | 7.30 | 24.76 | 18.25 | 65.66 | 115.97 |
| | कर्नाटक | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ऊपरी कृष्णा चरण-1 | VIII | 1996-97 | | 2007-08 | विलंबित | 169.00 | 147.19 | 87.09 | 98.48 | 17.38 | 32.66 | 43.52 | 192.03 |
| 2. | मालप्रभा | VIII | 1996-97 | | 2007-08 | विलंबित | 56.63 | 37.49 | 66.20 | 12.00 | 6.00 | 13.50 | | 31.50 |
| 3. | हिरेहल्ला | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 8.33 | 4.42 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. | घटप्रभा | IX | 1997-98 | | 2007-08 | विलंबित | 139.96 | 106.17 | 75.86 | 62.09 | 19.50 | 30.81 | | 112.40 |
| 5. | करंजा | IX | 1997-98 | | XI योजना | विलंबित | 30.94 | 18.12 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 6. | ऊपरी कृष्णा चरण-2 | IX | 2001-02 | | 2007-08 | विलंबित | 178.32 | 99.05 | 55.55 | 204.68 | 95.36 | 78.66 | 104.81 | 483.51 |
| 7. | गंडोरी नाला | IX | 2001-02 | | 2007-08 | विलंबित | 8.09 | 6.26 | 77.38 | 19.05 | 2.54 | 4.75 | 45.53 | 71.87 |
| 8. | मलप्रभा नाला | X | 2002-03 | 2003-04 | पूर्ण | | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 9. | घोरेहोल | XI | 2007-08 | | 2007-08 | समय पर | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.29 | 0.29 |
| | कुल | | | | | | 594.27 | 421.70 | 70.96 | 396.30 | 140.78 | 160.37 | 194.15 | 891.59 |
| | केरल | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | कल्लाडा | VIII | 1996-97 | 2004-05 | पूर्ण | | 9.28 | 9.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. | मुक्कुट्टुथला | IX | 2000-01 | | 2007-08 | विलंबित | 28.23 | 23.47 | 83.14 | 49.44 | 9.36 | 13.93 | | 72.73 |
| 3. | कारप्पुझा | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.72 | | 2.72 |
| | कुल | | | | | | 46.23 | 32.75 | 70.84 | 49.44 | 9.36 | 16.65 | 0.00 | 75.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मध्य प्रदेश | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | इंदिरा सागर | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 62.20 | 10.95 | 17.60 | 124.94 | 41.95 | 9.89 | 94.77 | 271.55 |
| 2. | बाणसागर यूनिट-1 | VIII | 1996-97 | 2007-08 | पूर्ण | | 0.00 | 0.00 | | 28.53 | 15.60 | 0.83 | 7.95 | 52.91 |
| | बाणसागर यूनिट-2 | X | 2003-04 | | 2008-09 | विलंबित | 123.63 | 40.96 | 33.13 | 68.00 | 18.14 | 4.04 | 38.70 | 128.88 |
| 3. | ऊमरी बैनगंगा | VIII | 1996-97 | 2002-03 | पूर्ण | | 35.25 | 30.50 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | राजघाट बांध | IX | 1998-99 | | 2007-08 | विलंबित | 0.00 | 0.00 | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | 12.00 |
| 4. | सिंध फेज-2 | IX | 1998-99 | | 2009-10 | विलंबित | 83.29 | 48.73 | 58.51 | 114.22 | 24.53 | 0.00 | | 138.75 |
| 5. | सिंध फेज-1 | IX | 1999-2000 | 2007-08 | पूर्ण | | 10.58 | 5.21 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 6. | माही | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 26.43 | 10.41 | 39.39 | 32.00 | 8.26 | 5.36 | 33.20 | 78.82 |
| 7. | बरियारपुर एसबीसी | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 26.19 | 6.38 | 0.76 | 7.25 | 40.58 |
| 8. | ढोमिंत आरबीसी | IX | 2000-01 | 2002-03 | पूर्ण | | 1.69 | 1.69 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 9. | बंजर | IX | 2000-01 | 2002-03 | पूर्ण | | 1.10 | 1.10 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 10. | बावनबाडी | X | 2003-04 | | 2008-09 | विलंबित | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | 2.45 | 051 | 4.92 | 35.77 |
| 11. | महान | X | 2003-04 | | 2008-09 | विलंबित | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 4.80 | 0.37 | 3.49 | 20.23 |
| 12. | ओमकारेश्वर | X | 2003-04 | | 2008-09 | विलंबित | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 71.36 | 9.11 | 1.99 | 19.08 | 101.54 |
| 13. | बरगी डाइवर्जन फेज-1 | X | 2005-08 | | 2008-09 | विलंबित | 21.19 | 1.10 | 5.19 | 0.00 | 25.55 | 0.00 | | 25.55 |
| | बरगी डाइवर्जन फेज-2 | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 2.06 | 19.76 | 33.15 |
| | कुल | | | | | | 518.58 | 150.65 | 29.05 | 516.70 | 168.10 | 25.81 | 229.12 | 939.73 |
| | छत्तीसगढ़ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | हसदेव बांगो | IX | 1997-98 | 2006-07 | पूर्ण | | 86.60 | 86.50 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. | शिवनाथ डाइवर्जन | IX | 1997-98 | 2002-03 | पूर्ण | | 5.24 | 5.24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | जोंक डाइवर्जन | IX | 1999-2000 | 2006-07 | पूर्ण | | 9.57 | 7.78 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. | कोसारटेडा | X | 2002-03 | | 2008-09 | विलंबित | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 1.56 | 0.00 | | 4.49 |
| 5. | महानदी जलाशय परियोजना | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 13.88 | 11.94 | 86.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 7.50 | 13.60 |
| 6. | बरनाल | X | 2002-03 | 2006-07 | पूर्ण | | 1.51 | 1.14 | 75.60 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | कुल | | | | | | 127.92 | 112.60 | 88.02 | 2.93 | 7.66 | 0.00 | 7.50 | 18.09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महाराष्ट्र | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | गोसीखुर्द | VIII | 1996-97 | | 2011 | समय पर | 18.91 | 12.71 | 67.23 | 152.80 | 30.05 | 2.09 | 20.03 | 204.97 |
| 2. | सूर्या | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 2.97 | 0.46 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | वाघुर | VIII | 1996-97 | | 2010 | विलंबित | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 7.61 | 4.34 | 41.58 | 68.87 |
| 4. | भीमा | IX | 1997-98 | 2006-07 | पूर्ण | | 58.76 | 44.02 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5. | ऊपरी तापी | IX | 1997-98 | 2004-05 | पूर्ण | | 1.40 | 1.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 6. | ऊपरी वर्धा | IX | 1997-98 | | 2008-09 | समय पर | 37.26 | 34.52 | 92.66 | 43.94 | 0.00 | 29.04 | 19.87 | 92.85 |
| 7. | वान | IX | 1998-99 | 2005-06 | पूर्ण | | 15.28 | 14.92 | 97.68 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | | 6.53 |
| 8. | जामखडी चरण-II | IX | 2000-01 | 2004-05 | पूर्ण | | 7.27 | 7.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 9. | विष्णुपुरी | IX | 2000-01 | 2005-06 | पूर्ण | | 2.64 | 2.64 | 100.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | | 1.41 |
| 10. | बहुला | IX | 2000-01 | 2006-07 | पूर्ण | | 4.30 | 3.03 | 70.43 | 5.00 | 0.57 | 0.00 | | 5.57 |
| 11. | कृष्णा | X | 2002-03 | | 2007-08 | विलंबित | 19.59 | 15.20 | 77.60 | 29.55 | 13.92 | 82.80 | 8.24 | 134.51 |
| 12. | कुकडी | X | 2002-03 | | 2007-08 | विलंबित | 53.14 | 51.79 | 97.4 | 62.9 | 24.29 | 41.62 | 55.46 | 184.32 |
| 13. | ऊपरी मनार | X | 2002-03 | | 2009-10 | विलंबित | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 5.40 | 4.0 | | 26.53 |
| 14. | हेटवने | X | 2002-03 | | 2008-09 | विलंबित | 6.17 | 0.9 | 14.7 | 35.0 | 0.00 | 0.0 | | 35.00 |
| 15. | धसकमान | X | 2002-03 | | 2007-08 | विलंबित | 26.19 | 25.00 | 95.46 | 48.50 | 10.30 | 9.26 | 12.34 | 80.41 |
| 16. | ऊपरी पेनगंगा | X | 2004-05 | | 2010-11 | समय पर | 24.62 | 14.55 | 59.09 | 50.12 | 2.48 | 5.89 | | 58.49 |
| | वाघनगडी | X | 2004-05 | | 2007-08 | समय पर | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 30.47 | 13.60 | 0.29 | 2.76 | 47.12 |
| 17. | सोनल दुधना | X | 2005-06 | | 2009-10 | समय पर | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 26.76 | | 50.76 |
| | विस्तारी | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 6.50 | 1.66 | 25.54 | 0.00 | - 8.16 | 1.06 | 23.07 | 32.29 |
| 18. | वर्धा | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 54.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | | 9.00 |
| 19. | नांदेड़ मध्यमेश्वर | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 24.62 | 5.00 | 20.31 | 0.00 | | 16.53 | 22.03 | 38.56 |
| 20. | पुनद | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15.98 | | 15.98 |
| 21. | वान-II | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.03 | | 2.03 |
| 22. | पेंगरा नल्ला | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.63 | 4.53 | 10.16 |
| 23. | शिवना टाकली | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 6.39 | 2.00 | 31.30 | 0.00 | 4.43 | 11.97 | | 16.40 |
| 24. | तलनगुर एलआईएस | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.50 | | 2.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | खड़कपूर्णा | X | 2006-07 | | 2009-10 | समय पर | 9.64 | 0.20 | 2.07 | 0.00 | | 5.89 | 56.48 | 62.37 |
| 26. | अरुणावती | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 0.77 | 0.56 | 73.08 | 0.00 | | 0.59 | 11.85 | 12.44 |
| 27. | लाल नाला | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 7.14 | 0.15 | 2.10 | 0.00 | | 5.90 | 14.27 | 20.17 |
| 28. | कार | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 3.24 | 1.00 | 30.83 | 0.00 | | 4.21 | 7.88 | 12.09 |
| 29. | निचली वर्धा | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29.93 | | 29.93 |
| 30. | उतावली | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 5.07 | 1.50 | 29.56 | 0.00 | | 10.25 | 7.47 | 17.72 |
| 31. | पूर्णा | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 7.51 | 4.29 | 57.15 | 0.00 | | 22.12 | 20.37 | 42.49 |
| 32. | कदवी | X | 2002-03 | 2004-05 | पूर्ण | | 0.37 | 0.37 | 100.00 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 33. | कुंभी | X | 2002-03 | 2006-07 | पूर्ण | | 5.43 | 5.43 | 100.00 | 9.30 | | | | 9.30 |
| 34. | कसारी | X | 2002-03 | 2004-05 | पूर्ण | | 1.24 | 1.24 | 100.00 | 0.76 | | | | 0.76 |
| 35. | कसारसाई | X | 2002-03 | 2004-05 | पूर्ण | | 3.04 | 3.04 | 100.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 36. | नवलगांव | X | 2002-03 | 2004-05 | पूर्ण | | 1.81 | 1 81 | 100.00 | 1.37 | | | | 1.37 |
| 37. | खड़कवासला | X | 2002-03 | 2004-05 | पूर्ण | | 0.62 | 0.62 | 100.00 | 2.78 | | | | 2.78 |
| 38. | पतगांव | X | 2004-05 | 2006-07 | पूर्ण | | 1.99, | 1.99 | 99.90 | 10.75 | 3.23 | | | 13.98 |
| 39. | मदन टैंक | X | 2005-06 | | 2007-08 | समय पर | 3.28 | 2.58 | 78.66 | 0.00 | 1.51 | | | 1.51 |
| 40. | डोंगरगांव | X | 2005-06 | | 2009-10 | समय पर | 2.77 | 1.18 | 42.66 | 0.00 | 1.51 | | | 1.51 |
| 41. | अमरावती | X | 2005-06 | | 2007-08 | समय पर | 2.61 | 2.61 | 100.15 | 0.00 | 1.18 | | | 1.18 |
| 42. | गुल | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | | | 4.74 |
| 43. | बेम्बला | XI | 2007-08 | | 2010-11 | समय पर | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 166.36 | 166.36 |
| 44. | चन्द्रभागा | XI | 2007-08 | | 2008-09 | समय पर | 1.92 | 0.00 | | 0.00 | | | 11.49 | 11.49 |
| 45. | सपन | XI | 2007-08 | | 2009-10 | समय पर | 4.43 | 0.00 | | 0.00 | | | 41.35 | 41.35 |
| | कुल | | | | | | 621.63 | 265.64 | 42.73 | 529.29 | 167.38 | 340.69 | 547.43 | 1584.79 |
| | मणिपुर | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | खुगा | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 15.00 | 0.00 | 0.0 | 8.00 | 31.63 | 32.56 | | 72.19 |
| 2. | थोबल | IX | 1997-98 | | 2008-09 | विलंबित | 29.40 | 0.00 | 0.0 | 3.50 | 36.77 | 86.22 | | 126.49 |
| 3. | दोलाईथाबी बराज | X | 2002-03 | | 2007-08 | विलंबित | 7.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 19.29 | | 21.20 |
| | कुल | | | | | | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 70.30 | 138.07 | 0.00 | 219.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मेघालय | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | रंगई घाटी | IX | 2000-01 | | अपूर्ण | वित्तपित | 4.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 000 | 0.0 | | 0.00 |
| | कुल | | | | | | 4.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| | उड़ीसा | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ऊपरी इंद्रावती (केबीके) | VIII | 1996-97 | | 2009-10 | वित्तपित | 86.39 | 46.98 | 54.38 | 17.76 | 31.62 | 3.55 | 72.04 | 124.97 |
| 2. | रेंगाली | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | वित्तपित | 35.02 | 1.36 | 3.88 | 0.00 | 7.47 | 8.21 | 9.19 | 24.86 |
| 3. | सुबनरिखा | VIII | 1996-97 | | 2009-10 | वित्तपित | 105.76 | 2.50 | 2.36 | 0.00 | 12.43 | 8.96 | 133.68 | 155.07 |
| 4. | आनंदपुर बराज/एकीकृत आनंदपुर बराज | VIII | 1996-97 | | 2009-10 | वित्तपित | 65.88 | 5.88 | 8.92 | 0.00 | 1.44 | 2.25 | 2.14 | 5.83 |
| 5. | ऊपरी कोलाब (केबीके) | IX | 1997-98 | 2004-05 | पूर्ण | | 17.95 | 17.95 | 100.00 | 2.14 | 1.92 | 0.00 | | 4.06 |
| 6. | बिसलगढ़ चरण-2 (केबीके) | IX | 1998-99 | | 2007-08 | वित्तपित | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 3.33 | | 7.43 |
| 7. | निचली इंद्रा (केबीके) | IX | 1999-2000 | | 2009-10 | वित्तपित | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.54 | 58.69 | 46.00 | 169.23 |
| 8. | निचला सुबनरेखा (केबीके) | IX | 1999-2000 | | 2009-10 | वित्तपित | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 29.70 | 26.22 | 69.56 |
| 9. | पोट्टेरू (केबीके) | IX | 2001-02 | 2004-05 | पूर्ण | | 4.03 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 10. | नवरंग बराज | IX | 2001-02 | 2005-06 | पूर्ण | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 11. | तेलगिरी (केबीके) | X | 2003-04 | | 2009-10 | वित्तपित | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 1.34 | 12.89 | 18.33 |
| 12. | रेत सिंचाई (केबीके) | X | 2003-04 | | 2009-10 | वित्तपित | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 12.64 | 33.53 | 49.09 |
| 13. | कनपुर | X | 2003-04 | | 2009-10 | वित्तपित | 47.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 41.58 | 44.04 |
| 14. | चेलदीगढ़ा बांध | X | 2003-04 | | 2009-10 | वित्तपित | 3,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.79 | 2.79 |
| 15. | सालेन नहर प्रणाली का सुधार* | X | 2002-03 | 2004-05 | पूर्ण | | 16.28 | 16.28 | 100.00 | 0.00 | 3.82 | | | 3.82 |
| 16. | सलंदी बांध मुख्य नहर-अंबाडाला* | X | 2002-03 | 2005-06 | पूर्ण | | 3.65 | 3.65 | 100.00 | 0,00 | | | | 0.00 |
| 17. | सलकी सिंचाई का सुधार* | X | 2003-04 | 2004-05 | पूर्ण | | 19.89 | 19.89 | 100.00 | 4.33 | | | | 4.33 |
| | कुल | | | | | | 510.79 | 118.52 | 23.20 | 24.22 | 148.00 | 133.12 | 378.06 | 683.40 |
| | पंजाब | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | रणजीत सागर बांध | VIII | 1996-97 | 2000-01 | पूर्ण | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. | शाहपुरकंडी का रिमाडलिंग | IX | 2000-01 | 2006-07 | पूर्ण | | 118.00 | 111.49 | 94.48 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | | 6.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | तलवाड़ा के नीचे एच.पी. का सिंचाई | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6.10 | 0.00 | | 6.10 |
| 4. | शाहपुर कंदी | IX | 2001-02 | | XI योजना | विलंबित | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5. | कंदी नहर विस्तार (फेज-2) | X | 2002-03 | | XI योजना | विलंबित | 23.33 | 4.67 | 20.02 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | | 14.22 |
| 6. | पहली पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास | XI | 2007-08 | | 2010-11 | समय पर | 68.62 | 0.00 | | 0.00 | 13.50 | | 13.50 | |
| | कुल | | | | | | 209.95 | 116.16 | 55.33 | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 13.50 | 39.82 |
| | राजस्थान | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | जयसमंद (आधुनिकीकरण) | VIII | 1996-97 | 2000-01 | पूर्ण | | 2.40 | 2.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. | छपी | VIII | 1996-97 | 2004-05 | पूर्ण | | 1.70 | 1.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | पुचना | IX | 1997-98 | 2004-05 | पूर्ण | | 2.39 | 2.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. | आईजीएनपी चरण-2 | IX | 1997-98 | | 2009-10 | विलंबित | 964.00 | 391.00 | 40.56 | 116.47 | 23.80 | 0.00 | | 140.27 |
| 5. | बिलासपुर | IX | 1998-99 | 2006-07 | पूर्ण | | 1.80 | 1.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 6. | नर्मदा नहर | IX | 1998-99 | | 2009-10 | विलंबित | 246.00 | 32.63 | 13.26 | 119.85 | 46.75 | 9.67 | 92.62 | 268.89 |
| 7. | गंभीरी (आधुनिकीकरण) | IX | 1998-99 | 2000-01 | पूर्ण | | 0.93 | 0.93 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8. | चौली | IX | 1998-99 | 2006-07 | पूर्ण | | 8.96 | 8.96 | 99.97 | 8.83 | 1.96 | 1.13 | | 11.92 |
| 9. | माही बजाज सागर | IX | 1999-2000 | 2006-07 | पूर्ण | | 27.20 | 27.20 | 100.00 | 37.98 | 10.90 | 0.00 | | 48.87 |
| 10. | गंग नहर का आधुनिकीकरण | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 69.69 | 52.92 | 75.93 | 69.78 | 6.89 | 0.80 | 7.64 | 85.11 |
| | कुल | | | | | | 1325.07 | 521.92 | 39.39 | 352.90 | 90.30 | 11.60 | 100.26 | 555.06 |
| | तमिलनाडु | | | | | | | | | | | | | |
| | डब्ल्यूआरसीपी | VIII | 1996-97 | 2006-07 | पूर्ण | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | कुल | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | त्रिपुरा | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | मनु | VIII | 1996-97 | | 2009-10 | विलंबित | 7.60 | 1.06 | 13.95 | 1.13 | 6.75 | 0.00 | | 7.88 |
| 2. | गुमती | VIII | 1996-97 | | 2009-10 | विलंबित | 5.33 | 3.16 | 59.29 | 0.75 | 1.35 | 0.94 | | 3.04 |
| 3. | खोवाई | VIII | 1996-97 | | 2009-10 | विलंबित | 9.32 | 2.48 | 26.61 | 1.13 | 8.10 | 0.00 | | 9.23 |
| | कुल | | | | | | 22.25 | 6.70 | 30.11 | 3.00 | 16.20 | 0.94 | 0.00 | 20.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उत्तर प्रदेश | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | सारदा सहायक | VIII | 1996-97 | 2000-01 | पूर्ण | | 388.46 | 366.68 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. | सरयू नहर | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 505.00 | 472.06 | 93.48 | 54.06 | 45.00 | 28.55 | 33.97 | 161.58 |
| 3. | अपर गंगा आई/सी मध्य गंगा | VIII | 1996-97 | 2003-04 | पूर्ण | | 17.27 | 17.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. | एच.के. दोआब में खरीफ चैनल मुहैया कराना | VIII | 1996-97 | 2004-05 | पूर्ण | | 11.04 | 11.04 | 99.98 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | | 9.27 |
| 5. | बाग्सागर नहर | IX | 1997-98 | | 2009-10 | विलंबित | 150.13 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | 32.10 | 18.90 | 22.47 | 103.86 |
| 6. | लखवर व्यासी | IX | 1997-98 | | अस्थगित | विलंबित | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 7. | टेहरी | IX | 1999-2000 | 2006-07 | पूर्ण | | 270.00 | 162.00 | 60.00 | 35.00 | 25.02 | 0.00 | | 60.02 |
| 8. | ज्ञानपुर पंप नहर | IX | 1999-2000 | 2001-02 | पूर्ण | | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 9. | पूर्वी गंगा नहर | IX | 1999-2000 | | 2007-08 | विलंबित | 72.29 | 58.14 | 80.43 | 36.00 | 15.22 | 22.55 | 14.54 | 88.32 |
| 10. | रामगंगा नहर | IX | 2000-01 | | 2007-08 | विलंबित | 43.35 | 39.67 | 91.49 | 0.00 | 7.90 | 2.22 | | 10.12 |
| 11. | रामगंगा बांध | VIII | 1996-97 | 1996-97 | पूर्ण | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 12. | गुंजनाला बांध | VIII | 1996-97 | 1999-2000 | पूर्ण | | 3.88 | 3.88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 13. | आगरा नहर का आधुनिकीकरण | X | 2002-03 | | 2007-08 | विलंबित | 35.00 | 27.00 | 77.14 | 11.20 | 4.92 | 5.02 | 5.98 | 27.12 |
| 14. | नरौली पंप नहर | X | 2003-04 | 2007-08 | पूर्ण | | 39.75 | 10.00 | 25.16 | 0.00 | 0.56 | 0.86 | | 1.42 |
| 15. | लहुरा बांध का आधुनिकीकरण | X | 2005-06 | | 2008-09 | समय पर | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 3.35 | 3.98 | 9.73 |
| 16. | हरदोई शाखा प्रणाली की सिंचाई क्षमता में सुधार | X | 2006-07 | | 2008-09 | समय पर | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.45 | 11.84 | 12.29 |
| | कुल | | | | | | 1858.24 | 1169.23 | 62.92 | 175.92 | 133.13 | 81.90 | 92.78 | 483.72 |
| | पश्चिम बंगाल | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | तीस्ता बैराज | VIII | 1996-97 | | 2008-09 | विलंबित | 174.39 | 58.91 | 33.78 | 13.18 | 0.00 | 6.00 | | 19.18 |
| 2. | कंग्साबती | IX | 1997-98 | 2001-02 | पूर्ण | | 82.06 | 17.80 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | डीवीसी की बराज और सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण | IX | 1997-98 | 2007-08 | पूर्ण | | 8.00 | 4.90 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. | तटको | IX | 2000-01 | | 2007-08 | विलंबित | 1.20 | 0.53 | 44.24 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | | 0.32 |
| 5. | पलतोई | IX | 2000-01 | | 2008-09 | विलंबित | 2.16 | 0.12 | 5.70 | 0.13 | 0.00 | 0.32 | | 0.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | हनुमाता | IX | 2000-01 | | 2007-08 | विलंबित | 1.25 | 1.18 | 94.42 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | | 0.24 |
| 7. | सुवर्णरेखा बराज++ | IX | 2001-02 | | XIवीं योजना | विलंबित | 136.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | कुल | | | | | | 405.07 | 83.44 | | 13.46 | 0.03 | 6.70 | 0.00 | 20.19 |
| | कुल जोड़ | | | | | | 10403.11 | 4372.48 | | 2773.13 | 1709.23 | 1884.22 | 2680.91 | 9047.48 |

*[अनुवाद]*

**चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास**

***64. श्री नवीन जिन्दल:**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2007 में भारतीय और चीनी सैनिकों ने चीन में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके लाभ क्या हैं;

(ग) क्या भविष्य में चीन के साथ ऐसे संयुक्त अभ्यास जारी रहेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निकट भविष्य में अन्य किन-किन देशों के साथ ऐसे अभ्यास किये जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, हां। प्रथम भारत-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास 19-27 दिसंबर, 2007 को चीन के युन्वनान प्रांत में कुन्मिंग में संचालित किया गया था। एक इन्फैंट्री कंपनी ने इस अभ्यास में भाग लिया था तथा इसमें कुल 100 सैनिक शामिल हुए थे। इस अभ्यास की विषय-वस्तु आतंकवाद का प्रतिकार था।

अभ्यास से दोनों देशों के बीच जारी विश्वासोत्पादक उपायों को प्रोत्साहन मिला है तथा यह संबंधित सैन्य से सैन्य सहक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

(ग) और (घ) भारत और चीन के बीच अगला संयुक्त अभ्यास सितंबर-अक्तूबर, 2008 में संचालित किये जाने की संभावना है। संयुक्त अभ्यासों की मेजबानी बारी-बारी से दोनों देशों द्वारा की जाएगी।

(ङ) अन्य मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करने के संबंध में मामला-दर-मामला के आधार पर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के दिशा-निर्देशों के निर्देशों के अनुसार अभ्यास करने की हमारी जरूरत के आधार पर विचार किया जाता है।

**युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन**

***65. श्री के.सी. सिंह 'बाबा':**
**श्री संतोष गंगवार:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडगवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में कैडेटों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में पिछले तीन वर्षों के दौरान शामिल होने वाले कैडेटों की संख्या घटती-बढ़ती रही है जिसके पीछे कोई विशिष्ट कारक नहीं माना जा सकता है। ब्यौरे निम्नानुसार है:

| | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय रक्षा अकादमी | 596 | 667 | 649 |
| भारतीय सैन्य अकादमी | 422 | 479 | 387 |

सशस्त्र सेनाएं जानकारी देने और उपलब्ध अवसरों को युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक

मीडिया के जरिये व्यापक प्रचार करके एक कैरियर विकल्प के रूप में सेनाओं का चयन करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का सजग प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कैडेट कोर तेरह लाख कैडेटों की प्राधिकृत नफरी के साथ अपनी प्रशिक्षण गतिविधियों के भाग के रूप में सैन्य परंपराओं के उच्च मूल्यों पर केन्द्रित करके सशस्त्र सेनाओं के प्रति युवाओं को आकर्षित करने में सहायता कर रहा है। इसके अलावा, 22 सैनिक स्कूल, 5 राष्ट्रीय सैन्य स्कूल और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती के लिए शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक रूप से लड़कों को तैयार करके सशस्त्र सेनाओं के लिए संभरक संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, सेना और नौसेना में 10+2 के बाद तकनीकी भर्ती योजना शुरू करना, अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों का कोटा बढ़ाना, सक्षम जूनियर कमीशन प्राप्त और गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों का कमीशन प्राप्त रैंक में चयन करना और पदोन्नति के अवसरों और सेवा शर्तों में सुधार करने जैसे उपायों से सशस्त्र सेनाओं के प्रति अधिक प्रतिभा को आकर्षित करने के प्रयासों को बल मिलने की संभावना है।

## बर्ड फ्लू

*66. **श्रीमती जयाप्रदा:**
**श्री पंकज चौधरी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू बीमारी के फैलने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इससे कितने जिले प्रभावित हुए हैं;

(ग) इससे कितना नुकसान हुआ और इस बीमारी से प्रभावित मुर्गी पालकों को कितना मुआवजा दिया गया/दिए जाने का विचार है; और

(घ) इस बीमारी के फैलने का पता लगने में विलंब के क्या कारण हैं और इस चूक के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) और (ख) जी, हां। एवियन इंफ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) के हाल के प्रकोप की शुरू में पुष्टि पश्चिम बंगाल के बीरभूम तथा दक्षिण दिनाजपुर के कुछ हिस्सों में हुई थी। इसके पश्चात्, पश्चिम बंगाल के अन्य 11 जिलों, नामत: मुर्शिदाबाद, बर्दवान, दक्षिण-24 परगना, नादिया, हुगली, हावड़ा, कूचबिहार, मालदा, पश्चिम मिदिनीपुर, बांकुरा तथा पुरलिया के कुछ क्षेत्रों को भी इस रोग से ग्रसित पाया गया। बर्ड फ्लू के होने का निम्न में से एक कारण हो सकता है:

(1) सीमावर्ती क्षेत्रों में एक पक्षी का दूसरे पक्षी से संपर्क;

(2) संक्रमित पक्षियों की तस्करी;

(3) सड़ा-गला मांस खाने वाले (स्केवेंजर) वन्य तथा प्रवासी पक्षी।

संक्रमण के वास्तविक स्रोत के निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) बर्ड फ्लू के कारण नियंत्रण एवं रोकथाम क्रियाकलापों के हिस्से के रूप में पक्षियों को मारने के कारण प्रभावित कुक्कुट पालकों को निर्धारित दरों पर क्षतिपूर्ति दी जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 26 फरवरी, 2008 तक प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में अब तक 1000.17 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रति परिवार 500 रुपये की दर से अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया है। अब तक 3,22,109 घरों को कवर किया गया है तथा उन्हें 16,10,54,500 रुपये की राशि प्रदान की गई है और अन्य प्रभावित परिवारों को अंतरिम राहत वितरित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज भी विचाराधीन है।

(घ) राज्य सरकार से पश्चिम बंगाल के बीरभूम तथा दक्षिण दिनाजपुर जिलों में असामान्य मृत्यु की रिपोर्ट 11 जनवरी, 2008 की शाम को प्राप्त हुई थी, यद्यपि प्राप्त सूचना के अनुसार असामान्य मृत्यु की सूचना जनवरी, 2008 के प्रथम सप्ताह में मिलनी शुरू हो गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी निगरानी करने, इसके प्रकट होने के 24 घंटे के भीतर असामान्य मृत्यु की सूचना देने तथा नवम्बर, 2006 में सभी राज्य सरकारों को परिचालित "एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए पशुपालन की कार्य योजना" के अनुसार नियमित रूप से नमूने लेने की सलाह दी गई थी। अन्य राज्यों को भी कड़ी निगरानी रखने तथा कार्य योजना में निर्धारित सभी प्रारंभिक उपाय करने की सलाह दी गई है।

*[हिन्दी]*

**सशस्त्र सेनाओं हेतु हेलिकॉप्टरों की खरीद**

*67. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
**श्री रूपचन्द पाल:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए हेलिकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और उन कंपनियों के क्या नाम हैं जिनके साथ सौदे किये जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) सरकार सुरक्षा परिवेश की निरंतर समीक्षा करती है और पर्याप्त रक्षा तैयारी करने के लिए हेलिकाप्टरों सहित समुचित उपस्कर शामिल करने के लिए तदनुसार निर्णय करती है। इस समय सशस्त्र सेनाओं के लिए भारी लिफ्ट हेलिकॉप्टर, मध्यम लिफ्ट हेलिकापटर, उन्नत हल्के हेलिकाप्टर और टोही तथा प्रेक्षण हेलिकाप्टर जैसे विभिन्न प्रकार के हेलिकाप्टरों की अधिप्राप्ति किये जाने संबंधी प्रस्तावों पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान कंपनियों के नामों का खुलासा करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

*[अनुवाद]*

**खाद्यान्नों की कमी**

*68. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
**श्री पी. करुणाकरन:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वितरण हेतु राज्यों को राज्यवार, वर्षवार और श्रेणीवार विभिन्न वस्तुओं की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राज्यों के आवंटन में कटौती की है और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले (एपीएल) परिवारों के कोटे में भी कटौती की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा कटौती करने के लिए किन मानदंडों को लागू किया गया है;

(घ) क्या इस कटौती से कुछ राज्यों विशेषकर केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खाद्यान्नों की कमी हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे राज्यों ने इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से पुराना कोटा बहाल करने और/अथवा अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (च) जिंसवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(1) खाद्यान्न: पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन वितरण करने के लिए राज्यों को राज्यवार, वर्षवार और श्रेणीवार आवंटित खाद्यान्नों की कुल मात्रा से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर अनुमानित 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर अथवा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वास्तव में पहचान किये गये परिवारों और जारी राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किया जाता है।

तथापि, केन्द्रीय पूल में गेहू और चावल के स्टाक में गिरावट होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के आवंटन को पिछले तीन वर्षों अर्थात 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए उठान के आंकड़ों के आधार पर क्रमश: जून, 2006 और अप्रैल, 2007 से युक्तिसंगत बनाया गया है। यद्यपि, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों के आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं

किया गया है जो 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जा रहा है लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया गया है, जिसके ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित कई राज्यों ने गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध किया है।

राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणियों के लिए राज्यों की पात्रता के अनुसार स्वीकृत परिवारों की संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों के पूरे कोटे का आबंटन किया जा रहा है। जहां तक गरीबी रेखा से ऊपर के आबंटनों का संबंध है प्राप्त हुए अनुरोधों तथा खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य और त्योहार आदि के दौरान बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर के आबंटन के लिए सरकार ने सितम्बर, 2006 से मार्च, 2008 तक के महीनों (अगस्त, 2007 को छोड़कर) के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन गेहूं का तदर्थ आवंटन किया है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए गरीबी रेखा से ऊपर के चावल के आवंटन को इस शर्त के अध्यधीन डेढ़ गुणा बढ़ा दिया है कि यह पात्रता की सीमा में रहे।

(2) लेवी चीनी: चीनी मौसम 2004-05 से 2006-07 (अक्तूबर-सितम्बर) तक के लिए राज्यवार और वर्षवार लेवी चीनी के आबंटन को बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

लेवी चीनी की आपूर्ति पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूहों, जहां 1.2.2001 से गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों क लिए लेवी चीनी की आपूर्ति की जाती है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे से नीचे के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन की जाती है। चूंकि लेवी प्रतिशत को घटाकर घरेलू उत्पादन के 10 प्रतिशत पर कर दिया गया है इसलिए लेवी आवंटन के लिए चीनी की उपलब्धता घरेलू उत्पादन के स्तर पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है। अत: प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए लेवी कोटे के अनुसार लेवी चीनी की आपूर्ति करना संभव नहीं हुआ है। चीनी मौसम 2003-04 और 2004-05 के दौरान लेवी चीनी की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही राज्य सरकारों द्वारा संबंधित चीनी मिलों से लेवी चीनी का कम उठान को भी ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों के संबंध में लेवी चीनी के मासिक आवंटन में तदर्थ कमी की गई थी। विवरण-V संलग्न है।

केरल और मध्य प्रदेश के मासिक लेवी चीनी के कोटे में कोई कमी नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के मामले में फरवरी, 2006 से मई, 2006 तक की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ को लेवी चीनी का कोई आवंटन नहीं किया गया था। जून, 2006 से मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान 2480 टन प्रति माह की दर पर लेवी चीनी का आवंटन किया गया था। लेवी चीनी के आवंटन में यह कमी राज्य सरकार द्वारा संबंधित चीनी मिलों से लेवी चीनी का कम उठान करने की बात ध्यान में रखते हुए की गई थी। तथापि, लेवी चीनी के आबंटन को राज्य सरकार के अनुरोध पर मार्च, 2007 से छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार पूर्ण रूप से बहाल कर दिया गया है।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मिट्टी का तेल—वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक के लिए राज्यवार और वर्षवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के आवंटन को बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणली के अधीन वितरण करने के लिए मिट्टी के तेल के आवंटन को वर्ष 2001-02 से आरंभ करके 2003-04 तक प्रत्येक वर्ष कम किया गया था जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रिलीज किये गये एलपीजी कनैक्शनों की संख्या को ध्यान में रखा गया था। यद्यपि, 2004-05 के लिए आरंभिक आवंटन अब तक अपनाए जा रहे मानदंड के आधार पर किया गया था लेकिन तात्कालिक आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त आबंटन किये गये थे। वर्ष 2005-06 के आवंटन को 2004-05 के स्तर पर बनाए रखा गया है जिसमें उस वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त आबंटन भी शामिल है। 2007-08 की प्रथम तीन तिमाहियों के लिए आबंटन को 2006-07 के स्तर पर बनाए रखा गया है। देश में मिट्टी के तेल की मांग पर क्रमश: राष्ट्रीय अप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद और डा. सी. रंगराजन, अध्यक्ष प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में गठित अंतर्मंत्रालयीय समिति के जरिये कराये गये विस्तृत अध्ययन के आधार पर तथा दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए सरकार ने राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल की आपूर्ति को केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित करने का निर्णय लिया है।

## विवरण I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 2004-05, 2005-06 और 2006-07 तक के लिए चावल का आवंटन

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2004-05 | | | | 2005-06 | | | | 2006-07 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1230.128 | 2113.068 | 476.248 | 3819.444 | 1086.129 | 2113.068 | 620.247 | 3819.444 | 1052,088 | 2113.068 | 654.288 | 3819.444 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 27.99 | 68.82 | 9.816 | 106.626 | 25.14 | 63.39 | 12.936 | 101.466 | 22.394 | 53.688 | 15,972 | 92.054 |
| 3. | असम | 650.434 | 475.14 | 150.086 | 1275.66 | 625.416 | 618.116 | 175.104 | 1418.636 | 476.7 | 689.604 | 294.216 | 1460.52 |
| 4. | बिहार | 887.712 | 916.572 | 168 | 1972.284 | 1009.369 | 1069.364 | 189.012 | 2267.745 | 1373.29 | 1096.2 | 386.757 | 2856.247 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 476.364 | 620,7 | 200.997 | 1298.061 | 445.708 | 694.94 | 254.82 | 1395.468 | 452.368 | 732.06 | 295.25 | 1479.678 |
| 6. | दिल्ली | 44.285 | 282.42 | 4.795 | 331.5 | 42.42 | 293.444 | 6.66 | 342.524 | 44.544 | 298.956 | 6.66 | 350.16 |
| 7. | गोवा | 6.808 | 77.976 | 4.112 | 88.896 | 6.54 | 81.2 | 5.739 | 93.479 | 5.15 | 79.968 | 6.108 | 91.226 |
| 8. | गुजरात | 190.878 | 1056.948 | 33.42 | 1281.246 | 175.754 | 1056.948 | 51.777 | 1284.479 | 273.55 | 1056.948 | 141.01 | 1471.508 |
| 9. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.697 | 202.848 | 0 | 249.545 | 69.125 | 297.24 | 0 | 366.365 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 81.208 | 216.6 | 25.208 | 323.016 | 70.828 | 216.6 | 35.588 | 323.016 | 29.887 | 196.948 | 43.519 | 270.354 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 184.712 | 281.88 | 50.225 | 516.817 | 167.452 | 302.896 | 67.45 | 537.808 | 152.282 | 313.404 | 82.858 | 548.544 |
| 12. | झारखंड | 483.016 | 128.316 | 113.12 | 724.452 | 448.992 | 143.716 | 168.96 | 761,668 | 512.322 | 151.416 | 183.34 | 847,078 |
| 13. | कर्नाटक | 790.248 | 1656.48 | 261.171 | 2707.899 | 719.224 | 1656.48 | 326.204 | 2701.908 | 640.118 | 1438,416 | 407.28 | 2485.814 |
| 14. | केरल | 365.292 | 1361.04 | 165.56 | 1891.892 | 334.172 | 1361.04 | 207.088 | 1902.3 | 317.514 | 1361.04 | 248.331 | 1926.885 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 198.934 | 380.304 | 60.937 | 640.175 | 245.9 | 633.848 | 80.568 | 960.316 | 336.884 | 702.84 | 102.646 | 1142.37 |
| 16. | महाराष्ट्र | 784.77 | 1649.856 | 261.997 | 2696.623 | 754.104 | 1649.856 | 336.356 | 2740.316 | 895.042 | 1649.856 | 398.588 | 2943.486 |
| 17. | मणिपुर | 44.084 | 29.7 | 10.716 | 84.5 | 35.352 | 32.052 | 19.436 | 86.84 | 45.064 | 33.228 | 21.18 | 99,472 |
| 18. | मेघालय | 60.152 | 37.248 | 16.708 | 114.108 | 53.568 | 37.248 | 23.292 | 114.108 | 53.508 | 37.248 | 23.352 | 114.108 |
| 19. | मिजोरम | 21.241 | 81.72 | 7.439 | 110.4 | 18.279 | 59.9 | 10.401 | 88.58 | 17.64 | 33.302 | 10.92 | 61.862 |
| 20. | नागालैंड | 31.72 | 44.04 | 10.112 | 85.872 | 28.794 | 57.885 | 13.038 | 99.717 | 25.894 | 52.428 | 16.048 | 94.37 |
| 21. | उड़ीसा | 1436.088 | 795.564 | 260.604 | 2492.256 | 1261.907 | 804.452 | 434.785 | 2501,144 | 1165.976 | 683.256 | 530.716 | 2379.948 |
| 22. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.288 | 294.648 | 0 | 327.936 | 64.392 | 441.972 | 9.55 | 515.914 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 101 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | राजस्थान | 8.155 | 67.38 | 2.897 | 78.432 | 75.574 | 575.212 | 3.823 | 654.609 | 200.934 | 810.936 | 11.32 | 1023.19 |
| 24. | सिक्किम | 14.076 | 15.612 | 4.164 | 33.852 | 14.076 | 18.612 | 4.164 | 36.852 | 11.766 | 21.097 | 6.474 | 39.337 |
| 25. | तमिलनाडु | 1608.365 | 3667.98 | 434.011 | 5710.356 | 1397.697 | 3667.98 | 644.679 | 5710.356 | 1259.232 | 3667.98 | 783.144 | 5710,356 |
| 26. | त्रिपुरा | 100.929 | 131.292 | 22.971 | 255.192 | 95.364 | 131.292 | 28.536 | 255.192 | 95.364 | 149.898 | 28.536 | 273798 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1232.797 | 2179.62 | 442.646 | 3855.863 | 1763.068 | 2891.364 | 938.692 | 5593.124 | 1850.541 | 3247.02 | 1150.938 | 6248.499 |
| 28. | उत्तरांचल | 113.52 | 111.912 | 22,476 | 247.908 | 107.229 | 192.96 | 32.794 | 332.983 | 99.84 | 211.968 | 41.832 | 353.64 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 808.779 | 582.66 | 196.485 | 1587.924 | 774.67 | 2102.508 | 281.263 | 3158.441 | 923.938 | 2747.136 | 342,722 | 4013796 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 4.994 | 28.2 | 1.296 | 34.49 | 5.136 | 28.2 | 1.296 | 34.632 | 4.19 | 17.268 | 1.506 | 22.964 |
| 31. | चंडीगढ़ | 3.18 | 11.748 | 0.888 | 15.816 | 3.18 | 19.012 | 0.888 | 23.08 | 2.284 | 22.644 | 0.888 | 25.816 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 4.428 | 5.592 | 0.84 | 10.86 | 4.142 | 5.592 | 1.093 | 10.827 | 4.59 | 5.592 | 1.592 | 11.774 |
| 33. | दमन व दीव | 0.948 | 8.376 | 0.168 | 9.492 | 0.856 | 8.376 | 0.3 | 9.532 | 0.924 | 8.376 | 0,552 | 9.852 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.372 | 3.204 | 0.168 | 3.744 | 0.372 | 3.132 | 0.168 | 3.672 | 0.295 | 3.265 | 0.161 | 3.721 |
| 35. | पांडिचेरी | 28.238 | 12 | 6.874 | 47.112 | 22,862 | 12 | 12.25 | 47.112 | 21.564 | 48 | 13.548 | 83.112 |
| | योग | 11,924.845 | 19,899.968 | 3,427.155 | 34,651.968 | 11,899.269 | 23,100.179 | 4,899.407 | 39,988855 | 12,501.194 | 24,474.266 | 6,261.802 | 43,237.262 |

## विवरण II

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 2004-05, 2005-06 और 2006-07 तक के लिए गेहूं का आवंटन*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2004-05 | | | | 2005-06 | | | | 2006-07 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 153.672 | 0 | 153.672 | 0 | 153.672 | 0 | 153.672 | 0 | 81.152 | 0 | 81.152 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.69 | 7.86 | 0 | 11.55 | 3.42 | 6.36 | 0 | 9.78 | 3.13 | 8.46 | 0 | 11.59 |
| 3. | असम | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 337.024 | 0 | 337.024 | 0 | 254.226 | 0 | 254.226 |
| 4. | बिहार | 1331.472 | 1374.948 | 252 | 2958.42 | 1157.282 | 1222.156 | 283.521 | 2662.959 | 645.723 | 211.04 | 275.334 | 1132.097 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 110.271 | 425.1 | 0 | 535.371 | 87.104 | 350.86 | 0 | 437.964 | 31.32 | 89.33 | 0 | 120.65 |
| 6. | दिल्ली | 110.985 | 714.096 | 11.715 | 836.796 | 106.044 | 703.072 | 16.656 | 825.772 | 103.92 | 365.72 | 15.656 | 486.296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 101 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गोवा | 5.04 | 40.32 | 0 | 45.36 | 3.681 | 37.096 | 0 | 40.777 | 0.31 | 11.222 | 0 | 11.532 |
| .8. | गुजरात | 525.689 | 1730.616 | 133.661 | 2389.966 | 442.309 | 1730.616 | 207 008 | 2379.933 | 267.08 | 387.456 | 169.838 | 824.374 |
| 9. | हरियाणा | 257.04 | 1014.204 | 71.532 | 1342.776 | 195.819 | 811.356 | 86.056 | 1093.231 | 152.026 | 202.3 | 109.394 | 463.72 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 53.608 | 132.3 | 18.908 | 204.816 | 45.82 | 132.3 | 26.696 | 204.816 | 16.944 | 122.452 | 33.28 | 172.683 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 58.296 | 165.84 | 15.851 | 239.987 | 52,873 | 144.824 | 21.299 | 218.996 | 52.795 | 163.316 | 21.149 | 243.26 |
| 12. | झारखंड | 318.096 | 87.984 | 91.26 | 497.34 | 251.232 | 72.584 | 136,308 | 460.124 | 187.902 | 38.564 | 121.928 | 348.394 |
| 13. | कर्नाटक | 197.565 | 414.12 | 65.292 | 676.977 | 157.093 | 378.534 | 81.548 | 617.175 | 127.998 | 155.806 | 54.07 | 367.874 |
| 14. | केरल | 121.756 | 447.9 | 0 | 569.656 | 111.388 | 447.9 | 0 | 559.288 | 86.763 | 243.42 | 0 | 330.183 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1127.288 | 2155.068 | 345.317 | 3627.673 | 949.415 | 1901.524 | 453,573 | 3304.512 | 727.654 | 339. 106 | 547.514 | 1614.274 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1285.067 | 3051.024 | 412.47 | 4748.561 | 1160.364 | 3051.024 | 493.48 | 4704.868 | 1016.042 | 621.044 | 434.632 | 2071.718 |
| 17. | मणिपुर | 0 | 17.76 | 1.214 | 18.974 | 2.428 | 15.408 | 2.428 | 20.264 | 3.488 | 3.1 | 0 | 11.588 |
| 18. | मेघालय | 0 | 7.776 | 0 | 7.776 | 0 | 7.776 | 0 | 7.776 | 0 | 7.696 | 0 | 7.696 |
| 19. | मिजोरम | 0 | 12.12 | 0 | 12.12 | 0 | 12.12 | 0 | 12.12 | 0 | 10.36 | 0 | 10.36 |
| 20. | नागालैंड | 7.809 | 78 | 2.439 | 88.248 | 7.023 | 44.515 | 3.225 | 54.763 | 6.218 | 24.576 | 3.92 | 34.714 |
| 21. | उड़ीसा | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 351.112 | 0 | 351.112 | 0 | 155.734 | 0 | 155.734 |
| 22. | पंजाब | 166.416 | 1473.24 | 30.12 | 1669.776 | 130.779 | 1178.592 | 32.469 | 1341.84 | 73.836 | 230.438 | 48.758 | 353.032 |
| 23. | राजस्थान | 700.713 | 2696.376 | 248.775 | 3645.864 | 517.808 | 2188.544 | 336.195 | 3042.547 | 434.372 | 526.954 | 374.394 | 1335.72 |
| 24. | सिक्किम | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 5.35 | 0 | 5.35 |
| 25. | तमिलनाडु | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 95.58 | 0 | 95.58 |
| 26. | त्रिपुरा | 0 | 47.94 | 0 | 47.94 | 0 | 47.94 | 0 | 47.94 | 0 | 26.96 | 0 | 26.96 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2083.245 | 4314.84 | 726.492 | 7124.577 | 1182.038 | 3603.096 | 600.994 | 5386.128 | 916.122 | 595.68 | 569.075 | 2080.878 |
| 28. | उत्तरांचल | 63.6 | 221.64 | 9.576 | 294.816 | 55.184 | 140.592 | 13.965 | 209.741 | 49.671 | 75.802 | 17.829 | 143.302 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 810.166 | 3506.52 | 195.11 | 4511.796 | 673.299 | 1986.672 | 281.308 | 2941.279 | 598.128 | 726.624 | 278.962 | 1603.714 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2.436 | 8.16 | 0.504 | 11.1 | 2.292 | 8.16 | 0.504 | 10.956 | 0.85 | 4.802 | 0.294 | 5,946 |
| 31. | चंडीगढ़ | 5.568 | 63.768 | 0 | 69.336 | 5.568 | 56.504 | 0 | 62.072 | 0.228 | 9.162 | 0 | 9.39 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 1.116 | 1.548 | 0.336 | 3 | 1.05 | 1.548 | 0.435 | 3.033 | 0.358 | 1 058 | 0.18 | 1.596 |
| 33. | दमन व दीव | 0.48 | 1.044 | 0.084 | 1.608 | 0.38 | 1.044 | 0.144 | 1.568 | 0.12 | 0.524 | 0.084 | 0.728 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0 | 0.433 | 0 | 0.433 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2.05 | 0 | 2.05 |
| | योग | 9,347.412 | 25.267.658 | 2,682.656 | 37,247.756 | 7,301.193 | 21,253.353 | 3,077.812 | 31,632.658 | 5,582.598 | 5,808.497 | 3,107.299 | 14,418.794 |

### विवरण III

*वर्ष 2007-08 के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए चावल और गेहूं आवंटन (तदर्थ/त्यौहार आवंटन सहित)*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल | गेहूं |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2113.07 | 65.38 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 53.70 | 8.36 |
| 3. | असम | 310.20 | 264.41 |
| 4. | बिहार | 2.28 | 25.96 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 30.61 | 20.17 |
| 6. | दिल्ली | 187.16 | 389.23 |
| 7. | गोवा | 11.00 | 10.11 |
| 8. | गुजरात | 147.36 | 126.02 |
| 9. | हरियाणा | 0.24 | 120.28 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 118.32 | 143.30 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 313.40 | 201.11 |
| 12. | झारखंड | 16.68 | 35.57 |
| 13. | कर्नाटक | 1279.08 | 93.67 |
| 14. | केरल | 307.01 | 224.99 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 25.56 | 224.99 |
| 16. | महाराष्ट्र | 34.80 | 141.58 |
| 17. | मणिपुर | 28.18 | 9.75 |
| 18. | मेघालय | 53.25 | 10.31 |
| 19. | मिजोरम | 46.86 | 10.31 |
| 20. | नागालैंड | 52.32 | 26.49 |
| 21. | उड़ीसा | 66.17 | 137.21 |
| 22. | पंजाब | 0.00 | 83.49 |
| 23. | राजस्थान | 0.00 | 290.95 |
| 24. | सिक्किम | 23.04 | 4.51 |
| 25. | तमिलनाडु | 2711.44 | 94.07 |
| 26. | त्रिपुरा | 114.06 | 25.25 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 11.92 | 53.59 |
| 28. | उत्तरांचल | 78.23 | 54.14 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 92.40 | 755.54 |
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 17.27 | 5.13 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.31 |
| 32. | दा. न. हवेली | 4.30 | 0.55 |
| 33. | दमन व दीव | 0.72 | 0.30 |
| 34. | लक्षद्वीप | 3.36 | 0.30 |
| 35. | पांडिचेरी | 28.44 | 2.50 |
| | कुल | 8282.43 | 3534.13 |

### विवरण IV

*2004-05 और 2006-07 तक लेवी चीनी के राज्यवार/मौसमवार (अक्तूबर से सितम्बर) आवंटन बताने वाला विवरण*

(मात्रा हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 120.81 | 117.48 | 124.3 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 10.24 | 10.27 | 10.61 |
| 3. | असम | 223.95 | 224.14 | 224.2 |
| 4. | बिहार | 213.17 | 7.48 | 77.54 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 55.37 | 26.84 | 42.95 |
| 6. | दिल्ली | 35.42 | 35.84 | 36.38 |
| 7. | गोवा | 1.58 | 1.59 | 1.59 |
| 8. | गुजरात | 75.32 | 73.08 | 75.4 |
| 9. | हरियाणा | 29.09 | 11.91 | 21.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 54.51 | 55.88 | 56.01 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 86.81 | 87.07 | 87.59 |
| 12. | झारखंड | 75.16 | 0.16 | 0.15 |
| 13. | कर्नाटक | 102.64 | 69 | 82.71 |
| 14. | केरल | 52.92 | 50.48 | 49.35 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 153.12 | 156.67 | 155.98 |
| 16. | महाराष्ट्र | 161.53 | 106.55 | 148.7 |
| 17. | मणिपुर | 20.92 | 21.9 | 21.91 |
| 18. | मेघालय | 21.08 | 20.96 | 20.95 |
| 19. | मिजोरम | 8.35 | 8.38 | 8.37 |
| 20. | नागालैंड | 14.51 | 14.56 | 14.56 |
| 21. | उड़ीसा | 103.77 | 107.36 | 108.5 |
| 22. | पंजाब | 19.28 | 6.66 | 15.67 |
| 23. | राजस्थान | 83.92 | 24 | 55.37 |
| 24. | सिक्किम | 4.74 | 3.95 | 4.34 |
| 25. | तमिलनाडु | 131.7 | 98.09 | 125.39 |
| 26. | त्रिपुरा | 32.58 | 32.72 | 32.93 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 401.38 | 386.3 | 365.48 |
| 28. | उत्तराखंड | 70.61 | 73.03 | 72.81 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 171.43 | 176.01 | 178.45 |
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 4.74 | 4.74 | 4.62 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.95 | 0.95 | 1.01 |
| 32. | दा. न. हवेली | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 33. | दमन व दीव | 0.12 | 0.14 | 0.53 |
| 34. | लक्षद्वीप | 1.32 | 1.4 | 1.38 |
| 35. | पांडिचेरी | 2.04 | 2.2 | 2.18 |
| | कुल | 2545.68 | 2018.39 | 2229.66 |

उचित दर दुकानों के जरिये जिला और पंचायत ब्लाकों में पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए और आवंटन और वितरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

***विवरण V***

*अगस्त, 2005 से लेवी चीनी के आवंटन में राज्यवार कमी और आंशिक/पूर्ण बहाली को बताने वाला विवरण*

(मात्रा टन में)

| क्र.सं. | राज्य | 1.2.2001 से मासिक लेवी कोटा | कम होकर कोटा | अंतर | निम्न तारीख से | आंशिक बहाली/ पूर्ण बहाली | निम्न ता. से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9690 | 6247.1 | 3442.9 | सितम्बर, 05 | 9690 | दिसम्बर, 05 |
| 2. | बिहार | 20516 | 0.0 | 20516.0 | अगस्त, 05 | 7000 | सितम्बर, 06 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 4512 | 4000.00 | 512.0 | अगस्त, 05 | 2480 | जून, 06 |
| | | | 0.0 | 4512.0 | फरवरी, 06 | 4512 | मार्च, 07 |
| 4. | हरियाणा | 2485 | 1000.0 | 1485.0 | अगस्त, 05 | 2485 | अप्रैल, 07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | झारखंड | 6948 | 3000.0<br>0.0 | 3948.0<br>6948.0 | अगस्त, 05<br>अक्तूबर, 05 | 0 | राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ |
| 6. | कर्नाटक | 8636 | 5000.0 | 3636.0 | अगस्त, 05 | 8636 | जून, 07 |
| 7. | महाराष्ट्र | 13917.5 | 6500.0 | 7417.5 | अगस्त, 05 | 8000 | फरवरी, 06 |
| | | | | | | 10000 | सितम्बर, 06 |
| | | | | | | 13917.5 | अप्रैल, 07 |
| 8. | पंजाब | 1385 | 7000 | 685.0 | अगस्त, 05 | 1385 | जून, 07 |
| 9. | राजस्थान | 7342 | 2000.0 | 5342.0 | अगस्त, 05 | 7342 | जून, 07 |
| 10. | तमिलनाडु | 10820 | 9000.0 | 1820.0 | अगस्त, 05 | 10820 | जून, 07 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 33013 | 24000.0 | 9013.0 | अगस्त, 05 | 33013 | सितम्बर, 05 |
| | | | 27956.4 | 5056.6 | मई, 06 | | |

**विवरण VI**

*वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के आबंटन के ब्यौरे*

(मात्रा टन में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अं. व नि. द्वीपसमूह | 5816+591* | 5816 | 5725+1024* |
| आंध्र प्रदेश | 517158+7800* | 517158+856* | 505057+19883* |
| अरुणाचल प्रदेश | 9257 | 9257 | 9257+1167* |
| असम | 258007 | 258007+389* | 251714+10293* |
| बिहार | 647430 | 647430 | 631639+16569* |
| चंडीगढ़ | 13067 | 13067 | 13067 |
| छत्तीसगढ़ | 146938 | 146938 | 143354+3584* |
| दा. न. हवेली | 2782 | 2782 | 2782 |
| दमन व दीव | 2118 | 2118 | 2118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 168484 | 168484 | 168484 |
| गोवा | 19212 | 19212 | 19212+389* |
| गुजरात | 743759+3891* | 743759+622* | 743759+194* |
| हरियाणा | 145619 | 145619 | 142068+3588* |
| हिमाचल प्रदेश | 50537 | 50537 | 50537 |
| जम्मू-कश्मीर | 76044+389* | 76044+3034* | 75487+2658* |
| झारखंड | 211175 | 211175 | 211175 |
| कर्नाटक | 461478+934* | 461478+389* | 461478 |
| केरल | 216308 | 216308 | 211033+10722* |
| लक्षद्वीप | 795 | 795 | 795 |
| मध्य प्रदेश | 488609+622* | 488609+409* | 476691+11918* |
| महाराष्ट्र | 1276876+3892* | 127676+7782* | 1253530+23346* |
| मणिपुर | 19907 | 19907 | 19907 |
| मेघालय | 20401 | 20401 | 20401+289* |
| मिजोरम | 6217 | 6217 | 6217 |
| नागालैण्ड | 13312+300* | 13312 | 12712+700* |
| उड़ीसा | 314977+1167* | 314977 | 307295+8460* |
| पांडिचेरी | 12257 | 12257+39 | 12058+510* |
| पंजाब | 237192 | 237192 | 232813+4379* |
| राजस्थान | 398913+2334* | 398913 | 396500+2413* |
| सिक्किम | 5582 | 5582 | 5283+571* |
| तमिलनाडु | 557929+9339* | 557929+16342* | 545297+26861* |
| त्रिपुरा | 30832 | 30832 | 30093+739* |
| उत्तर प्रदेश | 121772+5136* | 1241772+2054* | 1211485+51688* |
| उत्तराखंड | 89849+4668* | 89849+136* | 85959+3890* |
| पश्चिम बंगाल | 752103+4046* | 752103 | 748228+8155 |
| जोड़ | 9163712+213990* | 9163712+32052* | 9013210+45109* |

*अतिरिक्त आवंटन

**स्पेक्ट्रम आवंटन हेतु प्रक्रिया**

*69. **श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा"**: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केन्द्र सरकार को स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में कोई रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी अनुरोधों पर विचार करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और ऐसे अनुरोधों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की समीक्षा करने और अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करने" के संबंध में दिनांक 28.8.2007 की अपनी रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में भी सिफारिशें की थीं। प्राधिकरण ने प्रौद्योगिकीय विशेषताओं आदि पर विचार करके स्पेक्ट्रम का अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक संशोधित उपभोक्ता आधारित मानदंड की सिफारिश की है। तदनुसार, सार्वजनिक मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन मानदंड संशोधित कर दिये गये हैं।

एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस करार के संगत उपबंधों और पात्रता संबंधी मानदंडों के अनुसार सेवा प्रदाताओं को "पहले आइए, पहले पाइए" आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है जो स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, जिसका समय-समय पर निर्धारण किया जाता है, के अध्यधीन है। दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का बेतार आयोजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) स्कंध सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन, जिसमें स्पेक्ट्रम का आवंटन भी शामिल है, के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया किस्म का गेहूं**

*70. **श्री हंसराज गं. अहीर:**
**श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण हेतु आयातित घटिया किस्म के गेहूं की आपूर्ति करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या और उनका स्वरूप क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के गोदामों में रखे गये खाद्यान्नों के भंडार भी घटिया किस्म के पाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार)**: (क) और (ख) जी, हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किये जा रहे आयातित गेहूं की गुणवत्ता के बारे में अप्रैल, 2007 में महाराष्ट्र राज्य सरकार से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि मुम्बई में राशन की दुकान से मार्च, 2007 में राज्य सरकार द्वारा लिये गये आयातित गेहूं के नमूने वाशी और पुणे में राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं में विश्लेषण करने पर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए थे। तथापि, मुम्बई में खाद्य भंडारण डिपु से भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लिये गये संयुक्त नमूने का राज्य सरकार स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे में विश्लेषण करने पर ये मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाए गए थे।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र क्षेत्रों में अक्तूबर, 2007 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से लिये गये आयातित गेहूं के नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप पाए गए थे।

(ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयातित गेहूं सहित अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किये गये हैं:

(1) आयातित गेहूं की गुणवत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों और पादप संगरोध नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश पत्तन पर इनकी पूर्ण जांच की जाती है।

(2) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की गुणवत्ता जांच करने के लिए तैनात अधिकारी निरीक्षक के रैंक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिये गये हैं कि खाद्यान्न जारी करने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संयुक्त नमूने लिए जाएं। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मुंहर बंद नमूने उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित किये जाने अपेक्षित होते हैं।

(3) राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि भंडारण और ढुलाई के दौरान या उचित दर दुकान के स्तर पर खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट न आए।

*[हिन्दी]*

**खाद्यान्नों का आयात**

***71. डा. सत्यनारायण जटिया:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और वर्ष 2007-08 में आयातित खाद्यान्नों, दलहनों और तिलहनों की मात्रा और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है और उनका किन-किन देशों से आयात किया गया तथा उक्त आयात के लिए कितना भुगतान किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान खाद्यान्नों, दलहनों और तिलहनों की और कमी होने तथा इसके परिणामस्वरूप इनके मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों अर्थात 2005-06, 2006-07 के दौरान और 2007-08 में आयातित खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों की मात्रा और मूल्य के वर्ष-वार ब्यौरे तथा जिन देशों से इनका आयात किया गया है और इनका मूल्य क्रमश: विवरण-I, II और III में दिया गया है। सरकार ने केन्द्रीय पूल के लिए 2006-07 में 53.79 लाख टन और 2007-08 में 18.735 लाख टन गेहूं का आयात किया था।

(ख) और (ग) 2008-09 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए स्थिति का आकलन करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। तथापि, सरकार इस संबंध में कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और जब भी अपेक्षित होगा 2007-08 की तरह आवश्यक पग उठाए जाएंगे।

***विवरण I***

*भारत द्वारा विभिन्न देशों से खाद्यान्नों का आयात*

| वस्तु का विवरण | देश | अप्रैल, 05 से मार्च, 06 | |
|---|---|---|---|
| | | मात्रा (टन में) | मूल्य (करोड़ रुपए) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| गेहूं | नेपाल | 493.91 | 0.30 |
| चावल | सऊदी अरब | 12.47 | 0.01 |
| | सीरिया | 229.00 | 0.32 |
| | यू.एस.ए. | 18.59 | 0.01 |
| कुल चावल | | 260.06 | 0.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| दालें | कनाडा | 672887.79 | 673.43 |
| | म्यांमार | 491029.86 | 913.30 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | 134949.96 | 226.48 |
| | आस्ट्रेलिया | 91627.84 | 141.88 |
| | यू.एस.ए. | 52248.21 | 62.74 |
| | तंजानिया गणतंत्र | 48450.07 | 80.26 |
| | चीन पी.आर.पी. | 39279.70 | 81.88 |
| | ईरान | 37251.95 | 99.10 |
| | फ्रांस | 32266.00 | 31.25 |
| | यूक्रेन | 31169.00 | 29.28 |
| | टर्की | 18283.89 | 51.16 |
| | नेपाल | 15258.55 | 37.28 |
| | रूस | 14843.71 | 21.31 |
| | मोजाम्बिक | 5039.00 | 7.67 |
| | इथोपिया | 4627.00 | 7.09 |
| | मलावी | 1912.00 | 2.71 |
| | उज्बेकिस्तान | 1481.00 | 3.70 |
| | केन्या | 976.00 | 1.82 |
| | थाईलैंड | 691.00 | 1.62 |
| | मलेशिया | 661.00 | 0.97 |
| | न्यूजीलैंड | 476.20 | 0.65 |
| | इंडोनेशिया | 288.27 | 0.66 |
| | सिंगापुर | 272.00 | 0.27 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 92.17 | 0.22 |
| | दक्षिण अफ्रीका | 25.00 | 0.03 |
| | सऊदी अरब | 1.50 | 0.00 |
| | अविनिर्दिष्ट | 238.00 | 0.38 |
| कुल दालें | | 1696326.64 | 2477.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| अन्य खाद्यान्न | आस्ट्रेलिया | 24464.00 | 25.79 |
| | अर्जेन्टीना | 1241.00 | 2.18 |
| | भूटान | 709.00 | 0.32 |
| | नेपाल | 486.69 | 0.49 |
| | यू.एस.ए. | 454.66 | 0.95 |
| | मलेशिया | 24.00 | 0.08 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 6.76 | 0.01 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | 2.50 | 0.00 |
| | थाईलैंड | 0.06 | 0.00 |
| | कुल अन्य खाद्यान्न | 27388.67 | 29.82 |
| तिलहन | घाना | 18914.00 | 23.06 |
| | टोगो | 4982.00 | 5.10 |
| | सोमालिया | 3304.55 | 8.28 |
| | आस्ट्रेलिया | 2258.21 | 4.05 |
| | नेपाल | 973.10 | 1.57 |
| | बेनिन | 550.00 | 0.68 |
| | नाइजीरिया | 445.00 | 0.46 |
| | ताइवान | 384.00 | 1.40 |
| | कोस्टारिका | 50.32 | 0.20 |
| | टर्की | 19.00 | 0.08 |
| | मैडगास्कर | 9.50 | 0.08 |
| | कोरिया गणतंत्र | 1.15 | 0.00 |
| | हांगकांग | 0.62 | 0.00 |
| | सिंगापुर | 0.18 | 0.00 |
| | मोरक्को | 0.14 | 0.01 |
| | नीदरलैंड | 0.03 | 0.00 |
| | अविनिर्दिष्ट | 500.20 | 2.08 |
| | कुल तिलहन | 32392.00 | 47.03 |

*विवरण II*

*भारत द्वारा विभिन्न देशों से खाद्यान्नों का आयात*

| वस्तु का विवरण | देश | अप्रैल, 06 से मार्च, 07 | |
|---|---|---|---|
| | | मात्रा (टन में) | मूल्य (करोड़ रुपए में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| गेहूं | रूस | 2081392.97 | 2033.29 |
| | कनाडा | 1306751.21 | 1243.08 |
| | आस्ट्रेलिया | 1093582.26 | 1064.83 |
| | यूक्रेन | 333029.00 | 313.49 |
| | फ्रांस | 265144.98 | 261.02 |
| | हंगरी | 257771.65 | 239.67 |
| | रोमानिया | 250196.00 | 233.34 |
| | बुल्गारिया | 237907.00 | 211.75 |
| | अर्जेंटीना | 152220.00 | 145.98 |
| | चेक गणराज्य | 70600.00 | 69.38 |
| | कजाकिस्तान | 29870.00 | 33.59 |
| | यूएसए | 1000.00 | 0.99 |
| | नेपाल | 485.59 | 0.39 |
| | कुल गेहूं | 6079950.66 | 5850.91 |
| चावल | सऊदी अरब | 120.00 | 0.31 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 37.00 | 0.07 |
| | वियतनाम सोशलिस्ट ग. | 2.00 | 0.01 |
| | कोरिया गणराज्य | 1.39 | 0.01 |
| | इटली | 1.20 | 0.01 |
| | कुल चावल | 161.59 | 0.41 |
| दालें | | | |
| | कनाडा | 905325.16 | 1063.97 |
| | म्यांमार | 615622.42 | 1594.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | आस्ट्रेलिया | 194197.79 | 363.75 |
| | यूएसए | 146350.12 | 185.84 |
| | यूक्रेन | 121525.87 | 134.26 |
| | फ्रांस | 106965.00 | 122.06 |
| | चीन पीआरपी | 59423.10 | 182.28 |
| | तंजानिया गणराज्य | 33266.63 | 71.72 |
| | रूस | 21864.04 | 24.89 |
| | जर्मनी | 12180.00 | 13.33 |
| | मलावी | 10776.00 | 18.89 |
| | नेपाल | 7778.48 | 23.69 |
| | मोजाम्बिक | 6207.00 | 10.38 |
| | इथोपिया | 6111.12 | 14.69 |
| | ईरान | 4635.24 | 14.94 |
| | टर्की | 2969.78 | 10.95 |
| | कीनिया | 2941.00 | 8.81 |
| | उज्बेकिस्तान | 2419.2 | 8.44 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | 2108.00 | 4.28 |
| | थाईलैंड | 2057.00 | 6.92 |
| | इंडोनेशिया | 1540.89 | 5.01 |
| | मोल्डोवा | 1504.00 | 1.57 |
| | डेनमार्क | 650.00 | 1.24 |
| | ताइवान | 498.00 | 0.65 |
| | मलेशिया | 477.00 | 1.17 |
| | दक्षिण अफ्रीका | 414.50 | 1.10 |
| | न्यूजीलैंड | 362.00 | 0.50 |
| | सिंगापुर | 133.00 | 0.14 |
| | इटली | 131.80 | 0.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | जिबुती | 110.00 | 0.30 |
| | मैडागास्कर | 109.00 | 0.42 |
| | पेरू | 77.00 | 0.33 |
| | अर्जेंटीना | 48.00 | 0.06 |
| | ब्राजील | 48.00 | 0.14 |
| | न्यू केलीडोनिया | 47.10 | 0.13 |
| | यूगांडा | 44.00 | 0.13 |
| | श्रीलंका डी.एस.आर. | 37.00 | 0.07 |
| | लेबनान | 1.15 | 0.00 |
| | यू.के. | 1.00 | 0.00 |
| | अविनिर्दिष्ट | 9.30 | 0.01 |
| | कुल दालें | 2270965.74 | 3891.91 |
| अन्य खाद्यान्न | आस्ट्रेलिया | 4880.00 | 6.85 |
| | अर्जेंटीना | 1789.96 | 3.08 |
| | नेपाल | 668.45 | 0.88 |
| | यूएसए | 209.40 | 0.55 |
| | श्रीलंका डी.एस.आर. | 8.70 | 0.01 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 6.00 | 0.01 |
| | यू.के. | 4.20 | 0.00 |
| | कोरिया गणराज्य | 1.00 | 0.00 |
| | थाईलैंड | 0.61 | 0.03 |
| | मलेशिया | 0.30 | 0.00 |
| | फ्रांस | 0.05 | 0.00 |
| | ब्राजील | 0.02 | 0.00 |
| | कुल अन्य खाद्यान्न | 7568.70 | 11.41 |
| तिलहन | घाना | 46297.00 | 83.94 |
| | बेनिंग | 4296.00 | 6.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | नाइजीरिया | 2015.00 | 2.79 |
| | आस्ट्रेलिया | 13141.80 | 2.51 |
| | नेपाल | 662.08 | 1.24 |
| | सोमालिया | 660.70 | 1.68 |
| | रूस | 574.00 | 0.93 |
| | माली | 370.00 | 0.77 |
| | सूडान | 323.00 | 1.12 |
| | कम्बोडिया | 198.00 | 0.22 |
| | संयुक्त अरब अमीरात | 191.03 | 0.26 |
| | टोगो | 114.00 | 0.16 |
| | इथोपिया | 95.00 | 0.33 |
| | ईरान | 92.00 | 0.10 |
| | टर्की | 38.00 | 0.17 |
| | इजराइल | 32.50 | 0.33 |
| | मिश्र गणराज्य | 23.00 | 0.04 |
| | मलेशिया | 20.00 | 0.07 |
| | यूएसए | 6.27 | 0.04 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | 3.50 | 0.01 |
| | थाईलैंड | 1.92 | 0.58 |
| | कोस्टारिका | 0.83 | 0.21 |
| | चीन गणराज्य | 0.42 | 0.00 |
| | जर्मनी | 0.12 | 0.01 |
| | फ्रांस | 0.03 | 0.00 |
| | कोरिया गणराज्य | 0.02 | 0.00 |
| | अविनिर्दिष्ट | 58.65 | 0.29 |
| | कुल तिलहन | 57415 | 104.47 |

*विवरण III*

*भारत द्वारा विभिन्न देशों से खाद्यान्नों का आयात*

| वस्तु का विवरण | देश | अप्रैल, 06 से मार्च, 07 | |
|---|---|---|---|
| | | मात्रा (टन में) | मूल्य (करोड़ रुपए में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| गेहूं | नेपाल | 55.39 | 0.06 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | 51094.19 | 50.48 |
| | कुल गेहूं | 51149.57 | 50.54 |
| चावल | इटली | 6.00 | 0.06 |
| | थाईलैंड | 21.50 | 0.04 |
| | कुल चावल | 27.50 | 0.10 |
| दालें | आस्ट्रेलिया | 59758.18 | 114.43 |
| | ब्राजील | 593.00 | 1.90 |
| | कनाडा | 460360.34 | 714.07 |
| | चीन गणराज्य | 4387.00 | 15.08 |
| | इथोपिया | 1629.00 | 3.87 |
| | फ्रांस | 71483.00 | 101.74 |
| | जर्मनी | 119.00 | 0.25 |
| | इंडोनेशिया | 12.00 | 0.04 |
| | ईरान | 501.00 | 0.88 |
| | कीनिया | 5572.00 | 15.76 |
| | मलावी | 2315.00 | 4.45 |
| | मोजाम्बिक | 1747.00 | 3.41 |
| | म्यांमार | 285517.72 | 733.19 |
| | नेपाल | 219.00 | 0.75 |
| | न्यूजीलैंड | 182.00 | 0.23 |
| | पाकिस्तान आई.आर. | 225.00 | 0.41 |
| | रूस | 11778.79 | 16.64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | सिंगापुर | 84.00 | 0.14 |
| | सोमालिया | 130.00 | 0.29 |
| | तंजानिया गणराज्य | 4660.13 | 12.78 |
| | थाईलैंड | 250.00 | 0.84 |
| | टर्की | 981.00 | 2.80 |
| | यू.एस.ए. | 67601.57 | 100.93 |
| | यूक्रेन | 14297.84 | 19.79 |
| | अविनिर्दिष्ट | 124.00 | 0.27 |
| | उरूग्वे | 24.34 | 0.04 |
| | उज्बेकिस्तान | 359.50 | 1.22 |
| | कुल दालें | 994911.40 | 1866.20 |
| अन्य खाद्यान्न | अर्जेंटीना | 318.00 | 0.54 |
| | आस्ट्रेलिया | 761.00 | 2.12 |
| | नेपाल | 148.00 | 0.29 |
| | थाईलैंड | 0.23 | 0.01 |
| | यू.के. | 15.50 | 0.02 |
| | यू.एस.ए. | 61.70 | 0.15 |
| | कुल अन्य खाद्यान्न | 1304.44 | 3.13 |
| तिलहन | कम्बोडिया | 225.00 | 0.66 |
| | चीन गणराज्य | 19.50 | 0.07 |
| | कोस्टारिका | 270.00 | 0.53 |
| | घाना | 4010.00 | 9.36 |
| | ईरान | 40.00 | 0.06 |
| | इटली | 1.25 | 0.01 |
| | माली | 492.00 | 0.90 |
| | नाइजीरिया | 305.00 | 0.53 |
| | सोमालिया | 4217.76 | 11.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | तंजानिया गणराज्य | 0.43 | 0.02 |
| | थाईलैंड | 240.00 | 0.41 |
| | यूएसए | 0.06 | 0.00 |
| | यूक्रेन | 4247.00 | 6.91 |
| | कुल तिलहन | 14068.00 | 24.21 |

**उपभोक्ता मंच**

*72. **श्री वी.के. दुग्मर:**
**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार कार्य कर रही उपभोक्ता अदालतों की राज्यवार संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन अदालतों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात आज की तारीख तक उच्च न्यायालयों में दायर तथा लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता मिली है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) इस समय देश में एक राष्ट्रीय आयोग, 34 राज्य आयोग और 612 जिला मंच स्थापित किये गये हैं।' जिला मंचों के जिलावार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) जिला मंचों के कार्यकरण की समीक्षा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग) द्वारा की जाती है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दायर किये गये और निपटाए गए मामलों तथा स्थापना काल से दायर मामलों, अब तक निपटाए गए और लंबित मामलों के बारे में राष्ट्रीय आयोग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों में उपभोक्ता मंचों के आधार-ढांचे को मजबूत बनाने के राज्यों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए 1995-99 के दौरान 61.80 करोड़ रुपये और 2004-05 के दौरान 10.20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। आधार ढांचे संबंधी कमी को पूरा करने के लिए 2006-07 से 'उपभोक्ता संरक्षण पर एकीकृत परियोजना' की स्कीम के तहत राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रादन की जा रही है। इस स्कीम के तहत अब तक 19 राज्यों को 60.62 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की जा चुकी है। इसी प्रकार इस विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के तहत 'देश में उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग' के लिए भी एक परियोजना शुरू की है जिसके तहत सभी उपभोक्ता मंचों को पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा तथा उनको उपभोक्ता मंचों और उपभोक्ताओं के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे उपभोक्ता मंच तेजी से सूचना प्राप्त कर सकेंगे जिससे निपटान में तेजी आएगी। इन सब उपायों के परिणामस्वरूप देश में उपभोक्ता मंचों की समग्र निपटान दर अब तक दायर किये गये 29.65 लाख मामलों में से अब 88.27 प्रतिशत है।

**विवरण I**

*कार्य कर रहे/कार्य नहीं कर रहे के संबंध में सूचना*
*(राज्य आयोग/जिला मंच)*

| क्र.सं. | राज्य | स्थापित राज्य आयोगों की संख्या | स्थापित जिला मंचों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1 | 29 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 1 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 16 |
| 4. | असम | 1 | 23 |
| 5. | बिहार | 1 | 38 |
| 6. | चंडीगढ़ | 1 | 2 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 1 | 16 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव | 1 | 2 |
| 9. | दिल्ली | 1 | 10 |
| 10. | गोवा | 1 | 2 |
| 11. | गुजरात | 1 | 26 |
| 12. | हरियाणा | 1 | 19 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 12 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 1 | 2 |
| 15. | झारखण्ड | 1 | 22 |
| 16. | कर्नाटक | 1 | 30 |
| 17. | केरल | 1 | 14 |
| 18. | लक्षद्वीप | 1 | 1 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 1 | 45 |
| 20. | महाराष्ट्र | 1 | 39 |
| 21. | मणिपुर | 1 | 9 |
| 22. | मेघालय | 1 | 7 |
| 23. | मिजोरम | 1 | 8 |
| 24. | नागालैण्ड | 1 | 11 |
| 25. | उड़ीसा | 1 | 31 |
| 26. | पुडुचेरी | 1 | 1 |
| 27. | पंजाब | 1 | 17 |
| 28. | राजस्थान | 1 | 33 |
| 29. | सिक्किम | 1 | 4 |
| 30. | तमिलनाडु | 1 | 30 |
| 31. | त्रिपुरा | 1 | 4 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 1 | 74 |
| 33. | उत्तराखण्ड | 1 | 13 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 1 | 21 |
| | कुल | 34 | 612 |

**विवरण II**

| | 2005 | | 2006 | | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दायर | निपटान | दायर | निपटान | दायर | निपटान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| राष्ट्रीय आयोग | 3878 | 4767 | 5222 | 4269 | 4866 | 4662 |
| राज्य | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | 2176 | 995 | 1281 | 281 | 1933 | 561 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| अरुणाचल प्रदेश | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| असम | 246 | 20 | 302 | 1 | 26 | 0 |
| बिहार | 936 | 575 | 556 | 483 | 623 | 535 |
| चंडीगढ़ | 181 | 112 | 976 | 821 | 1228 | 1090 |
| छत्तीसगढ़ | 539 | 874 | 865 | 895 | 728 | 710 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 1294 | 2063 | 1589 | 2928 | 1541 | 2475 |
| गोवा | 71 | 128 | 131 | 113 | 86 | 70 |
| गुजरात | 2177 | 2265 | 2294 | 1888 | 1314 | 912 |
| हरियाणा | 2729 | 769 | 3025 | 1395 | 3570 | 1792 |
| हिमाचल प्रदेश | 1195 | 851 | 1664 | 2040 | 2180 | 1935 |
| जम्मू-कश्मीर | 202 | 43 | 162 | 34 | 169 | 81 |
| झारखण्ड | 525 | 657 | 442 | 447 | 703 | 149 |
| कर्नाटक | 2276 | 2823 | 3451 | 2516 | 2685 | 3294 |
| केरल | 930 | 697 | 976 | 675 | 316 | 236 |
| लक्षद्वीप | 0 | 3 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| मध्य प्रदेश | 2433 | 2534 | 2970 | 2780 | 1522 | 1165 |
| महाराष्ट्र | 2880 | 1383 | 3183 | 2063 | 3470 | 2516 |
| मणिपुर | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| मेघालय | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| मिजोरम | 11 | 28 | 6 | 19 | 22 | 21 |
| नागालैण्ड | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| उड़ीसा | 1119 | 662 | 1194 | 1096 | 949 | 1026 |
| पुडुचेरी | 65 | 69 | 45 | 48 | 26 | 5 |
| पंजाब | 1719 | 1375 | 1661 | 1187 | 1814 | 1400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | 2315 | 3709 | 2817 | 4804 | 3204 | 5213 |
| सिक्किम | 0 | 1 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| तमिलनाडु | 3563 | 934 | 2676 | 59 | 2777 | 91 |
| त्रिपुरा | 98 | 255 | 79 | 102 | 85 | 82 |
| उत्तर प्रदेश | 2572 | 1861 | 3363 | 1707 | 1444 | 1028 |
| उत्तराखण्ड | 292 | 61 | 241 | 17 | 453 | 23 |
| पश्चिम बंगाल | 773 | 985 | 659 | 1196 | 409 | 639 |

उ.न.—उपलब्ध नहीं।

*जिला मंचों में वर्ष-वार दायर और निपटान*

| | 2005 | | 2006 | | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दायर | निपटान | दायर | निपटान | दायर | निपटान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आंध्र प्रदेश | 7469 | 3414 | 4117 | 1526 | 6749 | 3345 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| अरुणाचल प्रदेश | 7 | 16 | 11 | 9 | 6 | 6 |
| असम | 647 | 255 | 620 | 151 | उ.न. | उ.न. |
| बिहार | 3636 | 3029 | 1624 | 2338 | 3154 | 2389 |
| चंडीगढ़ | 1393 | 1042 | 1850 | 1509 | 1882 | 1881 |
| छत्तीसगढ़ | 738 | 824 | 2187 | 2084 | 1606 | 2797 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव | 13 | 12 | 9 | 4 | उ.न. | उ.न. |
| दिल्ली | 11312 | 11833 | 5082 | 4786 | 11770 | 10528 |
| गोवा | 216 | 120 | 206 | 358 | 100 | 124 |
| गुजरात | 7390 | 6257 | 16898 | 16116 | 5733 | 5733 |
| हरियाणा | 10149 | 10023 | 10619 | 11871 | 12299 | 13139 |
| हिमाचल प्रदेश | 1868 | 1913 | 2096 | 1880 | 2064 | 2332 |
| जम्मू-कश्मीर | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| झारखण्ड | 2066 | 1905 | 2211 | 2257 | 938 | 782 |
| कर्नाटक | 6634 | 6271 | 8398 | 8535 | 9540 | 8096 |
| केरल | 5266 | 4856 | 4444 | 3113 | 2105 | 730 |
| लक्षद्वीप | 3 | 4 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| मध्य प्रदेश | 8006 | 8007 | 10850 | 9597 | 5712 | 4515 |
| महाराष्ट्र | 10519 | 12888 | 10942 | 14614 | 8123 | 9234 |
| मणिपुर | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| मेघालय | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| मिजोरम | 40 | 58 | 28 | 28 | उ.न. | उ.न. |
| नागालैण्ड | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| उड़ीसा | 3471 | 3526 | 2844 | 3083 | 4057 | 3582 |
| पुडुचेरी | 94 | 83 | 88 | 88 | 89 | 108 |
| पंजाब | 8001 | 8735 | 6302 | 4663 | 7089 | 7031 |
| राजस्थान | 12399 | 13369 | 14064 | 13853 | 14247 | 12208 |
| सिक्किम | 11 | 6 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| तमिलनाडु | 3961 | 3994 | 3194 | 2742 | 7529 | 357 |
| त्रिपुरा | 16 | 15 | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. |
| उत्तर प्रदेश | 19047 | 19108 | 17568 | 14512 | 11862 | 14446 |
| उत्तराखण्ड | 1064 | 1272 | 1413 | 898 | 1220 | 1636 |
| पश्चिम बंगाल | 3331 | 3009 | 3518 | 3165 | 2735 | 2466 |

उ.न.—उपलब्ध नहीं।

*जिला मंच में दायर/निपटाए/लंबित मामलों का विवरण*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्थापना काल से दायर मामले | स्थापना काल से निपटाए गए मामले | लंबित मामले | निपटान का % | की तारीख के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 166737 | 161565 | 5172 | 96.90 | 31.12.2007 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 503 | 448 | 55 | 89.06 | 30.11.2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 279 | 245 | 34 | 87.81 | 31.12.2007 |
| 4. | असम | 11857 | 10673 | 1184 | 90.00 | 31.12.007 |
| 5. | बिहार | 70402 | 59997 | 10405 | 85.22 | 30.11.2007 |
| 6. | चंडीगढ़ | 32920 | 31857 | 1063 | 96.77 | 31.01.2008 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 25878 | 23081 | 2797 | 89.19 | 31.12.007 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 123 | 103 | 20 | 83.74 | 31.01.2008 |
| 9. | दिल्ली | 183956 | 172252 | 11704 | 93.64 | 31.12.007 |
| 10. | गोवा | 5487 | 4741 | 746 | 86.40 | 31.01.2008 |
| 11. | गुजरात | 129974 | 109565 | 20409 | 84.30 | 31.12.2007 |
| 12. | हरियाणा | 165155 | 148813 | 16342 | 90.11 | 30.11.2007 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 45791 | 42977 | 2814 | 93.85 | 31.12.007 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 19239 | 16749 | 2490 | 87.06 | 30.6.2006 |
| 15. | झारखण्ड | 27829 | 25115 | 2714 | 90.25 | 31.01.2008 |
| 16. | कर्नाटक | 107704 | 103208 | 4496 | 95.83 | 31.01.2008 |
| 17. | केरल | 153108 | 143684 | 9424 | 93.84 | 31.01.2008 |
| 18. | लक्षद्वीप | 53 | 53 | 0 | 100.00 | 31.01.2008 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 119970 | 111418 | 8552 | 92.87 | 30.11.2007 |
| 20. | महाराष्ट्र | 187693 | 174188 | 13505 | 92.80 | 31.10.2007 |
| 21. | मणिपुर | 968 | 962 | 6 | 99.38 | 30.09.2007 |
| 22. | मेघालय | 541 | 484 | 57 | 84.96 | 30.09.2007 |
| 23. | मिजोरम | 2387 | 1968 | 419 | 82.00 | 30.092.007 |
| 24. | नागालैण्ड | 246 | 205 | 41 | 83.33 | 30.6.2006 |
| 25. | उड़ीसा | 71126 | 66726 | 4400 | 93.81 | 30.11.2007 |
| 26. | पुडुचेरी | 2446 | 2400 | 46 | 98.12 | 30.01.2008 |
| 27. | पंजाब | 107292 | 102091 | 5201 | 95.15 | 31.01.2008 |
| 28. | राजस्थान | 213650 | 200146 | 13504 | 93.68 | 31.12.2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | सिक्किम | 209 | 196 | 13 | 93.78 | 31.01.2008 |
| 30. | तमिलनाडु | 85402 | 78253 | 7149 | 91.63 | 31.01.2008 |
| 31. | त्रिपुरा | 1918 | 1713 | 205 | 89.31 | 31.12.2007 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 439313 | 363226 | 76087 | 82.68 | 31.12.2007 |
| 33. | उत्तराखण्ड | 29035 | 27345 | 1690 | 94.18 | 31.01.2008 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 65347 | 60977 | 4370 | 93.00 | 31.12.2007 |

*राज्य आयोग और जिला आयोगों में दायर/निपटाए/लंबित मामले*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्थापना काल से दायर मामले | स्थापना काल से निपटाए गए मामले | लंबित मामले | निपटान का % | की तारीख के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | राष्ट्रीय आयोग | 51725 | 42220 | 9505 | 81.62 | 31.01.2008 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 21673 | 18849 | 2824 | 86.97 | 31.12.2007 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 81 | 77 | 4 | 95.06 | 30.11.2007 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 46 | 34 | 12 | 73.91 | 31.12.2007 |
| 4. | असम | 2127 | 1122 | 1025 | 52.75 | 31.12.2007 |
| 5. | बिहार | 12374 | 8481 | 3893 | 68.54 | 31.01.2008 |
| 6. | चण्डीगढ़ | 7263 | 6983 | 280 | 96.14 | 31.01.2008 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 4110 | 3677 | 433 | 79.46 | 31.12.2007 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव | 26 | 24 | 2 | 92.31 | 31.01.2008 |
| 9. | दिल्ली | 27186 | 26140 | 1046 | 96.15 | 31.01.2008 |
| 10. | गोवा | 1946 | 1720 | 226 | 88.39 | 31.01.2008 |
| 11. | गुजरात | 27535 | 22800 | 4735 | 82.80 | 31.12.2007 |
| 12. | हरियाणा | 34217 | 19256 | 14961 | 56.28 | 31.12.2007 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 14843 | 13931 | 912 | 93.85 | 31.12.2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 5410 | 4603 | 807 | 85.08 | 31.01.2008 |
| 15. | झारखण्ड | 3385 | 2595 | 790 | 76.66 | 31.01.2008 |
| 16. | कर्नाटक | 24430 | 24048 | 382 | 98.44 | 31.01.2008 |
| 17. | केरल | 21301 | 17316 | 3985 | 81.29 | 31.01.2008 |
| 18. | लक्षद्वीप | 14 | 13 | 1 | 92.86 | 31.01.2008 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 28014 | 25284 | 2730 | 90.25 | 30.11.2007 |
| 20. | महाराष्ट्र | 39856 | 23252 | 16604 | 58.34 | 31.10.2007 |
| 21. | मणिपुर | 77 | 63 | 14 | 81.82 | 30.09.2007 |
| 22. | मेघालय | 200 | 141 | 59 | 70.50 | 30.09.2007 |
| 23. | मिजोरम | 132 | 118 | 14 | 89.39 | 31.12.2007 |
| 24. | नागालैण्ड | 94 | 64 | 30 | 68.09 | 31.12.2006 |
| 25. | उड़ीसा | 16700 | 9839 | 6861 | 58.92 | 30.11.2007 |
| 26. | पुडुचेरी | 836 | 781 | 55 | 93.42 | 31.01.2008 |
| 27. | पंजाब | 19739 | 14303 | 5436 | 72.46 | 31.01.2008 |
| 28. | राजस्थान | 37403 | 31926 | 5477 | 85.36 | 31.01.2008 |
| 29. | सिक्किम | 31 | 29 | 2 | 93.55 | 31.01.2008 |
| 30. | तमिलनाडु | 19413 | 16965 | 2448 | 87.39 | 31.01.2008 |
| 31. | त्रिपुरा | 1059 | 997 | 62 | 94.15 | 31.01.2008 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 51604 | 18257 | 33347 | 35.38 | 31.12.2007 |
| 33. | उत्तराखण्ड | 3154 | 2333 | 821 | 73.97 | 31.01.2008 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 12100 | 11324 | 776 | 94.00 | 31.12.2007 |

**मुर्गी पालन तथा अन्य केन्द्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन**

*73. **श्री बापू हरी चौरे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि में बकरी पालन, मुर्गी पालन और सूअर पालन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित व खर्च की गई है तथा वास्तविक निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना में स्वैच्छिक संगठनों और संस्थाओं को भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) 10वीं योजना अवधि में बकरी तथा कुक्कुट पालन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं से जुड़े आबंटन तथा व्यय राशियों से संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | आवंटित निधि | खर्च की गई निधि |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म | 2,349.75 | 2,166.47 |
| 2. | केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन | 6,076.00 | 4,574.00 |
| 3. | डेयरी कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष | 2,800.00* | 342.14* |

*यह आवंटन सम्पूर्ण योजना के लिए है लेकिन खर्च की गई राशि इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कुक्कुट यूनिटों के लिए है।

इन योजनाओं के तहत वास्तविक लक्ष्य व उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

| क्र.सं. | विशेषताएं | लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म | | |
| | भेड़ों का वितरण | 5,100 | 4,490 |
| | मृग्नों का वितरण | 120 | 142 |
| | मैकेनिकल कतराई में प्रशिक्षण | 350 | 525 |
| | भेड़ पालन में प्रशिक्षण | 1,100 | 1,477 |
| 2. | केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन | | |
| | चूजों का उत्पादन (000 में) | 500 | 1,230.94 |
| | पेरेंट स्टॉक चूजों की आपूर्ति (000 में) | 350 | 458.79 |
| | व्यावसायिक चूजों की आपूर्ति (000 में) | 4,000 | 4,186.44 |
| | बतख चूजों का उत्पादन (000 में) | 500 | 486.46 |
| | आहार नमूनों का विश्लेषण (संख्या) | 10,000 | 24,376 |
| | पालकों का प्रशिक्षण | 5,000 | 7,971 |
| | लेअर जांच | 5 | 8 |
| | ब्रॉयलर जांच | 10 | 9 |
| 3. | डेयरी कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष | | |
| | कुक्कुट यूनिटों की स्थापना | – | 84 |

उक्त अवधि के दौरान सूअर पालन के लिए कोई योजना नहीं थी।

(ख) और (ग) डेयरी कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष के तहत सहायता के लिए अन्य पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठन तथा संस्थान भी पात्र हैं।

*[अनुवाद]*

**फसलों का खरीद मूल्य**

*74. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वामीनाथन समिति ने किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के खरीद मूल्य निर्धारित करने हेतु किसी फार्मूले की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 2008 के लिए कृषि उपज का खरीद मूल्य उक्त फार्मूले के आधार पर निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (घ) राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामिनाथन आयोग) ने प्रापण मूल्य को निर्धारित करने के लिए किसी फार्मूले की सिफारिश नहीं की थी। तथापि, आयोग ने सिफारिश की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होने चाहिए। सरकार द्वारा यह सिफारिश नहीं मानी गई क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जो कि, विभिन्न तथ्यों, जिसमें संबंधित फसलों की उत्पादन की लागत शामिल होती है, को ध्यान में रखता है।

यह मानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच कोई यांत्रिक संबंध नहीं हो सकता क्योंकि प्रति क्विंटल लागत वर्ष-दर-वर्ष भिन्न होती है जो पैदावार स्तर पर निर्भर करती है। पुन: चुनिंदा फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी राज्यों के लिए समान होते हैं तथा जब बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे जाने लगते हैं, नामित एजेंसियां बाजार में हस्तक्षेप करती हैं। ऐसी स्थितियों में जब निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नामित एजेंसियों द्वारा की गई खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर एक बोनस प्रदान करने के माध्यम से उच्च मूल्य का प्रस्ताव किया जाता है।

सरकार द्वारा 2007-2008 के खरीफ तथा रबी मौसम की फसलों के न्यूनतम समर्थन पहले ही घोषित किये जा चुके हैं तथा वे स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों पर आधारित नहीं हैं।

*[हिन्दी]*

**खाद्यान्नों पर राजसहायता**

*75. **श्री सुभाष महरिया:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में खाद्यान्नों पर कितनी राजसहायता दी जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से राज्यवार कितनी मात्रा में राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी किये गये?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) वित्तीय वर्ष 2007-08 (बजट अनुमान) के दौरान प्रदान की गई खाद्य राजसहायता की राशि 25424.89 करोड़ रुपये है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई खाद्य राजसहायता की राशि और वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान तथा इनमें प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | खाद्य राजसहायता | पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|
| 2004-05 | 25746.45 | |
| 2005-06 | 23071.00 | (-)10.39 |
| 2006-07 | 23827.59 | 3.28 |
| 2007-08 (ब.अ.) | 25424.89 | 6.70 |

(ग) वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक के दौरान केन्द्रीय पूल से उठान की गई चावल और गेहूं की राजसहायता प्राप्त राज्यवार मात्रा संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

*विवरण II*

*2004-05 से 2006-07 तक केन्द्रीय पूल के जरिए राजसहायता प्राप्त चावल के वितरण को दर्शाने वाला विवरण*

(मात्रा हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2004-05 | | | 2005-06 | | | 2006-07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ल.सा.वि.प्र. | अ.क.यो. | जोड़ | ल.सा.वि.प्र. | अ.क.यो. | जोड़ | ल.सा.वि.प्र. | अ.क.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2819.95 | 321.23 | 3141.18 | 3166.77 | 329.44 | 3496.21 | 3153.48 | 373.83 | 3527.31 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 83.87 | 4.41 | 88.28 | 73. 77 | 3.67 | 77.44 | 55.24 | 2.22 | 57.46 |
| 3. | असम | 881.03 | 90.59 | 971.62 | 940.91 | 86.42 | 1027.33 | 1261.87 | 50.66 | 1312.53 |
| 4. | बिहार | 267.53 | 119.78 | 387.31 | 310.85 | 164.13 | 474.98 | 529.53 | 120.44 | 649.97 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 653.56 | 0.5 | 654.06 | 685.76 | 1.31 | 687.07 | 811.51 | 34.77 | 846.28 |
| 6. | दिल्ली | 140.77 | 9.71 | 150.48 | 103.38 | 9.36 | 112.74 | 146.69 | 8.24 | 154.93 |
| 7. | गोवा | 5.04 | 0 | 5.04 | 8.52 | 0.11 | 8.63 | 21.44 | 0.85 | 22.29 |
| 8. | गुजरात | 231.05 | 28.74 | 259.79 | 235.96 | 30.64 | 266.60 | 394.04 | 32.99 | 427.03 |
| 9. | हरियाणा | 0.00 | 8.3 | 8.30 | 33.18 | 16.21 | 49.39 | 61.63 | 9.39 | 71.02 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 156.52 | 18.89 | 175.41 | 169.46 | 15.46 | 184.92 | 192.33 | 18.37 | 210.70 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 361.35 | 1.02 | 362.37 | 422.56 | 8.77 | 431.33 | 430.48 | 13.41 | 443.89 |
| 12. | झारखंड | 256.71 | 62.57 | 319.28 | 323.96 | 87.24 | 411.20 | 455.18 | 72.65 | 527.83 |
| 13. | कर्नाटक | 1760.63 | 130.92 | 1891.55 | 1755.09 | 132.59 | 1887.68 | 1786.55 | 136.69 | 1923.24 |
| 14. | केरल | 619.43 | 48.51 | 667.94 | 584.21 | 32.03 | 616.24 | 744.13 | 31.26 | 775.39 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 260.01 | 49.36 | 309.37 | 324.73 | 52.25 | 376.98 | 441.92 | 40.17 | 482.09 |
| 16. | महाराष्ट्र | 884.85 | 161.71 | 1046.56 | 947.63 | 177.27 | 1124.90 | 1124.79 | 181.15 | 1305.94 |
| 17. | मणिपुर | 39.25 | 8.96 | 48.21 | 44.64 | 7.92 | 52.56 | 70.13 | 3.7 | 73.83 |
| 18. | मेघालय | 90.13 | 12.76 | 102.89 | 93.06 | 11.03 | 104.09 | 108.39 | 12.61 | 121.00 |
| 19. | मिजोरम | 86.97 | 3.56 | 90.53 | 76.00 | 3.74 | 79.74 | 60.06 | 5.08 | 65.14 |
| 20. | नागालैंड | 72.21 | 8.38 | 80.59 | 83.65 | 5.02 | 88.67 | 113.49 | 20.56 | 134.05 |
| 21. | उड़ीसा | 1360.71 | 158.24 | 1518.95 | 1249.32 | 170.80 | 1420.12 | 1115.98 | 153.74 | 1269.72 |
| 22. | पंजाब | 1.30 | 0 | 1.30 | 2.46 | 4.90 | 7.36 | 31.96 | 13.34 | 45.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | राजस्थान | 0.35 | 1.07 | 1.42 | 20.69 | 31.93 | 52.62 | 110.46 | 33.82 | 144.28 |
| 24. | सिक्किम | 31.84 | 2.13 | 33.97 | 37.76 | 2.60 | 40.36 | 38.81 | 0.71 | 39.52 |
| 25. | तमिलनाडु | 2660.57 | 130.1 | 2790.67 | 3635.05 | 127.08 | 3762.13 | 3349.23 | 118.83 | 3468.06 |
| 26. | त्रिपुरा | 164.94 | 11.25 | 176.19 | 158.32 | 14.72 | 173.04 | 203.87 | 7.69 | 211.56 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1670.14 | 214.19 | 1884.33 | 2422.33 | 191.21 | 2613.54 | 3001.90 | 178.31 | 3180.21 |
| 28. | उत्तराखंड | 153.65 | 15.15 | 168.80 | 150.23 | 15.13 | 165.36 | 156.15 | 14.36 | 170.51 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 744.07 | 277.51 | 1021.58 | 955.47 | 193.57 | 1149.04 | 1107.72 | 170.23 | 1277.95 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 13.82 | 0.68 | 14.50 | 12.43 | 0.27 | 12.70 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 1.14 | 3.67 | 4.08 | 0.12 | 4.20 |
| 33. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.09 | 0.71 | 0.96 | 0.1 | 1.06 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 35. | पांडिचेरी | 3.89 | 0.00 | 3.89 | 24.63 | 1.17 | 25.80 | 17.13 | 1.25 | 18.38 |
| | जोड़ | 16464.67 | 1899.54 | 18364.21 | 19061.06 | 1929.63 | 20990.69 | 21116.99 | 1861.81 | 22978.80 |

ल.सा.वि.प्र.—लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना शामिल है।

अ.क.यो.-अन्य कल्याण योजनाएं, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम, कल्याण संस्थाएं/छात्रावास और इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम शामिल हैं (संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी स्कीमें, जिनमें आर्थिक लागत पर खाद्यान्न का उठान किया जाता है, शामिल नहीं की जाती है)।

## *विवरण II*

*2004-05 से 2006-07 तक केन्द्रीय पूल के जरिए राजसहायता प्राप्त गेहूं के वितरण को दर्शाने वाला विवरण*

(मात्रा हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2004-05 | | | 2005-06 | | | 2006-07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ल.सा.वि.प्र. | अ.क.यो. | जोड़ | ल.सा.वि.प्र. | अ.क.यो. | जोड़ | ल.सा.वि.प्र. | अ.क.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 35.620 | 26.60 | 62.220 | 50.730 | 27.76 | 78.490 | 55.593 | 15.09 | 70.683 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 11.110 | 0.00 | 11.110 | 7.400 | 0.00 | 7.400 | 5.135 | 0.00 | 5.135 |
| 3. | असम | 403.036 | 0.00 | 403.036 | 280.240 | 0.00 | 280.240 | 250.049 | 0.85 | 250.899 |
| 4. | बिहार | 934.773 | 59.52 | 994.293 | 807.770 | 13.97 | 821.740 | 494.652 | 8.75 | 503.402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 125.930 | 39.35 | 165.280 | 132.48 | 37.32 | 169.8 | 55.977 | 38.47 | 94.447 |
| 6. | दिल्ली | 432.063 | 5.74 | 437.803 | 366.570 | 8.28 | 374.850 | 400.943 | 8.22 | 409.163 |
| 7. | गोवा | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 3.833 | 0.40 | 4.233 | 5.570 | 0.08 | 5.650 |
| 8. | गुजरात | 533.153 | 80.08 | 613.233 | 605.780 | 42.41 | 648.190 | 468.146 | 59.86 | 528.006 |
| 9. | हरियाणा | 437.325 | 69.14 | 506.465 | 257.030 | 10.58 | 267.610 | 248.722 | 9.58 | 258.302 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 155.794 | 1.05 | 156.844 | 160.770 | 4.19 | 164.960 | 178.169 | 3.78 | 181 949 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 210.510 | 0.00 | 210.510 | 223.260 | 0.95 | 224.210 | 228.773 | 0.00 | 228.773 |
| 12. | झारखंड | 297.475 | 0.14 | 297.615 | 360.740 | 0.00 | 360.740 | 285.971 | 0.03 | 286.001 |
| 13. | कर्नाटक | 361.584 | 11.9 | 373.484 | 376.520 | 10.36 | 386.880 | 298.504 | 10.21 | 308.714 |
| 14. | केरल | 294.973 | 1.13 | 296.103 | 377.420 | 0.08 | 377.500 | 281.975 | 0.19 | 282.165 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1368.057 | 238.53 | 1606.587 | 1554.916 | 187.86 | 1742.776 | 1348.314 | 210.76 | 1559.074 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1553.820 | 29.47 | 1583.290 | 1563.470 | 40.80 | 1604.270 | 1381.121 | 24.05 | 1405 171 |
| 17. | मणिपुर | 16.720 | 0.00 | 16.720 | 18.140 | 0.06 | 18.200 | 8.236 | 0.10 | 8.336 |
| 18. | मेघालय | 8.188 | 1.94 | 10.128 | 6.970 | 0.92 | 7.890 | 7.290 | 0.00 | 7.290 |
| 19. | मिजोरम | 11.782 | 0.00 | 11.782 | 7.550 | 0.00 | 7.550 | 8.988 | 0.00 | 8.988 |
| 20. | नगालैंड | 91.411 | 0.37 | 91.781 | 63.060 | 0.72 | 63.780 | 34.186 | 5.02 | 39.206 |
| 21. | उड़ीसा | 153.516 | 57.82 | 211.336 | 108.350 | 19.9 | 128.250 | 132.290 | 13.67 | 145.960 |
| 22. | पंजाब | 157.801 | 29.16 | 186.961 | 95.730 | 8.82 | 104.550 | 118.312 | 16.02 | 134.332 |
| 23. | राजस्थान | 1183.526 | 138.07 | 1321.596 | 953.620 | 108.17 | 1061.790 | 915.414 | 88.21 | 1003.624 |
| 24. | सिक्किम | 4.770 | 0.00 | 4.770 | 4.650 | 1.01 | 5.660 | 5.381 | 0.00 | 5.381 |
| 25. | तमिलनाडु | 59.944 | 17.30 | 77.244 | 77.980 | 13.61 | 91.590 | 90.180 | 17.64 | 107.820 |
| 26. | त्रिपुरा | 21.279 | 0.00 | 21.279 | 29.940 | 0.00 | 29.940 | 21.474 | 0.00 | 21.474 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2240.792 | 279.50 | 2520.292 | 1616.390 | 185.11 | 1801.500 | 1497.246 | 171.60 | 1668.846 |
| 28. | उत्तराखंड | 83.439 | 0.00 | 83.439 | 103.985 | 6.57 | 110.555 | 128.276 | 0.00 | 128.276 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1701.031 | 5.12 | 1706.151 | 1822.700 | 11.42 | 1834.120 | 1290.941 | 2.00 | 1292.941 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.887 | 0.00 | 0.887 | 4.310 | 0.06 | 4.370 | 4.700 | 0.00 | 4.700 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.51 | 0.510 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.750 | 0.12 | 0.870 | 0.360 | 0.00 | 0.360 |
| 33. | दमन व दीव | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.190 | 0.00 | 0.190 | 0.120 | 0.00 | 0.120 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 0.050 | 0.00 | 0.050 |
| 35. | पांडिचेरी | 0.055 | 0.59 | 0.645 | 1.010 | 0.00 | 1.010 | 1.410 | 0.00 | 1.410 |
| | जोड़ | 12890.364 | 1092.52 | 13982.884 | 12044.284 | 741.45 | 12785.734 | 10252.468 | 704.69 | 10957.16 |

ल.स.वि.प्र.—लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना शामिल है।

अ.क.यो.–अन्य कल्याण योजनाएं, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम, कल्याण संस्थाएं/छात्रावास और इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम शामिल हैं (संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी स्कीमें, जिनमें आर्थिक लागत पर खाद्यान्न का उठान किया जाता है, शामिल नहीं की जाती हैं)।

*[अनुवाद]*

## कृषि में वृद्धि

*76. श्री विजय कृष्णन:
श्री [illegible]:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में गिरावट आ रही है तथा वर्ष 2008-09 के दौरान इसमें और भी गिरावट आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि दर में भी कमी आई है जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में गरीबी बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) भविष्य में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्थायी मूल्यों (1999-2000) पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र | कुल सकल घरेलू उत्पाद | कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र (%) |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | 511013 | 2612847 | 19.6 |
| 2006-07 | 530236 | 2864310 | 18.5 |
| 2007-08 | 543984 | 3114452 | 17.5 |

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में गिरावट के लिए मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण, खनन, विद्युत, निर्माण तथा सेवाओं के योगदान में अपेक्षाकृत तेजी उत्तरदायी हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचकांक के संदर्भ में मापी गई (त्रैवार्षिक समाप्ति 1993-94 = 100 के साथ) सभी फसलों की उत्पादकता के साथ उनके उत्पादन की वृद्धि दर निम्नानुसार है:

| वर्ष | उत्पादन की वृद्धि दर | उत्पादकता की वृद्धि दर |
|---|---|---|
| 2004-05 | -2.7 | -3.4 |
| 2005-06 | 5.4 | 3.8 |
| 2006-07 | 11.7 | 10.9 |

खाद्यान्न उत्पादन 2004-05 में 198.36 मिलियन टन से बढ़कर 2005-06 में 208.60 मिलियन टन तथा पुन: 2006-07 में 217.28 मिलियन टन हो गया। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 219.32 मिलियन टन

अनुमानित है। किग्रा. प्रति हैक्टेयर पैदावार के संबंध में मापी गई उत्पादकता 2004-05 में 1652 किग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 2005-06 में 1715 किग्रा. प्रति हैक्टेयर तथा पुन: 2006-07 में 1750 किग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गयी।

(ङ) कृषि क्षेत्र की वृद्धि में सुधार करने के लिए, सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित कार्य किये हैं:

* ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए 4882 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 11वीं योजना की समाप्ति तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं तथा 2 मिलियन टन दालों का अतिरिक्त उत्पादन करना है।

  25000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में राज्यों से और अधिक निवेश बढ़ाने हेतु प्रेरित करते हुए 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करना है।

* वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए योजना बनाने में सहायता एवं मदद के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई।

* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

* सिंचाई हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान किये गये।

* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयास पर नीतिगत ध्यान।

* राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 नवम्बर, 2007 प्रारम्भ की गई।

*[हिन्दी]*

**बुनकरों को कम ब्याज दर पर ऋण**

***77. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री एम. अंजन कुमार यादव:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बुनकरों के बकाया ऋणों को माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बुनकरों को कम ब्याज दर पर नए ऋण दिये जाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला):** (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में इस मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है ताकि हथकरघा क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की अधिकतम लागत और ऋण लाइनों में बाधा की समस्याओं का हल निकला जा सके। इसके प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सरकार से पर्याप्त निधि सहायता सहित शीर्ष और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (व्यवहार्य और संभाव्य रूप से व्यवहार) के तुलन-पत्र का परिमार्जन।

2. 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार बुनकरों/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष समितियों के अतिदेय ब्याज और अतिदेय ऋणों का अधित्याग।

3. नाबार्ड तथा भारत सरकार के बैंकों से ब्याज परिदान सहित 7 प्रतिशत ब्याज दर पर हथकरघा बुनकरों/समितियों के ऋण जरूरतों का वित्त पोषण।

उपर्युक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

*[अनुवाद]*

**खतरनाक प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों की सूची का विस्तार**

***78. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
**श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खतरनाक प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों का ब्यौरा क्या है जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है;

(ख) क्या सरकार का विचार खतरनाक प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों की सूची का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीज):** (क) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में 15 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार अधिनियम के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं की सूची का विस्तार करती रही है। इस सूची के विस्तार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

*बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में परिवर्धन*

| | भाग-क व्यवसाय | | भाग-ख प्रक्रियाएं | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष | परिवर्धन | योग | परिवर्धन | योग |
| 1986 | – | 5 | – | 11 |
| 1989 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| 1994 | 1 | 7 | 4 | 18 |
| 1999 | 6 | 13 | 33 | 51 |
| 2001 | – | 13 | 6 | 57 |
| 2006 | 2 | 15 | – | 57 |

***विवरण***

**भाग-क**

**व्यवसाय**

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय:

1. रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना।
2. रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना।
3. रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना-जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना-उतरना पड़ता है।
4. रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो।
5. किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन अधिकरण।
6. *अस्थाई लाइसेन्स प्राप्त कर पटाखों और आतिशबाजी का सामान बेचने से संबंधित कार्य।
7. *बूचड़खाना अथवा वधशाला।
8. $ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज।
9. ढलाई कारखाना।
10. विषैले पदार्थों तथा ज्वलनशील विस्फोटकों की ठठाई धराई।
11. हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग।
12. खान (जलगत एवं भूमिगत) एवं कोयला खदान।
13. प्लास्टिक इकाइयां एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप।
14. **बच्चों की घरेलू कामगार अथवा नौकरी के रूप में नियोजन।
15. **ढाबा (सड़क किनारे खान-पान ठिकानों), रेस्तरां, होटल, मोटल, चाय दुकानों, रिसॉर्ट, स्पाओं तथा अन्य मनोरंजन स्थलों में बच्चों का नियोजन।

**भाग-ख**

**प्रक्रियाएं**

1. बीड़ा बनाना।
2. कालीन बुनाई।
3. सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक।
4. कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई।
5. दियासलाई (माचिस) विस्फोटक पदार्थों तथा पटाखों का निर्माण।
6. अभ्रक काटना और उसके टुकड़े (विखण्डन) करना।
7. चमड़ा बनाना।
8. साबुन बनाना।
9. चर्म/चमड़े का शोधन/रंगना।
10. ऊन की सफाई।
11. भवन और निर्माण उद्योग।
12. *स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैंकिंग सहित)।

13. *खनिज के उत्पादों का निर्माण कार्य।

14. *सीसा, मैंगनीज, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बैनजीन, कीटनाशक और एसबेस्टस जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं।

15. *कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में अधिसूचित 'खतरनाक प्रक्रिया' जैसाकि धारा 2 (सी बी) में उल्लिखित है तथा 'जोखिम पूर्ण प्रचालन'।

16. कारखाना अधिनियम, 1948 की (1948 का 63) की धारा 2 (ट) (iv) में परिभाषित मुद्रण।

17. *काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया।

18. *इलैक्ट्रोनिक उद्योग में टांका लगाने (सोल्डिंग) की प्रक्रिया।

19. ऽअगरबत्ती का निर्माण।

20. आटोमोबाइल वर्कशॉप तथा गैरेज, वैल्डिंग दुकानें (सेक्शनल डेन्टिंग एवं पेन्टिंग)।

21. ईंटों या खपरैलों का निर्माण।

22. रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना।

23. डिटरजेंट का निर्माण।

24. लौह और अलौह धातुओं की गढ़ाई वर्कशॉप।

25. रत्न तराशना और उनकी पालिश करना।

26. क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्कों की उठाई धराई।

27. जूट के कपड़ों का निर्माण।

28. चूना भट्टा और चूना निर्माण।

29. ताला बनाना।

30. ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्चादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीक्लिनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, वर्कशॉपों में सीसे का ढालन, खान सीसा निकालना, गलसाली, केबल बनाना, तार खिंचाना, सीसा ढुलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढलाई, स्टोर टाइप सेटिंग, कारों के कलपुर्जे जोड़ना, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना।

31. सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट की अन्य वस्तुएं बनाना।

32. कांच का निर्माण जिसमें चूड़ियां बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूबों एवं अन्य इसी प्रकार के कांच के उत्पादन भी शामिल हैं।

33. रंजक (डाई) रंजक द्रव्यों का निर्माण।

34. कीटनाशकों का निर्माण और उनकी उठाई धराई।

35. इलैक्ट्रानिक उद्योग में जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका लगाना शामिल है।

36. जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं (ब्रिकेट) का निर्माण।

37. खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़ा का उच्चादन शामिल है।

38. फाइबर ग्लास और प्लास्टिक की ढलाई व प्रसंस्करण।

39. तेल की पिराई और परिष्करण।

40. कागज बनाना।

41. चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग।

42. पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है।

43. ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहां फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहराई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है।

44. आरा मिल-सभी प्रसंस्करण।

45. रेशम संबंधी प्रसंस्करण।

46. चमड़े और चमड़े के सामान बनाने के लिए स्केनिंग, रंगाई एवं प्रसंस्करण।

47. पत्थर तोड़ना और पीसना।

48. तम्बाकू प्रसंस्करण जिसमें तम्बाकू का पेस्ट (लेई) बनाना तथा किसी भी रूप में उसकी उठाई धराई शामिल है।

49. टायर निर्माण, मरम्मत री-ट्रेडिंग, ग्रेफाइट सज्जीकरण।

50. बर्तन बनाना, पालिश करना और पदार्थों की बर्निंग करना।

51. जरी का काम (सभी प्रक्रियाएं)।

52. *इलेक्ट्रोप्लेटिंग।

53. ग्रेफाइट का चूर्ण करना और उससे आनुषंगिक प्रक्रिया।

54. धातुओं की घिसाई या उन पर खांच चढ़ाना।

55. हीरों की कटाई और पालिश।

56. खानों से सलेट का निस्तारण।

57. चिरकुट उठाना और अवशोधन।

---

क. मद (2) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:

"(2) कारपेट बुनाई जिसमें इसकी तैयारी और बुढ़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं";

ख. मद (4) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी:

"(4) जिसमें कपड़ा, छपाई रंगाई और बुनाई तैयारी और इससे जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं";

ग. मद (11) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

"(11) ग्रेफाइट पत्थरों से जुड़ी प्रक्रियायें तथा पालिश सहित भवन तथा निर्माण उद्योग"।

* भारत के राजपत्र, असाधारण में मुद्रित अधिसूचना संख्या का.आ. 404(अ) दिनांक 5 जून, 1989 द्वारा सम्मिलित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण में मुद्रित अधिसूचना संख्या का.आ. 263(अ) दिनांक 29 मार्च, 1994 द्वारा सम्मिलित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण में मुद्रित अधिसूचना संख्या का.आ. 36(अ) दिनांक 27 जनवरी, 1999 द्वारा भाग क में क्रम संख्या 8-13 और भाग ख में क्रम संख्या 19-51 में सम्मिलित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 397 (अ) दिनांक 10 मई, 2001 द्वारा भाग-ख में क्रमांक 52 से 57 अंत:स्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1742 (अ) दिनांक 10 अक्तूबर, 2006 द्वारा भाग-14 और 15 अंत:स्थापित।

*[हिन्दी]*

## ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

*79. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री राजकुमार धूत:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए और अधिक ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(घ) क्या कई निजी दूरसंचार कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के क्षेत्र में विशेषकर मोबाइल क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की ओर अधिक ध्यान देने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं:

(1) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने सब्सिडी सहायता प्रदान करके, भारत निर्माण के अंतर्गत, टेलीफोन सुविधा से वंचित 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करना।

(2) यूएसओएफ से सब्सिडी सहायता प्रदान करके ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 500 जिलों में भागीदारी योग्य 7871 अवसंरचना स्थलों की स्थापना करना (चरण-1)।

(3) देश के शेष बचे ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों को कवर करने के लिए 11,049 अतिरिक्त टावर स्थापित करने के लिए मोबाइल अवसंरचना स्कीम का द्वितीय चरण शीघ्र ही आरंभ किये जाने की संभावना है।

(4) टेलीफोन सुविधाओं के विकास के लिए सामान्य अवसंरचना के सृजन हेतु सरकार का ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क में सुधार लाने का प्रस्ताव है।

(5) ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल) के लिए यूएसओएफ के माध्यम से सब्सिडी सहायता प्रदान करना।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ 1450 करोड़ रु. खर्च किये जाने की संभावना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निजी क्षेत्र की जो कंपनियां यूएसओ निधि की भागीदारी वाली अवसंरचना की योजना के तहत दूरसंचार के क्षेत्र, विशेषकर मोबाइल के क्षेत्र में ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आगे आई हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*अवसंरचना की स्थापना हेतु जिन कंपनियों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं उनका ब्यौरा (अवसंरचना प्रदाता)*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | सार्वजनिक/निजी क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | भारत संचार निगम लिमिटेड | सार्वजनिक |
| 2. | जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | निजी |
| 3. | हचिसन एस्सार सेल्युलर लिमिटेड | निजी |
| 4. | हचिसन एस्सार साउथ लिमिटेड | निजी |
| 5. | नेशनल इन्फार्मेशन टेक्नालाजीज लिमिटेड | निजी |
| 6. | क्विपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | निजी |
| 7. | रिलायंस कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | निजी |

*मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए जिन कंपनियों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनका ब्यौरा (सार्वभौमिक सेवा प्रदाता)*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | ग्रुप कंपनी | सार्वजनिक/निजी क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | भारती एयरटेल लिमिटेड | भारती | निजी |
| 2. | भारती हैक्साकॉम लिमिटेड | भारती | निजी |
| 3 | भारत संचार निगम लिमिटेड | बीएसएनएल | सार्वजनिक |
| 4. | एयरसेल लिमिटेड | डिशनेट | निजी |
| 5. | डिशनेट वायरलैस लिमिटेड | डिशनेट | निजी |
| 6. | एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लिमिटेड | वोडाफोन | निजी |
| 7. | फास्सेल लिमिटेड | वोडाफोन | निजी |
| 8. | हचिसन एस्सार सेल्युलर लिमिटेड | वोडाफोन | निजी |
| 9. | हचिसन एस्सार साउथ लिमिटेड | वोडाफोन | निजी |
| 10. | बीटीए सेलकाम लिमिटेड | आइडिया | निजी |
| 11. | आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | आइडिया | निजी |
| 12. | आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड | आइडिया | निजी |
| 13. | रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड | रिलायंस | निजी |
| 14. | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | रिलायंस | निजी |

**सहकारी क्षेत्र में चुनाव**

***80. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी क्षेत्र की विभिन्न ग्रामीण और शहरी इकाईयों के चुनाव समय पर नहीं होते हैं तथा प्रशासकों की सेवा अवधि निर्धारित नहीं की गई है जिससे सहकारी क्षेत्र में लोकतंत्र का मूल सिद्धान्त विफल हो जाता है;

(ख) उक्त इकाइयों का समय पर चुनाव करवाने वाले राज्यों की वर्तमान सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र में समयबद्ध चुनाव अनिवार्य करने के लिए कोई विधिक प्रावधान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि-32 के तहत "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है। अत: राज्यों ने अपने भू-भाग क्षेत्र में आने वाली सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ, उनके चुनाव करने के लिए अपने निजी सहकारी समिति अधिनियमों का निरूपण किया है। राज्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों के मामले में केन्द्र सरकार का कोई विधायी या कार्यकारी अधिकार नहीं है। तथापि, बहुत से राज्यों में सहकारी समितियों का चुनाव समय पर नहीं होता है तथा प्रशासक ऐसी सहकारी समितियों के मामलों का प्रबंधन करते रहते हैं। यह महसूस किया गया है कि सहकारी समितियों के निदेशक मंडल का सामूहिक और बार-बार अधिक्रमण और एक दीर्घावधि तक प्रशासकों का बने रहना सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सहकारी समितियों की स्वायत्त कार्यप्रणाली तथा लोकतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सदन में 22.5.06 को संविधान (106वां संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है। संशोधन विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के कार्यकाल के समापन के पहले चुनाव कराने का प्रावधान है। विधेयक में उन स्थितियों में जहां सरकार ने बैंकिंग का कार्य करने वाली सहकारी समितियों के लिए एक वर्ष तथा अन्य सहकारी समितियों के मामले में 6 माह की अवधि के लिए ऋण या वित्तीय सहायता या कोई सरकारी गारंटी दी है या उसकी अंशधारिता की है, उचित एवं वास्तविक कारणों के आधार पर एक सीमित अवधि के लिए बोर्ड के अधिक्रमण का भी प्रावधान है।

*[अनुवाद]*

## आधुनिक वायुयान का निर्माण

**583. श्री के.एस. राव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयरोस्पेस प्रणालियों तथा सैन्य वायुयान हेतु किफायती, उच्च गुणवत्ता वाले डिजायन विकसित करने हेतु इंजीनियरों और तकनीकीविदों तथा उपलब्ध अवसंरचना की उपयोगिता की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार मानव रहित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तथा हाइपर सोनिक मिसाइल की डिजायन एवं उत्पादन के लिए उपलब्ध संभावना के संवर्धन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित नई पहल करने का है; और

(ग) यदि कहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में उपलब्ध इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों और अवसंरचना का लागत प्रभावी उच्च गुणतायुक्त एयरोस्पेस प्रणालियों तथा सैन्य विमान जैसे मानव-रहित वायवीय वाहनों, हल्के युद्धक विमानों, पायलट-रहित लक्ष्यभेदी विमानों, वायुवाहित पूर्व-चेतावनी और नियंत्रण प्रणालियों के डिजाइन तथा विकास में इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विभिन्न प्रक्षेपास्त्र उप-प्रणालियों के डिजाइन और विनिर्माण में निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसंरचना और विशेषज्ञता का यथासंभव उपयोग किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्तर परियोजना की जटिलता और प्रकृति पर निर्भर करता है। तथापि, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का इस समय सुपरसोनिक मानवरहित युद्धक विमान के बारे में कोई कार्यक्रम नहीं है।

## केन्द्रीय श्रमिक संघों की सदस्यता

**584. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार केन्द्रीय श्रमिक संघ के रूप में पंजीकृत श्रमिक संघों की संख्या क्या है;

(ख) केन्द्रीय श्रमिक संघ के रूप में संघों को मान्यता देने हेतु शर्तों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस समय राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय श्रम संघों की कुल सदस्यता कितनी है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) और (ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार उन श्रमिक संघों के संबंध में "समुचित सरकार" है जिनका उद्देश्य किसी एक राज्य तक ही सीमित नहीं है और अन्य श्रमिक संघों के संबंध में राज्य सरकार "समुचित सरकार" है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक संघों को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत करने का अपना अधिकार राज्य सरकार को प्रत्यायोजित किया है। अत:, पंजीकृत श्रमिक संघों की केन्द्रीय रूप से राज्यवार संख्या नहीं रखी जाती है। तथापि, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) संगठन ने विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से संबद्ध पंजीकृत श्रमिक संघों का सामान्य सत्यापन करवाया जिनकी गणना की तिथि 31.12.2002 रखी गई, यह सत्यापन केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों की शक्ति के निर्धारण के प्रयोजन से कराया गया ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, परिषदों आदि में प्रतिनिधित्व दिया जा सके। केन्द्रीय श्रमिक संघों की राज्य-वार तथा संघ-वार अंतिम रूप से सत्यापित सदस्यता की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) स्थायी समिति द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार, उन सभी केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों को केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों का दर्जा दिया जाता है जिनके कम से कम चार राज्यों में तथा चार उद्योगों में पांच लाख से अधिक सत्यापित सदस्य हैं।

## विवरण

*कृषि और ग्रामीण कामगारों सहित केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों (राज्य-वार) की अंतिम रूप से सत्यापित सदस्यता 31.12.2002 के अनुसार केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों से संबद्ध अन्य श्रमिक संघों का सामान्य सत्यापन*

| क्र.सं. | राज्य | बीएमएस | इंटक | सीटू | एटक | एचएमएस | कुल (एसएस) | एसईएफ | कुल | एआईयूटीयूसी | टीयूसीसी | एसएचएमएफ टीयू केआईएस | एसएफ आईटीयू डीएवन | एसईडब्ल्यूए | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | अंडमान व निकोबार | 116 | 471 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1330449 | 241618 | 207202 | 529083 | 152910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461262 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | असम | 42654 | 335600 | 44021 | 31827 | 50862 | 35 | 0 | 8487 | 25037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538523 |
| 5. | बिहार | 365736 | 325323 | 7223 | 865128 | 162981 | 164344 | 0 | 430 | 516612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407177 |
| 6. | चंडीगढ़ | 3257 | 1116 | 0 | 0 | 13127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 203581 | 295104 | 12663 | 32304 | 56601 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600335 |
| 8. | दादरा व नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | दमन व दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | दिल्ली | 336456 | 250265 | 10995 | 44029 | 143692 | 30226 | 0 | 812 | 7686 | 0 | 0 | 881 | 0 | 824442 |
| 11. | गुजरात | 162696 | 52109 | 3710 | 15985 | 22848 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 539331 | 797466 |
| 12. | गोवा | 351 | 94 | 1051 | 33100 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38891 |
| 13. | हरियाणा | 138552 | 3270 | 23458 | 53157 | 30432 | 43384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293253 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 91896 | 3434 | 11621 | 24321 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131960 |
| 15. | जम्मू-कश्मीर | 26633 | 8252 | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36569 |
| 16. | झारखंड | 301442 | 141112 | 34810 | 116974 | 397702 | 27876 | 0 | 910 | 54548 | 0 | 349 | 568718 | 0 | 1643941 |
| 17. | कर्नाटक | 22979 | 95293 | 77958 | 19451 | 135489 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 32456 | 0 | 0 | 0 | 387098 |
| 18. | केरल | 152460 | 71289 | 658573 | 216885 | 138898 | 11257 | 0 | 48731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293093 |
| 19. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | मध्यप्र | 525650 | 447969 | 39402 | 100994 | 410497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 1526336 |
| 21. | मध्य प्रदेश | 542361 | 222754 | 11691 | 51442 | 17492 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106809 | 957680 |
| 22. | मणिपुर | 5549 | 1437 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | मेघालय | 0 | 527 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 |
| 24. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | उड़ीसा | 461974 | 315423 | 29257 | 143064 | 728743 | 15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 1695754 |
| 27. | पंजाब | 264821 | 82975 | 9087 | 182740 | 53046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592669 |
| 28. | पांडिचेरी | 77 | 47 | 127 | 1179 | 0 | 0 | 398 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 |
| 29. | राजस्थान | 448490 | 24593 | 25545 | 179892 | 236580 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916845 |
| 30. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | तमिलनाडु | 92639 | 217574 | 254841 | 172517 | 145647 | 3006 | 6111108 | 0 | 10730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508062 |
| 32. | त्रिपुरा | 39 | 5461 | 63407 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51692 | 0 | 0 | 0 | 120638 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 449443 | 303589 | 16921 | 44345 | 190287 | 900 | 0 | 432 | 7353 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 1055270 |
| 34. | उत्तराखंड | 102982 | 8663 | 8046 | 5199 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125625 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 136514 | 498650 | 1127497 | 576365 | 251227 | 10771035 | 0 | 547133 | 15079 | 646288 | 31127 | 0 | 0 | 4900915 |
| | कुल | 6215797 | 3954012 | 2678473 | 3442239 | 3338491 | 1373268 | 611506 | 606935 | 639962 | 732760 | 33620 | 569599 | 688140 | 24884802 |

टिप्पणी:

1. यद्यपि, सेवा से संबद्ध यूनियन सिर्फ तीन राज्यों अर्थात्: गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं। परन्तु उनकी सदस्यता सात राज्यों, अर्थात्: दिल्ली, केरल, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तक फैली है।
2. यद्यपि, एलपीएफ से संबद्ध यूनियन सिर्फ दो राज्यों अर्थात्: पांडिचेरी तथा तमिलनाडु में पंजीकृत हैं। परन्तु उनकी सदस्यता ग्यारह राज्यों, अर्थात्: मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, असम, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी तक फैली है।
3. यद्यपि, एनएफआईटीयू-डीएचएन से संबद्ध यूनियन सिर्फ दो राज्यों अर्थात्: दिल्ली और झारखण्ड में पंजीकृत हैं। परन्तु उनकी सदस्यता छ: राज्यों, अर्थात् दिल्ली, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तक फैली है।

### कृषि श्रमिकों का विपलन

**585. श्री नरहरि महतो:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि निर्गमों के मूल्य में भारी गिरावट तथा कृषि आगमों की लागत में वृद्धि के चलते किसान प्रतिकूल अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि श्रमिक अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) कृषि उत्पाद के मूल्यों में गिरावट नहीं आयी है बल्कि 2004 तथा 2006 के दौरान उनमें वृद्धि की प्रवृत्ति रही। खाद्यान्नों (अनाज तथा दाल) हेतु वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1993-94=100) 2004 में 176.6 से बढ़ाकर 2006 में 201.2 हो गया है। प्रमुख फसलों यथा गेहूं की उत्पादन लागत 2005-06 में 541.52 रुपये प्रति क्विंटल से 2006-07 में केवल मामूली बढ़कर 574.58 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी है। धान हेतु

वही 2005-06 में 557.60 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2006-07 में 569.45 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी है।

(ग) और (घ) कृषि श्रमिकों की संख्या तथा कृषि उत्पादन की मात्रा दोनों में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई। 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या 85.99 मिलियन थी जो 2001 की जनगणना में बढ़कर 106.78 मिलियन हो गयी। खाद्यान्न उत्पादन भी 2004-05 में 198.36 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 219.32 मिलियन टन हो गया।

**गेहूं तथा चावल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन**

**586. श्री हितेन बर्मन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल का उत्पादन घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पायेगा तथा देश को चावल का आयात करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गेहूं का उत्पादन उन गेहूं खाने वालों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है जो चावल छोड़कर गेहूं खाने लगेंगे;

(घ) यदि नहीं, तो चावल तथा गेहूं में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या चावल उत्पादन में कमी से चावल खाने वाले गेहूं खाने लगेंगे;

(च) क्या गेहूं तथा चावल उगाने वाले क्षेत्रों के किसानों को और ज्यादा उत्पादन के लिए कोई विशिष्ट प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय हुआ/होने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ङ) "भारत में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की पारिवारिक खपत, 2004-05" पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 61वें दौर की रिपोर्ट में सूचित की गई प्रति व्यक्ति मासिक खपत की मात्रा तथा भारत के महापंजीकार कार्यालय द्वारा दिये गये जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर 2007-08 के दौरान देश में चावल की कुल वांछित खपत जिसमें बीज, चारा तथा अवशिष्ट शामिल हैं, 89.47 मिलियन टन अनुमानित है। आवश्यकता की तुलना में 2007-08 (दूसरे अग्रिम अनुमान) के दौरान चावल का उत्पादन 94.08 मिलियन टन अनुमानित है। भारत चावल का अग्रणी निर्यातक है।

उपरोक्त एप्रोच को देखते हुए, 2007-08 के दौरान देश में गेहूं की वांछित खपत फसल वर्ष 2006-07 के दौरान 75.81 मिलियन टन के उत्पादन जोकि विपणन वर्ष 2007-08 के दौरान खपत के लिए उपलब्ध है की तुलना में 68.59 मिलियन टन अनुमानित है। देश ने बफर स्टाक को पूरा करने हेतु 2006-07 के दौरान 6.08 मिलियन टन गेहूं का आयात किया था।

देश में, चावल तथा गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणालियों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.) देश में, अक्तूबर, 2000 से कार्यान्वयन में है। तथापि, चावल तथा गेहूं का उत्पादन और बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" भी 2007-08 से देश में, प्रारम्भ की गई है। इसका उद्देश्य देश के लक्षित जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से 11वीं योजना की समाप्ति अर्थात 2011-12 तक चावल के उत्पादन को 10 मिलियन टन तथा गेहूं का 8 मिलियन टन तक बढ़ाना है।

(च) और (छ) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के माध्यम से मूल्य समर्थन (न्यूनतम समर्थन मूल्य) धान तथा गेहूं तक बढ़ाया है। विपणन मौसम 2007-08 के लिए गेहूं के 750 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल का एक प्रोत्साहन बोनस दिया गया था तथा सरकार ने 1112.8 करोड़ रुपये का व्यय किया था। धान के मामले में 645 रुपये प्रति क्विंटल (सामान्य किस्म) तथा 675 रुपये प्रति क्विंटल (ग्रेड ए किस्म) के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस दिया गया था तथा सरकार ने 4054.0 करोड़ रुपये का व्यय किया था।

**दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं**

**587. श्री जसुभाई धाभाई बारड़:**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र तथा गुजरात के कितने गांवों को डब्ल्यूएलएल सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) देश में, विशेष रूप से गुजरात में राज्य-वार तथा स्थान-वार कितने गांव अभी तक डब्ल्यूएलएल सेवाओं से वंचित हैं;

(घ) क्या गुजरात में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सघनता कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश के सभी गांवों में डब्ल्यूएलएल सेवाएं कब तक प्रदान कर दी जाएंगी?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में, दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं, बुनियादी (वायर लाईन और वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल)] सेल्यूलर मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट इत्यादि हैं।

(ख) 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल ने देश में 4,15,213 गांवों को डब्ल्यूएलएल सेवा से कवर किया है। बीएसएनएल द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात में क्रमशः 26,658 और 11933 गांवों को डब्ल्यूएलएल सेवाओं से कवर किया जा चुका है।

(ग) बीएसएनएल द्वारा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) डब्ल्यूएलएल कवरेज की योजना अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) वार की गई है न कि गांव-वार। देश में उन एसडीसीए का सर्किल-वार ब्यौरा, जो अभी तक डब्ल्यूएलएल सेवा से वंचित हैं, विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार गुजरात में ग्रामीण टेली-घनत्व 14.68% है और शहरी टेली-घनत्व 55.84% है। इसके कारण निम्नवत हैं:

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में खराब अवसंरचना का होना जो कि दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है।

(2) ग्रामीण जनता का सामाजिक-आर्थिक स्तर।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की अधिकतर मांग दूर-दराज के फैले हुए क्षेत्रों से आती है जहां दूरसंचार नेटवर्क तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य है।

(च) 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार देश में 2642 एसडीसीए में 2573 एसडीसीए को सीडीएमए डब्ल्यूएलएल सेवाओं द्वारा पहले ही कवर किया जा चुका है। उन कुछ एसडीसीए को छोड़कर जहां डब्ल्यूएलएल सेवाएं तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हैं, शेष एसडीसीए में डब्ल्यूएलएल कवरेज उत्तरोत्तर रूप से प्रदान किया जाएगा।

***विवरण***

*31.1.2008 की स्थिति के अनुसार देश में डब्ल्यूएलएल सेवाओं से वंचित अल्प दूरी प्रभारण (एसडीसीए) क्षेत्रों का सर्किल-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | सर्किल/दूरसंचार जिले का नाम | एसडीसीए की संख्या | डब्ल्यूएलएल सेवा से कवर किये गये एसडीसीए की संख्या | डब्ल्यूएलएल सेवा से वंचित एसडीसीए की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 2 | 2 | – |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 243 | 240 | 3 |
| 3. | असम | 46 | 46 | – |
| 4. | बिहार | 104 | 104 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 112 | 103 | 9 |
| 6. | गुजरात | 161 | 160 | 1 |
| 7. | हरियाणा | 54 | 54 | - |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 33 | 31 | 2 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 34 | 29 | 5 |
| 10. | झारखंड | 75 | 74 | 1 |
| 11. | कर्नाटक | 180 | 179 | 1 |
| 12. | केरल | 58 | 48 | 10 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 249 | 248 | 1 |
| 14. | महाराष्ट्र | 304 | 304 | – |
| 15. | उत्तर पूर्व-1 | 30 | 27 | 3 |
| 16. | उत्तर पूर्व-2 | 56 | 37 | 19 |
| 17. | उड़ीसा | 120 | 118 | 2 |
| 18. | पंजाब | 55 | 55 | – |
| 19. | राजस्थान | 258 | 249 | 9 |
| 20. | तमिलनाडु | 122 | 122 | – |
| 21. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 164 | 164 | – |
| 22. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 64 | 64 | – |
| 23. | उत्तराखंड | 38 | 35 | 3 |
| 24. | पश्चिम बंगाल (दूरसंचार सर्किल) | 71 | 71 | – |
| 25. | कोलकाता (सीडी) | 1 | 1 | – |
| 26. | चेन्नै (टीडी) | 8 | 8 | – |
| | जोड़ | 2642 | 2573 | 69 |

**कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात**

**588. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान देश की कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात में कर्नाटक ने सबसे ज्यादा योगदान दिया तथा दक्षिण क्षेत्र से कुल निर्यात आय में 61.23 प्रतिशत का योगदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक कुल निर्यात में अपने योगदान के 33.36 प्रतिशत से शीर्ष पर है यद्यपि पिछले वित्तीय वर्ष के 36.67 प्रतिशत के योगदान में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ङ) देश में, विशेष रूप से कर्नाटक में सॉफ्टवेयर निर्यात में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, हां। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक स्थित एसटीपी इकाइयों (एसटीपीआई, बंगलौर के साथ पंजीकृत) से हुआ सॉफ्टवेयर निर्यात लगभग 48,700 करोड़ रुपए है। दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश शामिल हैं, की एसटीपी इकाइयों से वर्ष 2006-07 के दौरान हुआ निर्यात कुल निर्यात का 61.59% है।

(ख) और (ग) जी, हां। एसटीपीआई-बंगलौर के साथ पंजीकृत कर्नाटक में स्थित एसटीपी इकाइयों द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ निर्यात 37,600 करोड़ रुपये था, जो देश से हुए निर्यात का लगभग 35% था तथा वर्ष 2006-07 के दौरान यह 48,700 करोड़ रुपये था जो देश से हुए निर्यात का लगभग 38% है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदम विवरण में दिये गये हैं।

***विवरण***

*सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय*

1. व्यवसाय से उपभोक्ता ($B_2C$) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 10% कर दिया गया है। आईटीए-1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

3. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैशम मेमोरी तथा कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

4. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाईयों/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दर संचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

5. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाफ बैक लाभ का 50% है।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं की आपूर्ति करके भी पूरी की जा सकती है, बशर्ते यह मुक्त विदेशी मुद्रा में की जाए।

7. ईओयू/एसटीपी/एसईजेड योजनाओं के अंतर्गत इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों, कम्प्यूटरों एवं दूरसंचार उपस्करों का व्यवसाय करने वाली कम्पनी के मामले में कम्पनी में ही किये जाने वाले अनुसंधान एवं विकास पर किये गये व्यय पर आयकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2एबी) के खण्ड (1) के अंतर्गत 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

10. किसी उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किये गये पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कम्पनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त को महत्व देने के लिए सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

11. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

12. *विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स):* सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2007 की गजट अधिसूचना के जरिए भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना तथा अन्य सूक्ष्म एवं नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) की घोषणा की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। दिनांक 14.9.2007 को कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं।

13. *अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन:* सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं:

- इस योजना के अंतर्गत लघु एवं मझौले उद्योगों तथा नई प्रौद्योगिकी इकाइयों को उनकी अपनी खोजों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार आवेदन-पत्र दर्ज करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार दर्ज करने पर हुए वास्तविक व्यय के 50% तक की जाएगी, जो प्रति आवेदन-पत्र 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

- *गुणक अनुदान योजना:* इस योजना का उद्देश्य नवीन एवं व्यावसायिक रूप से उपयुक्त उत्पादों/पैकेजों के विकास के लिए उद्योग को प्रमुख शैक्षणिक एवं सरकारी अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार शैक्षणिक/अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में उद्योग/उद्योग संकाय/संघ द्वारा निवेश की गई राशि के दो गुणा तक अधिकतम अनुदान देगी।

**रक्षा तैयारियों में एनसीसी कैडेटों की भूमिका**

**589. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को देखते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर की कुशलता में सुधार हेतु कोई नई योजना/कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन.सी.सी. कार्यकलापों के लिए कर्नाटक को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसका उपयोग क्या रहा;

(घ) क्या राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्र के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एन्टनी):** (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को इस समय दिया जा रहा प्रशिक्षण राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्यों को पूरा करता है। राष्ट्र की सुरक्षा संबंधी तैयारी को उन्नत करने के लिए हथियारों और युद्ध पद्धति तकनीकों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के क्षेत्र से अलग है।

(ग) केन्द्रीय बजट में से कार्यालय आकस्मिकता अनुदान, सूचना प्रौद्योगिकी, सिविल परिवहन को किराए पर लेना और कैम्प प्रशिक्षण शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, कर्नाटक और गोवा को आवंटित निधियां इस प्रकार हैं:

| | शीर्ष | आवंटित निधियां लाख रुपये | इस्तेमाल की गई निधियां लाख रुपये |
|---|---|---|---|
| (1) | कार्यालय आकस्मिकता अनुदान | 25.00 | 18.00 |
| (2) | सूचना प्रौद्योगिकी | 22.00 | 19.30 |
| (3) | सिविल परिवहन किराए पर लेना | 8.78 | 8.19 |
| (4) | कैम्प प्रशिक्षण | 263.50 | 207.24 |

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**हंगरी के साथ समझौता**

**590. श्री ए. साई प्रताप:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हंगरी के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से देश किस सीमा तक लाभान्वित होगा?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) हंगरी के साथ एक समझौते पर 18 जनवरी, 2008 को हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और समवर्ती क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान किया गया है तथा इसमें कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी, उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी सहित पशुपालन और जल कृषि तथा पादप व्यापार से संबंधित पादप स्वच्छता मामले तथा पशु आनुवांशिक संसाधनों और मानकों और प्रमाणीकरण में सहयोग शामिल है।

(ग) अन्य किसी द्विपक्षीय समझौते के समान ऐसी आशा की जाती है कि दोनों देश कृषि और समवर्ती क्षेत्रों में एक दूसरे की योग्यता और पादप स्वच्छता मामलों का समाधान करने हेतु वर्धित आर्थिक और व्यापार सहयोग से परस्पर लाभान्वित होंगे।

**गैर-एक्सचेंज लाइन के माध्यम से कनेक्शन**

**591. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जिलों तथा तालुकों में गैर-एक्सचेंज लाइन (एनईएल) के माध्यम से होरिजंटल कार्यालयों को जोड़ने का है जिसे देश में, विशेष रूप से गुजरात के गांवों में भी विस्तारित किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने निकनेट स्थापित किया है, जो केवल जिला स्तर तक ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों को परस्पर जोड़ता है, जिसमें जिला मुख्यालयों के अंदर समानान्तर सम्पर्क शामिल हैं। निकनेट गुजरात सहित देश के 602 जिलों में कार्य कर रहा है तथा विभिन्न ई-शासन परियोजनाओं को सहयोग दे रहा है।

*[हिन्दी]*

**स्पेक्ट्रम का आवंटन**

**592. श्री कीरेन रिजीजू:**
**श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पेक्ट्रम आवंटन के उद्देश्य से गठित टेलीकाम इंजीनियरिंग सेंटर ने स्पेक्ट्रम आवंटन के कार्य से अपने को अलग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्पेक्ट्रम के उचित तथा पारदर्शी आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) देश में सभी वायरलेस प्रयोक्ताओं के लिए स्पेक्ट्रम का आबंटन राष्ट्रीय नोडल स्पेक्ट्रम प्रबंधन अभिकरण के रूप में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) स्कंध द्वारा सभी बेतार प्रयोक्ताओं के लिए किया जाता है। अत: दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) का स्पेक्ट्रम आबंटन से अपने-आपको हटा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सार्वजनिक मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रारंभिक स्पेक्ट्रम का आबंटन दूरसंचार सेवा लाइसेंस करार के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए मानदंड दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र द्वारा किये गये अध्ययनों सहित विभिन्न संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किये जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**मॉडल अस्पताल**

**593. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मॉडल अस्पताल विकसित करने संबंधी किसी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जिन्हें राज्य-वार मॉडल अस्पताल घोषित किया जाएगा;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा इस संबंध में अग्रेषित एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचारार्थ लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार से इसे कब तक मंजूरी मिल जायेगी?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 16.2.2001 को आयोजित अपनी बैठक में राज्य के एक वर्तमान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है और मॉडल अस्पताल को चलाने पर अधिकतम सीमा से अधिक होने वाला पूर्ण व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 18 अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में चलाया जा रहा है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, राजाजी नगर, बंगलौर को मॉडल अस्पताल के रूप में चलाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पहले ही अपने अधिकार में ले लिया गया है।

***विवरण***

*कर्मचारी राज्य बीमा के मॉडल अस्पतालों की सूची*

| क्र.सं. | राज्य | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | नचरम, हैदराबाद |
| 2. | असम | बेल्टोला, गोवाहाटी |
| 3. | झारखण्ड | रांची |
| 4. | कर्नाटक | राजाजीनगर, बंगलौर |
| 5. | केरल | असरमम, कोल्लम |
| 6. | उड़ीसा | राऊरकेला |
| 7. | पंजाब | लुधियाना |
| 8. | राजस्थान | जयपुर |
| 9. | उत्तर प्रदेश | नोएडा |
| 10. | बिहार | फुलवारी शरीफ, पटना |
| 11. | गुजरात | बापू नगर, अहमदाबाद |
| 12. | जम्मू-कश्मीर | बारी ब्रह्मा, जम्मू |
| 13. | दिल्ली | बसईदारापुर |
| 14. | महाराष्ट्र | चिंचवाड, पुणे |
| 15. | पश्चिम बंगाल | जोका, कोलकाता |
| 16. | तमिलनाडु | केके नगर, चेन्नई |
| 17. | मध्य प्रदेश | इन्दौर |
| 18. | संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |

**वीरता पुरस्कार विजेताओं को मौद्रिक भत्ता**

**594. श्री एल. राजगोपाल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वीरता पुरस्कार विजेताओं को दिया जाने वाला मौद्रिक भत्ता काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसमें संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो संशोधन कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

**रक्षा मंत्री ( श्री ए.के. एंटनी ):** (क) से (घ) वीरता पुरस्कार के साथ जुड़े आर्थिक भत्ते को समय-समय पर संशोधित किया गया है। अगले संशोधन की कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। विभिन्न वीरता पुरस्कारों के मौजूदा आर्थिक भत्तों के ब्यौरे संलग्न विवरण हैं।

***विवरण***

स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद वीरता पुरस्कार विजेताओं को निम्न प्रकार आर्थिक भत्ते दिये गये हैं:

**( 1 ) स्वतंत्रता-पूर्व वीरता पुरस्कार**

| क्र.सं. | पुरस्कार का नाम | मासिक भत्ता (प्रतिमाह रुपए) |
|---|---|---|
| 1. | विक्टोरिया क्रॉस | 80 |
| 2. | जॉर्ज क्रॉस | - |
| 3. | विशिष्ट सेवा आर्डर/इंडियन आर्डर आफ मेरिट/भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल | 350 |
| 4. | विशिष्ट सेवा क्रॉस/मिलिटरी-क्रॉस/विशिष्ट उड़ान क्रॉस (अफसरों के लिए) | 200 |
| 5. | विशिष्ट सेवा मेडल/मिलिटरी मेडल/विशिष्ट उड़ान मेडल (अन्य रैंकों के लिए) | 70/90/50 |

**( 2 ) स्वतंत्रता के बाद वीरता पुरस्कार**

| क्र.सं. | पुरस्कार का नाम | मासिक भत्ता (प्रतिमाह रुपए) |
|---|---|---|
| 1. | परमवीर चक्र | 1500 |
| 2. | अशोक चक्र | 1400 |
| 3. | महावीर चक्र | 1200 |
| 4. | कीर्ति चक्र | 1050 |
| 5. | वीर चक्र | 850 |
| 6. | शौर्य चक्र | 750 |
| 7. | सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल | 250 |

*[हिन्दी]*

**बीएसएनएल प्री-पेड सिम कार्ड**

**595. श्री गिरिधारी यादव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से बिहार में आज की तिथि के अनुसार स्थानवार बीएसएनएल प्री-पेड सिम कार्ड के उपभोक्ता बनने के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) ये सिम कार्ड आवेदनकर्त्ताओं को कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे;

(ग) आवेदनकर्त्ताओं को अब तक सिम कार्ड उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) मांग पर सिम कार्ड प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. शकील अहमद ):** (क) पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में 25.2.2008 की स्थिति के अनुसार, प्री-पेड ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस (जीएसएम) कनेक्शन प्रदान करने के लिए त्रिपुरा गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में 11237 आवेदन लंबित हैं। बीएसएनएल के शेष सभी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में मांग पर प्री-पेड जीएसएम कनेक्शन उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) बीएसएनएल ने, आवेदकों की पहचान के सत्यापन के अध्यधीन, 31.3.2008 तक इन 11237 कनेक्शनों को प्रदान करने के लिए पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी है। सिम कार्डों की कोई कमी नहीं है तथा आवेदकों की पहचान के सत्यापन के पश्चात उत्तरोत्तर रूप से इन्हें प्रदान किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**गैर-सरकारी संगठनों को नाबार्ड की धनराशि**

**596. श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांति**

स्वाल भूमिका): (क) वर्ष 2007-08 के दौरान पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी संगठनों को नाबार्ड द्वारा प्रदत्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

नाबार्ड ने निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान समर्थन की मंजूरी दी है:

(1) बीस (20) ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जिसमें 10,31,040 रुपये की अनुदान सहायता शामिल है।

(2) 43 दक्षता विकास कार्यक्रम जिसमें 23,80,500 रुपये की अनुदान सहायता शामिल है।

(3) 6 कलस्टरों में कलस्टर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 18,02,000 रुपये की अनुदान सहायता।

(4) ग्रामीण मार्ट की स्थापना को सुकर बनाने के लिए चार गैर-सरकारी संगठनों/एजेन्सियों को 3,90,000 रुपये की अनुदान सहायता।

(5) कृषि इतर विकास हेतु ग्रामीण महिलाओं को सहायता के अधीन महिला विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण महिला स्कीमों के कृषि इतर उत्पादों के विपणन हेतु सहायता के लिए 1,32,000 रुपये की अनुदान सहायता।

(6) राज्य/देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और कारीगरों को समर्थ बनाने के लिए 10,57,750 रुपये की अनुदान सहायता।

इसके अलावा 1925 स्वावलम्बी समूहों को बढ़ावा देने और उन्हें ऋण से जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में 28 गैर-सरकारी संगठन पार्टनरों को 36.995 लाख रुपये की अनुदान सहायता अब तक दी गई है।

वर्ष के दौरान त्रिमा महिला समिति को माइक्रो फाइनेंस विकास और इक्विटी कोष से 100 लाख रुपये की पूंजी/इक्विटी सहायता मंजूर की गई।

इसके अलावा निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार जनजातीय विकास कोष के अधीन दो गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है:

(लाख रुपये में)

| गैर-सरकारी संगठन का नाम | जिला | कवर किये गए परिवारों की संख्या | कुल परिव्यय (रुपये) | सरकारी अंशदान (रु.) | 2007-08 के दौरान निर्मुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) ग्रामीण विकास ट्रस्ट | पुरुलिया | 1,000 | 425.35 | 177.73 | 0 |
| (2) नारी विकास संघ | बांकुरा | 1,000 | 431.46 | 80.51 | 0 |

दोनों परियोजनाएं पश्चिम बंगाल सरकार और नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित एवं मानिटर की जाती हैं।

**हथकरघा उद्योग हेतु विशेष पैकेज**

**597. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर उसके निर्यातोन्मुखी उत्पादों के लिए सहायता देने हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार हेतु क्षेत्रवार क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ई.जी.के.एस. इलेंगोवन ):** (क) और (ख) हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्धन के लिए, भारत सरकार ने 11वीं योजना के दौरान देश में कार्यान्वयन के लिए विपणन और निर्यात संवर्धन योजना के नाम से एक योजना की

घोषणा की है। इस योजना में निर्यात-योग्य हथकरघा वस्त्र उत्पादों का विकास और उनके घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था है।

(ग) उपर्युक्त योजना के अलावा, भारत सरकार हथकरघा वस्त्रोद्योग के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है:

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(2) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(4) मिलगेट कीमत योजना।

**कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य**

**598. श्री परसुराम माझी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी नहीं, श्रीमान। सरकार ने 2007-08 मौसम के लिए कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य एफ-414/एच-777/जे-34 (मध्यम रेशे) किस्म के लिए 1800 रुपये तथा एच-4 (लम्बे रेशे) किस्म के लिए 2030 रुपये निर्धारित किये हैं। सरकार के पास इस मौसम के लिए इसमें आगे वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**अधिक दुधारू जानवरों को लाया जाना**

**599. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 2007-08 के दौरान चार राज्यों के अभावग्रस्त जिलों में अधिक दूध देने वाले मवेशियों को लाने तथा संबंधित कार्यकलापों पर व्यय हेतु 253 करोड़ रुपये दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के आत्महत्या प्रवण जिलों में कितनी राशि व्यय की गई?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के 31 आत्महत्या प्रवण जिलों में "विशेष पशुधन तथा मात्स्यिकी पैकेज" क्रियान्वित करने के लिए 170 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। 170 करोड़ रुपए में से, इन राज्यों में अधिक दूध देने वाले पशुओं को शामिल करने तथा सहायक गतिविधियों के लिए 159.50 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2008 तक 41.35 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

**कपास का उत्पादन**

**600. श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में कपास उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान कपास के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) गत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान तमिलनाडु को शामिल करते हुए देश में कपास के उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कपास बीजों की उपलब्धता को बढ़ाने, हाइब्रिडस के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने, क्षेत्र विशेष तकनीक के विकास के लिए दबाव, एकीकृत कीट प्रबंधन को लोकप्रिय बनाने, सिंचाई जल का कुशल प्रयोग बढ़ाने, किसानों को तकनीक

हस्तांतरण के लिए स्थल प्रदर्शन तथा किसानों के प्रशिक्षण पर ध्यान के द्वारा कपास की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए 2000-01 से देश के कपास उत्पादक राज्यों में कपास पर एक तकनीकी मिशन कार्यान्वयन में है।

केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान तथा अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना केन्द्र देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च पैदावार वाली किस्मों/हाइब्रिडस का विकास कर रहे हैं। ये संगठन कपास किसानों के लिए प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हेतु बीज उत्पादक एजेन्सियों द्वारा पुनः वृद्धि करने के लिए किस्मों के नस्ली बीज तथा हाइब्रिडस की पैतृक लाइन्स का भी उत्पादन करते हैं।

*विवरण*

*कपास उत्पादन के अनुमान*

| राज्य | उत्पादन (000 प्रति 170 किग्रा. की गांठें) | | |
|---|---|---|---|
| | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| आंध्र प्रदेश | 2190.0 | 2108.0 | 2181.0 |
| असम | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| छत्तीसगढ़ | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| गुजरात | 4724.8 | 6772.0 | 8787.0 |
| हरियाणा | 2075.0 | 1499.0 | 1814.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.1 | उपेक्षणीय | 0.1 |
| कर्नाटक | 688.0 | 554.0 | 610.0 |
| केरल | 4.4 | 3.5 | 2.0 |
| मध्य प्रदेश | 626.1 | 745.1 | 828.6 |
| महाराष्ट्र | 2939.0 | 3160.0 | 4618.0 |
| मेघालय | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| मिजोरम | 1.3 | 0.2 | 5.2 |
| नागालैण्ड | 0.2 | 1.7 | 0.2 |
| उड़ीसा | 111.2 | 144.8 | 107.9 |
| पंजाब | 2087.0 | 2395.0 | 2678.0 |
| राजस्थान | 764.6 | 880.5 | 746.8 |
| तमिलनाडु | 194.8 | 213.3 | 220.9 |
| त्रिपुरा | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| उत्तर प्रदेश | 5.1 | 5.2 | 7.0 |
| पश्चिम बंगाल | 3.0 | 6.0 | 14.7 |
| पाण्डिचेरी | 2.9 | 0.3 | 0.3 |
| अखिल भारत | 16428.6 | 18499.0 | 22631.8 |

**टेलीफोन कनेक्शन वापस लौटाना**

**601. डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असम के विभिन्न भागों में विशेषत: असम के तेजपुर सेकेन्डरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) के अंतर्गत लखीमपुर और धेमाजी में फिक्स्ड लाइन के साथ-साथ डब्ल्यूएलएल के माध्यम से ब्राडबैंड इंटरनेट सेवाओं को शीघ्र शुरू किये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) असम दूरसंचार सर्किल में गत दो वर्षों में आज की तारीख के अनुसार एसएसए-वार भारत संचार निगम लिमिटेड के कितने उपभोक्ताओं ने मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शन के लिए अपने कनेक्शन वापस लौटाये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल और डब्ल्यूएलएल के लिए बीएसएनएल की सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इसे निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के समान प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) लखीमपुर में फिक्स्ड लाइन के माध्यम से ब्राडबैंड सेवाओं की सुविधा पहले ही उपलब्ध है। धेमाज में वर्ष 2007-08 के दौरान ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने की योजना है तथा 31.3.2008 तक इस सुविधा के उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है। लखीमपुर और धेमाजी में फिक्स्ड लाइन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं पहले ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा लखीमपुर और धेमाजी में डब्ल्यूएलएल के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं (144 केबीपीएस तक) भी उपलब्ध हैं। 2 एमबीपीएस तक बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान, दोनों स्थानों पर डब्ल्यूएलएल एनहैंस वेरिएबल डाटा ऑप्टीमाइज (ईवीडीओ) बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) लगाए जाने की भी योजना है।

असम सर्किल में ब्रॉडबैंड सेवाओं की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान 31.1.2008 तक असम दूरसंचार सर्किल में बीएसएनएल मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शनों को वापस करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या का एसएसए-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल और डब्ल्यूएलएल सेवाओं को अद्यतन करने के संबंध में बीएसएनएल द्वारा अपनाए गये उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) **मोबाइल सेवा:** भारत संचार निगम लिमिटेड ने बीएसएनएल मोबाइल सेवा को उन्नत बनाने के लिए नई मोबाइल विस्तार परियोजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की 11.6 लाख लाइनों की वृद्धि की योजना बनाई है।

(2) **डब्ल्यूएलएल सेवाएं:** पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में डब्ल्यूएलएल सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए बीएसएनएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

* बीएसएनएल ने डब्ल्यूएलएल सेवाओं का कवरेज बढ़ाने के लिए प्रति अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) पर 3 बीटीएस तक लगाने की योजना बनाई है, जिससे लगभग संपूर्ण देश इस सुविधा से कवर हो जाएगा तथा सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा;
* फिक्स्ड वायर टेलीफोन (एफडब्ल्यूटी) के बैटरी चार्जर में 90 वोल्ट-300 वोल्ट के रेंज में कार्य करने के लिए सुधार किया गया है।
* अधिक टॉक टाइम और स्टेंडबाई टाइम प्रदान करने के लिए एफडब्ल्यूटी सहित उच्च क्षमता बाह्य रख-रखाव मुक्त बैटरी उपलब्ध कराना।

***विवरण I***

*असम दूरसंचार सर्किल की ब्राडबैंड स्थिति*

| क्र.सं. | एसएसए | शहर का नाम | संस्थापित क्षमता | डब्ल्यूकेबी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बोंगाईगांव | बोंगाईगांव | 480 | 182 |
| 2. | | ढालियागांव | 480 | 142 |
| 3. | | बारपेटा रोड | 480 | 66 |
| 4. | | सालाकाटी | 64 | |
| 5. | | गोलपाड़ा | 480 | |
| 6. | | कोकराझार | 480 | |
| 7. | डिब्रुगढ़ | डिब्रुगढ़ | 1620 | 658 |
| 8. | | तिनसुकिया | 1764 | 677 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | | डिगबोई | 984 | 249 |
| 10. | | दुलियाजान | 720 | 157 |
| 11. | | दुमदुमा | 216 | 26 |
| 12. | | मारघेरीटा | 216 | 32 |
| 13. | | मोरान | 216 | 9 |
| 14. | | दिजान | 120 | |
| 15. | | लाहौल | 64 | |
| 16. | | नाहरकटिया | 108 | 7 |
| 17. | जोरहाट | जोरहाट | 1572 | 788 |
| 18. | | तुमालीगढ़ | 648 | 130 |
| 19. | | सिबसागर | 480 | 61 |
| 20. | | नजीरा | 480 | 6 |
| 21. | नौगांव | नौगांव | 816 | 418 |
| 22. | | मोरीगांव | 480 | 9 |
| 23. | | डिफू | 480 | 0 |
| 24. | सिलचर | सिलचर | 1440 | 453 |
| 25. | तेजपुर | ढेकियाजूली | 120 | 8 |
| 26. | | लखीमपुर | 480 | 1 |
| 27. | | मंगलदोई | 480 | 5 |
| 28. | | कारूपेटिया | 120 | |
| 29. | | बी. चरली | 120 | |
| 30. | | उदलगुड़ी | 120 | |
| 31. | | तेजपुर | 1200 | |
| 32. | कामरूप | गुवाहाटी | 11892 | |
| 33. | | रंगिया | 480 | |
| 34. | | दमदमा | 120 | |
| 35. | | विजयनगर | 240 | |

## *विवरण II*

*टेलीफोन कनेक्शनों को वापस करना*

| एसएसए | मोबाइल | | | लैंडलाइन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 (31.01.08 तक) | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 (31.01.08 तक) |
| जेआरटी | 1 | 1648 | 16078 | 1965 | 3162 | 4768 |
| एससी | 530 | 1181 | 16612 | 5230 | 4777 | 8499 |
| एनजीजी | 105 | 235 | 26708 | 1878 | 4289 | 13277 |
| डीआर | 11 | 4558 | 11285 | 2905 | 14119 | 9513 |
| टीजेड | 16 | 141 | 22554 | 1334 | 5635 | 17936 |
| केएमपी | 0 | 859 | 11465 | 18513 | 8274 | 24478 |
| बीजीएन | 1288 | 4742 | 18415 | 3121 | 2426 | 4135 |
| जोड़ | 1951 | 13364 | 123117 | 34946 | 42682 | 82606 |

**कमोडिटी में ऑनलाइन व्यापार**

602. **श्री पी. मोहन:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में ऑनलाइन व्यापार की अनुमति वाली वस्तुओं के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं को ऑनलाइन व्यापार से बाहर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऑनलाइन व्यापार के कारण खाद्य तेल सहित कुछ वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) सरकार द्वारा 105 वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार की अनुमति दी गई है। मदों का ब्यौरा विवरण पर है। तीन नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज अर्थात (1) नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज, मुंबई (2) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मुंबई, और (3) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, अहमदाबाद ने वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार के लिए ऑन लाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है।

(ख) से (घ) विवरण में सूचीबद्ध कुछ वस्तुएं कृषिजन्य वस्तुएं हैं। उनमें से जिन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है उनको खाद्यान्न के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस समय गेहूं, चावल, तूर और उड़द में भावी सौदा व्यापार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों में वस्तुओं में ऑनलाइन भावी सौदा व्यापार केवल एक व्यापार प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। कोई व्यापार प्लेटफार्म वस्तुओं के मूल्यों में किसी वृद्धि अथवा गिरावट के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। वस्तुओं के मूल्य मुख्य रूप से वास्तविक बाजार में मांग और आपूर्ति कारकों से प्रभावित होते हैं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

*अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत अधिसूचित वस्तुओं की सूची*

| क्र.सं. | वस्तु |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | **फाइबर्स और विनिर्माण** |
| 1. | रेशमी धागा |
| 2. | सूती वस्त्र |
| 3. | कॉटन पोड्स |
| 4. | सूती धागा |
| 5. | भारतीय सूत (पूरा प्रैस्ड, हाल्फ प्रैस्ड या खुला) |
| 6. | किसी मिल और/या किसी अन्य प्राकृतिक जूट के विनिर्मित जूट वस्तु (हेसियन और टाट तथा कपड़े और/या बैग, ट्विन्स और/या यार्न) |
| 7. | कपास |
| 8. | कच्चा जूट (मेस्टा सहित) |
| 9. | स्टेपल फाइबर धागा |
| | **खाद्यान्न और दालें** |
| 10. | अरहर चुनी |
| 11. | बाजरा |
| 12. | जौ |
| 13. | चना |
| 14. | चना दाल |
| 15. | ग्वार |
| 16. | ज्वार |
| 17. | कुल्थी |
| 18. | लाख (केसरी) |
| 19. | मक्का |
| 20. | मसूर |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 21. | मोठ |
| 22. | मूंग |
| 23. | मूंग चुनी |
| 24. | मूंग दाल |
| 25. | मटर |
| 26. | रागी |
| 27. | चावल या धान |
| 28. | छोटा मिलेट (कोदन कुल्ती, कोदरा, कोरा, वरगु, सवन, राला, काकुन, समयी, वारी और बन्टी) |
| 29. | तूर दाल (अरहर दाल) |
| 30. | तूर (अरहर) |
| 31. | उड़द (मैस) |
| 32. | उड़द दाल |
| 33. | गेहूं |
| | **धातुएं** |
| 34. | तांबा, जिंक, लैड या टिन |
| 35. | स्वर्ण |
| 36. | चांदी |
| 37. | चांदी के सिक्के |
| | **तिलहन और तेल** |
| 38. | सेलेरीसीड |
| 39. | खोपरा तेल/नारियल का तेल |
| 40. | खोपरे के तेल की खली/नारियल के तेल की खली |
| 41. | खोपरा/नारियल |
| 42. | बिनौला |
| 43. | बिनोले का तेल |
| 44. | बिनौले की खली |
| 45. | सीपीओ रिफाइन्ड |
| 46. | कच्चा पाम |
| 47. | कच्चा पाम आलिव |
| 48. | मूंगफली |
| 49. | मूंगफली का तेल |
| 50. | मूंगफली के तेल की खली |
| 51. | अलसी |
| 52. | अलसी का तेल |
| 53. | अलसी के तेल की खली |
| 54. | रेपसीड तेल/सरसों का तेल |
| 55. | रेपसीड की खली/सरसों की खली |
| 56. | रेपसीड/सरसों |
| 57. | आरबीडी पामोलीन |
| 58. | चावल की भूसी |
| 59. | चावल की भूसी का तेल |
| 60. | चावल की भूसी की खली |
| 61. | कुसुम |
| 62. | कुसुम का तेल |
| 63. | कुसुम की खली |
| 64. | तिल या जिलजिली |
| 65. | तिल का तेल |
| 66. | तिल की खली |
| 67. | सोया मील |
| 68. | सोया तेल |
| 69. | सोयाबीन |
| 70. | सूरजमुखी का तेल |
| 71. | सूरजमुखी की खली |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 72. | सूरजमुखी का बीज |
| | **मसाले** |
| 73. | एनीसीड |
| 74. | सुपारी |
| 75. | ईलाइची |
| 76. | मिर्च |
| 77. | दालचीनी |
| 78. | लौंग |
| 79. | धनिया |
| 80. | अदरक |
| 81. | मेथी |
| 82. | जायफल |
| 83. | काली मिर्च |
| 84. | हल्दी |
| | **अन्य** |
| 85. | कपूर |
| 86. | अरण्ड बीज |
| 87. | चारा या बरसीम (चारा बीज या बरसीम बीज सहित) |
| 88. | कच्चा तेल |
| 89. | चना छिलका |
| 90. | गुड़ |
| 91. | खाण्डसारी चीनी |
| 92. | पोलीमर |
| 93. | आलू |
| 94. | रबड़ |
| 95. | सीडलेक |
| 96. | शैलेक |
| 97. | चीनी |
| 98. | फरनेस तेल |
| 99. | ऍथनाल |
| 100. | कोकिंग कोल |
| 101. | बिजली |
| 102. | प्राकृतिक गैस |
| 103. | प्याज |
| 104. | थर्मल कोल |
| 105. | कार्बन क्रेडिट |

**दुग्ध उत्पादों का निर्यात**

603. **श्री दुष्यंत सिंह:**
**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में किन देशों को दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गई वस्तुओं की मात्रा और मूल्य कितना है;

(ग) क्या इन वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोत्तरी की अपार संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिन देशों को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

अफगानिस्तान, अंगोला, अल्जीरिया, बहरीन, बंग्लादेश, ब्रूनी, चीन, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, ईजरायल, इटली, जापान, केन्या, कुवैत, लेबनान, लीबिया, लाओस, मारीशस,

मादागास्कर, मारीटेनिया, मोरक्को, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, कतर, रवांडा, श्रीलंका, सूडान, सिंगापुर, सऊदी अरब, सल्तनत आफ ओमान, सीरिया, स्विटजरलैंड, थाईलैंड, टर्की, तुर्किमिनिस्तान, ताइवान, यूएसए, यूएई, यूनाइटिड किंगडम, वेस्ट इंडीज, यमन और झंझीबार।

(ख)

| वर्ष | मात्रा (मी. टन) | मूल्य (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 2004-05 | 42160.06 | 358.69 |
| 2005-06 | 59745.73 | 552.28 |
| 2006-07 | 37391.11 | 395.15 |

(ग) जी, हां।

(घ) निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.) निरीक्षण तथा दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी ई.आई.सी. प्रणाली की पहचान के लिए यूरोपियन आयोग के साथ बातचीत कर रही है। इसके अलावा, चीन, इजरायल, मारीशस, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ समझौते करने का प्रस्ताव है। दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए भारत ने सिंगापुर एवं नेपाल के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिये हैं। इन समझौतों से इन देशों को दुग्ध उत्पादों के निर्यात को सरल बनाने तथा इसमें वृद्धि करने की आशा है।

*[हिन्दी]*

**नासिक में कामगारों का मारा जाना**

604. **श्री देविदास पिंगले:**
**श्री मणी कुमार सुब्बा:**

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नासिक के निकट पास्ता गांव स्थित फैक्ट्री में हुए एक विस्पोट में कुछ कामगारों की मृत्यु के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या उस फैक्ट्री को विस्फोटक सामग्री के उत्पादन अथवा भंडारण हेतु कोई आदेश दिया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स प्रीमियर एक्सप्लो केमि. लि. पास्ता गांव, तालुका सिन्नार, जिला नासिक महाराष्ट्र में 5 मई, 2007 को हुए विस्फोट में 21 कामगारों की मृत्यु हुई थी।

(ग) जी, हां। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 90 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से एक जांच करायी गयी है।

(घ) ब्यौरे विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ङ) से (च) विस्फोटक नियंत्रण ने, जो कि विस्फोटक सामग्री के विनिर्माण और भंडारण को विनियमित करते हैं, मैसर्स प्रीमियर एक्सप्लो केमि. लि. को विस्फोटक सामग्री के उत्पादन और भंडारण की अनुमति प्रदान की थी। तथापि, परिसर कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं था और परिसर के मालिक को विनिर्माण प्रक्रिया चलाने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया गया था।

(छ) कारखाना अधिनियम, 1948 में समाविष्ट उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार सक्षम सरकार है। तद्नुसार, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश, नासिक की अदालत में कारखाने के मालिक/प्रबंधक के खिलाफ 10.7.2007 को मुकदमा दायर किया है।

***विवरण***

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मैसर्स प्रीमियर एक्सप्लो केमि. लि., इमलसन विस्फोटकों का विनिर्माण करती है। प्रयोग की जा रही कच्ची सामग्री में पैराफीन वेक्स/एलएसएचएस सोरबिटेन मोनो ओलिएट (एसएमओ), डीजी-6, सोडियम नाइट्रेट, सल्फर, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट शामिल थे। विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान, आक्सीडायजर ब्लेंड (ओबी) जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट

शामिल हैं को 85 डिग्री सेल्सियस पर और फ्यूल ब्लेंड (एफबी) जिसमें पैराफिन वेक्स 85 डिग्री सेल्सियस और एसएमओ (इमल्सीफायर) शामिल हैं को 80 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाता है तथा इसे पूर्व बने मिश्रण में 94:6 के अनुपात में पम्प कर दिया जाता है। इस प्रकार बनाए हुए इमलसन को होल्डिंग टैंकों में डाल दिया जाता है जो कि पूर्ण बने मिश्रण से 13-15 फुट की ऊंचाई पर रखे जाते हैं इमलसन मिश्रण को होल्डिंग टैंक में ग्रेवटी (गुरुत्व) द्वारा ब्लेंडर में गिराया जाता है। प्रिलिड एमोनियम नाइट्रेट और सल्फर/एटोमाइज्ड एल्यूमिनियम पाउडर को भी हाथ से ब्लेंडर में मिलाया जाता है। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद मिश्रण को हूपर में डाला जाता है। हूपर से इम्लसन मेट्रिक्स को दो अलग रोटो पम्पों में बांटा जाता है। हूपर से प्रत्येक रोटो पम्प इमलसन को स्टाटिक मिश्रण के माध्यम से कार्टिजिंग मशीन में धकेलता है। गैसिंग एजेंट (सोडियम नाइट्रेट घोल) को भी आन लाइन इम्लसन में इन्जैक्ट किया जाता है जो कि इमलसन मैट्रिक्स को सुग्राही बनाता है। छोटी डाई कार्टिजेस को कार्टिजेस मशीन (केपी मशीन) में बनाया जाता है और ठंडा होने के लिए और पैकेजिंग के लिए ड्राई कनवेयर में स्थानांतरित किया जाता है। कनवेयर बेल्ट की स्पीड को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि कनवेयर बेल्ट कार्ट्रिजेस रेशीडेन्स समय 3-4 मिनट के लिए सीमित हो जाता है और अंतिम उत्पाद घनत्व 1.15-1.2 ग्राम/सी.सी. प्राप्त होता है। तब कार्ट्रिजेस को फिर ठंडे पानी में ठंडा किया जाता है और सूखा पर पैक किया जाता है।

विस्फोट के दिन एफबी टैंक की सामग्री का तापमान आवश्यकता से कम था। इस कारण से प्रक्रियाधीन सामग्री का तापमान कम हो गया जिससे वह सामान्य से अधिक गाढ़ा हो गया। ब्लेंडर सामग्री में तापमान की गिरावट अधिक थी जिसमें रूम तापमातन पर प्रिल्लड एमोनियम नाइट्रेट डाला गया। तापमान में कमी आने के कारण और प्रक्रिया सामग्री के गाढ़ा होने के कारण संभवत: रोटो पम्पों से डिस्चार्ड फ्लो बंद हो गया और पम्प चलते रहे जिनमें उच्च तापमान और दबाव से प्रक्रिया सामग्री रोटो पम्पों में फंस गई। असामान्य स्थिति के कारण संभवत: एक या दो पम्पों में विस्फोट हो गया जिससे शोकवेव उत्पन्न हो गई, जिससे तत्काल विनिर्माण शैड की पूर्ण सामग्री में विस्फोट हो गया। उपरोक्त दुर्घटना में 3 वयस्कों सहित 21 व्यक्तियों/कामगारों की मृत्यु हो गई है।

*[अनुवाद]*

## छोटे आईटी पार्क की स्थापना

**605. श्री पी.सी. थामस:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में छोटे आईटी पार्कों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) जी, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

किंतु, केरल सरकार के अनुसार केरल के निम्नलिखित 12 जिलों में जिला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव नवम्बर, 2007 के दौरान योजना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:

1. कोल्लम
2. अल्पुझा
3. पतनमथिट्टा
4. कोट्टायम
5. इडुक्की
6. त्रिशूर
7. पलक्कड़
8. कोजीकोड
9. वायनाड
10. मालापुरम
11. कन्नूर
12. कसरगोड

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के अनुसार केरल सरकार ने एसटीपीआई से कालीकट एवं पलक्कड जिले में संचार गेटवे एवं निर्माण की सुविधा स्थापित करने का अनुरोध किया है।

## फलों और सब्जियों का वायदा कारोबार

**606. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कमोडिटी एक्सचेंज में फलों और सब्जियों के वायदा कारोबार को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके क्रियान्वयन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**केले की फसल में रोग**

**607. श्री हरिभाऊ जावले:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषत: महाराष्ट्र में केले की फसल में सिगटोका रोग के कारण हुए नुकसान के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो केला उत्पादक किसानों को हुए अनुमानित नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को उनकी फसलों में उक्त रोग से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) बागवानी निदेशक महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से रोग प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने तथा हुई क्षति का जायजा लेने के लिए पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद; केन्द्रीय समेकित पादप प्रबंधन केन्द्र, नागपुर, जो पादप संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय का एक उप कार्यालय है, के अधिकारियों, बागवानीविद, केला अनुसंधान केन्द्र, आईसीएआर, जलगांव और राज्य कृषि विभाग, महाराष्ट्र के अधिकारी से एक टीम का गठन किया गया है।

(ख) इस दल ने यह सूचित किया है कि पुराने बागान रोग से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। नए बागान में क्षति 10 से 15 प्रतिशत। महालक्ष्मी किस्म अधिक संवेद्य प्रतीत होती है, जहां अधिक क्षति देखी गयी है।

(ग) और (घ) राज्य पादप संरक्षण स्कीम के अधीन किसानों को प्रखंड स्तर पर 50 प्रतिशत राजसहायता संस्तुत कवकनाशियों की आपूर्ति के लिए ए.डी.ओ. जिला परिषद, जलगांव को 21 लाख रुपये का अनुदान निर्मुक्त किया गया। भारत सरकार तथा साथ ही राज्य रोग पर सूचना के व्यापक प्रसार, इसके प्रबंधन और सुधारात्मक कार्यवाही सहित केला फसल की रक्षा के लिए उचित उपाय कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**बीएसएनएल द्वारा स्थानीय भाषा में सूचना उपलब्ध कराना**

**608. श्रीमती मनोरमा मादवराज:**
**श्री एम. शिवन्ना:**

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) बैंगलोर द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और अन्त में कन्नड़ में सूचना दी जाती है जिससे स्थानीय भाषा को अंतिम स्थान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल के इस कार्य का कर्नाटक में विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**एंथ्रेक्स बीमारी का फैलना**

609. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भेड़ तथा मवेशियों में एंथ्रेक्स बीमारी पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पड़ोसी स्थानों में एंथ्रेक्स बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) देश में गोपशु, भैंस, भेड़ और बकरियों में एंथ्रेक्स छुट-पुट रूप से होता रहता है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह बताया गया है कि जनवरी, 2008 के दौरान, जंदलापेटा गांव और चित्तूर जिले के चित्तूर नगर पालिका में एंथ्रेक्स के कारण 5 भेड़ और 4 गोपशुओं की मृत्यु हुई है।

(ग) एंथ्रेक्स को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* पशु शव को वैज्ञानिक रूप से निपटाकर दफनाया जाना।
* जहां पर प्रकोप की पुष्टि हो गई हो वहां गोपशु शेडों और परिसरों को संक्रमण मुक्त करना।
* एंथ्रेक्स रोग के प्रकोप के स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि में सभी संवेदनशील पशुओं को लाइव स्पोर एंथ्रेक्स टीके से टीकाकरण किया जाना। तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक नौ महीनों में इसी टीके को दोहराया जाना।
* पशुओं में एंथ्रेक्स रोग और इसके लक्षण, बचाव, पशु शव का निपटारा और परिसरों को संक्रमणमुक्त करने पर आडियो-विजुअल के साथ गांव-वार जागरूकता कैम्प आयोजित किये गये थे।
* चूंकि यह रोग जूनोटिक महत्व का है, पैम्फलेट, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिये मानवों में भी एंथ्रेक्स रोग से संबंधित लक्षण, बचाव और उपचार के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**कम्प्यूटरों पर लिखित सामग्री की स्कैनिंग और अपलोडिंग**

610. **श्री रामदास आठवले:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों, आई.आई.टीज, अनुसंधान केन्द्रों, अभिलेखागारों के पुस्तकालयों तथा अन्य केन्द्र की पुस्तकों और अन्य मूल्यवान लिखित सामग्रियों को स्कैन तथा अपलोड करने हेतु एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार इस योजना की स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) से (घ) सरकार सुरक्षित आंकड़े के प्रावधान और ज्ञान संस्थानों के मध्य संसाधनों की भागीदारी के प्रावधान की आवश्यकता को स्वीकार करती है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकालयों पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के पास उपलब्ध पुरानी एवं दुर्लभ पुस्तकों का अंकीयकरण इस मिशन द्वारा शुरू किया जाने वाला एक कार्यकलाप है। योजना आयोग ने पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। आवश्यक अनुमोदन मिल जाने पर इस मिशन की जल्दी ही स्थापना की जाएगी।

**नदियों को परस्पर जोड़ा जाना**

611. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:**
**श्री रशीद मसूद:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री धावरचन्द गेहलोत:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार 'नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट' की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के विभिन्न चरणों की स्थानवार, चरणवार और लागतवार प्रगति कितनी है;

(ग) इस परियोजना में शामिल नदियों का चरणवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) एवं केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने अधिशेष जल वाली बेसिनों से जल की कमी वाली बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अन्तर-बेसिन अंतरण जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं, की परिकल्पन करते हुए वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास संबधी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए विभिन्न तकनीकी अध्ययनों को पूरा करने और इसको मूर्तरूप देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के तहत वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन किया गया था। आयोजित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) को अभिज्ञात किया है। इनमें से, प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के तहत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्टें पहले ही पूरी कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने प्रायद्वीपीय घटक के तहत संपर्कों में से एक संपर्क अर्थात केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सौंपा है।

(ख) और (ग) संबंधित नदियों एवं राज्यों को दर्शाते हुए प्रायद्वीपीय घटक एवं हिमालयी घटक के तहत विभिन्न संपर्कों के कार्य की प्रगति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2002-03 के मूल्य स्तर पर नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम की अनुमानित लागत लगभग 5,60,000 करोड़ रुपये है। इस समय, कोई अंतरसंपर्क परियोजना क्रियान्वयनाधीन नहीं है।

एफआर स्तर तक अन्तर बेसिन जल अंतरण संपर्क संबंधी प्रस्तावों की पुष्टि करने के लिए विभिन्न अध्ययनों तथा केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु 31 जनवरी, 2008 तक कुल 218.73 करोड़ व्यय किया गया है।

(घ) अंतर बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों का क्रियान्वयन संबंधित राज्यों की आम सहमति और सहयोग तथा पड़ोसी देशों के समझौतों पर निर्भर करता है।

***विवरण I***

*प्रायद्वीपीय घटक के तहत संपर्क तथा उनके वर्तमान स्थिति का विवरण*

| क्र.सं. | नाम | संबंधित राज्य | लाभान्वित राज्य | कार्यों की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | महानदी (मणिभद्र)-गोदावरी (दौलेश्वरम) संपर्क | उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ | आंध्र प्रदेश, उड़ीसा | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है। |
| 2. | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क | उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ | आंध्र प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 3. | गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) संपर्क | उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ | आंध्र प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 4. | गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलीचिंतला) संपर्क | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ | आंध्र प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमसिला) संपर्क | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक | आंध्र प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 6. | कृष्णा (श्रीसैलम): पेन्नार संपर्क | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक | - | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 7. | कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार संपर्क | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 8. | पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रांड अनिकट) संपर्क | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पाण्डिचेरी | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पाण्डिचेरी | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 9. | कावेरी (कट्टालाई)-वैगेई गुंडर संपर्क | कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पाण्डिचेरी | तमिलनाडु | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 10. | पारबती-कालीसिंध-चम्बल संपर्क | मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश (आम सहमति बनाने के दौरान उत्तर प्रदेश से परामर्श करने का अनुरोध किया गया है) | मध्य प्रदेश एवं राजस्थान | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 11. | दमनगंगा-पिंजाल संपर्क | महाराष्ट्र एवं गुजरात | महाराष्ट्र (मुंबई को केवल जल आपूर्ति) | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 12. | पार-तापी नर्मदा संपर्क | महाराष्ट्र एवं गुजरात | गुजरात | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 13. | केन-बेतवा संपर्क | उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश | उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई और विस्तृत रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 14. | पंबा-अचनकोविल-वैप्पार संपर्क | केरल और तमिलनाडु | तमिलनाडु | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 15. | बेदती-वर्दा संपर्क | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक | कर्नाटक | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |
| 16. | नेत्रवती-हेमावती संपर्क | कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल | कर्नाटक | पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। |

डीपीआर—विस्तृत परियोजना रिपोर्ट; एफआर—व्यवहार्यता रिपोर्ट; पीएफआर—पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट

*विवरण II*

*हिमालयी घटक के तहत संपर्क की तथा उनके वर्तमान स्थिति का विवरण*

| क्र.सं. | संपर्क का नाम | संबंधित राज्य | लाभान्वित राज्य | कार्यों की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कोसी-मेची संपर्क | बिहार एवं पश्चिम बंगाल | बिहार | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 2. | कोसी-घाघरा संपर्क | बिहार एवं उत्तर प्रदेश | बिहार एवं उत्तर प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 3. | गंडक-गंगा सम्पर्क | -वही- | उत्तर प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 4. | घाघरा-यमुना संपर्क | -वही- | उत्तर प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई (भारतीय हिस्सा) |
| 5. | सारदा-यमुना संपर्क | बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तरांचल | उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई (भारतीय हिस्सा) |
| 6. | यमुना-राजस्थान सम्पर्क | उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एवं राजस्थान | हरियाणा एवं राजस्थान | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 7. | राजस्थान-साबरमती संपर्क | -वही- | राजस्थान एवं गुजरात | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 8. | चुनार-सोन बैराज संपर्क | बिहार एवं उत्तर प्रदेश | बिहार एवं उत्तर प्रदेश | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है। |
| 9. | सोन बांध-गंगा संपर्क की दक्षिणी सहायक वितरिकाएं | बिहार एवं झारखंड | बिहार एवं झारखंड | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 10. | मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) | असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार | असम, पश्चिम बंगाल बंगाल एवं बिहार | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 11. | जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का संपर्क (एम-एस-टी-जी का विकल्प) | -वही- | असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 12. | फरक्का-सुन्दरबन संपर्क | पश्चिम बंगाल | पश्चिम बंगाल | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 13. | गंगा-फरक्का-दामोदर-सुवर्ण रेखा संपर्क | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |
| 14. | स्वर्ण रेखा-महानदी संपर्क | पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा | पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा | व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रारंभ कर दी गई है |

डीपीआर—विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, एफआर—व्यवहार्यता रिपोर्ट, पीएफआर—पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट

[अनुवाद]

**पटसन के थैलों में अनिवार्य पैकेजिंग**

612. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
**श्री हरिन पाठक:**
**श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
**श्री महेश कनोडीया:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों और चीनी की पैकेजिंग शत-प्रतिशत पटसन के थैलों में किए जाने हेतु आरक्षण जारी रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे आरक्षण से प्लास्टिक के थैलों को बनाने वाले उद्योग दुष्प्रभावित होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रावधान को शिथिल/निरस्त करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या स्थायी सलाहकार समिति ने पटसन वर्ष 2006-07 के लिए जूट पैकेज सामग्री/(वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत खाद्यान्नों हेतु 75% तथा चीनी के लिए 20% आरक्षण की सिफारिश की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) जी, हां।

(ख) पटसन बोरों में अनिवार्य पैकेजिंग केवल दो वस्तुओं खाद्यान्न और चीनी के लिए और वह भी 25.00 किग्रा. से 100 किग्रा. के बीच के वजन के बोरों में पैकेजिंग के वास्ते प्रदान किया गया है। खाद्यान्न और चीनी के अलावा 25 किग्रा से कम अथवा 100.00 किग्रा. से अधिक वजन के बोरों में अन्य सभी वस्तुओं को किसी अन्य प्रकार के बोरों में पैक किया जा सकता है। खाद्यान्न और चीनी की पटसन पैकेजिंग के लिए आरक्षण से केवल प्लास्टिक के बोरे बनाने वाले उद्योग आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्थायी सलाहकार समिति ने पटसन वर्ष 2006-07 के लिए खाद्यान्न के लिए 75% और चीनी के लिए 70% (20% नहीं) आरक्षण की सिफारिश की है।

(ङ) स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने कुछ छूट के साथ खाद्यान्न और चीनी की 100% पैकेजिंग पटसन के बोरों में करने का निर्णय लिया और तदनुसार आदेश जारी किया।

**जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोत्तरी**

613. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) जी, नहीं। सरकार के पास वर्तमान में भारतीय पटसन निगम में सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोत्तरी के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**ईपीएफओ में अपर्याप्त श्रमबल**

614. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
**श्री गुरुदास दासगुप्त:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अपर्याप्त श्रमबल के कारण उपभोक्ता शिकायतों, विशेषत: वसूली और पेंशन निधि के बारे में कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनसीपी) ने क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और लेखा कार्यालय स्तर पर 31,000 से अधिक व्यक्ति बढ़ाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) से (ग) फिलहाल, कर्मचारी भविष्य निधि

संगठन के पास ग्राहकों की शिकायतों, खासकर वसूली और पेंशन निधि संबंधी शिकायतों के निपटान हेतु पूर्णकालीन सूचना प्रसुविधा केन्द्र, जनसम्पर्क अधिकारी और सहयोगी कर्मचारी हैं। सभी क्षेत्र कार्यालयों को निदेश दिये गये हैं कि वे अंशदाताओं की शिकायतों के मौके पर ही निपटान हेतु प्रतिमाह भविष्य निधि अदालतें लगाएं।

कार्यभार मानकों के विकास का अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परामर्शदाता के तौर पर सेवाएं ली गई थीं। परिषद ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1999 में सौंपी। तथापि, इसके द्वारा विकसित मानकों का कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति ने अनुमोदन नहीं किया। एक अन्य अध्ययन जेवियर श्रम अनुसंधान संस्थान, जमशेदपुर द्वारा किया गया जिसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पुनर्गठन संबंधी रिपोर्ट सौंपी है।

(घ) उक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

**नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कृषि**

**615. श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में दलहन, तिलहन, औषधीय पादप और सब्जियों इत्यादि जैसी फसलें भी उगायी जा सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) कृषि और सहकारिता विभाग माओवादी प्रभावी क्षेत्रों सहित पूरे देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है तथापि, इन क्षेत्रों हेतु कोई विशिष्ट प्रयास नहीं देखे गये हैं।

(ख) से (घ) माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कृषि और सहकारिता विभाग की सामान्य स्कीमों के अधीन किये गये प्रयासों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

*विवरण*

**वृहत कृषि प्रबंधन स्कीम:** इस स्कीम को इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि केन्द्रीय सहायता को विभिन्न राज्यों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए संकेन्द्रित और विशेष हस्तक्षेपों पर खर्च की जाए। इसने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 2000-01 में कार्य करना शुरू किया। इस स्कीम में राज्यों को उपायों के समुचित मिश्रण जिनका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य की वृद्धि, गुणवत्ताप्रद बीजों और अन्य आदानों की आपूर्ति तथा कृषि यंत्रीकरण के संवर्धन के माध्यम से मुख्य रूप से चावल, गेहूं, गन्ना और मोटे अनाजों के विकास से जुड़ी उनकी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त लचीलापन मुहैया कराया गया है। इस स्कीम में पनधारा विकास प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।

**कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी-मिनी मिशन-2):** इस मिशन ने वर्ष 2000-01 से कार्य करना शुरू किया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कपास के उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करना; देश में खेती की लागत को कम करना; और किसानों की आय बढ़ाना। इसे 13 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन में सर्वांगीण दृष्टिकोण जिसमें किस्मीय सुधार; वर्धित उत्पादन/उत्पादकता; विपणन अवसंरचना; और प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं, की परिकल्पना की गई है।

**समेकित तिलहन, दलहन, आयल पॉम एवं मक्का स्कीम (आइसोपॉम):** राज्यों को फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों के लिए संकेन्द्रित दृष्टिकोण मुहैया कराने हेतु क्षेत्रीय विशिष्टीकृत दृष्टिकोण पर आधारित कार्यान्वयन में लचीलापन मुहैया कराने की दृष्टि से तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी); राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी); आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी) तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) की पहली चार स्कीमों को मिलाकर एक समेकित तिलहन, दलहन, आयल पॉम एवं मक्का (आइसोपॉम) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1.4.2004 से कार्यान्वित की जा रही है।

नक्सल प्रभावित राज्यों के निम्नलिखित जिलों को एनएफएसएम के तहत कवर किया गया है। एनएफएसएम-चावल (खम्मम, गया, राजनंदगांव, सरगुजा, गुमला, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, गुडचिरोली, देवगढ़, मल्कानगिरि, सोनभद्र); एनएफएसएम-गेहूं (जमूई, रोहतास, बालाघाट, सोनभद्र); एनएफएसएम-दलहन (खम्मम, औरंगाबाद, राजनंदगांव, सरगुजा)।

**राज्य योजना के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** विभाग ने 25,000 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु नई स्कीम 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' शुरू की है। इस स्कीम में कृषि और समवर्ती क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता और कृषक आय में भारी वृद्धि एवं उपज अंतरों में कमी परिकल्पित है। यह स्कीम सीसीईए द्वारा 16 अगस्त, 2007 को अनुमोदित की गई। स्कीम के प्रचालन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं। नई स्कीम कृषि और समवर्ती क्षेत्र की स्कीमों के नियोजन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन एवं स्वायत्तता प्रदान कर रही है।

*[हिन्दी]*

**खाद्यान्नों का वितरण**

**616. श्री रशीद मसूद:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में आज की तारीख के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राज्यों को जारी खाद्यान्नों की कुल मात्रा राज्यवार कितनी है;

(ख) पीडीएस के अंतर्गत पूर्वोक्त में से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में राज्यवार शेष बचे खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसका राज्यवार किस प्रकार उपयोग किया गया अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या देश में पीडीएस के उचित क्रियान्वयन हेतु कोई नीति तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और उनके द्वारा उठाई गई खाद्यान्नों की कुल मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II, III और IV में दिए गए हैं।

(घ) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीददारी, भंडारण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण केन्द्रों तथा इनका आवंटन करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, अपात्र परिवारों के नाम काटने तथा पात्र परिवारों के नाम शामिल करने के प्रयोजनार्थ गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों की समीक्षा करने और उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिये खाद्यान्नों का वितरण करने की होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे आबंटन के माह से 60 दिन की अवधि के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किये गये खाद्यान्नों के आबंटनों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र भेजें। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्न लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे, अन्य उपायों के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक 9-सूत्री कार्ययोजना क्रियान्वित की गई है जो निम्नानुसार है:

1. जाली राशन कार्डों को समाप्त करने और केवल पात्र गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का लीकेज मुक्त और विपथन मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों के कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण किये जाने चाहिए, दोषी व्यक्तियों/एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

3. *सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना*—परामर्शदात्री समितियों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना, पंचायतों द्वारा उचित दर दुकानें चलाया जाना और सतर्कता समितियों में पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रभावी प्रतिनिधित्व होना।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उचित दर दुकानों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित किया जाना, उचित दर दुकानों द्वारा अधिसूचित समय का पालन किया जाना।

5. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उचित दर दुकानदार और जिलावार आवंटन वेबसाइट पर प्रदर्शित करना ताकि जनता इनकी जांच कर सके।

6. उचित दर दुकानों के लिए सार्वजकि वितरण प्रणाली की वस्तुओं की द्वार पर सुपुर्दगी करना।

7. राशन कार्डधारकों के लिए उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता और निर्धारित तारीखों का वितरण सुनिश्चित करना।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के बारे में जागरूकता पैदा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों की जटिलताओं के संबंध में सतर्कता समितियों को प्रशिक्षण देना।

9. उचित दर दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं को बेचने की अनुमति देकर उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना।

*विवरण I*

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2004-2005 के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | सम्बन्धित राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | प्रतिशत उठान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गरीबी. | गरीब. | अं.अ.यो. | जोड़ | गरीबी. | गरीब. | अं.अ.यो. | जोड़ | गरीबी. | गरीब. | अं.अ.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1,230.128 | 2,266.740 | 746.248 | 3973.116 | 1261.816 | 1137.642 | 456.115 | 2855.573 | 102.576 | 50.188 | 95.773 | 71.87 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 31.680 | 76.680 | 9.816 | 118.176 | 31.61 | 54.709 | 8.661 | 94.98 | 99.779 | 71.347 | 88.233 | 80.37 |
| 3. | असम | 650.434 | 885.140 | 150.086 | 1685.66 | 623.762 | 521.126 | 139.178 | 1284.066 | 95.899 | 58.875 | 92.732 | 76.18 |
| 4. | बिहार | 2,219,.184 | 2,291.520 | 420.000 | 4930.704 | 809.91 | 10.312 | 382.079 | 1202.301 | 36.496 | 0.450 | 90.971 | 24.38 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 586.635 | 1,045.800 | 200.997 | 1833.432 | 556.72 | 42.368 | 180.399 | 779.487 | 94.901 | 4.051 | 89.752 | 42.52 |
| 6. | दिल्ली | 155.270 | 996.516 | 16.510 | 1168.296 | 148.735 | 410.117 | 13.984 | 572.836 | 95.791 | 41.155 | 84.700 | 49.03 |
| 7. | गोवा | 11.848 | 118.296 | 4.112 | 134.256 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 122.568 | 3.75 |
| 8. | गुजरात | 716.567 | 2,787.564 | 167.081 | 3671.212 | 556.091 | 93.809 | 114.301 | 764.201 | 77.605 | 3.365 | 68.411 | 20.82 |
| 9. | हरियाणा | 257.040 | 1,014.204 | 71.532 | 1342.776 | 217.587 | 154.641 | 65.097 | 437.325 | 84.651 | 15.248 | 91.004 | 32.57 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 134.816 | 348.900 | 44.116 | 527.832 | 118.553 | 152.004 | 41.755 | 312.312 | 87.937 | 43.567 | 94.648 | 59.17 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 243.008 | 447.720 | 66.076 | 756.804 | 235.598 | 292.756 | 43.508 | 571.862 | 96.951 | 65.388 | 65.845 | 75.56 |
| 12. | झारखंड | 801.112 | 216.300 | 204.380 | 1221.792 | 365.914 | 20.607 | 167.666 | 554.187 | 45.676 | 9.527 | 82.036 | 45.36 |
| 13. | कर्नाटक | 987.813 | 2,070.600 | 326.463 | 3384.876 | 972.701 | 848.631 | 300.882 | 2122.214 | 98.470 | 40.985 | 92.164 | 62.70 |
| 14. | केरल | 487.048 | 1,808.940 | 165.560 | 2461.548 | 493.64 | 264.047 | 156.714 | 914.401 | 101.353 | 14.597 | 94.567 | 37.15 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1,326.222 | 2,535.372 | 406.254 | 4267.848 | 1225.005 | 22.732 | 380.325 | 1628.062 | 92.368 | 0.897 | 93.618 | 38.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | महाराष्ट्र | 2,069.837 | 4,700.880 | 674.467 | 7445.184 | 1773.019 | 67.391 | 598.26 | 2438.67 | 85.660 | 1.434 | 88.701 | 32.75 |
| 17. | मणिपुर | 44.084 | 47.460 | 11.930 | 103.474 | 29.035 | 18.305 | 8.631 | 55.971 | 65.863 | 38.569 | 72.347 | 54.09 |
| 18. | मेघालय | 60.152 | 45.024 | 16.708 | 121.884 | 60.389 | 21.898 | 16.119 | 98.316 | 100.394 | 48.436 | 96.475 | 80.66 |
| 19. | मिजोरम | 21.241 | 93.840 | 7.439 | 122.52 | 21.644 | 70.007 | 7.098 | 98.749 | 101.897 | 74.603 | 95.416 | 80.60 |
| 20. | नागालैंड | 39.529 | 122.040 | 12.551 | 174.12 | 42.787 | 108.915 | 11.922 | 163.624 | 108.242 | 89.245 | 94.988 | 93.97 |
| 21. | उड़ीसा | 1,436.088 | 1,155.564 | 260.604 | 2852.256 | 1141.878 | 132.305 | 240.04 | 1514.223 | 79.513 | 11.449 | 92.109 | 53.09 |
| 22. | पंजाब | 166.416 | 1,473.240 | 30.120 | 1669.776 | 110.983 | 25.348 | 22.766 | 159.097 | 66.690 | 1.721 | 75.584 | 9.53 |
| 23. | राजस्थान | 708.868 | 2,763.756 | 251.672 | 3724.296 | 651.375 | 301.545 | 230.951 | 1183.871 | 91.889 | 10.911 | 91.767 | 31.79 |
| 24. | सिक्किम | 14.076 | 25.812 | 4.164 | 44.052 | 14.022 | 18.532 | 4.058 | 36.612 | 99.616 | 71.796 | 97.454 | 83.11 |
| 25. | तमिलनाडु | 1,608.365 | 3,787.980 | 434.011 | 5830.356 | 1665.081 | 630.638 | 424.791 | 2720.51 | 103.526 | 16.648 | 97.876 | 46.66 |
| 26. | त्रिपुरा | 100.929 | 179.232 | 22.971 | 303.132 | 104.67 | 60.168 | 21.376 | 186.214 | 103.707 | 33.570 | 93.056 | 61.43 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 3,316.042 | 6,494.460 | 1,169.138 | 10979.64 | 2777.114 | 7.763 | 1126.056 | 3910.933 | 83.748 | 0.120 | 96.315 | 35.62 |
| 28. | उत्तरांचल | 177.120 | 333.552 | 32.052 | 542.724 | .178.697 | 16.772 | 41.62 | 237.089 | 100.890 | 5.028 | 129.851 | 43.69 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,618.945 | 4,089.180 | 391.595 | 6099.72 | 1259.8 | 924.827 | 260.473 | 2445.1 | 77.816 | 22.616 | 66.516 | 40.09 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 7.430 | 36.360 | 1.800 | 45.59 | 0.887 | 2.023 | 0 | 2.91 | 11.938 | 5.564 | 0 | 6.38 |
| 31. | चंडीगढ़ | 8.748 | 75.516 | 0.888 | 85.152 | 0.17 | 0 | 0.191 | 0.361 | 1.943 | 0 | 21.509 | 0.42 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 5.544 | 7.140 | 1.176 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दमन और दीव | 1.428 | 9.420 | 0.252 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.372 | 3.708 | 0.168 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 28.238 | 13.200 | 6.874 | 48.312 | 2.62 | 0.085 | 1.235 | 3.94 | 9.278 | 0.644 | 17.966 | 8.16 |
| | कुल | 21,272.257 | 44,367.656 | 6,059.811 | 71,699.724 | 17,451.813 | 6,431.933 | 5,471.291 | 29,355.037 | 82.040 | 14.497 | 90.288 | 40.942 |

**विवरण II**

*सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2005-2006 के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | प्रतिशत उठान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1,086.129 | 2,266.740 | 620.247 | 3973.116 | 1101.87 | 1507.07 | 608.56 | 3217.5 | 101.449 | 66.486 | 98.116 | 80.98 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 28.560 | 69.750 | 12.936 | 111.246 | 25.52 | 43.25 | 12.4 | 81.17 | 89.356 | 62.007 | 95.857 | 72.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 625.416 | 955.140 | 175.104 | 1755.66 | 595.48 | 444.58 | 181.09 | 1221.15 | 95.213 | 46.546 | 103.419 | 69.56 |
| 4. | बिहार | 2,166.651 | 2,291.520 | 472.533 | 4930.704 | 672.01 | 25.55 | 421.06 | 1118.62 | 31.016 | 1.115 | 89.107 | 22.69 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 532.812 | 1,045.800 | 254.820 | 1833.432 | 536.803 | 52.25 | 229.189 | 818.242 | 100.749 | 4.996 | 89.942 | 44.63 |
| 6. | दिल्ली | 148.464 | 996.516 | 23.316 | 1168.296 | 145.19 | 302.61 | 22.15 | 469.95 | 97.795 | 30.367 | 94.999 | 40.23 |
| 7. | गोवा | 10.221 | 118.296 | 5.739 | 134.256 | 3.804 | 6.103 | 2.447 | 12.354 | 37.217 | 5.159 | 42.638 | 9.20 |
| 8. | गुजरात | 618.063 | 2,787.564 | 258.785 | 3664.412 | 471.11 | 178.29 | 192.34 | 841.74 | 76.224 | 6.396 | 74.324 | 22.97 |
| 9. | हरियाणा | 242.516 | 1,014.204 | 86.056 | 1342.776 | 195.25 | 18.07 | 76.89 | 290.21 | 80.510 | 1.782 | 89.349 | 21.61 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 116.648 | 348.900 | 62.284 | 527.832 | 95.56 | 179.07 | 55.6 | 330.23 | 81.922 | 51.324 | 89.269 | 62.56 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 220.335 | 447.720 | 88.749 | 756.804 | 225.77 | 346.96 | 73.09 | 645.82 | 102.467 | 77.495 | 82.356 | 85.34 |
| 12. | झारखंड | 700.224 | 216.300 | 305.268 | 1221.792 | 380.91 | 21.16 | 282.63 | 684.7 | 54.398 | 9.783 | 92.584 | 56.04 |
| 13. | कर्नाटक | 876.317 | 2,035.014 | 407.752 | 3319.083 | 875.69 | 877.57 | 378.35 | 2131.61 | 99.928 | 43.124 | 92.789 | 64.22 |
| 14. | केरल | 445.560 | 1,808.940 | 207.088 | 2461.588 | 436.973 | 323.932 | 200.722 | 961.627 | 98.073 | 17.907 | 96.926 | 39.07 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1,195.315 | 2,535.372 | 534.141 | 4264.828 | 1217.046 | 153.02 | 509.58 | 1879.646 | 101.818 | 6.035 | 95.402 | 44.07 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1,914.468 | 4,700.880 | 829.836 | 7445.184 | 1647.21 | 127.48 | 736.41 | 2511.1 | 86.040 | 2.712 | 88.742 | 33.73 |
| 17. | मणिपुर | 37.780 | 47.460 | 21.864 | 107.104 | 33.93 | 14.89 | 13.96 | 62.78 | 89.809 | 31.374 | 63.8499 | 58.62 |
| 18. | मेघालय | 53.568 | 45.024 | 23.292 | 121.884 | 54.7 | 22.61 | 22.72 | 100.03 | 102.113 | 50.218 | 97.544 | 82.07 |
| 19. | मिजोरम | 18.279 | 72.020 | 10.401 | 100.7 | 17.65 | 55.89 | 10.01 | 83.55 | 96.559 | 77.603 | 96.241 | 82.97 |
| 20. | नागालैंड | 35.817 | 102.400 | 16.263 | 154.48 | 35.61 | 94.66 | 16.44 | 146.71 | 99.422 | 92.441 | 101.088 | 94.97 |
| 21. | उड़ीसा | 1,261.907 | 1,155.564 | 434.785 | 2852.256 | 797.408 | 109.77 | 450.493 | 1357.671 | 63.191 | 9.499 | 103.613 | 47.60 |
| 22. | पंजाब | 164.067 | 1,473.240 | 32.469 | 1669.776 | 71.11 | 8.84 | 18.24 | 98.19 | 43.342 | 0.600 | 56.177 | 5.88 |
| 23. | राजस्थान | 593.382 | 2,763.756 | 340.018 | 3697.156 | 469.57 | 204.17 | 300.57 | 974.31 | 79.135 | 7.387 | 88.398 | 26.35 |
| 24. | सिक्किम | 14.076 | 25.812 | 4.164 | 44.052 | 14.05 | 24.04 | 4.32 | 42.41 | 99.815 | 93.135 | 103.746 | 96.27 |
| 25. | तमिलनाडु | 1,397.697 | 3,787.980 | 644.679 | 5830.356 | 1391.6 | 1663.797 | 657.63 | 3713.027 | 99.564 | 43.923 | 102.009 | 63.68 |
| 26. | त्रिपुरा | 95.364 | 179.232 | 28.536 | 303.132 | 92.77 | 66.96 | 28.53 | 188.26 | 97.280 | 37.359 | 99.979 | 62.10 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2,945.106 | 6,494.460 | 1,539.686 | 10979.252 | 2560.263 | 40.166 | 1438.289 | 4038.718 | 86.933 | 0.618 | 93.414 | 36.79 |
| 28. | उत्तरांचल | 162.413 | 333.552 | 46.759 | 542.724 | 166.282 | 53.316 | 34.615 | 254.213 | 102.382 | 15.984 | 74.029 | 46.84 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,447.969 | 4,089.180 | 562.571 | 6099.72 | 1294.459 | 1029.41 | 454.3 | 2778.169 | 89.398 | 25.174 | 80.754 | 45.55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 7.428 | 36.360 | 1.800 | 45.588 | 1.81 | 15.79 | 0.53 | 18.13 | 24.367 | 43.427 | 29.444 | 39.77 |
| 31. | चंडीगढ़ | 8.748 | 75.516 | 0.888 | 85.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 5.192 | 7.140 | 1.528 | 13.86 | 1.67 | 0.89 | 0.72 | 3.28 | 32.165 | 12.465 | 47.120 | 23.67 |
| 33. | दमन व दीव | 1.236 | 9.420 | 0.444 | 11.1 | 0.44 | 0.15 | 0.22 | 0.81 | 35.599 | 1.592 | 49.550 | 7.30 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.372 | 3.360 | 0.168 | 3.99 | 0.47 | 2.98 | 0.33 | 3.78 | 126.344 | 88.690 | 196.429 | 96.92 |
| 35. | पांडिचेरी | 22.862 | 13.200 | 12.250 | 48.312 | 12.53 | 5.2 | 7.91 | 25.64 | 54.807 | 39.394 | 64.571 | 53.07 |
| | कुल | 19,200.962 | 44,353.332 | 8,067.219 | 71,621.513 | 15,642.518 | 8,020.494 | 7,442.335 | 31,105.347 | 81.467 | 18.083 | 92.254 | 43.430 |

## विवरण III

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2006-2007 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आबंटन | | | | उठान | | | | प्रतिशत उठान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1,052.088 | 2,194.220 | 654.288 | 3900.596 | 1054.631 | 1497.672 | 656.771 | 3209.074 | 100.242 | 68.255 | 100.379 | 82.27 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25.524 | 62.148 | 15.972 | 103.644 | 16.264 | 35.045 | 9.069 | 60.378 | 63.720 | 56.390 | 56.781 | 58.26 |
| 3. | असम | 476.700 | 943.830 | 294.216 | 1714.746 | 479.337 | 760.534 | 272.045 | 1511.916 | 100.535 | 80.580 | 92.464 | 88.17 |
| 4. | बिहार | 2,019.013 | 1,307.240 | 662.091 | 3988.344 | 448.589 | 9.257 | 566.332 | 1024.178 | 22.218 | 0.708 | 85.537 | 25.68 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 483.688 | 821.390 | 295.250 | 1600.328 | 521.047 | 33.377 | 313.0559 | 867.483 | 107.724 | 4.063 | 106.032 | 54.21 |
| 6. | दिल्ली | 148.464 | 664.676 | 23.316 | 836.456 | 146.481 | 378.265 | 22.884 | 547.63 | 98.664 | 56.910 | 98.147 | 65.47 |
| 7. | गोवा | 5.460 | 91.190 | 6.108 | 102.758 | 4.4 | 18.67 | 3.94 | 27.01 | 80.586 | 20.474 | 64.506 | 26.29 |
| 8. | गुजरात | 540.630 | 1,444.404 | 310.848 | 2295.882 | 493.911 | 108.286 | 259.993 | 862.19 | 91.358 | 7.497 | 83.640 | 37.55 |
| 9. | हरियाणा | 221.151 | 499.540 | 109.394 | 830.085 | 202.689 | 4.739 | 102.921 | 310.349 | 91.652 | 0.949 | 94.083 | 37.39 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 46.831 | 319.400 | 76.806 | 443.037 | 45.312 | 247.94 | 77.244 | 370.496 | 96.756 | 77.627 | 100.570 | 83.63 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 205.077 | 482.720 | 104.007 | 791.804 | 209.473 | 351.349 | 98.433 | 659.255 | 102.144 | 72.785 | 94.641 | 83.26 |
| 12. | झारखंड | 700.224 | 189.980 | 305.268 | 1195.472 | 427.927 | 13.912 | 299.266 | 741.15 | 61.119 | 7.323 | 98.034 | 62.00 |
| 13. | कर्नाटक | 768.116 | 1,594.222 | 491.350 | 2853.688 | 768.531 | 851.32 | 465.2 | 2085.051 | 100.54 | 53.400 | 94.678 | 73.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | केरल | 404.277 | 1,604.460 | 248.331 | 2257.068 | 401.026 | 375.769 | 249.313 | 1026.108 | 99.196 | 23.420 | 100.395 | 45.46 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1,064.538 | 1,041.946 | 650.160 | 2756.644 | 1049.59 | 136.652 | 603.987 | 1790.229 | 98.596 | 13.115 | 92.898 | 64.94 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1,911.084 | 2,270.900 | 833.220 | 5015.204 | 1637.217 | 169.94 | 698.753 | 2505.91 | 85.670 | 7.483 | 83.862 | 49.97 |
| 17. | मणिपुर | 48.552 | 41.328 | 21.180 | 111.06 | 37.784 | 22.171 | 18.411 | 78.366 | 77.822 | 53.646 | 86.926 | 70.56 |
| 18. | मेघालय | 53.508 | 44.944 | 23.352 | 121.804 | 53.435 | 38.895 | 23.352 | 115.682 | 99.864 | 86.541 | 100.000 | 94.97 |
| 19. | मिजोरम | 17.640 | 43.662 | 10.920 | 72.222 | 17.64 | 40.158 | 11.246 | 69.044 | 100.000 | 91.975 | 102.985 | 95.60 |
| 20. | नागालैंड | 32.112 | 77.004 | 19.968 | 129.084 | 37.656 | 87.041 | 22.976 | 147.673 | 117.265 | 113.034 | 115.064 | 114.40 |
| 21. | उड़ीसा | 1,165.976 | 838.990 | 530.716 | 2535.682 | 676.998 | 137.985 | 433.288 | 1248.271 | 58.063 | 16.447 | 81.642 | 49.23 |
| 22. | पंजाब | 138.228 | 672.410 | 58.308 | 868.946 | 62.856 | 53.848 | 33.563 | 150.267 | 45.267 | 45.473 | 8.008 | 57.562 |
| 23. | राजस्थान | 635.306 | 1,337.890 | 385.714 | 2358.91 | 516.875 | 160.975 | 348.024 | 1025.874 | 81.358 | 12.032 | 90.229 | 43.49 |
| 24. | सिक्किम | 11.766 | 26.447 | 6.474 | 44.687 | 11.766 | 25.948 | 6.474 | 44.188 | 100.000 | 98.113 | 100.000 | 98.88 |
| 25. | तमिलनाडु | 1,259.232 | 3,763.560 | 783.144 | 5805.936 | 1159.002 | 1505.038 | 775.366 | 3439.406 | 92.040 | 39.990 | 99.007 | 59.24 |
| 26. | त्रिपुरा | 95.364 | 176.858 | 28.536 | 300.758 | 83.159 | 116.723 | 25.458 | 225.34 | 87.202 | 65.998 | 89.214 | 74.92 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2,766.663 | 3,842.700 | 1,720.014 | 8329.377 | 2481.039 | 325.775 | 1692.331 | 4499.145 | 89.676 | 8.478 | 98.391 | 54.02 |
| 28. | उत्तरांचल | 149.511 | 287.770 | 59.661 | 496.942 | 134.665 | 102.36 | 47.404 | 284.429 | 90.070 | 35.570 | 79.456 | 57.24 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,522.066 | 3,473.760 | 621.684 | 5617.51 | 1044.249 | 838.775 | 515.641 | 2398.665 | 68.607 | 24.146 | 82.943 | 42.70 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 5.040 | 22.070 | 1.800 | 28.91 | 2.64 | 13.67 | 0.82 | 17.13 | 52.381 | 61.939 | 45.556 | 59.25 |
| 31. | चंडीगढ़ | 2.512 | 31.806 | 0.888 | 35.206 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0.28 | 8.360 | 0 | 7.883 | 0.80 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 4.948 | 6.650 | 1.772 | 13.37 | 2.54 | 1.52 | 0.38 | 4.44 | 51.334 | 22.857 | 21.445 | 33.21 |
| 33. | दमन व दीव | 1.044 | 8.900 | 0.636 | 10.58 | 0.46 | 0.25 | 0.37 | 1.08 | 44.061 | 2.809 | 58.176 | 10.21 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.295 | 3.698 | 0.161 | 4.154 | 0.24 | 2.83 | 0.16 | 3.23 | 81.356 | 76.528 | 99.379 | 77.76 |
| 35. | पांडिचेरी | 21.564 | 50.050 | 13.548 | 85.162 | 9.59 | 1.81 | 7.14 | 18.54 | 44.472 | 3.616 | 52.702 | 21.77 |
| | कुल | 18,004.192 | 30,282.763 | 9,369.101 | 57,656.056 | 14,239.274 | 8,468.499 | 8,661.684 | 31,369.457 | 79.089 | 27.965 | 92.449 | 54.408 |

## विवरण IV

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2007-2008 (दिसंबर 2007 तक) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आबंटन | | | | उठान | | | | प्रतिशत उठान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 789.066 | 1,637.719 | 490.716 | 2917.501 | 789.698 | 1316.887 | 490.193 | 2596.778 | 100.080 | 80.410 | 99.893 | 89.01 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 19.143 | 47.037 | 11.979 | 78.159 | 11.263 | 26.597 | 6.801 | 44.661 | 58.836 | 56.545 | 56.774 | 57.14 |
| 3. | असम | 356.664 | 433.920 | 221.523 | 1012.107 | 354.478 | 467.432 | 223.582 | 1045.492 | 99.387 | 107.723 | 100.929 | 103.30 |
| 4. | बिहार | 1,289.853 | 24.567 | 764.991 | 2079.411 | 557.569 | 7.999 | 647.066 | 1212.634 | 43.227 | 32.560 | 84.585 | 58.32 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 357.266 | 39.252 | 226.458 | 622.976 | 323.834 | 22.582 | 232.706 | 579.122 | 90.642 | 57.531 | 102.759 | 92.96 |
| 6. | दिल्ली | 98.700 | 426.224 | 30.135 | 555.059 | 102.226 | 380.36 | 21.487 | 504.073 | 103.572 | 89.239 | 71.302 | 90.81 |
| 7. | गोवा | 4.095 | 17.011 | 4.581 | 25.687 | 4.073 | 15.926 | 3.716 | 23.715 | 99.463 | 93.622 | 81.118 | 92.32 |
| 8. | गुजरात | 403.776 | 207.741 | 255.060 | 866.577 | 361.719 | 49.45 | 226.264 | 637.433 | 89.584 | 23.804 | 88.710 | 73.56 |
| 9. | हरियाणा | 156.429 | 87.102 | 92.115 | 335.646 | 147.943 | 0.19 | 87.597 | 253.73 | 94.575 | 0.218 | 95.095 | 70.23 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 99.855 | 201.594 | 62.055 | 363.504 | 90.602 | 192.498 | 59.07 | 342.17 | 90.734 | 95.488 | 95.190 | 94.13 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 151.272 | 387.581 | 80.541 | 619.394 | 151.835 | 321.727 | 80.521 | 554.083 | 100.372 | 83.009 | 99.975 | 89.46 |
| 12. | झारखंड | 498.412 | 37.949 | 255.707 | 792.068 | 370.644 | 7.504 | 226.425 | 604.573 | 74.365 | 19.774 | 88.549 | 76.33 |
| 13. | कर्नाटक | 585.788 | 1,031.517 | 377.919 | 1995.224 | 580.571 | 480.161 | 361.622 | 1422.354 | 99.109 | 46.459 | 95.688 | 71.29 |
| 14. | केरल | 301.761 | 394.666 | 187.695 | 884.122 | 301.197 | 360.434 | 187.713 | 849.944 | 100.012 | 91.326 | 100.010 | 96.13 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 786.760 | 98.940 | 497.597 | 1383.297 | 765.041 | 76.95 | 480.994 | 1322.985 | 97.239 | 77.774 | 96.663 | 95.64 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1,272.277 | 143.217 | 762.951 | 2178.445 | 1055.329 | 90.988 | 625.658 | 1771.975 | 82.948 | 63.532 | 82.005 | 81.34 |
| 17. | मणिपुर | 36.414 | 27.785 | 15.885 | 80.084 | 23.36 | 22.902 | 15.704 | 72.966 | 94.359 | 82.426 | 98.861 | 91.11 |
| 18. | मेघालय | 35.532 | 45.287 | 22.113 | 102.932 | 33.856 | 39.877 | 21.366 | 95.099 | 95.283 | 88.054 | 96.622 | 92.39 |
| 19. | मिजोरम | 13.230 | 41.835 | 8.190 | 63.255 | 13.079 | 34.822 | 8.191 | 56.092 | 98.859 | 83.237 | 100.012 | 88.68 |
| 20. | नागालैंड | 24.084 | 60.117 | 14.976 | 99.177 | 23.638 | 65.404 | 16.133 | 105.175 | 98.148 | 108.795 | 107.726 | 106.05 |
| 21. | उड़ीसा | 874.179 | 151.454 | 398.340 | 1423.973 | 716.208 | 107.439 | 314.062 | 1137.709 | 81.929 | 70.938 | 78.843 | 79.90 |
| 22. | पंजाब | 100.829 | 53.489 | 46.573 | 200.891 | 45.471 | 25.538 | 24.661 | 95.67 | 45.097 | 47.744 | 52.951 | 47.62 |
| 23. | राजस्थान | 462.149 | 210.071 | 293.616 | 965.836 | 414.525 | 165.815 | 272.95 | 853.29 | 89.695 | 78.933 | 92.962 | 88.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | सिक्किम | 8.478 | 21.042 | 5.202 | 34.722 | 8.474 | 22.607 | 5.206 | 36.287 | 99.953 | 107.438 | 100.077 | 104.51 |
| 25. | तमिलनाडु | 944.424 | 2,110.297 | 587.358 | 3642.079 | 941.217 | 1284.887 | 591.064 | 2817.168 | 99.660 | 60.887 | 100.631 | 77.35 |
| 26. | त्रिपुरा | 58.867 | 101.190 | 34.058 | 194.115 | 61.495 | 84.668 | 27.343 | 173.506 | 104.464 | 83.672 | 80.284 | 89.38 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2,074.275 | 51.877 | 1,289.610 | 3415.762 | 1830.293 | 42.286 | 1240.512 | 3113.091 | 88.238 | 81.512 | 96.193 | 91.14 |
| 28. | उत्तरांचल | 109.242 | 105.114 | 47.637 | 261.993 | 108.974 | 80.941 | 44.695 | 234.61 | 99.755 | 77.003 | 93.824 | 89.55 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,165.185 | 604.220 | 466.263 | 2235.668 | 988.052 | 556.341 | 396.778 | 1941.171 | 84.798 | 92.076 | 85.097 | 86.83 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 3.780 | 17.346 | 1.350 | 22.476 | 2.869 | 10.212 | 1.011 | 14.092 | 75.899 | 58.872 | 74.889 | 62.70 |
| 31. | चंडीगढ़ | 2.205 | 0.300 | 0.666 | 3.171 | 2.438 | 0.119 | 1.065 | 3.622 | 110.567 | 39.667 | 159.910 | 114.22 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 3.393 | 3.681 | 1.647 | 8.721 | 0.423 | 0.781 | 0.243 | 1.447 | 12.467 | 21.217 | 14.754 | 16.59 |
| 33. | दमन व दीव | 0.783 | 0.840 | 0.477 | 2.1 | 0.257 | 0.189 | 0.163 | 0.609 | 32.822 | 22.500 | 34.172 | 29.00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.524 | 2.820 | 0.341 | 3.685 | 0.415 | 2.02 | 0.632 | 3.067 | 79.198 | 71.631 | 185.337 | 83.23 |
| 35. | पांडिचेरी | 16.173 | 23.280 | 10.161 | 49.614 | 8.779 | 0.796 | 5.609 | 15.184 | 54.282 | 3.419 | 55.201 | 30.60 |
| | कुल | 13,104.863 | 8,848.082 | 7,566.486 | 29,519.431 | 11,203.445 | 6,365.329 | 6,948.803 | 24,517.577 | 85.491 | 71.940 | 91.837 | 83.056 |

*[अनुवाद]*

**हल्के लड़ाकू विमान का उड़ान परीक्षण**

617. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री के.एस. राव:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी के साथ अपनी प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता को बांटने वाले महत्वपूर्ण भागीदार की अनुपलब्धता के कारण अथवा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड एवं भारतीय वायुसेना के बीच समन्वय की कमी के कारण हल्के लड़ाकू विमान तेजस के उड़ान परीक्षण कार्यक्रम में असाधारण विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) हल्के लड़ाकू विमानों के विकास पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं। हल्के युद्धक विमान, तेजस का उड़ान परीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। अभी तक, 829 उड़ान परीक्षण पूरे किये जा चुके हैं। उड़ान परीक्षणों में तेजी लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सामूहिक निर्णय लेने और समन्वय करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय वायुसेना और अन्य संबद्ध एजेंसियों को शामिल करके नियमित पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। फिलहाल, सामरिक भागीदार की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(ग) इस परियोजना को जल्दी ही पूरा करने के लिए, वायुसेनाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक बार उच्च-स्तरीय पुनरीक्षा और उप-वायुसेनाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक महीने में एक बार पुनरीक्षा की जा रही है।

(घ) अभी तक, हल्के युद्धक विमान के विभिन्न रूपान्तरणों के विकास पर 4806.312 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

**किसानों के लिए नीति**

**618. श्री एम. अप्पादुराई:**
**श्री गणेश सिंह:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के लिए एक नई नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे और सीमांत किसानों को उक्त नीति के अंतर्गत विशेष लाभ मिलने की भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है और इसे नवम्बर, 2007 में सभा पटल पर रखा गया। यह नीति आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत 'राष्ट्रीय किसान नीति के संशोधित मसौदे' में यथा निहित राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय किसान नीति में अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों का भी प्रावधान है—भूमि, जल, पशुधन, मात्स्यिकी और जैव संसाधनों के संबंध में परिसम्पत्ति सुधार; फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग जैसे समर्थन सेवाएं और आदान; कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली; अच्छी क्वालिटी के बीजों और रोगमुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति; किसानों को मृदा स्थिति पास-बुक जारी करना और समेकित कृमि प्रबंध प्रणाली; अंचल और फसल विशिष्ट उपकरण और मशीनरी; महिलाओं के लिए समर्थन सेवाएं जैसे शिशु सदन, बाल देख-रेख केन्द्र, पोषाहार, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण; उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण तक समय पर और पर्याप्त रूप से सरल पहुंच और आशोधित कृषक अनुकूल बीमा तंत्र; सूचना और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग और कृषि विस्तार को पुन: सक्रिय बनाने के लिए फार्म स्कूलों की स्थापना; व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अधीन कृषकों का कवरेज; पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभावी कार्यान्वयन और सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना; कृषि हेतु कृषि मंडी अवसंरचना और टर्मिनल मंडियों का विकास; कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या सुधार; जैव कृषि और संविदा कृषि जैसे विशेष श्रेणी की खेती; कृषक परिवारों हेतु कृषि से इतर ग्रामीण रोजगार प्रयास; और ग्रामीण ऊर्जा हेतु समेकित दृष्टिकोण आदि। आशा है कि इस नीति के निर्देशन से कृषि और समवर्ती क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के अलावा किसानों की निवल आय में पर्याप्त रूप से वृद्धि करके कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुधारने में छोटे और सीमांत किसानों सहित समस्त कृषक समुदाय को लाभ पहुंचे।

इस नीति से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की आशा है जिसमें शामिल हैं—उत्पादक परिसम्पत्ति का प्रावधान अथवा गांव में कृषक परिवारों को बाजार अनुकूल दक्षता। सीलिंग से बची हुई भूमि और बंजर भूमि का वितरण, सिंचाई के लिए समय पर और पर्याप्त जल की उपलब्धता, छोटे किसान के अनुकूल अनुसंधान रणनीति, पर्याप्त आदानों और सेवाओं का प्रावधान, उचित ब्याज दरों पर समय पर तथा पर्याप्त कृषि ऋण, किसानों खासकर छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की आजीविका सुरक्षा हेतु व्यापक सामाजिक सुरक्षा स्कीम लागू करना, सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना, कृषि उत्पाद का मूल्यवर्धन, सहकारी कृषि लागू करना, स्वावलम्बी समूह के जरिये सामूहिक कृषि, छोटे धारक की सम्पदा की स्थापना, छोटे और सीमांत किसानों हेतु कुशलता और मानक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए संविदा कृषि और कृषक कम्पनियों की स्थापना तथा कृषि से इतर ग्रामीण रोजगार प्रयास।

**खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि/कमी**

**619. श्री भर्तृहरि महताब:**
**श्री जुएल ओराम:**
**श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्ववर्ती योजना की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में चावल और गेहूं के प्रति व्यक्ति उत्पादन और खपत में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा फसल पद्धति के विविधीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन के बारे में राज्यों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ज) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी हां श्रीमान, 7 फरवरी, 2008 को जारी दूसरे अग्रिमों के अनुसार 2007-2008 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 219.32 मिलियन टन अनुमानित है जोकि 2006-07 के दौरान 217.28 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन से 2.04 मिलियन टन अधिक है। 2007-08 के दौरान प्रमुख उत्पादक राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निम्नलिखित सारणी भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष पर वृद्धि अथवा कमी की मात्रा के साथ प्रस्तुत करती है।

(मिलियन टन)

| फसल | उत्पादन | | वृद्धि/कमी (-) की मात्रा |
|---|---|---|---|
| | 2007-08* | 2006-07 | |
| चावल | 94.08 | 93.35 | 0.73 |
| गेहूं | 74.81 | 75.81 | -1.00 |
| मोटे अनाज | 36.09 | 33.92 | 2.17 |
| दालें | 14.34 | 14.20 | 0.14 |
| खाद्यान्न | 219.32 | 217.28 | 2.04 |

*7.2.2008 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान।

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2006-07) के दौरान औसत प्रति व्यक्ति उत्पादन चावल के लिए 78.63 किलोग्राम तथा गेहूं के लिए 64.58 किलोग्राम था तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष यानि 2007-08 के दौरान चावल के लिए 82.66 किलोग्राम तथा गेहूं के लिए 65.73 किलोग्राम होना अनुमानित है।

"भारत में पारिवारिक खपत व्यय, 2005-06" पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 62वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति मासिक चावल की खपत की मात्रा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 61वें दौर (2004-05 के दौरान) ग्रामीण क्षेत्र में 6.55 किलोग्राम तथा शहरी क्षेत्र में 4.85 किलोग्राम की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 6.54 किलोग्राम तथा शहरी क्षेत्र में 4.79 किलोग्राम थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगटन की 62वें दौर में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति मासिक गेहूं की खपत की मात्रा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (61वें दौर) में ग्रामीण क्षेत्र में 4.29 किलोग्राम तथा शहरी क्षेत्र में 4.65 किलोग्राम की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 4.35 किलोग्राम तथा शहरी क्षेत्र में 4.53 किलोग्राम सूचित की गई थी।

(च) बहुत सी स्कीमें जिनमें चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम "तिलहनों पाम तेल, मक्का की एकीकृत स्कीम" (आइसोपाम), कपास पर तकनीकी मिशन तथा हाल ही में प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शामिल है, फसलीय पैटर्न के विविधीकरण के लिए चल रही हैं।

(छ) और (ज) सरकार मंत्रालय में की जाने वाली फसल मौसम निगरानी समूह की साप्ताहिक बैठकों में लगातार आधार पर राज्यों के निष्पादन की समीक्षा करती है। खाद्यान्नों के उत्पादन के तुलनात्मक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

खाद्यान्न

| राज्य | उत्पादन ('000 टन) | |
|---|---|---|
| | द्वितीय अग्रिम अनुमान 2007-08* | अंतिम अनुमान 2006-07 |
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | 17531.0 | 16229.0 |
| असम | 2364.00 | 3060.0 |
| बिहार | 9609.0 | 11098.6 |
| छत्तीसगढ़ | 5944.0 | 5805.0 |
| गुजरात | 7284.0 | 6499.0 |
| हरियाणा | 15366.0 | 14763.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 1582.0 | 1382.2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| जम्मू-कश्मीर | 1433.0 | 1572.7 |
| झारखंड | 3685.0 | 3686.8 |
| कर्नाटक | 10874.8 | 9599.0 |
| केरल | 612.0 | 640.5 |
| मध्य प्रदेश | 10919.0 | 13747.0 |
| महाराष्ट्र | 14522.0 | 12645.1 |
| उड़ीसा | 7499.0 | 7344.7 |
| पंजाब | 25687.0 | 25313.1 |
| राजस्थान | 14489.0 | 14208.9 |
| तमिलनाडु | 8223.0 | 8263.0 |
| उत्तर प्रदेश | 41139.0 | 41214.5 |
| उत्तराखण्ड | 1867.0 | 1737.0 |
| पश्चिम बंगाल | 16289.0 | 15974.5 |
| अन्य | 2403.0 | 2498.5 |
| समस्त भारत | 219322 | 217282.1 |

*7.2.2008 को जारी

**ईएसआईसी में सुविधाओं का अभाव**

**620. श्री एस. अजय कुमार:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत दोषी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापस लेने हेतु कोई सर्वक्षमा (एमनेस्टी) योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुविधाओं और दवाओं की कमी के कारण ईएसआईसी अस्पतालों में लाभार्थियों के उपयुक्त चिकित्सा उपचार में कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चूककर्ता नियोजकों और कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापस लेने के लिए सर्वक्षमा योजना तैयार की है। नयी सर्वक्षमा योजना 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक प्रवर्तन में रहेगी और उन नियोजकों/बीमित व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पिछली सर्वक्षमा योजनाओं का पहले भी लाभ ले चुके हैं। योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर कुछ शिकायतें/सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए की गयी कार्रवाई निम्नानुसार है:

1. नैदानिक तथा क्लिनिकल सेवाओं के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर अस्पतालों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन/अस्पतालों हेतु उपकरणों की शीघ्र संस्वीकृति को सरल बनाने के लिए, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/राज्य चिकित्सा आयुक्तों को राज्य स्तर पर ही प्रति इकाई 15 लाख रुपये तक के उपकरणों की संस्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1.4.2007 से प्रति बीमित व्यक्ति परिवार इकाई चिकित्सा देख-रेख उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम सीमा 900 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है ताकि राज्य सरकारें कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में सुधार ला सकें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को चिकित्सा योजना में सुधार लाने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रति बीमित व्यक्ति प्रति परिवार इकाई 50 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

3. इसके अतिरक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी स्वयं की लागत पर अस्पताल की इमारतों के निर्माण/मरम्मत तथा रख-रखाव पर सम्पूर्ण व्यय तथा अधिकतम सीमा से बाहर प्रति इकाई उपस्करों की 25,000 रुपये से अधिक लागत का अंशदायी व्यय कर रहा है।

4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अति विशेषज्ञता/विशेषज्ञता उपचार, दवाइयां तथा ड्रैसिंग को खरीदने एवं उपकरणों की खरीद, मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए अग्रिम/प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए चक्रीय निधि योजना प्रारम्भ की है।

5. कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अनुपलब्ध अति विशेषज्ञता/विशेषज्ञता सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य

प्रसिद्ध सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्थाएं की गयी हैं।

6. दवाइयों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ऐलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए दर संविदाएं तैयार करता है तथा उन्हें दवाइयों की खरीद करने के लिए सभी राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

7. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने व्यावसायिक एजेंसियों से सात कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को श्रेणीकृत करा लिया है तथा अन्य कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के श्रेणीकरण की कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी गयी है।

8. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने अस्पतालों के लिए आई.एस.ओ. 9001-2000 प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली में एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा एक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय को पहले ही आई.एस.ओ. प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया है।

9. कर्मचारी राज्य बीमा निगम कम्प्यूटरीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था संबंधी सम्पूर्ण व्यय करता है।

*विवरण*

*1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किए गए मामले:*

बीमित व्यक्तियों/महिलाओं द्वारा गलत ब्यौरा प्रस्तुत करने, जिसके कारण उसे अधिक भुगतान किया गया, के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 84 के अंतर्गत उनके विरुद्ध दायर किये गये अभियोजन निम्नलिखित शर्त के अधीन वापस लिये जा सकते हैं कि:

1. बीमित व्यक्ति/महिला द्वारा प्राप्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि निगम को पूरी वापस कर दी जाए।

2. बीमित व्यक्ति/महिला द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र भी दिया जाता है कि भविष्य में वह गलत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।

*2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 और 85-क के अंतर्गत नियोजकों के विरुद्ध दायर किये गये मामले:*

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 और 85-क के अंतर्गत नियोजकों के विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2007 तक दायर किये गये सभी अभियोजन मामले निम्नलिखित शर्तों के अधीन वापस लिये जा सकते हैं:

1. नियोजन अभियोजन की अवधि के लिए कर्मचारियों तथा नियोजकों दोनों के ही अंशदान का पूरा अंश अदा करेगा तथा वह अधिनियम के अन्य उपबंधों का पालन करेगा।

2. नियोजक द्वारा अभियोजन की अवधि के लिए देय ब्याज का पूरा भुगतान किया जाता है।

3. नियोजक, अभियोजन की अवधि के लिए लगाए गए अथवा लगाए जाने योग्य हर्जानों का 25% भुगतान करेगा।

4. नियोजक, निगम को इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा/करेगी कि वह भविष्य में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों का नियमित रूप से अनुपालन करेगा/करेगी अथवा वह ऐसी सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा/जाएगी।

*3. अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नियोजकों द्वारा दायर किये गये मामले:*

सर्वक्षमा योजना में ऐसे मामले भी शामिल होंगे जिनमें नियोजक ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत कर्मचारी बीमा न्यायालय में अंशदान की संरक्षणीयता (कवरेबिलिटी) अथवा निर्धारण को विवाद बनाया हो:

(1) नियोजक मुकदमेबाजी की अवधि के लिए कर्मचारियों तथा नियोजकों दोनों के ही अंशदान का पूरा अंश अदा करेगा तथा वह अधिनियम के अन्य उपबंधों का पालन करेगा।

(2) नियोजक द्वारा अभियोजन की अवधि के लिए देय ब्याज का पूरा भुगतान किया जाता है।

(3) नियोजक, अभियोजन की अवधि के लिए लगाए गए अथवा लगाए जाने योग्य हर्जानों का 25% भुगतान करेगा।

(4) नियोजक, निगम को इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा/करेगी कि वह भविष्य में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों का नियमित रूप से अनुपालन करेगा/करेगी तथा उसकी ओर से बाद की किसी अवधि में कोई चूक नहीं की जाएगी।

**विषैली गैस रिसने के कारण नौसेना कर्मियों की मृत्यु**

621. **श्री गिरिजेश कुमार:**
**श्री मनोरंजन भक्त:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित समाचार के अनुसार नौसेना के जहाज 'जलाश्व' में विषैली गैस के सांस के साथ अंदर जाने से कुछ नौसेना कर्मियों की जहाज पर ही मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) जी, हां। 1 फरवरी, 2008 को जब भारतीय नौसेना पोत, भा.नौ.पो. जलाश्व समुद्र में था तो पोत पर सवार भारतीय नौसेना के एक अफसर और पांच नाविकों की विषैली गैस, जो जाहिर तौर पर अचानक ही रिस गई थी, के सांस के साथ अंदर जाने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में एक जांच बोर्ड बिठाया गया है।

*[हिन्दी]*

**ईएसआई कर्मचारियों को दैनिक भत्ता**

622. **श्री शिशुपाल एन. पटले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए उनकी बीमारी के मामले में दैनिक भत्ते में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 23.12.2006 को आयोजित अपनी बैठक में बीमारी हितलाभ की दैनिक दर को वर्तमान मानक हितलाभ दर का 100% से बढ़ाकर 120% करने का निर्णय लिया है। बढ़ाई गई दर को भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 685(अ) दिनांक 31.10.2007 द्वारा 1.12.2007 से प्रभावी किया गया है।

(ग) और (घ) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार किये गये बीमाकृत व्यक्तियों के आकलन के आधार पर 1.01 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत कवर किये गये थे। इन सभी बीमाकृत व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है यदि ये बीमारी हितलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

**बीपीएल परिवारों द्वारा खाद्यान्नों की कम खपत**

623. **श्री संजय धोत्रे:**
**श्री दलपत सिंह परस्ते:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों द्वारा खाद्यान्न, अनाज, दलहन, खाद्य तेल और चीनी का उपभोग देश में उनकी उपलब्धता से भी काफी कम किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत उक्त जिंसों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तथा उनके आवंटन और विभिन्न श्रेणियों द्वारा उसका उपभोग करने का वर्ष-वार, राज्यवार और श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**कृषि अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता**

624. **श्री सुव्रत बोस:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना के विकास और उन्नयन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कृषि हेतु 5000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्र और राज्यों का कितना योगदान है;

(च) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पुनर्वित्तपोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कृषि अवसंरचना के उन्नयन सहित कृषि के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान योजना व्यय निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | योजना स्कीमों पर वास्तविक व्यय |
|---|---|
| 2004-05 | 2676.77 |
| 2005-06 | 3848.16 |
| 2006-07 | 4675.03 |
| 2007-08 (31 जनवरी, 2008 तक) | 5428.30 |

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(च) और (छ) सूचना एकत्र की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**मोबाइल सेटों का खराब न करना**

**625. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए मोबाइल सेटों को बड़ी संख्या में वापस लौटाया जा रहा है क्योंकि ये सेट ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक बीएसएनएल और एमटीएनएल के मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या निजी मोबाइल फोन सेवा प्रदाता देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जबकि बीएसएनएल के मोबाइल सेट उपभोक्ता नेटवर्किंग और क्रॉस कनेक्शन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स (जीएसएम) आधारित सेल्युलर मोबाइल उपभोक्ताओं को हैंडसैट उपलब्ध नहीं कराता और इसलिए इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीएसएनएल के जीएसएम सेल्युलर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | निम्नलिखित तिथि के अनुसार | जीएसएम आधारित सेल्युलर मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | बीएसएनएल | एमटीएनएल |
| 1. | 31.3.2005 | 94,47,357 | 8,81,696 |
| 2. | 31.3.2006 | 1,71,63,761 | 19,41,155 |
| 3. | 31.3.2007 | 2,74,28,658 | 27,46,814 |
| 4. | 31.1.2008 | 3,37,48,599 | 30,13,199 |

(घ) से (च) बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही जीएसएम आधारित स्लूक्लर मोबाइल टेलीफोन सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और आमतौर पर यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओ एस) के उन पैरामीटरों को पूरा भी करती है, जो इसने अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं। बीएसएनएल उत्तरोत्तर रूप से अपने मोबाइल नेटवर्क में वृद्धि कर रहा है ताकि सेवा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए वह अपनी कवरेज को और बढ़ा सके। बीएसएनएल अपने कार्य निष्पादन के लिए सतत रूप से अपने नेटवर्क का इष्टतम उपयोग कर रहा है। नेटवर्क की निगरानी को और सुदृढ़ किया गया है ताकि ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटरों के अनुसार कार्यनिष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

*[अनुवाद]*

**आईसीएआर के कार्यकलाप**

**626. प्रो. एम. रामदास:**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हस्तक्षेप करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आईसीएआर द्वारा किये गये अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोजना, अनुसंधान और विकास, मूल्यवर्धन और कृषि उत्पादों के विपणन में शामिल अन्य एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न एजेंसियों द्वारा कृषि उत्पादन में शामिल होने और सुझाव देने से किसान भ्रमित हो जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की सोच में स्पष्टता लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधिदेश इसके 95 संस्थानों, 61 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं, 16 नेटवर्क तथा 558 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा फार्म प्रौद्योगिकियों का विकास करना, उनका वैधीकरण करना और उनका प्रदर्शन करना है। पिछले तीन वर्षों में अनुसंधान कार्य उच्च फसल की उपज वाली किस्मों/संकरों, संसाधन प्रौद्योगिकियों, समेकित फार्मिंग, आर्गेनिक फार्मिंग, इनपुट उपयोग क्षमता, क्वालिटी बीज तथा मानव संसाधन, उन्नत फार्म मशीनरी व उपकरण, उन्नत पशुधन व मात्स्यिकी के विकास कार्य पर केन्द्रित रहा।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्तर का एक सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है तथा इसका अधिदेश शिक्षा, अनुसंधान तथा उसका समन्वयन है और इस अनुसंधान का उपयोग पशु विज्ञान व मात्स्यिकी सहित कृषि के क्षेत्र में करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के किसानों के लिए सहायक संबंधित और उभरते मुद्दों पर अनेक नई परियोजनाएं/कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। प्रारंभ की गई इन पहलों में खपत के अनुसार उत्पादन बढ़ाना तथा ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट; कृषि शिक्षा, अनुसंधान सेवा तथा व्यावसायिक सम्पर्क के क्षेत्रों के पारस्परिक सुदृढ़ता के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को तलाशना और उन पर कार्य करने हेतु इंडो यू एस नालेज इनिसिएटिव; मूल व नीतिगत अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु 'नेशनल फंड फार बेसिक एंड स्ट्रेटिजिक रिसर्च एंड प्रोजेक्ट तथा कृषि फसल व मात्स्यिकी में क्वालिटी बीज का उत्पादन शामिल है। 'इन्सेक्ट बायोसिस्टमेटिक्स' 'ट्रांसजेनिक्स' इम्पेक्ट एडेप्शन एंड वलनेरेबिलिटी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज' आर्गेनिक फार्मिंग, वेटरनरी टाइप कल्चर, प्रोस्पेक्टिंग एम्प्लायमेंट एंड मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रोआर्गेनिज्म आदि नेटवर्क कार्यक्रमों पर कार्य आरंभ किया गया। फार्म उत्पादन, आय व पोषण सुरक्षा को बढ़ाने हेतु कृषि की विविधीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सोलापुर में एक राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र की स्थापना भी की गई। बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण तथा कृषि प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के व्यावसायीकरण के लिए 'इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर/कामर्सिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टैक्नोलॉजी पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देशों को स्थान दिया गया है।

(ग) योजना, अनुसंधान और विकास गतिविधियों में योजना आयोग, कृषि मंत्रालय के सहयोगी विभाग, वैज्ञानिक विभाग तथा संगठन जैसे विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन तथा वित्त, राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध विभाग शामिल हैं।

(घ) कमोडिटी केन्द्रित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विभिन्न सूचना स्रोतों से प्राप्त होने के कारण कभी-कभी प्रौद्योगिकी उपयोगकर्त्ताओं को भ्रमित कर सकता है।

(ङ) प्रौद्योगिकियों की प्रसार पद्धति को जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना व उसके सुदृढ़ीकरण तथा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी द्वारा केन्द्रीभूत करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**हथकरघा उद्योग के उन्नयन और विकास हेतु योजना**

**627. श्री गणेश सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के उन्नयन और विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई/आवंटित किये जाने की संभावना है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ई.एम.के.एस. इलैंगोवन ):** (क) और (ख) जी, हां, भारत सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई हैं:

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(2) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(4) मिलगेट कीमत योजना

(5) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आयोजना परिव्यय विचाराधीन है। वर्ष 2007-08 के लिए हथकरघा क्षेत्र का आयोजना परिव्यय 315 करोड़ रुपये है।

*[अनुवाद]*

**जटरोफा की खेती**

**628. श्री किन्जरापु येरनायडु:**
**श्री विजय कृष्ण:**
**श्री प्रभुनाथ सिंह:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जैव डीजल के उत्पादन हेतु जटरोफा की खेती के लिए 40 हेक्टेयर परती भूमि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ सरकारी एजेंसी या निजी संगठनों के माध्यम से जटरोफा की खेती की जाएगी;

(ग) देश में जैव डीजल की कुल खपत की तुलना में इसका कितने प्रतिशत उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) देश में राज्यवार जटरोफा की खेती के अंतर्गत कितना भू-क्षेत्र है;

(ङ) देश में राज्यवार कितने जैव-डीजल उत्पादन संयंत्र हैं;

(च) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जैव-ईंधन विकास बोर्ड गठित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और किसानों की जैव-ईंधन वाली फसलों की खेती करने हेतु क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ):** (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने जटरोफा की खेती के लिए 40495 हैक्टेयर परती भूमि का पता लगाया है। परती भूमि में जटरोफा की खेती स्वावलम्बी समूहों (एसएचजी) ग्राम पंचायतों तथा सहकारी सोसायटियों के माध्यम से की जानी प्रस्तावित है।

(ग) क्योंकि देश में जैव-डीजल का उत्पादन अभी व्यवस्थित ढंग से शुरू किया जाना है, इसलिए जैव-डीजल के उत्पादन के कोई प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) देश में जटरोफा का पौध रोपण समेकित वृक्ष एक तिलहन स्कीम के विकास के अधीन राष्ट्रीय तिलहन एवं वानस्पतिक तेल विकास (नोवोड) बोर्ड द्वारा किया गया है। बोर्ड द्वारा दिये गये जटरोफा पौध रोपण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ङ) सरकार ने देश में किसी जैव-डीजल उत्पादन संयंत्र की स्थापना नहीं की है।

(च) और (छ) सरकार के समक्ष सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और अन्य विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ समन्वय

करके राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय जैव-ईंधन विकास बोर्ड की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है। किसानों सहित सभी लाभानुभोगियों को जैव-डीजल, जैव-एथानोल और अन्य जैव-ईंधनों के लिए फीडस्टाक मुहैया कराने वाले पौधों का पौध रोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

*विवरण*

*केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "समेकित वृक्ष मूल तिलहन विकास" के अधीन नोवोड बोर्ड द्वारा किये गये जटरोफा पौध रोपण का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जटरोफा पौध रोपण के अधीन क्षेत्र (है. में) |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 355 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 185 |
| 3. | बिहार | 10 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 604 |
| 5. | गुजरात | 1429 |
| 6. | हरियाणा | 479 |
| 7. | झारखण्ड | 700 |
| 8. | कर्नाटक | 374 |
| 9. | केरल | 50 |
| 10. | मणिपुर | 250 |
| 11. | मिजोरम | 400 |
| 12. | मेघालय | 113 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1634 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 823 |
| 15. | नागालैण्ड | 440 |
| 16. | राजस्थान | 176 |
| 17. | तमिलनाडु | 464 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 779 |
| 19. | उत्तराखण्ड | 618 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 100 |
| | कुल | 10083 |

**आतंकवादी हमलों में मारे गये रक्षाकर्मियों के परिवारों को मुआवजा**

**629. श्री मदन लाल शर्मा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादी हमलों में कितने सशस्त्र सेनाकर्मी मारे गए/घायल हुए;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और अन्य समूहों की उग्रवादी गतिविधियों के कारण कितने सशस्त्र सेनाकर्मी मारे गए;

(ग) क्या सरकार द्वारा उन रक्षाकर्मियों के परिवारों और आश्रितों का ध्यान रखा गया है और उन्हें आवश्यक मुआवजा, पारितोषिक या इनाम दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान और दिनांक 27.2.2008 तक जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादी कार्रवाई के दौरान मारे गये और घायल सेना कार्मिकों के ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं:

| वर्ष | मारे गए सेना कार्मिक | घायल सेना कार्मिक |
|---|---|---|
| 2005 | 136 | 267 |
| 2006 | 89 | 138 |
| 2007 | 83 | 213 |
| 2008 (27.2.2008 तक) | 5 | 8 |

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी कार्रवाई के कारण मारे गये सेना कार्मिकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

| वर्ष | मारे गए सेना कार्मिक |
|---|---|
| 2005 | 30 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 6 |
| 2008 (27.2.2008 तक) | 1 |

सशस्त्र सेना कार्मिक जो आतंकवादी अभियानों और युद्धपैठ की कार्रवाईयों के दौरान मारे गए, उनके निकटतम संबंधियों को निम्नलिखित पेंशन संबंधी लाभ देय हैं:

1. उदारीकृत पेंशन लाभ

(क) *अफसर:*

(1) विधवाओं के मामले में मृतक द्वारा आहरित अंतिम संगणीय आय के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन।

(2) यदि मृतक अविवाहित था अथवा अपने पीछे विधवा पत्नी/बच्चा नहीं छोड़ा है तो अफसरों के आश्रित माता-पिता दोनों को मृतक आहरित अंतिम संगणीय आय के 75% के हिसाब से परिवार पेंशन तथा केवल माता-पिता के मामले में उदारीकृत परिवार पेंशन का 60 प्रतिशत।

(ख) *अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक:* सभी मामलों में मृतक आहरित अंतिम संगणीय आय के बराबर।

2. उपदान-यह अंतिम आहरित न्यूनतम वेतन से दोगुना तथा अधिकतम 3.5 लाख रुपये के अध्यधीन सेवा की वर्ष संख्या पर निर्भर करता है।

3. अनुग्रह राशि—5.00 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपए।

4. सशस्त्र सेना समूह बीमा निधि: कमीशन प्राप्त अफसर के निकटतम संबंधी को 15 लाख रुपए तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक के निकटतम संबंधी को 7.5 लाख रुपए।

**दूरभाष निर्देशिका जारी करना**

630. **श्री फ्रांसिस्को खोज्मी सारदीना:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा दूरसंचार सर्किल द्वारा दूरभाष निर्देशिका प्रकाशित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो गोवा दूरसंचार सर्किल द्वारा अंतिम दूरभाष निर्देशिका कब प्रकाशित की गई थी;

(ग) नई दूरभाष निर्देशिका कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा दूरभाष निर्देशिका का नियमित रूप से प्रकाशन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) महोदय, गोवा दूरसंचार सर्किल के लिए पिछली दूरभाष निर्देशिका वर्ष 2002 में प्रकाशित हुई थी।

(ग) गोवा दूरसंचार सर्किल के लिए नई दूरभाष निर्देशिका अप्रैल, 2008 तक प्रकाशित होने की संभावना है।

(घ) बीएसएनएल ने गोवा दूरसंचार जिले के लिए निर्देशिका प्रकाशित करने के लिए संविदा प्रदान कर दी है। अप्रैल, 2008 तक मुख्य निर्देशिका और तत्पश्चात अतिरिक्त प्रविष्टियों, परिवर्तनों और विलोपन सहित दो अनुपूरक निर्देशिकाएं अप्रैल, 2009 और अप्रैल, 2010 तक प्रकाशित होने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**डाकघरों में बचत बैंक खाताधारकों की संख्या**

631. **श्री कादीराम राणा:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2007 तक डाकघरों में बचत बैंक खाताधारकों की संख्या कितनी है;

(ख) 31 अक्तूबर, 2004 और 31 अक्तूबर, 2007 को इन बचत बैंक खातों में कितना धन जमा था;

(ग) क्या डाक विभाग ने ब्याज दरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसके कारण लोगों ने डाकघरों से अपना धन निकाल लिया और वे डाकघरों में धन जमा कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अधिकारी दोषी पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) महोदय, विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय से कमीशन वसूल करने हेतु प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर डाकघरों में बचत बैंक खातों की संख्या के आंकड़े समेकित किये जाते हैं। इस प्रकार 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार बचत बैंक खातों (सभी प्रकार की बचत योजनाओं) की संख्या 17.55 करोड़ है।

(ख) महोदय, 31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार बचत बैंक खातों में जमा राशि 70079.35 करोड़ रु. और 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार 57290.85 करोड़ रु. थी।

(ग) महोदय, ब्याज दरें निर्धारित करने सहित लघु बचत योजनाओं संबंधी नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। डाक विभाग इन योजनाओं का प्रचालन एजेंसी कार्यकलाप के रूप में करता है और इसके लिए वित्त मंत्रालय समय-समय पर निर्धारित दर पर पारिश्रमिक देता है। डाक विभाग विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर सार्वजनिक बैंकों के समकक्ष बढ़ाने के मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष भी उठा चुका है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**रुपये के मूल्य में वृद्धि के कारण रोजगार के अवसरों में कमी**

632. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
**श्री रामजीलाल सुमन:**
**श्री रूपचन्द पाल:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में वृद्धि के कारण गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार के अवसरों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उक्त अवधि के दौरान देश में क्षेत्र-वार रोजगार के अवसरों में अनुमानत: कितनी कमी आई; और

(घ) जिन क्षेत्रों में उक्त कमी आई उनका ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2004-05 के दौरान किया गया। रोजगार एवं बेरोजगारी पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के पिछले दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार अवसर वर्ष 1999-2000 में 397 मिलियन से बढ़ कर वर्ष 2004-05 में 459.1 मिलियन हो गए। डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**फसल की हानि**

633. **श्री मोहन रावले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को ग्लोबल वार्मिंग और उससे फसलों को होने वाले परिणामिक खतरे के बारे में जानकारी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को विपणन तकनीक और फसल संबंधी योजना बनाने में प्रशिक्षित करने का है ताकि उन्हें अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) देश में पशुधन, मात्स्यिकी, बागवानी एवं वानिकी सहित कृषि प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के मुख्य उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 10वीं योजना के दौरान जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि के प्रभाव अनुकूलन एवं संवेदनशीलता पर एक नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया है।

12-13 अक्तूबर, 2007 को नई दिल्ली में हुए भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर जनजागरूकता ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव तथा फसलों पर अनुवर्ती प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहा है।

किसानों और विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण, उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनों तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के जरिये प्रचार, विगोपन दौरों, प्रदर्शनियों, कृषि मेलों, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता सहित आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों तथा अन्य संबंधित सूचना के बारे में किसानों को

जागरूक करने के लिए कृषि मंत्रालय विभिन्न राज्यों में अनेक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। उपर्युक्त घटकों वाली महत्वपूर्ण स्कीमों में शामिल हैं: विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, वृहत कृषि विकास प्रबंधन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिसन तथा खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, राज्यों को उनके संबंधित राज्य में कृषि के समेकित विकास के लिए अपेक्षित किन्हीं क्रियाकलापों को अनुमोदित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

### जवानों के परिवारों को आवास देना

634. श्री धारसन्नाह यादव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेना के जवानों के परिवारों को आवास देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कितने यूनिटों के जवानों को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जा सकती है; और

(घ) सभी यूनिटों को उक्त सुविधा कब तक दिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) 25 वर्ष से अधिक आयु के विवाहित सैनिकों को प्राधिकृत विवाहित स्थापना के मानदंडों के अनुसार विवाहित व्यक्तियों वाला आवास उपलब्ध कराया जाता है। सैनिक शांति/संशोधित फील्ड स्टेशनों पर अपने साथ अपने परिवारों को रखने के लिए प्राधिकृत हैं। विवाहितों के लिए आवास परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवासों का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

*[अनुवाद]*

### राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना

635. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा कार्यक्रम (एनसीपीपी) और गत तीन वर्षों के दौरान उसके लिए आवंटित जारी और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में तमिलनाडु के किसी प्रस्ताव को स्वीकृत दी जानी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कटावरोधी उपाय प्रारंभ किये गये हैं। समुद्रीय कटावरोधी समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए बाह्य वित्तपोषण की मांग के लिए एक राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एनसीपीपी) तैयार करने का विचार किया गया है। तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त वितरण के आधार पर एक दृष्टिकोण दस्तावेज बाह्य वित्तपोषण एजेंसी को प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया था जिसे उसने विचार के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को भेजा है।

एशियाई विकास बैंक के फैक्ट फाइंडिंग मिशन के स्मरण-पत्र में सभी समुद्र तटीय राज्यों को शामिल करते हुए स्थायी तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के लिए बहुस्तरीय निवेश कार्यक्रम के संबंध में उल्लेख किया गया है।

प्रथम चरण में, एशियाई विकास बैंक तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से व्यवहार्य निवेश प्रस्ताव तैयार करने में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को तकनीकी सहायता (टीए) उपलब्ध कराने के लिए सहायता हो गया है तथा स्थायी तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना के तहत स्थायी तटरेखा संरक्षण और तटीय प्रबंधन के लिए पद्धतियां प्रस्तुत की हैं।

*[हिन्दी]*

### मोबाइल टावर स्थापित करना

636. श्री टेकलाल महतो: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा झारखंड में विशेषकर धनबाद, बोकारो, रांची और जमशेदपुर में सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सेवा को सुधारने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य में स्थानवार कितने मोबाइल कनेक्शन आवंटित किये गये हैं और कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) झारखंड में कुल कितने बी.एस.एन.एल. मोबाइल टावर कार्य कर रहे हैं तथा वर्ष 2006-07 के दौरान आज की तिथि के अनुसार इस प्रयोजनार्थ स्थानवार किये व्यय का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा प्रदत्त जीएसएम आधारित सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आमतौर पर इन स्थानों सहित झारखंड में संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। तथापि, विभिन्न अभिकरणों द्वारा किये जा रहे विविध क्रियाकलापों जैसे सड़क चौड़ी करना आदि के कारण कभी-कभार लंबी दूरी के माध्यमों से कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें तत्काल दूर किया जाता है।

(ख) और (ग) बीएसएनएल अपने मोबाइल नेटवर्क में उत्तरोत्तर संवर्धन कर रहा है ताकि अपने कवरेज, क्षमता में वृद्धि कर सके तथा सेवा गुणवत्ता में भी सुधार ला सके। बीएसएनएल अपने बेहतर निष्पादन के लिए अपने नेटवर्क का भी लगातार इष्टतम उपयोग कर रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की निगरानी भी सुदृढ़ की गई है।

(घ) और (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

*विवरण*

*झारखंड में चालू मोबाइल कनेक्शनों एवं मोबाइल टावरों की संख्या का विवरण*
*(दिनांक 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | एसएसए का नाम (गैप स्विचन क्षेत्र) | आवंटित रेडियो क्षमता | वर्तमान रेडियो क्षमता | चालू कनेक्शनों की सं.* | चालू मोबाइल टावरों की सं. | वर्ष 2006-07 में व्यय | वर्ष 2007-08 में जनवरी, 08 तक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रांची | 358376 | 140057 | | 136 | 10964408 | 69455789 |
| 2. | जमशेदपुर | 274795 | 112000 | | 100 | 4728099 | 10685828 |
| 3. | धनबाद | 296894 | 120000 | | 94 | 11908168 | 11415031 |
| 4. | हजारीबाग | 213103 | 80000 | | 95 | 1569744 | 1569744 |
| 5. | दुमका | 212637 | 65000 | | 75 | 3343673 | 18221008 |
| 6. | डाल्टनगंज | 127595 | 33000 | | 35 | 4707823 | 4712723 |
| | कुल योग | 1483400 | 550057 | 517019 | 535 | 37221915 | 116060123 |

*जीएसएम आधारित मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता संपूर्ण सेवा क्षेत्र से जुड़ा होता है न कि सेवा क्षेत्र में किसी विशेष गांव/कस्बे से। इसीलिए, उपभोक्ताओं के लिए स्थानवार आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

**बीएसएनएल सेवाओं की शिकायतों में वृद्धि**

637. श्री महावीर भगोरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में गलत बिल आने, कम संख्या में टावरों का होना, बार-बार सम्पर्क टूटना, अत्यधिक संख्या में सिम कार्डों का जारी किया जाना, आवाज में रुकावटें आना इत्यादि के संबंध में शिकायतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समस्याओं की वजह से नए कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य और संबंधित उपलब्धियों के बीच भारी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा राज्यवार कितने बेसिक और मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन वापस लौटाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, नहीं। सामान्यत: पिछले वर्ष की तुलना में ऐसी शिकायतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

*[अनुवाद]*

## हल्दी की खेती

**638. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हल्दी की कीमतों में आई भारी कमी की वजह से आंध्र प्रदेश में हल्दी उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने नेफेड को किसानों से लाभकारी मूल्य पर हल्दी की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (2006, 2007 और 2008) के दौरान हल्दी के मूल्यों में थोड़ी गिरावट हुई थी किन्तु उपर्युक्त अवधि के दौरान हल्दी के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट की सूचना नहीं है।

वर्ष 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश मार्कफेड ने निजामाबाद तथा मेटपल्ली (करीमनगर) मंडी केन्द्रों से 2100 रु. से 2200 रुपये तक की दर पर 1100 क्विंटल हल्दी की खरीद की। चालू वर्ष के दौरान, आंध्र प्रदेश मार्कफेड ने 3,000 रु. प्रति क्विंटल की दर पर हल्दी की खरीद के लिए अरमूर, निजामाबाद जिलों में खरीद केन्द्र खोले हैं।

(ग) से (ङ) कृषि मंत्रालय जल्दी खराब होने वाली और मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन कवर नहीं की गई कृषि एवं बागवानी जिन्सों की खरीद के लिए नेफेड के माध्यम से एक मंडी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। हल्दी मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अधीन, खरीद की जाने वाली जिन्सों में से एक है। यह स्कीम उन राज्यों/संघ शासित प्रदेश की सरकार के विशेष अनुरोध पर कार्यान्वित की गई जो हानि को 50:50 के आधार पर वहन करने के इच्छुक हैं। हानि प्रापण लागत के 25% तक प्रतिबंधित है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य उत्पादन में भरमार तथा मूल्यों के आर्थिक स्तर से नीचे गिर जाने पर किसानों द्वारा मजबूरी में की जाने वाली बिक्री से बचना है।

## मृदा अपरदन

**639. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान तथा मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग, योजना राष्ट्रीय ब्यूरो के अनुसार मृदा अपरदन कृषि उत्पादन में गिरावट के लिए जिम्मेवार हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां। देश में कृषि उत्पादन में गिरावट के लिए जिम्मेदार मृदा कटाव भी एक कारण है।

(ख) अद्यतन आकलनों के अनुसार करीब 73 तथा 12 मिलियन हैक्टेयर क्रमश: जल क्षरण तथा हवा अपरदन के अंतर्गत है। रफ आकलन ने देश में मृदा कटाव के कारण करीब 12 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन में नुकसान दर्शाया है।

केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून ने कई स्थान विशिष्ट कटाव नियंत्रण उपाय विकसित किये हैं जिन्हें कृषि उत्पादकता में गिरावट को रोकने के लिए अनेक अभिकरणों द्वारा विभिन्न समाकलित जलसंभर प्रबंध कार्यक्रमों के जरिये कार्यान्वित किया जा रहा है। यह संस्थान विभिन्न कटाव

नियंत्रण उपायों की लोकप्रियता के लिए फील्ड कार्यकर्त्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

**रुपये के मूल्य में वृद्धि की वजह से नौकरियां छूटना**

**640. श्री एस.के. खारवेनथन:**
**श्री लालचन्द पाल:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपये के मूल्य में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्त्र क्षेत्र में कार्यरत काफी संख्या में कामगारों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं व उनकी छटनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्योग में नौकरियों की हानि रोकने हेतु, सरकार के पास वस्त्र क्षेत्र को नकदी मुआवजा और ऋण सुविधाएं इत्यादि जैसी सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) और (ख) भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) की रिपोर्ट दर्शाती है कि रुपए के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण 2007-08 में निर्यातों में गतिहीनता तथा इसके फलस्वरूप वस्त्र निर्यात में आई गिरावट से लगभग 5.79 लाख संभावित नए नौकरियों की हानि होगी। वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग में प्रत्यक्ष रोजगार में 2.72 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सीआईटीआई की रिपोर्ट में नौकरी की हानि का कोई परिमाण नहीं बताया गया है जो कि पहले हुआ होगा।

(ग) से (ङ) सरकार ने निर्यात मन्दन को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) शुल्क वापसी योजना की शुल्क हकदारी पासबुक योजना (डीईपीबी) के तहत वस्त्र निर्यात उत्पादों की रिफंड की दर को बढ़ा दिया गया है।

(2) अंतिम उत्पादन शुल्क को तुरंत वापस करने का आदेश दिया गया है।

(3) विस्तृत आवधिक कवरेज के साथ रियायती निर्यात ऋण को लागू किया गया है।

(4) वस्तुओं के निर्यातों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सेवा शुल्क की वापसी अधिसूचित की गई है।

**खाद्यान्नों की खरीद**

**641. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और प्राइवेट ट्रेडर्स की निगरानी हेतु कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और प्राइवेट ट्रेडर्स द्वारा वर्षवार कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई;

(ङ) क्या गेहूं और गेहूं उत्पादों को शुल्कमुक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर बेचा जा रहा है जो भारत सरकार के लिए लागू है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित प्राइवेट पार्टियों, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, को अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और प्राइवेट व्यापारियों द्वारा की जाने वाली खाद्यान्नों की खरीदारी के बारे में सरकार द्वारा ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, प्राइवेट व्यापारियों द्वारा की जाने वाली गेहूं की खरीदारी पर निगाह रखने और कर चोरी को रोकने के लिए 1.3.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2007 नामक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें प्राइवेट व्यापारियों के लिए 2007-08 के

दौरान 50,000 टन से अधिक गेहूं खरीदने पर उसके लिए खरीदारी की घोषणा करना अनिवार्य बनाया गया है। अक्तूबर, 2007 से सितम्बर, 2008 तक के दौरान प्राइवेट व्यापारियों द्वारा 10,000 टन से अधिक मात्रा में चावल की खरीदारी करने और 2008-09 के दौरान 10,000 टन से अधिक गेहूं की खरीदारी करने की सूचना देने के लिए इसी प्रकार के आदेश क्रमशः 27.1.12007 और 11.2.2008 को अधिसूचित किये गये हैं।

(घ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और प्राइवेट व्यापारियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीदारी के बारे में ब्यौरे सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने सरकारी खाते पर किये जाने वाले आयात के लिए यथा लागू शून्य आयात शुल्क पर ही प्राइवेट व्यापारियों द्वारा गेहूं और गेहूं के आटे का आयात करने की अनुमति दी है। तथापि, चूंकि गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घरेलू मूल्यों से काफी अधिक हैं, इसलिए प्राइवेट व्यापारियों द्वारा गेहूं का आयात करने की बहुत कम संभावना है।

*[हिन्दी]*

**छोटे भू जोतों हेतु कम लागत वाली तकनीक**

642. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
**श्री हरिसिंह चावड़ा:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे भू जोतों हेतु कोई कम लागत वाली तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटने तथा उनके छोटे होते आकारों की वजह से कृषि अव्यवहार्य होती जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने छोटे भू-जोतों के लिए अनेक स्थान विशिष्ट और लागत प्रभावी तकनीकों का विकास किया है, जैसे-जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई, स्व:स्थाने जल संरक्षण, वर्मीकम्पोस्टिंग, जैव-उर्वरकों, जैव-नाशीजीवनाशकों तथा खेत के कार्यों के लिए सरल औजारों और उपकरणों का विकास करना। "छोटे किसानों के लिए प्रणाली आधारित कम लागत वाली उत्पादन प्रौद्योगिकियां" नामक एक प्रकाशन भी जारी किया गया है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) और (ङ) भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटने तथा उनके छोटे होते आकारों ने उपज कम करने के अलावा लागत, समय और श्रम संबंधी विभिन्न खेत परिचालनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकार भूमि जोतों को व्यवहार्य बनाने के लिए भूमि की चकबंदी तथा सहकारिता/संविदा कृषि को बढ़ावा दे रही है।

**गन्ना बकाया**

643. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
**श्री प्रतीक पी. पाटील:**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में अभी भी चीनी मिलों के पास गन्ना उत्पादकों और कामगारों के करोड़ों रुपये बकाया हैं;

(ख) क्या अनेक राज्यों में चीनी मिलों द्वारा किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने की वजह से किसानों ने आत्महत्याएं की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा चीनी मिलों को उनकी बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार अन्य उत्पादों में गन्ना के वैकल्पिक प्रयोग की संभावना तलाशने पर विचार कर रही है ताकि गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) 30.11.2007 की स्थिति के अनुसार गत चीनी मौसम 2006-07 के लिए किसानों का गन्ना मूल्य बकाया 1,651.45 करोड़ रुपये था। तथापि, इस विभाग द्वारा कामगारों के बकायों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) वर्तमान चीनी मौसम में गन्ना बकायों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या करने के किसी मामले के बारे में किसी भी राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गन्ने की पेराई मुख्य रूप से चीनी, गुड़ और खंडसारी के उत्पादन के लिए की जाती है। तथापि, सरकार ने हाल में 28.12.2007 की अधिसूचना द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया है जिसके द्वारा चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने के रस से सीधे इथनॉल का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। अन्य उत्पादों में गन्ने के वैकल्पिक उपयोगों का पता लगाने के लिए अन्य कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) हाल में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## अनाज जीन बैंक

644. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल जैसे अनाज के पुराने बीज समाप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे बीजों के संरक्षण हेतु अनाज जीन बैंक स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) खाद्य मांगों को पूरा करने के लिए अनाज फसलों की कम पैदावार वाली पुरानी किस्मों को नई उच्च पैदावार वाली किस्मों/संकरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

(ख) नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का राष्ट्रीय अधिदेश सभी फसल पौधों की पारम्परिक भूमि किस्मों और जंगली तथा खरपतवार से जुड़ी प्रजातियों का संग्रहण और सुरक्षित संरक्षण करना है।

(ग) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के राष्ट्रीय जीन बैंक (स्लीड जीन बैंक) के पास वर्तमान में चावल भूमि किस्मों और उनकी जंगली प्रजातियों की कुल 83,066 प्रविष्टियां हैं।

## किसानों के साथ संयुक्त अनुसंधान

645. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनुसंधान गतिविधियों को प्रयोगशालाओं तक सीमित न करके किसानों के साथ संयुक्त अनुसंधान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी, हां। यह विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों के सबसे निचले उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त फीड बैंक के आधार पर कृषि के योग्य प्रौद्योगिकियों को तैयार करता है। इन प्रौद्योगिकियों का संस्थानों द्वारा सबसे पहले अपनी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है और उसके बाद किसानों के साथ संयुक्त रूप से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिष्करण और प्रदर्शन के लिए देश में 558 कृषि विज्ञान केन्द्रों के एक विशाल नेटवर्क का सृजन किया है। वैधीकृत प्रौद्योगिकियों को उसके बाद किसानों के लिए आगे भेजा जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 71,640 अग्र-पंक्ति के प्रदर्शन आयोजित किये गये जिनमें शामिल हैं तिलहनों (18,306), दलहनों (13,042), कपास (6206) और अन्य महत्वपूर्ण फसलों (31,248), तथा इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र

है 25,000 हैं। इसके अलावा विभिन्न उपक्रमों पर 2838 प्रदर्शन आयोजित किये गये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**कृषि संगणना**

646. श्री मनोरंजन भक्त: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व स्तरीय कृषि गणना की योजना व विकास आवश्यकताओं हेतु आंकड़ा आवश्यकता की पहचान करने हेतु देश में सातवीं कृषि गणना पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कृषि की स्थिति में सुधार हेतु बनाई गयी रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां। 2000-01 संदर्भ वर्ष की सातवीं कृषि संगणना पहले ही पूरी कर ली गई है तथा डेटा विभाग की वेबसाईट (http://agcensus.nic.in) पर जनता के लिए उपलब्ध है।

(ख) कृषि संगणना 2000-01 के अनुसार प्रचालनात्मक जोतों की संख्या, प्रचालन के क्षेत्र और जोतों का औसत आकार क्रमश: 119894 हजार, 159394 हजार हेक्टेयर और 1.33 हेक्टेयर है।

(ग) कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार, कृषि उत्पादन और उत्पादकता का सुधार और किसानों की आय बढ़ाना संकेन्द्रित और सम्मिलित कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा अभिज्ञात प्रमुख कुछ अभिवल क्षेत्र है। राष्ट्रीय किसान आयोग की मुख्य सिफारिशों को शामिल करने वाली राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 को भारत सरकार ने अनुमोदन दिया है ताकि किसानों की निवल आय में पर्याप्त वृद्धि करके कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुधारी जा सके। दो नई स्कीमें अर्थात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" हाल ही में शुरू की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और समवर्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है तथा "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन बढ़ाएगा। प्रस्तावित समग्र आवंटन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 4882.48 करोड़ रुपये है। कृषि के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने और विपदाग्रस्त किसानों के लिए बकाया ऋणों को पुन:संरचित करने के लिए व्यापक ऋण नीति मौजूद है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे विपणन सुधारों को भी शुरू किया है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर देश में संधारणीय कृषि विकास के लिए संकेन्द्रित ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण को देश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए ज्ञान आदान-प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। पूरे देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित करके कृषि में बागवानी की ओर विविधीकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है।

**स्पीड पोस्ट गोल्ड सर्विस**

647. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सरकार द्वारा शुरू की गई नई डाक सेवा "स्पीड पोस्ट गोल्ड" सफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सेवा को पूरे देश में विस्तारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) से (ग) स्पीड पोस्ट गोल्ड दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद और बैंगलूर में टेस्ट रन के रूप में प्रचालित है। इस सेवा के निष्पादन और व्यापार क्षमता का आकलन किया जा रहा है। सेवा का आगे विस्तार करने के संबंध में तत्पश्चात् विचार किया जाएगा।

**फलों और सब्जियों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य**

648. श्री डा. के. धनराजू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक कृषि उत्पादों, मौसमी फलों जैसे आम, नारंगी, तरबूज की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य अस्तित्व में है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना का किसानों के लाभ हेतु प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके समुचित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) सरकार 25 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। फलों यथा आम, संतरा, खरबूजा/तरबूज आदि हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। तथापि, सरकार राज्य/संघ शासित सरकार के अनुरोध पर कृषि तथा बागवानी जिंसों जो सामान्यतया स्वभाव में कोमल हैं तथा मूल्य समर्थन योजना में शामिल नहीं किए गए हैं, के प्रापण के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन करती है। बम्पर फसल की स्थिति में जब मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे गिरने लगते हैं तब इन जिन्सों के उत्पादकों को संकट बिक्री से बचने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित की जाती है।

### साइबर अपराध की रोकथाम

**649. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि के अनुसार सरकार के संज्ञान में आए साइबर अपराधों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा रखे गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पंजीकृत किये गये साइबर अपराध के मामले क्रमश: 347, 481 और 453 हैं। अन्य अधिनियमों सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पंजीकृत किये गये मामलों की संख्या वर्ष 2005 में 4 मामले, वर्ष 2006 में 3 मामले और वर्ष 2007 में 12 मामले हैं।

(ख) और (ग) साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा सतत् आधार पर किया जाने वाला एक समन्वित प्रयास है, जिसमें कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों जैसे कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राज्य पुलिस संगठन तथा अन्य विशिष्ट संगठन शामिल हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ विशिष्ट कदम इस प्रकार हैं:

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा भारतीय दंड संहिता साइबर, 1860 अपराधों का सामना करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराते हैं।

2. सरकार ने संसद में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 पेश किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपराध के नए रूपों के लिए प्रावधान है जैसेकि इलेक्ट्रानिक रूप में कामुक चेष्टाओं वाली सामग्रियों का प्रकाशन, वीडियो दृश्यरतिकता, सेवा प्रदाताओं द्वारा गोपनीयता भंग करना तथा आंकड़े प्रकट करना, प्रतिरूपण के जरिये ई-वाणिज्य धोखाधड़ी, जिसे आमतौर पर फिशिंग के रूप में जाना जाता है, पहचान की चोरी तथा संचार सेवा के जरिये अप्रिय संदेश भेजना।

3. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संबंधी समुचित दिशानिर्देशों तथा अन्य श्रेष्ठ पद्धतियों का विकास कर रहा है।

4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य पुलिस संगठनों ने साइबर अपराध कक्ष स्थापित किये हैं जिनका संचालन ऐसे अधिकारी कर रहे हैं जिन्हें ऐसे अपराधों का सामना करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है।

5. सरकार ने न्यायिक अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, साइबर अपराध विज्ञान एजेंसियों तथा अन्य संगठनों के लिए साइबर कानून एवं साइबर अपराध पर कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### बिहार में बाढ़ नियंत्रण

**650. श्री रघुनाथ झा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने बिहार के लिए चार बाढ़ नियंत्रण योजनाएं स्वीकृत की हैं तथा उनके लिए दो हजार करोड़ रुपये आवंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (ग) 7.11.2007 को आयोजित जल संसाधन मत्रालय की सलाहकार समिति की 91वीं बैठक के दौरान चार बाढ़ नियंत्रण स्कीमों नामश: (1) 792 करोड़ रुपये की राशि की बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना संबंधी संशोधित बाढ़ नियंत्रण घटक; (2) 52.09 करोड़ रुपये की राशि से बिहार में कमला नदी के साथ-साथ तटबंधों को ऊंचा उठाना और उनका सुदृढ़ीकरण; (3) 603.88 करोड़ रुपये की राशि से बिहार में महानंदा बेसिन/उप-बेसिन में बाढ़ नियंत्रण तटबंध, और (4) 147.68 करोड़ रुपये की राशि से बिहार के भागलपुर और बांका जिलों में चंदन नदी प्रणाली में बांये एवं दायें तटों के तटबंधों को ऊंचा करना, इसका सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर विचार-विमर्श किया गया और इन पर सिद्धांतत: सहमति हुई।

बिहार की राज्य सरकार के अनुरोध पर योजना आयोग ने (1) 135.16 करोड़ रुपये की राशि से बागमती नदी के साथ-साथ तटबंधों को ऊंचा करने और इनके सुदृढ़ीकरण का प्रथम चरण, और (2) 52.09 करोड़ रुपये की राशि से बिहार में कमला नदी के साथ-साथ तटबंधों को ऊंचा करने और इनके सुदृढ़ीकरण के लिए योजना आयोग के दिनांक 15.2.2008 के पत्र सं. 2(221)/06-ज.सं. द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उपरोक्त स्कीमें बिहार की राज्य सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएंगी।

**भारत निर्माण राष्ट्रीय रोजगार योजना**

651. **श्री एम. शिवन्ना:**
**श्रीमती मनोरमा माधवराज:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारत निर्माण राष्ट्रीय रोजगार योजना को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2008 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, वर्तमान में 330 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए) कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसके अंतर्गत 1.4.2008 से देश के समस्त ग्रामीण जिलों को शामिल किये जाने की संभावना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2007 तक 2.57 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

**बाल श्रम पर रोक हेतु दिशानिर्देश**

652. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पर रोक के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

(ङ) ऐसे राज्यों द्वारा उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(च) इस कार्रवाई के क्या परिणाम निकले हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) जी, नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पर रोक के संबंध में हाल ही में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये हैं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

**राजसहायता वापस लिया जाना**

653. **श्री मधु गौड यास्खी:**
**श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्रीमती निवेदिता माने:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी राजसहायता वापस लिये जाने की वजह से बी.एस.एन.एल. के लैंड लाइन ग्रामीण टेलीफोन विस्तार कार्यक्रम के बंद होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार निर्धन ग्रामीण जनता को किस तरीके से टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने का है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) बीएसएनएल सरकार के विभिन्न सामाजिक दायित्वों को पूरा कर रहा है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रचालन करना पड़ता है जहां से इसे हानि उठानी पड़ती है। पूर्व में, बीएसएनएल सरकार द्वारा दी गई विभिन्न वित्तीय और अन्य सहायताओं जैसेकि अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) की वसूली, लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि द्वारा सरकार के सामाजिक दायित्वों के निर्वहन से होने वाली हानि को पूरा कर लेता था। अब ट्राई ने 1 अप्रैल, 2008 से एडीसी को समाप्त कर देने की घोषणा की है। बीएसएनएल को 2006-07 से सरकार द्वारा लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति पर पहले ही रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल को 2002-07 के दौरान सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से केवल 4650 करोड़ रु. ही प्राप्त हुए हैं जबकि इसने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में 8031 करोड़ रु. का योगदान किया है। इस प्रकार बीएसएनएल सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में एक बड़ी राशि का अंशदाता है, हालांकि, यह ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का प्रमुख प्रदाता है।

ऊपर बताए गए अनुसार सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न वित्तीय सहायताओं को वापस ले लेने और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में एक बड़ी धनराशि का अंशदान करने से बीएसएनएल के मौजूदा ग्रामीण लैंडलाइन कनेक्शन वित्तीय दृष्टि से अव्यवहार्य होते जा रहे हैं। इससे बीएसएनएल के लैंडलाइन ग्रामीण विस्तार कार्यक्रम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) सरकार द्वारा चलाई जा रही सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्त-पोषित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है:

1. देश के टेलीफोन सुविधा से वंचित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
3. 2000 से अधिक जनसंख्या वाले जिन गांवों में कोई सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र नहीं है वहां ग्रामीण सामुदायिक फोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
4. देश के 27 राज्यों में स्थित जिन विशिष्ट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कोई वर्तमान स्थिर वायरलेस या मोबाइल टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 7,871 अवसंरचना स्थलों (500 जिलों में स्थित) का निर्माण करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा अवसंरचना की साझेदारी की एक नई स्कीम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
5. 1.4.2002 से पूर्व संस्थापित लगभग 90.5 लाख ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों को 1.4.2002 से 31.1.2004 तक की सीमित अवधि के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित किराये की राशि और सेवा प्रदाताओं द्वारा वसूली गई किराये की राशि के बीच अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

### यंत्रीकृत कुक्कुट पालन एकक

**654. श्री अमिताभ नन्दी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में यंत्रीकृत कुक्कुट पालन एकक की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनागत स्कीम के तहत, स्थापित करने/आधुनिकीकरण/विस्तार आदि के लिए कुक्कुट प्रसंस्करण यूनिटों को 50.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25% उपलब्ध कराता है। 11वीं पचवर्षीय योजना के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक आधुनिक वध की तर्ज पर "बूचड़खानों का आधुनिकीकरण/आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना" की योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित यांत्रिकृत कुक्कुट बूचड़खानों तथा प्रसंस्करण संयंत्रों का प्रस्ताव किया है।

**महिलाओं को रोजगार**

655. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाएं कृषि में कम उत्पादकता वाले कार्यों में लगी हुई हैं जिससे महिला बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) जी, ग्रामीण महिलाएं मुख्यत: कृषि मजदूर के रूप में कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। 2001 संगणना के अनुसार 27.51% पुरुष की तुलना में महिला कृषि मजदूर 4.95% है।

सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की चल रही स्कीमों/कार्यक्रमों के अधीन उनके लिए विशेष प्रावधान करके कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किये हैं जिसमें शामिल हैं:

* पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल में 'समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन' स्कीम के अधीन महिला लाभानुभोगियों के लिए 30% आवंटन।
* "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" में 33% आवंटन।
* कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मशन-II में 30% आवंटन।
* "जूट प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II में 30% आवंटन"
* "विस्तार सुधारों के लिए राज्यों को समर्थन" के अधीन कार्यक्रम परक कार्यकलापों में 30% का आवंटन।

वर्ष 2007 में प्रारम्भ राष्ट्रीय किसान नीति के अधीन महिलाओं के पक्ष में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

(क) परिसम्पत्ति सुधार यह सुनिश्चित करेगा कि गांव में प्रत्येक किसान परिवार के पास/उनकी पहुंच भूमि पशुधन, मछली के तालाब, वास भूमि फार्म जैसी उत्पादक परिसम्पत्ति तक हो और अथवा उद्यम और/या बाजार अनुकूल दक्षता हो अथवा वहां तक पहुंच हो ताकि सतत आधार पर पर्याप्त रूप से पारिवारिक आय को बढ़ाया जा सके।

(ख) ग्रहण/पालन/खपत श्रृंखला के सभी पहलुओं में मछुआरा परिवारों और मछुवारा महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण केन्द्र, साफ-सफाई और अन्य पहलुओं के लिए गुणवत्ताप्रद साक्षरता।

(ग) कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खोज रणनीति, प्रकृति, छोटे किसान और महिलाओं के अनुकूल।

(घ) समय बचाने और उत्पाद बढ़ाने में नीरसता को दूर करने के लिए कृषक महिलाओं के लिए महिला अनुकूल उपकरणों/औजारों को बढ़ावा देना।

(ङ) कृषि में काम करने वाली महिलाओं को उपयुक्त समर्थन सेवाओं जैसे शिशु सदन, शिशु देखभाल केन्द्रों, पोषाहार, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण आदि की जरूरत होती है। ऐसे कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की वर्तमान स्कीमों को बढ़ावा दिया जायेगा और जरूरत पड़ने पर नई स्कीमों को भी लागू किया जायेगा।

(च) वास/कृषि भूमि हेतु संयुक्त पट्टों के साथ शीघ्र ही महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जायेंगे जहां संयुक्त पट्टा नहीं है, महिला किसानों को ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैंकों द्वारा पति और सगे संबंधियों से क्षतिपूर्ति बॉन्ड/गारन्टी पर विचार किया जायेगा।

(छ) कृषि/फार्म विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यचर्या को इस ढंग से तैयार करेंगे कि कृषि में महिलाओं को मान्यता दी जा सके।

(ज) फसल-पशुधन समेकित कृषि प्रणाली के जरिये छोटे फार्म की उत्पादकता में वृद्धि और आजीविका के बहुत से अवसरों को सृजित करने और कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

**लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए यू.एस.ओ. निधि**

656. **श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण परिवारों में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन लगाने के लिए ठेका प्राप्त करने वाले निजी दूरसंचार ठेकेदारों ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) निधि से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विभाग ने 1685 जिलों में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन लगाने के लिए यू.एस.ओ. निधि से सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में रिलायंस कम्युनिकेशंस तथा टाटा टेलीकॉम सर्विस के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दूरसंचार आपरेटरों को धनराशि प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण घरों में फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(च) ग्रामीण घरों में लैंडलाइन फोन लाइन लगाने का कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, हां।

(ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने देश के 1685 वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में व्यक्तिगत ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें संस्थापित करने के लिए मै. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), मै. रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीएल), मै. टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टीटीएल), मै. टीटीएल महाराष्ट्र के साथ एक करार किया है। इन कंपनियों के हिस्से में क्रमश: 1267, 203, 172 और 43 एसडीसीए थे। 1.4.2005 और 31.3.2007 के बीच की अवधि के दौरान संस्थापित ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें इन करारों के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

1.4.2002 और 31.3.2005 की अवधि के दौरान पात्र एसडीसीए में संस्थापित ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए भी इन्हीं दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस आशय के करारों पर मै. बीएसएनएल और मै. आरसीएल के साथ क्रमश: मई, 2005 और अगस्त, 2005 में हस्ताक्षर किये गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) निजी दूरसंचार प्रचालकों को दी गई वित्तीय सहायता की राशि नीचे दर्शाई गई है:

| दूरसंचार प्रचालक का नाम | 1.4.2005 से 31.3.2007 के दौरान संस्थापित ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि | 1.4.2002 से 31.3.2005 के दौरान संस्थापित ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि |
|---|---|---|
| आरसीएल | 278.92 | 19.22 |
| टीटीएल | 184.90 | 0 |
| टीटीएल (महाराष्ट्र) | 123.29 | 0 |

(ङ) 1.4.2005 से 31.3.2007 की अवधि के दौरान 25,64,577 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनके अतिरिक्त 1.4.2002 से 31.3.2005 की अवधि के दौरान सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से 18,65,690 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(च) इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें संस्थापित करने के लिए लक्षित तिथि एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाकर 1.4.2007 से 31.3.2008 कर दी गई है।

### रक्षा कार्मिकों को एड्स

**657. श्री अबु अवीश मंडल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सेवा-वार कितने रक्षा कार्मिक एक्वायर्ड इम्यून डिफिसिएन्सी सिंड्रोम (एड्स) से ग्रस्त हैं;

(ख) क्या कुछ एड्सग्रस्त कार्मिकों को सेवा से हटा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को सेवाओं से ऐसे व्यक्तियों को हटाए जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से कोई विरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री ( श्री ए.के. एंटनी ):** (क) से (ङ) वर्ष 2007 के लिए एड्स के मामलों के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तीनों सेनाओं में एड्स के मामलों की संख्या इस प्रकार है:

| | सेना | नौसेना | वायुसेना | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 132 | 08 | 04 | 144 |
| 2005 | 67 | 06 | 03 | 76 |
| 2006 | 30 | 02 | 03 | 35 |

एचआईवी संक्रमित सेना कार्मिकों को सेना से नहीं हटाया जाता है। केवल उन कार्मिकों जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तर-IV का निशक्तताकारी प्रकटीकरण हो गया हो, को निर्धारित मानदंडों पर सेवा से चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना से चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किये गये एड्स से प्रभावित कार्मिकों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| | सेना | नौसेना | वायुसेना | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 98 | 04 | 02 | 104 |
| 2005 | 29 | 04 | 03 | 36 |
| 2006 | 14 | 01 | 01 | 16 |

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने इस संबंध में कोई विरोध/अभ्यावेदन नहीं भेजा है।

## नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए सहायता

**658. श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से विशेषकर केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार तथा स्थान-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई निधि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री ऑस्कर फर्नांडीस ):** (क) और (ख) जी, हां। प्रस्तावित राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज) की स्थापना के लिए दो राज्यों से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 214 करोड़ रुपये की लागत से केरल राज्य में 40 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा बिहार राज्य में 105 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना शामिल है। तथापि, प्रस्तावित राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## दलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

**659. श्री अनन्त नायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में विशेषकर इसके अनुसूचित जिलों में दलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी निधि आबंटित की गई है और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) से (ग) भारत सरकार उड़ीसा राज्य के अनुसूचित जिलों सहित देश में दलहन की खेती के अधीन क्षेत्र बढ़ाने के लिए समेकित तिलहन, दलहन, ऑयलपाम और मक्का स्कीम (आईसोपोम) नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। आईसोपोम के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों अर्थात बीजों, पादप रक्षण रसायनों, स्प्रिंकलर सेटों, जलवाही पाइपों, जिप्सम आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

आईसोपोम के अलावा हाल ही में शुरू किये गये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) दलहन के अंतर्गत राज्य के कुछ अनुसूचित जिलों सहित उड़ीसा राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि दलहन के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र लाया जा सके।

वर्ष 2007-08 के दौरान आइसोपोम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य को 750.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें से राज्य द्वारा 710.00 लाख रुपये की धनराशि उपयोग की गई। उपयोग की गई इस धनराशि में अनुसूचित जिलों में किया गया व्यय शामिल है। उड़ीसा राज्य को भी वर्ष 2007-08 के दौरान एनएफएसएम-दलहन के अंतर्गत 456.760 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

**रेलवे के विस्तार के लिए एन.टी.सी. भूमि**

660. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को रेलवे के विस्तार के लिए नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, कोयम्बटूर की भूमि हस्तान्तरित करने के संबंध में रेल मंत्रालय से कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**एम.टी.एन.एल. के लाभ में कमी**

661. **श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्रीमती निवेदिता माने:**
**श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने शुद्ध लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 53 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एम.टी.एन.एल. मुम्बई तथा दिल्ली के बाजार में अधिक आक्रामक प्रतिद्वंद्वी कंपनियों यथा भारती एयरटेल लि. तथा रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि. से अपना बाजार हिस्सा निरंतर गंवा रही है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या एम.टी.एन.एल. की कई एकड़ भूमि दिल्ली तथा मुम्बई में खाली पड़ी हुई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार इन खाली भूमिखंडों का उपयोग किस प्रकार करेगी?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) जी, नहीं। चालू वित्त वर्ष के संबंध में शुद्ध लाभ से संबंधित ब्यौरा 31.3.2008 को वित्त वर्ष समाप्त होने पर ही उपलब्ध होगा। तथापि, एमटीएनएल ने वर्ष 2006-07 के दौरान अपने शुद्ध लाभ में 17.48% की वृद्धि होने की सूचना दी है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए लागू नहीं होगा।

(ङ) और (च) जी, नहीं। मोबाइल संचार हेतु वैश्विक प्रणाली (जीएसएम) में एमटीएनएल की बाजार हिस्सेदारी 31.3.2003 को 4.56% से बढ़कर 31.3.2007 को 17% (लगभग) हो गई है। एमटीएनएल प्रतिस्पर्धा का सामना काफी मजबूती से कर रहा है। अपने उपभोक्ता आधार को बनाए रखने और अपने सेवा क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में अपनी भागीदारी में सुधार लाने के लिए एमटीएनएल द्वारा बहुत से उपाय किये गये हैं।

(1) एमटीएनएल की 2007-08 में दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक शहर में अपने सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क में एक-एक मिलियन की वृद्धि करने की योजना है। दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक के लिए 750 हजार लाइनों का क्रय आदेश पहले ही दिया जा चुका है। नेटवर्क की संस्थापना का कार्य उन्नत चरण में है।

(2) दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में लगभग 300 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित करने की योजना बनाई गई है ताकि कवरेज और क्षमता में और सुधार किया जा सके।

(3) एमटीएनएल उभरते हुए रुझानों के अनुरूप पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) और मोबाइल उपभोक्ताओं दोनों के लिए समाचार, गीत, फलित ज्योतिष, ई-टिकटिंग, एसएमएस, वॉइस एसएमएस, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन (आईपीटीवी) आदि जैसी अनेक मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(4) पीसीओ धारकों को जोड़े रखने और नए पीसीओ फ्रैंचाइजियों को आकर्षित करने के लिए लैंडलाइन और सेल्युलर आधारित पीसीओ दोनों के लिए नई प्रशुल्क योजनाएं शुरू की गई हैं।

(5) एमटीएनएल संचार हाट और ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित करके तथा डीलरों और एजेंटों की नियुक्ति करके एवं कारपोरेट ग्राहकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपने ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रख रहा है।

(6) एमटीएनएल विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अपने प्रशुल्क की समीक्षा कर रहा है ताकि उन्हें ग्राहकों के अनुकूल बनाया जा सके और वे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त हों।

(7) एमटीएनएल ने कम प्रशुल्क पर आईएसडी कॉलें उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल (वीओआईपी) सेवाएं शुरू की हैं।

(8) एमटीएनएल ने 14.1.2005 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की हैं जिन्हें भारी सफलता मिली है। 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार 5.21 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन काम कर रहे हैं। एमटीएनएल की चालू वर्ष के दौरान ब्रॉडबैंड नेटवर्क की 5 लाख लाइनों की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराने की योजना है।

(छ) से (झ) एमटीएनएल के पास दिल्ली में 37 भूखंड हैं। 24 भूखंडों में अस्थायी भवनों में टेलीफोन एक्सचेंज/बीटीएस कार्य कर रहे हैं और 4 भूखंडों का उपयोग केवल स्टोर के रूप में किया जा रहा है। एमटीएनएल दिल्ली की योजना इन भूखंडों पर चरणबद्ध रूप में टेलीफोन एक्सचेंज/स्टाफ क्वार्टरों आदि के लिए स्थायी इमारतें निर्मित करने की है।

एमटीएनएल मुम्बई में 7 भूखंड खाली हैं और इन्हें रिमोट स्टेशन यूनिट (आरएसयू)/मुख्य एक्सचेंज के रूप में तथा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भी टेलीफोन एक्सचेंज इमारत निर्मित करने के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है।

**प्रशुल्क में कमी**

662. श्री पुंडलूर निजामुद्दीन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में तथा घरेलू क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा के उपयोग के लिए प्रशुल्क में कमी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदाता के विवेकाधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आती है और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इस सेवा का प्रशुल्क निर्धारण करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सभी सेवा प्रदाता स्वतंत्र हैं।

**औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) में मोबाइल फोन मरम्मत पाठ्यक्रम शुरू किया जाना**

663. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) में मोबाइल फोन मरम्मत पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रम कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत, दो-वर्षीय अवधि वाला एक व्यवसाय नामत: ''सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति अनुरक्षण'' (आई.टी. एवं ई.एस.एम.) को शामिल किया गया है जिसमें मोबाइल फोन की मरम्मत एवं अनुरक्षण, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का भाग है। इसी प्रकार ''सेलुलर फोनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण'' नामक एक अल्पावधि पाठ्यक्रम को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही ''कौशल विकास पहल'' योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

**राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय**

**664. डा. के.एस. मनोज:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रक्षा कार्मिकों को कराए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अन्य संस्थानों द्वारा मान्यताप्राप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय संबंधी समिति ने एक भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। इसमें मौजूदा संस्थान नामत: राष्ट्रीय रक्षा कालेज, (दिल्ली), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (खड़गवासला), रक्षा प्रबंधन संस्थान (सिकंदराबाद), तथा रक्षा सेवा स्टॉफ कालेज (वेलिंगटन) तथा नए संस्थान नामत: राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति कालेज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी अध्ययन संस्थान (बेंगलूर) शामिल हैं। प्रस्तावित विश्वविद्यालय की अवस्थिति के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) त्रि-सेवा प्रशिक्षण संस्थानों, तीनों सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थाओं तथा राष्ट्रीय रक्षा कालेज में संचालित पाठ्यक्रम देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा डिप्लोमा/डिग्रियां प्रदान करने हेतु मान्यताप्राप्त हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

(1) राष्ट्रीय रक्षा कालेज:

राष्ट्रीय रक्षा कालेज पाठ्यक्रम कर रहे तथा स्नातकोत्तर उपाधि वाले समस्त अफसर मद्रास विश्वविद्यालय के एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं।

(2) त्रि-सेवा प्रशिक्षण संस्थाएं:

| क्र.सं. | संस्था का नाम | उपाधि | विश्वविद्यालय |
|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला | बी ए/बीएससी | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय |
| 2. | रक्षा सेवाएं स्टॉफ कालेज, वेलिंगटन | एम.एस.सी. | मद्रास विश्वविद्यालय |
| 3. | रक्षा प्रबंधन कालेज, सिकंदराबाद | एम.एम.एस. | ओसमानिया विश्वविद्यालय |

(3) उच्चतर कमान पाठ्यक्रम:

| क्र.सं. | संस्था का नाम | उपाधि | विश्वविद्यालय |
|---|---|---|---|
| 1. | सेना युद्ध कालेज, मऊ | एम.फिल. | इन्दौर विश्वविद्यालय |
| 2. | नौसेना युद्ध पद्धति कालेज, मुंबई | एम.फिल. | मुम्बई विश्वविद्यालय |
| 3. | वायु सेना युद्ध पद्धति कालेज | एम.फिल. | ओसमानिया विश्वविद्यालय |

(4) तीनों सेनाओं के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित किये जा रहे समस्त तकनीकी पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा देशभर के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने हेतु भी मान्यताप्राप्त हैं।

**श्रम बल का पलायन**

**665. श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बेरोजगारी की समस्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रम बल का भारी संख्या में पलायन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) श्रमिकों के हित की रक्षा करने तथा राज्यों में रोजगार के नए स्रोतों/अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी अनुमान प्राप्त किये जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया।

(ख) बेरोजगारी दरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 411.7 लाख अंतर्राज्यीय प्रवासी, जिनमें कामगारों सहित काम ढूंढ रहे/काम हेतु उपलब्ध व्यक्ति शामिल हैं, देश में इसी अवधि के दौरान दर्ज कुल प्रवासियों का 13.1 प्रतिशत हैं।

(घ) कुल प्रवासियों तथा अंतर्राज्यीय प्रवासियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) अन्य श्रम कानूनों के अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार विनियमन तथा सेवाओं की शर्तें): अधिनियम, 1979 प्रवासी श्रमिकों के हितों की विशेष रूप से रक्षा करता है। ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी के अत्यधिक मामलों को देखते हुए सरकार विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित करती रही है। इनमें से, देश में लाभप्रद रोजगार अवसर सृजन करने वाले कुछ कार्यक्रम हैं: प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई); सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई); ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए) इत्यादि शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में 11वीं योजना के दौरान 70 मिलियन रोजगारों के सृजन की परिकल्पना की गई है।

*विवरण I*

*वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य-वार बेरोजगारी दर*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य-वार बेरोजगारी दर* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रामीण | | | शहरी | | |
| | | पुरुष | महिला | व्यक्ति | पुरुष | महिला | व्यक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1.0 | 0. | 0.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 1.2 |
| 3. | असम | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 6.9 | 9.1 | 7.2 |
| 4. | बिहार | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 6.7 | 4.1 | 6.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 2.4 | 3.5 |
| 6. | दिल्ली | 2.0 | 0 | 1.9 | 4.6 | 6.4 | 4.8 |
| 7. | गोवा | 9.1 | 15.7 | 11.1 | 7.6 | 11.8 | 8.7 |
| 8. | गुजरात | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
| 9. | हरियाणा | 2.8 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 7.5 | 4.0 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 10.1 | 3.8 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 3.7 | 10.9 | 4.9 |
| 12. | झारखंड | 2.0 | 0.1 | 1.4 | 7.5 | 2.3 | 6.5 |
| 13. | कर्नाटक | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 5.7 | 2.8 |
| 14. | केरल | 5.1 | 20.1 | 10.7 | 6.2 | 33.4 | 15.6 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 2.8 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 4.1 | 3.6 |
| 17. | मणिपुर | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 5.2 | 6.3 | 5.5 |
| 18. | मेघालय | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 19. | मिजोरम | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 1.9 |
| 20. | नागालैंड | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 4.6 | 7.2 | 5.5 |
| 21. | उड़ीसा | 3.1 | 8.3 | 5.0 | 9.0 | 26.6 | 13.4 |
| 22. | पंजाब | 3.3 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 14.0 | 5.0 |
| 23. | राजस्थान | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| 24. | सिक्किम* | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 3.7 |
| 25. | तमिलनाडु | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | 4.8 | 3.5 |
| 26. | त्रिपुरा | 9.6 | 32.0 | 13.3 | 16.6 | 56.8 | 28.0 |
| 27. | उत्तरांचल | 2.0 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 10.2 | 5.4 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 2.5 | 3.3 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 5.6 | 8.4 | 6.2 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 3.7 | 12.3 | 6.2 | 6.5 | 17.2 | 8.8 |
| 31. | चंडीगढ़ | 2.5 | 4.8 | 2.6 | 3.1 | 7.5 | 4.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 9.1 | 3.0 |
| 33. | दमन व दीव | 0.4 | 0 | 0.3 | 2.8 | 3.3 | 3.0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.9 | 57.1 | 7.5 | 11.1 | 51.5 | 25.0 |
| 35. | पांडिचेरी | 9.4 | 3.2 | 7.0 | 4.1 | 19.5 | 8.1 |
| | अखिल भारत | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 3.8 | 6.9 | 4.5 |

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट, 2004-05

*सामन्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार

बेरोजगारी दर श्रम बल के संदर्भ में बेरोजगारों का प्रतिशत है।

## विवरण II

*2001 की जनगणना के अनुसार कुल प्रवासी तथा अंतर्राज्यीय प्रवासी की राज्यवार संख्या*

(लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | प्रवासियों की संख्या | | % |
|---|---|---|---|---|
| | | कुल प्रवासी | अंतर्राज्यीय प्रवासी | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | भारत | 3145.4 | 411.7 | 13.1 |
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1.7 | 0.8 | 48.4 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 234.6 | 10.3 | 4.4 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 4.1 | 1.4 | 33.1 |
| 4. | असम | 67.9 | 4.1 | 6.0 |
| 5. | बिहार | 204.8 | 16.2 | 7.9 |
| 6. | चंडीगढ़ | 5.8 | 5.5 | 95.7 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 69.1 | 9.4 | 13.6 |
| 8. | दादरा व नगर हवेली | 0.8 | 0.7 | 85.8 |
| 9. | दमन व दीव | 0.7 | 0.6 | 86.0 |
| 10. | दिल्ली | 60.1 | 53.2 | 88.5 |
| 11. | गोवा | 7.9 | 2.3 | 29.2 |
| 12. | गुजरात | 192.2 | 21.8 | 11.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | हरियाणा | 75.7 | 26.8 | 35.3 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 21.9 | 3.5 | 16.0 |
| 15. | जम्मू-कश्मीर | 18.1 | 1.6 | 8.7 |
| 16. | झारखंड | 74.3 | 17.3 | 23.3 |
| 17. | कर्नाटक | 165.6 | 20.7 | 12.5 |
| 18. | केरल | 91.9 | 4.5 | 4.9 |
| 19. | लक्षद्वीप | 0.2 | 0.1 | 30.1 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 182.2 | 21.7 | 11.9 |
| 21. | महाराष्ट्र | 417.2 | 73.1 | 17.5 |
| 22. | मणिपुर | 3.8 | 0.1 | 3.9 |
| 23. | मेघालय | 3.8 | 0.8 | 21.9 |
| 24. | मिजोरम | 2.7 | 0.4 | 13.1 |
| 25. | नागालैंड | 3.8 | 0.8 | 21.4 |
| 26. | उड़ीसा | 110.5 | 6.6 | 6.0 |
| 27. | पांडिचेरी | 4.6 | 2.5 | 54.8 |
| 28. | पंजाब | 91.9 | 17.5 | 19.0 |
| 29. | राजस्थान | 163.9 | 17.4 | 10.6 |
| 30. | सिक्किम | 1.9 | 0.5 | 24.6 |
| 31. | तमिलनाडु | 158.2 | 7.3 | 4.6 |
| 32. | त्रिपुरा | 9.6 | 0.6 | 6.6 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 412.2 | 28.2 | 6.9 |
| 34. | उत्तरांचल | 30.7 | 8.6 | 28.0 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 251.0 | 24.6 | 9.8 |

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

टिप्पणी: प्रतिशत की गणना पूर्णांकों के आधार पर की गई है।

*[हिन्दी]*

## टेलीफोन केबल की चोरी

**666. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों को दूरसंचार सेवा प्रदान करने की अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात् बी.एस.एन.एल. के केबल की चोरी की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों की पहचान की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने केबल चोरी के माध्यम से टेलीफोन सेवा रोकने के प्रयासों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) बीएसएनएल की केबल की चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है किंतु यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि यह वृद्धि निजी क्षेत्र की कंपनियों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दिये जाने के कारण हुई है।

(ख) वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान केबल चोरियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान क्रमश: 1, 8 और 16 घटनाओं में दोषियों की पहचान की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) ऐसे बड़े पैमाने पर हो रही चोरियों पर रोक लगाने के लिए बीएसएनएल द्वारा मामले को राज्य सरकारों तथा पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त, चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. महत्वपूर्ण केबल रूटों पर नियमित गश्त करना।
2. संबंधित पुलिस स्टेशनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना।
3. केबल चोरी को रोकने के लिए पुलिस के साथ संपर्क बनाए रखना।
4. केबल भंडारों पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती।
5. चोरियों को कम करने के लिए स्थानीय निकायों से तालमेल।

***विवरण***

*केबल चोरी की घटनाओं की राज्यवार संख्या और उन घटनाओं की संख्या जिनमें दोषी व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है*

| क्र.सं. | राज्य | केबल चोरी की घटनाओं की संख्या | | | उन घटनाओं की संख्या जिनके लिए दोषी व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष 2005 | वर्ष 2006 | वर्ष 2007 | वर्ष 2005 | वर्ष 2006 | वर्ष 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 214 | 546 | 516 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | असम | 140 | 89 | 612 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | बिहार | 405 | 1290 | 1080 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 19 | 15 | 13 | शून्य | शून्य | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | गुजरात | 61 | 377 | 441 | – | 1 | 3 |
| 6. | हरियाणा | 4 | 37 | 43 | 1 | 1 | – |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 618 | 1399 | 2237 | शून्य | शून्य | – |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 1 | 3 | 34 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9. | झारखंड | 44 | 429 | 249 | – | – | 1 |
| 10. | कर्नाटक | 46 | 147 | 122 | – | – | 2 |
| 11. | केरल | 18 | 23 | 48 | – | 1 | 3 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4 | 25 | 18 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 13. | महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) | 138 | 528 | 815 | – | 3 | 6 |
| 14. | गोवा | – | – | 4 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 15. | मेघालय | 7 | 14 | 71 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 16. | मिजोरम | – | – | 57 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 17. | त्रिपुरा | 33 | 24 | 64 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 18. | मणिपुर | 3 | 22 | 444 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 19. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 24 | 157 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 20. | नागालैंड | – | 1 | 62 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 21. | उड़ीसा | 54 | 267 | 250 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 22. | पंजाब | 42 | 319 | 663 | शून्य | 1 | शून्य |
| 23. | राजस्थान | 20 | 164 | 163 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 24. | तमिलनाडु (चेन्नई सहित) | 172 | 149 | 163 | – | 1 | 1 |
| 25. | उत्तराखंड | 5 | 5 | 14 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 182 | 747 | 759 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 27. | पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार और कोलकाता सहित) | 113 | 349 | 1632 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 28. | सिक्किम | 17 | 25 | 9 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | 2360 | 7018 | 10740 | 1 | 8 | 16 |

*[अनुवाद]*

**साझा संचार कनवर्जेन्स विनियामक**

**667. श्री के.एस. राव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संचार तथा प्रसारण आदि से सम्बद्ध सभी मुद्दों के विनियमन के लिए सब-ग्रुप ऑन गोइंग डिजिटल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या रेडियो फ्रिक्वेन्सी आवश्यकताओं, स्पैक्ट्रम आयोजना तथा आबंटन में कई विभाग तथा मंत्रालय जुड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न भागीदारों की रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं का समन्वय एवं विनियमन करने तथा संचार के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के संबंध में एक व्यापक कानून अधिनियमित करने हेतु एक साझा संचार कनवर्जेंस विनियामक की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) डिजिटलीकरण की शुरुआत करने संबंधी उप-समूह की मुख्य सिफारिशें प्रसारण और गैर प्रसारण संबंधी मुद्दों के बारे में है। मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ एनालॉग से डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की ओर प्रस्थान करने के लिए कार्य योजना, डिजिटल रिसीवरों के साथ-साथ डिजिटल सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के स्वदेशी उत्पादन की शुरुआत, प्रसारण और अन्य सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं की पहचान तथा ब्रॉडबैंड बेतार कनेक्टिविटी के तेजी से विस्तार को प्रोत्साहित करना, आदि शामिल हैं। उप-समूह ने एक साझा संचार अभिसरण विनियामक बनाने की भी सिफारिश की थी, जिसके अधीन विषय सामग्री और वाहक संबंधी कार्य के लिए अलग-अलग ब्यूरो हों।

(ख) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग का डब्ल्यूपीसी (बेतार आयोजना एवं समन्वय) स्कंध प्रसारण सेवाओं सहित सभी रेडियो संचार सेवाओं के लिए देश के भीतर स्पेक्ट्रम प्रबंधन हेतु एक नॉडल एजेंसी है। अन्य विभागों और मंत्रालयों की विभिन्न सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं की जांच की जाती है तथा राष्ट्रीय नीतियों और अंतरराष्ट्रीय रेडियो विनियामक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा उपयुक्त स्पैक्ट्रम का आवंटन किया जाता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**निधियों का उपयोग नहीं किया जाना**

**668. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य-वार दी गई राशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी निधि जारी की गई एवं उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या जल प्रबंध के लिए आबंटित निधियों का राज्यों में पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार, वर्षवार तथा योजना-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई और उपयोग में लाई गई?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन स्कीमों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। ऐसे राज्यों के नाम जो कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उनको उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग करने में असफल रहे, साथ ही पिछले तीन वर्ष के दौरान उनको जारी और उनके द्वारा प्रयुक्त निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुशल खेत जल प्रबंधन के लिए सूक्ष्म स्तरीय कृषि अवसंरचना विकसित करने के प्रयोजन से वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत खेत संबंधी विकास कार्यों में सुधार करने; कृषि संबंधी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है तथा यह सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा बराबर हिस्से सहित केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को निधि जारी की जाती है। ऐसे राज्यों के नाम जिन्होंने निधि का उपयोग नहीं किया है साथ ही पिछले तीन वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

*विवरण I*

*ऐसे राज्यों, जिन्होंने पिछले तीन वर्ष के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए उपलब्ध कराई गई निधि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है, के लिए जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा*

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2004-2007 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता | 31.3.2007 तक उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5.450 | 4.280 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 16.376 | 13.496 |
| 3. | बिहार | 101.215 | 68.123 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 3.660 | 3.400 |
| 5. | झारखंड | 4.300 | 2.300 |
| 6. | जम्मू-कश्मीर | 15.50 | 0.00 |
| 7. | मणिपुर | 7.911 | 6.840 |
| 8. | मेघालय | 2.635 | 0.000 |
| 9. | मिजोरम | 6.198 | 4.110 |
| 10. | सिक्किम | 8.595 | 7.668 |
| 11. | त्रिपुरा | 12.764 | 9.438 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 30.273 | 26.983 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 50.584 | 45.442 |

*विवरण II*

*ऐसे राज्यों, जिन्होंने पिछले तीन वर्ष के दौरान कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई निधि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है, को स्वीकृत और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा*

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2004-2007 के दौरान स्वीकृत राशि | 31.3.2007 तक उपयोग की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | बिहार | 6.301 | 1.090 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 1.040 | 0.000 |
| 3. | केरल | 3.590 | 1.335 |
| 4. | मेघालय | 1.640 | 0.000 |
| 5. | त्रिपुरा | 0.075 | 0.000 |

**मृदा संरक्षण योजनाएं**

**669. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उड़ीसा में मृदा संरक्षण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान मृदा संरक्षण योजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) देश में मृदाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिनका नाम हैं: (1) वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आरवीपी एवं एफपीआर), (3) क्षारीय मृदाओं का सुधार (आरएएस), (4) झूम खेती वाले क्षेत्र में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए), (5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (6) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), और (7) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)। उपर्युक्त कार्यक्रमों में से एनडब्ल्यूडीपीआरए, आरवीपी एवं एफपीआर, डीपीएपी और आईडब्ल्यूडीपी नामक कार्यक्रम उड़ीसा में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अधीन देश में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान 3304.57 करोड़ रु. खर्च किये गये हैं और 116.89 लाख हैक्टे. क्षेत्र विकसित किया गया है। उड़ीसा के मामले में पिछले दो वर्षों में 189.81 करोड़ रु. की राशि उपयोग की गई है और 3.73 लाख हैक्टे. क्षेत्र विकसित किया गया है।

**आंध्र प्रदेश में मोबाइल सेवा**

**670. श्री एम. अंजनकुमार यादव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में मोबाइल टेलीफोन सेवा के अंतर्गत कितनी जनसंख्या तथा क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ख) आंध्र प्रदेश में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के विस्तार एवं विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) मोबाइल सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(घ) यदि हां, तो बी.एस.एन.एल. अधिकारियों के कार्यकरण के संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा/एकीकृत अभिगम्यता सेवाओं की लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख से एक वर्ष के भीतर 10% जिला मुख्यालयों/नगरों को और तीन वर्षों के भीतर 50% जिला मुख्यालयों/नगरों को सुविधायुक्त करना होता है।

सुविधायुक्त किये जाने वाले जिला मुख्यालयों/नगरों का चयन और 50% से आगे जिला मुख्यालयों को सुविधायुक्त करने संबंधी और विस्तार करने का निर्णय लाइसेंसधारक के वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से सुविधायुक्त करने संबंधी कोई अपेक्षा नहीं है। 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में मोबाइल टेलीघनत्व 82306583 की आबादी का 23.14% है और मोबाइल टेलीफोनों की संख्या प्रति वर्ग कि.मी. 69.24 है।

(ग) से (ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल टेलीफोन सेवा आंध्र प्रदेश सहित बीएसएनएल के लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और आमतौर पर यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओ एस) के पैरामीटरों को पूरा कर रही है। तथापि, आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां नेटवर्क में कभी-कभी ट्राई द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों से अधिक संकुलन हो जाता है। इस संकुलन को दूर करने के लिए बीएसएनएल द्वारा नेटवर्क के विस्तार के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

बीएसएनएल के कार्मिकों के कार्यकरण का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और उनका कार्य निष्पादन काफी संतोषजनक है, जिसके परिणामस्वरूप समस्त देश में बीएसएनएल नेटवर्क की समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

**खाद्यान्नों का आयात**

**671. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
**श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत दलहनों, तिलहनों तथा खाद्यान्नों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में दलहनों की खेती में लापरवाही के कारण किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किये गये बीजों की उन्नत किस्मों का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा आयातकर्त्ता है। दालों, तिलहनों तथा खाद्यान्नों के आयात के मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) देश में इन फसलों के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित "समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आईसोपाम)" कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, पादप संरक्षण रसायनों के वितरण, पादप संरक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशकों, रिजोबियम कल्चर/फास्फेट विलायक बैक्टीरिया, जिप्सम/पाईराइट/लाइमिंग/डोलोमाईट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों तथा जल वाहक पाईपों के वितरण, प्रशिक्षण, प्रचार आदि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है ताकि किसानों को ये फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों संबंधी सूचना के प्रसार के लिए, राज्य कृषि विभाग के माध्यम से ब्लाक प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से फ्रंटलाईन प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।

रबी 2007-2008 गेहूं, चावल तथा दालों के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) भी शुरू किया है। एनएफएसएम-दलहन के अधीन विभिन्न हस्तक्षेपों के

माध्यम से उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

*विवरण*

(करोड़ रु. में)

| जिंस | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 (सितम्बर, 2007 तक) |
|---|---|---|---|
| दलहन | 2476.25 | 3851.45 | 2216.21 |
| तिलहन | 47.03 | 104.68 | 35.5 |
| चावल | 0.34 | 0.41 | 0.23 |
| गेहूं | – | 5850.49 | 159.93 |
| अन्य अनाज | 30.09 | 11.62 | 9.12 |

**किसानों को लाभकारी मूल्य**

**672. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड के किसानों को अपने उत्पाद की लागत की तुलना में अपने उत्पाद के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार झारखण्ड के किसानों को पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) सरकार की कृषि मूल्य नीति का प्रयोजन उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है ताकि वे अधिक निवेश तथा उत्पादन कर सकें तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराना है। मूल्य नीति के उद्देश्य अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित तथा एकीकृत मूल्य ढांचे का विकास करना भी है।

सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ ऐसे अन्य संबंधित कारकों का, जिनका विचार समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिंसों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों का निर्णय करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग बहुत से महत्वपूर्ण कारकों का ध्यान रखता है, जिसमें उत्पादन लागत शामिल है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य झारखंड सहित पूरे देश में लागू होते हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्थापित किया जाना**

**673. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में कितने एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्थापित किए गए;

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में ऐसे कितने बूथ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा ग्रामीण पंचायत टेलीफोनों को छोड़कर, सार्वजनिक टेलीफोनों बूथों [सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों (पीसीओ)] के आंकड़े राज्य-वार नहीं सर्किल-वार रखे जाते हैं। गत तीन वर्षों अर्थात, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (31.1.2008 तक) के दौरान कर्नाटक सहित सभी सर्किलों में कार्यरत पीसीओ की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) बीएसएनएल द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान पीसीओ प्रदान करने के लिए निर्धारित सर्किल-वार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं। एमटीएनएल द्वारा दिल्ली और मुम्बई के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं क्योंकि इन शहरों में पीसीओ मांग पर उपलब्ध हैं।

(ग) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा इस कार्य के लिए अलग से कोई फंड निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि पीसीओ पर होने वाला व्यय सामान्य सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) पर होने वाले व्यय का ही भाग है।

*विवरण I*

*गत तीन वर्षों अर्थात 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (31.1.2008 तक) के दौरान प्रदत्त पीसीओ की सर्किल-वार कुल संख्या*

| क्र.सं. | सर्किल का नाम | निम्न अवधि के दौरान प्रदत्त पीसीओ की कुल संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 (31.1.2008 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 121 | 410 | 11 | 30 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 65560 | 130902 | 655552 | 37338 |
| 3. | असम | 4285 | 3838 | 2431 | 1014 |
| 4. | बिहार | 8766 | 11225 | 10672 | 2783 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3224 | 7524 | 90 | 183 |
| 6. | गुजरात | 40041 | 20169 | 5629 | 4078 |
| 7. | हरियाणा | 6922 | 3538 | 1706 | 2462 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2059 | 1753 | 1216 | 683 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 1871 | 1456 | 1804 | 647 |
| 10. | झारखंड | 79159 | 62398 | 1196 | 634 |
| 11. | कर्नाटक | 21720 | 29371 | 40823 | 66182 |
| 12. | केरल | 9775 | 6567 | 20944 | 11279 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1839 | 2078 | 5379 | 18633 |
| 14. | महाराष्ट्र | 70198 | 52002 | 112096 | 30426 |
| 15. | उत्तर पूर्व-1 | 1137 | 1170 | 644 | 1193 |
| 16. | उत्तर पूर्व-2 | 648 | 1970 | 746 | 616 |
| 17. | उड़ीसा | 5695 | 3284 | 3383 | 1500 |
| 18. | पंजाब | 4969 | 4901 | 2354 | 2151 |
| 19. | राजस्थान | 11882 | 11832 | 6086 | 3435 |
| 20. | तमिलनाडु | 55799 | 62257 | 38146 | 41868 |
| 21. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 13996 | 13503 | 19303 | 15525 |
| 22. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 11023 | 4355 | 1612 | 1337 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | उत्तराखंड | 3052 | 1523 | 515 | 269 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 9447 | 18122 | 9026 | 5647 |
| 25. | कोलकाता | 10814 | 1055 | 2952 | 4650 |
| 26. | चेन्नै | 12403 | 13222 | 9377 | 1767 |
| 27. | एमटीएनएल दिल्ली | 21003 | 7597 | 6826 | 9504 |
| 28. | एमटीएनएल मुम्बई | 33578 | 13464 | 4035 | 2310 |
| | कुल | 510986 | 490586 | 374554 | 268144 |

*विवरण II*

*वर्ष 2008-09 के लिए बीएसएनएल के पीसीओ हेतु सर्किल-वार लक्ष्य*

| क्र.सं. | सर्किल/मैट्रो जिले का नाम | लक्ष्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 200 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 50000 |
| 3. | असम | 6600 |
| 4. | बिहार | 13400 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1800 |
| 6. | गुजरात | 22000 |
| 7. | हरियाणा | 5400 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2400 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 3000 |
| 10. | झारखंड | 3800 |
| 11. | कर्नाटक | 50000 |
| 12. | केरल | 26000 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 10600 |
| 14. | महाराष्ट्र | 62000 |
| 15. | उत्तर पूर्व-1 | 1600 |
| 16. | उत्तर पूर्व-2 | 1400 |
| 17. | उड़ीसा | 5800 |
| 18. | पंजाब | 6000 |
| 19. | राजस्थान | 12600 |
| 20. | तमिलनाडु | 40000 |
| 21. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 23000 |
| 22. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 8800 |
| 23. | उत्तराखंड | 2600 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 13000 |
| 25. | कोलकाता | 11600 |
| 26. | चेन्नै | 16400 |
| | जोड़ | 400000 |

नोट: दिल्ली और मुंबई के लिए पीसीओ हेतु एमटीएनएल द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

*[हिन्दी]*

## त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिल

**674. श्री तुकाराम मणपतराव रेंगे पाटील:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में त्रुटिपूर्ण बिल दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ग्रामीण उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, नहीं। बीएसएनएल द्वारा देश में अपने उपभोक्ताओं को बहुत अधिक संख्या में जारी किये गये बिलों में से बहुत कम प्रतिशत अर्थात 0.0014% बिल ही दोषपूर्ण पाए गए जिसका कारण कम्प्यूटर में त्रुटि आ जाना और डेटा का गलत चढ़ जाना था। महाराष्ट्र में एक गौण स्विचन क्षेत्र ने कम्प्यूटर में त्रुटि आ जाने के कारण डब्ल्यूएलएल ग्राहकों के लिए शुरू की गई एक नई स्कीम के संबंध में 1064 दोषपूर्ण बिल जारी किए। ये बिल महाराष्ट्र में कुल कनेक्शनों के संबंध में जारी किये गये बिलों का मात्र 0.027% हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बीएसएनएल द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया है, अतः उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसी समस्याओं को उत्पन्न नहीं होने देने के संबंध में स्थायी आदेश जारी किये गये हैं जिन्हें समय-समय पर दोहराया जाता रहता है ताकि समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके और समय-समय पर आवश्यक सॉफ्टवेयर जांच भी की जाती है।

*विवरण*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | मामलों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अंडमान और निकोबार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 166 | 561 | 983 |
| 3. | असम | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | बिहार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 106 | 15 | 9 |
| 6. | गुजरात | 289 | 1161 | 1030 |
| 7. | हरियाणा | 6 | 20 | 11 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | शून्य | शून्य | शून्य |
| 10. | झारखंड | शून्य | शून्य | शून्य |
| 11. | कर्नाटक | शून्य | शून्य | शून्य |
| 12. | केरल | शून्य | शून्य | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | मध्य प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य |
| 14. | महाराष्ट्र और गोवा | शून्य | शून्य | शून्य |
| 15. | मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय | शून्य | शून्य | शून्य |
| 16. | नागालैंड | शून्य | शून्य | शून्य |
| 17. | मणिपुर | शून्य | शून्य | शून्य |
| 18. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य |
| 19. | उड़ीसा | 199 | 414 | 947 |
| 20. | पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य |
| 21. | राजस्थान | शून्य | 54 | 578 |
| 22. | तमिलनाडु | 252 | 88 | 23 |
| 23. | पांडिचेरी | शून्य | 9 | शून्य |
| 24. | उत्तर प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य |
| 25. | उत्तरांचल | शून्य | शून्य | शून्य |
| 26. | पश्चिम बंगाल | शून्य | शून्य | शून्य |
| 27. | सिक्किम | शून्य | शून्य | शून्य |
| | दोषपूर्ण बिलों की कुल संख्या | 1018 | 2322 | 3581 |
| | जारी किए गए बिलों की कुल संख्या (वायरलाइन फोनों के लिए, पीसीओ को छोड़कर) | 252261451 | 252629327 | 254110873 |
| | दोषपूर्ण बिलों का प्रतिशत | 0.0004% | 0.0009% | 0.0014% |

*[अनुवाद]*

**डाकघरों में परिपक्वता अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण**

**675. श्री के.सी. सिंह "बाबा"**: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघर वरिष्ठ नागरिक योजना के अंतर्गत परिपक्वता अवधि पूर्ण होने से पहले धनराशि निकालने की अनुमति नहीं है तथा वरिष्ठ नागरिकों जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वे उक्त योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पैन की आवश्यकता को समाप्त करने तथा परिपक्वता अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण की अनुमति देने के लिए योजना में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)**: (क) महोदय, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में

परिपक्वता अवधि से पहले धनराशि निकालने की सुविधा उपलब्ध है और जो वरिष्ठ नागरिक आयकर की सीमा में नहीं आते हैं वे इस आशय का स्वघोषणा पत्र कि सभी स्रोतों (इस आवेदन द्वारा खोले जाने वाले खाते के ब्याज से होने वाली आय सहित) से उनकी आय छूट सीमा के अंतर्गत आती है और आवेदक को समय-समय पर यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पैन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुत कर खाता खोल सकते हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**श्रम संबंधी मुद्दे**

**676. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि श्रम संबंधी मुद्दे समवर्ती सूची से हटाए जाएं तथा राज्य सूची में डाले जाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) और (ख) श्रम से संबंधित विषय को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने का न तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का अपना कोई प्रस्ताव है न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से ही ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरण**

**677. श्री नवीन जिन्दल:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर से दिसम्बर, 2007 तक राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये वितरण हेतु कुल कितना गेहूं, चीनी, चावल तथा दलहन जारी किया गया;

(ख) क्या कुछ राज्य इन वस्तुओं को उठाने में असफल रहे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों से इन वस्तुओं को टोकन स्वरूप वितरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इन राज्यों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) इन वस्तुओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु प्रचलित निगरानी प्रणाली क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (छ) जिंसवार ब्यौरे निम्नानुसार है:

**(1) खाद्यान्न:**

अक्तूबर से दिसम्बर, 2007 तक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज किये गये खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की कुल मात्रा के आवंटन और उठान (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया उठान) के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण II में दिए गए हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों को आवंटित खाद्यान्नों का इस शर्त के अध्यधीन वैधता अवधि के अंदर उठान/रिलीज करना अपेक्षित होता है कि राज्य द्वारा समय से भुगतान जमा कराया जाए और भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदामों में खाद्यान्न उपलब्ध हों। तथापि, कभी-कभी राज्य सरकारें उन्हें पेश आ रही संसाधनों की समस्या, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न प्रशासनिक अथवा संभारतंत्र संबंधी समस्याओं आदि जैसे कारणों की वजह से आबंटित मात्रा का उठान नहीं कर पाती है। खाद्यान्नों के उठान की वैधता अवधि को बढ़ाने के लिए जब भी अनुरोध प्राप्त होते हैं, उन पर विचार भी किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, भंडारण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण केन्द्रों तक इनका आवंटन करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, अपात्र परिवारों के नाम काटने तथा पात्र परिवारों के नाम शामिल

करने के प्रयोजनार्थ गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों की समीक्षा करने और उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिये खाद्यान्नों का वितरण करने की होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे आबंटन के माह से 60 दिन की अवधि के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किये गये खाद्यान्नों के आबंटनों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र भेजें। इन आदेशों के बारे में समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सचेत किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र की स्थिति विवरण-III में दी गई है।

इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्न लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे, अन्य उपायों के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक 9 सूत्री कार्ययोजना क्रियान्वित की गई है जो निम्नानुसार है:

1. जाली राशन कार्डों को समाप्त करने और केवल पात्र गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का लीकेज मुक्त और विपथन मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों के कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाने चाहिए, दोषी व्यक्तियों/एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना-परामर्शदात्री समितियों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना, पंचायतों द्वारा उचित दर दुकानें चलाया जाना और सतर्कता समितियों में पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रभावी प्रतिनिधित्व होना।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उचित दर दुकानों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित किया जाना, उचित दर दुकानों द्वारा अधिसूचित समय का पालन किया जाना।

5. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उचित दर दुकानदार और जिलावार आबंटन वेबसाइट पर प्रदर्शित करना ताकि जनता इनकी जांच कर सके।

6. उचित दर दुकानों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की द्वार पर सुपुर्दगी करना।

7. राशन कार्डधारकों के लिए उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता और निर्धारित तारीखों को वितरण सुनिश्चित करना।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के बारे में जागरूकता पैदा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों की जटिलताओं के संबंध में सतर्कता समितियों को प्रशिक्षण देना।

9. उचित दर दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं को बेचने की अनुमति देकर उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना।

**(2) लेवी चीनी:** अक्तूबर से दिसम्बर, 2007 तक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी के राज्यवार आबंटन को बताने वाला विवरण IV में दिया गया है।

लेवी चीनी का आवंटन राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम को मासिक आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार किया जाता है। यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती हैं कि वे राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच वितरण करने के लिए चीनी मिलों से और भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचालित राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से लेवी चीनी का उठान करें।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना विहित नहीं किया गया है।

**(3) दालें:** केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जाने वाली वस्तुओं में दालें शामिल नहीं की जाती हैं।

*विवरण I*

*अक्तूबर 2007 से दिसम्बर 2007 तक के लिए गेहूं का आवंटन एवं उठान (अनंतिम)*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0.000 | 16.393 | 0.000 | 16.393 | 0.000 | 14.016 | 0.000 | 14.016 | 0.000 | 85.500 | 0.000 | 85.500 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.768 | 2.385 | 0.000 | 3.153 | 0.725 | 2.169 | 0.000 | 2.864 | 94.401 | 90.943 | 0.000 | 91.786 |
| 3. | असम | 0.000 | 84.138 | 0.000 | 84.138 | 0.000 | 80.978 | 0.000 | 80.978 | 0.000 | 96.244 | 0.000 | 96.244 |
| 4. | बिहार | 111.936 | 6.653 | 102.000 | 220.589 | 92.728 | 5.096 | 99.672 | 197.496 | 82.840 | 76.597 | 97.518 | 89.531 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 7.830 | 4.656 | 0.000 | 12.486 | 6.575 | 1.900 | 0.000 | 8.475 | 83.972 | 40.808 | 0.000 | 67.876 |
| 6. | दिल्ली | 20.171 | 115.079 | 9.973 | 145.223 | 20.279 | 109.126 | 7.160 | 136.565 | 100.535 | 94.827 | 71.794 | 94.038 |
| 7. | गोवा | 0.000 | 3.305 | 0.000 | 3.305 | 0.000 | 2.104 | 0.000 | 2.104 | 0.000 | 63.661 | 0.000 | 63.661 |
| 8. | गुजरात | 55.131 | 33.809 | 46.119 | 135.059 | 57.325 | 9.518 | 41.132 | 107.975 | 103.980 | 28.152 | 89.187 | 79.947 |
| 9. | हरियाणा | 34.773 | 34.896 | 30.705 | 100.374 | 34.109 | 0.190 | 29.343 | 63.642 | 98.090 | 0.544 | 95.564 | 63.405 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 11.895 | 39.866 | 8.865 | 60.626 | 12.286 | 43.047 | 9.056 | 64.389 | 103.287 | 107.979 | 102.155 | 106.207 |
| 11. | जम्मू व कश्मीर | 12.543 | 60.370 | 5.286 | 78.199 | 12.444 | 53.688 | 5.394 | 71.526 | 99.211 | 88.932 | 102.043 | 91.467 |
| 12. | झारखंड | 40.299 | 8.189 | 37590 | 86.078 | 35.413 | 3.001 | 33.793 | 72.207 | 87.876 | 36.647 | 89.899 | 83.886 |
| 13. | कर्नाटक | 28.136 | 17.403 | 21.846 | 67.385 | 28.135 | 14.123 | 21.509 | 63.767 | 99.996 | 81.153 | 98.457 | 94.631 |
| 14. | केरल | 20.889 | 63.998 | 0.000 | 84.887 | 20.861 | 65.534 | 0.000 | 86.395 | 99.866 | 102.400 | 0.000 | 101.776 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 168.018 | 26.330 | 140.049 | 334.397 | 180.794 | 30.720 | 137.427 | 348.941 | 107.604 | 116.673 | 98.128 | 104.349 |
| 16. | महाराष्ट्र | 199.294 | 36.193 | 130.218 | 365.705 | 207.430 | 30.553 | 119.559 | 357.542 | 104.082 | 84.417 | 91.814 | 97.768 |
| 17. | मणिपुर | 0.318 | 2.550 | 0.000 | 2.868 | 0.325 | 2.579 | 0.000 | 2.904 | 0.000 | 101.137 | 0.000 | 101.255 |
| 18. | मेघालय | 0.000 | 2.235 | 0.000 | 2.235 | 0.000 | 1.925 | 0.000 | 1.925 | 0.000 | 86.130 | 0.000 | 86.130 |
| 19. | मिजोरम | 0.000 | 2.808 | 0.000 | 2.808 | 0.000 | 2.741 | 0.000 | 2.741 | 0.000 | 97.614 | 0.000 | 97.614 |
| 20. | नागालैंड | 1.551 | 8.430 | 0.978 | 10.959 | 2.068 | 10.069 | 1.304 | 13.441 | 133.333 | 119.442 | 133.333 | 122.648 |
| 21. | उड़ीसा | 0.000 | 37.070 | 0.000 | 37.070 | 0.000 | 35.747 | 0.000 | 37.747 | 0.000 | 96.431 | 0.000 | 96.431 |
| 22. | पंजाब | 31.715 | 30.653 | 17.419 | 79.787 | 20.300 | 20.273 | 9.800 | 50.373 | 64.008 | 66.137 | 56.260 | 63.134 |
| 23. | राजस्थान | 96.785 | 80.317 | 94.650 | 271.752 | 100.181 | 71.263 | 90.504 | 261.948 | 103.509 | 88.727 | 95.620 | 96.392 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | सिक्किम | 0.000 | 1.104 | 0.000 | 1.104 | 0.000 | 1.104 | 0.000 | 1.104 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | 100.000 |
| 25. | तमिलनाडु | 0.000 | 24.025 | 0.000 | 24.025 | 0.000 | 27.024 | 0.000 | 27.024 | 0.000 | 112.483 | 0.000 | 112.483 |
| 26. | त्रिपुरा | 0.000 | 7.018 | 0.000 | 7.018 | 0.000 | 3.399 | 0.000 | 3.399 | 0.000 | 48.433 | 0.000 | 48.433 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 227.586 | 10.531 | 141.468 | 379.585 | 289.152 | 12.304 | 202.439 | 503.895 | 127.052 | 116.836 | 143.099 | 132.749 |
| 28. | उत्तराखंड | 12.129 | 12.047 | 4.746 | 28.922 | 12.129 | 16.710 | 4.482 | 33.321 | 100.000 | 138.707 | 94.437 | 115.210 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 149.274 | 229.680 | 68.148 | 438.102 | 145.403 | 200.578 | 56.809 | 402.790 | 94.407 | 90.891 | 83.361 | 91.940 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.183 | 1.413 | 0.063 | 1.659 | 0.071 | 1.062 | 0.011 | 1.144 | 38.798 | 75.159 | 17.460 | 68.957 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.102 | 0.050 | 0.000 | 0.152 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 100.00 | 0.000 | 0.000 | 67.105 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 0.048 | 0.119 | 0.039 | 0.206 | 0.032 | 0.030 | 0.026 | 0.088 | 66.667 | 25.210 | 66.667 | 42.718 |
| 33. | दमन व दीव | 0.021 | 0.050 | 0.015 | 0.086 | 0.016 | 0.000 | 0.013 | 0.029 | 76.190 | 0.000 | 86.667 | 33.721 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 200.00 | 0.000 | 200.000 |
| 35. | पांडिचेरी | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.436 | 0.000 | 0.436 | 0.000 | 72.667 | 0.000 | 72.667 |
| | कुल | 1231.395 | 995.413 | 860.177 | 3086.985 | 1278.883 | 873.107 | 869.433 | 3021.423 | 103.856 | 87.713 | 101.076 | 97.876 |

## विवरण II

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अक्तूबर, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक के लिए चावल का आवंटन एवं उठान (अनंतिम)*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अ.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 263.022 | 528.267 | 163.572 | 954.861 | 263.522 | 449.670 | 163.236 | 876.428 | 100.190 | 85.122 | 99.795 | 91.786 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 5.163 | 11.425 | 3.993 | 21.031 | 5.400 | 9.869 | 3.926 | 19.195 | 96.205 | 86.381 | 98.322 | 91.270 |
| 3. | असम | 11.806 | 84.600 | 72.923 | 277.329 | 11.440 | 0.000 | 11.279 | 218.184 | 32.987 | 0.000 | 74.040 | 46.266 |
| 4. | बिहार | 318.015 | 0.570 | 152.997 | 471.582 | 104.905 | 0.000 | 113.279 | 218.184 | 32.987 | 0.000 | 74.040 | 46.266 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 106.592 | 11.532 | 75.486 | 193.610 | 96.291 | 8.467 | 72.323 | 177.081 | 90.336 | 73.422 | 95.810 | 91.463 |
| 6. | दिल्ली | 8.812 | 46.791 | 3.989 | 59.592 | 8.745 | 43.582 | 2.853 | 55.180 | 99.240 | 93.142 | 71.522 | 92.596 |
| 7. | गोवा | 1.365 | 5.500 | 1.527 | 8.392 | 1.353 | 4.137 | 1.220 | 6.710 | 99.121 | 75.218 | 79.895 | 79.957 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | गुजरात | 73.461 | 36.840 | 38.901 | 149.202 | 56.862 | 6.514 | 37.437 | 100.813 | 77.404 | 17.682 | 96.237 | 67.568 |
| 9. | हरियाणा | 17.370 | 0.060 | 0.000 | 17.430 | 15.489 | 0.000 | 0.000 | 15.489 | 89.171 | 0.000 | 0.000 | 88.864 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 21.390 | 29.580 | 11.820 | 62.790 | 23.551 | 29.968 | 12.211 | 65.730 | 110.103 | 101.312 | 103.308 | 104.682 |
| 11. | जम्मू व कश्मीर | 37.881 | 78.351 | 21.561 | 137.793 | 38.542 | 60.876 | 21.449 | 120.867 | 101.745 | 77.697 | 99.481 | 87.716 |
| 12. | झारखंड | 114.690 | 4.170 | 58.794 | 177.654 | 69.311 | 0.161 | 42.488 | 111.960 | 60.433 | 3.861 | 72.266 | 63.021 |
| 13. | कर्नाटक | 152.460 | 323.637 | 104.127 | 580.224 | 152.113 | 149.465 | 98.992 | 400.570 | 99.772 | 46.183 | 95.069 | 69.037 |
| 14. | केरल | 79.698 | 74.002 | 62.565 | 216.265 | 79.705 | 73..890 | 62.675 | 216.270 | 100.009 | 99.849 | 100.176 | 100.002 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 84.036 | 6.390 | 26.016 | 116.442 | 75.511 | 7.035 | 25.326 | 107.872 | 89.856 | 110.094 | 97.438 | 92.640 |
| 16. | महाराष्ट्र | 206.949 | 8.700 | 126.615 | 342.264 | 135.026 | 6.285 | 88.538 | 229.849 | 65.246 | 72.241 | 69.927 | 67.155 |
| 17. | मणिपुर | 11.820 | 9.140 | 5.295 | 26.255 | 8.660 | 5.337 | 4.242 | 18.239 | 73.266 | 58.392 | 80.113 | 69.469 |
| 18. | मेघालय | 11.844 | 15.980 | 7.371 | 35.195 | 10.199 | 11.028 | 6.620 | 27.847 | 86.111 | 69.011 | 89.811 | 79.122 |
| 19. | मिजोरम | 4.410 | 11.780 | 2.730 | 18.920 | 5.364 | 7.977 | 2.731 | 16.072 | 121.633 | 67.716 | 100.037 | 84.947 |
| 20. | नगालैंड | 6.477 | 13.071 | 4.014 | 23.562 | 6.477 | 13.571 | 4.232 | 24.280 | 100.000 | 103.825 | 105.431 | 103.047 |
| 21. | उड़ीसा | 291.393 | 16.542 | 132.780 | 440.715 | 210.050 | 5.528 | 103.408 | 318.986 | 72.085 | 33.418 | 72.879 | 72.379 |
| 22. | पंजाब | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23. | राजस्थान | 50.598 | 0.000 | 3.222 | 53.820 | 37.451 | 0.000 | 1.711 | 39.162 | 74.017 | 0.000 | 53.104 | 72.765 |
| 24. | सिक्किम | 2.826 | 5.775 | 1.734 | 10.335 | 2.826 | 6.071 | 1.734 | 10.631 | 100.000 | 100.000 | 105.126 | 102.864 |
| 25. | तमिलनाडु | 314.808 | 677.859 | 195.786 | 1188.453 | 308.324 | 276.400 | 197.061 | 781.785 | 97.940 | 40.775 | 100.651 | 65.782 |
| 26. | त्रिपुरा | 19.095 | 31.110 | 11.880 | 62.085 | 18.776 | 20.873 | 8.041 | 47.690 | 98.329 | 67.094 | 67.685 | 76.814 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 463.839 | 2.880 | 288.402 | 755.121 | 264.964 | 0.744 | 191.918 | 457.626 | 57.124 | 25.833 | 66.545 | 60.603 |
| 28. | उत्तराखंड | 24.285 | 19.557 | 11.133 | 54.957 | 25.374 | 11.292 | 9.973 | 46.639 | 104.484 | 57.739 | 89.581 | 84.837 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 239.121 | 23.100 | 87.273 | 349.494 | 173.557 | 15.413 | 73.612 | 262.582 | 72.581 | 66.723 | 84.347 | 75.132 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 1.077 | 4.317 | 0.387 | 5.781 | 0.887 | 2.135 | 0.359 | 3.381 | 82.358 | 49.456 | 92.765 | 58.485 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.633 | 0.000 | 0.222 | 0.855 | 0.572 | 0.000 | 0.111 | 0.683 | 90.363 | 0.000 | 50.000 | 79.883 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 1.083 | 1.074 | 0.510 | 2.667 | 0.361 | 0.451 | 0.067 | 0.879 | 33.333 | 993 | 13.137 | 32.958 |
| 33. | दमन व दीव | 0.240 | 0.180 | 0..144 | 0.564 | 0.138 | 0.114 | 0.110 | 0.362 | 57.500 | 63.333 | 76.389 | 64.184 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.189 | 0.840 | 0.123 | 1.152 | 0.200 | 0.830 | 0.492 | 1.522 | 105.820 | 98.810 | 400.000 | 132.118 |
| 35. | पांडिचेरी | 5.391 | 7.110 | 3.387 | 15.888 | 2.808 | 0.000 | 1.795 | 4.603 | 52.087 | 0.000 | 52.997 | 28.972 |
| | कुल | 3859.289 | 2090.730 | 1682.279 | 6832.298 | 2314.837 | 1303.878 | 1425.904 | 5044.619 | 75.666 | 62.365 | 84.760 | 73.835 |

### विवरण III

*उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और माह बताने वाला विवरण जिनसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए*

(28.2.2008 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | माह, जिसके लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | नवम्बर, 07 से आज की तारीख तक |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 3. | असम | अक्तूबर, 07 से आज की तारीख तक |
| 4. | बिहार | अप्रैल, 01 और अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 5. | छत्तीसगढ़ | अगस्त, 07 से आज की तारीख तक |
| 6. | दिल्ली | जून, 07 से आज की तारीख तक |
| 7. | गोवा | फरवरी, 08 से आज की तारीख तक |
| 8. | गुजरात | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 9. | हरियाणा | जनवरी, 08 से आज की तारीख तक |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | जुलाई, 07 से आज की तारीख तक |
| 11. | जम्मू व कश्मीर | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 12. | झारखंड | सितम्बर, 01 और जनवरी, 08 से आज की तारीख तक |
| 13. | कर्नाटक | जून, 07 और अगस्त, 07 से आज की तारीख तक |
| 14. | केरल | जून, 07 और अगस्त, 07 से आज की तारीख तक |
| 15. | मध्य प्रदेश | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 16. | महाराष्ट्र | मार्च, 01 से आज की तारीख तक |
| 17. | मणिपुर | मार्च, 05 से आज की तारीख तक |
| 18. | मेघालय | नवम्बर, 07 से आज की तारीख तक |
| 19. | मिजोरम | सितम्बर, 07 से आज की तारीख तक |
| 20. | नागालैण्ड | अगस्त, 07 से आज की तारीख तक |
| 21. | उड़ीसा | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 22. | पंजाब | सितम्बर और अक्तूबर, 07, जनवरी, 08 से आज की तारीख तक |
| 23. | राजस्थान | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 24. | सिक्किम | सितम्बर 07 से आज की तारीख तक |
| 25. | तमिलनाडु | जुलाई, 07 से आज की तारीख तक |
| 26. | त्रिपुरा | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 27. | उत्तर प्रदेश | अक्तूबर, 07 से आज की तारीख तक |
| 28. | उत्तराखंड | सितम्बर, 2001 और अक्तूबर 07 से आज की तारीख तक |
| 29. | पश्चिम बंगाल | सितम्बर, 07 से आज की तारीख तक |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 31. | चंडीगढ़ | सितम्बर, 02 से आज की तारीख तक |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | अप्रैल, 07 से आज की तारीख तक |
| 33. | दमन व दीव | अक्तूबर, 01 से आज की तारीख तक |
| 34. | लक्षद्वीप | अक्तूबर, 06 से आज की तारीख तक |
| 35. | पांडिचेरी | सितम्बर, 07 से आज की तारीख तक |

### विवरण IV

*अक्तूबर से दिसम्बर, 2007 तक के दौरान लेवी चीनी के राज्यवार और माहवार आबंटन*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अक्तूबर, 07 | नवम्बर, 07 | दिसम्बर, 07 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 13.53 | 9.72 | 9.72 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.90 | 0.84 | 0.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 19.17 | 19.17 | 18.45 |
| 4. | बिहार | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| 6. | दिल्ली | 4.01 | 2.83 | 2.83 |
| 7. | गोवा | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
| 8. | गुजरात | 8.31 | 5.88 | 5.88 |
| 9. | हरियाणा | 3.50 | 2.50 | 2.51 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 5.01 | 4.70 | 4.70 |
| 11. | जम्मू व कश्मीर | 7.76 | 7.31 | 7.29 |
| 12. | झारखंड | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13. | कर्नाटक | 11.37 | 8.69 | 8.69 |
| 14. | केरल | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 15.29 | 12.51 | 12.53 |
| 16. | महाराष्ट्र | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
| 17. | मणिपुर | 1.93 | 1.90 | 1.81 |
| 18. | मेघालय | 1.73 | 1.83 | 1.73 |
| 19. | मिजोरम | 0.71 | 0.69 | 0.74 |
| 20. | नागालैण्ड | 1.24 | 1.20 | 1.25 |
| 21. | उड़ीसा | 8.73 | 9.73 | 8.73 |
| 22. | पंजाब | 2.72 | 1.52 | 1.53 |
| 23. | राजस्थान | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 24. | सिक्किम | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 25. | तमिलनाडु | 14.22 | 10.83 | 10.83 |
| 26. | त्रिपुरा | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 40.65 | 33.06 | 33.07 |
| 28. | उत्तराखंड | 6.44 | 6.03 | 6.04 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
| 30. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 0.42 | 0.38 | 0.38 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| 32. | दादर व नगर हवेली | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 33. | दमन व दीव | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 35. | पांडिचेरी | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 36. | भूटान | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | सकल जोड़ (समस्त भारत) | 225.51 | 198.12 | 197.45 |

## कृषि उत्पाद में कमी

**678. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट आ रही है जिससे कृषि उत्पाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्षा-सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी एवं निराशा व्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी पनधारा कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के सतत विकास हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) पूर्व-मानसून (मई, 2006) के लिए सीजीडब्ल्यूबी के प्रेक्षण कूप के जल स्तर की गहराई की दशक के औसत (1996-2005) के साथ तुलना करने से यह पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 0-4 एम की सीमा में जल स्तर में सामान्य वृद्धि हुई है। उत्तरी भारत में जल स्तर में 0-2 एम की सीमा में सामान्य गिरावट आई

है। तथापि, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी भाग में जल स्तर में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय भारत में जल स्तर में वृद्धि एवं गिरावट की मिश्रित प्रवृत्ति है। इसके अलावा, समूचे देश में जल स्तर में 0-2 एम की सीमा में वृद्धि या गिरावट के एकाकी मामले पाए गए है। इसी प्रकार, पूर्व-मानसून (नवंबर, 2006) के लिए जल स्तर की गहराई की दशक के औसत (1996-2005) के साथ तुलना करने से यह पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में 0-2 एम की सीमा में जल स्तर में सामान्य वृद्धि हुई है। तथापि, कर्नाटक के कुछ भागों, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के निर्जन स्थानों में 0-2 एम की सीमा में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तरी भारत में 0-2 एम की सीमा में जल स्तर में सामान्य गिरावट है।

(ग) और (घ) वर्षा सिंचित क्षेत्र सामान्य रूप से वायु एवं जल अपरदन के अधीन हैं और इस प्रकार निम्नीकरण की विभिन्न दशाओं में है, इस प्रकार इन क्षेत्रों में गहन कृषि उत्पादन नहीं हो पाता है। ये क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भर हैं और इनमें विशिष्ट जल वैज्ञानिक एवं पेडोलाजिकल समस्याएं विद्यमान हैं। इनकी उत्पादकता का स्तर न्यून है और इनमें आदानों का उपयोग कम है। इन क्षेत्रों में कम उत्पादकता की समस्या उत्तरोत्तर फसल वर्षों में उत्पादन में अनिश्चितता के कारण और अधिक गहरी हो जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की विचलनशीलता उच्च है और इसके परिणामस्वरूप कृषि उपज में व्यापक विचलन एवं अस्थायित्व है। इन क्षेत्रों में उत्पादन में अनिश्चितता के कारण इनमें अल्प ऋण ग्रहण करने की क्षमता भी मौजूद है। अत: इन क्षेत्रों के किसान कुल मिलाकर घाटे की स्थिति में हैं और इस प्रकार निर्धन हैं। हाल ही में चार राज्यों के 31 जिलों में यथा- आंध्र प्रदेश (गुंटुर, प्रकाशम, नेलोर, करनूल, कुड्डपा, चित्तूर, अनंतपुर, रंगारेड्डी, मेडक, नालगोंडा, महबूब नगर, वारंगल, खम्मम, करीम नगर, निजामाबाद एवं अदिलाबाद), कर्नाटक (बेलगाम, सिमोगा, चित्रदुर्गा, हासन, चिकमगलूर एवं कोडागु), केरल (पल्लकड, वायनाड एवं कासनगोड) और महाराष्ट्र (अकोला, वर्धा, अमरावती, बुलधाना, वासीन और यवतमाल) में संकट के कुछ मामले में सामने आए हैं।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने 3.11.2006 को राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की है जिसका उद्देश्य वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना है। यह प्राधिकरण एक द्वि-स्तरीय संरचना है। पहला स्तर शासी बोर्ड है जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आवश्यक नेतृत्व एवं उचित समन्वय प्रदान करता है। शासी बोर्ड की अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि मंत्री और सह अध्यक्षता केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करते हैं। जल संसाधन तथा पर्यावरण व वन मंत्री, सदस्य (कृषि), योजना आयोग, मंत्रालयों/ कृषि एवं सहकारिता विभाग, ग्रीण विकास, जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन, पंचायती राज विभाग के सचिव, नाबार्ड का अध्यक्ष, एक कृषक प्रतिनिधि/कृषक संगठन का प्रतिनिधि तथा एनआरएए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्य सदस्य हैं। द्वितीय स्तर कार्यकारी समिति है जिसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनआरएए द्वारा की जाती है। जल संसाधन, कृषि/बागवानी, पशुपालन एवं मात्स्यिकी, वानिकी तथा पनधारा विकास के क्षेत्रों में पूर्णकालिक आधार पर 5 ख्यातिलब्ध विशेषज्ञ, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण एवं वन, पंचायती राज और जल संसाधन मंत्रालयों से प्रत्येक का प्रतिनिधि, सलाहकार (कृषि), योजना आयोग, निदेशक, केन्द्रीय शुष्क अंचल अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, निदेशक, केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद इस कार्यकारी के समिति के अन्य सदस्य हैं। इस प्राधिकरण से देश की वर्षा सिंचित कृषि के सुव्यवस्थित उन्नयन एवं प्रबंधन के मामले में अत्यधिक अपेक्षित जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। यह प्राधिकरण एक नीति बनाने वाली और मानीटरिंग करने वाली निकाय है जिसे विभिन्न मौजूदा स्कीमों के दिशा-निर्देशों की जांच करने की भूमिका सौंपी गई है। इसका अधिदेश मात्र जल संरक्षण की तुलना में व्यापक है और इसमें उचित फार्मिंग एवं जीविका प्रणाली दृष्टिकोण के साथ वर्षा सिंचित क्षेत्रों के सतत एवं समग्र विकास के सभी पहलू शामिल हैं।

### प्रबंधन का स्थानान्तरण

**679. श्री बची सिंह रावत 'बचदा':** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघर जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा की कार्मिक निधि का प्रबंधन विद्यमान म्युचुअल फंडों की परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनियों को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की दो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को इस कार्य में लगाया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**वायरलैस फोन तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के उपभोक्ता**

**680. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वायरलैस फोन तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वायरलैस फोन उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या की तुलना में लैंडलाइन फोन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वायरलैस फोन उपभोक्ताओं की कंपनी-वार संख्या कितनी है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच माह के दौरान बेतार फोन और ब्राडबैंड कनेक्शनों के उपभोक्ता आधार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| मद | माह के अंत में उपभोक्ता आधार (मिलियन में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | सितम्बर, 07 | अक्तूबर, 07 | नवम्बर, 07 | दिसम्बर, 07 | जनवरी, 08 |
| बेतार टेलीफोन | 209.09 | 217.14 | 225.46 | 233.63 | 242.40 |
| ब्रॉडबैंड कनेक्शन | 2.61 | 2.70 | 2.80 | 3.01 | 3.24* |

*जनवरी, 08 के ब्रॉडबैंड आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले पांच माह के दौरान फिक्स्ड फोन और बेतार फोन के उपभोक्ता आधार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| मद | माह के अंत में उपभोक्ता आधार (मिलियन में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | सितम्बर, 07 | अक्तूबर, 07 | नवम्बर, 07 | दिसम्बर, 07 | जनवरी, 08 |
| फिक्सड टेलीफोन | 39.58 | 39.41 | 39.31 | 39.25 | 39.22 |
| बेतार टेलीफोन | 209.09 | 217.14 | 225.46 | 233.63 | 242.40 |

(ङ) देश में 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार, कंपनी-वार बेतार फोन उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार, बेतार उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बीएसएनएल | 37.99 |
| 2. | भारती एयरटेल | 57.42 |
| 3. | रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड | 42.57 |
| 4. | वोडाफोन | 41.14 |
| 5. | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | 22.54 |
| 6. | आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशंस | 21.95 |
| 7. | एयरसेल | 9.93 |
| 8. | एमटीएनएल | 3.29 |
| 9. | स्पाइस कम्यूनिकेशंस | 3.94 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | बीपीएल मोबाइल | 1.26 |
| 11. | एचएफसीएल एन्फोटेल लिमिटेड | 0.27 |
| 12. | श्याम टेलीलिंक लिमिटेड | 0.10 |
| | कुल योग | 242.40 |

### टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

**681. श्री गिरिधारी यादव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के बांका तथा जमुई जिलों में विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में अनेक आवेदक टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी दूरभाष केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतीक्षारत आवेदकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने तथा दूरभाष केन्द्रों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, नहीं। प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या अधिक नहीं है। बांका जिले की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या 407 है तथा जमुई जिले की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या केवल 84 है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या काफी कम है तथा इसका निपटान डब्ल्यूएलएल एवं लैंडलाइन पर कनेक्शन प्रदान करते हुए उत्तरोत्तर रूप से किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

### बायो-पाइरेसी

**682. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आईसीएआर के अधिकारियों ने बायो-पाइरेसी के मामले पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बायो-पाइरेसी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदाधिकारियों द्वारा बायो-पाइरेसी का कोई मामला पकड़ा/दर्ज नहीं कराया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बायो-पाइरेसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने जैविकीय विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया है। जिसका मुख्य लक्ष्य देश के जैविकीय संसाधनों तथा इससे जुड़ी पारंपरिक जानकारी की प्राप्ति को विनियमित करना है, ताकि इनके उपयोग से सृजित लाभ के समान वितरण को सुरक्षित किया जा सके। इस अधिनियम में इसके साथ-साथ भारत से किसी जैविकीय संसाधनों तथा इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की पूर्व अनुमति लेने और भारत के जैविकीय संसाधनों एवं इससे जुड़ी जानकारी पर आधारित किसी भी प्रकार के बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए आवेदन देने का भी प्रावधान है। एन.बी.ए. द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है बशर्ते कि लाभ के समान वितरण की सुरक्षा से संबंधित निबंधन एवं शर्तों का पालन किया जाए।

### पनधारा परियोजना

**683. श्री परसुराम माझी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर, कोरापुट (केबीके) जिलों में कुछ पनधारा परियोजनाएं लागू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) केबीके जिलों (कालाहांडी, नूपाडा, बोलनगीर, सोनपुर, कोरापट, रायगाडा, मलकांगिरी और नवरंगपुर) में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों जैसे वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआर), नदी घाटी परियोजना/बाढ़ संभावित नदी (आरवीपी एवं एफपीआर) के जल

भराव क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाएं (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के तहत पनधारा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। केबीके जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधिक कार्रवाई योजना (आरएलटीएपी) के तहत प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की सहायता से भी पनधारा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसके अलावा, एक विदेशी अनुदान प्राप्त परियोजना (डीएफआईडी द्वारा वित्त पोषित) अर्थात पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना (डब्ल्यूओआरएलपी) भी इस समय क्रियान्वित की जा रही है।

उक्त पनधारा कार्यक्रमों के तहत अब तक, केबीके जिलों में 499552 हैक्टेयर भूमि विकसित कर ली गई है। उक्त परियोजना के स्कीमवार ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं। इन पनधारा परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप मृदा नमी, फसलन सघनता, उत्पादन और उत्पादकता, भूमि जल पुन:भराव, मृदा क्षति में कमी, खेती इत्यादि के तहत अतिरिक्त क्षेत्र लाने में वृद्धि हुई है।

*विवरण*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | पनधाराओं की सं. | विकसित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | एनडब्ल्यूडीपीआरए | 158 | 30537 |
| 2. | आरवीपी एवं एफपीआर* | 20 | 58340 |
| 3. | आईडब्ल्यूडीपी | 377 | 103503 |
| 4. | डीपीएपी | 778 | 122417 |
| 5. | एसीए | 314 | 126000 |
| 6. | डब्ल्यूओआरएलपी | 250 | 58755 |
| | कुल | 1897 | 499552 |

*ये आंकड़े मकछुकुंड-सिलेरू जलभराव क्षेत्रों में विकसित किये गये क्षेत्रों के लिए है जिनमें केबीके जिले शामिल हैं।

*[हिन्दी]*

## दूरसंचार टावरों की स्थापना

**684. श्री राजनरायन बुधौलिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार टावरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, हां।

(ख) उन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां इस समय कोई स्थिर बेतार अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता के लिए 27 राज्यों के 500 जिलों में 7,871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना करने और उनके प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है।

(ग) यूएसओएफ द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न कार्यकलापों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित प्राक्कलन के अंतर्गत 1450 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। तथापि, क्योंकि इस कार्यकलाप के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी दावे के प्राप्त होने की संभावना नहीं है अत: इस संबंध में कोई भी राशि वितरित होने की संभावना नहीं है।

## बर्ड फ्लू का टीका

**685. श्री के.सी. पल्लानी शामी:**
**श्री सुरेश अंगड़ि:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घातक एच 5 एन 1 बर्ड फ्लू विषाणु से निपटने के लिए टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस नए टीके की पर्याप्त उपलब्धता एवं वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ने महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में प्रकोपों से पृथक किये गये एच 5 एन 1 पील्ड स्ट्रेन का उपयोग करके एक किलड टीके को विकसित किया है। प्रायोगिक अध्ययनों के माध्यम से एवियन इंफ्लूएंजा टीके की कार्यकुशलता एवं क्षमता ने बेहतर रक्षात्मक एंटीबॉडी टाइटर दर्शाया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विभाग ने एवियन इंफ्लूएंजा टीकों की 45 मिलियन खुराकों की क्षमता के साथ एक टीका बैंक व्यवस्था विकसित की है। आज तक, सरकार ने एवियन इंफ्लूएंजा से बचाव के लिए टीकाकरण का विकल्प नहीं अपनाया है। तथापि, यदि भविष्य में टीकाकरण शुरू किया जाता है तो सरकार नीतिगत स्टाक बनाए हुए हैं। तथापि, वाणिज्यिक उत्पादकों को प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से स्वदेशी टीकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, ऐसे वायरस से निपटने के लिए एवियन इंफ्लूएंजा टीके के उत्पादन में बायो-कंटेनमेंट की आवश्यकता होती है।

**खुदरा व्यवसाय में कार्पोरेट जगत के प्रवेश का प्रभाव**

**686. डा. चिन्ता मोहन:**
**श्री रामजीलाल सुमन:**
**श्री प्रबोध पाण्डा:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खुदरा व्यवसाय में कार्पोरेट जगत/बड़े खुदरा व्यावसायियों के प्रवेश का छोटे/खुदरा दुकानदारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सर्वेक्षण करने तथा एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एजेंसियों की सेवाएं ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त एजेंसियों के नाम क्या हैं, इन एजेसियों की सेवाएं किस तिथि से ली गई थी तथा इस प्रयोजनार्थ उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) उक्त सर्वेक्षण किन जिलों में कराया गया या कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उक्त एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट कब तक सौंप दिये जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के माध्यम से असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन संस्थापित किया है। अध्ययन के विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विकास संबंधों पर अध्ययन करने का कार्य भी सौंपा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव पर केन्द्रित होगा।

(च) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद को अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2007 में देनी थी परन्तु उन्होंने अध्ययन के लिए अतिरिक्त सर्वेक्षण करने के लिए और समय मांगा है। भारतीय अनुप्रयुक्त आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा अनंतिम रिपोर्ट मई, 2008 तक दी जानी है।

***विवरण***

संख्या 12-(47)/2006-एफ सी
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च, 2007

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद,
कोर 6ए, चौथा तल,
इंडिया हेबिटेट सेंटर,
लोदी रोड, नई दिल्ली-3

विषय: असंगठित खुदरा क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार का प्रभाव-भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा एक अध्ययन

महोदय,

मुझे असंगठित खुदरा क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव संबंधी अध्ययन का कार्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद को सौंपने के लिए भारत सरकार की मंजूरी सम्प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

2. हाल के वर्षों के देश में संगठित खुदरा व्यापार में काफी वृद्धि हुई है और अनुमान दर्शाते हैं कि भविष्य में इनमें और तेजी

से वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में बड़े औद्योगिक घराने प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने भावी विस्तार योजनाएं घोषित कर दी हैं। विदेशी कम्पनियां भी भारत में आने और भारतीय बड़ी कम्पनियों के सहयोग से खुदरा व्यापार श्रृंखलाएं स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। देश में संगठित खुदरा व्यापार में वृद्धि के प्रभाव पर अलग-अलग विचार व्यक्त किये गये हैं। इस बात पर चिन्ता जताई गई है कि संगठित खुदरा व्यापार में वृद्धि का असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी तर्क दिया गया है कि संगठित खुदरा व्यापार की वृद्धि से मध्यवर्ती चरणों में कार्यकुशलता आएगी जिससे उत्पादकों (किसानों और छोटे उत्पादकों सहित) को ऊंचे दाम मिल सकेंगे या बाजारों में उनकी पहुंच हो सकेगी अथवा उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम होंगे। इस प्रकार की विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारत में संगठित खुदरा व्यापार के संभावित प्रभावों पर एक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन अनिवार्य है।

**विचारार्थ विषय**

3. अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर बढ़ते हुए संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का आकलन करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद को निम्नलिखित बातों पर केन्द्रित संगठित खुदरा व्यापार संबंधी अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया जाता है:

(1) पूरे बाजार की संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए असंगठित क्षेत्र में छोटे खुदरा व्यापारियों और वेंडरों पर प्रभाव;

(2) रोजगार पर प्रभाव,

(3) उपभोक्ताओं पर प्रभाव,

(4) किसानों और विनिर्माताओं पर प्रभाव,

(5) मूल्यों पर प्रभाव,

(6) आर्थिक विकास पर समग्र प्रभाव।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद उपर्युक्त का विश्लेषण अगले 5 वर्षों में 7-10 प्रतिशत प्रतिवर्ष विकास के परिदृश्य के संदर्भ और तेजी से विकास कर रहे अन्य बाजार अर्थव्यवस्थाओं की पद्धति की रोशनी में करेगी।

**क्रियाविधि**

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के अध्ययन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

* मौजूदा अध्ययनों का साहित्यिक सर्वेक्षण
* स्थापित खुदरा श्रृंखलाओं के 4-5 केस स्टडीज
* संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रमुख व्यापारियों, विनिर्माताओं और किसान एसोसिएशनों सहित उत्पादकों का साक्षात्कार
* विशेष रूप से संगठित खुदरा दुकानों के आसपास के वेंडरों सहित असंगठित खुदरा व्यापारियों का प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण।
* संगठित खुदरा दुकानों के आसपास उपभोक्ताओं का प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण।

**समय सारणी**

5. अध्ययन समयबद्ध तरीके से किये जाने का प्रस्ताव है जो इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रारंभ | 1 मार्च |
| 2. | साहित्यिक सर्वेक्षण और प्रश्नावली तैयार करना | 30 मार्च |
| 3. | प्रायोगिक सर्वेक्षण | 1-15 अप्रैल |
| 4. | समीक्षा कार्यशाला | 30 अप्रैल |
| 5. | सर्वेक्षण | 1 मई-15 जून |
| 6. | अन्तरिम रिपोर्ट | 30 जून |
| 7. | समीक्षा कार्यशाला-2 | 7 जुलाई |
| 8. | अंतिम रिपोर्ट | 15 जुलाई |

**बजट**

6. सरकार ने उपयुक्त अध्ययन के लिए 59.80 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया है जिसे औद्योगिक नीति और संवर्धन द्वारा पूरा किया जाएगा।

7. इसे आन्तरिक वित्त विंग की दिनांक 1.3.2007 की डायरी संख्या 4160/ए एस एण्ड एफ ए के तहत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

ह.

(प्रमिला राघवेन्द्रन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स: 23062327

*[अनुवाद]*

**पत्रकारों को अंतरिम राहत**

687. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों तथा अन्य मीडिया कर्मियों को अंतरिम राहत का भुगतान करने के लिए पत्रकारों या भारतीय पत्रकार संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) और (ख) सरकार को अंतरिम राहत के भुगतान के लिए भारतीय पत्रकार संघ सहित कुछ कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह मांग श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों से संबंधित वेतन बोर्डों को विचारार्थ भेज दी गयी है।

**सी-फूड पार्क**

688. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तटीय क्षेत्रों में सी-फूड पार्क विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे पार्कों के विकास के लिए विदेशी फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम भी बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कृषक ऋण राहत आयोग**

689. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
**श्रीमती जयाप्रदा:**
**डा. चिन्ता मोहन:**
**श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
**श्री सूरज सिंह:**
**श्री रशीद मसूद:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री ए. साईं प्रताप:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री जुएल ओराम:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कृषक ऋण राहत आयोग का गठन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) भारत सरकार के पास कृषक कर्ज राहत आयोग के गठन संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, केरल राज्य सरकार ने केरल कृषक कर्ज राहत आयोग अधिनियम, 2006 के तहत एक कर्ज राहत आयोग गठित किया है।

**नदियों का राष्ट्रीयकरण**

690. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
**श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
**श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
**श्री एस. अजय कुमार:**
**श्री उदय सिंह:**
**श्री कैलाश मेघवाल:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
**श्री महावीर भगोरा:**
**श्री बसुदेव आचार्य:**
**श्री के.सी. पल्लानी शामी:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ नदियों को राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के रूप में अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नदियों संबंधी परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा उनके क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं हेतु 90 प्रतिशत वित्तपोषण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव)**: (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से वित्तपोषण प्रणाली तैयार करने के आधार पर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में 14 जल संसाधन परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और निवेश स्वीकृति के पश्चात केन्द्रीय अनुदान के रूप में परियोजना के सिंचाई और पेयजल घटक की 90% परियोजना लागत प्रदान करने का प्रस्ताव है। 14 राष्ट्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अतिरिक्त अप्रत्यक्ष सिंचाई लाभों और पेय जल की उपलब्धता के अलावा इन परियोजनाओं से लगभग 21 लाख हेक्टेयर में सिंचाई लाभ होने का अनुमान है।

***विवरण***

*राष्ट्रीय परियोजनाएं*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | राज्य |
|---|---|---|
| 1. | तीस्ता बैराज | पश्चिम बंगाल |
| 2. | शाहपुर कांडी | पंजाब |
| 3. | बर्सर | जम्मू व कश्मीर |
| 4. | दूसरा रावी व्यास संपर्क | पंजाब |
| 5. | उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना | जम्मू व कश्मीर |
| 6. | ग्यास्पा परियोजना | हिमाचल प्रदेश |
| 7. | लखवार व्यासी | उत्तरांचल |
| 8. | किशाऊ | हिमाचल प्रदेश/उत्तरांचल |
| 9. | रेनुका | हिमाचल प्रदेश |
| 10. | नोवा-देहांग बांध परियोजना | अरुणाचल प्रदेश |
| 11. | कुलसी बांध परियोजना | असम |
| 12. | ऊपरी सियांग | अरुणाचल प्रदेश |
| 13. | गोसीखुर्द | महाराष्ट्र |
| 14. | केन बेतवा | मध्य प्रदेश |

*[हिन्दी]*

**अनुबंधित कर्मचारियों/कामगारों का नियमित किया जाना**

691. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री काशीराम राणा:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदार केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों/कामगारों को अनुबंध के आधार पर काम पर रख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कर्मचारियों/कामगारों को नियमित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उपाय किये है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस)**: (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय दल का दौरा**

692. **श्रीमती जयाप्रदा:**
**श्री पंकज चौधरी:**
**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
**श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:**
**श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
**श्री निखिल कुमार:**
**श्री उदय सिंह:**
**श्री हेमलाल मुर्मू:**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
**श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
**श्री दुष्यंत सिंह:**
**श्री संतोष गंगवार:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**डा. के. धनराजू:**
**श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
**श्री एस.के. खारवेनथन:**
**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**

**श्री भर्तृहरि महताब:**
**श्री अधीर चौधरी:**
**श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
**श्री सुरेश अंगड़ि:**
**श्री पुष्प जैन:**
**श्री संजय धोत्रे:**
**श्री शिशुपाल एन. पटले:**
**श्री कीरेन रिजीजू:**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री बची सिंह रावत 'बचदा':**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल ने बर्ड फ्लू के फैलने के कारणों तथा इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था तथा उनके द्वारा की गई टिप्पणियों तथा सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसे फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा किसी विदेशी सहायता की मांग की गई थी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में बर्ड फ्लू की वर्तमान स्थिति क्या है तथा बर्ड फ्लू की बीमारी का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) केन्द्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा सहायता देने तथा रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम में राज्य सरकार के प्रकोप में मदद करने के लिए किया था, न कि संक्रमण के प्रकार होने के स्रोत का अध्ययन करने के लिए।

(ख) केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में एवियन एन्फ्लूएंजा के प्रकोप को रोकने के लिए कोई बाहरी सहायता नहीं मांगी है।

(ग) देश में अभी हाल के एवियन एन्फ्लूएंजा के प्रकोप को पश्चिम बंगाल के बीरभूम तथा दक्षिण दिनाजपुर जिलों में 15.1.2008 को सूचित किया था। यह रोग राज्य के 11 अन्य जिलों नामत: मुर्शिदाबाद, बर्दवान, दक्षिण-24 परगना, नादिया, हुगली, हावड़ा, कूचबिहार, मालदा, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा तथा पुरुलिया में फैल गया। आखिरी घटना 2 फरवरी, 2008 को सूचित की गई थी, इसके पश्चात देश के किसी भी हिस्से से इस रोग के प्रकोप की कोई सूचना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में नियंत्रण एवं रोकथाम क्रियाकलापों को अप्रत्याशित स्तर पर चलाया गया था। राज्य में रोग के नियंत्रण, रोकथाम और उसे समाप्त करने के अनुपालन में रणनीति यह रही कि संक्रमण के 5 किलोमीटर की परिधि में सभी कुक्कुट पक्षियों को मार दिया जाए। अन्य क्षेत्रों में कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पादों की किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए सभी प्रभावित क्षेत्रों को सील कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल में 26.2.2008 तक 39.33 लाख कुक्कुट पक्षियों को मार दिया गया है। इसके अलावा, इन क्रियाकलापों के तहत 14.91 लाख अंडों तथा 80,000 किलोग्राम आहार सामग्री को भी नष्ट कर दिया गया।

पड़ोसी राज्यों में रोग के फैलने को रोकने के उद्देश्य से, पश्चिम बंगाल के साथ लगे असम, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों में 5 किलोमीटर तक रोग की रोकथाम के लिए पक्षियों को मारकर कुक्कुट विहीन क्षेत्र को 1 फरवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। असम, बिहार तथा झारखंड राज्यों में रोग की रोकथाम के लिए कुक्कुट को मारने का काम पूरा हो चुका है। उड़ीसा में मारने का काम अभी शुरू किया जाना है।

**डाक कर्मचारियों की शिकायतों संबंधी समिति की रिपोर्ट**

**693. श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में डाक घरों के विभागेत्तर कर्मचारियों की शिकायतों के मामले के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु किसी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण डाक सेवक की परिलब्धियों एवं सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए माननीय

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से श्री आर.एस. नटराज मूर्ति, सेवानिवृत्त सदस्य, डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषयों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया। तदनुसार माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत इसे दिनांक 23 जुलाई, 2007 के संकल्प सं. 6-1/2006-पीई-2 द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया।

(ग) जी नहीं। इस संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**भारतीय कपास निगम के तहत योजनाएं**

**694. श्री वी.के. दुग्मर:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम (सीसीआई) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीसीआई द्वारा राज्य-वार कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(घ) क्या उक्त योजनाओं की कोई समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन ):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीसीआई द्वारा चलाई जा रही योजनाएं राज्य विशिष्ट की नहीं हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:

* कपास प्रौद्योगिकी मिशन
* फ्रंट लाइन प्रदर्शन
* एकीकृत कपास खेती (संविदा खेती)

उपर्युक्त के अलावा, सीसीआई, कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के स्तर पर आने की स्थिति में, समर्थन मूल्य अभियान चला रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) देश के विभिन्न राज्यों में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में गुणवत्तात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन हुआ है जोकि संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

***विवरण***

*भारत में कपास का राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन और उपज*

*(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में उत्पादन लाख गांठ में 170 किग्रा. उपज; प्रति हैक्टेयर किग्रा.)*

| वर्ष | 2004-05 | | | 2005-06 | | | 2006-07 | | | 2007-08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | क्षेत्र | उत्पादन | उपज | क्षेत्र | उत्पादन | उपज | क्षेत्र | उत्पादन | उपज | क्षेत्र | उत्पादन | उपज |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| पंजाब | 5.09 | 16.50 | 551 | 5.57 | 21.00 | 610 | 6.07 | 26.00 | 728 | 06.48 | 24.00 | 630 |
| हरियाणा | 6.21 | 15.50 | 424 | 5.83 | 14.00 | 379 | 5.30 | 16.00 | 513 | 04.78 | 16.00 | 569 |
| राजस्थान | 4.38 | 11.00 | 427 | 4.71 | 11.00 | 397 | 3.50 | 8.00 | 389 | 03.68 | 09.00 | 416 |
| गुजरात | 19.06 | 73.00 | 651 | 19.06 | 89.00 | 94 | 23.90 | 101.00 | 718 | 25.16 | 110.00 | 743 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 28.40 | 52.00 | 311 | 28.75 | 36.00 | 213 | 30.70 | 52.00 | 288 | 31.91 | 60.00 | 320 |
| एम.पी. | 5.76 | 16.00 | 472 | 6.20 | 18.00 | 494 | 6.39 | 18.00 | 479 | 06.62 | 21.00 | 539 |
| ए.पी. | 11.78 | 32.50 | 469 | 10.33 | 30.00 | 527 | 9.72 | 35.00 | 612 | 10.96 | 43.00 | 667 |
| कर्नाटक | 5.21 | 8.00 | 261 | 4.13 | 6.50 | 268 | 3.75 | 6.00 | 272 | 03.71 | 08.00 | 367 |
| तमिलनाडु | 1.29 | 5.30 | 725 | 1.40 | 5.50 | 668 | 1.22 | 5.00 | 697 | 01.23 | 05.00 | 691 |
| अन्य | 0.68 | 1.00 | 250 | 0.79 | 1.00 | 215 | 0.87 | 1.00 | 195 | 00.77 | 02.00 | 442 |
| लूज लिंट | - | 12.00 | - | - | 12.00 | - | - | 12.00 | - | - | 12.00 | - |
| योग | 87.86 | 243.00 | 470 | 86.77 | 244.00 | 478 | 91.42 | 280.00 | 521 | 95.30 | 310.00 | 553 |

स्रोत: कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी)

*[अनुवाद]*

**कृषि के कायाकल्प हेतु कार्यक्रम**

**695. श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
**श्री विजय कृष्ण:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प हेतु किसी रूपरेखा/कार्यक्रम की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत संशोधित मसौदा राष्ट्रीय किसान नीति के आधार पर, सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति 2007 अनुमोदित की है। सरकार द्वारा यथा स्वीकृत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को राष्ट्रीय किसान नीति में समाविष्ट कर लिया गया है। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि, जल, पशुधन, मत्स्य और जैव स्रोतों के संबंध में परिसंपत्ति सुधारों के लिए, समर्थन सेवाएं और आदानों जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली, अच्छी गुणवत्ता बीजों और रोग मुक्त पौध सामग्री की आपूर्ति, किसानों के लिए मृदा स्वस्थ और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली पासबुकों को जारी करना, क्षेत्रीय और फसल विशिष्ट उपकरण और मशीनरी, महिलाओं जैसे क्रेचों, बाल देखभाल केन्द्र, पोषण, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के लिए समर्थन सेवाएं, सामयिक, पर्याप्त और उचित ब्याज दरों और संशोधित किसान अनुकूल बीमा दस्तावेजों पर संस्थागत ऋण की आसान पहुंच, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा कृषि विस्तार पुनर्जीवित करने के लिए फार्म स्कूलों की स्थापना, एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत किसानों को कवरेज, समस्त देश में एमएसपी का प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक खाद्यान्न बैंक स्थापित करना, कृषि के लिए कृषि विपणन ढांचे और टर्मिनल मंडियों का विकास, कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम सुधार, जैविक खेती और संविदा खेती जैसी खेती की विशेष श्रेणियां, किसान परिवारों के लिए ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पहलें और ग्रामीण ऊर्जा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण इत्यादि प्रावधान हैं। नीतिगत निर्धारण से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के अलावा किसानों की शुद्ध आय पर्याप्त रूप से बढ़ाने के द्वारा खेती की आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने में किसानों के समस्त समुदाय लाभ को होने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में समाविष्ट अनेक प्रावधान पहले ही अनेक चालू स्कीमों और कार्यक्रमों के जरिये विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों द्वारा क्रियान्वयनाधीन हैं। हाल

ही में सरकार ने दो नई स्कीमें अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरंभ की हैं। इन दो योजनाओं से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि जलवायु और अन्य स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट विकेन्द्रित रणनीति के जरिये राष्ट्रीय किसान नीति 2007 के प्रावधानों की सफलता में दीर्घावधि में जाने की उम्मीद है।

*[हिन्दी]*

**बीएसएनएल द्वारा बीमा सुरक्षा**

**696. श्री सुभाष महरिया:**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
**श्री नन्द कुमार साय:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नि:शुल्क वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा नीति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) बीएसएनएल उक्त योजना हेतु धनराशि का प्रबंधन किस प्रकार कर रहा है;

(घ) क्या विद्यमान उपभोक्ताओं को भी भविष्य में इस योजना के दायरे में लाए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस योजना से केन्द्र सरकार तथा उपभोक्ताओं को क्या लाभ होने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे और मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

(1) प्रयोजनीयता:

चालू लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और पोस्ट पेड मोबाइल सेवाओं के अलग-अलग उपभोक्ता

(2) कवरेज:

दुर्घटनावश मृत्यु और दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता।

(3) प्रति कनेक्शन बीमाकृत राशि: 50,000 रुपये

(4) बीमा की अवधि: 14.1.2008 से 13.01.2009।

(ग) बीएसएनएल अपने राजस्व से प्रीमियम की राशि का प्रबंध करेगा।

(घ) और (ङ) योजना चालू लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और पोस्ट पेड मोबाइल सेवाओं के लिए मौजूदा सभी अलग-अलग उपभोक्ताओं पर प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 14.1.2008 से 13.1.2009 तक स्वत: रूप से लागू होगी। वे उपभोक्ता जो इस अवधि के बीच में शामिल होते हैं कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने/संस्थापन की तारीख से बीमा कवरेज प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) यह बीमा योजना बीएसएनएल की लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल सेवा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना से सामान्य उपभोक्ताओं से बिना कोई अतिरिक्त राशि लिए उनका बीमा किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय भूमि आयोग**

**697. श्री विजय कृष्ण:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूमि नीति बनाने हेतु एक राष्ट्रीय भूमि आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिन-प्रतिदिन कृषि भूमि कम होती जा रही है और भूमिधारिता किसानों के लिए किफायती नहीं रह गई है; और

(घ) यदि हां, तो भूमि कम होने के वर्तमान रुख तथा औसतन भूमिधारिता के आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल**

**भूरिया**): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की स्थापना की है। परिषद में केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण एवं वन, पंचायती राज, जनजातीय मामले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा अन्य प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हैं। यह परिषद कृषक संबंधों एवं भूमि सुधारों पर व्यापक दिशा-निर्देशों एवं नीति सिफारिशों को निर्धारित करेगी।

(ग) और (घ) 1980-81 में कुल कृषि योग्य भूमि 185.09 मिलियन हैक्टेयर थी जोकि घटकर 2005-06 में 182.57 मिलियन हैक्टेयर हो गई। उसी अवधि के दौरान गैर कृष्य प्रयोगों के अंतर्गत भूमि 19.66 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 24.94 मिलियन हैक्टेयर हो गई। ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। राज्यवार औसत भूमि जोत क्षेत्रों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

***विवरण I***

*1980-81 और 2005-06 के दौरान भारत में विभिन्न प्रयोगों के अंतर्गत भूमि का वितरण*

(क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में)

| क्रसं. | क्षेत्र का वर्गीकरण | भारत में विभिन्न प्रयोगों के अंतर्गत भूमि | |
|---|---|---|---|
| | | 1980-81 | 2005-06 |
| I. | **भौगोलिक क्षेत्र** | 328.73 | 328.73 |
| (1) | वन | 67.47 | 69.72 |
| (2) | कृषि के लिए उपलब्ध नहीं | | |
| | (क) गैर कृष्य प्रयोगों के अंतर्गत क्षेत्र | 19.66 | 24.94 |
| | (ख) बंजर एवं गैर कृष्य भूमि | 19.96 | 17.54 |
| (3) | अन्य अकृष्ट भूमि परती भूमि को छोड़कर | | |
| | (क) स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमियां | 11.97 | 10.42 |
| | (ख) विभिन्न फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत भूमि को निवल बुवाई क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया | 3.60 | 3.37 |
| | (ग) खेती योग्य बंजर भूमि | 16.74 | 13.16 |
| (4) | परती भूमियां | | |
| | (क) वर्तमान की परतियों से इतर परती भूमि | 9.92 | 10.41 |
| | (ख) वर्तमान में परतियां | 14.83 | 14.03 |
| (5) | निवल बुवाई क्षेत्र | 140.00 | 141.60 |
| (6) | कुल कृषि योग्य भूमि [3(ख)+3(ग)4+5] | 185.09 | 182.57 |

*विवरण II*

*राज्यवार औसत भूमि जोत क्षेत्र*
*(कृषि संगणना 2000-01)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | भू-जोत का औसत (है.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 2.00 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1.25 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 3.69 |
| 4. | असम | 1.15 |
| 5. | चंडीगढ़ | 1.44 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 1.60 |
| 7. | दादरा व नगर हवेली | 1.48 |
| 8. | दमण व दीव | 0.59 |
| 9. | दिल्ली | 1.52 |
| 10. | गोवा | 0.84 |
| 11. | गुजरात | 2.33 |
| 12. | हरियाणा | 2.32 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 1.07 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 0.67 |
| 15. | कर्नाटक | 1.74 |
| 16. | केरल | 0.24 |
| 17. | लक्षद्वीप | 0.27 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 2.22 |
| 19. | महाराष्ट्र | 1.66 |
| 20. | मणिपुर | 1.15 |
| 21. | मिजोरम | 1.24 |
| 22. | नागालैंड | 7.28 |
| 23. | उड़ीसा | 1.25 |
| 24. | पांडिचेरी | 0.70 |
| 25. | पंजाब | 4.03 |
| 26. | राजस्थान | 3.65 |
| 27. | सिक्किम | 1.57 |
| 28. | तमिलनाडु | 0.89 |
| 29. | त्रिपुरा | 0.56 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 0.83 |
| 31. | उत्तरांचल | 0.95 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 0.82 |
| | अखिल भारत | 1.41 |

**रेशम उद्योग हेतु उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम**

**698. श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान आरम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित उत्प्रेरणात्मक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से सीडीपी के अंतर्गत अपने-अपने प्रस्ताव सौंपने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन राज्यों ने अपने प्रस्ताव सौंप दिये हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एक अद्वितीय और कारगर साधन है तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) द्वारा इसका कार्यान्वयन विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेशम उत्पादन विशेषकर शहतूत द्विफसलीय रेशम और वण्य रेशम के उदग्र और क्षैतिज विस्तार के माध्यम से उत्पादन बढ़ा, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं

और समाज के अन्य सीमांत वर्गों के लिए लाभप्रद रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर पैदा करना, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात आय बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली रेशम का उत्पादन करना, प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों, कौशल उन्नयन और एकीकृत विस्तार सहायता आदि के माध्यम से पत्तियों के उत्पादन से लेकर फैब्रिक्स तक उत्पादन प्रक्रियाओं के सभी स्तरों पर उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है।

11वीं योजना के दौरान सीडीपी को सेवा क्षेत्रों द्वारा समर्थित मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों अर्थात् बीज, कोया और कोया पश्चात क्षेत्रों के तहत पैकेजों के रूप में परियोजना मोड दृष्टिकोण द्वारा कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है जो 11वीं योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी पैकेजों के लिए समान है। प्रत्येक पैकेज में देश में विभिन्न रेशम उत्पादन के क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तनशीलता रखी जा सकती है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने सीएसबी के माध्यम से चालू वर्ष 2007-08 के लिए सीडीपी के तहत सीएसबी का हिस्सा जारी करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर बंगलौर में 8.2.2008 को आयोजित शीर्ष मानिटरिंग समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गई थी। चूंकि इन प्रस्तावों में, उक्त बैठक के दौरान लिये गये निर्णय के अनुसार, अपेक्षित ब्यौरे नहीं दिये गये थे, इसलिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित लक्ष्यों, इकाई लागत, शेयरिंग पैटर्न आदि को ध्यान में रखकर अतिरिक्त ब्यौरे प्रस्तुत करें।

(घ) कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से संशोधित प्रस्ताव परियोजना मोड में प्राप्त हुए हैं और उन पर चालू वर्ष 2007-08 के दौरान सीएसबी के हिस्से को जारी करने के लिए विचार किये गये हैं।

(ङ) चालू वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों में सीडीपी के कार्यान्वयन के लिए 81.01 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित 37.45 करोड़ रु. शामिल है।

## कृषि अनुसंधान

**699. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में किया गया अनुसंधान देश के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया है जैसाकि दिनांक 24 जनवरी, 2008 के 'हिन्दुस्तान में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) द्वारा सृजित प्रौद्योगिकियों ने कृषि, बागवानी, मात्स्यिकी और पशुधन में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2006-07 के दौरान देश ने खाद्य अनाजों में (217.28 मीट्रिक टन), गन्ना और कपास के उत्पादन में पिछले सभी समय से अधिक रिकार्ड उत्पादन किया है। कृषि अधिक से अधिक गहन जानकारी और हाई-टैक बनती जा रही है। एनएआरएस के तहत सृजित प्रौद्योगिकियों ने व्यापक रूप से किसानों की जरूरतों को पूरा किया है, फिर भी, चुनौतियां बृहत: हैं और उभर कर सामने आ रहे विषयों पर ध्यान देने के लिए अनुसंधान प्रणाली को निरन्तर पुन: अभिमुख किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। गुणवत्ता, सुग्राह्यता और शिक्षा की प्रासंगिकता तथा स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु स्नातक पूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया है तथा इसे वर्ष 2007 के दौरान सभी कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित करने के लिए सिफारिश की गई है।

*[हिन्दी]*

## एन.टी.सी. मिलों का जीर्णोद्धार

**700. श्री मोहन सिंह:**
**श्री शिशुपाल एन. पटले:**
**श्री मदन लाल शर्मा:**
**श्री महावीर भगोरा:**
**श्री बसुदेव आचार्य:**
**श्री नवजोत सिंह सिद्धू:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार पृथक्-पृथक् कितनी मिलें चल रही हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से क्षेत्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मिलें बंद पड़ी हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कामगार, बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार बंद मिलों के जीर्णोद्धार/ इन्हें फिर से खोलने तथा अपनी नौकरी गंवा चुके कामगारों का पुनर्वास करने का है;

(च) यदि हां, तो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन ):** (क) और (ख) पांडिचेरी सरकार को दो मिल हस्तांतरित किये जाने के बाद राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के पास 117 मिल हैं जिनमें से फिलहाल 40 एनटीसी मिल विभिन्न राज्यों में प्रचालन में है। ब्यौरे विवरण-I में हैं। वर्ष 2020 के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के अनुमोदन के बाद 67 मिलों को बंद कर दिया गया है। ब्यौरे विवरण-II में हैं। शेष 10 मिलों में कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं हो रहे हैं क्योंकि अधिकतर कामगारों ने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) का विकल्प चुन लिया है।

(ग) और (घ) एनटीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही पुनरुद्धार योजना के तहत एमवीआरएस के तहत गैर-अर्थक्षम मिलों की बंदी से प्रभावित कर्मचारियों को आकर्षक मुआवजा देने का प्रावधान है। योजना के तहत आज तक 58100 कर्मचारियों को 2065.66 रु. की राशि का भुगतान किया गया है। राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार कर्मचारियों, जिन्होंने एमवीआरएस ले लिया है, के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए है। लोक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की काउंसलिंग, रखने और पुनः नियुक्ति (सीआरआर) के लिए एक योजना बनायी है और एनटीसी के कर्मचारियों को ऐसे सीआरआर कार्यक्रमों में भेजा जाता है।

(ङ) और (च) वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) द्वारा किये गये तकनीकी आर्थिक व्यवहार्य अध्ययन (टीईवीएस) के आधार पर बीआईएफआर के अनुमोदन के बाद इन मिलों को बंद कर दिया गया है। योजना में बंद मिलों की परिसंपत्ति और अर्थक्षम मिलों की बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री से अर्जित की गई निधियों से अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गयी है। बंद मिलों का पुनरुद्धार करने/उन्हें पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनटीसी ने इच्छुक कर्मचारियों को एमवीआरएस के भुगतान जारी कर दिए हैं।

(छ) 11वीं योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

***विवरण I***

*एनटीसी के मिलों की संख्या का विवरण*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार मिलों की संख्या | 2002-2007 तक बंद मिल | 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार चालू मिल | 1.2.2008 को चालू मिल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | महाराष्ट्र | 35 | 20 | 15 | 15 |
| 2. | गुजरात | 11 | 9 | 2 | – |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 11 | 9 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | पंजाब | 4 | 2 | 2 | – |
| 5. | राजस्थान | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 1 | 1 | – | – |
| 7. | मध्य प्रदेश | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8. | आंध्र प्रदेश | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 9. | कर्नाटक | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 10. | केरल | 5 | – | 5 | 5 |
| 11. | पांडिचेरी | 3 | – | 3 | 1 |
| 12. | असम | 1 | – | 1 | 1 |
| 13. | बिहार | 2 | 1 | 1 | – |
| 14. | उड़ीसा | 1 | – | 1 | 1 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 16. | तमिलनाडु | 13 | 5 | 8 | 8 |
| | कुल | 119(*) | 67 | 50(**) | 40 |

*फिलहाल 117 मिल क्योंकि 2 मिल पांडिचेरी राज्य को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

**किसी उत्पादन क्रियाकलाप न होने के कारण 10 मिल बंद हैं क्योंकि अधिकतर कर्मचारियों ने एमवीआरएस ले लिया है।

*विवरण II*

*औ.अधि. के तहत बंद 67 मिलों की सूची*

| क्र.सं. | मिल का नाम | बंदी की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **राजस्थान** | |
| 1. | एडवर्ड मिल | 06.05.2002 |
| | **पंजाब** | |
| 2. | दयालबाग मिल | 1.9.2003 |
| 3. | पानीपत वुलन मिल | 16.05.2004 |
| | **मध्य प्रदेश** | |
| 4. | कल्याणमल मिल | 31.05.2002 |
| 5. | स्वदेशी वस्त्र मिल | 31.05.2002 |
| 6. | हीरा मिल | 31.10.2002 |
| 7. | इंदौर मालवा यूना. मिल | 31.3.2003 |
| | **छत्तीसगढ़** | |
| 8. | बंगाल नागपुर काटन मिल | 31.10.2002 |
| | **महाराष्ट्र** | |
| 9. | कोहिनूर मिल सं. 2 | 01.06.2002 |
| 10. | कोहीनूर मिल सं. 3 | 01.06.2002 |
| 11. | इंडिया यूना. मिल. सं. 4 | 31.10.2002 |
| 12. | इंडिया यूना. मिल. सं. 2 | 31.03.2002 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | इंडिया यूना. मिल. सं. 3 | 31.10.2002 |
| 14. | जाम मे. मिल | 31.03.2004 |
| 15. | श्री सीताराम मिल | 31.03.2004 |
| 16. | माडल मिल | 05.06.2004 |
| 17. | आरएसआरजी मिल | 05.06.2004 |
| 18. | विदर्भ मिल | 05.06.2004 |
| 19. | कोहिनूर मिल. सं.7 | 27.12.2006 |
| 20. | इंडिया यूना. मिल सं. 6 | 24.01.2007 |
| 21. | भारत टैक्स. मिल | 1.4.2004 |
| 22. | दिग्विजय मिल | 1.4.2004 |
| 23. | एलफिंसटोन स्पि. मिल | 1.4.2004 |
| 24. | जुपिटर टैक्सटाइल मिल | 1.4.2004 |
| 25. | मुंबई टैक्सटाइल मिल | 1.4.2004 |
| 26. | न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल | 1.4.2004 |
| 27. | पोद्दार प्रोसैसर | 1.4.2004 |
| 28. | श्री मधुसूदन | 1.4.2004 |
| | **गुजरात** | |
| 29. | पटेलाड वस्त्र मिल | 6.5.2002 |
| 30. | राजकोट वस्त्र मिल | 6.5.2002 |
| 31. | वीरमगाम वस्त्र मिल | 31.7.2002 |
| 32. | न्यू मानके चौक वस्त्र मिल | 31.7.2002 |
| 33. | महालक्ष्मी वस्त्र मिल | 30.9.2002 |
| 34. | राजनगर वस्त्र मिल | 30.10.2002 |
| 35. | अहमदाबाद जुपिटर वस्त्र मिल | 31.3.2003 |
| 36. | हिमादरी टैक्स. वस्त्र मिल | 30.9.2003 |
| 37. | जहांगीर टैक्स. वस्त्र मिल | 30.6.2004 |
| | **आंध्र प्रदेश** | |
| 38. | अदोनी काटन मिल | 6.5.2002 |
| 39. | नटराज स्पि. मिल | 6.5.2002 |
| 40. | नेथा स्पि. एवं वि.भ. | 6.5.2002 |
| 41. | आजम जाही मिल | 31.10.2002 |
| | **कर्नाटक** | |
| 42. | मैसूर मिल | - |
| 43. | एम.एस.के. मिल | 6.5.2002 |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| 44. | बंग श्री काटन मिल | 6.5.2002 |
| 45. | बंगाल फाइनेन्स एवं वि. मिल | 6.5.2002 |
| 46. | मनिंदर बीटी मिल्स | 6.5.2002 |
| 47. | ज्योति वि. फैक्टरी | 6.5.2002 |
| 48. | सैन्ट्रल काटन मिल | 6.5.2002 |
| 49. | श्री महालक्ष्मी मिल | 6.5.2002 |
| 50. | बंगाल लक्ष्मी | 26.10.2003 |
| 51. | रामपुरिया मिल | 25.10.2003 |
| 52. | बंगाल फाइन. मिल | 25.10.2003 |
| | **बिहार** | |
| 53. | गया काटन एवं जूट मिल | 6.6.2002 |
| | **तमिलनाडु** | |
| 54. | किशनवाणी टैक्स मिल | 31.6.2002 |
| 55. | ओम पराशक्ति मिल | 31.5.2002 |
| 56. | कालेश्वर टैक्स मिल यूनिट | 21.7.2002 |
| 57. | सोमासुन्द्रम यूनिट | 31.10.2002 |
| 58. | बलराम वर्मा टैक्स मिल | 5.1.2003 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **उत्तर प्रदेश** | |
| 59. | आथरटन मिल | 11.3.2004 |
| 60. | बिजली काटन मिल | 11.3.2004 |
| 61. | लक्ष्मी रतन काटन मिल | 11.3.2004 |
| 62. | लार्ड कृष्णा मिल | 11.3.2004 |
| 63. | मयूर मिल | 11.3.2004 |
| 64. | न्यू विक्टोरिया मिल | 11.3.2004 |
| 65. | रायबरेली टैक्स | 11.3.2004 |
| 66. | श्री विक्रम काटन मिल्स | 11.3.2004 |
| 67. | स्वदेशी काटन मिल्स | 11.3.2004 |

*1.2.2008 की स्थिति के अनुसार एनवीआरएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की मिल-वार और राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | मिलों का नाम | एवीआरएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **एनटीसी (एपीकेकेएस)** | |
| | **आंध्र प्रदेश** | |
| 1. | आजमजाही मिल | 455 |
| 2. | नैप्पा मिल | 128 |
| 3. | अनंतपुर मिल | 286 |
| 4. | अदोनी मिल्स | 104 |
| 5. | नटराज मिल | 59 |
| 6. | तिरुपति | 4 |
| | **कर्नाटक** | |
| 7. | एमएसके मिल | 51 |
| 8. | मिनर्वा मिल्स | 1703 |
| 9. | मैसूर मिल्स | मिनर्वा मिल्स के साथ पहले ही विलय |
| 10. | श्री यलम्मा मिल्स मिल्स | 313 |
| | **केरल** | |
| 11. | कन्नानूर स्पि. | 0 |
| 12. | केरल लक्ष्मी | 1 |
| 13. | विजय लक्ष्मी | 0 |
| 14. | अलगप्पा मिल | 108 |
| 15. | पार्वती | 594 |
| | **पांडिचेरी** | |
| 16. | कनान्नूर माहे | 6 |
| | आरएमडी | 184 |
| | कारपोरेट आफिस | 91 |
| | कुल | 4785 |
| | **एनटीसी (डीपीआर)** | |
| | **पंजाब** | |
| 17. | सूरज टैक्स. मिल | 530 |
| 18. | दयालबाग मिल्स | 505 |
| 19. | खरड़ टैक्सटाइल मिल्स | 577 |
| 20. | पानीपत टै. मिल्स | 631 |
| | **राजस्थान** | |
| 21. | उदयपुर मिल | 366 |
| 22. | श्री विजय काटन | 408 |
| 23. | महालक्ष्मी | 296 |
| 24. | एडवर्ड | 280 |
| | आरएमडी | 113 |
| | कारपोरेट का. | 31 |
| | कुल | 3737 |
| | **एनटीसी गुजरात** | |
| 25. | अह. न्यू टै. मिल | 1158 |
| 26. | जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स | 1115 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 27 और 28 | राजनगर 1 और 2 | 1401 |
| 29. | न्यू मोनेक्शा | 778 |
| 30. | हिमादरी टैक्सटाइल मिल्स | 515 |
| 31. | अहमदाबाद जुपिटर मिल्स | 794 |
| 32. | विरमगाम टैक्सटाइल मिल्स | 732 |
| 33. | पैटलाड टैक्सटाइल मिल्स | 376 |
| 34. | महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स | 725 |
| 35. | राजकोट टैक्सटाइल मिल्स | 307 |
| | आरएमडी | 21 |
| | का. कार्यालय | 48 |
| | कुल | 7970 |
| | **मध्य प्रदेश** | |
| 36. | इन्दौर मालवा मिल्स | 1844 |
| 37. | स्वदेशी मिल | 617 |
| 38. | कल्याणमल मिल्स | 1448 |
| 39. | न्यू भोपाल मिल्स | 329 |
| 40. | बरहानपुर तापती मिल्स | 747 |
| 41. | हीरा मिल्स | 878 |
| | **छत्तीसगढ़** | |
| 42. | बंगाल नागपुर मिल्स | 1223 |
| | आरएमडी | 25 |
| | का. कार्यालय | 35 |
| | कुल | 7144 |
| | **एनटीसी (एमएन)** | |
| | **महाराष्ट्र** | |
| 43. | इन्दू सं. 1 | 1109 |
| 44. | इन्दू सं. 2 | 813 |
| 45. | इन्दू सं. 3 | 490 |
| 46. | इन्दू सं. 4 | 592 |
| 47. | इन्दू सं. 5 | 342 |
| 48. | इन्दू सं. 6 | 321 |
| 49. | मॉडल मिल | 1306 |
| 50. | आरएमआरजी | 621 |
| 51. | सावतराम | 196 |
| 52. | आरबीबीए | 539 |
| 53. | विदर्भ मिल | 526 |
| 54. | कोहिनूर मिल | 510 |
| 55. | कोहिनूर मिल 2 | 83 |
| 56. | कोहिनूर मिल 3 | 16 |
| 57. | टाटा मिल्स | 275 |
| 58. | जाम मिल्स | 702 |
| 59. | पोद्दार मिल्स | 334 |
| 60. | श्री सीताराम मिल्स | 292 |
| | आरएमडी | 21 |
| | कारपोरेट कार्यालय- | 19 |
| | कुल | 9109 |
| | **एनटीसी (एसएम)** | |
| 61. | ओपोलो मिल | 618 |
| 62. | दिग्विजय मिल | 869 |
| 63. | भारत मिल | 809 |
| 64. | जुपिटर मिल | 739 |
| 65. | मुंबई मिल | 805 |
| 66. | न्यू हिन्द मिल | 889 |
| 67. | औरंगाबाद मिल | 17 |
| 68. | चालिसागांव मिल | 588 |
| 69. | नांदेड मिल | 150 |
| 70. | बारसी मिल्स | 6 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 71. | धुले मिल्स | 339 |
| 72. | पोद्दार प्रोसेसर | 431 |
| 73. | फिनले मिल | 1071 |
| 74. | गोल्ड मोहर मिल्स | 741 |
| 75. | एल्पिन स्टोन मिल्स | 702 |
| 76. | न्यू सिटी मिल्स | 972 |
| 77. | श्री मधुसूदन मिल्स | 512 |
| | कुल | 4 |
| | का. कार्यालय | 30 |
| | कुल | 10292 |
| | **एनटीसी (टीएम एण्ड पी)** | |
| | **तमिलनाडु** | |
| 78. | सोमासुन्दरम मिल्स | 642 |
| 79. | कोयम्बटूर मुर्मूगांव | 9 |
| 80. | ओम प्रकाश मिल | 284 |
| 81. | को. मिल | 244 |
| 82. | कृष्णावेणी मिल्स | 223 |
| 83. | श्री रंगविलास मिल्स | 17 |
| 84. | पंकज मिल | 8 |
| 85. | पायनियर मिल | 3 |
| 86. | बलराम वर्मा मिल | 292 |
| 87. | कालेश्वर-ए | 216 |
| 88. | कालेश्वर-बी | 3 |
| 89. | श्री सारदा मिल्स | 14 |
| 90. | सीएस एण्ड डब्ल्यू मिल | 225 |
| | सैंटूल टेक्सिंग लेब | 4 |
| | **पांडिचेरी** | |
| 91. | श्री भारती मिल्स | – |
| 92. | स्वदेशी मिल्स | 206 |
| | आरएमडी | 97 |
| | का. कार्यालय | 58 |
| | कुल | 2545 |
| | **उत्तर प्रदेश** | |
| 93. | मयूर मिल | 1240 |
| 94. | न्यू विक्टो. | 1276 |
| 95. | स्वदेशी कानपुर | 1118 |
| 96. | श्री विक्रम काटन मिल्स | 475 |
| 97. | लार्ड कृष्णा मिल्स | 513 |
| 98. | स्वदेशी, नैनी मिल्स | 882 |
| -99. | स्वदेशी राय | 164 |
| 100. | स्वदेशी, मऊ | 418 |
| 101. | बिजली काटन | 116 |
| 102. | लक्ष्मी रतन मिल्स | 1143 |
| 103. | आथरटन | 982 |
| | आरएमडी | 218 |
| | का. कार्यालय | 18 |
| | कुल | 8571 |
| | **एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ)** | |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| 104. | रामपुरिया मिल्स | 207 |
| 105. | बंगाल लक्ष्मी मिल्स | 192 |
| 106. | ज्योति मिल्स | 101 |
| 107. | आरती मिल्स | 292 |
| 108. | सै. काटन मिल | 288 |
| 109. | बंगाल फाइन. नं. 1 | 175 |
| 110. | बंगाश्री मिल्स | 75 |
| 111. | लक्ष्मी नारायण मिल्स | 421 |
| 112. | सैदपुर मिल्स | 316 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 113. | श्री महालक्ष्मी मिल्स | 152 |
| 114. | बंगाल फा. नं. 2 | 52 |
| 115. | मैंद्रा मिल्स | 103 |
| | **असम** | |
| 116. | एसो. मिल | 156 |
| | **बिहार** | |
| 117. | बिहार सहकारी | 337 |
| 118. | गया काटन मिल्स | 153 |
| | **उड़ीसा** | |
| 119. | उड़ीसा कॉटन मिल्स | 165 |
| | आरएमडी | 382 |
| | का. कार्या. | 272 |
| | कुल | 3839 |
| | एनटीसी (एचसी) | 108 |
| | कुल जोड़ | 58100 |

*[अनुवाद]*

**डाक बचत सेवाओं में कमी**

**701. श्री पी. करुणाकरन:**
**श्री नवजोत सिंह सिद्धू:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान देश में डाक बचत योजनाओं की जमा राशि में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो योजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई लाख छोटे खाताधारकों ने विभिन्न डाक बचत योजनाओं से धनराशि की निकासी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डाक बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन डाक बचत योजनाओं की जमा राशि में कमी देखी गई उनका योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) डाकघर लघु बचत बैंक योजना के खाताधारकों की संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। तथापि, इन योजनाओं में धन निकासी की बढ़ती प्रवृत्ति भी देखने में आई है।

(घ) निकासी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का कारण अन्य बातों के साथ-साथ निवेशक का निजी बचतों के लिए वैकल्पिक लिखतों को चुनना है।

(ङ) हाल ही में सरकार द्वारा लघु बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक एवं निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत एक ही कलैंडर वर्ष के दौरान एक से अधिक खाते खोलने पर लगे प्रतिबंध को 24 मई, 2007 से हटाया गया।

(2) सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों को डाकघर बचत खाता नियमों के तहत 11 जुलाई, 2007 से पेंशन खाता खोलने और उसका रखरखाव करने की अनुमति दी गई।

(3) डाकघर मासिक आय खाता (पीओएमआईए) के अंतर्गत परिपक्वता अवधि से पहले धन निकासी पर जुर्माने को तीन वर्षों के पूरे होने या इससे पहले की निकासी पर 3.5% से घटाकर 2% तथा तीन वर्षों के पूरे होने के बाद की निकासी पर 1% कर दिया गया है।

(4) डाकघर मासिक आय खाते (पीओएमआईए) में जमा राशि की अधिकतम सीमा को सकल एवं संयुक्त खातों के संबंध में क्रमश: 3.00 लाख रु. एवं 6.00 लाख रु. से बढ़ाकर 4.50 लाख रु. एवं 9.00 लाख रु. किया गया है।

(5) डाकघर मासिक आय खाता (पीओएमआईए) योजना के अंतर्गत 8 दिसम्बर, 2007 को अथवा इसके बाद जमा की गई राशि पर जमाराशि की परिपक्वता के बाद 5% बोनस पुन: लागू किया गया है।

(6) 1.4.2007 से 5 वर्षीय डाकघर सावधिक जमा खातों और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत किये गये

निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के लाभ को लागू किया गया है।

(7) इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ संगोष्ठियों एवं बैठकों के आयोजन, लघु बचत योजनाओं आदि के लिए धन संग्रहण में शामिल विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान कर इन योजनाओं को प्रोत्साहित करने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

(8) लघु बचत संबंधी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार से लोगों से संपर्क बनाने तथा निवेशकों की शिकायतों के ऑन-लाइन पंजीकरण एवं निपटान हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान की एक वेबसाइट शुरू कर दी गई है। वेबसाइट का पता (nsindia.gov.in) है।

*विवरण*

*गत तीन वर्षों के लिए विभिन्न बचत बैंक योजनाओं में जमाराशि*

(रुपये करोड़ में)

| वर्ष | सावधिक जमा (टीडी) | मासिक आय योजना (एमआईएस) | राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) | वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) | लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | 20429.39 | 48691.8 | 571.30 | 8818.14 | 3112.94 |
| 2005-2006 | 20526.45 | 47272.63 | 293.47 | 7435.42 | 3024.47 |
| 2006-2007 | 19799.86 | 26460.37 | 317.28 | 7238.19 | 3797.87 |
| 2004-05 की तुलना में 2005-06 में बढ़त/घाटा (-) | 97.16 | -1419.17 | -277.83 | -1382.72 | -88.47 |
| 2005-06 की तुलना में 2006-07 में बढ़त/घाटा (-) | -726.56 | -20812.26 | 23.81 | -197.23 | 773.40 |

*गत तीन वर्षों के लिए किसान विकास पत्र (केवीपी)/राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी)-VIII वें निर्गम में जमा राशि*

(रुपये करोड़ में)

| बचत पत्र का नाम | 2004-05 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2004-05 की तुलना में 2005-06 में बढ़त/घाटा (-) | 2005-06 की तुलना में 2006-07 में बढ़त/घाटा (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| केवीपी | 23600.73 | 29281.00 | 23495.00 | 5680.27 | -5786.00 |
| 6 वर्षीय एनएससी VIIIवां निर्गम | 10246.88 | 10539.91 | 8971.00 | 293.03 | -1568.91 |

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन आयोग**

**702. श्री रामदास आठवले:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन आयोग के गठन संबंधी ब्यौरा को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग के गठन के संभावित उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस आयोग के कब तक कार्य आरंभ कर देने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (घ) जी, हां। व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजनाएं तैयार करने तथा बाढ़ प्रबंधन से संबधित विभिन्न गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित करने के उद्देश्य से 11वीं योजना में राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन आयोग (एनएफएमसी) की स्थापना का विचार है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**

**703. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के दायरे को 80-90 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) सरकार ने 80-90% के कवरेज लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) जो राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) की कार्यान्वयन एजेंसी है, इस स्कीम के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान सहित विभिन्न प्रयास जारी रखे हुए हैं।

**वस्त्र पार्कों की स्थापना संबंधी समय-सीमा**

**704. श्री पी.एस. गढ़वी:**
**श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
**श्री महेश कनोडीया:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने समेकित वस्त्र पार्क योजना के अंतर्गत 25 वस्त्र पार्कों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को गुजरात राज्य सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**पश्चिम बंगाल में मोबाइल टॉवर**

**705. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने पश्चिम बंगाल के बसीरहाट उप-मंडल क्षेत्र में मोबाइल टॉवर लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक संख्या में मोबाइल टॉवर लगाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, हां। बीएसएनएल ने पश्चिम बंगाल के बसीरहाट उप-मंडल क्षेत्र (अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र) के 18 स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित कर दिए हैं।

(ख) ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां। बीएसएनएल ने बसीरहाट उप-मंडल क्षेत्र (अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र) के 10 मोबाइल टावरों को संस्थापित करने की योजना बनाई है।

(घ) ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

*विवरण I*

*बसीरहाट अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में प्रचालनरत मोबाइल टावरों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | बीटीएस का नाम |
|---|---|
| 1. | बदुरिया |
| 2. | बसीरहाट-I |
| 3. | बसीरहाट-II (कालेजपारा) |
| 4. | बसीरहाट मार्केट |
| 5. | हरोआ |
| 6. | मालांचा |
| 7. | नजात |
| 8. | स्वरूपनगर |
| 9. | टाकी-I |
| 10. | संदेशखली |
| 11. | भेबिया |
| 12. | चाकला |
| 13. | काटियाहाट |
| 14. | इरिंदा |
| 15. | बसीरहाट हॉस्पीटल मोड |
| 16. | सरबेरिया |
| 17. | बिथारी |
| 18. | गोपालपुर (बसीरहाट) |

*विवरण II*

*बसीरहाट अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में योजनाबद्ध मोबाइल टावरों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | बीटीएस का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | जदुरहाती |
| 2. | काचुआ |
| 3. | खोलपाड़ा |
| 4. | अरबेल्ला |
| 5. | चैतल |
| 6. | धनपोटा बाजार |
| 7. | घुसिघाटा |
| 8. | गोपालपुर |
| 9. | कालीनगर-1 |
| 10. | मसला |

**कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत होटल उद्योग**

706. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
**श्री गुरुदास दासगुप्त:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार होटल उद्योग को कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**डाकघरों के माध्यम से चलने वाली बीमा योजना**

707. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग के माध्यम से लड़कियों के लिए एक आकर्षक बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) डाक विभाग ने डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी धारकों के बच्चों के लिए बाल पॉलिसी पहले ही 20 जनवरी, 2006 से प्रारंभ कर दी है। यह योजना बालिकाओं के लिए भी समान रूप से लागू है।

(ख) बाल पॉलिसी की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(1) यह योजना डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के उन पॉलिसी धारकों के बच्चों के लिए जीवन बीमा सुरक्षा देने के लिए है, जो इसका चयन करते हैं।

(2) बाल पॉलिसी लेने के लिए एक परिवार में अधिकतम दो बच्चे पात्र होंगे।

(3) 5 से 20 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे इस योजना के पात्र हैं और अधिकतम बीमाकृत राशि एक लाख रुपये या मुख्य पॉलिसीधारक की बीमाकृत राशि, जो भी कम हो, के समान है।

(4) मुख्य पॉलिसी धारक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) मुख्य पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर बाल पॉलिसी प्रीमियम के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी और बाल पॉलिसी की मियाद पूरी होने पर बच्चे को मिलने वाले बोनस के साथ पूरी बीमाकृत राशि का भुगतान किया जाएगा। बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में मिलने वाले बोनस के साथ पूरी बीमाकृत राशि का भुगतान मुख्य पॉलिसीधारक को किया जाएगा।

(6) मुख्य पॉलिसी धारक बाल पॉलिसी के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। बाल पॉलिसी पर कोई ऋण देय नहीं है। तथापि, पॉलिसी के लिए भुगतान किये जाने की सुविधा होगी बशर्ते प्रीमियम का 5 वर्ष तक भुगतान लगातार किया गया हो।

(7) बच्चे की चिकित्सा जांच आवश्यक नहीं है। तथापि, बच्चा प्रस्ताव के दिन स्वस्थ होना चाहिए और जोखिम कवरेज प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से प्रारंभ होगा।

(8) इस पॉलिसी पर एनडाओमेंट पॉलिसी पर लागू दर के अनुसार बोनस प्राप्त होगा। समय समय पर संशोधित पीओआईएफ नियमावली बाल पॉलिसी पर लागू होगी।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**डाक जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या**

**708. श्री एम. अप्पादुरई:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष में आज की तिथि की स्थिति के अनुसार लोगो ने विभिन्न योजनाओं में राज्यवार कितनी डाक जीवन बीमा पॉलिसियां ली है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य निजी बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लोगों के बीच डाक जीवन बीमा पॉलिसियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

(ग) क्या सरकार के पास राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पी.एल.आई. स्कीम में शामिल होना अनिवार्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) पिछले एक वर्ष (1.4.2006 से 31.3.2007 तक) में डाक जीवन बीमा पॉलिसी लेने वालों की संख्या, डाक जीवन बीमा में 318058 तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा में-1285790 है। पॉलिसी की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) डाक जीवन बीमा के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. डाक जीवन बीमा के कारोबार को बढ़ाने के लिए विभाग के शेष श्रेणी के कर्मचारियों को कमीशन/ प्रोत्साहन देने की अनुमति देकर अपने बिक्री-बल को सुदृढ़ करना।
2. अन्य बीमा कंपनियों की भांति बाह्य व्यक्तियों को सीधे एजेंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
3. एजेंटों और विभागीय बिक्री बलों के कमीशन/प्रोत्साहन के ढांचे को आकर्षक बनाया गया।
4. प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से योजनाबद्ध प्रचार-प्रसार।
5. कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से बिक्री उपरांत सेवाओं में सुधार।
6. डाकघरों में होर्डिंग लगाना।
7. मेले आयोजित करना।

8. ग्राहकों को सीधे मेल भेजना।

9. पैंफलेट और इश्तहार का वितरण।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रकते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

*जारी की गई पॉलिसियों की राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | सर्किल का नाम | 2006-2007 के दौरान जारी की गई पॉलिसियों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | डाक जीवन बीमा | ग्रामीण डाक जीवन बीमा |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7946 | 268875 |
| 2. | असम | 4062 | 5003 |
| 3. | बिहार | 5045 | 79665 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 3850 | 12672 |
| 5. | दिल्ली | 6871 | – |
| 6. | गुजरात | 37677 | 39132 |
| 7. | हरियाणा | 3820 | 13418 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 4764 | 12199 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 5994 | 6833 |
| 10. | झारखंड | 8228 | 33746 |
| 11. | कर्नाटक | 17743 | 71398 |
| 12. | केरल | 6532 | 13562 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 3544 | 15941 |
| 14. | महाराष्ट्र | 46218 | 150221 |
| 15. | उत्तर पूर्व | 1593 | 1039 |
| 16. | उड़ीसा | 7134 | 58265 |
| 17. | पंजाब | 1070 | 16964 |
| 18. | राजस्थान | 9818 | 33825 |
| 19. | तमिलनाडु | 28497 | 243263 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 3465 | 108621 |
| 21. | उत्तरांचल | 7671 | 19122 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 9698 | 82020 |
| 23. | ए.पी.एस. | 89530 | – |
| | कुल जोड़ | 318058 | 1285790 |

**हीराकुंड बांध हेतु वित्तीय सहायता**

**709. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हीराकुंड बांध के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ किसी विदेशी वित्तीय संस्थान द्वारा भी धनराशि प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होने हीराकुण्ड बांध का उसकी वितरण प्रणाली के साथ आधुनिकीकरण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अल्पावधि उपाय के रूप में 2.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और वर्ष 2008-09 के दौरान 50.00 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है जिसे राज्य के निजी संसाधनों से पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रामपुर बरकेली वितरणी जो हीराकुण्ड वितरण प्रणाली का एक भाग है, का निर्माण कार्य नाबार्ड की सहायता से 26.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रगति पर है।

(ग) इस समय उक्त परियोजना के लिए कोई बाह्य वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**नक्सलवाद को रोकने हेतु सीपीओ और राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण**

**710. श्री निखिल कुमार:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना से नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नक्सल प्रभावित राज्यों में सेना को तैनात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) सेना, सरकार की नक्सलरोधी रणनीति के ढांचे के भीतर नक्सल प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय पुलिस संगठनों/राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण और सलाह दे रही है। अब तक राज्य पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों की 139 कंपनियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) और (घ) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना तैनात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**वस्त्र निर्यात**

**711. श्री शिशुपाल एन. पटले:**
**श्री अजीत जोगी:**
**श्री मिलिन्द देवरा:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में कमी के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष की प्रत्येक तिमाही की तुलना में उक्त अवधि के दौरान निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि/कमी दर्ज की गई है;

(घ) गत वर्ष की प्रत्येक तिमाही की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान वस्त्र निर्यात हेतु मात्रा और मूल्य के संबंध में वस्तुवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा इसमें निर्यात हेतु मात्रा और मूल्य के संबंध में वस्तुवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा इसमें कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) सरकार द्वारा वस्त्र और अन्य वस्त्र की वस्तुओं के गिरते हुए रुझान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) से (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता के आंकड़ों के अनुसार हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र निर्यात चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में नीचे दिये ब्विरणानुसार कम हुआ है:

*वस्त्र निर्यात (हस्तशिल्प, पटसन और कयर सहित)*

| अवधि | 2006-07 | | 2007-08 | | परिवर्तन (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | करोड़ रु. | मिलियन अमरीकी डॉलर | करोड़ रु. | मिलियन अमरीकी डॉलर | रुपये के रूप में | अमरीकी मिलियन डॉलर में |
| पहली तिमाही (अप्रैल-जून) | 21250.62 | 4673.47 | 16555.28 | 4014.92 | -22.10 | -14.09 |
| दूसरी छमाही (जुलाई-सितम्बर) | 21126.55 | 4554.89 | 20808.11 | 5124.92 | -1.51 | 12.51 |
| कुल | 42377.17 | 9228.36 | 37363.39 | 9139.84 | -11.83 | -0.96 |

(घ) चालू वर्ष के साथ ही वस्त्र निर्यात लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्र निर्यातों के मद वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दिये गये अनुसार हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

| मद | 2006-07 | | 2007-08 | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि* |
| सिलेसिलाए परिधान | 9500 | 8075.57 | 12065 | 4413.88 |
| कपास वस्त्र | 5000 | 5485.04 | 6350 | 2816.26 |
| मानव-निर्मित वस्त्र | 2300 | 2361.17 | 2921 | 1689.93 |
| ऊनी वस्त्र | 500 | 445.47 | 635 | 377.45 |
| रेशम वस्त्र | 700 | 689.61 | 890 | 384.78 |
| हस्तशिल्प | 500 | 371.75 | 635 | 233.97 |
| कालीन | 800 | 887.42 | 1018 | 485.24 |
| कयर | 130 | 156.38 | 165 | 92.23 |
| पटसन | 300 | 257.52 | 381 | 179.01 |
| कुल | 19730 | 18729.93 | 25060 | 10672.75 |

*अप्रैल-अक्तूबर

(ङ) सरकार ने हाल ही में वस्त्र मदों के निर्यातों में घटती प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शुल्क हकदारी पास बुक और शुल्क वापसी दरों में वृद्धि, चुनिंदा सेवाओं पर सेवा कर से छूट, लदान पूर्व और लदान पश्चात ऋण ब्याज दरों में कमी, टर्मिनल उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय बिक्री कर के बकायों का शीघ्र निपटान शामिल है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय बागवानी मिशन/बागवानी प्रौद्योगिकी की समीक्षा**

**712. श्री दुष्यंत सिंह:**
**श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
**श्री वी.के. ठुम्मर:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन/बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन और बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन के क्रियान्वयन की कोई समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो इन राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यवार और वर्षवार क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(च) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर सफलता प्राप्त करने हेतु आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

(1) 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) जिसका वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विस्तार किया गया था।

(2) बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2005-06 से शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय संचालन समिति द्वारा टीएमएनई स्कीम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा एवं प्रबोधन किया जा रहा है। महानिदेशक, भा.कृ.अनु.परि. (मिनि मिशन-I के लिए), अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग (मिनि मिशन-II एवं III के लिए) और सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (मिनि मिशन-IV के लिए) की अध्यक्षता में संबंधित संचालन समितियों द्वारा मिनि मिशनवार कार्यक्रमों की समीक्षा और प्रबोधन किया जा रहा है। 2001-02 से 2006-07 तक के दौरान टीएमएनई स्कीम के अंतर्गत प्रमुख घटकों के लिए राज्यवार वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की महा परिषद द्वारा एनएचएम स्कीम के निष्पादन की इस स्कीम की शुरुआत से तीन बार समीक्षा की गई है। इसके अलावा, सचिव (कृषि एवं सहकारिता) की अध्यक्षता में एनएचएम की कार्यकारी समिति, द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन के निष्पादन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के रूप में नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल प्रत्येक राज्य का नियमित क्षेत्रीय दौरे करते हैं। 2005-06 और 2006-07 के दौरान एनएचएम के तहत प्रमुख घटकों के लिए भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है। 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि और व्यय की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(च) इन दो स्कीमों के कार्यान्वयन में बेहतर सफलता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने पर ध्यान देगा।

(2) एनएचएम कार्यक्रम के साथ अन्य मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न कार्यक्रम का सामंजस्य बिठाया जाए।

(3) स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रबोधन के लिए राज्य एवं जिला स्तरों पर मानवशक्ति एवं अन्य सुविधाओं के संदर्भ में राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसियों का अवसंरचना को सुदृढ़ीकरण।

*विवरण I*

*2001-2007 से टीएमएनई स्कीम के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति*

| | घटक/क्रियाकलाप | | अरुणाचल प्रदेश | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| क. | क्षेत्र विस्तार | | 2739 | 2679 | 5799 | 5717 | 4038 | 4038 | 6260 | 6260 | 4120 | 4120 | 6782 | 6782 | 29975 | 29946 |
| ख. | उत्पादकता सुधार | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) सामुदायिक टैंक (है.) | 1000000/यूनिट | 30 | 30 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 125 | 125 | 805 | 805 |
| | (ii) ट्यूबवैल/पंकाइंग | 12500/यूनिट | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 212 | 212 |
| | (iii) ड्रिप सिंचाई (अधिकतम/प्रति है.) | 28500/है. | 110 | 110 | 100 | 100 | 248 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 320 | 320 | 1778 | 1780 |

| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. समेकित पीट प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) आईईसी का अंतर्वेशन | 1000/हे. | 300 | 100 | | | | | | | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 2400 | 2200 |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस (500 व.मी.) | 40000/यूनिट | 10 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 40000 | 40000 | 40460 | 40460 |
| | कुल | | | 15 | 0 | 14 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 54 | 68 |
| घ | प्रौद्योगिकी का अंतरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | किसानक्षेत्रिय को प्रशिक्षण | | 914 | 914 | 1520 | 1520 | 1420 | 1420 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 2520 | 2520 | 7894 | 7894 |
| ङ | कृषि उपकरण | | 545 | 220 | 1025 | 1023 | 1026 | 1026 | 240 | 200 | 1025 | 1025 | 0 | 1000 | 3761 | 4494 |
| च. | महिला अभिक्रमित्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) महिलाओं को प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षक | | | | | | | | | | | | | | |
| | एमए-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. मंडी अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) थोक मंडियां | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
| | (2) ग्रामीण ग्रामीण मंडियां | | | 24 | | | | | | | | | | | | 24 |
| | (3) सब्जी मंडियां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) अन्य मार्केटिंग अवसंरचनाएं | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | (5) रोपवेय | | | | | | | | | | | | | | | |
| | एमए-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अ. प्रसंस्करण अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) नई इकाईयां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) विद्यमान इकाइयों का उन्नयन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) संघटकरण विस्तारण | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 4. वित्तीय (राशि रु. में) | | 929.60 | 928.10 | 1099.00 | 1099.20 | 1220.00 | 1220.00 | 1645.55 | 1645.55 | 1492.50 | 1392.50 | 1612.90 | 1612.90 | 7999.55 | 7898.05 |

| | पटल/विवरणक्षेत्र | असम | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | कुल | |
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| क. | क्षेत्र विस्तार | 1350 | 1110 | 2660 | 2281 | 2140 | 1162.6 | 5545 | 3959 | 4656 | 4656 | 6598 | 6538 | 23206 | 19931 |
| ख. | उत्पादकता सुधार | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) सतुलित पैक(ई..) | 1000000/यूनिट | 51 | 50 | 40 | 26 | 215 | 109 | 50 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 | 431 | 310 |
| (ii) ट्यूबलेस/नलकूप | 12500/यूनिट | 15 | 5 | 210 | 210 | 200 | 200 | 50 | 50 | 375 | 375 | 200 | 200 | 1050 | 1040 |
| (iii) ड्रिप सिंचाई(सब्जियां/फली ई.) | 28500/ई. | 20 | 22 | 30 | 16 | 70 | 21 | 100 | 94 | 138 | 138 | 200 | 200 | 558 | 491 |
| 2. संरक्षित खेत प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) आवरण या संरक्षण | 1000/ई. | 502 | 1000 | 200 | 200 | 500 | | 1000 | | | | 600 | 600 | 2802 | 1800 |
| 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | | | | | |
| (iii) ग्रीन हाउस (500 व.मी.) | 40000/यूनिट | | | | | 30 | | | 119 | 160 | 160 | | | 190 | 279 |
| कुल पौधशालाएं | | 5 | 5 | 0 | 16 | 28 | 1 | 34 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 80 | 53 |
| ब प्रौद्योगिकी का अंतरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| किसानक्षेत्रों को प्रशिक्षण | | 1760 | 2695 | 4320 | 4670 | 4020 | 0 | 3980 | 0 | 3112 | 3112 | 3020 | 3013 | 20212 | 13490 |
| स कृषि उपकरण | | 1298 | 732 | 1525 | 1385 | 3509 | 1218 | 150 | 121 | 787 | 784 | 460 | 459 | 7729 | 4699 |
| द. महिला सशक्तिकरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) महिलाओं को प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षक | 600 | 920 | 2150 | 900 | 1500 | 1500 | 2000 | | 2220 | 2220 | 2000 | 1500 | 10470 | 7040 |
| एमए-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. मोटे अनाजफसल | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) मोटे मौसम | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| (2) खरीफ खरीफमौसम | | | | | 25 | | | | | | | | | | 25 |
| (3) अगले मौसम | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) अन्य ऐसीन प्रयोगशालाएं | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
| (5) सेमीनेर | | | | | | | | | | | | | | | |
| एमए-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. प्रशिक्षण अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) नई इमारतें | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) विद्यमान इमारतों का नवीनकरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) संपर्कसंबंधक किसानघर | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4. विविध (लाख रु. में) | | 628.16 | 627.16 | 1567.83 | 1235.90 | 1400.00 | 1400.00 | 1425.00 | 871.00 | 1456.25 | 1356.25 | 1400.00 | 1400.00 | 7877.24 | 6890.31 |

| | घटक/क्रियाकलाप | | मणिपुर | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| क. | क्षेत्र विस्तार | | 1450 | 1156 | 1960 | 1122 | 1160 | 1023 | 4388 | 3570 | 4315 | 4268.4 | 7391 | 7385 | 20929 | 18700 |
| ख. | उत्पादकता सुधार | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) खमुदायिक टैंक (है.) | 1000000/यूनिट | 22 | 23 | 50 | 75 | 224 | 135 | 50 | 139 | 274 | 159 | 119 | 119 | 739 | 650 |
| | (ii) रजूबंधन/रेखांकन | 12500/यूनिट | 10 | 14 | 14 | 10 | 25 | | | | 50 | 30 | 101 | 101 | 200 | 155 |
| | (iii) ड्रिप सिंचाई (अधिकतम/प्रति है.) | 28500/है. | 20 | 10 | 85 | 20 | 25 | | 100 | | 250 | 250 | 100 | 100 | 580 | 380 |
| | 2. समेकित फीट प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) आईपीएम का अंगीकरण | 1000/है. | 600 | 300 | 400 | 6 | 400 | 201 | 450 | 100 | 610 | 513 | | 216 | 2460 | 1336 |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस (500 व.मी.) | 40000/यूनिट | | | 23 | 5 | 10 | | 10 | | 344 | 344 | 20000 | 20000 | 20387 | 20349 |
| | कुल पौधशालाएं | | 0 | 11 | 0 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 58 |
| घ | प्रौद्योगिकी का अंतरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | किसान/प्रतिभु को प्रशिक्षण | | 415 | 475 | 766 | 1221 | 360 | 250 | 1110 | 250 | 1720 | 802 | 2462 | 2462 | 6833 | 5460 |
| ङ | कृषि उपकरण | | 522 | 530 | 996 | 997 | 575 | 559 | 72 | 0 | 955 | 880 | 1200 | 1192 | 4320 | 4158 |
| च. | महिला अधिकारिता | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | (i) महिलाओं को प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षक | | | 300 | 300 | 250 | 250 | 2000 | 490 | 500 | | 2000 | 2468 | 5050 | 3508 |
| | एमए-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. मंडी अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) थोक मंडियां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) ग्रामीण प्राथमिक मंडियां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) अपनी मंडियां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालाएं | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) रोपवेज | | | | | | | | | | | | | | | |
| | एमए-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अ. प्रसंस्करण अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) नई इकाईयां | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | 7 |
| | (2) विद्यमान इकाइयों का उन्नयन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. विशेष (लाख रु. में) | | 531.20 | 529.70 | 687.36 | 685.00 | 853.76 | 853.76 | 1286.25 | 1286.25 | 1700.00 | 1500.00 | 1700.00 | 1700.00 | 6758.57 | 6554.71 |

| | मद/क्रियाकलाप | | भौतिक | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| क. | क्षेत्र विस्तार | | 1665 | 1670 | 2273 | 1598 | 810 | 810 | 2552 | 2552 | 3575 | 3575 | 5000 | 5000 | 16075 | 15390 |
| ख. | उत्पादकता सुधार | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) सामुदायिक टैंक(ई..) | 1000000/यूनिट | 20 | 28.00 | 30.00 | 15 | 119 | 50 | 61 | 61 | 42 | 42 | 100 | 100 | 372 | 296 |
| | (ii) भूजलीकरण/पंपसेट | 12500/यूनिट | 40 | 35 | | | 35 | 15 | 58 | 58 | 67 | 67 | 200 | 199 | 400 | 374 |
| | (iii) ड्रिप सिंचाई(अधिकतमसीमा ई.) | 28500/है. | 20 | 28 | | | 55 | 25 | 58 | 58 | 621 | 621 | 280 | 280 | 1034 | 1012 |
| | 2. एकीकृत पोषक प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) आईसीएम का अंगीकरण | 1000/है. | 2000 | 1761 | 3000 | 1400 | 250 | 125 | 907 | 907 | 150 | 150 | 1140 | 1140 | 7447 | 5433 |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस(500 व.मी.) | 40000/यूनिट | 20 | 14 | 166 | 83 | 8 | 4 | 191 | 191 | 143 | 143 | 51 | 51 | 579 | 486 |
| | कुल पौधशालाएं | | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 12 | 12 | 22 | 22 | 52 | 68 |
| ग | प्रौद्योगिकी का अंगीकरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विकासशीलधु की संख्या | | 916 | 846 | 462 | 345 | 670 | 427 | 780 | 780 | 540 | 540 | 1110 | 1110 | 4478 | 4048 |
| घ | कृषि उपकरण | | 260 | 240 | 771 | 598 | 477 | 228 | 265 | 265 | 385 | 385 | 865 | 865 | 3023 | 2581 |
| च. | पशुधन अभिवर्धन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) पशुओं की संख्या (5 दिन) | 1000/अभिवर्धक | | | 71 | 71 | 1000 | | | | | | | | 1071 | 71 |
| | एनए-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. मंडी अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) थोक मंडियां | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | (2) उपमंडल उपनियमित मंडियां | | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| | (3) अन्य मंडियां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) राज्य विशेष उपक्रमशालाएं | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| | (5) रेलवेज | | | | | | | | | | | | | | | |
| | एनए-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | क. प्रशासन अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) नई इकाईयां | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
| | (2) विद्यमान इकाइयों का उन्नयन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | वित्तीय (लाख रु. में) | | 734.06 | 734.06 | 956.1 | 778.85 | 942.00 | 942.02 | 1395.99 | 1395.99 | 2000.00 | 1700.00 | 2879.80 | 2879.80 | 8107.15 | 7629.90 |

| | मापदंड/क्रियाकलाप | | विवरण | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| घ. | क्षेत्र विस्तार | | 1350 | 1332 | 4458 | 3725 | 3568 | 4249 | 6780 | 6809 | 4621.6 | 4421.6 | 11889 | 11889 | 33007 | 32574 |
| ङ. | जलग्रहण सुधार | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) जलभूमिक टैंक (है.) | 1000000/10 हे. की वृष्टि | | 30 | 160 | 100 | 237 | 166 | 200 | 200 | 100 | 100 | 207 | 207 | 904 | 803 |
| | (ii) ट्रेंचेज/खंदकें | 12500/वृष्टि | | 40 | | | 50 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 850 | 840 |
| | (iii) शिर सिंचाई (अधिष्ठापन/मी ई.) | 28000/हे. | | | 50 | 50 | 40 | 20 | | 150 | 162 | 162 | 428 | 428 | 680 | 810 |
| | 2. उपचित क्षेत्र प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) आच्छादन का अंगीकरण | 1000/हे. | | 500 | 1000 | | 500 | 250 | | 5000 | 3292 | 3292 | | 1567 | 6359 | 10609 |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस (500 व.मी.) | 40000/वृष्टि | | 10 | 10 | 20 | 20 | | 69 | 402 | 402 | 197500 | 197500 | 197932 | 198001 | |
| | कुल प्रौद्योगिकियां | | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| च | प्रौद्योगिकी का संचरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | किसान/किसानों को प्रशिक्षण | | 0 | 543 | 561 | 511 | 510 | 510 | 0 | 820 | 820 | 820 | 1488 | 1488 | 3379 | 4692 |
| छ | कृषि उपकरण | | 0 | 397 | 640 | 200 | 260 | 250 | 0 | 64 | 1617 | 1617 | 1600 | 1600 | 4117 | 4128 |
| ज. | महिला अभिमुखीकरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) महिलाओं को प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षक | | 1000 | 500 | 500 | 1043 | 700 | | 500 | 500 | 500 | 665 | 665 | 2708 | 3865 |
| | एनए-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. पंक्ति अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) पोल पौधरे | | | 4 | | 2 | | | | 4 | | | | | | 10 |
| | (2) प्रवेश प्रवाहिका पौधरे | | | 19 | | 28 | | 4 | | 33 | | | | 3 | | 87 |
| | (3) अग्नी पौधरे | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) एम्स ग्रेडिंग प्रचेत्रालय | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | (5) रोपण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | एनए-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अ. प्रसंस्करण अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) चर्म इकाइयां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) विपणन इकाइयों का उन्नयन | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | (3) संग्रहणालय विपणनालय | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. विविध (लक्ष रु. में) | | 730.95 | 729.45 | 1439.76 | 1174.70 | 1259.00 | 1352.01 | 2169.85 | 2169.85 | 2000.00 | 1800.00 | 3395.00 | 3395.00 | 10994.56 | 10621.01 |

| | घटक/क्रियाकलाप | | वित्तीय | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| क. | क्षेत्र विस्तार | | 1610 | 1970 | 2851 | 3089 | 3892 | 3626 | 3756 | 4106.9 | 3720 | 4336 | 9630 | 8357 | 27501 | 26399 |
| ख. | उत्पादकता सुधार | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) सामुदायिक टैंक (है.) | 1000000/यूनिट | 30 | 20 | 50 | 50 | 120 | 44 | 130 | 150 | 200 | 200 | 315 | 285 | 845 | 749 |
| | (ii) रूपरेखित/संस्थापित | 12500/यूनिट | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ड्रिप सिंचाई (अधिकतम/प्रति है.) | 28500/है. | 30 | 30 | 30 | 30 | | 60 | 50 | 45 | 50 | 50 | 125 | 75 | 285 | 290 |
| | 2. समेकित कीट प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) आर्थोपेड का अंगीकरण | 1000/है. | 202 | 400 | 400 | 4 | 300 | | 4700 | 2028 | 1000 | 1000 | | 500 | 6602 | 3932 |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस(500 व.मी.) | 40000/यूनिट | | 102 | 50 | 106 | 50 | 102 | 100 | 86 | 550 | 550 | 43770 | 43770 | 44520 | 44716 |
| | कुल पौधशालाएं | | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 13 | 25 | 21 | 16 | 15 | 15 | 44 | 66 | 111 |
| घ | प्रौद्योगिकी का अंतरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | किसान/हितधारकों को प्रशिक्षण | | 3310 | 3310 | 2460 | 2460 | 720 | 3292 | 2400 | 2347 | 3560 | 3536 | 3202 | 3202 | 15652 | 18147 |
| ङ | कृषि उपकरण | | 1006 | 1002 | 1203 | 1203 | 1000 | 1000 | 30 | 0 | 300 | 300 | 505 | 505 | 4044 | 4010 |
| च. | महिला अभिकरित | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) महिलाओं को प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षक | | | 300 | 300 | 390 | | 800 | 800 | 2000 | 1850 | 3500 | 3500 | 6990 | 6450 |
| | एमए-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. मंडी अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) थोक मॉडियां | | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 1 |
| | (2) खुदरा खाद्यान्न मॉडियां | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| | (3) अन्नी मॉडियां | | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 14 |
| | (4) ग्रेडिंग प्रयोगशालाएं | | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 3 |
| | (5) रोपवे | | | | | | | | | | | | | | | |
| | एमए-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अ. प्रसंस्करण अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) नई इकाईयां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) विद्यमान इकाइयों का उन्नयन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) संघटकात्मक क्रियाकलाप | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. वित्तीय (लाख रु. में) | | 701.700 | 700.270 | 857.140 | 855.00 | 1000.000 | 1000.000 | 1150.000 | 1150.000 | 1600.000 | 1600.00 | 2331.000 | 2331.000 | 7839.840 | 7836.270 |

| | | | वित्त | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | घटक/क्रियाकलाप | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| घ. | क्षेत्र विस्तार | | 1260 | 1019 | 2750 | 1142 | 2706 | 2818 | 4850 | 7801 | 4244 | 3114.8 | 4000 | 1032 | 20110 | 17065 |
| ङ. | अवसंरचना सुधार | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. चरा प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) खादुकरिक टैंक (है.) | 1000000/यूनिट | 20 | 10 | 91 | 10 | 109 | 32 | 70 | 245 | 400 | 400 | 250 | 243 | 940 | 940 |
| | (ii) टूटपंजिया/बंधारा | 12500/यूनिट | | 10 | 100 | 10 | 40 | 27 | 530 | 85 | 200 | 200 | 200 | 77 | 1070 | 409 |
| | (iii) ड्रिंग सिंचाई(सौरऊर्जाचालित ई.) | 28500/वि. | 20 | | | | 20 | 4 | | 10 | | | 300 | | 340 | 14 |
| | 2. संयोजित वॉटर प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) आईसीएम का संवेदनकरण | 40000/यूनिट | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 124 | 430 | 600 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2530 | 2524 |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस (500 व.मी.) | | 6 | | | | 6 | 4 | 200 | 105 | 200 | 200 | 10000 | | 10412 | 309 |
| | कुल घटकवार | | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 9 | 6 | 39 | 34 |
| च | प्रौद्योगिकी का संक्रमण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विस्तारशिक्षण की प्रक्रिया | | 1010 | 530 | 1810 | 389 | 610 | 1527 | 1600 | 3633 | 2460 | 2460 | 2520 | 2478 | 10010 | 11017 |
| छ | कृषि उपकरण | | 280 | 115 | 562 | 313 | 630 | 543 | 1100 | 6648 | 675 | 675 | 650 | 506 | 3897 | 8800 |
| ज. | महिला सशक्तिकरण | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) महिलाओं की प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षक | | | 500 | | | 265 | | 235 | 440 | 440 | | 500 | 0 | 500 |
| | स्तर-III | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. मंडी अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) थोक मंडियां | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| | (2) प्रादेशिक ग्रामीण मंडियां | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| | (3) अन्य मंडियां | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| | (4) राज्य विशेष प्रयोजनार्थ | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| | (5) रेलवेज | | | | | | | | | | | | | | | |
| | स्तर-IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अ. प्रसंस्करण अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) चर्म इकाईयां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) विपणन इकाईयों का उन्नयन | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) संघटकात्मक क्रियाकलाप | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. विविध (लक्ष्य रु. में) | | 512.4 | 512.4 | 821.5 | 785 | 900 | 900 | 1111.3 | 1111.3 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 6145 | 6208.7 |

| | घटक/क्रियाकलाप | | जम्मू व कश्मीर | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| क. | क्षेत्र विस्तार | | 2277 | 2277 | 4142 | 4194 | 4000 | 4084 | 9500 | 9368 | 19919 | 19923 |
| ख. | उत्पादकता सुधार | | | | | | | | | | | |
| | 1. जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | |
| | (i) सामुदायिक टैंक(है.) | 1000000/यूनिट | 155 | 155 | 226 | 111 | 40 | 94 | 440 | 153 | 861 | 513 |
| | (ii) ट्यूबवैल/पंपसैट | 12500/यूनिट | 222 | 222 | 276 | 161 | 264 | 208 | 837 | 338 | 1599 | 924 |
| | (iii) ड्रिप सिंचाई(अधिकतमराशि ई.) | 28500/है. | 1 | 1 | 155 | | | | | | 156 | 1 |
| | 2. समेकित फॉर्म प्रबंधन | | | | | | | | | | | |
| | (i) मॉडीफेन का अंगीकरण | 1000/है. | | | | | | | | | | |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस(500 व.मी.) | 40000/यूनिट | | | | | | | | | | |
| | कुल पौधशालाएं | | 37 | 37 | 55 | 49 | 2 | 28 | 18 | 30 | 112 | 144 |
| घ | प्रौद्योगिकी का अंतरण | | | | | | | | | | | |
| | किसान/किसान को प्रशिक्षण | | 0 | 0 | 2105 | 553 | 1280 | 552 | 1606 | 499 | 4991 | 1604 |
| ङ | कृषि उपकरण | | 0 | 0 | 1848 | 1814 | 3000 | 2953 | 9200 | 169 | 14048 | 4936 |
| च. | महिला सशक्तिकरण | | | | | | | | | | | |
| | (i) महिलाओं को प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षण | | | 775 | 498 | 400 | 316 | 850 | 561 | 2025 | 1375 |
| | एमए-III | | | | | | | | | | | |
| | I. मंडी अवसंरचना | | | | | | | | | | | |
| | (1) थोक मंडियां | | | | | | | 15 | | | | 15 |
| | (2) ग्रामीण ग्रामीण मंडियां | | | | | | | | | | | |
| | (3) अनाज मंडियां | | | | | | | | | | | |
| | (4) राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालाएं | | | | | | | | | | | |
| | (5) रोपवे | | | | | | | | | | | |
| | एमए-IV | | | | | | | | | | | |
| | अ. प्रसंस्करण अवसंरचना | | | | | | | | | | | |
| | (1) नई इकाईयां | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| | (2) विद्यमान इकाइयों का उन्नयन | | | | | | | | | | | |
| | (3) संपर्क/सामान्य क्रियाकलाप | | | | | | | | | | | |
| | 4. विविध (लाख रु. में) | | 650.00 | 650.00 | 1233.00 | 1233.00 | 3884.70 | 1934.70 | 3508.00 | 2938.00 | 9267.70 | 6750.70 |

| | घटक/क्रियाकलाप | | हिमाचल प्रदेश | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| क. | क्षेत्र विस्तार | | 1681.2 | 1681.2 | 3418 | 3775 | 2683 | 2944 | 9192 | 9192 | 16974 | 17592 |
| ख. | उत्पादकता सुधार | | | | | | | | | | | |
| | 1. जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | |
| | (i) समुदायिक टैंक (है.) | 1000000/यूनिट | 200 | 200 | 100 | 104 | 170 | 180 | 594 | 594 | 1019 | 1033 |
| | (ii) ट्यूबवैल/ट्यूबवैल | 12500/यूनिट | | | 100 | 101 | 263 | 263 | 504 | 504 | 867 | 868 |
| | (iii) ड्रिप सिंचाई (अधिसंरचनासहित है.) | 28500/है. | 150 | 150 | 200 | 220 | 108 | 107.7 | 74 | 74 | 532 | 552 |
| | 2. समेकित कीट प्रबंधन | | | | | | | | | | | |
| | (i) आईपीएम का अंगीकरण | 1000/है. | | | 500 | 200 | | | 200 | 200 | 700 | 400 |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस (500 व.मी.) | 40000/यूनिट | | | | | 40500 | 40500 | 160772 | 160772 | 201272 | 201272 |
| | कुल चौपायलायें | | 0 | 0 | 22 | 22 | 11 | 11 | 15 | 15 | 48 | 48 |
| ग | प्रौद्योगिकी का अंतरण | | | | | | | | | | | |
| | किसान/हितधारकों को प्रशिक्षण | | 1270 | 1270 | 3610 | 3670 | 3000 | 3555 | 5683 | 5683 | 13563 | 14178 |
| घ | कृषि उपकरण | | 1800 | 1800 | 0 | 1550 | 1490 | 1488 | 5991 | 5991 | 9281 | 10829 |
| च. | महिला अभिक्रमित | | | | | | | | | | | |
| | (i) महिलाओं को प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षक | 500 | 500 | 1070 | 1080 | 1306 | 1361 | | | 2876 | 2941 |
| | एसए-III | | | | | | | | | | | |
| | I. मंडी अवसंरचना | | | | | | | | | | | |
| | (1) थोक मंडियां | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | (2) क्षेत्रीय प्राथमिक मंडियां | | | 0 | | 0 | | | | 1 | | 1 |
| | (3) अनाज मंडियां | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | (4) राज्य वेयरिंग प्रयोगशालायें | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | (5) रोपवेय | | | | | | | | | | | |
| | एसए-IV | | | | | | | | | | | |
| | अ. प्रसंस्करण अवसंरचना | | | | | | | | | | | |
| | (1) नई इकाईयां | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| | (2) विद्यमान इकाइयों का उन्नयन | | | | | | | | | | | |
| | (3) संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप | | | | | | | | | | | |
| | 4. विविध (लाख रु. में) | | 650.00 | 650.00 | 1300.00 | 1300.00 | 4039.39 | 1139.00 | 4013.31 | 4013.31 | 10002.70 | 7102.31 |

| | घटक/क्रियाकलाप | | उपलब्धि | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | कुल | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| क. | क्षेत्र विस्तार | | 1404 | 1404 | 3480 | 3581 | 4440 | 4440 | 13196 | 13196 | 22520 | 22621 |
| ख. | उत्पादकता सुधार | | | | | | | | | | | |
| | 1. जल प्रबंधन | | | | | | | | | | | |
| | (i) भूमिगत टैंक (नं.) | 1000000/यूनिट | 5 | 5 | 20 | 24 | 50 | 50 | 400 | 400 | 475 | 479 |
| | (ii) ट्यूबवैल/पंपसेट | 12500/यूनिट | | | 50 | 52 | 200 | 200 | 320 | 320 | 570 | 572 |
| | (iii) ड्रिप सिंचाई (अधिकतमसीमा रु.) | 28500/है. | | | 300 | 100 | 210 | 210 | 700 | 700 | 1210 | 1010 |
| | 2. संरक्षित खेत प्रबंधन | | | | | | | | | | | |
| | (i) आच्छादन का अंगीकरण | 1000/है. | | | 300 | 170 | | | 830 | 830 | 1130 | 1000 |
| | 3. संरक्षित कृषि | | | | | | | | | | | |
| | (iii) ग्रीन हाउस(500 व.मी.) | 40000/यूनिट | | | 50 | 5 | 100 | 100 | 37500 | 37500 | 37650 | 37605 |
| | कुल पौधशालाएं | | 0 | 0 | 14 | 7 | 15 | 15 | 27 | 27 | 56 | 49 |
| ग | प्रौद्योगिकी का अंतरण | | | | | | | | | | | |
| | किसान/शिल्पी को प्रशिक्षण | | 70 | 70 | 2265 | 1701 | 710 | 821 | 6700 | 6700 | 9745 | 9292 |
| घ | कृषि उपकरण | | 0 | 0 | 125 | 144 | 440 | 440 | 1100 | 1100 | 1665 | 1684 |
| च. | महिला अभिप्रेरित | | | | | | | | | | | |
| | (i) महिलाओं को प्रशिक्षण (5 दिन) | 1000/प्रशिक्षक | 1250 | 1250 | 2250 | 1422 | | | 4000 | 4000 | 7500 | 6672 |
| | स्तर-III | | | | | | | | | | | |
| | I. संघटी अवसंरचना | | | | | | | | | | | |
| | (1) खेप गोदाम | | | | | | | | | | | |
| | (2) प्रसंस्करण प्रभागिक गोदाम | | | | | | | | | | | |
| | (3) अन्य गोदाम | | | | | | | | | | | |
| | (4) राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालाएं | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | (5) रोपवे | | | | | | | | 31 | | | 31 |
| | स्तर-IV | | | | | | | | | | | |
| | अ. प्रसंस्करण अवसंरचना | | | | | | | | | | | |
| | (1) नई इकाईयां | | | | | | | | 6 | | | 6 |
| | (2) विद्यमान इकाइयों का उन्नयन | | | | | | | | | | | |
| | (3) संघटकात्मक क्रियाकलाप | | | | | | | | | | | |
| | 4. विविध (लाख रु. में) | | 564.72 | 564.72 | 1300.00 | 975.00 | 4005.00 | 1105.00 | 4378.09 | 4378.10 | 10247.81 | 7022.82 |

*विवरण II*

*2005-06, 2006-07 के दौरान एनएचएम के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक प्रगति*

| क्र.सं. | राज्य | क्षेत्र कवरेज (हैक्टे.) | | नवीकरण (हैक्टे.) | | पौधशालाएं (संख्या) | | जैविक कृषि (है.) | | समेकित कीट प्रबंधन पोषकतत्व प्रबंधन (है.) | | कटाई पश्चात प्रबंधन (पीएचएम) (संख्या) | | मंडियां (सं.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उप. | लक्ष्य | उप. | लक्ष्य | उप. | लक्ष्य | उप. | लक्ष्य | उप. | लक्ष्य | उप. | लक्ष्य | उप. |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 67034.36 | 76341 | 17440 | 15709 | 71 | 30 | 2150 | 113 | 42250 | 31681 | 48 | 4 | 37 | 6 |
| 2. | बिहार | 15532.00 | 5939 | 13367 | 2 | 45 | 99 | 1000 | 0 | 6500 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 20173.00 | 12700 | 3870 | 0 | 17 | 1 | 1100 | 0 | 14500 | 6000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | दिल्ली | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | गोवा | 905.64 | 259 | 1550 | 552 | 4 | 10 | 750 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | गुजरात | 43418.40 | 33734 | 578 | 8 | 69 | 44 | 150 | 197 | 10002 | 8932 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7. | हरियाणा | 8286.85 | 8080 | 1139 | 524 | 22 | 12 | 440 | 484 | 2381 | 2150 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| 8. | झारखंड | 17400.00 | 7339 | 0 | 0 | 138 | 57 | 150 | 0 | 500 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 9. | कर्नाटक | 51460.40 | 27776 | 2932 | 812 | 284 | 104 | 10300 | 2365 | 45000 | 0 | 0 | 7 | 48 | 2 |
| 10. | केरल | 37430.00 | 8111 | 22500 | 7000 | 168 | 14 | 4819 | 1235 | 7101 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 13060.00 | 19767 | 3695 | 3728 | 47 | 72 | 2868 | 3402 | 21000 | 20319 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12. | महाराष्ट्र | 101576.30 | 129782 | 19300 | 12486 | 101 | 34 | 9750 | 4554 | 34127 | 14522 | 90 | 104 | 0 | 5 |
| 13. | उड़ीसा | 36700.00 | 36756 | 5933 | 1303 | 77 | 103 | 1100 | 540 | 1400 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 |
| 14. | पंजाब | 5537.00 | 6276 | 3350 | 5833 | 7 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 |
| 15. | राजस्थान | 34196.00 | 29098 | 168 | 533 | 40 | 45 | 1200 | 1629 | 5293 | 14991 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 16. | तमिलनाडु | 49482.10 | 33428 | 1150 | 2921 | 59 | 159 | 4760 | 5250 | 10300 | 24701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 14940.00 | 7470 | 4850 | 1398 | 11 | 10 | 1050 | 13952 | 400 | 1300 | 150 | 13 | 0 | 0 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 26846.60 | 15870 | 4200 | 4012 | 218 | 5 | 6500 | 2021 | 21000 | 10000 | 74 | 57 | 70 | 0 |
| 19. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 334.00 | 20 | 509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | कुल | 544473 | 458744 | 106071.16 | 56822 | 1392.00 | 801 | 49087 | 35742 | 222254 | 137596 | 433 | 211.00 | 206 | 28.00 |

*विवरण-III*

*2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान एक्सचेक्म के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त राशि एवं उपगत व्यय का ब्यौरा*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | निर्मुक्त राशि | | | | उपगत व्यय | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 (18.2.2008 से ऊपर) | कुल | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 (18.2.2008 से ऊपर) | कुल |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4420.96 | 7500.00 | 7639.04 | 19560.00 | 1781.14 | 7137.47 | 9062.42 | 17981.03 |
| 2. | बिहार | 3100.00 | 3500.00 | 269.72 | 6869.72 | 3.02 | 2403.91 | 2874.46 | 5281.39 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 2367.83 | 5500.00 | 6252.41 | 14120.24 | 353.96 | 4560.66 | 2061.87 | 6976.49 |
| 4. | गोवा | 315.20 | 200.00 | 3.19 | 518.39 | 112.91 | 26.57 | 107.18 | 246.66 |
| 5. | गुजरात | 3239.28 | 2577.03 | 1954.24 | 7770.55 | 1011.24 | 2823.55 | 1868.23 | 5703.02 |
| 6. | हरियाणा | 1050.00 | 3480.00 | 6476.49 | 11006.49 | 180.33 | 3539.38 | 2603.32 | 6323.03 |
| 7. | झारखंड | 3030.00 | 4000.00 | 781.00 | 7811.00 | - | 2383.52 | 2132.36 | 4515.88 |
| 8. | कर्नाटक | 4455.17 | 8448.25 | 8499.48 | 21402.90 | 322.72 | 6461.32 | 7200.11 | 13984.15 |
| 9. | केरल | 3533.98 | 7959.53 | 1091.72 | 12585.23 | 400.14 | 2471.72 | 8577.72 | 11449.58 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 2839.77 | 4291.75 | 5537.50 | 12669.02 | 481.67 | 4400.26 | 2321.55 | 7203.48 |
| 11. | महाराष्ट्र | 8260.28 | 14492.65 | 9224.97 | 31977.90 | 3228.67 | 12999.79 | 11949.95 | 28178.41 |
| 12. | उड़ीसा | 3611.91 | 4450.00 | 3812.16 | 11874.07 | 2572.76 | 3286.59 | 2851.51 | 8710.86 |
| 13. | पंजाब | 2868.82 | 1150.00 | 2397.51 | 6416.33 | 697.21 | 1736.88 | 736.34 | 3170.43 |
| 14. | राजस्थान | 2259.57 | 3837.93 | 5673.19 | 11770.69 | 1833.31 | 3306.96 | 3705.05 | 8845.32 |
| 15. | तमिलनाडु | 3891.67 | 6450.00 | 6036.82 | 16378.49 | 2462.47 | 8498.23 | 6691.08 | 17651.78 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 5340.25 | 1500.00 | 8224.19 | 15064.44 | 537.97 | 2257.78 | 6174.81 | 8970.56 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 4035.31 | 4600.00 | 681.82 | 9317.13 | 3629.59 | 395.40 | 2655.64 | 6680.63 |
| 18. | दिल्ली | - | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | लक्षद्वीप | - | 63.00 | 29.90 | 92.90 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | - | 85.00 | 0.00 | 85.00 | - | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| | कुल | 58620.00 | 84385.13 | 74585.35 | 217590.48 | 19609.11 | 68691.21 | 73573.60 | 161873.92 |

## चावल का निर्यात

713. श्री पी. मोहन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी एजेंसियों को किसानों से सीधे धान खरीदने का एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन एजेंसियों द्वारा सीधे किसानों और निजी व्यापारियों से पृथक-पृथक कितनी मात्रा में धान की खरीद की गई है;

(ङ) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्तमान में की गई खरीद चालू वर्ष के दौरान देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) मौजूदा नीति के अधीन केन्द्र सरकार सरकारी एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों) के जरिये धान के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। निर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए पेश किये गये विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान की खरीदारी सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा की जाती है। किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या तो भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को अपना धान बेच सकते हैं या प्राइवेट पार्टियों को बेच सकते हैं, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, और इस प्रकार किसानों से सीधे धान की खरीद करने के संबंध मे सरकारी एजेंसियों का कोई एकाधिकार नहीं है।

(घ) सरकारी एजेंसियों द्वारा सीधे किसानों से अथवा सहकारी समितियों/आढ़तियों के जरिये धान की खरीदारी की जाती है। प्राइवेट व्यापारियों से धान की सीधे खरीदारी नहीं की जाती है। पिछले तीन खरीफ विपणन मौसमों के दौरान सरकारी एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों) द्वारा निम्नानुसार धान खरीदी गई है:

(लाख टन में)

| | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| खरीदी गई धान | 176.9 | 242.2 | 236.9 |

(ङ) और (च) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2007-08 (28.2.2008 को) में 200.3 लाख टन चावल की खरीदारी हुई है जबकि खरीफ विपणन मौसम 2006-07 में 192.5 लाख टन की तद्नुरूपी खरीदारी हुई थी। वर्तमान वर्ष में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए चावल की पर्याप्त मात्रा में वसूली होने की आशा है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

## ब्रह्मपुत्र बोर्ड हेतु धनराशि

714. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा असम में शुरू किये विभिन्न संरक्षण कार्यों हेतु कुल परिव्यय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा असम में किये गये कार्य धनराशि की अनुपलब्धता के कारण रुक गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आगामी मानसून से पूर्व कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कार्यों और स्थापना के संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के वास्ते बजट प्राक्कलन (बीई) और संशोधित प्राक्कलन (आरई) के रूप में अनुमोदित परिव्यय नीचे दिये गए अनुसार है:

| क्र.सं. | क्रियाकलाप | बजट प्राक्कलन 2007-08 (लाख में) | संशोधित प्राक्कलन 2007-08 (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1. | नदी प्रबंधन क्रियाकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य | | |
| | (क) वेतन | 1042.00 | 1196.00 |
| | (ख) चिकित्सीय उपचार | 30.00 | 50.00 |
| | (ग) घरेलू यात्रा व्यय | 56.80 | 56.00 |
| | (घ) कार्यालय व्यय | 57.00 | 57.00 |
| | (ङ) प्रकाशन | 1.50 | 2.50 |
| | (च) अन्य प्रशासनिक व्यय | 132.50 | 118.00 |
| | (छ) अन्य प्रभार | 77.00 | 77.00 |
| | (ज) मुख्य कार्य | 1379.00 | 1693.50 |
| | उपजोड़ | 2775.00 | 3250.00 |
| 2. | पगलादिया बांध परियोजना | 100.00 | 135.00 |

संशोधित प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान असम में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू किये गये विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए परिव्यय की राशि 1693.50 लाख रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आगामी मानसून मौसम के पहले कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी कार्मिक तैनात हैं।

(2) सभी ठेकेदार तैनात हैं और कार्य को पूरी गति से कर रहे हैं।

(3) सभी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को कार्य को आगामी मानसून से पहले पूरा किये जाने का निर्देश दिया गया है।

**खाद्यान्न उत्पादन**

**715. श्री उदय सिंह:**
**श्री एम. रामदास:**
**श्री महादेवराव शिवनकर:**
**श्री अनंत कुमार:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उठाए गए खाद्यान्नों का फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उगाई गई फसल की मात्रा देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फसलवार भिन्न खाद्यान्नों की कितनी खपत हुई है;

(ग) कृषि उत्पादन में आई कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों से आयातित खाद्यान्नों, दलहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि उपकरणों को तैयार करने की आवश्यकता है जिससे मानव श्रम को कम करके उत्पादन में वृद्धि की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) और (ख) निम्न सारणी वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन तथा उपभोग के फसलवार ब्यौरे प्रस्तुत करती है।

(मिलियन टन)

| फसल | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन | घरेलू खपत | उत्पादन | घरेलू खपत | उत्पादन | घरेलू खपत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| चावल | 83.13 | 85.77 | 91.79 | 87.01 | 93.36 | 88.25 |
| गेहूं | 68.64 | 65.59 | 69.35 | 66.60 | 75.81 | 67.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मोटे अनाज | 33.46 | 15.53 | 34.07 | 15.74 | 33.92 | 15.95 |
| दालें | 13.13 | 10.53 | 13.38 | 10.70 | 14.20 | 10.86 |
| खाद्यान्न | 198.36 | 177.42 | 208.60 | 180.05 | 217.28 | 182.65 |

नोट: 'घरेलू उपयोग' भारत में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की घरेलू खपत 2004-05 पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 61वें दौर की रिपोर्ट तथा भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दी गयी जनसंख्या प्रक्षेपण पर आधारित हैं। इसमें बीज, चारा तथा अवशिष्ट शामिल है।

भिन्न भिन्न उगायी जाने वाली फसलों की मात्रा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ग) देश ने बफर स्टाक बढ़ाने के लिए 2006-07 के दौरान 6.08 मिलियन टन गेहूं का आयात किया। दालों के मामले में, 2004-05 में 1.34 मिलियन टन, 2005-06 में 1.70 मिलियन टन तथा 2006-07 में 2.26 मिलियन टन का आयात समग्र मांग को पूरा करने के लिए किया गया।

(घ) और (ङ) सरकार प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने तता मजबूती देने तथा मजदूरी प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य अनुसंधान तथा विकास संगठनों द्वारा विकसित कृषि उपकरण की तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण के लिए फ्रंटलाइन तथा स्थल प्रदर्शन संचालित किये जाते हैं। वृहद प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजसहायता के रूप में प्रोत्साहन के माध्यम से किसानों के बीच उन्नत कृषि उपकरणों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

## सूर्य किरण विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

716. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अभ्यास सत्र के दौरान भुवनेश्वर विमानपत्तन पर भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना का एक सूर्य किरण विमान, किरण एमके-II 22 दिसंबर, 2007 को भुवनेश्वर से विजाग की फेरी पर जाते समय भुवनेश्वर विमानपत्तन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ग) से (ङ) प्रत्येक दुर्घटना की जांच एक जांच अदालत के माध्यम से की जाती है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तदनुसार सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

## कृषि में निवेश

717. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री मदनलाल शर्मा:**
**श्री जुएल ओराम:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी कंपनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कृषि के विकास हेतु धनराशि निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों को केन्द्र के समतुल्य अनुपात में धनराशि आबंटित करने के लिए प्रोत्साहित करके कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल**

धूरिया): (क) और (ख) कृषि विपणन आधारभूत ढांचे, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण के विकास/मजबूती हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत उत्तर फसल कटाई प्रबंधन को सुधारने के लिए निजी बाजारों की संख्या को सरल बनाने, प्रत्यक्ष विपणन तथा अनुबंधित खेती की इजाजत देने हेतु कृषि उत्पाद के लिए कृषि विपणन आधारभूत ढांचे का विकास करने एवं एकांतर विपणन माध्यम प्रदान करने में सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत, ऋण संबंधित निवेश सब्सिडी परियोजना की पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर पर प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक परियोजना हेतु अधिकतम 50 लाख रुपये है। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम "गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन तथा वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा मजबूती" के अंतर्गत सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। बीज आधारभूत ढांचे के विकास पर 25 प्रतिशत की दर से राज्य बीज निगमों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, निजी कम्पनियों, व्यक्तिगत उद्यमियों स्वयं सहायता समूहों तथा बीज सहकारी संस्थाओं को पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) सरकार ने कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु 11वीं योजना अवधि के लिए एक राज्य योजना स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की है। स्कीम के अंतर्गत सहायता हेतु पात्रता राज्य सरकार द्वारा कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों पर उठाये गये बेसलाइन प्रतिशत व्यय के अतिरिक्त कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के लिए राज्य योजना बजट में प्रदान की गयी राशि पर निर्भर करेगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्यों को प्रदान की जाएगी। पांच वर्षों के लिए 25000 करोड़ रुपये का आबंटन से 2007-08 हेतु स्कीम के लिए 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

### बी.पी.ओ. कंपनियों हेतु विनियामक

718. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बी.पी.ओ. कंपनियों की अनियमित वृद्धि के कारण उनके कर्मचारियों में बढ़ते हुए तनाव के मद्देनजर बी.पी.ओ कंपनियों के लिए विनियामक नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र लाइसेंस मुक्त है और इसका प्रचालन पक्षों के बीच पारस्परिक समझौते द्वारा किया जाता है।

### ग्रामीण समुदाय फोन

719. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार संविदागत बाध्यता के अनुसार देश में निजी टेलीकॉम आपरेटरों द्वारा कुल कितने ग्रामीण समुदाय फोन (आर.सी.पी.) प्रदान किये गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण समुदाय फोन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख की स्थिति के अनुसार निजी ऑपरेटरों द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे निजी ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने ऐसे गांवों में, जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है और जहां कोई सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पीसीओ) नहीं है, सितंबर, 2007 तक 21,431 ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरसीएल) के साथ करार किया है। 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार मैसर्स आरसीएल ने 14,620 आरसीपी प्रदान कर दिए हैं।

(ख) और (ग) यूएसओएफ और मैसर्स आरसीएल के बीच किये गये करार की रॉल-आउट शर्तों के अनुसार 20% आरसीपी सितम्बर, 2005 तक प्रदान किये जाने हैं अन्य 40% दिसम्बर, 2006 तक और शेष 40% सितंबर, 2007 तक प्रदान किये जाने हैं।

आरसीपी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों की तुलना में

मैसर्स आरसीएल की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

| करार का वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---|---|---|
| करार का प्रथम वर्ष (सितम्बर, 2005 तक) (20%) | 4286 | 4820 |
| करार का द्वितीय वर्ष (दिसम्बर, 2006 तक) (40%) | 8572 | 9800 |
| करार का तृतीय वर्ष (सितम्बर, 2007 तक) (40%) | 8573 | 1321 |
| 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि | – | 307 |
| कुल | 21,431 | 16,248 |

(घ) यूएसओएफ और मैसर्स आरसीएल के बीच किये गये करारों में आरसीपी प्रदान करने में नियत समय से अधिक विलंब होने की स्थिति में परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली किये जाने का प्रावधान किया गया है। करारों के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार जहां लागू होता है वहां परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली की जा रही है।

**असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों को मातृत्व लाभ**

**720. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिला कामगारों को मातृत्व अवकाश और लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मातृत्व की गरिमा के संरक्षण हेतु गर्भाधान के दौरान महिला कामगारों के लिए एक कायिक निधि की स्थापना और उन्हें एक निर्धारित धनराशि का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) और (ख) चालू योजना के अंतर्गत बीड़ी, सिने क्षेत्र और कतिपय गैर-कोयला खानों में कार्यरत असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों को श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण संगठन द्वारा प्रशासित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि, सिने कर्मकार कल्याण निधि, चूना पत्थर और डोलोमाइट श्रम कल्याण निधि, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत प्रथम दो प्रसवों के लिए 1000 रुपए प्रति प्रसव की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) वर्तमान में कायिक निधि बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

**नारियल हेतु मूल्यवर्द्धन**

**721. श्री पी.सी. थामस:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नारियल के मूल्यवर्द्धन हेतु योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो मूल्यवर्द्धन के लिए उपयोग किये जा रहे नारियल के हिस्सों और नारियल पेड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) मूल्यवर्धन के लिए उपयोग किये जा रहे नारियल और नारियल वृक्षों के भागों के ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ग) प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी अर्जन, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए सरकारी संस्थाओं के संबंध में लागत की 100% सीमा तक और निजी संस्थाओं और संगठनों के लिए लागत की 50% सीमा तक क्रमश: 75.00 लाख रुपये और 35 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उद्यमियों को नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) के जरिये मूल्यवर्धन नारियल उत्पादों के उत्पादन के लिए एकीकृत नारियल प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए लागत सीमा के 25% की दर से अधिकतम 50.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

सार्वजनिक संस्थाओं के संबंध में लागत के 100% सीमा तक विपणन संवर्धन के लिए और सहकारी समितियों/गैर-सरकारी संगठनों/निजी संस्थाओं के संबंध में लागत के 50% तक और क्रमश: 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

सीडीबी ने प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम के तहत नए मूल्यवर्द्धित नारियल उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जिसे वाणिज्यिक उत्पादन यूनिटों के गठन के लिए उद्यमियों के लिए अंतरित किया जा रहा है।

सीडीबी नारियल आधारित सुविधाजनक खाद्यों के लिए महिला उद्यमियों और स्वसहायता समूहों तथा अन्य स्वयं सेवी एजेंसियों के लिए प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र अलूवा, केरल में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

*विवरण*

| नारियल/नारियल वृक्ष के भाग | मूल्यवर्धित उत्पाद |
|---|---|
| 1 | 2 |
| नारियल | 1. शुद्ध/नारियल तेल |
| | 2. शुष्क नारियल |
| | 3. नारियल क्रीम |
| | 4. पिना-कोला जैसे नारियल दूध आधारित पेय पदार्थ |
| | 5. शुष्क नारियल पाउडर |
| | 6. स्प्रे शुष्क नारियल दूध पाउडर |
| | 7. खाद्य खोपरा |
| | 8. नारियल आधारित डेयरी खाद्य |
| | 9. नारियल आधारित नारियल चिप, चटनी पाउडर और सुविधाजनक खाद्य, बिस्कुट, कुर्की, टाफी इत्यादि। |
| | 10. बहु-छलनी प्रीमियम ग्रेड, पैक्ड, मार्का नारियल तेल |
| टेंडर नारियल | 1. पाउचों/एल्मीनियम केनों में संरक्षित और पैक्ड नाजुक नारियल |
| | 2. स्नो बाल टेंडर नारियल |
| | 3. न्यूनतम रूप से प्रसंस्कृत टेंडर नारियल |
| परिपक्व नारियल जल | 1. नारियल वाइनेगर |
| | 2. नाटा डी-कोको |
| | 3. नारियल जल आधारित पेय |
| नारियल शैल | 1. शैल-टारकोल |
| | 2. सक्रिय कार्बन |
| | 3. शैल पाउडर |
| | 4. फ्लोरिंग टाइलें |
| | 5. रेलिंग |
| हस्क | 1. कोयर और कोयर उत्पाद- (कोयर बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले) |
| | 2. कोयर मिथ कम्पोस्ट |
| नारियल इनफ्लोरीसेंस सेप | नीरा और नीरा के निम्न उत्पाद अर्थात् नारियल सेप शहद, जगरी, और ग्रेनूलेटिड कोकोनट इनफ्लोरीसेंस सेप |

**पशुपालन हेतु विशेष पैकेज**

**722. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी की आपदा में अपने मवेशी गवां चुके प्रभावितों के लिए पशुपालन के विकास हेतु राहत और पुनर्वास पैकेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैकेज के अंतर्गत अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है एवं कितनी धनराशि जारी की जानी है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पशुपालन क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के तहत 25.70 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 3.83 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

**किसानों के लिए एकल बाजार**

723. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक भारतीय व्यापार संगठन के सहित एकल बाजार और आधुनिक विपणन केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) संविधान के तहत विपणन राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा उनके राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति विनियमन अधिनियमों में संशोधन किये जाने के लिए इसका अनुसरण कर रही है ताकि निजी मंडियों, ई-व्यापार सुविधाओं, प्रत्यक्ष विपणन आदि की सुविधाओं की स्थापना को कारगर बनाते हुये कृषि उत्पादों की एकल मंडी का विकास किया जा सके। अब तक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य सरकार ने अपने संगत अधिनियमों में सुझाये गये संशोधनों को क्रियान्वित किया है और तमिलनाडु में मौजूदा अधिनियम में भी ऐसी विपणन प्रणालियों की स्थापना के प्रावधान होने की रिपोर्टें हैं। बिहार, केरल, मणिपुर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में कोई भी एपीएमसी अधिनियम नहीं है और इस प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं है। उन राज्यों से जिन्होंने अपने अधिनियमों में संशोधन किया है, बागवानी उत्पादों की उत्कृष्ट व आधुनिक टर्मिनल मंडी परिसरों की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया गया है तथा आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य सरकारों तथा चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने 17 स्थानों पर ऐसी मंडियों की स्थापना के लिए उद्यमियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय व्यापार संगठन की स्थापना करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

**निजी कंपनियों द्वारा फलों और सब्जियों की खरीद**

724. **डा. के. धनराजू:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियों ने देश के विभिन्न भागों से मौसमी फलों और सब्जियों की भारी खरीदारी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों द्वारा देश में बगीचों को पट्टे पर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पट्टे की अवधि क्या है;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में बढ़िया फलों और सब्जियों की कमी हो गई है जिसके कारण इनके मूल्यों में भी वृद्धि की गई है;

(च) सरकार द्वारा आम आदमी के लिए स्थानीय बाजार में पूरे वर्ष के दौरान बढ़िया फलों की अनुपलब्धता के संकट को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि प्रत्यक्ष विपणन को सुकर बनाने के लिए राज्य कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी) विनियमन अधिनियमों में संशोधन करें ताकि खुदरा संभरक/व्यापारी संसाधन, निर्यातक इत्यादि किसानों से सीधे ही फल एवं सब्जियां खरीद सकें। अब तक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम एवं त्रिपुरा राज्यों ने अपने संबंधित अधिनियमों में सुझाये गये संशोधन कर लिये हैं और तमिलनाडु में मौजूदा अधिनियम में बागवानी उत्पाद की प्रत्यक्ष खरीद को सुकर बनाने की सूचना मिली है। बिहार, केरल, मणिपुर और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप केन्द्र शासित क्षेत्रों में कोई भी एपीएमसी अधिनियम नहीं है और इसीलिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। फलों एवं सब्जियों की सीधे खरीद से किसानों को अपने उत्पाद के लिए

बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिली है और दक्ष शीत श्रृंखला के माध्यम से संबंधित फसलों की कटाई मौसम के पश्चात भी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर फल एवं सब्जियां उपलब्ध होती रही हैं।

(ग) और (घ) मालिकों द्वारा कम्पनियों को बागानों को पट्टे पर दिये जाने से संबंधित सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

(ङ) और (च) अच्छी गुणवत्ता वाले फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति की कमी और परिणामस्वरूप घरेलू मंडी में उनके मूल्यों में बढ़ोत्तरी के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

**उपभोक्ता कल्याण कोष का उपयोग**

**725. श्री रघुनाथ झा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता कल्याण कोष में कितनी कायिक निधि है;

(ख) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सी.डब्ल्यू.एफ. के अंतर्गत निर्धारित कायिक निधि का उपयोग करने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित और उपयोग की गई एवं इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 1994-95 से उक्त योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को जारी की गई धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकारी धनराशि के उल्लंघन और दुरुपयोग के आकलन हेतु कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) 28.2.2008 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता कल्याण कोष की कुल जमा निधि 91,86,58,000 है।

(ख) और (ग) सूचना नीचे दी गई है:

| वर्ष | उपलब्धि राशि (बजट अनुमान) | प्रयुक्त राशि |
|---|---|---|
| 2004-05 | 19,57,00,000 | 17,42,95,000 |
| 2005-06 | 31,50,00,000 | 8,51,14,000 |
| 2006-07 | 9,85,00,000 | 6,71,56,354 |
| 2007-08 | 18,26,00,000 | 7,61,64,328 (28.2.2008 तक) |

कम उपयोग निम्नलिखित कारणों से हुआ:

(1) व्यावहारिक परियोजनाएं पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हुई;

(2) राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष और उपभोक्ता क्लब बनाने के लिए प्रस्ताव सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए।

(घ) से (च) जिन विभिन्न स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को 1994-95 से अनुदान रिलीज किया गया था उनसे अनुदान के उपयोग के संबंध में 113 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षा थी; इन संगठनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। इसके कारण 28.2.2008 की स्थिति के अनुसार, बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या घटकर अब 81 रह गई है।

**गरूड़ और डॉल्फिन मोबाइल सेवा**

**726. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही गरूड़ और डॉल्फिन मोबाइल सेवाएं वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में निजी क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में लोकप्रिय नहीं हो पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी धीमी प्रगति के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) जी, नहीं। एमटीएनएल की मोबाइल संचार सेवा (जीएसएम) से संबंधित डॉल्फिन वैश्विक प्रणाली काफी लोकप्रिय रही है। दिनांक 31.1.2008 की स्थिति के

अनुसार एमटीएनएल के गरूड़ और डॉल्फिन नेटवर्क की स्थिति निम्नानुसार है:

| प्रकार | क्षमता | कार्यरत कनेक्शन |
|---|---|---|
| डॉल्फिन (प्री पेड और पोस्ट पेड) | 23,50,000 | 30,13,199 |
| कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) | 10,61,500 | 2,74,106* |

*इसके अंतर्गत गरूड तथा वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) (स्थिर) शामिल है।

अत: यह देखा जा सकता है कि डॉल्फिन क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाता है। दूसरे, एमटीएनएल का डॉल्फिन कनेक्शन पिछले चार वर्षों (1.4.2003 से 31.3.2007 तक) में बढ़कर 72% हो गई है जबकि भारती, आइडिया, हच (अब वोडाफोन) के कनेक्शनों में इसी अवधि के दौरान क्रमश: 213%, 280% और 172% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, एमटीएनएल ने जीएसएम सेवाएं 2001 में ही आरम्भ की जबकि निजी प्रचालक यह सेवा 1995 से प्रदान करते रहे हैं। इसके बावजूद जीएसएम में एमटीएनएल का मार्केट शेयर 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार 2.56% से बढ़ाकर 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार 17% (लगभग) हो गया है।

एमटीएनएल अब दिल्ली तथा मुम्बई में मांग को पूरा करने के लिए अपने डॉल्फिन नेटवर्क का 31.3.2008 तक 750 हजार लाइनों तक विस्तार कर रहा है। यह उपकरण परीक्षण की उन्नत अवस्था में है।

एमटीएनएल की गरूड़ (सीडीएमए) सेवा में भी तेजी आ रही है और एमटीएनएल अब प्रतिदिन लगभग 450 डब्ल्यूएलएल कनेक्शन प्रदान कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

**बी.एस.एन.एल. में हड़ताल**

**727. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. कर्मचारी यूनियन और संघ के संयुक्त मंच ने लाभ अर्जित करने वाली एक कंपनी, बी.एस.एन.एल. में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी कम करने के सरकार के निर्णय का घोर विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ 26 फरवरी, 2008 से बी.एस.एन.एल. में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान भी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बीएसएनएल के गैर-कार्यपालकों और कार्यपालकों के बीएसएनएल यूनियनों/संघों के संयुक्त फोरम ने दिनांक 26 फरवरी, 2008 से बीएसएनएल में अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया था। सचिव (दूरसंचार) ने दिनांक 19 फरवरी, 2008 को संयुक्त फोरम के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तथा उन्हें यह बताया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) हेतु तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। अत: संयुक्त फोरम ने प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को आस्थगित कर दिया है।

**हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक बीमा योजना**

**728. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में व्यापक बीमा योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने हथकरघा बुनकरों को शामिल किया गया है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** स्वास्थ्य बीमा योजना और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 10वीं योजना के वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान संचालित थी। विगत तीन वर्षों के दौरान कवर किये गये बुनकरों की संख्या इस प्रकार है:

(क) स्वास्थ्य बीमा योजना

| अवधि | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|
| नवंबर, 2005 से जुलाई, 2006 | 297558 |
| अगस्त, 2006 से नवंबर, 2007 | 401127 |
| नवंबर, 2007 से जनवरी, 2008 | 980976 |

(ख) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

| अवधि | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|
| 2005-06 | 196337 |
| 2006-07 | 403514 |
| 2007-08 (जनवरी, 2008 तक) | 359989 |

(2) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना 2007-08 (नवंबर, 2007) से ही संचालित है और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के घटकों के साथ 11वीं योजना की पूर्ण अवधि के दौरान जारी रहेगी। जनवरी, 2008 तक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 9.81 लाख बुनकरों तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत 3.60 लाख बुनकरों को हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

(3) इन योजनाओं के संचालन के दौरान इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 2005-06 और 2006-07 तथा नवम्बर, 2007 से जनवरी, 2008 तक की अवधि के दौरान कवर किए गए बुनकरों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

| राज्य का नाम | महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना | | | स्वास्थ्य बीमा योजना | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005-06 | *2006-07 | *2007-08 (जनवरी, 08 तक) | 2005-06 | *2006-07 | 2007-08 (जनवरी, 08 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आंध्र प्रदेश | 14238 | 89293 | 49025 | 54253 | 34831 | – |
| अरुणाचल प्रदेश | – | – | – | 1474 | 2133 | 12318 |
| असम | 3123 | 13017 | 10616 | – | – | 336033 |
| बिहार | – | 738 | 3413 | – | – | – |
| छत्तीसगढ़ | – | 1223 | 1166 | 1191 | 82 | – |
| दिल्ली | – | – | – | 215 | – | – |
| गुजरात | 804 | 2735 | 26 | 1013 | 1170 | – |
| हरियाणा | – | 189 | – | – | – | – |
| हिमाचल प्रदेश | 3505 | 1426 | 280 | 1929 | 316 | – |
| जम्मू व कश्मीर | 366 | 520 | 231 | 400 | 89 | – |
| झारखंड | – | – | – | 11000 | 661 | 18830 |
| कर्नाटक | 4220 | 18746 | 23433 | 18007 | 20000 | – |
| केरल | 1711 | 7263 | 706 | 5699 | 4703 | – |
| मध्य प्रदेश | 1692 | 1883 | 972 | 1522 | 822 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 5631 | 368 | 59 | 17 | – | – |
| मणिपुर | – | – | – | 725 | 7455 | 14883 |
| उड़ीसा | 20505 | 8282 | 7386 | 14011 | 21331 | 34105 |
| राजस्थान | 2405 | 3790 | 2132 | 2292 | 2395 | – |
| तमिलनाडु | 117724 | 193611 | 217220 | 141045 | 143890 | – |
| त्रिपुरा | – | – | – | 599 | 62 | 16036 |
| उत्तर प्रदेश | 16016 | 17165 | 7600 | 27101 | 88372 | 381796 |
| उत्तराखंड | 411 | 766 | 293 | 3300 | 5299 | – |
| पश्चिम बंगाल | 3986 | 42499 | 35431 | 11765 | 67516 | 166975 |
| कुल | 196337 | 403514 | 359989 | 297558 | 401127 | 980976 |

*भर्ती बुनकरों की संख्या में नवीकरण की संख्या भी शामिल है।

**भागीदारी अनुसंधान कार्यक्रम**

729. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:**
**श्री नवीन जिन्दल:**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जल वर्ष, 2007 के एक भाग के रूप में एक किसान भागीदारी अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता हासिल हुई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के आगामी वर्ष में जारी रहने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कितने गांवों को शामिल किया जाएगा;

(ङ) जल संसाधनों के विकास के लिए ग्यारहवीं योजना में प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल, फसल और उनके प्रकार, कृषि संबंधी विधियों, मृदा पोषकों और औजारों के बीच सहक्रिया के माध्यम से कृषि की बढ़ती हुई उत्पादकता और मुनाफे के लिए किसानों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से 24.4685 करोड़ रुपये की लागत से 63 अभिज्ञात संस्थानों के माध्यम से 2 से 3 फसल मौसमों में 5,000 कार्यक्रमों का कार्यान्वयन स्वीकृत किया है।

(ङ) और (च) ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में महत्वपूर्ण मुख्य कार्यक्रम के रूप में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम; जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार; कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन तथा बाढ़ प्रबंधन की पहचान की गई है जिसके लिए उपयुक्त परिव्यय बनाए गए हैं।

**एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत भुगतान**

730. **श्री अमिताभ नन्दी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के अंतर्गत किसानों को अदा किये जाने वाले मुआवजे में केन्द्र सरकार के हिस्से को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न फसलों की वर्तमान प्रीमियम दर को कम करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्कीम के प्रावधान के अनुसार प्रीमियम की बीमांकिक दरें वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए प्रभारित की जा रही हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य और वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न होती हैं। कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत उच्च प्रीमियम दर पर विचार करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि कपास फसल की प्रीमियम दर को कम किया जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि बीमांकिक दरें मानक प्रणाली वर्गीकरण के आधार पर तैयार की जाती हैं जिसे मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता।

**किसानों के लिए नई प्रौद्योगिकियां**

**731. श्री के. सुब्बारायण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन किसानों के प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है, जिनके लिए बीज, उर्वरक और जैव संवर्धित (जी.एम.) प्रौद्योगिकी सहित नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का आकलन कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रफल की भूमि धारण करने वाले किसानों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 2003 की रिपोर्ट सं. 499 में निम्नलिखित का उल्लेख है:

"केवल तीन स्रोत ही ऐसे थे जिन तक 10% से अधिक कृषक परिवार पहुंचे; "अन्य प्रगामी किसान" (16.7%), "आदान डीलर" (13.1%) और रेडियो (13.0%)। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी पर जानकारी के स्रोत के रूप मे टेलीविजन 9.3% परिवारों के लिए तथा समाचार पत्र 7.0% परिवारों के लिए कार्य करता है। जबकि 5.7% परिवारों को विस्तार कार्मिकों से जानकारी मिली, वहीं 3.6% को प्राथमिक सहकारी समितियों से जानकारी मिली। लगभग 2% कृषिक परिवारों के लिए परिणाम क्रेताओं/खाद्य संसाधकों, ग्रामीण मेलों, सरकारी प्रदर्शनों तथा ऋण एजेंसियों द्वारा जानकारी के स्रोत के रूप में सेवा दी गई। कृषक परिवारों जो आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(घ) कृषि संगणना, 2000-01 के अनुसार 159394258 हैक्टे. क्षेत्र से 11.99 करोड़ भू-जोत है। विभिन्न भू-जोतों के साथ फार्म परिवारों का ब्यौरा विवरण-II पर है।

***विवरण I***

*आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले कृषक परिवारों का स्रोतवार प्रतिशत*

| स्रोत | परिवारों का प्रतिशत |
|---|---|
| प्रशिक्षण में भागीदारी | 0.9 |
| कृषि विज्ञान केन्द्र | 0.7 |
| विस्तार कार्मिक | 5.7 |
| टेलीविजन | 9.3 |
| रेडियो | 13.0 |
| अखबार | 7.0 |
| ग्राम मेला | 2.0 |
| सरकारी प्रदर्शन | 2.0 |
| आदान डीलर | 13.1 |
| अन्य प्रगामी किसान | 16.7 |
| किसानों के अध्ययन दौरे | 0.2 |
| परा-तकनीकीविद/निजी एजेंसी/एनजीओ | 0.6 |
| प्राथमिक सहकारी समिति | 3.6 |
| परिणाम क्रेता/खाद्य संसाधक | 2.3 |
| ऋण एजेंसी | 1.8 |
| अन्य | 1.7 |
| अन्य स्रोत | 40.4 |

*विवरण II*

*कृषि संगणना, 2000-01*
*सारणी-भू-जोतों के आमाप वर्ग की संख्या एवं क्षेत्रफल*
*सामाजिक समूह-सभी सामाजिक समूह*

अखिल भारत

जेंडर कुल संपूर्ण पूर्ण इकाई में (क्षेत्रफल हैक्टे. में)

| क्र.सं. | जोतों का आमाप (हैक्टे. में) | व्यक्तिगत जोत | | संयुक्त जोत | | उपयोग (व्यक्तिगत+संयुक्त) | | संस्थागत जोत | | कुल जोत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | क्षेत्र | संख्या | क्षेत्र | संख्या | क्षेत्र | संख्या | क्षेत्र | संख्या | क्षेत्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 0.5 से कम | 4478042 | 10673219 | 6340644 | 1635085 | 51120686 | 12308304 | 122289 | 21149 | 51242975 | 12329453 |
| | | (87.39) | (86.57) | (12.26) | (13.26) | (99.76) | (99.83) | (0.24) | (0.17) | (100) | (100) |
| | | [43.10] | [8.06] | [40.36] | [6.49] | [42.74] | [7.81] | [44.95] | [1.17] | [42.74] | [7.74] |
| 2. | 0.5-1.0 | 20882989 | 15110503 | 3228741 | 2340189 | 24111730 | 17450692 | 35413 | 26491 | 24147143 | 17477182 |
| | | (86.48) | (86.46) | (13.37) | (13.39) | (99.85) | (99.85) | (0.15) | (0.15) | (100) | (100) |
| | | [20.10] | [11.41] | [20.55] | [9.28] | [20.16] | [11.07] | [13.02] | [1.47] | [20.14] | [10.96] |
| 3. | 1.0-2.0 | 19840155 | 28098638 | 2811579 | 3980165 | 22651734 | 32078803 | 34833 | 48978 | 22686567 | 32127780 |
| | | (87.45) | (87.46) | (12.39) | (12.39) | (99.85) | (99.85) | (0.15) | (0.15) | (100) | (100) |
| | | [19.09] | [21.23] | [17.89] | [15.79] | [18.94] | [20.36] | [12.80] | [2.71] | [18.92] | [20.16] |
| 4. | 2.0-3.0 | 8270901 | 19779922 | 1254190 | 3027315 | 9525091 | 22807237 | 19456 | 46994 | 9544547 | 22854232 |
| | | (86.66) | (86.55) | (13.14) | (13.25) | (99.80) | (99.79) | (0.20) | (0.21) | (100) | (100) |
| | | [7.96] | [14.94] | [7.98] | [12.01] | [7.96] | [14.47] | [7.15] | [2.60] | [7.96] | [14.34] |
| 5. | 3.0-4.0 | 3775876 | 12944264 | 682643 | 2338389 | 448519 | 15282653 | 10787 | 37438 | 4469306 | 15320090 |
| | | (84.48) | (84.49) | (15.27) | (15.26) | (99.76) | (99.76) | (0.24) | (0.24) | (100) | (100) |
| | | [3.63] | [9.78] | [4.34] | [9.28] | [3.73] | [9.70] | [3.97] | [2.07] | [3.73] | [9.61] |
| 6. | 4.0-5.0 | 2203818 | 9741540 | 413533 | 1837413 | 2617351 | 11578953 | 7927 | 34967 | 2625278 | 11613920 |
| | | (83.95) | (83.88) | (15.75) | (15.82) | (99.70) | (99.70) | (0.30) | (0.30) | (100) | (100) |
| | | [2.12] | [7.36] | [2.63] | [7.29] | [2.19] | [7.35] | [2.91] | [1.94] | [2.19] | [7.29] |
| 7. | 5.0-7.5 | 2344047 | 14115364 | 472377 | 2859032 | 2816424 | 16974396 | 10540 | 64860 | 2826964 | 17039254 |
| | | (82.92) | (82.84) | (16.71) | (16.78) | (99.63) | (99.62) | (0.37) | (0.38) | (100) | (100) |
| | | [2.26] | [10.66] | [3.01] | [11.34] | [2.35] | [10.77] | [3.87] | [3.59] | [2.36] | [10.69] |
| 8. | 7.5-10.0 | 900487 | 7657835 | 213741 | 1824768 | 1114228 | 9482603 | 6689 | 57875 | 1120917 | 9540477 |
| | | (80.33) | (80.27) | (19.07) | (19.13) | (99.40) | (99.39) | (0.60) | (0.61) | (100) | (100) |
| | | [0.87] | [5.78] | [1.36] | [7.24] | [0.93] | [6.02] | [2.46] | [3.21] | [0.93] | [5.99] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 10.0-20.0 | 772676 | 10103324 | 220544 | 2959223 | 993220 | 13062547 | 11183 | 157675 | 1004403 | 13220221 |
| | | (76.93) | (76.42) | (21.96) | (22.38) | (98.89) | (98.81) | (1.11) | (1.19) | (100) | (100) |
| | | [0.74] | [7.63] | [1.40] | [11.74] | [0.83] | [8.29] | [4.11] | [8.74] | [0.84] | [8.29] |
| 10. | 20.0 और | 138430 | 4153762 | 74154 | 2409665 | 212584 | 6563427 | 12918 | 1308218 | 225502 | 7871643 |
| | से अधिक | (61.39) | (52.77) | [32.88] | (30.61) | (94.27) | (83.38) | (5.73) | (16.62) | (100) | (100) |
| | | [0.13] | [3.14] | | [9.56] | [0.18] | [4.16] | [4.75] | [72.49] | [0.19] | [4.94] |
| 11. | सभी वर्ग | 103909421 | 132378373 | 15712146 | 25211237 | 119621567 | 157589610 | 272035 | 1804646 | 119893602 | 159394258 |
| | | (86.67) | (83.05) | (13.11) | (15.82) | (99.77) | (98.87) | (0.23) | (1.23) | (100) | (100) |
| | | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] |

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण योग का मिलान नहीं होगा।

वर्गाकार कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ें सभी वर्गों के प्रतिशत हैं।

नगण्य

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ें उनके संगत योग से संबंधित हैं।

**कृषि पार्क**

**732. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में विशेषकर गुजरात में कृषि पार्कों की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कुट्टानाड पैकेज**

**733. डा. के.एस. मनोज:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य के अलपुज्झा जिले की आर्द्रभूमि के कृषि और पारिस्थितिकी संकट के संबंध मे अध्ययन के लिए सरकार द्वारा गठित डा. एम.एस. स्वामीनाथन समिति के प्रस्तावित कुट्टानाड पैकेज को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने कुट्टानाड पैकेज के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) सरकार ने कुट्टानाड वैटलैंड इको-सिस्टम के विकास से संबंधित एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर भारत सरकार और केरल सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श किया है, तथापि इस विषय में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

***विवरण***

*एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन योजना का सारांश*

समेकित कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए फाउंडेशन की रिपोर्ट में अभिज्ञात 15 कार्यों को तीन वर्गों में रखा गया है यथा- पारिस्थितिकीय सुरक्षा, कृषि एवं आजीविका के अवसर तथा अवसंरचना विकास।

**1. पारिस्थितिकीय सुरक्षा**

पारिस्थितिकीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित 5 कार्यों का समूहबद्ध किया गया है:

(1) जल प्लावन क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन

(2) प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय

(3) जलीय खरपतवार की पूर्ण समाप्ति

(4) पश्च जलों (बैकवाटर) में जैव विविधता को शुरू करने के उपाय

(5) स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार

सरकार ने चालू वर्ष में एक प्रमुख पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है और क्षेत्र स्तर के कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए एक नये पर्यावरण विभाग का सृजन किया है। कुट्टानाड क्षेत्र में स्थानीय सरकारों के सहयोग से पर्यावरण प्रबंधन एजेंसी द्वारा और अधिक समन्वित क्रियाकलापों को चलाये जाने का प्रस्ताव है। पम्पाएक्शन योजना के तहत राज्य सरकारों को पहले ही नदियों को साफ करने का काम सौंपा गया है जो वंबानाड झील तक बहती हैं। सफाई प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और अपेक्षा की जाती है कि वंबानाड झील में पम्पा द्वारा छोड़े गये जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा जिससे वंबानाड झील के सकल प्रदूषण में सुधार होगा। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने पहले ही यह कार्यक्रम शुरू कर दिया है जिसका उद्देश्य पेयजल स्रोतों की सफाई करना है। परियोजना क्षेत्र को नये जैविक खेती नीति के तहत लाये जाने का प्रस्ताव है। इससे कीटनाशियों के प्रयोग की जांच में मदद मिलेगी।

स्थानीय सरकारों और पणधारियों के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण में एक समन्वित प्रणाली विकसित की जायेगी ताकि व्यापक और सतत तरीके से प्रदूषण से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।

कृतक जो पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता संबंधी मुद्दों, जलीय खरपतवार की सफाई, जैव विविधता संवर्धन, मेनग्रोव रोपण, वर्षा जल संचयन, तीव्र जागरुकता सृजन और आईईसी कार्यकलापों से संबंधित है, के लिए संकेन्द्रित, सतत और सहभागी दृष्टिकोण की जरूरत है। उस कार्यान्वयन को अपनाने का प्रस्ताव है जो वैज्ञानिक आदानों उत्साहवर्धक पणधारियों की सहभागिता और समय से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। कई सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों, जल प्रतिनिधियों, वैज्ञानिक निकायों, केरल कृषि विश्वविद्यालय, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को कार्यक्रमों की अवधारणा तैयार करने, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में शामिल किया जायेगा।

इन कार्यों को पूरा करने के लिए कुट्टानाड नमभूमि पुनरुद्धार परियोजना के समग्र फार्मेट के अंतर्गत पर्यावरण कार्यदल गठित करना प्रस्तावित है। कार्य दल में गैर-सरकारी अध्यक्ष और एक सरकारी सचिव होगा जो कार्य लीडर होगा। इसके अलावा कार्य लीडर, जो कार्य दल के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा, का समर्थन करने के लिए एक कार्य समर्थन समूह होगा। इसमें अधिकारी वर्ग द्वारा कम से कम विलम्ब और अत्यधिक जन भागीदारी अपेक्षित है।

**2. कृषि और आजीविका अवसर**

इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल कार्य निम्नलिखित को कवर करते हैं:

(1) कुट्टानाड को विशेष कृषि क्षेत्र घोषित करना।

(2) धान को अवसंरचनात्मक समर्थन का भाग।

(3) फसल कलेण्डर अपनाना।

(4) अनुसंधान और विस्तार को बढ़ाना।

(5) आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाना।

(6) नारियल आधारित उद्यम और समेकित कृषि

(7) वेम्बानाड कायल की मात्स्यिकी सम्पदा को बढ़ाने के लिए कार्रवाई।

(8) मत्स्यन अवसंरचना, क्षमता और मछुआरा कल्याण को आगे बढ़ाना।

(9) कृषि पर्यटन।

राज्य सरकार ने कुट्टानाड को विशेष कृषि क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। इसने मंडी आसूचना और प्रौद्योगिकी समर्थन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार फसल कलेण्डर शुरू करेगी तथा कृषि के क्रियाकलापों की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए उपाय करेगी। व्यापक नारियल पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

**3. अवसंरचना विकास**

धान के लिए अवसंरचना समर्थन हेतु शामिल कार्य और संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं निम्नलिखित रूप में

समूहित हैं:

(1) धान की खेती के लिए अवसंरचना विकास।

(2) नदियों, नहरों, नालियों और जल निकायों का पुनरुद्धार।

(3) स्थायी लवणीय जलरोधों का निर्माण।

(4) थाज्ञेरमुक्कोम बराज का आधुनिकीकरण।

(5) थोट्टाप्पाली अधिप्लवन-मार्ग की कुशलता सुधारना।

(6) सी एण्ड डी और रानीचिथिरा ब्लॉक के निकट कायल क्षेत्र में बाढ़ जल को नियंत्रित करना।

(7) एसी नहर का निर्माण

(8) टीएमबी प्रचालन और कायल पारिस्थितिकीय पर अनुसंधान अध्ययन का समर्थन करना।

**क्रियान्वयन व्यवस्था**

राज्य सरकार के सुझाव के अनुसार क्रियान्वयन व्यवस्था निम्नलिखित हैं:

(1) यह सुझाव दिया जाता है कि कार्य क्रियान्वयन के मानिटरन और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाली कुट्टानाड और अलाप्पुझा समृद्धि परिषद की स्थापना की जाए। कुट्टानाड क्षेत्र से मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, जल संसाधन मंत्री एवं अन्य प्रमुख मंत्री तथा इस क्षेत्र के प्रतिनिधि आदि सदस्य होंगे। परिषद परियोजना निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए एक समन्वित कार्यनीति विकसित करेगी। अपेक्षानुसार मध्यावधिक संशोधन भी किये जायेंगे। परिषद कार्य से संबंधित स्थानीय सरकारों के विभिन्न परियोजना कार्यकलापों को भी समन्वित करेगी ताकि समयबद्ध तरीके से परिणाम दिये जा सके। जहां कहीं भी परियोजना निरूपण में विशेष सलाह की अपेक्षा है, राज्य के अन्दर और बाहर से सभी उपलब्ध विशेषज्ञता का भी प्रयोग किया जायेगा।

(2) कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए एक प्रणाली के तहत लाने के लिए सभी संबंधित सरकारी संस्थाओं को समायोजित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा। सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष तथा अन्य पणधारक समिति के सदस्य होंगे। समिति परियोजनाओं के निरूपण में एक तीव्र प्रणाली तैयार करने के लिए क्रियान्वयन में तकनीकी एवं प्रशासनिक मुद्दों पर विचार करेगी। मानिटरिंग करने लायक लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जायेगा। क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिए परियोजना प्रबंध प्रणाली लागू की जावेगी। परियोजनाओं की मानीटरिंग की जांच करने के लिए सभी परियोजनाओं का दृश्य प्रलेखन लागू किया जायेगा।

(3) परियोजना प्रबंध यूनिट जिलाधिकारी के समग्र दिशा-निर्देश में विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए जिले में गठित किये जाने का प्रस्ताव है। कुट्टानाड क्षेत्र में केरल कृषि विश्वविद्यालय के तहत सभी अनुसंधान संस्थायें यथा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, कुमारकोम, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, कायामकुलम तथा चावल अनुसंधान केन्द्र मोमकाम्बू को पीएमवी से जोड़ा जायेगा ताकि कार्यों के लिए तकनीकी सहायता दी जा सके। परियोजना निरूपण एवं कार्यान्वयन में मदद करने के लिए पीएमयू के तहत अलग से तकनीकी सहायता समूह का गठन किया जायेगा। पीएमडी आनलाइन मानीटरिंग प्रणाली लागू करेगी। परियोजना प्रबंधन के व्यावसायिक यूनिट के प्रबंधन के लिए चयनित किये जायेंगे।

(4) क्रियान्वयन योजना में मानीटरिंग के लायक लक्ष्यों और प्रमुख परिणामों की पहचान की गई है।

**यू.एस.ओ. निधि में धनराशि**

**734. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वभौम सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) निधि में धनराशि कर के रूप में एकत्रित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक वार्षिक रूप में उक्त निधि में औसतन कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ग) एकत्रित धनराशि में से औसतन कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(घ) आवंटित धनराशि के लिए किये गये उपयोग का ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, सार्वभौमिक सेवा दायित्व लेवी के रूप में संगृहीत की जा रही है।

(ख) वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से औसतन 3,734.07 करोड़ रु. की राशि संगृहीत की गई थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वभौमिक सेवा दायित्व लेवी के रूप में संगृहीत 3,734.07 करोड़ रु. की औसत राशि में से वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से औसतन 1,527.15 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई।

(घ) आवंटित धनराशि से किये गये उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रु. में)

| वर्ष | आवंटित निधि | वीपीटी का ओ एंड एम | एमएआरआर वीपीटी का प्रतिस्थापन | आरसीपी | सुविधारहित गांवों में वीपीटी | 1.4.2002 से पहले आरडीईएल | 1.4.2002 से 31.3.2005 तक संस्थापित आरडीईएल | 1.4.2005 से 31.3.2007 के बीच संस्थापित आरडीईएल | कुल उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 1314.59 | 65.13 | 72.09 | 0 | 0 | 1062.78 | 114.59 | 0 | 1314.59 |
| 2005-06 | 1766.85 | 83.39 | 108.17 | 31.89 | 29.86 | 0 | 1393.44 | 120.10 | 1766.85 |
| 2006-07 | 1500.00 | 81.54 | 106.19 | 41.72 | 55.40 | 0 | 342.74 | 872.41 | 1500.00 |
| | औसत | | | | | | | | 1527.15 |

संक्षिप्तियों का अर्थ

| | | |
|---|---|---|
| ओ एंड एम | - | प्रचालन और रखरखाव |
| वीपीटी | - | ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन |
| एमएआरआर | - | मल्टी एक्सेस रेडियो रिले |
| आरसीपी | - | ग्रामीण सामुदायिक फोन |
| आरडीईएल | - | ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइन |

*[हिन्दी]*

## पनडुब्बी आई.एन.एस. सिंधु विजय को शामिल किया जाना

**735. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसेना ने पनडुब्बी आई.एन.एस. सिंधु विजय के परीक्षण जांच में विफल होने के पश्चात् इसे अपने बेड़े में शामिल करने से मना कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) भा.नौ.पो. सिंधु विजय को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। मीडियम रिफिट तथा उन्नयन के उपरांत इसकी सुपुर्दगी की प्रतीक्षा है।

*[अनुवाद]*

## अंगूर उत्पादकों द्वारा आत्महत्याएं

**736. श्री के.सी. सिंह "बाबा":** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर महाराष्ट्र में भारी ऋण के कारण अंगूर उत्पादकों द्वारा आत्महत्याएं करने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) किसानों द्वारा आत्महत्याओं की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण जैसाकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, संलग्न है। राज्य सरकारों, विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार ने विशिष्ट रूप से अंगूर उत्पादकों द्वारा कोई आत्महत्या की सूचना नहीं दी है। जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, मोटे तौर पर किसानों द्वारा आत्महत्या के कारण फसल न होना, ऋण ग्रस्तता, सूखा, सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा है।

किसानों द्वारा आत्महत्या की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों के 31 जिलों के लिए 16878.69 करोड़ रुपये की राशि का एक पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया है। पैकेज में लघु अवधि और दीर्घ अवधि के उपाय हैं जो जुलाई 2006 से क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण राहत, संस्थागत ऋण की उन्नत आपूर्ति, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार और कृषि सहायता सेवाओं और सहायक आय के अवसरों के माध्यम से सतत तथा व्यवहार्य कृषि तथा आजीविका सहायता प्रदान करना है।

किसानों की समस्याओं का समाधान करने और कृषि क्षेत्र के पुन: सक्रियकरण के लिए सरकार ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान क्रमश: 4882.48 और 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय पर देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने और राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दो नई स्कीमों नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को शुरू की है ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र स्कीमों की योजना और निष्पादन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की जा सके। इसके अलावा बजट 2008-09 में घोषित पहलों/कार्यक्रमों सहित कई पहल, प्लान स्कीमें और कार्यक्रम शुरू किये गये हैं ताकि किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा सके।

**विवरण**

*राज्य सरकारों से प्राप्त किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों का विवरण (14.2.2008 तक)*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अवधि | संख्या (राज्य सरकारों द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों पर आधारित) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2004 | 1251 | |
| | | 2005 | 632 | |
| | | 2006 | 514 | |
| | | 2007 (30.6.2007 तक) | 142 | |
| 2. | कर्नाटक | 2004-05 | 271 | |
| | | 2005-06 | 163 | |
| | | 2006-07 | 320 | |
| | | 2007-08 (10.7.2007 तक) | 73 | |
| 3. | महाराष्ट्र | 2004 | कुल | विदर्भ |
| | | 2005 | 632 | 441 |
| | | 2006 | 595 | 431 |
| | | 2007 | 2355 | 1448 |
| | | 2008 (जनवरी 2008 तक) | 1985 | 1230 |
| | | | 110 | 72 |
| 4. | केरल | 2001 से 2006 | 841 | |
| | | 2007 (31.10.2007 तक) | 64 | |
| 5. | तमिलनाडु | 2006-07 (मार्च, 2007 तक) | 26 | |
| 6. | पंजाब* | 2004 | 11 | |
| | | 2005 | 6 | |
| | | 2006 | 3 | |
| 7. | गुजरात | 2004 | 7 | |
| | | 2005 | 125 | |
| | | 2006 | 149 | |

*पंजाब की कपास बेल्ट से संबंधित राज्य सरकार के पत्र सं. 4/39/06 कृषि 2(10)/7257 दिनांक 21.3.2006 के तहत सूचना दी गई। पंजाब सरकार ने अपने पत्र सं. 4/15/07-कृषि 2(10)/3943 दिनांक 11.5.2007 के तहत भी सूचित किया है कि ऋण भार के कारण किसानों की आत्महत्या की संख्या वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 में क्रमश: 2, शून्य और 3 और 3 थी।

टिप्पणी: राज्यों नामत: उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, गोवा, हरियाणा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और सभी केन्द्र शासित प्रदेशों से शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**

**737. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितनी फसलें शामिल हैं:

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत कुछ अन्य बारहमासी फसलों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न, दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर करती है।

बारहमासी बागवानी फसलों को उनकी विशेष प्रकृति और पिछले पैदावार संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण स्कीम के तहत अभी तक कवर नहीं किया गया है। तथापि मौजूदा फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए इस विभाग द्वारा गठित संयुक्त दल ने अन्य बातों के साथ-साथ बारहमासी बागवानी और वनस्पति फसलों को एक पृथक स्कीम के रूप में बीमा कवरेज प्रदान करने की सिफारिश की है। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (एआईसी) जो कि एक कार्यान्वयन एजेंसी है, ने काफी बीमा, आम बीमा, रबर बीमा, नारियल बीमा, सेब बीमा आदि जैसी कुछ फसल विशिष्ट बीमा स्कीमों को तैयार किया है और उनको कार्यान्वित कर रही है।

*[हिन्दी]*

**गन्ना उत्पादकों को नुकसान**

**738. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने का उत्पादन करने वाले किसान कम कीमतों के कारण कठिनाइयां झेल रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान भरपूर फसल होने के पश्चात् उनके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा उनके पास ही, बिके बिना ही पड़ा रह गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गन्ना उत्पादकों की पूरी उपज को खरीदने और उनके लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) गन्ना उत्पादकों की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) गत गन्ना मौसम 2006-07 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन तथा गन्ना इन्वेंट्री व चालू गन्ना मौसम 2007-08 हेतु संभावित उच्च गन्ना उत्पादन का परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों में गिरावट के रूप में सामने आया है जिससे चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को गन्ने का सामयिक प्रोत्साहनात्मक मूल्य भुगतान करने में बाधा उत्पन्न हुई।

(घ) सरकार ने चीनी उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें:

* दिनांक 1.5.2007 से 30.4.2008 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन का बफर स्टॉक सृजित किया गया है तथा दिनांक 1.8.2007 से 31.8.2008 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 30 लाख टन का अतिरिक्त बफर स्टॉक सृजित किया गया है।

* 19 अप्रैल, 2007 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए आंतरिक परिवहन, विपणन तथा संचालन प्रभारों तटीय राज्यों में स्थित चीनी कारखानों के लिए 1350 रुपये प्रति टन एवं गैर-तटीय राज्यों में स्थित चीनी कारखानों के लिए 1450 रुपये प्रति टन की दर से सामुद्रिक व्यय (जो पड़ोसी देशों को सड़क/रेल द्वारा निर्यात हेतु वास्तविक व्यय पर निर्भर करता है) चुकाने के लिए निर्यात सहायता भी प्रदान की जा रही है।

* 31 जुलाई, 2007 से प्रभावी 30.9.2008 तक निर्यात के उद्देश्य से अवमुक्ति आदेश प्राप्ति की आवश्यकता से छुटकारा प्रदान किया गया है। इससे चीनी मिलों को शीघ्रता से निर्यात में मदद मिलेगी व उनकी तरलता स्थिति में सुधार होगा।

* सितम्बर, 2005 में घोषित 1.4.2005 को बकाया अवधि के ऋणों पर सहकारी चीनी कारखानों के लिए ऋण

स्थगन का विस्तार 2 वर्ष से 5 वर्ष तक करने के लिए तथा पूर्व के पैकेज में शामिल नहीं किये गये सहकारी चीनी कारखानों को शामिल करने के लिए एक निर्णय लिया गया है।

* केन्द्रीय सरकार ने एक विशेष योजना जिसका शीर्षक "चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना-2007" है, के अंतर्गत चीनी मिलों-निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र को बैंकों से ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

*[अनुवाद]*

**डाकघर के माध्यम से दवाइयों की बिक्री**

**739. श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ भेषज कंपनियों ने सरकार से देश में डाकघरों के माध्यम से दवाइयों की बिक्री करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न स्रोतों से डाक विभाग के राजस्व में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) से (ग) कुछ कंपनियों ने अपने हर्बल तथा औषधीय उत्पादों को डाकघरों के माध्यम से बेचने के प्रयोजन से विभाग से संपर्क किया है। सर्किलों ने उन कंपनियों के उत्पादों की बिक्री के लिए व्यवस्था की है। व्यवस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) डाक विभाग अपनी डाक सेवाओं के अलावा कुछेक चुनिंदा सेवाओं की पेशकश कर रहा है ताकि मौजूदा नेटवर्क का विस्तार एवं बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग हो सके। ये सेवाएं मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:

(1) विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से बिजनेस कॉरिस्पाडेंट स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है।

(2) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से स्व-सहायता ग्रुपों तक माइक्रो क्रेडिट वितरण का विस्तार करने का कार्य भी प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है।

(3) विभाग ने रेल मंत्रालय के सहयोग से यात्री आरक्षण सेवा शुरू की है।

(4) विभाग ग्राहकों को दूरसंचार कंपनियों एवं अन्य उपभोक्ता सेवा प्रदाताओं के विभिन्न बिलों के भुगतान की सुविधा हेतु प्लेटफार्म प्रदान कर रहा है।

(5) विभाग यूटीआई, भारतीय स्टेट बैंक, फ्रैंकक्लिन टेंपलटन, रिलायन्स म्युचुअल फंड आदि की ओर से म्युचुअल फंड आदि वित्तीय लिखतों का वितरण कर रहा है। विभाग ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. के गैर जीवन बीमा उत्पादों का भी वितरण कर रहा है।

(6) विभाग अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण सेवा के माध्यम से 205 देशों से भेजे गये धन को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

(7) कुछ राज्यों में डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के लाभार्थियों के लिए मजदूरी का वितरण किया जाता है।

(8) डाक विभाग द्वारा कुछ राज्यों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान का कार्य शुरू किया जा रहा है।

***विवरण***

*भेषज कंपनियों से गठबंधन का ब्यौरा*

| क्र.सं. | सर्किल का नाम | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3.12.2007 से सर्किल के सभी प्रधान डाकघरों के माध्यम से डा. के. गोपालराजू के पुत्तूर तैलम की बिक्री के लिए मैसर्स श्रीराम गोपालराजु फार्मा (पी) लि., पुत्तूर से समझौता। |
| 2. | महाराष्ट्र | सर्किल के मुंबई क्षेत्र के 125 डाकघरों के माध्यम से मैसर्स हर्बोलैब (आई) पी लि. की हर्बल औषधियों की बिक्री का कार्य किया जा रहा है। |
| 3. | उत्तराखंड | सर्किल के शाखा डाकघरों के माध्यम से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की दिव्य योग फार्मेसी के हर्बल उत्पादों की परीक्षण आधार पर बिक्री। |

**सेल्यूलर टावरों की स्थापना पर प्रतिबंध**

**740. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के शहरों और कस्बों में सेल्यूलर टावरों की तेजी से हो रही स्थापना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेस स्टेशनों से निकलने वाली रेडियो तरंगों द्वारा लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार विद्यालयों, अस्पतालों के लिए और विशाल रिहायशी भवनों की छतों पर सेल्यूलर टावरों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) मोबाइल सेवाओं की संवृद्धि के प्रयोजनार्थ, देश में पर्याप्त अवसंरचना/टॉवरों की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मई, 2006 के अद्यतन तथ्यपरक दस्तावेज संख्या 304 में यह उल्लेख किया गया है कि अब तक प्राप्त सभी साक्ष्यों के आधार पर, बेस स्टेशनों द्वारा निर्मित आरएफ संकेतों से होने वाले किसी प्रतिकूल अल्प या दीर्घ-आवधिक स्वास्थ्य प्रभावों के पड़ने के बारे में नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के आदेशों के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया ताकि मोबाइल फोन टावरों से निकलने वाले विकिरणों के प्रभावों एवं तत्संबंधी पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। समिति ने प्रभावों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकला कि मोबाइल बेस स्टेशनों से आरएफ सिग्नलों के स्वास्थ्य संबंधी प्रत्यक्ष कुप्रभावों को दिखाने के लिए समग्रत: पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के एंटिस शोरूमों का पुनरुद्धार**

**741. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के एंटिस शोरूमों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन.टी.सी. के मौजूदा एंटिस शोरूमों के पुनरुद्धार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) से (ग) जी, हां। एनटीसी ने चरणबद्ध तरीके से अपने 100 शो रूम को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया है। राज्यवार विवरण में दिये गये हैं:

***विवरण***

*12.2008 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार/राज्यवार शोरूम की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | शोरूम की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **दक्षिणी क्षेत्र** | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 |
| 2. | तमिलनाडु | 22 |
| 3. | कर्नाटक | 7 |
| 4. | केरल | 4 |
| | **पश्चिमी क्षेत्र** | |
| 5. | महाराष्ट्र | 15 |
| 6. | गुजरात | 3 |
| | **अन्य** | |
| 7. | दिल्ली | 11 |
| 8. | हरियाणा | 3 |
| 9. | चंडीगढ़ (यूटी) | 1 |
| 10. | पंजाब | 1 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 2 |
| 12. | राजस्थान | 8 |
| 13. | हिमाचल | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. | मध्य प्रदेश | 2 |
| 15. | झारखंड | 2 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 7 |
| 17. | उड़ीसा | 2 |
| 18. | असम | 1 |
| 19. | बिहार | 6 |
| | अन्य | 100 |

*[हिन्दी]*

**दुग्ध उत्पादन**

**742. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:**
**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वर्तमान में दुग्ध के उत्पादन और खपत की अलग-अलग मात्रा के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इसके फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के जरिये राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करता है:

(1) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(2) गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

(3) सहकारिताओं को सहायता

(4) डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष

(घ) और (ङ) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान डेयरी सहकारिताओं द्वारा दूध की खरीद निम्नानुसार रही है:

| वर्ष | दुग्ध खरीद (लाख किलो प्रतिदिन में) |
|---|---|
| 2004-05 | 200.70 |
| 2005-06 | 215.50 |
| 2006-07 | 216.90 |

***विवरण II***

*राज्यवार दूध का वार्षिक उत्पादन (000 टन में) तथा प्रतिव्यक्ति मासिक उत्पादन (लीटर में)*

| क्र.सं. | राज्य | वार्षिक उत्पादन '000 टन में (2006-07) | प्रति व्यक्ति मासिक खपत* (लीटर में) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ग्रामीण | शहरी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7939 | 3.051 | 4.375 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 49# | 0.634 | 1.471 |
| 3. | असम | 751 | 1.31 | 1.998 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 5450 | 2.978 | 3.814 |
| 5. | छतीसगढ़ | 849 | 0.667 | 2.989 |
| 6. | गोवा | 57 | 3.193 | 3.92 |
| 7. | गुजरात | 7533 | 4.975 | 6.702 |
| 8. | हरियाणा | 5367 | 13.126 | 9.585 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 872 | 8.72 | 8.166 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 1400# | 8.017 | 8.313 |
| 11. | झारखंड | 1401 | 1.442 | 3.935 |
| 12. | कर्नाटक | 4124 | 3.299 | 4.866 |
| 13. | केरल | 2119 | 2.822 | 3.656 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 6375 | 3.413 | 4.326 |
| 15. | महाराष्ट्र | 6978 | 2.727 | 4.393 |
| 16. | मणिपुर | 77 | 0.172 | 0.333 |
| 17. | मेघालय | 75 | 0.769 | 1.914 |
| 18. | मिजोरम | 16 | 0.395 | 1.815 |
| 19. | नागालैंड | 67# | 0.291 | 0.867 |
| 20. | उड़ीसा | 1431 | 0.779 | 2.246 |
| 21. | पंजाब | 9168 | 1.1545 | 10.574 |
| 22. | राजस्थान | 9375 | 9.498 | 7.379 |
| 23. | सिक्किम | 49 | 5.568 | 4.918 |
| 24. | तमिलनाडु | 5560 | 2.48 | 4.823 |
| 25. | त्रिपुरा | 89 | 1.069 | 2.113 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 18095 | 4.637 | 5.1 |
| 27. | उत्तराखंड | 1213 | 6.599 | 6.398 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3982 | 1.453 | 2.59 |
| 29. | अंडमान एवं निको. द्वी.सं. | 23 | 1.447 | 1.578 |
| 30. | चंडीगढ़ | 46 | 8.182 | 10.459 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | दादर एवं नगर हवेली | 5# | 0.866 | 5.691 |
| 32. | दमन एवं दीव | 1# | 4.549 | 4.827 |
| 33. | दिल्ली | 289 | 6.539 | 8.204 |
| 34. | लक्षद्वीप | 2 | 0.216 | 0.269 |
| 35. | पांडिचेरी | 45 | 2.917 | 4.883 |
| | अखिल भारत | 100869 | 3.866 | 5.107 |

#अनंतिम

*राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 2004-05

*[अनुवाद]*

**डाक विभाग में घाटा**

**743. श्री नवीन जिन्दल:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों से और चालू वर्ष के दौरान डाक विभाग को घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बेहतर कार्यक्षमता वाली निजी कुरियर सेवाओं के कारण डाक विभाग के राजस्व में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो कितनी कमी आयी है; और

(ङ) घाटा पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) डाक विभाग की सेवाएं लाभ और हानि के आधार पर नहीं चलाई जा रहीं। डाक विभाग अपनी सेवाएं मुख्य रूप से वैश्विक सेवा दायित्व के आधार पर उपलब्ध कराता है और इसकी अधिकतर सेवाएं देश के ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में जनसाधारण की जरूरतों को पूरा करने हेतु भारी सब्सिडी प्राप्त हैं। अत: इस प्रक्रिया में विभाग द्वारा अर्जित राजस्व व्यय की तुलना में कम रह जाता है और इसीलिए राजस्व का घाटा होता है।

(ख) विभाग का राजस्व घाटा निम्नानुसार है:

| वर्ष | राशि करोड़ में |
|---|---|
| 2005-06 | 1209.88 |
| 2006-07 | 1249.52 |

वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन 2007-2008 में विभाग का प्रत्याशित/प्रावधानित राजस्व घाटा 1291.34 करोड़ रु. है।

विभाग को हुए घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(1) लगभग 89 प्रतिशत व्यय अनिवार्य मदों जैसे कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि पर किया जाता है।

(2) अधिकतर डाक सेवाओं की दरें जनसाधारण की जरूरतों को पूरा करने हेतु भारी सब्सिडी प्राप्त हैं क्योंकि विभाग अनेक सेवाएं सरकार की नीति के अनुसार वैश्विक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए प्रदान करता है।

(ग) और (घ) विभाग द्वारा किये गये एक बाजार सर्वेक्षण के अनुसार एक्सप्रेस मेल उद्योग में प्रमुख निजी कंपनियों की तुलना में स्पीड पोस्ट का हिस्सा 27.55% है। हालांकि, एक्सप्रेस मेल उद्योग की प्रमुख निजी कंपनियों की तुलना में स्पीड पोस्ट का हिस्सा 27.55% है। हालांकि, एक्सप्रेस मेल उद्योग की प्रमुख निजी कंपनियां मुख्य रूप से कॉरपोरेट वर्ग और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करती हैं।

(ङ) विभाग नए उत्पादों की शुरुआत, बाजार विकास संबंधी कार्यकलापों और ग्राहकोन्मुखी योजनाएं बनाकर राजस्व में वृद्धि

करने के उपाय करता रहा है। प्रीमियम सेवा के रूप में स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट आदि में लगातार वृद्धि हो रही है। डाक विभाग अपने विशाल नेटवर्क का वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के एजेंसी कार्य की रिटेलिंग के रूप में भी इस्तेमाल करके विभाग के राजस्व में वृद्धि कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने त्वरित मनीऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण जैसी मूल्यवर्द्धित धनांतरण सेवाओं को अपनी सेवा सूची में शामिल किया है।

*[हिन्दी]*

**स्पैक्ट्रम का उपयोग**

744. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
**श्री कीरेन रिजीजू:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय निजी दूरसंचार कंपनियां उन्हें पहले आवंटित स्पैक्ट्रम का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उक्त कंपनियों ने पुन: स्पैक्ट्रम आवंटन के लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसी कंपनियों को और स्पैक्ट्रम के आबंटन हेतु कोई नीति बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) से (च) मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके संबंधित सेवा लाइसेंस करारों के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है। सभी आपरेटरों को सलाह दी गई है कि वे आवंटित स्पेक्ट्रम का कुशल और इष्टतम उपयोग करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकीय समाधान का प्रयोग करें।

इसके अलावा, आवंटित स्पेक्ट्रम का इष्टतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, प्रारंभिक आवंटन के अलावा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु विभिन्न संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर आवश्यक मानदंड बनाए गए हैं/समय-समय पर उनकी समीक्षा की गई है।

अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन उपभोक्ता आधारित पात्रता मानदंड को ध्यान में रखकर और साथ ही स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन सेवा प्रदाता के अनुरोध के अनुसार किया जाता है।

**किसानों को लाभकारी मूल्य**

745. **श्री वी.के. दुग्मर:**
**श्री संतोष गंगवार:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण तथा उपयुक्त विपणन सुविधाओं की उपलब्धता के अभाव में देश के अधिकांश किसान अपनी उपज लाभकारी मूल्यों पर नहीं बेच पाते;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसानों को उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) 2004-05 के दौरान पूरे देश में कुछ फसलों के लिए बाजार लाभों पर एक अध्ययन किया गया था, तथा यह पाया गया था कि उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का अंश धान/चावल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 81.49 प्रतिशत से कर्नाटक में 61.79 प्रतिशत तक भिन्न था। गेहूं के लिए यह अंतर राजस्थान में 85.73 प्रतिशत से कर्नाटक में 62.47 प्रतिशत तक है। सरकार प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती हैं, ताकि किसान अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छी कीमतें देने हेतु कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम भी संशोधित किया गया है।

**डाक कार्य की मात्रा में कमी**

746. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री काशीराम राणा:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि डाक विभाग द्वारा किये जाने वाले डाक कार्य की मात्रा में की आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पर्याप्त कार्य के अभाव में बेकार हुए कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) डाक विभाग के सिकुड़ते नेटवर्क के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) इस विषय पर डाक विभाग द्वारा विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि कार्य की मात्रा से संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ क्षेत्रों में कार्य की मात्रा में कमी, परन्तु अन्य क्षेत्रों में वृद्धि दर्शाती है। साधारण डाक की मात्रा विगत वर्षों के दौरान कम हुई है परन्तु स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण डाकघर बीमा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय डाक मात्रा में वृद्धि हुई है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई भी कर्मचारी कार्य के अभाव में बेकार नहीं हुआ है। निर्धारित अंतराल में सभी डाकघरों की आवधिक समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा के दौरान पाए गए अधिशेष कर्मचारियों की पुन: तैनाती ऐसे कार्यालयों में कर दी जाती है जहां आवश्यकता हो। शहरों के विस्तार की प्रक्रिया में कम कार्यभार वाले डाकघरों को नए विकसित क्षेत्रों में पुन:अवस्थित किया जाता है।

(घ) नेटवर्क संकुचित नहीं हो रहा है परन्तु उसके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। विभाग अपनी प्रीमियम सेवाओं जैसे कि स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, ई-पोस्ट, रिटेल पोस्ट, इलैक्ट्रॉनिक अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा इत्यादि से राजस्व वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। नयी सेवाएं प्रदान करने एवं अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने हेतु विभाग के रिटेल नेटवर्क का विस्तार किया गया है।

(ङ) विभाग द्वारा प्रीमियम सेवाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से पिछले तीन वर्षों में अर्जित व्यवसाय राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है जैसाकि नीचे दिया गया है:

(1) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रैस पार्सल पोस्ट बिजनेस पोस्ट इत्यादि

| वर्ष | राजस्व (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 2004-05 | 953.034 |
| 2005-06 | 1198.69 |
| 2006-07 | 1509.46 |

(2) वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण

| वर्ष | लेन-देन की संख्या | राजस्व (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 2004-05 | 354398 | 1103.00 |
| 2005-06 | 898003 | 2159.70 |
| 2006-07 | 2140241 | 4419.57 |

(3) अंतर्राष्ट्रीय डाक (बाहरी)

| वर्ष | ईएमएम मदों की संख्या | पार्सलों की संख्या | पत्र डाक का भार कि.ग्रा. में |
|---|---|---|---|
| 2004 | 640469 | 129641 | 2831375 |
| 2005 | 756228 | 132281 | 2967802 |
| 2006 | 881141 | 166503 | 3126053 |

*[अनुवाद]*

## वधवा समिति की रिपोर्ट

**747. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु गठित वधवा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा विभिन्न राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश**

**प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को प्रभावित करने वाली त्रुटियों की जांच करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय के केंद्रीय सतर्कता समिति को निदेश थे कि आरंभ में दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली के लिए अध्ययन किया जाए जिसका बाद में अखिल भारत आधार पर अनुसरण किया जाए। समिति ने उच्चतम न्यायालय को अगस्त, 2007 में दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 10.1.2008 के आदेश में आदेश दिया है कि केन्द्रीय सतर्कता समिति द्वारा संपूर्ण देश के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया चलाई जाए और उसके बाद उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय सतर्कता समिति के सुझावों और ध्यान में लाई गई कमियों पर विचार करेगा। इस प्रकार केन्द्रीय सतर्कता समिति द्वारा अब तक प्रस्तुत रिपोर्ट केवल दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए है और यह आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों को कवर नहीं करती है। केन्द्रीय सतर्कता समिति की सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सतर्कता समिति द्वारा अब तक प्रस्तुत रिपोर्ट दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए है इसलिए दिल्ली सरकार ने कुछ सिफारिशों पर निर्णय लिए हैं और यह अन्य सिफारिशों की जांच कर रही है। केन्द्रीय सतर्कता समिति की गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी को समाप्त करने अथवा गरीबी रेखा से ऊपर के कवरेज को एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक सीमित रखने के संबंध में दिल्ली सरकार ने सिद्धांत रूप में निर्णय लिया है कि विशिष्ट खाद्य वस्तुओं का वितरण गरीबी रेखा से ऊपर के केवल उन कार्डधारकों तक सीमित कर दिया जाए जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है अथवा जो आयकर दाता नहीं हैं।

केन्द्र सरकार ने 17.1.2008 को इस विषय पर संशोधित नीति जारी करते समय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं का आटा वितरित करने के केन्द्रीय सतर्कता समिति के एक सुझाव पर विचार किया है। केन्द्रीय सतर्कता समिति की अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही है।

***विवरण***

*सिफारिशों का सारांश और विषय-वस्तु*

(1) गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी को समाप्त करना और गरीबी रेखा से नीचे के लिए वार्षिक आय मानदंड को बढ़ाकर 49,284 रुपये करना क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आबंटित अधिकांश खाद्यान्न जो इस श्रेणी के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा उठाया नहीं जाता है का विपथन हो जाता है। इस बात की पूर्ण संभावना है कि उचित दर दुकानों के डीलरों द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी को समाप्त करने के खिलाफ शोरशराबा किया जाएगा और निहितार्थ समूहों द्वारा इसका विरोध किया जाएगा अत: यदि न्यायालय का यह विचार है कि गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी को कुल मिलाकर समाप्त करना संभव अथवा वांछनीय नहीं हो सकेगा तो वह गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी को उन परिवारों तक सीमित करने पर विचार करे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये है।

(2) गरीब परिवारों को शामिल न किए जाने के मामलों को समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की तत्काल पहचान करना।

(3) किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण के जरिए जाली कार्डों को समाप्त करना-इसके अलावा कंप्यूटरीकरण के लिए आंकड़े एकत्र करना।

(4) शून्य उदारता-प्रवर्तन स्कंध और जमाखोरी निरोधक प्रकोष्ठ को मजबूत बनाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के काम में लगे सरकारी कर्मचारियों को जवाबदेह बनाना-खाद्यान्नों के संचलन और वितरण का निरीक्षण करने के लिए उड़न दस्ते बनाना। जब कभी कुछ कदाचारों के कारण कोई उचित दर दुकान सील की जाती है तो इसका लाइसेंस उसी समय निलंबित/रद्द कर दिया जाए। उस उचित दर दुकान से जुड़े राशन कोर्ड धारकों को निकट की उचित दर दुकान अथवा सेवा में लगाई गई मोबाइल वैन में अंतरित कर दिया जाए अथवा पहले से ही चुनी हुई क्षेत्र की किसी किराने की दुकान को अस्थायी रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के वितरण का काम सौंप दिया जाये।

(5) कंप्यूटरीकरण-प्रौद्योगिकी का उपयोग-गतिविधि का कंप्यूटरीकरण किया जाए, जिसमें मानव का न्यूनतम हस्तक्षेप शामिल करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वचालन प्रणाली बनाई जाए। इसमें एक ओर तो उचित दर दुकान तथा उपभोक्ता के बीच तथा दूसरी ओर उचित दर दुकान और खाद्यान्न आपूर्ति अधिकारी के बीच परस्पर व्यवहार का स्वचालन शामिल होगा ताकि उचित दर दुकानों के कार्यकरण को पारदर्शी बनाया जा सके।

(6) हैल्पलाइन स्थापित की जाए।

(7) ई-बैंकिंग-ढुलाई प्रभारों और खाद्यान्नों की लागत के प्रति राशि को उचित दर दुकानों द्वारा बैंक ड्राफ्ट और सर्कल निरीक्षक आदि को सुपुर्द करने की बजाय ईसीएस के जरिए दिया जाए और इस प्रकार कागजी काम से बचा जा सके।

(8) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गेहूं के बजाय विकल्प के आधार पर गेहूं के आटे का वितरण करना-इस बात की जांच करने के लिए कड़े प्रावधान करना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजनार्थ रखे गए अच्छी गुणवत्ता के गेहूं को आटा मिलों आदि द्वारा घटिया गेहूं से बदला न जाये-खुले बाजार में बेचने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बेचने से पहले आवश्यक पोषक तत्वों से पुष्ट आटा ही बेचने के लिए सामान्य अनुदेश दिए जाएं-यह काम हर पहलू में क्रियान्वयन को सुगम बनाने और विपथन तथा लीकेज से बचने के लिए किया जाना चाहिए।

(9) ओमबुडसमैन/नियामक-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की मानीटरिंग करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी सृजित की जाए-मौजूदा प्रणाली निष्क्रिय तथा निष्प्रभावी और भ्रष्ट है।

(10) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यों को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाए-दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास उसके द्वारा तैनात ट्रकों के जरिए खाद्यान्नों का विपथन करने के काम को रोकने के लिए कोई सतर्कता तंत्र अथवा प्रवर्तन एजेंसी नहीं है-इन ट्रकों द्वारा खाद्यान्नों का बहुत बड़ी मात्रा में विपथन होता है।

(11) फूड कूपन-आरंभ में किन्हीं दो सर्कलों में पायलट आधार पर प्रयास किया जाए।

(12) राज्य/जिला स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाए और इन्हें मजबूत बनाया जाए।

(13) कानूनी दायरे को मजबूत किया जाए।

(14) उचित दर दुकानों के लाइसेंसों का आबंटन करने की प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जाए और उचित दर दुकानों के मालिकों के लिए उचित कमीशन का प्रावधान करने के लिए पग उठाए जाएं।

(15) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोक जागरूकता अभियान चलाया जाए। कानूनी सप्ताह देने वाले प्राधिकारियों के साथ मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अदालतें लगाई जाएं-प्रत्येक दो महीने में सर्कलों/मोहल्लों में जनता की बैठकें आयोजित की जाएं-अपेक्षित प्रचार किया जाए-इस काम में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाए।

(16) उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उचित दर दुकानों द्वारा मिट्टी के तेल का वितरण किए जाने (यद्यपि यह भी समान रूप से बेइमान और भ्रष्ट प्रणाली है) पर विचार किया जाए, जैसा कि मुम्बई में किया जा रहा है।

(17) उचित दर दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों पर प्रमुख स्थान पर और दिखाई पड़ने वाले बोर्ड लगाए जाएं।

(18) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए काम में लगाए गए ट्रकों के लिए कठोर मानक शर्तें होनी चाहिएं और ट्रांसपोर्टर द्वारा काम में लगाए गए प्रत्येक ट्रक पर ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली भी लगाई जाए-जैसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों को ले जाने वाला ट्रक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चले तुरंत एसएमएस/फैक्स/मोबाइल फोन/टेलीफोन के जरिए संदेश उस क्षेत्र में सतर्कता समिति के सदस्यों और उचित दर दुकानों को भेज दिया जाए जिसके लिए खाद्यान्न भेजे जा रहे हों।

(19) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी और 30 जुलाई, 2007 के पत्र द्वारा राज्य सरकारों को भेजे गए संशोधित नागरिक अधिकार पत्र का कड़ाई से अनुपालन और क्रियान्वयन किया जाए।

(20) माफी स्कीम-जाली राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों को इन्हें उचित दर दुकान/सर्कल कार्यालय में जमा कराने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए-कोई प्रश्न न पूछा जाए। घर-घर जाकर सर्वेक्षण द्वारा सत्यापन करने पर यदि कोई जाली राशन कार्ड पाया जाता है तो न केवल कार्डधारक व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन लगाया जाए बल्कि जाली कार्ड जारी करने के जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन लगाया जाए-मुद्रण/इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रचार किया जाए और माफी स्कीम के बारे में विवरण देने के लिए प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाएं।

(21) धारा 15क में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण के काम में लगे सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक संरक्षण दिया गया है। इस धारा का निरसन किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक मिली भगत और प्रतिभागिता के बिना खाद्यान्नों का विपथन संभव नहीं हो सकता है।

**मोबाइल फोन निर्देशिका**

**748. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री सुग्रीव सिंह:**

**क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से देश में मोबाइल फोन निर्देशिका प्रकाशित करने का अनुरोध किया है जैसाकि दिनांक 4 जनवरी, 2007 के "हिन्दुस्तान" समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी सेवा प्रदाताओं से ऐसी निर्देशिकाएं प्रकाशित करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सेवा प्रदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या लाइसेंस समझौते में मोबाइल निर्देशिका जारी करने/प्रकाशित करने संबंधी कोई उपबंध है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने मोबाइल फोन निर्देशिका प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है।

(ङ) और (च) नवीनतम लाइसेंसों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

"दूरसंचार सेवा के ग्राहकों से संबंधित सूचना सहित दूरभाष सेवा निर्देशिका के प्रकाशन के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का निर्धारण व्यवहार्य और बाध्यकारी होगा।"

तथापि, ट्राई ने मोबाइल फोन निर्देशिका प्रकाशित नहीं करने संबंधी सिफारिश प्रस्तुत की थी। सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और मोबाइल फोनों से संबंधित निर्देशिका प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) और (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**गेहूं का मूल्य**

**749. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं का बाजार मूल्य बढ़ने का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है और इसका पूरा लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कोई योजना है कि किसानों की फसलों के ऊंचे बाजार मूल्य का पर्याप्त लाभ किसानों को मिले;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया):** (क) से (घ) कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार प्रति वर्ष चुनिंदा फसलों जैसे धान, गेहूं, मोटे अनाज तथा चुनिंदा दालों एवं तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसी प्रकार 2007-08 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित/घोषित किया गया है। गेहूं के वर्तमान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हैं जैसाकि नीचे की सारणी में चुनिंदा बाजारों/केन्द्रों के लिए दिए गए हैं। यदि मूल्य लाभकारी नहीं होते, हानि से बचने के लिए किसान हमेशा अपने उत्पाद सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं-

सारणी-फरवरी, 2008 के प्रथम सप्ताह को गेहूं के थोक मूल्य।

(रुपए प्रति क्विंटल)

| बाजार/केन्द्र | हैदराबाद | मुम्बई | भुवनेश्वर | दिल्ली | लखनऊ | त्रिवेन्द्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं के मूल्य (1.2.2008 को) | 1380 | 1675 | 1280 | 1145 | 1000 | 1570 |

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छी कीमतें देने हेतु कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम भी संशोधित किया गया है।

*[हिन्दी]*

**गन्ने की पिराई**

750. **डा. चिन्ता मोहन:**
**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां चालू मौसम के दौरान गन्ने की पिराई देर से शुरू हुई;

(ख) क्या पिराई कार्य के देर से शुरू होने के कारण चीनी उत्पादन में कमी होने की संभावना है, जिससे चीनी के खुदरा मूल्यों में बढ़ोत्तरी होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और चीनी उत्पादन में कितनी कमी की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) वर्तमान चीनी मौसम 2007-08 के दौरान बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देर से गन्ने की पेराई शुरू करने के बारे में सूचना मिली है।

(ख) और (ग) पिछले चीनी मौसम की तुलना में वर्तमान चीनी मौसम के दौरान देश में चीनी के उत्पादन में लगभग 15 लाख टन की कमी हो सकती है। चीनी के उत्पादन में कमी होने का एक कारण चीनी फैक्ट्रियों द्वारा पेराई कार्य देर से आरम्भ करना हो सकता है। देश भर में चीनी के खुदरा मूल्यों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए देश में चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।

**वस्त्र उद्योग में रोजगार के अवसरों का सृजन**

751. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग में निवेश बढ़ाने का है ताकि आगामी वर्ष में रोजगार के और अधिक अवसरों का सृजन हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) से (ग) जी, हां। सरकार, वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है ताकि वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण किया जा सके और इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए अपेक्षित निवेश 11वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 1,50,600 करोड़ रु. अनुमानित है, जिसमें से अधिकतर भाग निजी क्षेत्र से आना है। तदनुसार, प्रमुख योजना स्कीमें जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) आदि, इस प्रकार तैयार की गई है कि निजी निवेश वस्त्र क्षेत्र में प्रोत्साहित हो सके। 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार, टीयूएफएस के तहत 86020 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत स्वीकृत की गई।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर योजना व्यय के वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है। तथापि, रोजगार सृजन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। यह आशा की जाती है कि वस्त्र क्षेत्र में बढ़े हुए निवेश से अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे।

*[अनुवाद]*

**अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार**

752. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत कितने परिवारों की पहचान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आवंटन तथा खाद्यान्नों का कुल खरीद संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से एएवाई के और अधिक विस्तार हेतु अनुरोध प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन राज्य-वार परिवारों की संख्या बताने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के लक्षित 2.50 करोड़ परिवारों में से विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने अब तक 2.43 करोड़ परिवारों की पहचान की है और उन्हें राशन कार्ड जारी किए हैं।

(ख) 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक) में आंध्र प्रदेश सहित गेहूं का राज्य-वार आवंटन और उठान बताने वाले ब्यौरा क्रमश: विवरण-I, II, III, IV और V में दिए गए हैं।

2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक) में आंध्र प्रदेश सहित चावल का राज्य-वार आवंटन और उठान बताने वाले ब्यौरा क्रमश: विवरण-VI, VII, VIII और IX में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने अंत्योदय अन्न योजना के लक्षित परिवारों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है।

अंत्योदय अन्न योजना के परिवार गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का हिस्सा हैं। फिलहाल देश में लक्षित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल संख्या 6.52 करोड़ है जो वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक द्वारा अनुमानित आबादी पर अधारित हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निर्धनतम के प्रति अधिक केन्द्रित और लक्षित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से पहचान किए जाने वाले एक करोड़ परिवारों के लिए दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी। इस स्कीम की शुरूआत से इसका 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान 3 बार विस्तार किया गया है, जिसमें हर बार अंत्योदय अन्न योजना के 50 लाख अतिरिक्त परिवार शामिल किए गए हैं। इस प्रकार, सरकार का लक्ष्य अंत्योदय अन्न योजना के 2.50 करोड़ परिवार कवर करने का है।

***विवरण I***

*अंत्योदय अन्न योजना (सामान्य एवं अतिरिक्त) के परिवारों की पहचान करने की स्थिति*

(25.02.2008 की स्थिति के अनुसार)
(आंकड़े लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1.3.2000 को ग.रे.नी. के परिवारों की संख्या | अन अंत्योदय अन योजना परिवारों की सं. | | | | | पहचान किए गए अं.अं.यो. परिवारों व जारी किए गए राशन कार्ड | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.3.2000 | 25.12.00 | 5.6.03 | 3.8.04 | 12.5.05 | जोड़ | सामान्य | 1 विस्तार | 2 विस्तार | 3 विस्तार | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 40.63 | 6.228 | 3.117 | 2.991 | 3.242 | 15.578 | 6.228 | 3.117 | 2.991 | 3.242 | 15.578 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.99 | 0.151 | 0.077 | 0.073 | 0.079 | 0.380 | 0.151 | 0.077 | 0.073 | 0.079 | 0.380 |
| 3. | असम | 18.36 | 2.815 | 1.408 | 1.352 | 1.465 | 7.040 | 2.815 | 1.408 | 1.352 | 1.465 | 7.040 |
| 4. | बिहार | 65.23 | 10.000 | 5.003 | 4.802 | 5.205 | 25.010 | 10.000 | 5.003 | 4.802 | 4.480 | 24.285 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 18.75 | 2.874 | 1.439 | 1.380 | 1.496 | 7.189 | 2.874 | 1.439 | 1.380 | 1.496 | 7.189 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | दिल्ली | 4.09 | 0.626 | 0.315 | 0.301 | 0.326 | 1.568 | 0.626 | 0.315 | 0.301 | 0.260 | 1.502 |
| 7. | गोवा | 0.48 | 0.073 | 0.037 | 0.035 | 0.039 | 0.184 | 0.073 | 0.037 | 0.035 | | 0.145 |
| 8. | गुजरात | 21.20 | 3.250 | 1.626 | 1.561 | 1.691 | 8.128 | 3.250 | 1.626 | 1.561 | 1.661 | 8.098 |
| 9. | हरियाणा | 7.89 | 1.209 | 0.606 | 0.581 | 0.629 | 3.025 | 1.209 | 0.606 | 0.581 | 0.528 | 2.924 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 5.14 | 0.787 | 0.395 | 0.378 | 0.411 | 1.971 | 0.787 | 0.395 | 0.378 | 0.411 | 1.971 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 7.36 | 1.129 | 0.564 | 0.542 | 0.587 | 2.822 | 1.129 | 0.564 | 0.542 | 0.322 | 2.557 |
| 12. | झारखंड | 23.94 | 3.665 | 1.841 | 1.762 | 1.911 | 9.179 | 3.665 | 1.841 | 1.762 | 1.911 | 9.179 |
| 13. | कर्नाटक | 31.29 | 4.797 | 2.400 | 2.303 | 2.497 | 11.997 | 4.797 | 2.400 | 2.303 | 2.497 | 11.997 |
| 14. | केरल | 15.54 | 2.382 | 1.192 | 1.144 | 1.240 | 5.958 | 2.382 | 1.192 | 1.144 | 1.240 | 5.958 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 41.25 | 6.324 | 3.164 | 3.037 | 3.291 | 15.816 | 6.324 | 3.164 | 3.037 | 3.291 | 15.816 |
| 16. | महाराष्ट्र | 65.34 | 10.017 | 5.011 | 4.810 | 5.215 | 25.053 | 10.017 | 5.011 | 4.810 | 4.801 | 24.639 |
| 17. | मणिपुर | 1.66 | 0.255 | 0.127 | 0.122 | 0.132 | 0.636 | 0.255 | 0.127 | 0.122 | 0.132 | 0.636 |
| 18. | मेघालय | 1.83 | 0.281 | 0.140 | 0.135 | 0.146 | 0.702 | 0.281 | 0.140 | 0.135 | 0.146 | 0.702 |
| 19. | मिजोरम | 0.68 | 0.105 | 0.051 | 0.050 | 0.055 | 0.261 | 0.105 | 0.051 | 0.050 | 0.055 | 0.261 |
| 20. | नागालैंड | 1.24 | 0.189 | 0.096 | 0.091 | 0.099 | 0.475 | 0.189 | 0.096 | 0.091 | 0.099 | 0.475 |
| 21. | उड़ीसा | 32.98 | 5.055 | 2.530 | 2.428 | 2.632 | 12.645 | 5.055 | 2.530 | 2.428 | 2.632 | 12.645 |
| 22. | पंजाब | 4.68 | 0.717 | 0.359 | 0.345 | 0.373 | 1.794 | 0.717 | 0.359 | 0.345 | 0.373 | 1.794 |
| 23. | राजस्थान | 24.31 | 3.726 | 1.865 | 1.790 | 1.940 | 9.321 | 3.726 | 1.865 | 1.790 | 1.940 | 9.321 |
| 24. | सिक्किम | 0.43 | 0.067 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.165 | 0.067 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.165 |
| 25. | तमिलनाडु | 48.63 | 7.455 | 3.730 | 3.580 | 3.881 | 18.646 | 7.455 | 3.730 | 3.580 | 3.881 | 18.646 |
| 26. | त्रिपुरा | 2.95 | 0.452 | 0.227 | 0.217 | 0.235 | 1.131 | 0.452 | 0.227 | 0.217 | 0.23.5 | 1.131 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 106.79 | 16.371 | 8.191 | 7.861 | 8.522 | 40.945 | 16.371 | 8.191 | 7.861 | 8.522 | 40.945 |
| 28. | उत्तराखंड | 4.98 | 0.763 | 0.382 | 0.367 | 0.397 | 1.909 | 0.763 | 0.382 | 0.367 | | 1.512 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 51.79 | 7.939 | 3.973 | 3.813 | 4.132 | 19.857 | 7.939 | 3.973 | 2.887 | | 14.799 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.28 | 0.043 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.107 | 0.043 | | | | 0.043 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.23 | 0.035 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.088 | 0.021 | | | | 0.021 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.18 | 0.028 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.069 | 0.028 | 0.013 | 0.011 | | 0.052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | दमन व दीव | 0.04 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.015 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.03 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.012 |
| 35. | पांडिचेरी | 0.84 | 0.128 | 0.065 | 0.062 | 0.067 | 0.322 | 0.128 | 0.065 | 0.062 | 0.067 | 0.322 |
| | जोड़ | 652.03 | 99.946 | 50.021 | 48.001* | 52.030** | 249.998 | 99.932 | 49.982 | 47.035 | 45.806 | 242.755 |

*दूसरे विस्तार में 50 लाख परिवारों में से 48 लाख परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे में से) को राज्यवार विस्तार के लिए निश्चित कर दिया गया है और शेष दो लाख परिवारों की पहचान बाद में राज्यों द्वारा शामिल न करने की त्रुटि का पता लगने पर की जाएगी।

**दूसरे विस्तार के दो लाख परिवारों के शेष विस्तार को अंत्योदय अन्न योजना के तीसरे विस्तार में शामिल किया गया है जिसमें 50 लाख परिवारों को बढ़ाकर 52 लाख कर दिया गया है।

## *विवरण II*

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2004-05 (अनंतिम) के लिए गेहूं का आवंटन एवं उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 153.672 | 0 | 153.672 | 1.826 | 33.294 | 0.5 | 35.62 | 0 | 21.666 | 0 | 23.18 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.69 | 7.86 | 0 | 11.55 | 3.419 | 7.691 | 0 | 11.11 | 92.656 | 97.85 | 0 | 96.19 |
| 3. | असम | 0 | 410 | 0 | 410 | 1.49 | 401.546 | 0 | 403.036 | 0 | 97.933 | 0 | 98.3 |
| 4. | बिहार | 1331.472 | 1374.948 | 252 | 2958.42 | 691.851 | 9.386 | 233.536 | 934.773 | 51.961 | 0.683 | 92.673 | 31.6 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 110.271 | 425.1 | 0 | 535.371 | 85.172 | 40.758 | 0 | 125.93 | 77.239 | 9.583 | 0 | 23.52 |
| 6. | दिल्ली | 110.985 | 714.096 | 11.715 | 836.796 | 108.204 | 313.684 | 10.175 | 432.063 | 97.494 | 43.927 | 86.854 | 51.63 |
| 7. | गोवा | 5.04 | 40.32 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | गुजरात | 525.689 | 1730.616 | 133.661 | 2389.966 | 378.748 | 64.122 | 90.283 | 533.153 | 72.048 | 3.705 | 67.546 | 22.31 |
| 9. | हरियाणा | 257.04 | 1014.204 | 71.532 | 1342.776 | 217.587 | 154.641 | 65.097 | 437.325 | 84.651 | 15.243 | 91.004 | 32.57 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 53.608 | 132.3 | 18.908 | 204.816 | 45.866 | 91.75 | 18.178 | 155.794 | 85.558 | 69.35 | 96.139 | 76.07 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 58.296 | 165.84 | 15.851 | 239.987 | 57.088 | 142.998 | 10.424 | 210.51 | 97.928 | 86.226 | 65.762 | 87.72 |
| 12. | झारखंड | 318.096 | 87.984 | 91.26 | 497.34 | 202.882 | 18.6 | 75.993 | 297.475 | 63.78 | 21.14 | 83.271 | 59.81 |
| 13. | कर्नाटक | 197.565 | 414.12 | 65.292 | 676.977 | 187.611 | 115.665 | 58.308 | 361.584 | 94.962 | 27.93 | 89.303 | 53.41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | केरल | 121.756 | 447.9 | 0 | 569.656 | 122.464 | 172.509 | 0 | 294.973 | 100.58 | 38.515 | 0 | 51.78 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1127.288 | 2155.068 | 345.317 | 3627.673 | 1025.324 | 19.219 | 323.514 | 1368.057 | 90.955 | 0.892 | 93.686 | 37.71 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1285.067 | 3051.024 | 412.47 | 4748.561 | 1124.138 | 55.45 | 374.232 | 1553.82 | 87.477 | 1.817 | 90.73 | 32.72 |
| 17. | मणिपुर | 0 | 17.76 | 1.214 | 18.974 | 0 | 16.72 | 0 | 16.72 | 0 | 94.144 | 0 | 88.12 |
| 18. | मेघालय | 0 | 7.776 | 0 | 7.776 | 0 | 8.188 | 0 | 8.188 | 0 | 105.3 | 0 | 105.3 |
| 19. | मिजोरम | 0 | 12.12 | 0 | 12.12 | 0 | 11.782 | 0 | 11.782 | 0 | 97.211 | 0 | 97.21 |
| 20. | नागालैंड | 7.809 | 78 | 2.439 | 88.248 | 6.654 | 82.382 | 2.375 | 91.411 | 85.209 | 105.618 | 97.376 | 103.58 |
| 21. | उड़ीसा | 0 | 360 | 0 | 360 | 24.22 | 129.296 | 0 | 153.516 | 0 | 35.916 | 0 | 42.64 |
| 22. | पंजाब | 166.416 | 1473.24 | 30.12 | 1669.776 | 110.508 | 25.348 | 21.945 | 157.801 | 66.405 | 1.721 | 72.859 | 9.45 |
| 23. | राजस्थान | 700.713 | 2696.376 | 248.775 | 3645.864 | 651.375 | 301.545 | 230.606 | 1183.526 | 92.959 | 11.183 | 92.697 | 32.46 |
| 24. | सिक्किम | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0 | 46.765 | 0 | 46.76 |
| 25. | तमिलनाडु | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 59.944 | 0 | 59.944 | 0 | 49.953 | 0 | 49.95 |
| 26. | त्रिपुरा | 0 | 47.94 | 0 | 47.94 | 0 | 21.279 | 0 | 21.279 | 0 | 44.387 | 0 | 44.39 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2083.245 | 4314.84 | 726.492 | 7124.577 | 1623.068 | 7.087 | 605.637 | 2240.792 | 78.151 | 0.164 | 83.365 | 31.45 |
| 28. | उत्तराखंड | 63.6 | 221.64 | 9.576 | 294.816 | 63.72 | 10.63 | 9.089 | 83.439 | 100.19 | 4.796 | 94.914 | 28.3 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 810.166 | 3506.52 | 195.11 | 4511.796 | 684.738 | 881.996 | 134.297 | 1701.031 | 84.518 | 25.153 | 68.831 | 37.7 |
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 2.436 | 8.16 | 0.504 | 11.1 | 0.387 | 0.5 | 0 | 0.887 | 15.887 | 6.127 | 0 | 7.99 |
| 31. | चंडीगढ़ | 5.568 | 63.768 | 0 | 69.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.116 | 1.548 | 0.336 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दमन व दीव | 0.48 | 1.044 | 0.084 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | 4.583 | 0 | 4.58 |
| | जोड़ | 9,347.412 | 25,267.688 | 2,632.656 | 37,247.756 | 7,423.340 | 3,202.835 | 2,264.189 | 12,890.364 | 79.416 | 12.676 | 86.004 | 34.607 |
| | केरिप/सीमुब | 0 | 34.648 | 0 | 34.648 | 0 | 8.023 | 0 | 8.023 | 0 | 23.156 | 0 | 23.156 |
| | रक्षा | 0 | 136.044 | 0 | 136.044 | 0 | 125.649 | 0 | 125.649 | 0 | 92.359 | 0 | 92.359 |
| | भूटान | 0 | 15.832 | 0 | 15.832 | 0 | 7.403 | 0 | 7.403 | 0 | 46.76 | 0 | 46.76 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 9,347.412 | 25,454.212 | 2,632.656 | 37,434.280 | 7,423.340 | 3,343.910 | 2,264.189 | 13,031.439 | 79.416 | 13.137 | 86.004 | 34.812 |

## विवरण III

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2005-06 (अनंतिम) के लिए गेहूं का आवंटन एवं उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 153.672 | 0 | 153.672 | 0.18 | 50.49 | 0.06 | 50.73 | 0 | 32.856 | 0 | 33.01 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.42 | 6.36 | 0 | 9.78 | 2.35 | 4.72 | 0.33 | 7.4 | 68.713 | 74.214 | 0 | 75.66 |
| 3. | असम | 0 | 337.024 | 0 | 337.024 | 0 | 280.24 | 0 | 280.24 | 0 | 83.151 | 0 | 83.15 |
| 4. | बिहार | 1157.282 | 1222.156 | 283.521 | 2662.959 | 526.55 | 24.23 | 256.99 | 807.77 | 45.499 | 1.983 | 90.642 | 30.33 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 87.104 | 350.86 | 0 | 437.964 | 82.8 | 49.68 | 0 | 132.48 | 95.059 | 14.159 | 0 | 30.25 |
| 6. | दिल्ली | 106.044 | 703.072 | 16.656 | 825.772 | 103.79 | 246.95 | 15.83 | 366.57 | 97.874 | 35.124 | 95.041 | 44.39 |
| 7. | गोवा | 3.681 | 37.096 | 0 | 40.777 | 0 | 3.833 | 0 | 3.833 | 0 | 10.333 | 0 | 9.4 |
| 8. | गुजरात | 442.309 | 1730.616 | 207.008 | 2379.933 | 307.36 | 143.51 | 154.91 | 605.78 | 69.49 | 8.292 | 74.833 | 25.45 |
| 9. | हरियाणा | 195.819 | 811.356 | 86.056 | 1093.231 | 166.22 | 17.99 | 72.82 | 257.03 | 84.885 | 2.217 | 84.619 | 23.51 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 45.82 | 132.3 | 26.696 | 204.816 | 37.4 | 99.9 | 23.47 | 160.77 | 81.624 | 75.51 | 87.916 | 78.49 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 52.873 | 144.824 | 21.299 | 218.996 | 52.56 | 151.21 | 19.49 | 223.26 | 99.408 | 104.41 | 91.507 | 101.95 |
| 12. | झारखंड | 251.232 | 72.584 | 136.308 | 460.124 | 207.55 | 20.59 | 132.6 | 360.74 | 82.613 | 28.367 | 97.28 | 78.4 |
| 13. | कर्नाटक | 157.093 | 378.534 | 81.548 | 617.175 | 158.09 | 149.53 | 68.9 | 376.52 | 100.64 | 39.502 | 84.49 | 61.01 |
| 14. | केरल | 111.388 | 447.9 | 0 | 559.288 | 110.98 | 266.44 | 0 | 377.42 | 99.634 | 59.486 | 0 | 67.48 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 949.415 | 1901.524 | 453.573 | 3304.512 | 979.506 | 144.83 | 430.58 | 1554.916 | 103.17 | 7.617 | 94.931 | 47.05 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1160.364 | 3051.024 | 493.48 | 4704.868 | 1020.17 | 112.28 | 431.02 | 1563.47 | 87.918 | 3.68 | 87.343 | 33.23 |
| 17. | मणिपुर | 2.428 | 15.408 | 2.428 | 20.264 | 3.96 | 14.18 | 0 | 18.14 | 163.1 | 92.03 | 0 | 89.52 |
| 18. | मेघालय | 0 | 7.776 | 0 | 7.776 | 0.65 | 6.32 | 0 | 6.97 | 0 | 81.276 | 0 | 89.63 |
| 19. | मिजोरम | 0 | 12.12 | 0 | 12.12 | 0 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0 | 62.294 | 0 | 62.29 |
| 20. | नागालैंड | 7.023 | 44.515 | 3.225 | 54.763 | 6.88 | 52.85 | 3.33 | 63.06 | 97.964 | 118.72 | 103.26 | 115.15 |
| 21. | उड़ीसा | 0 | 351.112 | 0 | 351.112 | 0 | 108.35 | 0 | 108.35 | 0 | 30.859 | 0 | 30.86 |
| 22. | पंजाब | 130.779 | 1178.592 | 32.469 | 1341.84 | 69.4 | 8.84 | 17.49 | 95.73 | 53.067 | 0.75 | 53.867 | 7.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | राजस्थान | 517.808 | 2188.544 | 336.195 | 3042.547 | 450.33 | 204.17 | 299.12 | 953.62 | 86.969 | 9.329 | 88.972 | 31.34 |
| 24. | सिक्किम | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 64.583 | 0 | 64.58 |
| 25. | तमिलनाडु | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 77.98 | 0 | 77.98 | 0 | 64.983 | 0 | 64.98 |
| 26. | त्रिपुरा | 0 | 47.94 | 0 | 47.94 | 0 | 29.94 | 0 | 29.94 | 0 | 62.453 | 0 | 62.45 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1182.038 | 3603.096 | 600.994 | 5386.128 | 1025.072 | 37.93 | 553.388 | 1616.39 | 86.721 | 1.053 | 92.079 | 30.01 |
| 28. | उत्तराखंड | 55.184 | 140.592 | 13.965 | 209.741 | 58.719 | 34.154 | 11.112 | 103.985 | 106.41 | 24.293 | 79.57 | 49.58 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 673.299 | 1986.672 | 281.308 | 2941.279 | 591.06 | 997.78 | 233.86 | 1822.7 | 87.786 | 50.224 | 83.133 | 61.97 |
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 2.292 | 8.16 | 0.504 | 10.956 | 0.26 | 4.01 | 0.04 | 4.31 | 11.344 | 49.142 | 7.937 | 39.34 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 5.568 | 56.504 | 0 | 62.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.05 | 1.548 | 0.435 | 3.033 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.75 | 30.476 | 15.504 | 43.678 | 24.73 |
| 33. | दमन व दीव | 0.38 | 1.044 | 0.144 | 1.568 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0.19 | 34.211 | 0 | 41.667 | 12.12 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 13.158 | 0 | 13.16 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 84.167 | 0 | 84.17 |
| | जोड़ | 7,301.693 | 21,253.153 | 3,077.812 | 31,632.658 | 5,962.287 | 3,356.407 | 2,725.590 | 12,044.284 | 81.656 | 15.793 | 88.556 | 38.075 |
| | केरिपु/सीसुब | 0 | 33.912 | 0 | 33.912 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 28.014 | 0 | 28.014 |
| | रक्षा | 0 | 145.008 | 0 | 145.008 | 0 | 133.49 | 0 | 133.49 | 0 | 92.057 | 0 | 92.057 |
| | भूटान | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26.667 | 0 | 26.667 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 7,301.693 | 21,447.073 | 3,077.812 | 31,826.578 | 5,962.287 | 3,503.397 | 2,725.590 | 12,191.274 | 81.656 | 16.335 | 88.556 | 38.305 |

## *विवरण IV*

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2006-07 (अनंतिम) के लिए गेहूं का आवंटन एवं उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 81.152 | 0 | 81.152 | 0.062 | 55.53 | 0.001 | 55.593 | 0 | 68.427 | 0 | 68.5 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.13 | 8.46 | 0 | 11.59 | 1.661 | 3.474 | 0 | 5.135 | 53.067 | 41.064 | 0 | 44.31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 0 | 254.226 | 0 | 254.226 | 1.253 | 248.796 | 0 | 250.049 | 0 | 97.864 | 0 | 98.36 |
| 4. | बिहार | 645.723 | 211.04 | 275.334 | 1132.097 | 241.612 | 8.398 | 244.642 | 494.652 | 37.417 | 3,979 | 88.853 | 43.69 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 31.32 | 89.33 | 0 | 120.65 | 29.086 | 26.891 | 0 | 55.977 | 92.867 | 30.103 | 0 | 46.4 |
| 6. | दिल्ली | 103.92 | 365.72 | 16.656 | 486.296 | 102.14 | 282.479 | 16.323 | 400.943 | 98.288 | 77.239 | 98.001 | 82.45 |
| 7. | गोवा | 0.31 | 11.222 | 0 | 11.532 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 49.635 | 0 | 48.3 |
| 8. | गुजरात | 267.08 | 387.456 | 169.838 | 824.374 | 250.711 | 73.888 | 143.547 | 468.146 | 93.871 | 19.07 | 84.52 | 56.79 |
| 9. | हरियाणा | 152.026 | 202.3 | 109.394 | 463.72 | 142.98 | 2.821 | 102.921 | 248.722 | 94.05 | 1.394 | 94.083 | 53.64 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 16.944 | 122.452 | 33.287 | 172.683 | 16.947 | 127.722 | 33.5 | 178.169 | 100.018 | 104.304 | 100.64 | 103.18 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 52.795 | 169.316 | 21.149 | 243.26 | 53.302 | 155.23 | 20.241 | 228.773 | 100.96 | 91.681 | 95.707 | 94.04 |
| 12. | झारखंड | 187.902 | 38.564 | 121.928 | 348.394 | 153.855 | 13.1 | 119.016 | 285.971 | 81.88 | 33.97 | 97.612 | 82.08 |
| 13. | कर्नाटक | 127.998 | 155.806 | 84.07 | 367.874 | 121.793 | 103.542 | 73.169 | 298.504 | 95.152 | 66.456 | 87.033 | 81.14 |
| 14. | केरल | 86.763 | 243.42 | 0 | 330.183 | 86.943 | 195.032 | 0 | 281.975 | 100.207 | 80.122 | 0 | 85.4 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 727.654 | 339.106 | 547.514 | 1614.274 | 726.99 | 112.018 | 509.306 | 1348.314 | 99.909 | 33.033 | 93.022 | 83.52 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1016.042 | 621.044 | 434.632 | 2071.718 | 902.641 | 123.048 | 355.432 | 1381.121 | 88.839 | 19.813 | 81.778 | 66.67 |
| 17. | मणिपुर | 3.488 | 8.1 | 0 | 11.588 | 1.96 | 6.276 | 0 | 8.236 | 56.193 | 77.481 | 0 | 71.07 |
| 18. | मेघालय | 0 | 7.696 | 0 | 7.696 | 0 | 7.29 | 0 | 7.29 | 0 | 94.725 | 0 | 94.72 |
| 19. | मिजोरम | 0 | 10.36 | 0 | 10.36 | 0 | 8.662 | 0.326 | 8.988 | 0 | 83.61 | 0 | 86.76 |
| 20. | नागलैंड | 6.218 | 24.576 | 3.92 | 34.714 | 6.222 | 24.374 | 3.59 | 34.186 | 100.064 | 99.178 | 91.582 | 98.48 |
| 21. | उड़ीसा | 0 | 155.734 | 0 | 155.734 | 0 | 132.29 | 0 | 132.29 | 0 | 84.946 | 0 | 84.95 |
| 22. | पंजाब | 73.836 | 230.438 | 48.758 | 353.032 | 44.181 | 44.719 | 29.412 | 118.312 | 59.837 | 19.406 | 60.322 | 33.51 |
| 23. | राजस्थान | 434.372 | 526.954 | 374.394 | 1335.72 | 416.853 | 155,099 | 343.462 | 915.414 | 95.967 | 29.433 | 91.738 | 68.53 |
| 24. | सिक्किम | 0 | 5.35 | 0 | 5.35 | 0 | 5.381 | 0 | 5.381 | 0 | 100.579 | 0 | 100.58 |
| 25. | तमिलनाडु | 0 | 95.58 | 0 | 95.58 | 0 | 90.18 | 0 | 90.18 | 0 | 94.35 | 0 | 94.35 |
| 26. | त्रिपुरा | 0 | 26.96 | 0 | 26.96 | 0 | 21.474 | 0 | 21.474 | 0 | 79.651 | 0 | 79.65 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 916.122 | 595.68 | 569.076 | 2080.878 | 865.495 | 44.18 | 587.571 | 1497.246 | 94.474 | 7.417 | 103.25 | 71.95 |
| 28. | उत्तरखंड | 49.671 | 75.802 | 17.829 | 143.302 | 50.698 | 61.876 | 15.702 | 128.276 | 102.068 | 81.628 | 88.07 | 89.51 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 598.128 | 726.624 | 278.962 | 1603.714 | 551.284 | 508.383 | 231.274 | 1290.941 | 92.168 | 69.965 | 82.905 | 80.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 0.85 | 4.802 | 0.294 | 5.946 | 0.45 | 4.08 | 0.17 | 4.7 | 52.941 | 84.965 | 57.823 | 79.04 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 0.228 | 9.162 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 0.358 | 1.058 | 0.18 | 1.596 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.36 | 50.279 | 14.178 | 16.667 | 22.56 |
| 33. | दमन व दीव | 0.12 | 0.524 | 0.084 | 0.728 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.12 | 50 | 0 | 71.429 | 16.48 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0.433 | 0 | 0.433 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 11.547 | 0 | 11.55 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 68.78 | 0 | 68.78 |
| | जोड़ | 5,502.998 | 5,808.50 | 3,107.30 | 14,418.79 | 4,769.36 | 2,653.41 | 2,829.70 | 10,252.47 | 86.668 | 45.682 | 91.066 | 71.105 |
| | केरिपु/सीमुब | 0 | 34.92 | 0 | 34.92 | 0 | 4.14 | 0 | 4.14 | 0 | 11.856 | 0 | 11.856 |
| | रेल | 0 | 144.96 | 0 | 144.96 | 0 | 132.348 | 0 | 132.348 | 0 | 91.3 | 0 | 91.3 |
| | भूटान | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 8.533 | 0 | 85.33 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 5,502.998 | 6,003.38 | 3,107.30 | 14,613.67 | 4,769.36 | 2,791.18 | 2,829.70 | 10,390.24 | 86.668 | 46.494 | 91.066 | 71.099 |

## विवरण V

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के लिए गेहूं का आवंटन एवं उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 52.917 | 0 | 52.917 | 0 | 31.256 | 0.01 | 31.266 | 0 | 59.066 | 0 | 59.08 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2.304 | 6.765 | 0 | 9.069 | 1.352 | 4.085 | 0 | 5.437 | 58.681 | 60.384 | 0 | 59.95 |
| 3. | असम | 0 | 208.32 | 0 | 208.32 | 0.775 | 204.877 | 0 | 205.652 | 0 | 98.347 | 0 | 98.72 |
| 4. | बिहार | 335.808 | 22.857 | 306 | 664.665 | 229.094 | 7.999 | 282.181 | 519.274 | 68.222 | 34.996 | 92.216 | 78.13 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 23.49 | 20.176 | 0 | 43.666 | 22.03 | 10.268 | 0 | 32.298 | 93.785 | 50.892 | 0 | 73.97 |
| 6. | दिल्ली | 68.906 | 285.851 | 21.526 | 376.283 | 71.785 | 261.057 | 15.342 | 348.184 | 104.18 | 91.326 | 71.272 | 92.53 |
| 7. | गोवा | 0 | 7.511 | 0 | 7.511 | 0 | 5.839 | 0 | 5.839 | 0 | 77.739 | 0 | 77.74 |
| 8. | गुजरात | 183.393 | 97.221 | 138.357 | 418.971 | 175.891 | 28.225 | 119.623 | 323.739 | 95.909 | 29.032 | 86.46 | 77.27 |
| 9. | हरियाणा | 104.319 | 86.922 | 92.115 | 283.356 | 102.434 | 0.19 | 87.597 | 190.221 | 98.193 | 0.219 | 95.095 | 67.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 35.685 | 112.854 | 26.595 | 175.134 | 32.649 | 109.452 | 25.072 | 167.173 | 91.492 | 96.985 | 94.273 | 95.45 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 37.629 | 152.528 | 15.858 | 206.015 | 37.531 | 135.432 | 15.966 | 188.929 | 99.74 | 88.792 | 100.68 | 91.71 |
| 12. | झारखंड | 130.177 | 25.439 | 99.725 | 255.341 | 115.331 | 6.969 | 92.001 | 214.301 | 88.596 | 27.395 | 92.255 | 83.93 |
| 13. | कर्नाटक | 98.408 | 76.073 | 65.538 | 240.019 | 94.946 | 51.911 | 62.355 | 209.212 | 96.482 | 68.238 | 95.143 | 87.16 |
| 14. | केरल | 62.667 | 171.66 | 0 | 234.327 | 62.634 | 150.204 | 0 | 212.838 | 99.947 | 87.501 | 0 | 90.83 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 534.558 | 79.77 | 419.643 | 1033.971 | 525.556 | 60.861 | 405.154 | 991.571 | 98.316 | 76.296 | 96.547 | 95.9 |
| 16. | महाराष्ट्र | 647.71 | 117.117 | 386.826 | 1151.653 | 579.203 | 72.346 | 328.889 | 980.438 | 89.423 | 61.772 | 85.022 | 85.13 |
| 17. | मणिपुर | 0.954 | 6.75 | 0 | 7.704 | 0.833 | 5.108 | 0 | 5.941 | 87.317 | 75.674 | 0 | 77.12 |
| 18. | मेघालय | 0 | 6.015 | 0 | 6.015 | 0 | 5.387 | 0 | 5.387 | 0 | 89.559 | 0 | 89.56 |
| 19. | मिजोरम | 0 | 7.752 | 0 | 7.752 | 0 | 5.762 | 0 | 5.762 | 0 | 74.329 | 0 | 74.33 |
| 20. | नागालैंड | 4.653 | 20.868 | 2.934 | 28.455 | 5.17 | 21.799 | 3.26 | 30.229 | 111.11 | 104.46 | 111.11 | 106.23 |
| 21. | उड़ीसा | 0 | 101.828 | 0 | 101.828 | 0 | 96.236 | 0 | 96.236 | 0 | 94.508 | 0 | 94.51 |
| 22. | पंजाब | 67.187 | 53.489 | 40.843 | 161.519 | 39.416 | 25.402 | 22.824 | 87.642 | 58.666 | 47.49 | 55.882 | 54.26 |
| 23. | राजस्थान | 310.355 | 210.071 | 283.95 | 804.376 | 305.97 | 165.815 | 268.298 | 740.083 | 98.587 | 78.933 | 94.488 | 92.01 |
| 24. | सिक्किम | 0 | 3.774 | 0 | 3.774 | 0 | 3.773 | 0 | 3.773 | 0 | 99.974 | 0 | 99.97 |
| 25. | तमिलनाडु | 0 | 76.723 | 0 | 76.723 | 0 | 70.388 | 0 | 70.388 | 0 | 91.743 | 0 | 91.74 |
| 26. | त्रिपुरा | 0 | 18.24 | 0 | 18.24 | 0 | 12.842 | 0 | 12.842 | 0 | 70.406 | 0 | 70.41 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 682.758 | 43.237 | 424.404 | 1150.399 | 743.158 | 30.801 | 481.401 | 1255.36 | 108.85 | 71.238 | 113.43 | 109.12 |
| 28. | उत्तराखंड | 36.387 | 46.443 | 14.238 | 97.068 | 36.436 | 47.775 | 13.821 | 98.032 | 100.14 | 102.87 | 97.071 | 100.99 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 447.822 | 534.92 | 204.444 | 1187.186 | 432.051 | 486.831 | 172.233 | 1091.115 | 96.478 | 91.01 | 84.245 | 91.91 |
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 0.549 | 4.395 | 0.189 | 5.133 | 0.388 | 2.78 | 0.098 | 3.266 | 70.674 | 63.254 | 51.852 | 63.63 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 0.306 | 0.3 | 0 | 0.606 | 0.741 | 0.119 | 0.639 | 1.499 | 242.16 | 39.667 | 0 | 247.36 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 0.144 | 0.459 | 0.117 | 0.72 | 0.032 | 0.03 | 0.026 | 0.088 | 22.222 | 6.536 | 22.222 | 12.22 |
| 33. | दमन व दीव | 0.063 | 0.3 | 0.045 | 0.408 | 0.024 | 0 | 0.021 | 0.045 | 38.095 | 0 | 46.667 | 11.03 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 33.333 | 0 | 33.33 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0.796 | 0 | 0.796 | 0 | 40.821 | 0 | 40.82 |
| | जोड़ | 3,816.23 | 2,661.80 | 2,543.35 | 9,021.37 | 3,615.43 | 2,122.72 | 2,396.81 | 8,134.96 | 94.738 | 79.748 | 94.238 | 90.174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केरिपु/सीसुब | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रक्षा | 0 | 107.622 | 0 | 107.622 | 0 | 94.458 | 0 | 94.458 | 0 | 87.768 | 0 | 87.768 |
| | भूटान | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 3,816.23 | 2,769.42 | 2,543.35 | 9,128.996 | 3,615.43 | 2,217.17 | 2,396.81 | 8,229.41 | 94.738 | 80.059 | 94.238 | 90.146 |

नोट: रक्षा के तहत उठान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भूटान शामिल हैं क्योंकि भारतीय खाद्य निगम से कोई विभाजन प्राप्त नहीं हुआ है।

## विवरण VI

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2004-05 के लिए चावल का आवंटन एवं उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1230.128 | 2113.068 | 476.248 | 3819.444 | 1259.99 | 1104.348 | 455.615 | 2819.953 | 102.428 | 52.263 | 95.668 | 73.83 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 27.99 | 68.82 | 9.816 | 106.626 | 28.191 | 47.018 | 8.661 | 83.87 | 100.718 | 68.32 | 88.233 | 78.66 |
| 3. | असम | 650.434 | 475.14 | 150.086 | 1275.66 | 622.272 | 119.58 | 139.178 | 881.03 | 95.67 | 25.167 | 92.732 | 69.06 |
| 4. | बिहार | 887.712 | 916.572 | 168 | 1972.284 | 118.059 | 0.926 | 148.543 | 267.528 | 13.299 | 0.101 | 88.418 | 13.56 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 476.364 | 620.7 | 200.997 | 1298.061 | 471.548 | 1.61 | 180.399 | 653.557 | 98.989 | 0.259 | 89.752 | 50.35 |
| 6. | दिल्ली | 44.285 | 282.42 | 4.795 | 331.5 | 40.531 | 96.433 | 3.809 | 140.773 | 91.523 | 34.145 | 79.437 | 42.47 |
| 7. | गोवा | 6.808 | 77.976 | 4.112 | 88.896 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 122.568 | 5.67 |
| 8. | गुजरात | 190.878 | 1056.948 | 33.42 | 1281.246 | 177.343 | 29.687 | 24.018 | 231.048 | 92.909 | 2.809 | 71.867 | 18.03 |
| 9. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 81.208 | 216.6 | 25.208 | 323.016 | 72.687 | 60.254 | 23.577 | 156.518 | 89.507 | 27.818 | 93.53 | 48.46 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 184.712 | 281.88 | 50.225 | 516.817 | 178.51 | 149.758 | 33.084 | 361.352 | 96.642 | 53.128 | 65.872 | 69.92 |
| 12. | झारखंड | 483.016 | 128.316 | 113.12 | 724.452 | 163.032 | 2.007 | 91.673 | 256.712 | 33.753 | 1.564 | 81.04 | 35-44 |
| 13. | कर्नाटक | 790.248 | 1656.48 | 261.171 | 2707.899 | 785.09 | 732.966 | 242.574 | 1760.63 | 99.347 | 44.248 | 92.879 | 65.02 |
| 14. | केरल | 365.292 | 1361.04 | 165.56 | 1891.892 | 371.176 | 91.538 | 156.714 | 619.428 | 101.611 | 6.726 | 94.657 | 32.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | मध्य प्रदेश | 198.934 | 380.304 | 60.937 | 640.175 | 199.681 | 3.513 | 56.811 | 260.005 | 100.376 | 0.924 | 93.229 | 40.61 |
| 16. | महाराष्ट्र | 784.77 | 1649.856 | 261.997 | 2696.623 | 648.881 | 11.941 | 224.028 | 884.85 | 82.684 | 0.724 | 85.508 | 32.81 |
| 17. | मणिपुर | 44.084 | 29.7 | 10.716 | 84.5 | 29.035 | 1.585 | 8.631 | 39.251 | 65.863 | 5.337 | 80.543 | 46.45 |
| 18. | मेघालय | 60.152 | 37.248 | 16.708 | 114.108 | 60.389 | 13.62 | 16.119 | 90.128 | 100.394 | 36.566 | 96.475 | 78.98 |
| 19. | मिजोरम | 21.241 | 81.72 | 7.439 | 110.4 | 21.644 | 58.225 | 7.098 | 86.967 | 101.897 | 71.249 | 95.416 | 78.77 |
| 20. | नागलैंड | 31.72 | 44.04 | 10.112 | 85.872 | 36.133 | 26.533 | 9.547 | 72.213 | 113.912 | 60.248 | 94.413 | 84.09 |
| 21. | उड़ीसा | 1436.088 | 795.564 | 260.604 | 2492.256 | 1117.658 | 3.009 | 240.04 | 1360.707 | 77.827 | 0.378 | 92.109 | 54.6 |
| 22. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0.821 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | राजस्थान | 8.155 | 67.38 | 2.897 | 78.432 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 11.909 | 0.44 |
| 24. | सिक्किम | 14.076 | 15.612 | 4.164 | 33.852 | 14.022 | 13.762 | 4.058 | 31.842 | 99.616 | 88.15 | 97.454 | 94.06 |
| 25. | तमिलनाडु | 1608.365 | 3667.98 | 434.011 | 5710.356 | 1665.081 | 570.694 | 424.791 | 2660.566 | 103.526 | 15.559 | 97.876 | 46.59 |
| 26. | त्रिपुरा | 100.929 | 131.292 | 22.971 | 255.192 | 104.67 | 38.889 | 21.376 | 164.935 | 103.707 | 29.62 | 93.056 | 64.63 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1232.797 | 2179.62 | 442.646 | 3855.063 | 1149.046 | 0.676 | 520.419 | 1670.141 | 93.206 | 0.031 | 117.57 | 43.32 |
| 28. | उत्तराखंड | 113.52 | 111.912 | 22.476 | 247.908 | 114.977 | 6.142 | 32.531 | 153.65 | 101.283 | 5.488 | 144.737 | 61.98 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 808.779 | 582.66 | 196.485 | 1587.924 | 575.062 | 42.831 | 126.176 | 744.069 | 71.102 | 7.351 | 64.217 | 4686 |
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 4.994 | 28.2 | 1.296 | 34.49 | 0.5 | 1.523 | 0 | 2.023 | 10.012 | 5.401 | 0 | 5.87 |
| 31. | चंडीगढ़ | 3.18 | 11.748 | 0.888 | 15.816 | 0.17 | 0 | 0.191 | 0.361 | 5.346 | 0 | 21.509 | 2.28 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 4.428 | 5.592 | 0.84 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दमन व दीव | 0.948 | 8.376 | 0.168 | 9.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.372 | 3.204 | 0.168 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 28.238 | 12 | 6.874 | 47.112 | 2.62 | 0.03 | 1.235 | 3.885 | 9.278 | 0.25 | 17.966 | 8.25 |
| | जोड़ | 11,924.85 | 19,099.97 | 3,427.16 | 34,451.97 | 10,028.47 | 3,229.098 | 3,207.102 | 16,464.673 | 84.097 | 16.906 | 93.579 | 47.790 |
| | केरिपु/सीसुब | 0 | 20.004 | 0 | 20.004 | 0 | 31.255 | 0 | 31.255 | 0 | 156.24 | 0 | 156.244 |
| | रक्षा | 0 | 145.02 | 0 | 145.02 | 0 | 121.099 | 0 | 121.099 | 0 | 83.505 | 0 | 83.505 |
| | भूटान | 0 | 6.216 | 0 | 6.216 | 0 | 3.511 | 0 | 3.511 | 0 | 56.483 | 0 | 56.483 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 11,924.85 | 19,271.208 | 3,427.155 | 34,623.208 | 10,028.473 | 3,384.963 | 3,207.102 | 16,620.538 | 84.097 | 17.565 | 93.579 | 48.004 |

## विवरण VII

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2005-2006 (अनंतिम) के लिए चावल का आवंटन एवं उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1086.129 | 2113.068 | 620.247 | 3819.444 | 1101.69 | 1456.58 | 608.5 | 3166.77 | 101.433 | 68.932 | 98.106 | 82.91 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25.14 | 63.39 | 12.936 | 101.466 | 23.17 | 38.53 | 12.07 | 73.77 | 92.164 | 60.782 | 93.306 | 72.7 |
| 3. | असम | 625.416 | 618.116 | 175.104 | 1418.636 | 595.48 | 164.34 | 181.09 | 940.91 | 95.213 | 26.587 | 103.42 | 66.32 |
| 4. | बिहार | 1009.369 | 1069.364 | 189.012 | 2267.745 | 145.46 | 1.32 | 164.07 | 310.85 | 14.411 | 0.123 | 86.804 | 13.71 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 445.708 | 694.94 | 254.82 | 1395.461 | 454.003 | 2.57 | 229.189 | 685.762 | 101.86 | 0.37 | 89.942 | 49.14 |
| 6. | दिल्ली | 42.42 | 293.444 | 6.66 | 342.524 | 41.4 | 55.66 | 6.32 | 103.38 | 97.595 | 18.968 | 94.895 | 30.18 |
| 7. | गोवा | 6.54 | 81.2 | 5.739 | 93.479 | 3.804 | 2.27 | 2.447 | 8.521 | 58.165 | 2.796 | 42.638 | 9.12 |
| 8. | गुजरात | 175.754 | 1056.948 | 51.777 | 1284.479 | 163.75 | 34.78 | 37.43 | 235.96 | 93.17 | 3.291 | 72.291 | 18.37 |
| 9. | हरियाणा | 46.697 | 202.848 | 0 | 249.545 | 29.03 | 0.08 | 4.07 | 33.18 | 62.167 | 0.039 | 0 | 13.3 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 70.828 | 216.6 | 35.588 | 323.016 | 58.16 | 79.17 | 32.13 | 169.46 | 82.114 | 36.551 | 90.283 | 52.46 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 167.462 | 302.896 | 67.45 | 537.808 | 173.21 | 195.75 | 53.6 | 422.56 | 103.43 | 64.626 | 79.466 | 78.57 |
| 12. | झारखंड | 448.992 | 143.716 | 168.96 | 761.668 | 173.36 | 0.57 | 150.03 | 323.96 | 38.611 | 0.397 | 88.796 | 42.53 |
| 13. | कर्नाटक | 719.224 | 1656.48 | 326.204 | 2701.908 | 717.6 | 728.04 | 309.45 | 1755.09 | 99.774 | 43.951 | 94.864 | 64.96 |
| 14. | केरल | 334.172 | 1361.04 | 207.088 | 1902.3 | 325.993 | 57.492 | 200.722 | 584.207 | 97.552 | 4.224 | 96.926 | 30.71 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 245.9 | 633.848 | 80.568 | 960.316 | 237.54 | 8.19 | 79 | 324.73 | 96.6 | 1.292 | 98.054 | 33.81 |
| 16. | महाराष्ट्र | 754.104 | 1649.856 | 336.356 | 2740.316 | 627.04 | 15.2 | 305.39 | 947.63 | 83.15 | 0.921 | 90.794 | 34.58 |
| 17. | मणिपुर | 35.352 | 32.052 | 19.436 | 86.84 | 29.97 | 0.71 | 13.96 | 44.64 | 84.776 | 2.215 | 71.825 | 51.4 |
| 18. | मेघालय | 53.548 | 37.248 | 23.292 | 114.108 | 54.05 | 16.29 | 22.72 | 93.06 | 100.9 | 43.734 | 97.544 | 81.55 |
| 19. | मिजोरम | 18.279 | 59.9 | 10.401 | 88.58 | 17.65 | 48.34 | 10.01 | 76 | 96.559 | 80.701 | 96.241 | 85.8 |
| 20. | नागालैंड | 28.794 | 57.885 | 13.038 | 99.717 | 28.73 | 41.81 | 13.11 | 83.65 | 99.778 | 72.229 | 100.55 | 83.89 |
| 21. | उड़ीसा | 1261.907 | 804.452 | 434.785 | 2501.144 | 797.408 | 1.42 | 450.493 | 1249.321 | 63.191 | 0.177 | 103.61 | 49.95 |
| 22. | पंजाब | 33.288 | 294.648 | 0 | 327.936 | 1.71 | 0 | 0.75 | 2.46 | 5.137 | 0 | 0 | 0.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | राजस्थान | 75.574 | 575.212 | 3.823 | 654.609 | 19.24 | 0 | 1.45 | 20.69 | 25.458 | 0 | 37.928 | 3.16 |
| 24. | त्रिपुरा | 14.076 | 18.612 | 4.164 | 36.852 | 14.05 | 19.39 | 4.32 | 37.76 | 99.815 | 104.18 | 103.75 | 102.46 |
| 25. | तमिलनाडु | 1397.697 | 3667.98 | 644.679 | 5710.356 | 1391.6 | 1585.817 | 657.63 | 3635.047 | 99.564 | 43.234 | 102.01 | 63.66 |
| 26. | त्रिपुरा | 95.364 | 131.292 | 28.536 | 255.192 | 92.77 | 37.02 | 28.53 | 158.32 | 97.28 | 28.197 | 99.979 | 62.04 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1763.068 | 2891.364 | 938.692 | 5593.124 | 1535.191 | 2.236 | 884.901 | 2422.328 | 87.075 | 0.077 | 94.27 | 43.31 |
| 28. | उत्तराखंड | 107.229 | 192.96 | 32.794 | 332.983 | 107.563 | 19.162 | 23.503 | 150.228 | 100.31 | 9.931 | 71.669 | 45.12 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 774.67 | 2102.508 | 281.263 | 3158.441 | 703.399 | 31.63 | 220.44 | 955.469 | 90.8 | 1.504 | 78.375 | 30.25 |
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 5.136 | 28.2 | 1.296 | 34.632 | 1.55 | 11.78 | 0.49 | 13.82 | 30.179 | 41.773 | 37.809 | 39.91 |
| 31. | चंडीगढ़ | 3.18 | 19.012 | 0.888 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 4.142 | 5.592 | 1.093 | 10.827 | 1.35 | 0.65 | 0.53 | 2.53 | 32.593 | 11.624 | 48.49 | 23.37 |
| 33. | दमन व दीव | 0.856 | 8.376 | 0.3 | 9.532 | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.62 | 36.215 | 1.791 | 53.333 | 6.5 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.372 | 3.132 | 0.168 | 3.672 | 0.47 | 2.95 | 0.33 | 3.75 | 126.34 | 94.189 | 196.43 | 102.12 |
| 35. | पांडिचेरी | 22.862 | 12 | 12.25 | 47.112 | 12.53 | 4.19 | 7.91 | 24.63 | 54.807 | 34.917 | 64.571 | 52.28 |
| | जोड़ | 11,899.27 | 23,100.18 | 4,989.41 | 39,988.86 | 9,680.23 | 4,664.09 | 4,716.75 | 19,061.06 | 81.351 | 20.191 | 94.535 | 47.666 |
| | केरिपु/सीसुब | 0 | 19.668 | 0 | 19.668 | 0 | 11.88 | 0 | 11.88 | 0 | 60.403 | 0 | 60.403 |
| | रक्षा | 0 | 139.992 | 0 | 139.992 | 0 | 115.04 | 0 | 115.04 | 0 | 82.176 | 0 | 82.176 |
| | भूटान | 0 | 9.997 | 0 | 9.997 | 0 | 7.89 | 0 | 7.89 | 0 | 78.924 | 0 | 78.924 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 11,899.27 | 23,269.84 | 4,989.41 | 40,158.51 | 9,680.23 | 4,798.90 | 4,716.75 | 19,195.87 | 81.351 | 20.623 | 94.535 | 47.800 |

## *विवरण VIII*

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2006-2007 के लिए चावल का आवंटन एवं उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1052.088 | 2113.068 | 654.288 | 3819.444 | 1054.569 | 1442.142 | 656.77 | 3153.481 | 100.236 | 68.249 | 100.38 | 82.56 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 22.394 | 53.688 | 15.972 | 92.054 | 14.603 | 31.571 | 9.069 | 55.243 | 65.209 | 58.805 | 56.781 | 60.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 476.7 | 689.604 | 294.216 | 1460.52 | 478.084 | 511.738 | 272.045 | 1261.867 | 100.29 | 74.208 | 92.464 | 86.4 |
| 4. | बिहार | 1373.29 | 1096.2 | 386.757 | 2856.247 | 206.977 | 0.859 | 321.69 | 529.526 | 15.072 | 0.078 | 83.176 | 18.54 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 452.368 | 732.06 | 295.25 | 1479.678 | 491.961 | 6.486 | 313.059 | 811.506 | 108.75 | 0.886 | 106.03 | 54.84 |
| 6. | दिल्ली | 44.544 | 298.956 | 6.66 | 350.16 | 44.34 | 95.786 | 6.561 | 146.687 | 99.542 | 32.04 | 98.514 | 41.89 |
| 7. | गोवा | 5.15 | 79.968 | 6.108 | 91.226 | 4.4 | 13.1 | 3.94 | 21.44 | 85.437 | 16.382 | 64.506 | 23.5 |
| 8. | गुजरात | 273.55 | 1056.948 | 141.01 | 1471.508 | 243.2 | 34.398 | 116.446 | 394.044 | 88.905 | 3.254 | 82.580 | 26.78 |
| 9. | हरियाणा | 69.125 | 297.24 | 0 | 366.365 | 59.709 | 1.918 | 0 | 61.627 | 86.378 | 0.645 | 0 | 1682 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 29.887 | 196.948 | 43.519 | 270.354 | 28.365 | 120.218 | 43.744 | 192.327 | 94.907 | 61.04 | 100.52 | 71.14 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 152.282 | 313.404 | 82.858 | 548.544 | 156.171 | 196.119 | 78.192 | 430.482 | 102.55 | 62.577 | 94.369 | 78.48 |
| 12. | झारखंड | 512.322ह्ल | 151.416 | 183.34 | 847.078 | 274.117 | 0.812 | 180.25 | 455.179 | 53.505 | 0.536 | 98:315 | 53.74 |
| 13. | कर्नाटक | 640.118 | 1438.416 | 407.28 | 2485.814 | 646.738 | 747.778 | 392.031 | 1786.547 | 101.03 | 51.986 | 96.256 | 71.87 |
| 14. | केरल | 317.514 | 1361.04 | 248.331 | 1926.885 | 314.083 | 180.737 | 249.313 | 744.133 | 98.919 | 13.279 | 100.4 | 38.62 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 336.884 | 702.84 | 102.646 | 1142.37 | 322.6 | 24.634 | 94.681 | 441.915 | 95.76 | 3.505 | 92.240 | 38.68 |
| 16. | महाराष्ट्र | 895.042 | 1649.856 | 398.588 | 2943.486 | 734.576 | 46.892 | 343.321 | 1124.789 | 82.072 | 2.842 | 86.134 | 38.21 |
| 17. | मणिपुर | 45.064 | 33.228 | 21.18 | 99.472 | 35.824 | 15.895 | 18.411 | 70.13 | 79.496 | 47.836 | 86.926 | 70.5 |
| 18. | मेघालय | 53.508 | 37.248 | 23.352 | 114.108 | 53.435 | 31.605 | 23.352 | 108.392 | 99.864 | 84.85 | 100 | 94.99 |
| 19. | मिजोरम | 17.64 | 33.302 | 10.92 | 61.862 | 17.64 | 31.496 | 10.92 | 60.056 | 100 | 94.577 | 100 | 97.08 |
| 20. | नागालैंड | 25.894 | 52.428 | 16.048 | 94.37 | 31.434 | 62.667 | 19.386 | 113.487 | 121.4 | 119.53 | 120.800 | 120.26 |
| 21. | उड़ीसा | 1165.976 | 683.256 | 530.716 | 2379.948 | 676.998 | 5.695 | 433.288 | 1115.981 | 58.063 | 0.834 | 81.642 | 46.89 |
| 22. | पंजाब | 64.392 | 441.972 | 9.55 | 515.914 | 18.675 | 9.129 | 4.151 | 31.955 | 29.002 | 2.066 | 43.466 | 6.19 |
| 23. | राजस्थान | 200.934 | 810.936 | 11.32 | 1023.19 | 100.022 | 5.876 | 4.562 | 110.46 | 49.779 | 0.725 | 40.3 | 10.8 |
| 24. | सिक्किम | 11.766 | 21.097 | 6.474 | 39.337 | 11.766 | 20.567 | 6.474 | 38.807 | 100 | 97488 | 100 | 98.65 |
| 25. | तमिलनाडु | 1259.232 | 3667.98 | 783.144 | 5710.356 | 1159.002 | 1414.858 | 775.366 | 3349.226 | 92.04 | 38.573 | 99.007 | 58.65 |
| 26. | त्रिपुरा | 95.364 | 149.898 | 28.536 | 273.798 | 83.159 | 95.249 | 25.458 | 203.866 | 87.202 | 63.543 | 89.214 | 74.46 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1850.541 | 3247.02 | 1150.938 | 6248.499 | 1615.544 | 281.595 | 1104.76 | 3001.899 | 87.301 | 8.672 | 95.988 | 48.04 |
| 28. | उत्तराखंड | 99.84 | 211.968 | 41.832 | 353.64 | 83.967 | 40.484 | 31.702 | 156.153 | 84.102 | 19.099 | 75.784 | 44.16 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 923.938 | 2747.136 | 342.722 | 4013.796 | 492.965 | 330.392 | 284.367 | 1107.724 | 53.355 | 12.027 | 82.973 | 27.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 4.19 | 17.268 | 1.506 | 22.964 | 2.19 | 9.59 | 0.65 | 12.43 | 52.267 | 55.536 | 43.161 | 54.13 |
| 31. | चंडीगढ़ | 2.284 | 22.644 | 0.888 | 25.816 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0.28 | 9.194 | 0 | 7.883 | 1.08 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 4.59 | 5.592 | 1.592 | 11.774 | 2.36 | 1.37 | 0.35 | 4.08 | 51.416 | 24.499 | 21.985 | 34.65 |
| 33. | दमन व दीव | 0.924 | 8.376 | 0.552 | 9.852 | 0.4 | 0.25 | 0.31 | 0.96 | 43.29 | 2.985 | 56.159 | 9.74 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.295 | 3.265 | 0.161 | 3.721 | 0.24 | 2.78 | 0.16 | 3.18 | 81.356 | 85.145 | 99.379 | 85.46 |
| 35. | पांडिचेरी | 21.564 | 48 | 13.548 | 83.112 | 9.59 | 0.4 | 7.14 | 17.13 | 44.472 | 0.833 | 52.702 | 20.61 |
| | जोड़ | 12,501.19 | 24,474.27 | 6,261.80 | 43,237.26 | 9,469.91 | 5,815.09 | 5,831.99 | 21,116.99 | 75.752 | 23.760 | 93.136 | 48.840 |
| | केरिपु/सीसुब | 0 | 17.16 | 0 | 17.16 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 14.510 | 0 | 14.510 |
| | रक्षा | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 129.265 | 0 | 129.265 | 0 | 93.670 | 0 | 93.670 |
| | भूटान | 0 | 9.996 | 0 | 9.996 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 4.202 | 0 | 4.202 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 12,501.19 | 24,639.42 | 6,261.80 | 43,402.42 | 9,469.91 | 5,947.26 | 5,831.99 | 21,249.16 | 75.752 | 24.137 | 93.136 | 48.958 |

## *विवरण IX*

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के लिए चावल का आवंटन एवं उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | उठान का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ. | अं.अं.यो. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 789.066 | 1584.802 | 490.716 | 2864.584 | 789.698 | 1285.631 | 490.183 | 2565.512 | 100.080 | 81.122 | 99.891 | 89.56 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 16.839 | 40.272 | 11.979 | 69.09 | 9.911 | 22.512 | 6.801 | 39.224 | 58.857 | 55.9 | 56.774 | 56.77 |
| 3. | असम | 356.664 | 225.6 | 221.523 | 803.787 | 353.703 | 262.555 | 221.582 | 839.84 | 99.17 | 116.381 | 100.93 | 104.49 |
| 4. | बिहार | 954.045 | 1.71 | 458.991 | 1414.746 | 328.475 | 0 | 364.885 | 693.36 | 34.43 | 0 | 79.497 | 49.01 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 333.776 | 19.076 | 226.458 | 579.31 | 301.804 | 12.314 | 232.706 | 546.824 | 90.421 | 64.552 | 102.76 | 94.39 |
| 6. | दिल्ली | 29.794 | 140.373 | 8.609 | 178.776 | 30.441 | 119.303 | 6.145 | 155.889 | 102.17 | 84.99 | 71.379 | 87.20 |
| 7. | गोवा | 4.095 | 9.5 | 4.581 | 18.176 | 4.073 | 10.087 | 3.716 | 17.876 | 99.463 | 106.179 | 81.118 | 98.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | गुजरात | 220.383 | 110.52 | 116.703 | 447.606 | 185.828 | 21.225 | 106.641 | 313.694 | 84.32 | 19.205 | 91.378 | 70.08 |
| 9. | हरियाणा | 52.11 | 0.18 | 0 | 52.29 | 45.509 | 0 | 0 | 45.509 | 87.333 | 0 | 0 | 87.03 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 64.17 | 88.74 | 35.46 | 188.37 | 57.953 | 83.046 | 33 998 | 174.997 | 90.312 | 93.584 | 95.877 | 92.90 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 113.643 | 235.053 | 64.683 | 413.379 | 114.304 | 186.295 | 64.555 | 365.154 | 100.58 | 79.257 | 99.802 | 88.33 |
| 12. | झारखंड | 368.235 | 12.51 | 155.982 | 536.727 | 255.313 | 0.535 | 134.424 | 390.272 | 69.334 | 4.277 | 86.179 | 72.71 |
| 13. | कर्नाटक | 487.38 | 955.444 | 312.381 | 1755.205 | 485.625 | 428.25 | 299.267 | 1213.142 | 99.64 | 44.822 | 95.802 | 69.12 |
| 14. | केरल | 239.094 | 223.006 | 187.695 | 649.795 | 239.163 | 210.23 | 187.713 | 637.106 | 100.03 | 94.271 | 100.01 | 98.05 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 252.202 | 19.17 | 77.954 | 349.326 | 239.485 | 16.089 | 75.84 | 331.414 | 94.958 | 83.928 | 97.288 | 94.87 |
| 16. | महाराष्ट्र | 624.567 | 26.1 | 376.125 | 1026.792 | 476.126 | 18.642 | 296.769 | 791.537 | 76.233 | 71.425 | 78.902 | 77.09 |
| 17. | मणिपुर | 35.46 | 21.035 | 15.885 | 72.38 | 33.527 | 17.794 | 15.704 | 67.025 | 94.549 | 84.592 | 98.861 | 92.6 |
| 18. | मेघालय | 35.532 | 39.272 | 22.113 | 96.917 | 33.856 | 34.49 | 21.366 | 89.712 | 95.283 | 87.823 | 96.622 | 92.57 |
| 19. | मिजोरम | 13.23 | 34.083 | 8.19 | 55.503 | 13.079 | 29.06 | 8.191 | 50.33 | 98.859 | 85.262 | 100.01 | 90.68 |
| 20. | नगालैंड | 19.431 | 39.249 | 12.042 | 70.722 | 18.468 | 43.605 | 12.873 | 74.946 | 95.044 | 111.098 | 106.9 | 105.97 |
| 21. | उड़ीसा | 874.179 | 49.626 | 398.34 | 1322.145 | 716.208 | 11.203 | 314.062 | 1041.473 | 81.929 | 22.575 | 78.843 | 78.77 |
| 22. | पंजाब | 33.642 | 0 | 5.73 | 39.372 | 6.055 | 0.136 | 1.837 | 8.028 | 17.998 | 0 | 32.059 | 20.39 |
| 23. | राजस्थान | 151.794 | 0 | 9.666 | 161.46 | 108.555 | 0 | 4.652 | 113.207 | 71.515 | 0 | 48.127 | 70.11 |
| 24. | सिक्किम | 8.478 | 17.268 | 5.202 | 30.948 | 8.474 | 18.834 | 5.206 | 32.514 | 99.953 | 109.069 | 100.08 | 105.06 |
| 25. | तमिलनाडु | 944.424 | 2033.574 | 587.358 | 3565.356 | 941.217 | 1214.499 | 591.064 | 2746.78 | 99.66 | 59.722 | 100.63 | 77.04 |
| 26. | त्रिपुरा | 58.867 | 82.95 | 34.058 | 175.875 | 61.495 | 71.826 | 27.343 | 160.664 | 104.46 | 86.59 | 80.284 | 91.35 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1391.517 | 8.64 | 865.206 | 2265.363 | 1087.135 | 11.485 | 759.111 | 1857.731 | 78.126 | 132.928 | 87.738 | 82.01 |
| 28. | उत्तरांचल | 72.855 | 58.671 | 33.399 | 164.925 | 72.538 | 33.166 | 30.874 | 136.578 | 99.565 | 56.529 | 92.44 | 82.81 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 717.363 | 69.3 | 261.819 | 1048.482 | 556.001 | 69.51 | 224.545 | 850.056 | 77.506 | 100.303 | 85.763 | 81.07 |
| 30. | अं. व नि. द्वीपसमूह | 3.231 | 12.951 | 1.161 | 17.343 | 2.481 | 7.432 | 0.913 | 10.826 | 76.787 | 57.386 | 78.639 | 62.42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | चंडीगढ़ | 1.899 | 0 | 0.666 | 2.565 | 1.697 | 0 | 0.426 | 2.123 | 89.363 | 0 | 63.964 | 82.77 |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | 3.249 | 3.222 | 1.53 | 8.001 | 0.391 | 0.751 | 0.217 | 1.359 | 12.034 | 23.309 | 14.183 | 16.99 |
| 33. | दमन व दीव | 0.72 | 0.54 | 0.432 | 1.692 | 0.233 | 0.189 | 0.142 | 0.564 | 32.361 | 35 | 32.87 | 33.33 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.524 | 2.52 | 0.341 | 3.385 | 0.415 | 1.92 | 0.632 | 2.967 | 79.198 | 76.19 | 185.34 | 87.65 |
| 35. | पांडिचेरी | 16.173 | 21.33 | 10.161 | 47.664 | 8.779 | 0 | 5.609 | 14.388 | 54.282 | 0 | 55.201 | 30.19 |
| | जोड़ | 9,288.63 | 6,186.29 | 5,023.14 | 20,498.06 | 7,588.02 | 4,242.61 | 4,551.99 | 16,382.62 | 81.691 | 68.581 | 90.62 | 79.923 |
| | केरिपु/सीसुब | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | रक्षा | 0 | 96.372 | 0 | 96.372 | 0 | 83.324 | 0 | 83.324 | 0 | 86.461 | 0 | 86.461 |
| | भूटान | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 9,288.63 | 6,282.66 | 5,023.14 | 20,594.43 | 7,588.02 | 4,325.94 | 4,551.99 | 16,465.95 | 81.691 | 68.855 | 90.62 | 79.953 |

नोट: रक्षा के तहत उठान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भूटान शामिल हैं क्योंकि भारतीय खाद्य निगम से कोई विभाजन प्राप्त नहीं हुआ है।

**कीमतों में वृद्धि**

753. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
**श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:**
**श्री रघुनाथ झा:**
**श्री अबु अयीश मंडल:**
**श्री अजीत जोगी:**
**श्री सर्वे सत्यनारायण:**
**श्री के.सी. पल्लानी शामी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों के बावजूद आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, चना, खाद्य तेल, दालों, सब्जियों, दूध की कीमतों में वृद्धि जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और गत छः मास के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) कीमतों पर नियंत्रण रखने तथा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, काला बाजारी तथा वायदा बाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को खाद्य और कृषि संगठनों की ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें बढ़ती कीमतों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जानकारी है और उसने शून्य/घटी हुई शुल्क दरों पर आयात के जरिए और निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर चावल, गेहूं, दाल एवं खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति का विस्तार करने जैसे प्रभावी उपाय करके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। गत छह माह के दौरान दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

| वस्तु | 26/02/08 को वर्तमान कीमत 26.02.08 | खुदरा मूल्य (रुपए प्रति कि.ग्रा.) पिछले सप्ताह पूर्व 19.02.08 | एक माह पूर्व 25.01.08 | तीन माह पूर्व 26.11.07 | छः माह पूर्व 27.08.07 | उतार-चढ़ाव 6 माह में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चावल | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 3.00 |
| गेहूं | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 1.00 |
| चना दाल | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 |
| तूर दाल | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 34.00 | 1.00 |
| आटा | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 2.00 |
| चीनी | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 1.00 |
| मूंगफली का तेल* | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 118.00 | 3.00 |
| सरसों का तेल* | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 9.00 |
| वनस्पति* | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 60.00 | 60.00 | 8.00 |
| चाय (खुली) | 108.00 | 109.00 | 107.00 | 109.00 | 107.00 | 1.00 |
| दूध* | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 1.00 |
| आलू | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 15.50 | -7.50 |
| प्याज | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 14.50 | 21.00 | -13.00 |
| नमक | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 1.00 |

*रिफाइंड तेल * प्रति लीटर

कुछ खाद्य वस्तुओं, मुख्य रूप से चावल, तूर तथा दल खाद्य तेलों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मूल्य वृद्धि मुख्य रूप से मांग की तुलना में अपर्याप्त आपूर्ति, खाद्यान्नों का बायोफ्यूल और पशु चारे के रूप में उपयोग किए जाने, मौसम परिवर्तन की वजह से उत्पादन में कमी के कारण देखी गई।

(ग) चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को उन व्यक्तियों को नजरबंद करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने में बाधक पाई जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान और 31.12.2007 तक राज्य सरकारों द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार किए गए नजरबंदी आदेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| राज्य का नाम | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (31.12.2007 तक) |
|---|---|---|---|---|
| गुजरात | 63 | 101 | 85 | 50 |
| असम | 11 | – | – | – |
| तमिलनाडु | 1 | 7 | 74 | 65 |
| उड़ीसा | – | 2 | 1 | – |
| महाराष्ट्र | – | 1 | 1 | 1 |
| मध्य प्रदेश | – | – | – | 1 |
| कुल | 75 | 111 | 161 | 119 |

वायदा बाजार आयोग ने 23.1.2007 को तीन राष्ट्रीय एक्सचेंजों अर्थात् (क) मल्टी कमोडिटी एक्चेंज आफ इंडिया लि.; (ख) नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि.; (ग) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि. को पत्र लिखकर तूर और उड़द की सभी संविदाओं को सूची से हटाने तथा तूर और उड़द की सभी संविदाओं में सभी बकाया पोजीशनों को 23.1.2007 को बंद मूल्य पर समाप्त करने का निदेश दिया। वायदा बाजार आयोग ने यह भी कहा है कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना आगे कोई संविदा नहीं की जाएगी और उड़द व तूर में संविदाओं के लिए पहले दी जा चुकी अनुमति आहरित मानी जाएगी। वायदा बाजार आयोग ने 27.2.2007 को सभी तीनों राष्ट्रीय एक्सचेंजों को निदेश दिया है कि गेहूं और चावल की कोई संविदा शुरू न की जाए। एक्सचेंजों को लिखे गए पत्र में वायदा बाजार आयोग ने बताया है कि अभी शुरू की जाने वाली संविदाओं के लिए पहले दी जा चुकी अनुमति रद्द समझी जाए और इन वस्तुओं में चल रही संविदाओं के संबंध में कोई नई पोजीशन लेने की अनुमति नहीं दी जाए। केवल पोजीशनों को निपटाने की अनुमति दी जाए। कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में व्यवस्थित व्यापार सुनिश्चित करने के लिए वायदा बाजार आयोग ने ओपन पोजिसन पर सीमाओं का निर्धारण, मूल्य के दैनिक उतार-चढ़ाव की सीमा कम करने और अतिरिक्त/विशेष मार्जिन लगाने जैसे विभिन्न विनियामक उपाय निर्धारित किए हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

### ईपीएफओ में प्रशासनिक सुधार परियोजना

**754. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में प्रशासनिक सुधार परियोजना अब बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस परियोजना को बन्द करने के क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) से (ग) जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की परियोजना-"री-इन्वेंटिंग ईपीएफ इंडिया" के लिए 6,67,47,000/- रु. की राशि पर मैसर्स सीमेंस इन्फार्मेशन सिस्टम्स को परामर्शदाता के रूप में कार्यरत किया गया था। परियोजना के लिए नियुक्त परामर्शदाताओं ने 'बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग', 'सिस्टम डिजाइन डाक्यूमेंट', 'साफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशंस' आदि पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुप्रयोग साफ्टवेयर भी दिया गया। गहन प्रयोक्ता परीक्षण और फील्ड परीक्षण के बाद, अनुप्रयोग में काफी सुधार की गुंजाईश पाई गई। कमियों को दुरूस्त करने के लिए, परामर्शदाताओं ने ठेके में बदलाव और अनुचित वित्तीय प्रतिपूर्ति की मांग रखी। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने उपर्युक्त पर विचार किया है और अन्य विकल्प तलाशने तथा मौजूदा स्थिति के बारे में विधिक राय लेने का भी निदेश दिया है।

*[हिन्दी]*

### अनुसंधान तथा विकास सुविधाएं

**755. श्री शिशुपाल एन. पटले:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) सुविधाएं बढ़ाने के लिए धनराशि प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान और विकास के लिए पहचान किए गए ऐसे राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) इस अनुसंधान कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव):** (क) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनुसंधान संगठनों के माध्यम से जल संसाधन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान प्रारम्भ करने के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए "जल सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम" के लिए एक योजना मंजूर की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न अनुसंधान संगठनों/जल तथा भू-प्रबंधन संस्थाओं (वाल्मीज) शैक्षिक संस्थाओं आदि को मुख्य/प्राथमिक क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। मंत्रालय द्वारा सहायता के लिए पहचान किए गए मुख्य/प्राथमिक क्षेत्र हैं (क) पूर्ण वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए दक्षता अध्ययन; (ख) जल संसाधनों पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव तथा संवेदनशीलता आकलन एवं अनुकूलन संबंधी अध्ययन; (ग) जलाशय अवसादन संबंधी अध्ययन; (घ) संसाधन से पर्याप्त लाभ के लिए कार्योत्तर मूल्यांकन तथा प्रबंधन; तथा (ङ) निष्पादन में सुधार के लिए सिंचाई परियोजनाओं की बेंच मार्किंग प्रारंभ करना।

(ख) और (ग) पूरे देश के अनुसंधान संगठन/वाल्मीज/शैक्षिक संस्थाएं निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता प्राप्ति के लिए समर्थ हैं। जिन विभिन्न अनुसंधान संगठनों/वाल्मीज/शैक्षिक संस्थाओं

को योजना के अंतर्गत वर्तमान में सहायता प्रदान की जा रही है, उनकी सूची संलग्न विवरण में है। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न संगठनों/संस्थाओं द्वारा अनुसंधान योजनाएं अलग-अलग समय पर पूर्ण होनी हैं।

*विवरण*

*वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे अनुसंधान संगठनों/वाल्मीज/शैक्षिक संस्थाओं की सूची*

आंध्र प्रदेश

* आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
* केन्द्रीय शुष्क कृषि भूमि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
* जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
* ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
* राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
* एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति

असम

* जल एवं भू-प्रबंधन, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय संस्थान, तेजपुर
* क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट

बिहार

* जल एवं भू प्रबंधन संस्थान, पटना

छत्तीसगढ़

* इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

गुजरात

* गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
* गुजरात अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, वडोदरा

हरियाणा

* सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
* वन विभाग, हरियाणा सरकार

झारखंड

* भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद
* केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

कर्नाटक

* भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
* कर्नाटक इंजीनियरिंग अनुसंधानशाला, कृष्णाराजसागरा
* राष्ट्रीय रॉक मेकेनिक्स संस्थान, कोलार
* राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरथकल
* कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर

केरल

* जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केन्द्र, कोझीकोड
* केरल अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पीची
* केरल राज्य विद्युत बोर्ड
* अभियांत्रिकी विद्यालय, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन

मध्य प्रदेश

* पर्यावरण प्रबंधन एवं पौध विज्ञान संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
* उष्णकटिबन्धी वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

महाराष्ट्र

* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
* महाराष्ट्र अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नासिक

मणिपुर

* मणिपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इम्फाल

उड़ीसा

* स्पेशियल योजना तथा विश्लेषण अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर (एन.जी.ओ.)
* जल संसाधन विभाग, उड़ीसा सरकार
* पूर्वी क्षेत्र, जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर

पंजाब

* सिंचाई एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान, अमृतसर

राजस्थान

* शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

* बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, जयपुर
* बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी
* बी.एम. बिरला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, जयपुर (एन.जी.ओ.)
* इंजीनियरिंग कालेज, कोटा
* आई.डी. एवं आर. इकाई, राजस्थान सरकार, जयपुर
* महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
* राजस्थान ग्रामोत्थान संस्था, जयपुर (एन.जी.ओ.)

तमिलनाडु

* अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई
* अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर
* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई
* जलीय तथा जल विज्ञान संस्थान, पोंदी
* तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
* वी.ओ. चिदम्बरम कालेज, तूतिकोरिन

उत्तर प्रदेश

* अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
* प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
* मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर

उत्तराखण्ड

* जी.बी. पन्त हिमालयन पर्यावरण तथा विकास संस्थान, श्रीनगर (गढ़वाल)
* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
* सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की

पश्चिम बंगाल

* बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया
* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
* प्रेसिडेंसी कालेज, कोलकाता
* नदी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
* एस.डब्ल्यू.आई.डी., पश्चिम बंगाल

दिल्ली

* इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री संघ, नई दिल्ली (एन.जी.ओ.)
* भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
* संसाधन प्रबंधन तथा आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली (एन.जी.ओ.)
* जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
* जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
* दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

पुडुचेरी

* पांडिचेरी विश्वविद्यालय, कलापेट

*[अनुवाद]*

**सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा परियोजना को मंजूरी**

**756. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) ने विभिन्न राज्यों के लिए कुछ जल संसाधन परियोजनाओं की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जयप्रकाश नारायण यादव ):** (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन परियोजनाओं को स्वीकृति देना राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की मूल्यनिरूपण प्रक्रिया के पूरा होने और केन्द्रीय मूल्यनिरूपण अभिकरणों के प्रेक्षणों की राज्य सरकारों द्वारा अनुपालना पर निर्भर एक सतत् प्रक्रिया है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं संबंधी जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति की 89वीं से 91वीं बैठक के दौरान समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों संबंधी ब्यौरा विवरण पर दिये गये हैं।

सिंचाई राज्य का विषय है, और परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, निष्पादन की प्राथमिकता और तत्संबंधी वित्तपोषण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। केन्द्र सरकार वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एआईबीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

*विवरण*

*सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं संबंधी जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति की 89वीं से 91वीं बैठकों में समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | बैठक संख्या | बैठक की तिथि | परियोजना का नाम | राज्य का नाम | वृहद/मध्यम | अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में) | लाभ (हेक्टेयर/एम डब्ल्यू में) | योजना आयोग द्वारा अनुमोदन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 89वीं | 27.06.2007 | डोलुंग सिंचाई स्कीम | नगालैंड | मध्यम | 75.20 | 10146 | |
| 2. | | | पंपन बराज परियोजना (संशोधित) | बिहार | वृहद | 199.41 | 13680 | 05.10.2007 |
| 3. | | | मध्य गंगा नहर परियोजना चरण-II | उत्तर प्रदेश | वृहद | 1095.41 | 136532 | |
| 4. | | | निचली इंदिरा सिंचाई परियोजना (संशोधित) | उड़ीसा | वृहद | 521.13 | 38870 | |
| 5. | | | थौबल बहुउद्देश्यीय परियोजना (संशोधित) | मणिपुर | वृहद | 715.81 | 33449 | |
| 6. | | | चंद्रभगा सिंचाई परियोजना | महाराष्ट्र | मध्यम | 188.925 | 8135 | 05.10.2007 |
| 7. | | | सपन सिंचाई परियोजना | महाराष्ट्र | मध्यम | 200.70 | 7195 | 05.10.2007 |
| 8. | | | उतरमंद सिंचाई परियोजना | महाराष्ट्र | मध्यम | 123.169 | 5280/0.5 मे.वा. | 20.09.2007 |
| 9. | | | वांग सिंचाई परियोजना | महाराष्ट्र | मध्यम | 162.782 | 7068/3.00 मे.वा. | 20.09.2007 |
| 10. | | | मोर्ना (गुरेघट) सिंचाई परियोजना | महाराष्ट्र | मध्यम | 129.641 | 3075/0.80 मे.वा. | 20.09.2007 |
| 11. | | | पेंडखली सिंचाई परियोजना | महाराष्ट्र | वृहद | 169.67 | 14332 | 24.09.2007 |
| 12. | | | सिधवा सिंचाई परियोजना | हिमाचल प्रदेश | मध्यम | 66.35 | 5348 | 08.11.2007 |
| 13. | 90वीं | 26.09.2007 | साह नहर सिंचाई परियोजना (संशोधित) | हिमाचल प्रदेश | वृहद | 310.89 | 24772 | 17.01.2008 |
| 14. | | | चेंजर क्षेत्र एलआईएस (संशोधित) | हिमाचल प्रदेश | मध्यम | 88.09 | 3.041 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | | | बलेश्वर स्थान गंग पंप नहर, चरण-I (संशोधित) | बिहार | वृहद | 389.31 | 27603 | |
| 16. | | | बाणसागर नहर परियोजना (संशोधित) | उत्तर प्रदेश | वृहद | 1674.11 | 150132 (अतिरिक्त) | |
| 17. | | | परकाचित खवास सिंचाई नहर | जम्मू-कश्मीर | मध्यम | 35.44 | 2262 | |
| 18. | | | दक्षिण सरस्वती नदी का सुधार | पश्चिम बंगाल | बाढ़ संरक्षण | 32.10 | - | |
| 19. | | | महानदी जलाशय परियोजना (संशोधित) | छत्तीसगढ़ | वृहद | 845.00 | 264000 | 11.12.2007 |
| 20. | | | संगोला शाख नहर परियोजना | महाराष्ट्र | वृहद | 287.77 | 11288 | 17.12.2007 |
| 21. | | | सलवाड़े बराज | महाराष्ट्र | मध्यम | 290.88 | 8533 | 10.12.2007 |
| 22. | | | सारंगखाड़े बराज | महाराष्ट्र | मध्यम | 202.48 | 11320 | 10.12.2007 |
| 23. | | | प्रकाश बराज | महाराष्ट्र | मध्यम | 178.91 | 10180 | 10.12.2007 |
| 24. | 91वीं | 07.11.2007 | बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना का घटक | बिहार | बाढ़ नियंत्रण | 135.16 | - | 15.02.2008 |
| 25. | | | कमला नदी के साथ-साथ वर्तमान तटबंधों को ऊंचा करना और उनका सुदृढ़ीकरण | बिहार | बाढ़ नियंत्रण | 52.0926 | - | 15.02.2008 |
| 26. | | | महानदी बेसिन/उप-बेसिन में बाढ़ नियंत्रण तटबंध | बिहार | बाढ़ नियंत्रण | 603.88 | - | |
| 27. | | | चंदन नदी पद्धति में वर्तमान बाएं एवं दाएं तट को ऊंचा उठाना एवं उनका सुदृढ़ीकरण और विस्तार | बिहार | बाढ़ नियंत्रण | 147.6868 | | |
| 28. | | | गेरुआ नदी के साथ-साथ वर्तमान दाएं तटबंध को ऊंचा करना एवं उसका सुदृढ़ीकरण और विस्तार | झारखंड | बाढ़ नियंत्रण | 20.123 | - | |
| 29. | | | पूर्ण सिंचाई परियोजना | महाराष्ट्र | मध्यम | 213.10 | 7530 | |

**खेती योग्य भूमि**

757. **श्री पी. मोहन:**
**डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुल कृषि योग्य भूमि बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या माइक्रो और लिफ्ट सिंचाई सहित सिंचाई सुविधाओं का विस्तार प्रति वर्ष देश के और अधिक गांवों में किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं में कितनी धनराशि निवेश की गई;

(च) क्या बंजर भूमि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) से (ग) जी, नहीं। 1980-81 में कुल कृष्य भूमि 185.09 मिलियन हेक्टेयर थी जो वर्ष 2005-06 में मुख्यत: कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि उपयोगों के कारण घटकर 182.57 मिलियन हेक्टेयर रह गई। इसी अवधि के दौरान गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत भूमि 19.66 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 24.94 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। वर्ष 2005-06 के लिए कृषि भूमि का राज्यवार विवरण विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का नियोजन, कार्यान्वयन, वित्तपोषण तथा इनके निर्माण को प्राथमिकता देना राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत लगभग 42.3 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है और लघु सिंचाई परियोजनाओं के तहत लगभग 60.40 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: विवरण-II और विवरण-III में दिये गये हैं। देश में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को कार्यान्वित करने के लिए जनवरी, 2006 (दसवीं योजना के दौरान) में सूक्ष्म सिंचाई संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली की लागत के 50 प्रतिशत की दर से सभी वर्गों के किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। गत दो वर्षों (2005-06 और 2006-07) के दौरान उपरोक्त स्कीम के तहत 3.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियों के ब्यौरे विवरण-IV में दिये गये हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। देश में वर्ष 1980-81 में बंजर भूमि 19.96 मिलियन हेक्टेयर थी जो वर्ष 2005-06 में घटकर 17.54 मिलियन हैक्टेयर रह गई।

*विवरण I*

*वर्ष 2005-06 के लिए राज्य-वार कृष्य भूमि क्षेत्र*

*(अनंतिम)*

(क्षेत्र हजार हेक्टेयर में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | कृष्य भूमि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 15772.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 314.0 |
| 3. | असम | 3224.00 |
| 4. | बिहार | 6639.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 5590.00 |
| 6. | गोवा | 197.00 |
| 7. | गुजरात | 12412.00 |
| 8. | हरियाणा | 3780.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 804.00 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 1050.00 |
| 11. | झारखंड | 4184.00 |
| 12. | कर्नाटक | 12905.00 |
| 13. | केरल | 2323.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 17337.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | 21167.00 |
| 16. | मणिपुर | 245.00 |
| 17. | मेघालय | 1058.00 |
| 18. | मिजोरम | 218.00 |
| 19. | नागालैंड | 644.00 |
| 20. | उड़ीसा | 7473.00 |
| 21. | पंजाब | 4270.00 |
| 22. | राजस्थान | 25630.00 |
| 23. | सिक्किम | 154.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 8164.00 |
| 25. | त्रिपुरा | 310.00 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 19307.00 |
| 27. | उत्तरांचल | 1511.00 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 5749.00 |
| | **संघ शासित** | |
| 29. | रा.रा.क्षे. दिल्ली | 58.00 |
| 30. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 24.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 31. | चंडीगढ़ | 2.00 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 24.00 |
| 33. | दमन और दीव | 2.00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 3.00 |
| 35. | पांडिचेरी | 31.00 |
| | अखिल भारत | 182575.00 |

## विवरण II

*दसवीं योजना के अन्त तक प्रमुख और मध्यम सिंचाई क्षेत्र में राज्यवार सम्भावित भौतिक उपलब्धि*

(हजार है.)

| क्र.सं. | राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | प्रमुख और मध्यम सिंचाई के लिए अन्तिम सिंचाई परियोजना | नौवीं योजना के अंत तक उत्पन्न क्षमताएं | नौवीं योजना के अंत तक अपेक्षित क्षमताएं | दसवीं योजना के दौरान प्रदर्शन | | | | | | | | | | | | दसवीं योजना तक संचयी उपलब्धियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2002-03 | | 2003-04 | | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 (लक्ष्य) | | कुल योग | | | |
| | | | | | पीसी | पीयू | पीसी | पीयू | पीसी | पीयू | पीसी | पीयू | पीसी | पीयू | पीसी | पीयू | पीसी | पीयू |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5000.00 | 3302.22 | 3051.59 | 94.24 | 61.26 | 112.98 | 73.44 | 78.03 | 50.72 | 11.74 | 7.63 | 142.45 | 92.59 | 439.44 | 285.64 | 3742.66 | 3337.23 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.52 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.79 | 1.20 | 0.79 |
| 3. | असम | 970.00 | 243.92 | 174.37 | 5.5 | 3.53 | 0.62 | 0.4 | 47.65 | 30.97 | 2.5 | 1.63 | 12.71 | 8.26 | 68.38 | 44.84 | 312.90 | 219.21 |
| 4. | बिहार | 5223.60 | 2680.00 | 1714.83 | 27 | 17.55 | 45 | 29.25 | 45 | 29.25 | 37 | 24.05 | 125 | 81.25 | 279 | 181.35 | 2959.00 | 1896.18 |
| 5. | झारखंड | 1276.50 | 354.47 | 230.45 | 58 | 37.7 | 47 | 78.82 | 59.6 | 38.68 | 50 | 32.5 | 33 | 22.76 | 249.5 | 210.25 | 603.57 | 440.70 |
| 6. | गोवा | 62.00 | 21.17 | 15.33 | 1.72 | 1.12 | 3.15 | 2.05 | 2.22 | 1.44. | 4.29 | 2.65 | 5.1 | 3.32 | 16.48 | 10.58 | 37.65 | 25.91 |
| 7. | गुजरात | 3000.00 | 1430.37 | 1300.83 | 144 | 93.6 | 137.13 | 89.13 | 168 | 109.2 | 324 | 210.6 | 15 | 9.75 | 788.13 | 512.28 | 2218.50 | 1813.11 |
| 8. | हरियाणा | 3000.00 | 2099.49 | 1849.97 | 16.3 | 10.6 | 13.57 | 8.82 | 16.43 | 10.68 | 20.28 | 13.18 | 25.29 | 16.44 | 81.87 | 59.722191 | .38 | 1909.69 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 50.00 | 13.35 | 7.51 | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 0.2 | 0.31 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.65 | 2.1 | 1.38 | 15.45 | 8.89 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 250.00 | 179.69 | 168.75 | 3.56 | 2.31 | 4.82 | 3.13 | 0 | 0 | 15.23 | 9.9 | | | 23.61 | 15.34 | 203.30 | 184.091 |
| 11. | कर्नाटक | 2500.00 | 2121.12 | 1844.82 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 1.69 | | | 2.63 | 2.2 | | . | 6.63 | 5.09 | 2127.75 | 1849.91 |
| 12 | केरल | 1000.00 | 609.49 | 558.87 | 57.12 | 37.13 | 68.21 | 44.34 | 74.67 | 29.87 | 134.09 | 17.54 | 146.89 | 95.48 | 480.98 | 224.36 | 1090.47 | 783.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | मध्य प्रदेश | 4853.07 | 1336.90 | 875.63 | 10 | 6.5 | 15 | 9.75 | 15 | 9.75 | 10 | 6.5 | 15 | 9.75 | 65 | 42.25 | 1451.90 | 917.88 |
| 14. | छत्तीसगढ़ | 1146.93 | 922.50 | 760.74 | 101.75 | 66.14 | 125.32 | 81.46 | 147.76 | 39.5 | 170.17 | 110.61 | 343.18 | 223.07 | 888.19 | 520.78 | 1810.68 | 1281.52 |
| 15. | महाराष्ट्र | 4100.00 | 3239.00 | 2147.24 | 24 | 15.6 | 116 | 74.75 | 115 | 74.75 | 1.16 | 0.75 | | | 255.15 | 165.85 | 3494.15 | 2313.09 |
| 16. | मणिपुर | 135.00 | 91.15 | 72.91 | | | 5.15 | 4.5 | 5.25 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.98 | 11.9 | 9.48 | 103.05 | 82.39 |
| 17. | मेघालय | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 1 | 0.65 | 1 | 0.65 | 1.00 | 0.65 |
| 20. | उड़ीसा | 3600.00 | 1826.56 | 1794.17 | 29.92 | 19.45 | 67.4 | 43.81 | 27.75 | 18.04 | 5 | 3.25 | 33.34 | 21.67 | 163.41 | 106.22 | 1989.97 | 1900.39 |
| 21. | पंजाब | 3000.00 | 2542.48 | 2485.99 | 2.19 | 5.03 | | | | | 30 | 19.5 | 30 | 19.5 | 62.19 | 44.03 | 2604.67 | 2530.02 |
| 22. | राजस्थान | 2750.00 | 2482.15 | 2313.87 | 44.8 | 29.12 | 68.85 | 44.95 | 92 | 92 | 71 | 46.15 | 131.55 | 85.51 | 408.2 | 297.73 | 2890.35 | 2611.60 |
| 23. | सिक्किम | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 1500.00 | 1549.31 | 1549.29 | 4.25 | 2.76 | 5.14 | 3.34 | 2.36 | 1.53 | | | | | 11.75 | 7.63 | 1561.06 | 1556.92 |
| 25. | त्रिपुरा | 100.00 | 4.90 | 4.50 | | | | | 4.5 | 2.93 | 4.65 | 3.02 | 4.65 | 3.02 | 13.8 | 8.97 | 18.70 | 13.47 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 12154.00 | 7910.09 | 6334.00 | 146.34 | 94.47 | 74.72 | 38.63 | 145.2 | 130 | 162 | 105.3 | 344 | 223.6 | 871.26 | 592 | 8781.35 | 6926.00 |
| 27. | उत्तरांचल | 346.00 | 280.30 | 185.41 | 1.24 | 0.81 | 2.48 | 1.61 | 2.48 | 1.61 | 2.48 | 1.61 | 0.67 | 0.44 | 9.35 | 6.08 | 289.65 | 191.49 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2300.00 | 1683.29 | 1527.12 | 39 | 25.35 | 7.52 | 4.89 | 15 | 9.75 | 10 | 6.5 | 15 | 9.75 | 86.52 | 56.24 | 1769.81 | 1583.36 |
| | संघ क्षेत्र | 98.00 | 6.5 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 6.51 | 3.94 |
| | योग | 59465.00 | 36981.43 | 30972.13 | 812.33 | 531.91 | 922.26 | 638.95 | 1064.2 | 684.93 | 1068.51 | 625.26 | 1428.3 | 928.41 | 5295.83 | 3409.53 | 42277.06 | 34381.66 |

## विवरण III

### दसवीं योजना में लघु सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत राज्य-वार संभावित भौतिक उपलब्धि

(क्षेत्र हजार हेक्टेयर में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ क्षेत्र | अंतिम सिंचाई क्षमता | नौवीं योजना तक उपलब्धि | | दसवीं योजना में अनुमानित उपलब्धि | | दसवीं योजना तक संभावित संचयी उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उत्पन्न क्षमता | उपयोगिता क्षमता | उत्पन्न क्षमता | उपयोगिता क्षमता | उत्पन्न क्षमता | उपयोगिता क्षमता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 6260.00 | 3019.46 | 2781.22 | 102.52 | 86.35 | 3121.98 | 2867.57 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1680 | 99.52 | 77.40 | 18.36 | 14.69 | 117.88 | 92.09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 1900.00 | 603.62 | 494.11 | 31.86 | 25.49 | 635.48 | 519.60 |
| 4. | बिहार | 5663.50 | 4716.44 | 3759.46 | 42.34 | 33.87 | 4758.78 | 3793.33 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 571.00 | 588.87 | 471.09 | 104.06 | 83.25 | 692.93 | 554.34 |
| 6. | गोवा | 54.00 | 22.20 | 19.14 | 2.3 | 1.85 | 24.51 | 20.99 |
| 7. | गुजरात | 3103.00 | 1998.92 | 1876.14 | 24.50 | 19.60 | 2023.42 | 1895.74 |
| 8. | हरियाणा | 1512.0 | 1630.95 | 1578.12 | 8.72 | 5.38 | 1637.67 | 1583.50 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 303.00 | 161.00 | 138.30 | 10.09 | 8.07 | 171.09 | 146.37 |
| 10. | झारखंड | 1183.50 | 382.45 | 366.77 | 71.44 | 57.15 | 453.89 | 423.92 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 1108.00 | 1585.04 | 1541.74 | 6.30 | 4.86 | 1591.344 | 1546.80 |
| 12. | कर्नाटक | 3474.00 | 640.02 | 603.76 | 39.84 | 31.87 | 679.86 | 635.63 |
| 13. | केरल | 1679,00 | 2256.13 | 2149.48 | 42.00 | 33.60 | 2298.13 | 2183.08 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 11361.00 | 487.70 | 322.86 | 112.92 | 90.34 | 600.62 | 413.20 |
| 15. | महाराष्ट्र | 4852.00 | 2942.60 | 2557.72 | 363.00 | 290.40 | 3305.60 | 2848.12 |
| 16. | मणिपुर | 469.00 | 75.49 | 62.34 | 18.70 | 14.96 | 94.19 | 77.30 |
| 17. | मेघालय | 148.00 | 50.97 | 47.31 | 10.79 | 8.63 | 61.76 | 55.94 |
| 18. | मिजोरम | 70.00 | 16.69 | 14.08 | 1.39 | 1.15 | 18.08 | 15.23 |
| 19. | नगालैंड | 75.00 | 76.56 | 65.63 | 16.61 | 13.29 | 93.17 | 78.92 |
| 20. | उड़ीसा | 5203.00 | 1474.12 | 1337.55 | 162.58 | 130.06 | 1636.70 | 1467.61 |
| 21. | पंजाब | 2967.00 | 3427.56 | 3367.82 | 2.52 | 0.38 | 3430.08 | 3368.20 |
| 22. | राजस्थान | 2378.00 | 2447.10 | 2361.80 | 20.80 | 16.64 | 2467.90 | 2378.44 |
| 23. | सिक्किम | 50.00 | 29.67 | 23.61 | 3.76 | 3.01 | 33.43 | 26.62 |
| 24. | तमिलनाडु | 4032.00 | 2123.38 | 2119.52 | 11.10 | 8.88 | 2134.48 | 2128.40 |
| 25. | त्रिपुरा | 181.00 | 109.65 | 96.09 | 30.33 | 24.26 | 139.98 | 120.35 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 17481.00 | 21599.40 | 17279.62 | 1977.03 | 1581.62 | 23576.43 | 18881.24 |
| 27. | उत्तरांचल | 518.00 | 500.98 | 400.80 | 15.56 | 12.44 | 516.54 | 413.24 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 4618.00 | 3792.52 | 3098.12 | 261.13 | 208.90 | 4053.65 | 3307.02 |
| | कुल (राज्य) | 81382.00 | 56859.01 | 49011.60 | 3510.56 | 2811.00 | 60369.57 | 51822.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | अं. व. नि. द्वीपसमूह | | 1 38 | 1.35 | 0.72 | 0.58 | 2.10 | 1.93 |
| 30. | चंडीगढ़ | | 0.26 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 0.27 |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.54 | 1.37 | 1.19 |
| 32. | दमन व दीव | | 1537 | 10.29 | 2.39 | 1.91 | 17.76 | 12.20 |
| 33. | दिल्ली | | 21.64 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 21.64 | 18.52 |
| 34. | लक्षद्वीप | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | पांडिचेरी | | 4.37 | 4.36 | 3.36 | 2.69 | 7.73 | 7.05 |
| | योग (यूटी) | 46.00 | 43.71 | 35.41 | 7.19 | 5.75 | 50.90 | 41.16 |
| | योग (राज्य एवं यूटी) | 81428.00 | 56902.72 | 49047.01 | 3517.75 | 2816.75 | 60420.47 | 51863.76 |

एनएफ: प्रस्तुत नहीं किया गया

दसवीं योजना मध्यावधिक मूल्यांकन में दसवीं योजना का लक्ष्य घटाकर 4.0 मिलियन हेक्टेयर रखा गया है जिसके विश्लेषण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

*वास्तविक उपलब्धि के आंकड़ों का राज्यों के साथ समायोजनाधीन

## *विवरण IV*

*2005-2006 और 2006-2007 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कोष की निर्मुक्ति और कवर किए गए क्षेत्र के ब्यौरे*

| क्र.सं. | राज्य | जिलों की सं. | 2005-06 | | | | 2006-07 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक लक्ष्य | | वित्तीय (लाख रु. में) | | भौतिक लक्ष्य | | वित्तीय (लाख रु. में) | |
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 22 | 45530 | 6775 | 6129.23 | 934 | 193621 | 91.398 | 19519.68 | 10487.9 |
| 2. | बिहार | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14223 | 0 | 2482.1 | 0 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28748 | 4600 | 3032.88 | 25621 |
| 4. | दिल्ली | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15.71 | 0 |
| 5. | गोवा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 12.13 | 1 |
| 6. | गुजरात | 25 | 16720 | 5042 | 2182.01 | 701.17 | 18247 | 24338 | 3955.9 | 3892 |
| 7. | हरियाणा | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385 | 2823 | 443.89 | 231.79 |
| 8. | झारखंड | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106 | 0 | 229.92 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | कर्नाटक | 21 | 25703 | 0 | 3564.1 | 0 | 23737 | 38850 | 2456.75 | 4014.27 |
| 10. | केरल | 14 | 25208 | 0 | 3200 | 0 | 5382 | 621 | 636.3 | 40.33 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 48 | 3498 | 0 | 580.32 | 0 | 2117 | 3087 | 401.16 | 401 |
| 12. | महाराष्ट्र | 33 | 41856 | 0 | 4808.09 | 0 | 65188 | 98825 | 8796.55 | 12460.28 |
| 13. | उड़ीसा | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314 | 1222 | 454.26 | 137.27 |
| 14. | पंजाब | 17 | 4180 | 0 | 566.14 | 0 | 0 | 1423 | 0 | 183.72 |
| 15. | राजस्थान | 32 | 13000 | 0 | 1048.02 | 0 | 39751 | 7676 | 2833.34 | 3704.35 |
| 16 | तमिलनाडु | 12 | 32850 | 0 | 4290.96 | 0 | 5402 | 0 | 1200.64 | 0 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 26 | 8910 | 0 | 1241.74 | 0 | 0 | 1863 | 0 | 145.67 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 0 | 195.67 | 0 |
| | कुल | 396 | 217455 | 11817 | 27630.61 | 1635.17 | 410298 | 336734 | 46066.88 | 35955.79 |

*[हिन्दी]*

**जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ का बढ़ाना**

**758. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
**श्री काशीराम राणा:**
**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर से सैन्य बलों में कमी के बाद घुसपैठ और आतंकवाद की घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान हुई घुसपैठ तथा आतंकवाद की घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन घटनाओं में मारे गए आतंकवादियों, रक्षाकर्मियों तथा नागरिकों की संख्या कितनी है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में तैनात सैनिकों की संख्या संबंधी मूल्यांकन तथा समीक्षा खतरे की बदलती अवधारणा के आधार पर सेना द्वारा निरंतर तौर पर की जाती है। वर्ष 2007 के दौरान जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ और अतिक्रमण संबंधी घटनाओं की संख्या क्रमश: 535 और 1092 थी।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान मारे गए आतंकवादियों, सुरक्षा बलों के कार्मिकों तथा सिविलियनों की संख्या इस प्रकार है:-

| वर्ष | मारे गए आतंकवादी | मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक | मारे गए सिविलियन |
|---|---|---|---|
| 2005 | 917 | 189 | 557 |
| 2006 | 591 | 151 | 389 |
| 2007 | 472 | 110 | 158 |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन**

**759. श्री कैलाश मेघवाल:**
**श्री नवीन जिन्दल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, रबी 2007-08 से प्रचालन में है। वर्ष 2007-08 के लिए राज्यों की वार्षिक कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और चावल, गेहूं और दलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न राज्यों को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 35744.42 लाख रुपये की राशि का आबंटन किया गया। राज्यवार आबंटन विवरण में दिया गया है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न नियोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित मानिटरिंग के द्वारा यह परिकल्पित है कि यह मिशन राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

*विवरण*

*राज्य-वार आबंटन*

28.2.2008 की स्थिति
(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | कुल आबंटन | कुल निर्मुक्त राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4261.830 | 1343.064 |
| 2. | असम | 380.820 | 380.820 |
| 3. | बिहार | 3630.335 | 3540.343 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 1014.000 | 821.400 |
| 5. | गुजरात | 737.250 | 604.000 |
| 6. | हरियाणा | 1971.110 | 1589.408 |
| 7. | झारखंड | 0.000 | 0.000 |
| 8. | कर्नाटक | 786.690 | 636.152 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 4412.495 | 3591.196 |
| 10. | महाराष्ट्र | 1389.290 | 997.512 |
| 11. | उड़ीसा | 1133.620 | 618.736 |
| 12. | पंजाब | 3288.330 | 2653.464 |
| 13. | राजस्थान | 2359.180 | 1896.344 |
| 14. | तमिलनाडु | 900.553 | 725.442 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 8379.060 | 6795.048 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 1099.857 | 78.000 |
| | योग | 35744.420 | 26270.929 |

**घटिया बीज और कपास उत्पादन**

760. **प्रो. एम. रामदास:**
**प्रो. महादेवराव शिवणकर:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में उपलब्ध कपास के कम गुणवत्ता/नकली/घटिया बीजों के कारण कपास उत्पादन पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि समुदाय को कपास के कम गुणवत्ता/नकली/घटिया बीजों का विपणन करने के लिए जिम्मेदार कपास उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) जी नहीं। कपास उत्पादन में पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ोत्तरी हुई जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

| वर्ष | क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में) | उत्पादन (लाख गांठों में) | पैदावार (कि.ग्रा. प्रति है. में) |
|---|---|---|---|
| 2004-2005 | 87.87 | 164.29 | 318 |
| 2005-2006 | 86.77 | 184.99 | 362 |
| 2006-2007 | 91.42 | 226.96 | 422 |

निम्न गुणवत्ता/नकली/अवमानक बीजों की बिक्री को कम करने के लिए बिक्री केन्द्रों का अधिसूचित बीज निरीक्षकों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता है और कपास सहित सभी फसलों के नमूने गुणवत्ता की जांच करने के लिए उठाए जाते हैं। निम्न गुणवत्ता/नकली/अवमानक बीजों की बिक्री पर रोक लगा दी जाती है और बीज अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही की जायेगी। चूककर्ता के खिलाफ विधिक कार्यवाही शुरू की जाती है।

गत तीन वर्षों के दौरान कपास सहित अवमानक बीजों की बिक्री करने वालों के खिलाफ जिन पर बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत कार्रवाई की गई, उनका ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

*विवरण*

*वर्ष 2004-2007 के दौरान कानून प्रवर्तन (बीज अधिनियम, 1966) की अखिल भारत स्थिति*

| क्र.सं. | वर्ष | अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या | उठाए गए नमूनों की कुल संख्या | अवमानक पाए गए नमूनों की संख्या | बीज डीलरों की सं. जिन्होंने अवमानक बीज बेचे | मामलों की सं. जिन्हें चेतावनी दी गई | उन मामलों की सं. जिनमें बिक्री रोकने के आदेश जारी किए गए | विधिक न्यायालयों में दायर मामलों की सं. | विधिक न्यायालयों द्वारा निर्णीत मामले जिनमें जुर्माने/कारावास का फैसला सुनाया गया | विधिक न्यायालयों में लंबित मामलों की सं. | मामलों की सं. जिनमें बीज जब्त किए गए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | 8529 | 87588 | 3829 | 2261 | 2207 | 3201 | 343 | 197 | 173 | 48 |
| 2. | 2005-2006 | 8041 | 79669 | 5901 | 2235 | 2063 | 2829 | 450 | 181 | 410 | 8 |
| 3. | 2006-2007 | 8341 | 63332 | 3599 | 1475 | 1238 | 1771 | 200 | 137 | 434 | 38 |

**चीनी कारखानों को निर्यात संबंधी राजसहायता**

**761. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान देश में दर्ज किए गए चीनी उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीनी कारखानों को राज-सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2006-07 के दौरान चीनी कारखानों को सरकार द्वारा कितनी राजसहायता दी गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) चीनी मौसम 2006-07 के दौरान अनन्तिम तौर पर लगभग 282 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान चीनी मौसम 2007-08 के दौरान 15.1.2008 तक अनन्तिम तौर पर लगभग 89 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है और यह मौसम अभी चल रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार 19 अप्रैल, 2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए तटीय राज्यों में स्थित चीनी मिलों को 1350 रुपये प्रति टन की दर पर तथा गैर-तटीय राज्यों में स्थित चीनी मिलों को 1450 रुपये प्रति टन की दर पर आंतरिक ढुलाई, विपणन और हैंडलिंग प्रभारों तथा समुद्री भाड़े पर खर्च की अदायगी के लिए (पड़ोसी देशों को सड़क/रेल द्वारा निर्यात के लिए वास्तविक खर्च के अध्यधीन) निर्यात सहायता दे रही है। 21.06.2002 से 18.08.2004 तक किए गए चीनी के निर्यात के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न चीनी मिलों को निर्यात सहायता के रूप में 20.96 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की गई है। 19.4.2007 को या उसके पश्चात् किए गए निर्यातों के लिए 2006-07 में कोई भुगतान नहीं किया गया है।

**ईपीएफओ के अंतर्गत और अधिक संख्या में संस्थापनाएं**

**762. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुल श्रमबल के केवल एक छोटे से हिस्से

ने ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सदस्यता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा और अधिक संख्या में संस्थापनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाने तथा सभी अर्हक श्रमबल तक इसके लाभ को पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमबल के कल्याण के लिए बनाई गई एवं विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने श्रमिकों को लाभ हो रहा है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) और (ख) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता 4.44 करोड़ थी।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, धारा 16 में उल्लिखित उपबंधों के अध्यधीन, ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जो इस अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ कोई कारखाना हो अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित किसी क्रियाकलाप में लगा हुआ कोई प्रतिष्ठान हो और जो 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करता हो तथा जिसकी मजदूरी की अधिकतम सीमा 6500/- रुपये प्रतिमाह तक सीमित हो।

(ग) कवर किए जाने योग्य प्रतिष्ठानों को अधिनियम के दायरे के अंतर्गत लाने और पात्र कर्मचारियों हेतु लाभों का विस्तार करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हर संभव प्रयास किए जाते हैं जिनमें विशेष कवरेज अभियान चलाया जाना, नियमित प्रचार-प्रसार, कार्यालयीन वेबसाइट के माध्यम से सूचना/सहायता उपलब्ध कराना, सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि शामिल है।

(घ) संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कामगारों के कल्याण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण हेतु तैयार की गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा*

1. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधनियम, 1952 का उद्देश्य अधिनियम के दायरे में आने वाले औद्योगिक और अन्य श्रमिकों और उनके आश्रितों को असामयिक मृत्यु की स्थिति में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम फिलहाल अनुसूची-1 में निर्दिष्ट ऐसे हर प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए तीन योजनाएं प्रचालन में है, अर्थात्, (1) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, (2) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और (3) कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976।

2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की सामाजिक सुरक्षा विधान है जिसके तहत श्रमिकों को रुग्णता, प्रसूति, अशक्तता और रोजगारजन्य चोट के कारण मृत्यु जैसे मामलों में चिकित्सा सुविधा और नकद लाभ देने की व्यवस्था है। क.रा.बी. योजना के तहत बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार 101.57 लाख थी और 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 3.94 करोड़ हो गई।

3. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में 10 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले किसी भी कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन, रेलवे, कम्पनी और प्रत्येक दुकान और प्रतिष्ठान द्वारा कर्मचारियों को उपदान देने की व्यवस्था है। श्रमिक अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु या अशक्तता जैसी आकस्मिकता में उपदान के पात्र है बशर्ते उसने 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो। उत्पादन का उत्तरदायित्व नियोक्ता पर है।

4. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का उद्देश्य रोजगार के दौरान श्रमिकों की दुर्घटना के मामले में प्रतिपूर्ति देना है। मृत्यु के मामले में, मृतक कर्मकार की मासिक मजदूरी के 50 प्रतिशत के बराबर की राशि जिसमें कई अन्य संगत कारक भी शामिल हों या 80,000/- रु. की राशि, जो भी अधिक हो, की प्रतिपूर्ति दी जाती है। जहां घायल होने के कारण स्थाई पूर्ण अपंगता हो गई हो, तो प्रतिपूर्ति की राशि घायल कर्मकार की मासिक मजदूरी के 60 प्रतिशत की बराबर की राशि, जिसमें अन्य संगत कारक शामिल हो, या 90,000/- रु. की राशि, जो भी अधिक हो, होगी।

5. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 एक सामाजिक विधान है जो कामकाजी महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में गर्भवती महिलाओं से प्रसव-पूर्व और पश्चात एक

निश्चित अवधि तक काम लेना निषिद्ध है। इसमें महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति छुट्टी और कतिपय प्रसूति लाभ के भुगतान की भी व्यवस्था है बशर्ते वे गर्भावस्था के दौरान काम से बाहर रहने के दौरान कतिपय शर्तों को पूरा करें। कामकाजी महिला की सेवाएं गर्भाव्यवस्था के दौरान उसकी अनुपस्थिति की अवधि में समाप्त नहीं की जा सकती। जब तक कि मामला घोर दुराचार का न हो। महिला अधिकतम 12 सप्ताह का प्रसूति लाभ ले सकती है। इसमें से 6 सप्ताह प्रसव-पूर्व का और 6 सप्ताह प्रसव के ठीक बाद का होना चाहिए।

6. सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कतिपय व्यवसायों, नामत:, बीड़ी, सिने और कतिपय गैर-कोयला खान के श्रमिकों के लिए कल्याण निधियों की स्थापना की है। इन कल्याण निधियों के तहत स्वास्थ्य सेवा, आवास, बच्चों को शिक्षा आदि के कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

7. असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों के लिए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' 1 अक्तूबर, 2007 से शुरू की गई है। असंगठित क्षेत्र कामगार तथा उसका परिवार (पांच सदस्यों की एक इकाई) इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। बीमा की कुल राशि 30,000/- रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष फैमिली फ्लोटर आधार पर होगी। लाभार्थी को स्मार्ट कार्ड द्वारा बिना नगद भुगतान के लेन-देन की सुविधा प्राप्त होगी। इस योजना के तहत 1 अप्रैल, 2008 से मिलने शुरू हो जाएंगे।

8. ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु अथवा अशक्तता संबंधी कवर प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2007 से आम आदमी बीमा योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के अतंर्गत परिवार के मुखिया अथवा किसी एक कमाने वाले सदस्य को बीमित किया जाएगा। इस मद में केन्द्र सरकार द्वारा 200/- रुपये अथवा किसी एक कमाने वाले सदस्य को बीमित किया जाएगा। इस मद में केन्द्र सरकार द्वारा 200/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के प्रीमियम का 50 प्रतिशत वहन किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 30,000/- रुपये; दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000/- रुपये शामिल हैं। दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता की स्थिति में, बीमा कवर 37,500/- रुपये का होगा। आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों के 9वीं से लेकर बारहवीं कक्षा तक अध्ययन करने वाले बच्चे छात्रवृत्ति स्वरूप 300/- रुपये प्रति तिमाही प्रति बच्चे की दर से प्राप्त करने के पात्र होंगे।

9. ठीक इसी प्रकार, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्य हैं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।

10. सरकार देश में 20 राज्यों के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत कार्य से मुक्त कराए गए बच्चों को एक विशेष स्कूल में डाला जाता है जहां उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा तथा स्वास्थ्य देख-भाल की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 4.57 लाख बच्चों को नियमित शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। आगे, भारत सरकार तथा अमरीका के श्रम विभाग के संयुक्त वित्तपोषम से इंडो-यू.एस. (इंडस) परियोजना का 21 जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 27,553 बच्चों को अब तक मुख्य धारा में लाया गया है। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त, सरकार उन जिलों में सहायता अनुदान स्कीम स्वैच्छिक संगठनों के लिए क्रियान्वित कर रही है जो एनसीएल पी/इड्स परियोजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं किये गए हैं।

संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.लेबर.एनआईसी.इन) पर भी उपलब्ध है।

### कृषि रसायन अनुसंधान

**763. श्री के.एस. राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कितने कृषि-रसायन अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी मुख्य उपलब्धि क्या रही;

(ख) उक्त संस्थानों के निष्पादन को प्रभावित करने वाली समस्याएं व मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों विशेषकर घरेलू अनुसंधान संस्थानों को कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्तीय व अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास कीटनाशी अवशिष्टों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना है, जो कीटनाशी अवशिष्टों के विभिन्न पहलुओं पर वर्ष 1984 से अनुसंधान कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों में परियोजना समन्वयक सेल सहित बारह समन्वयक केंद्र हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली इसके नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। स्थान, नाम और पिछले तीन वर्षों में प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस परियोजना से संबंधित कुछ नहीं है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कीटनाशी अवशिष्टों पर ए आई एन पी हेतु वेतन और भत्ते, आवर्ती तथा गैर-आवर्ती आकस्मिक निधि शीर्ष के अंतर्गत 1210 लाख रु. दिए थे। 11वीं योजना में भी 1700 लाख रु. की निधि का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु किया गया है।

*विवरण*

*स्थान, नाम और गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशी अवशिष्टों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के समन्वयक केन्द्रों की प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां*

| क्र.सं. | स्थान | उपलब्धियां |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | नई दिल्ली (कृषि रसायन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान) | सरसों और चने में इन्डोकसैकैर्ब के खेत परीक्षणों, अरहर में फ्लूबेंडिएमाइड, टमाटर में स्पिनोसैड के खेत परीक्षण का पर्यवेक्षण किया गया। गेहूं व मृदा में (क्लोडिनैफौप व मेटसवफ्यूरॉन मिथाइल) उनके अपशिष्टों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किए गए। एक सहयोगी अध्ययन में आईपीएम और गैर-आईपीएम बासमती चावल मृदा और जल में कीटनाशी अपशिष्टों का आकलन किया गया। जल के लिए एसपीई विधि विकसित की गई और इसे वैधीकृत किया गया। मिर्च को तुड़ाई के बाद धूप में सुखाए जाने के बाद उसमें कीटनाशी अपशिष्ट स्तर की विविधता और निर्वलीकरण घटक का अध्ययन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में डिकोफौल, एथिओन और साइपरमेथ्रिन से खेत परीक्षण किए गए। कीटनाशकों का उपयोग क्रमश: 0.055, 0.05 प्रतिशत और 0.015 प्रतिशत पर किया गया। मिर्च में डिकोफौल, एथिओन और साइपरमेथ्रिन कीटनाशकों के लिए प्रोसेसिंग फैक्टर की रेंज 2.40-3.20 तक रही। |
| 2. | कर्नाटक (मृदा विज्ञान और कृषि रसायन प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर) | केन्द्र ने खेत परीक्षणों में विभिन्न फसलों पर कई कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और शाकनाशियों के लगातार बने रहना तथा उनके छितराव की प्रक्रिया का पता लगाया गया है। विशेष फसल में छिड़काव के बाद तुड़ाई पूर्व अन्तराल का प्रस्ताव किया गया। बंदगोभी, टमाटर पर फ्लूबेंडिएमाइड, पपीते पर प्रेपिनेब, (फ्लूबेंडिएमाइड+थाइएक्लोप्रिड) का टमाटर पर और केले पर क्लोर्पारिफौस का खेत परीक्षण में पर्यवेक्षित करके उनकी अवस्थिति प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया। मिर्च में साइपरमेथ्रिन, डिकोफौल और ईथिओन जैसे कीटनाशकों के लिए प्रोसेसिंग फैक्टर हरी मिर्च की फसल में इन कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा निकाला गया तथा इसमें प्रोसेसिंग फैक्टर क्रमश: 2.202, 3.235 और 2.764 तक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | पाया गया। टमाटर पर ऑर्गेनोफौस्फेट और सिंथेटिक पाइरेथ्रौइड कीटनाशकों के लिए एसपीई विधि वैधीकरण को विकसित किया गया। मृदा सूक्ष्मजीवीय गतिविधि पर बाइफेंथ्रिन के प्रभाव का अध्ययन किया गया। |
| 3. | पंजाब (कीट विज्ञान विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना) | टमाटर और बंदगोबी पर फ्लूबेंडिएमाइड (480 एससी), अंगूर पर इमिडैक्लोप्रिड, बैंगन, भिंडी पर प्रापर्गाइट, बंदगोभी, टमाटर और अरहर पर फ्लूबेंडिएमाइड (20 डब्ल्यू डी जी) धान पर फफूंदनाशी मिश्रण लस्टर 37.5 प्रतिशत एसई और टमाटर पर फ्लूबेंडिमाइड+थाइएक्लोप्रिड अपव्यय प्रक्रिया का अध्ययन पर्यवेक्षित खेत परीक्षण में किया गया। जीसी-एमएस के प्रयोग से सब्जियों के लिए बहु अपशिष्ट प्रणाली विकसित की गई और उसे वैधीकृत किया गया। ऐकैरोलाली विभाग के सहयोग से बैगन और भिंडी पर ओमाइट 57 ई सी संबंधी अध्ययन किया गया। |
| 4. | राजस्थान (कीट विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जयपुर) | टमाटर, बंदगोभी में/पर फ्लूबेंडिएमाइड 480 एससी, टमाटर में/पर (फ्लूबेंडिएमाइड 24 प्रतिशत+थाइएक्लोप्रिड 24 प्रतिशत) (480 एससी), प्याज में/पर प्रोपिनेब (ऐंट्राकोल) 70 डब्ल्यू पी, मिर्च में/पर फ्लूबेंटिएमाइड 480 एससी, मिर्च में/पर स्पिरोटेट्रामेट 150 ओडी, फूलगोभी और टमाटर पर/में इमिडैक्लोप्रिड 17.8 एसएल, फूलगोभी में/पर इन्डोसल्फान 35 ईसी अपव्यय प्रक्रिया पर अध्ययन करने के लिए पर्यवेक्षित खेत परीक्षण किए गए। मिर्च में प्रोसेसिंग फैक्टर/निर्जलीकरण फैक्टर देखने के लिए डिकोफौल 18.5 ईसी, ईथिओन 50 ईसी और साइपरमेथ्रिन 25 ईसी की प्रत्येक की संस्तुत मात्राओं के हिसाब से खेत परीक्षण किए गए। दिकोफोल, एथिऔन और साइपरमेथ्रिन कीटनाशकों के लिए प्रोसेसिंग फैक्टर क्रमशः 3.14, 4.22 तथा 4.82 मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा. निकाला गया। |
| 5. | पश्चिम बंगाल (कृषि रसायन विभाग, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर) | बैंगन और भिण्डी पर ओमाइट 57 ई सी; टमाटर, बंदगोभी, अरहर पर फ्लूबेंडिएमिड 20 प्रतिशत डब्ल्यू डी जी; प्याज पर और मृदा में, चाय की फसल और मृदा में प्रोपीनेब 70 डब्ल्यू पी (एन्ट्राकोल 70 डब्ल्यू पी); चाय की फसल पर मृदा में थिकलोप्रिड 240 एस सी, मोनोकोटोफास 36 एस एल और एसीफेट; पर्यवेक्षित खेत परीक्षणों के माध्यम से धान पर लस्वर 37.5 प्रतिशत एस ई का अवशेष डाटा उत्पन्न किया गया। जी सी-एम एस और एस पी ई विधि का उपयोग करके सी आर एम एस के लिए बहु अवशेष विधि विकसित की गई तथा जल, बैंगन और टमाटर हेतु वैधीकृत की गई। ताजा लाल मिर्च से लाल मिर्च पाउडर के प्रसंस्करण कारक का निर्धारण करने के लिए एक खेत परीक्षण किया गया। मिर्चों पर डिकोफोल, इथिओन और साइपरमेथ्रिन का छिड़काव किया गया तथा प्रसंस्करण कारक क्रमशः 2.95, 3.28 और 3.43 पाया गया। |
| 6. | आंध्र प्रदेश (कीट विज्ञान विभाग, आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद) | अवशेष डाटा विकसित करने के लिए बंदगोभी, टमाटर, अरहर पर फ्लूबेंडिमामिड; प्याज में प्रोपीनेब (एन्ट्राकोल 70 डब्ल्यूपी), कुसुम में डिमेथोएट तथा टमाटर में कुछ कीटनाशकों के पर्यवेक्षित खेत परीक्षण आयोजित किए गए। लाल मिर्च में नाशीजीवनाशकों के अवशिष्ट (इथिओन, डिकोफोल और साइपरमेथ्रिन) पर डिहाइड्रेशन और प्रसंस्करण के प्रभाव का अध्ययन किया गया तथा यह क्रमशः 8.48, 8.64 और 2.20 पाया गया। जल में नाशीजीवनाशकों के अवशेष संबंधी विश्लेषण के लिए ठोस फेज निष्कर्षण विधियां (एसपीई) वैधीकृत की गईं। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | हरियाणा (कीट विज्ञान विभाग, सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार) | धान पर फिप्रोनिल, कपास पर थियोडीकार्ब तथा गेहूं में इथिओन का प्रयोग करके अपव्यय (डिसिपेशन) अध्ययन किए गए। भिण्डी के लिए प्रसंस्करण कारक विकसित किए गए। अवशिष्ट की साइपरमेथ्रिन के लिए 16-37 के बीच, सिहैलोथ्रिन के लिए 14-36 तथा एण्डोसल्फान के लिए 16-24 प्रतिशत की कमी देखी गई। |
| 8. | गुजरात (आनन्द कृषि विश्वविद्यालय आनन्द) | आनन्द केन्द्र ने प्याज पर प्रोपीनेब, टमाटर पर फ्लूबेंडियामिड और थिकलोप्रिड, कपास पर अल्फा एण्डोसल्फान, भिण्डी पर इमामेक्टिन बेन्जोएट, टमाटर पर इमामेक्टिन, बेन्जोएड, कपास (दूसरे वर्ष) पर क्वीजालोफोप ईथाइल, मूंगफली पर क्वीजालोफोम ईथाइल के नाशीजीवनाशक अवशिष्ट डाटा विकसित करने के लिए पर्यवेक्षित खेत परीक्षण आयोजित किए। लाल मिर्च पर डिकोफोल, इथिओन और साइपरपमेथ्रिन के लिए सान्द्रण/प्रसंस्करण कारक को क्रमश: 1.54, 5.86 और 3.17 निकाला गया। हल्दी पर एण्डोसल्फान और क्लोरोपाइरीफास के लिए प्रसंस्करण कारक क्रमश 4.67 और 0.640 पाया गया। कालम लीचिंग अध्ययन द्वारा मृदा के तीन प्रकारों में पांच विभिन्न सिंथेटिक पायरीथ्रोइड्स (बिफेनथ्रिन,-सीहैलोथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, फेन्वैलेरेट और डेल्टामेथ्रिन) के अधोमुखी प्रवृत्ति का आकलन किया गया। 79 से 99 प्रतिशत तक कीटनाशकों का कालम की शीर्ष 0.5 सें.मी. परत में परिसीमित पिया गया। बहु अवशेष विधि विकसित की गई तथा जीसी-एमएस का उपयोग करके सब्जियों हेतु, एसपीई का उपयोग करके शहद के लिए तथा परिष्कृत चीनी हेतु वैधीकृत की गई। |
| 9. | हिमाचल प्रदेश (कीट विज्ञान विभाग, डा. आई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन) | पर्यवेक्षित खेत परीक्षणों में सेब पर थिकलोप्रिड, फ्लूसीलेजोल, नैटिवो, फेन्पाइरोक्सीमैट के डिसिपेशन पैटर्न पर अध्ययन किया गया। चाय पर काफी समय तक अवशेष स्तर के लिए थिकलोप्रिड, प्रोपीनेब और ओबेरान का मूल्यांकन किया गया। सेब पर कार्बेंडाजिम, मैन्कोजेब, प्रोपर्जिट, एण्डोसल्फान और डिकोफोल के बहु अवशेष परीक्षण किए गए। जल और शहद के लिए एसपीई विधि वैधीकृत की गई। सीपीआरआई, शिमला के साथ सहयोगी अध्ययन में आलू में नाशीजीवनाशक अवशेष का विश्लेषण किया गया। |
| 10. | उत्तर प्रदेश (मृदा विज्ञान तथा कृषि रसायन विभाग, सीएसए कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर) | सरसों की फसल पर क्लोरापाइरिफ्स तथा क्यूनालफोस की अवस्थिति अध्ययन करने के लिए स्थानीय महत्व के पर्यवेक्षित फील्ड परीक्षण किये गये, चने में एन्डोसल्फान तथा फेनवेटोरेट की अवस्थिति तथा धान पर हर्बीसाइडस (बटाक्लोर, पैन्डीमिथालिन, प्रिटिलैक्लोर) की अवस्थित। डिकोफोल, साइपरमेथनिर तथा इथिओन के लिए चिता हेतु प्रसंस्करण तथ्यों को क्रमश: 5.54, 1.90 तथा 4.08 रिकार्ड किया गया। जीसी तथा जीसीएमएस का उपयोग करते हुए सीआरएम का बहु अपशिष्ट प्रणाली का वैधीकरण किया गया। |
| 11. | महाराष्ट्र (कीट विज्ञान विभाग, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी) | प्याज पर प्रोपिनेब, अंगूर पर फोरक्लोफेनूरोन (सीपीपीयू) 0.1 प्रतिशत, धान पर (फ्लूसिलाजोन 125. प्रतिशत-कारबेन्डेजिम 25 प्रतिशत), अरहर में फ्लूबेनडिएमाइड 20 प्रतिशत डब्ल्यू डी जी, बंदगोभी में फ्लूबेनरडिएमाइड 480 एससी टमाटर में फ्लूबेनडिएमाइड 480 एमसी भिण्डी पर प्रोपरगाइट के पर्यवेक्षित फील्ड परीक्षण चलाये गये। ताजी मिर्च में अपशिष्टों के आधार पर प्रसंस्करण तथ्य का पता |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | लगाया तथा डिकोफोल इथिओन तथा साइपरमेथरिन के लिए क्रमश: 1.520, 1.621 तथा 1.868 सूखी मिर्च पाउडर प्रसंस्कृत किया गया। अंगूर तथा अनार के लिए बहु अपशिष्ट प्रणाली तथा शहद के लिए एसपीई क्लीन अप विकसित तथा वैधीकृत की गई। मृदा माइक्रोबिदल गतिविधि पर बाइफेनथ्रिन, स्पीनोसैड तथा क्लोरपाइरिफोस के प्रभाव संबंधी अध्ययन किये गये। कीटनाशी उपचारित तथा नियंत्रित मृदा नमूनों से आकलित फंगी, बैक्टिरिया तथा एक्टीनोमाइसेरस माइक्रोबियल संख्या में महत्वपूर्ण फर्क नहीं था। |
| 12. | केरल (कीट विज्ञान विभाग, केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लायनी) | बैंगन तथा भिण्डी पर ओमाइट 56 ईसी, चावल पर लसचर 37.5 एसई, गन्ने में टलास्टर 10 ईसी, मिर्चों पर स्पिरोटेट्रामैट 150 ओडी, इलायची में क्लोरफाइरीफोस, लाम्बदा साइहालोथ्रिन, कार्बोफ्यूरान तथा एफसेट, काली मिर्च में क्लोपाइरीफोस, केले में क्लोपाइरीफोस के पर्यवेक्षित फील्ड परीक्षण अपशिष्ट अध्ययन के लिए चलाये गये। माइक्रोबियल गतिविधि पर बिफेनथ्रिन के प्रभाव देखे गये। उपचारित तथा नियंत्रण नमूने में फगी, बैक्टिरिया तथा एक्टीनोमाइसेट्स की संख्या में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इलायची तथा काली मिर्च में कीटनाशी (कलेरपाइरीफोस, फोरेट कार्बोक्यूरान तथा एसिफेट) के अपशिष्ट पर प्रसंस्करण के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया था। |

### कृषि वस्तुओं की मूल्य वृद्धि

**764. श्री रघुनाथ झा:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में वायदा कारोबार के प्रभाव के अध्ययन के लिए गठित अभिजीत सेन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### गन्ना आधारित फसल प्रणाली

**765. श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गन्ना आधारित फसल प्रणाली को धारणीय विकास नामक योजना आरंभ की है जिससे गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हो सके;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गन्ना आधारित फसल प्रणाली का धारणीय विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में वर्ष-वार कितनी प्रदर्शनी आयोजित की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत वर्ष-वार एवं राज्य-वार कितने किसानों व संबंधित श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने के उत्पादन में राज्य-वार व वर्ष-वार कुल कितनी वृद्धि हुई?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी हां। गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि के वृहद प्रबंधन मोड के तहत गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (एस.यू.बी.ए.सी.एस.) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है। यह स्कीम क्षेत्र प्रदर्शनों, किसानों और विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण, कृषि उपकरण/मशीनरी, ताप उपचार संयंत्रों, रोपण सामग्री के उत्पादन और ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग) इस स्कीम के तहत प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए क्षेत्र प्रदर्शन और प्रशिक्षित किए गए किसानों और विस्तार कर्मियों की संख्या के संबंध में ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उत्पादक राज्यों में गन्ना उत्पादन के संबंध में ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं।

*विवरण I*

*एसयूबीएसीएस स्कीम के तहत प्रमुख राज्यों में आयोजित किए गए क्षेत्र प्रदर्शनों और प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षणार्थी की वर्ष-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रदर्शन | प्रशिक्षणार्थी | प्रदर्शन | प्रशिक्षणार्थी | प्रदर्शन | प्रशिक्षणार्थी |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1598 | 1855 | – | – | – | – |
| 2. | बिहार | 400 | 27870 | 100 | 10120 | 200 | 7750 |
| 3. | कर्नाटक | 400 | – | 1106 | – | 485 | – |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 25 | 1080 | 468 | 6060 | – | 1020 |
| 5. | उत्तराखंड | 29 | 660 | 60 | 1060 | 60 | 1260 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 1200 | 7200 | 1320 | 16480 | 1444 | 4890 |
| 7. | तमिलनाडु | – | 500 | 387 | – | 713 | 10001 |
| 8. | गुजरात | 165 | 3360 | 142 | 2050 | 105 | 4380 |
| 9. | हरियाणा | 700 | 5060 | 600 | 5060 | 4132 | 5090 |
| 10. | मध्य प्रदेश | – | 800 | – | 2140 | – | – |
| 11. | महाराष्ट्र | 540 | 3850 | 991 | 8400 | 5526 | 36340 |

*विवरण II*

*2004-05 से 2006-07 के दौरान प्रमुख गन्ना उत्पादन राज्यों में गन्ने का क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार*

ए: लाख हैक्टेयर क्षेत्र में
पी: उत्पादन लाख टन में
वाई: पैदावार प्रति है. कि. ग्राम

| राज्य | | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | ए | 2.10 | 230 | 264 |
| | पी | 157.39 | 176.56 | 216.92 |
| | वाई | 7494 | 76765 | 82167 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| बिहार | ए | 1.04 | 1.01 | 1.30 |
| | पी | 41.12 | 43.38 | 59.55 |
| | वाई | 39460 | 42822 | 45953 |
| गुजरात | ए | 1.97 | 1.97 | 2.14 |
| | पी | 145.70 | 145.80 | 156.30 |
| | वाई | 74072 | 74010 | 73037 |
| हरियाणा | ए | 1.30 | 1.27 | 1.40 |
| | पी | 80.60 | 81.80 | 95.80 |
| | वाई | 62000 | 64409 | 68429 |
| कर्नाटक | ए | 1.78 | 2.19 | 3.26 |
| | पी | 142.76 | 182.67 | 286.70 |
| | वाई | 80202 | 83411 | 87944 |
| मध्य प्रदेश | ए | 0.53 | 0.56 | 0.64 |
| | पी | 21.48 | 24.25 | 28.06 |
| | वाई | 40914 | 43694 | 43639 |
| महाराष्ट्र | ए | 324 | 501 | 10.49 |
| | पी | 204.75 | 388.53 | 785.68 |
| | वाई | 63194 | 77551 | 74898 |
| पंजाब | ए | 0.86 | 0.84 | 0.99 |
| | पी | 51.70 | 48.60 | 60.20 |
| | वाई | 60116 | 57857 | 60808 |
| उत्तरांचल | ए | 1 07 | 1 01 | 1.21 |
| | पी | 64.41 | 61.34 | 61.00 |
| | वाई | 60196 | 60733 | 50413 |
| तमिलनाडु | ए | 2.32 | 3.35 | 3.91 |
| | पी | 233.96 | 351.07 | 411.24 |
| | वाई | 100845 | 104671 | 105123 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | ए | 19.55 | 21.56 | 22.47 |
| | पी | 1187.16 | 1254.70 | 1339.49 |
| | वाई | 60733 | 58201 | 59626 |
| अखिल भारत | ए | 36.62 | 42.02 | 51.51 |
| | पी | 2370.88 | 2811.72 | 3555.20 |
| | वाई | 64752 | 66919 | 69022 |

**विदेशों द्वारा सहायता प्राप्त जल परियोजनाएं**

**766. श्री अमिताभ नन्दी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल क्षेत्र के विकास के लिए किन्हीं विदेशी एजेंसियों/देशों से वित्तपोषण किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्ताव विशेष रूप से तट रेखा के साथ-साथ समुद्री दीवार बनाए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) दानकर्ताओं की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जयप्रकाश नारायण यादव ):** (क) कई जल संसाधन परियोजनाएं बाह्य वित्तपोषण अभिकरणों की सहायता से कार्यान्वयनाधीन हैं। बाह्य वित्तपोषण अभिकरणों की सहायता से कार्यान्वयनाधीन निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्तमान में तट रेखा के साथ-साथ समुद्री दीवार का निर्माण करने के लिए बाह्य वित्तपोषण अभिकरणों की सहायता से कोई परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है। तथापि, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) टकराव की समस्याओं का समाधान करने और स्थाई तट सुरक्षा और प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत स्थाई तट सुरक्षा और तटरेखा प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से व्यवहार्य निवेश प्रस्ताव तैयार करने में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है।

***विवरण***

*निर्माणाधीन बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | वित्तपोषण अभिकरण | राज्य | परियोजनाओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | विश्व बैंक | कर्नाटक | कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना |
| 2. | विश्व बैंक | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना |
| 3. | विश्व बैंक | राजस्थान | राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना |
| 4. | विश्व बैंक | उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना |
| 5. | विश्व बैंक | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | विश्व बैंक | बहुराज्यीय | जल विज्ञान परियोजना-II |
| 7. | विश्व बैंक | तमिलनाडु | तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार और प्रबंधन परियोजनाएं |
| 8. | विश्व बैंक | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना |
| 9. | विश्व बैंक | कर्नाटक | कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना |
| 10. | एशियाई विकास बैंक | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास क्षेत्र परियोजना |
| 11. | जेबीआईसी जापान | आंध्र प्रदेश | कुर्नूल-कुडप्पा नहर का आधुनिकीकरण |
| 12. | जेबीआईसी जापान | उड़ीसा | रेंगाली सिंचाई परियोजना |
| 13. | जेबीआईसी जापान | राजस्थान | राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना |
| 14. | जेबीआईसी जापान | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश सिंचाई आजीविका सुधार परियोजना |
| 15. | जर्मनी | महाराष्ट्र | लघु सिंचाई परियोजना |
| 16. | जर्मनी | हिमाचल प्रदेश | लघु सिंचाई एवं ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना (हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति स्वावलंबन परियोजना) |

**पड़ोसी देशों के साथ जल बंटवारा संबंधी वार्ता**

**767. श्री के. सुब्बारायण:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमालय से उद्गम होने वाली नदियों को आपस में जोड़ने के लिए पड़ोसी देश विशेषकर नेपाल, भूटान और बंगलादेश के साथ जल बंटवारे के संबंध में वार्ता आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर पड़ोसी देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**एसएमएस सेवा संबंधी शिकायत**

**768. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न टेलीविजन चैनलों में शार्ट मेसेजिज सर्विस (एसएमएस) पर आधारित अनेक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं लेकिन एसएमएस भेजने वाले मोबाइल का मोबाइल नम्बर उद्घाटित नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोबाइल नेटवर्क**

**769. श्री हंसराज गं. अहीर:**
**डा. अरुण कुमार शर्मा:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क के प्रसार से संभावित खतरे के बारे में आसूचना रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले इन मोबाइल टावरों को हटाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सीमा क्षेत्रों पर स्थित मोबाइल टावरों द्वारा सीमा पार के दूरसंचार सिग्नलों को पकड़े जाने के मद्देनजर निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए कोई नियम तैयार किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्रों विशेषकर असम में टेलीफोन/मोबाइल सेवा में वृद्धि करने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूरसंचार घनत्व का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) से (ङ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारियों की पूर्ववर्ती शर्तों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 120 किमी के भीतर मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के लिए और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किमी के भीतर बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) की स्थापना के लिए सुरक्षा कारणों से सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता थी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के लिए जनता की मांग पर विचार करते हुए, लाइसेंस करारों की उपर्युक्त शर्त में छूट देते हुए 26 फरवरी, 2007 से निम्नलिखित शर्तें शामिल की गई है:-

(1) वायरलेस/मोबाइल सेवा के लिए भारतीय प्रदेश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 500 मीटर चौड़ा "नो सर्विस जोन" होगा जहां लाइसेंसधारकों को वायरलेस/मोबाइल सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

(2) लाइसेंसधारक जम्मू व कश्मीर के अखनूर क्षेत्र और पठानकोट क्षेत्र के बीच नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसा कि लागू हो, पर 10 किमी चौड़ा एक "बफर जोन" बनाएंगे जिसमें वे मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपने सेल साइट्स/बीटीएस/रेडियो ट्रांसमीटर संस्थापित नहीं करेंगे।

उपर्युक्त शर्तों को लागू करने से देश में ऐसे अधिकांश नगरों/शहरों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 500 मीटर दूर अवस्थित हैं, में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना अब संभव है। तथापि, अगरतला (त्रिपुरा) और करीमगंज (असम) में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष अनुमति भी प्रदान की गई है हालांकि ये नगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 500 मीटर के भीतर हैं।

(च) और (छ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन/मोबाइल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान मोबाइल नेटवर्क विस्तार परियोजना के तहत असम राज्य में 7 लाख लाइनों सहित 11.6 लाख लाइनों के साथ मोबाइल नेटवर्क में वृद्धि करने और वर्तमान डब्ल्यूएलएल नेटवर्क विस्तार परियोजना के तहत असम राज्य में 0.6625 लाख लाइनों सहित 0.857 लाख लाइनों के साथ वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क में वृद्धि करने की योजना बनाई है। इसी प्रकार निजी आपरेटरों ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने-अपने संबंधित लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनायी है। भारती एयरटेल लिमिटेड की पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और असम के महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ते हुए ओएफसी (आप्टिकल फाइबर केबल) बिछाने के अलावा, असम में 1050 मोबाइल टावर स्थल स्थापित करने की योजना है। भारती हेक्साकाम लिमिटेड पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्र को कवर करने के लिए 450 से अधिक नये मोबाइल टावर स्थल संस्थापित करने की योजना बना रहा है। रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड की असम के 320 नगरों/गांवों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 617 नगरों/गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना है। वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है।

(ज) पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्र-वार टेलीघनत्व संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्र-वार टेलीघनत्व*
*(31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | क्षेत्र | समग्र टेलीघनत्व प्रतिशत में |
|---|---|---|
| 1. | असम सेवा क्षेत्र | 12.31 |
| 2. | पूर्वोत्तर क्षेत्र सेवा* | 16.70 |
| 3. | सिक्किम राज्य | 25.09 |

*पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

*[अनुवाद]*

**जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य**

**770. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्चे जूट की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी किस्म-वार ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन ):** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2007-08 पटसन मौसम (जुलाई-जून) के लिए कच्चे पटसन की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

*वर्ष 2007-08 मौसम के लिए विभिन्न पटसन उत्पादित राज्यों में देहाती बाजारों में कच्ची पटसन की विभिन्न किस्मों और ग्रेडों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य*

टोसा/सफेद

| क्र.सं. | राज्य | जिला | किस्म | ग्रेड | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | टीडी-1 डब्ल्यू-1 | टीडी-2 डब्ल्यू-2 | टीडी-3 डब्ल्यू-3 | टीडी-4 डब्ल्यू-4 | टीडी-5 डब्ल्यू-5 | टीडी-6 डब्ल्यू-6 | टीडी-7 डब्ल्यू-7 | टीडी-8 डब्ल्यू-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | विभिन्न ग्रेड | पूर्वोत्तर | टीडी2+70 | टीडी3+70 | टीडी4+140 | टीडी5+100 | आरईएफ | टीडी5-70 | टीडी6-90 | टीडी7-135 |
| | | | अन्य | टीडी2+70 | टीडी3+70 | टीडी4+120 | टीडी5+70 | आरईएफ | टीडी5-70 | टीडी6-90 | टीडी7-135 |
| | | | | 2006-2007 में जूट की बढ़ोत्तरी | | | | | | | |
| | | | पूर्वोत्तर | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 45 रु. |
| | | | अन्य | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 55 रु. | 45 रु. |
| 1. | असम व मेघालय | सभी जिले | टोसा | 1,435 | 1,365 | 1,295 | 1,155 | 1,055 | 985 | 895 | 760 |
| | | | सफेद | 1,385 | 1,315 | 1,245 | 1,105 | 1,005 | 935 | 845 | 710 |
| 2. | त्रिपुरा | सभी जिले | टोसा | 1,356 | 1,286 | 1,216 | 1,096 | 1,026 | 956 | 866 | 731 |
| | | | सफेद | 1,306 | 1,236 | 1,166 | 1,046 | 976 | 906 | 816 | 681 |
| 3. | बिहार | (1) पुरनिया, किशनगंज, कटिहार एवं अररिया जिला | टोसा | 1,416 | 1,346 | 1,276 | 1,156 | 1,086 | 1,016 | 926 | 791 |
| | | | सफेद | 1,366 | 1,296 | 1,226 | 1,106 | 1,036 | 966 | 876 | 741 |
| | | (2) सहरसा, चंपारन (पू.ब.प.) अन्य जिले | टोसा | 1,400 | 1,330 | 1,260 | 1,140 | 1,070 | 1,000 | 910 | 775 |
| | | | सफेद | 1,350 | 1,280 | 1,210 | 1,090 | 1,020 | 950 | 860 | 725 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | उत्तर प्रदेश | सभी जिले | टोसा | 1,363 | 1,293 | - 1,223 | 1,103 | 1,033 | 963 | 873 | 738 |
| | | | सफेद | 1,313 | 1,243 | 1,173 | 1,053 | 983 | 913 | 823 | 688 |
| 5. | उड़ीसा | सभी जिले | टोसा | 1,422 | 1,352 | 1,282 | 1,162 | 1,092 | 1,022 | 932 | 797 |
| | | | सफेद | 1,372 | 1,302 | 1,232 | 1,112 | 1,042 | 972 | 882 | 747 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | (1) कूचबिहार, जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग जिला | टोसा | 1,460 | 1,390 | 1,320 | 1,180 | 1,080 | 1,010 | 920 | 785 |
| | | | सफेद | 1,410 | 1,340 | 1,270 | 1,130 | 1,030 | 960 | 870 | 735 |
| | | (2) उत्तर व दक्षिण दीनाजपुर, मालदा | टोसा | 1,473 | 1,403 | 1,333 | 1,193 | 1,093 | 1,023 | 933 | 798 |
| | | | सफेद | 1,423 | 1,353 | 1,283 | 1,143 | 1,043 | 973 | 883 | 748 |
| | | (3) मुर्शिदाबाद, बांकुरा व बिरभूम | टोसा | 1,435 | 1,365 | 1,295 | 1,175 | 1,105 | 1,035 | 945 | 810 |
| | | | सफेद | 1,385 | 1,315 | 1,245 | 1,125 | 1,055 | 985 | 895 | 760 |
| | | (4) नादिया, हावड़ा, हुगली, बर्दमान, मीदनापुर (पू.ब.प.) व 24 परगना (द.ब.उ.) | टोसा | 1,448 | 1,378 | 1,308 | 1,188 | 1,118 | 1,048 | 958 | 823 |
| | | | सफेद | 1,398 | 1,328 | 1,258 | 1,138 | 1,068 | 998 | 908 | 773 |

**नौसेना द्वारा सम्पत्तियों को किराए पर लेना व रिक्त करना**

771. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री प्रकाश बी. जाधव:**
**श्री अनंत गुडे:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना आवासीय व कार्यालय प्रयोजनों के लिए फ्लैटों को किराए पर लेती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्पत्तियों को किराए पर लेने व रिक्त करने के लिए कोई दिशा-निर्देश, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई में पट्टा समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ फ्लैटों को खाली नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विशेषरूप से मुंबई में कुछ फ्लैटों को किराए पर लेने व रिक्त करने संबंधी मामले भारतीय नौसेना व महानिदेशक रक्षा संपदा (डीजीडीई) के समक्ष लंबित पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसके क्या कारण हैं एवं उक्त फ्लैटों को खाली करने की समय-सीमा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, हां। निजी फ्लैटों को नौसेना सहित सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए रिहायशी और/अथवा सरकारी प्रयोजनों से किराए पर लिया जाता है। इस समय ऐसे भवनों को रिहायशी/सरकारी प्रयोजनों से शुरू में 3 वर्ष की अवधि के लिए किराए पर लिया जाता है। 3 वर्ष की अवधि के बाद यदि इमारत की जरूरत बनी रहती है और मालिक इच्छुक हो तो भवन को दोबारा किराए पर लिया जाता है अन्यथा इसे खाली कर दिया जाता है। जो भवन पुराने पट्टा करार के अधीन 1976 से पहले किराए पर हैं, उन्हें प्रयोक्ता संगठन द्वारा जरूरत नहीं होने पर खाली कर दिया जाता है।

(ग) से (च) मुम्बई में किराए के अधीन सभी फ्लैट सन् 1976 से पहले से किराए पर हैं और उन्हें महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अधीन प्रतिधारित किया जा रहा है। किराए पर लिए गए 263 फ्लैटों में से 176 फ्लैट पहले ही खाली कर दिए गए हैं। शेष फ्लैटों को भारतीय नौसेना द्वारा आवश्यकता नहीं होने पर खाली कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

**योजनाओं का अनुवीक्षण**

772. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
**श्री जीवाभाई ए. पटेल:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रायोजित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उचित ढंग से अनुवीक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की अधिकांश निधियों की बर्बादी हो रही है;

(ख) यदि हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अनुवीक्षण/समीक्षा के दौरान दोषी पाए गए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं एवं इनकी संख्या कितनी है;

(ग) दुर्विनियोजित राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी नहीं, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ बात-चीत करके, अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का दौरा करके नियमित आधार पर समीक्षाओं का आयोजन करके सभी राष्ट्रीय स्तर के प्रायोजित कार्यक्रमों के निष्पादन की गहनता से मानिटरिंग की जा रही है और सामान्य वित्तीय नियमावली (जीआरएफ) के अनुसार ही कोषों की निर्मुक्ति की जा रही है।

(ख) कार्यक्रमों की मानेटरिंग के दौरान कोई कार्यान्वयन एजेंसी या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कोषों के दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉल**

773. **श्री के.सी. सिंह "बाबा":**
**श्री रघुनाथ झा:**
**श्री प्रहलाद जोशी:**

**क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नेशनल डू नॉट काल रजिस्ट्री ((एनडीएनसीआर) पर पंजीकृत बड़ी संख्या में लोगों को अभी भी अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉल और संदेश प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) निषेधात्मक दण्डात्मक उपबंधों के बावजूद इस प्रकार की कॉलों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार की कम्पनियों को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 5 जून, 2007 को "दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार विनियम, 2007 नामक विनियम जारी किया था। विनियम के अनुसार, 12 अक्तूबर, 2007 से नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री (एनडीएनसी) प्रभावी हो गया। तब से पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों ने इस दिशा में साफ-सुथरा ब्योरा रखने के लिए अपनी कॉलिंग लिस्ट एनडीएनसी को भेजना शुरू कर दिया है। ट्राई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो टेलीमार्केटिंग करने वाले डू नॉट कॉल नंबरों की श्रेणी में आते हैं उनके द्वारा प्रतिदिन औसतन 15 से 20 मिलियन टेलीफोन नंबर सत्यापन जांच के लिए एनडीएनसी को भेजे जा रहे हैं।

ट्राई के पास उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार एनडीएनसी में लगभग 8.2 मिलियन उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने सूचित किया है कि उन्हें केवल लगभग 29246 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो अवांछित वाणिज्यिक कॉलें प्राप्त नहीं करने के लिए पंजीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या का मात्र 0.35 प्रतिशत बैठता है। विनियम के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा चूककर्ता टेलीमार्केटिंग करने वालों के विरुद्ध विनियम में

निम्नानुसार किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी होती है:-

* जिस अभिगम प्रदाता के अवांछित संचार किया गया है तथा जिसको शिकायत भेजी गई है वह उसकी जांच करेगा और दोषी टेलीमार्केटिंग करने वालों को/उपभोक्ता को पहली बार चेतावनी देगा।

* यदि उसी टेलीमार्केटिंग करने वाले द्वारा दूसरी बार अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसका सेवा प्रदाता उससे उच्चतर दर से प्रशुल्क प्रभारित करेगा। ट्राई ने प्रति कॉल आधार पर विशेष शुल्क का प्रावधान किया है जो 500/- रुपए है।

* दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि यदि टेलीमार्केटिंग करने वाला उसके बाद भी अवांछित वाणिज्यिक संचार करना जारी रखता है तो उसका टेलीफोन कनेक्शन काट दिया जाए।

(ग) अवांछित वाणिज्यिक संचार में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है क्योंकि टेलीमार्केटिंग करने वालों द्वारा प्रस्तुत की गई कॉलिंग लिस्ट में से एनडीएनसी द्वारा प्रतिदिन लगभग एक मिलियन नंबर हटाए जा रहे हैं।

(घ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा इसकी प्रभाविकता और अनुपालन में सुधार करने की दृष्टि से ट्राई ने दोषी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड अधिरोपित करने के लिए 16.1.2008 को एक परामर्श दस्तावेज जारी किया है।

*[हिन्दी]*

**योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन**

774. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा इन योजनाओं/कार्यक्रमों का कोई आवधिक मूल्यांकन/उचित अनुवीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान उक्त मूल्यांकन में दोषी पाए गए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कथित रूप से दुरुपयोग की गई निधियों की वसूली करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त गैर-सरकारी संगठनों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** (क) केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। केंद्र सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की गई योजनाओं का आवधिक मूल्यांकन और उपयुक्त मानिटरिंग की गई है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन परिणामों, जिन्हें 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है, को संबंधित उपक्षेत्र योजनाओं में शामिल कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे मूल्यांकनों में दोषी पाए गए किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अथवा सरकारी अधिकारी की कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*जारी योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण*

*मंत्रालय/विभाग का नाम: वस्त्र मंत्रालय*

| क्र.सं. | क्षेत्र/योजना और कार्यक्रम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| वीएसई क्षेत्र | |
| **क. हथकरघा** | |
| 1. | एकीकृत हथकरघा विकास योजना |
| 2. | विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना |
| 3. | हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 4. | मिलगेट मूल्य योजना |
| 5. | विविधीकृत हथकरघा विकास योजना |
| **ख. ऊन व ऊनी** | |
| 1. | एकीकृत ऊन सुधार एवं विकास कार्यक्रम |
| 2. | ऊन और ऊनी सामान का गुणवत्ता प्रसंस्करण |
| 3. | सामाजिक सुरक्षा योजना |
| **ग. रेशम उत्पादन** | |
| 1. | आर एंड डी/प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण/प्रशिक्षण एवं आईटी पहल |
| 2. | बीज सहायता एवं प्रौद्योगिकी सहायता/एचआरडी |
| 3. | उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम |
| 4. | गुणवत्ता प्रमाणीकरण |
| **घ. हस्तशिल्प** | |
| 1. | बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना |
| 2. | डिजाइन एवं तकनीकी विकास |
| 3. | विपणन सहायता एवं सेवाएं |
| 4. | हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना |
| 5. | अनुसंधान एवं विकास |
| 6. | मानव संसाधन विकास |
| 7. | जे एंड के के लिए एकीकृत विकास पैकेज |
| 8. | अवसंरचना (पूंजी) |
| **घ. विद्युतकरघा** | |
| 1. | समूह बीमा योजना |
| 2. | समूह कार्यशाला योजना एवं एकीकृत विद्युतकरघा समूह विकास |
| **उद्योग क्षेत्र** | |
| 1. | निफ्ट |
| 2. | पटसन प्रौद्योगिकी मिशन |
| 3. | टीआरए सहित अनुसंधान एवं विकास |
| 4. | निर्यात संवर्धन अध्ययन |
| 5. | कपास प्रौद्योगिकी मिशन (सीएसएस) |
| 6. | एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) |
| 7. | प्रौद्योगिकी उन्नत निधि योजना (टीयूएफएस) |
| 8. | सरदार वल्लभभाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान, कोयम्बटूर (एसवीपीआईटीएम) |
| 9. | फैशन हब की स्थापना* |
| 10. | साझा अनुपालन कोड* |
| 11. | पटसन सहित तकनीकी वस्त्र |
| 12. | पटसन सहित वस्त्र इंजीनियरिंग* |
| 13. | विदेश निवेश संवर्धन स्कीम (एफडीआई)* |
| 14. | ब्रांड संवर्धन योजना* |
| 15. | टेक्सटिपोलिस* |
| 16. | मानव संसाधन विकास* |

*नई योजनाएं

*[अनुवाद]*

**तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास**

775. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री सुग्रीव सिंह:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2008 के दौरान सेना के तीनों अंगों ने संयुक्त अभ्यास किया जैसाकि 30 दिसम्बर, 2007 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त अभ्यास से तीनों सेनाओं को किस प्रकार लाभ हुआ है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार घनत्व**

**776. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2010 तक दूरसंचार घनत्व के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्यों को दिसंबर, 2007 तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों का प्रतिशत बराबर है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का पृथक रूप से प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 के अनुसार देश में वर्ष 2010 तक 15 प्रतिशत टेलीघनत्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) जी, हां। 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व 23.89 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीघनत्व क्रमश: लगभग 8.35 प्रतिशत और 61.25 प्रतिशत था।

*[हिन्दी]*

**खाद्यान्नों का क्रय**

**777. डा. चिन्ता मोहन:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री रामजीलाल सुमन:**
**श्रीमती पी. सतीदेवी:**
**श्री मधु गौड यास्खी:**
**श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्रीमती निवेदिता माने:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक तिमाही के दौरान एवं उसके पश्चात् आज तक गेहूं व चावल का कुल भंडार कितना है तथा उक्त अवधि के दौरान बफर स्टाक के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त वस्तुओं की कितनी मात्रा में खरीद की गई एवं निर्यात किया गया;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त वस्तुओं के क्रय में मांग की तुलना में कमी आने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या खाद्यान्नों की कमी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) 1.1.2006 से बफर मानदंडों की तुलना में गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

| निम्न तारीख को | चावल का वास्तविक स्टाक | बफर मानदंड | गेहूं का वास्तविक स्टाक | बफर मानदंड |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2006 | 126.41 | 118.00 | 61.88 | 82.00 |
| 1.4.2006 | 136.75 | 122.00 | 20.09 | 40.00 |
| 1.7.2006 | 111.43 | 98.00 | 82.07 | 171.00 |
| 1.10.2006 | 59.70 | 52.00 | 64.12 | 110.00 |
| 1.1.2007 | 119.77 | 118.00 | 54.28 | 82.00 |
| 1.4.2007 | 131.72 | 122.00 | 47.03 | 40.00 |
| 1.7.2007 | 109.77 | 98.00 | 129.26 | 171.00 |
| 1.1.2008 | 114.75 | 118.00 | 77.12 | 82.00 |

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खरीदे गए गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

| विपणन मौसम | चावल | गेहूं |
|---|---|---|
| 2005-06 | 276.6 | 147.8 |
| 2006-07 | 250.8 | 92.2 |
| 2007-08 | 199.1 (27 फरवरी, 2008 को) | 111.3 |

रबी विपणन मौसम 2006-07 और 2007-08 के दौरान 92.2 लाख टन और 111.28 लाख टन गेहूं की खरीदारी की गई थी जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए 150 लाख टन गेहूं की वार्षिक आवश्यकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 2006-07 में 55 लाख टन गेहूं और 2007-08 में 23 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए आगामी रबी विपणन मौसम 2008-09 के दौरान पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीदने के लिए सरकार द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

खरीफ विपणन मौसम 2005-06 और 2006-07 के दौरान क्रमश: 276.6 और 250.8 लाख टन चावल की खरीदारी की गई थी जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए लगभग 250 लाख टन चावल की आवश्यकता है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2007-08 के दौरान 27.2.2008 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 199.1 लाख टन चावल की खरीदारी की गई है जो पिछले खरीफ विपणन मौसम की तदनुरूपी अवधि में खरीदे गए 191.8 लाख टन से 7.3 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए लगभग पर्याप्त चावल की खरीदारी कर ली जाएगी।

(च) सरकार ने 2007-08 में केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं की पर्याप्त मात्रा खरीदने के लिए कई पग उठाए हैं जिनके ब्यौरे क्रमश: विवरण-I और II में दिए गए हैं।

***विवरण I***

*सरकार द्वारा 2007-08 (खरीफ विपणन मौसम) में अधिकतम खरीदारी करने के लिए उठाए गए पग*

(1) किसानों को अधिक चावल उगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में साधारण और ग्रेड 'ए' चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 645 रुपये और 675 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो 65 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि है।

(2) भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों आदि की ओर से धान की वसूली करने वाली सहकारी समितियों और स्वयं सेवी समूहों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 1.5 प्रतिशत पर कमीशन की अनुमति दी गई है।

(3) सरकार ने साधारण धान के 645 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड 'ए' किस्म के धान के 675 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है।

(4) 500 डालर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम पर गैर-बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(5) दिनांक 27.11.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'चावल (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007' नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो खरीफ विपणन मौसम 2007-08 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 10,000 हजार टन से अधिक धान (चावल के रूप में) अथवा चावल खरीदेगा वह उस राज्य के सचिव, खाद्य विभाग को एक रिटर्न भेजेगा, जहां से अधिकतम मात्रा खरीदी गई है। यदि धान (चावल के रूप में) अथवा चावल की खरीदारी 25000 टन (देश भर में) से अधिक होती है तो निर्धारित प्रपत्र में रिटर्न केन्द्रीय सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजी जाएगी। संबंधित राज्य सरकार जिसके पास रिटर्न फाइल की जाएंगी वह केन्द्र सरकार को एक समेकित मासिक रिपोर्ट भेजेगी।

***विवरण II***

*रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं की अधिकतम खरीदारी करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय*

(1) किसानों को और गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है जो 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। अब कृषि और सहकारिता विभाग के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल

वर्ष 2006-07 में 74.89 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है जबकि फसल वर्ष 2005-06 में इसका 69.35 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।

(2) रबी विपणन मौसम 2007-08 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस भी दिया गया है।

(3) रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं की खरीदारी हेतु उपयुक्त रणनीति की सिफारिश करने के लिए अधिकारियों/विशेषज्ञों की समिति गठित की गई थी और इस समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी।

(4) 2006-07 में 55 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था जिससे केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है; और रबी विपणन मौसम 2007-08 की शुरूआत के समय गेहूं का स्टाक (1.4.2007 की स्थिति के अनुसार) 40 लाख टन के बफर मानदंड से अधिक था।

(5) निजी खाते पर गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्रीय पूल से गेहूं के विर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(6) रबी विपणन मौसम 2007-08 की शुरूआत से पहले बाजार मूल्यों को संयत करने के लिए फरवरी और मार्च, 2007 में खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 1.11 लाख टन गेहूं रिलीज किया गया था।

(7) 1.3.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007 नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2007-08 के दौरान 50 हजार टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को एक रिटर्न भरेगा जिसमें कंपनी का नाम/पता, खरीदे गए गेहूं की मात्रा और स्टाक में रखे गेहूं की मात्रा दर्शायी जाएगी।

(8) निजी खाते पर गेहूं के नि:शुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

(9) रबी विपणन मौसम 2007-08 में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की वसूली हेतु 13128 केन्द्र खोले गए हैं जबकि रबी विपणन मौसम 2006-07 में 8985 केन्द्र खोले गए थे।

(10) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का व्यक्तिगत तौर पर आकलन करने के लिए गेहूं की खरीद करने वाले राज्यों का बारंबार दौरा करते हैं।

(11) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों में गेहूं की वसूली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया कमीशन की तर्ज पर रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए समितियों/उप एजेंटों को दिए जाने वाले कमशीन को बढ़ा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(12) रबी विपणन मौसम 2007-08 के दौरान भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की वसूली करने के लिए नेफेड को भी तैनात किया गया है।

*[अनुवाद]*

**अनाज उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**

778. **श्री एल. राजगोपाल:**
**श्री सुव्रत बोस:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले दस वर्षों के दौरान देश में अनाज उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जलवायु परिवर्तन के कारण अनाज उत्पादन में कोई कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनाज विशेषकर चावल और गेहूं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया):** (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने "जलवायु परिवर्तन से भारतीय कृषि पर प्रभाव, अनुकूलन और अति संवेदनशीलता" विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में एक नेटवर्क परियोजना

शुरू की है। इस नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत किये गये अध्ययन से उपलब्ध प्रारंभिक परिणामों में यह संकेत मिलता है कि भविष्य में तापमान में वृद्धि होने और वर्षा के समय में परिवर्तन आने से देश में कृषि उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

गेहूं के मामले में अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि फरवरी/मार्च में परागोद्भव/अनाज के दाने बनने और पूर्ण होने की अवस्था में तापमान में वृद्धि होने के कारण उत्पादकता में कमी आ सकती है।

(ग) और (घ) देश में अनाज उत्पादन में वास्तविक कमी होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होती है और इसके प्रभाव लम्बी अवधि में सामने आते हैं। फिर भी, मार्च, 2004 में तापमान में असामान्य वृद्धि होने के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आई थी तथा यह परिपक्व होकर जल्दी तैयार हो गया था।

(ङ) राष्ट्रीय गेहूं कार्यक्रम में विशेष रूप से देर से बुआई किए जाने वाले वातावरण के लिए उच्च तापमान के प्रति सहिष्णु गेहूं के जीनोटाइपों का विकास करना एक मुख्य गतिविधि है। डब्ल्यू एच 730 को ऊष्मा सहिष्णु आनुवंशिक स्टाक के रूप में पंजीकृत किया गया है। डी बी डब्ल्यू 14 देर से बुआई वाली जलवायु के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसमें ऊष्मा सहिष्णुता और उच्च उत्पादकता की क्षमता है। इसके अलावा, एन आई ए डब्ल्यू 34, आर ए जे 3765 और आर ए जे 4037 लोकप्रिय किस्में भी ऊष्मा सहिष्णु पायी गई।

शून्य जुताई और क्यारियां बनाकर पौध रोपण जैसी संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संसाधन संरक्षण, विशेष रूप से जल संरक्षण में मदद मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन से आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान सांस्थानिक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए भी जोर दिया गया है।

### बीएसएनएल में इक्विटी को कम करना

779. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत संचार निगम लिमिटेड में इक्विटी में 10 प्रतिशत कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल के पास किसी विस्तार परियोजना के लिए पर्याप्त नकद शेष है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी इक्विटी को कम करने पर विचार करने के क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, भारत संचार निगम लिमिटेड आंतरिक संसाधनों और बाहरी ऋण से विस्तार योजना को पूरा करने में सक्षम है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### कृषकों को राजसहायता

780. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई विकासशील देशों की तुलना में देश में कृषि क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही राजसहायता बहुत कम और अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया):** (क) से (ग) भारत तथा अन्य विकासशील देशों में, कृषि के आधुनिकीकरण तथा कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र को राजसहायता दी जाती है। कृषि की उच्च उत्पादन तथा उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनायी है। इसमें कृषि में वृत्त प्रबंधन योजना का प्रारंभ होना, सूक्ष्म सिंचाई, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, विपणन ढांचे का विकास आदि शामिल है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ कर कदम उठाये गये हैं। विकास देशों में कृषि क्षेत्र में प्रदान की जा रही राजसहायता के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

**गेहूं और धान के उत्पादन में अंतर**

781. **श्री पी. मोहन:**
**श्री एस.के. खारवेनथन:**
**श्री श्रीचन्द कृपलानी:**
**श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:**
**श्री सर्वे सत्यनारायण:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के लिए दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) और बोनस संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव आगामी मौसम के दौरान किसानों को दिए जाने वाले एम.एस.पी. और बोनस में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, फसल-वार उसका ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो पाएगा;

(घ) क्या गेहूं और चावल के लिए दिए जाने वाले एम.एस.पी. में समानता लाने संबंधी को प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक क्रियान्वित हो पाएगा?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान धान तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित सारणी में सूचित किये गये हैं:

(रु. प्रति क्विंटल)

| वर्ष | धन | | | गेहूं | |
|---|---|---|---|---|---|
| | न्यूनतम समर्थन मूल्य | | बोनस | न्यूनतम समर्थन मूल्य | बोनस |
| | सामान्य | ग्रेड ए | | | |
| 2005-06 | 570 | 600 | – | 650 | 50 |
| 2006-07 | 580 | 610 | 40* | 750 | 100 |
| 2007-08 | 645 | 675 | 100 | 1000 | – |

*बोनस दिनांक 1.10.2006 से 31.3.2007 के बीच देय था। बिहार तथा केरल के मामले में, बोनस को दिनांक 31.5.2007 तक बढ़ा दिया गया तथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के मामले में बोनस को दिनांक 30.09.2008 तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) से (ङ) सरकार कृषि मूल्य और लागत आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों के साथ-साथ अन्य संबंधित कारक जिन्हें समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। गेहूं तथा चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूल्य समता के संबंध में, कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करते समय इन बातों के साथ-साथ अन्य कारकों के साथ फसल मूल्य समता को भी ध्यान में रखता है।

**गांवों में टेलीफोन कनेक्शन**

782. **प्रो. एम. रामदास:**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार आज की तारीख तक देश के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं;

(ख) कितने गांव इस सुविधा से नहीं जुड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रतीक्षा सूची वाले ग्राहकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची वाले ग्राहकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मुहैया करवाए जाएंगे; और

(ङ) देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा कब तक मुहैया करवा दी जाएगी?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) और (ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने देश के टेलीफोन सुविधारहित शेष 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की व्यवस्था करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत वे गांव शामिल नहीं हैं जिनकी जनसंख्या 100 से कम है तथा जो घने वन क्षेत्रों/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित हैं। दिनांक 31.01.2008 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 52,484 गांवों को वीपीटी प्रदान किए गए हैं और 14,358 गांवों को अभी भी वीपीटी प्रदान किया जाना है। अभी तक टेलीफोन सुविधारहित, टेलीफोन कनेक्शन सुविधायुक्त तथा अभी भी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने वाले गांवों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अधिकांश मामलों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त लैण्डलाइन स्विचन क्षमता उपलब्ध है। तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए प्रयोजनार्थ वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए "अम्ब्रेला कवरेज" प्रदान किया जा रहा है जिससे पुनः अधिकांश क्षेत्रों के लिए मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना सुनिश्चित होगा। अधिकांश वर्तमान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से दिसंबर, 2008 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

(ङ) शेष 14,358 पात्र सुविधारहित गांवों को जून, 2008 वीपीटी सुविधा तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

***विवरण***

*यूएसओ निधि करार के तहत गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की स्थिति*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | टेलीफोन सुविधारहित गांवों की कुल संख्या | टेलीफोन सुविधा प्राप्त गांवों की कुल संख्या | उन गांवों की कुल संख्या जिन्हें अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1074 | 654 | 420 |
| 3. | असम | 8931 | 8597 | 334 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 |
| 5. | झारखंड | 1694 | 1092 | 602 |
| 6. | गुजरात | 4144 | 4025 | 119 |
| 7. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1002 | 866 | 136 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 1755 | 1237 | 518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 |
| 11. | केरल | 0 | 0 | 0 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 11894 | 11801 | 93 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 5043 | 3173 | 1870 |
| 14. | महाराष्ट्र | 6441 | 5835 | 606 |
| 15. | पूर्वोत्तर | 2128 | 304 | 1824 |
| 15क. | मेघालय (पूर्वोत्तर-I) | 1957 | 207 | 1750 |
| 15ख. | मिजोरम (पूर्वोत्तर-I) | 96 | 28 | 68 |
| 15ग. | त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I) | 75 | 69 | 6 |
| 16. | पूर्वोत्तर-II | 1550 | 681 | 869 |
| 16क. | अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-II) | 646 | 207 | 439 |
| 16ख. | मणिपुर (पूर्वोत्तर-II) | 876 | 455 | 421 |
| 16ग. | नागालैंड (पूर्वोत्तर-II) | 28 | 19 | 9 |
| 17. | उड़ीसा | 4899 | 1258 | 3641 |
| 18. | पंजाब | 0 | 0 | 0 |
| 19. | राजस्थान | 12386 | 10849 | 1537 |
| 20. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 |
| 21. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 0 | 0 | 0 |
| 22. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 0 | 0 | 0 |
| 23. | उत्तरांचल | 3881 | 2092 | 1789 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 66822 | 52464 | 14358 |

**अनुसंधान और विकास कार्यक्रम**

**783. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास डाक विभाग की डाक सेवा से संबंधित प्रौद्योगिकीय विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) वर्तमान में, डाक विभाग के पास डाक सेवाओं से संबंधित प्रौद्योगिकीय विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक विभाग अपने प्रचालनों एवं सेवा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध प्रौद्योगिकीय अवसंरचना, उपस्करों और उत्पादों का उपयोग करता है।

**बहु-राज्य सरकारी समिति**

**784. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहु-राज्य सरकारी समिति अधिनियम, 2002 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निदेशक मंडल (बीओडी) कार्यकारी समिति से इतर समितियों अथवा उपसमितियों का गठन कर सकते हैं और इस प्रकार की समितियों में आम सभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और इसकी बैठकों में दो सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विनिर्दिष्ट शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड आवश्यकतानुसार एक कार्यकारी समिति और अन्य समितियों अथवा उपसमितियों का गठन करे बशर्ते कि अन्य समितियों अथवा उप समितियों की संख्या तीन से अधिक न हो। इन समितियों अथवा उप समितियों का गठन निदेशक मंडल के सदस्यों से होता है। तथापि एम एस सी एस अधिनियम, 2002 की धारा 50 के प्रावधान के अनुसार बोर्ड अपनी इन बैठकों में दो व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है। सदस्यों को समितियों/उपसमितियों की बैठकों में आमंत्रित करने के लिए एम एस सी एस अधिनियम, 2002 में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

**कूरियर सेवा में रोजगार**

**785. श्री के. सुब्बारायण:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कूरियर सेवा में नियोजित व्यक्तियों की संख्या का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) से (ग) कूरियर सेवाएं अविनियमित हैं। विभाग ने कूरियर सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

*[हिन्दी]*

**ट्राई के निदेश**

**786. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीफोन/मोबाइल सेवाओं पर आजीवन प्रशुल्क योजनाओं के साथ मौजूदा लाइसेंस की समाप्ति की अवधि के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञापनों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी देने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार की जानकारी देना प्रारंभ किया जा चुका है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) से (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (43वां संशोधन) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि जीवन पर्यन्त वैधता या असीमित वैधता वाली प्रशुल्क योजनाओं की स्थिति में सेवा प्रदाता अपने वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति के महीने एवं वर्ष के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करेगा। यह सूचना सभी प्रकार के प्रचारात्मक सामग्री/विज्ञापनों में दी जाएगी। यह आदेश 21 मार्च, 2006 से प्रभावी हो गया है। ट्राई के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सभी प्रचालकों द्वारा विनियामक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**यूएसए के साथ हथियारों का सौदा**

**787. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ शस्त्र सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यूएसए से हर मौसम के अनुकूल और अधिक सुपर हरक्यूलीज सी-130 जे खरीदने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) सरकार ने अमरीकी सरकार से लैंडिंग प्लेटफार्म डाक (एलपीडी) यूएसएस ट्रेनटान और यूएच-3एच हेलिकाप्टरों का अर्जन किया है। इन्हें जून, 2007 में भा.नौ.पो. जलाश्व के रूप में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। सरकार ने भारतीय सेना के विशिष्ट बलों द्वारा अपेक्षित हथियारों और उपस्करों तथा भारतीय वायुसेना के लिए छह सी-130जे-30 विमानों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव पत्र और स्वीकृति पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**अनिवार्य सैन्य सेवा**

788. **श्री के.सी. सिंह "बाबा":**
**श्री संतोष गंगवार:**
**श्री कैलाश मेघवाल:**
**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
**श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री कीरेन रिजीजू:**
**श्री नन्द कुमार साय:**
**श्री मिलिन्द देवरा:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

*[हिन्दी]*

**प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का नुकसान**

789. **श्री हंसराज गं. अहीर:**
**श्री सुभाष महरिया:**
**श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
**श्री हेमलाल मुर्मू:**
**श्री सुरेश अंगड़ि:**
**श्री विजय कृष्ण:**
**श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान हिमपात, ओलावृष्टि, पाला और असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट/क्षतिग्रस्त फसल की प्रमात्रा और मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त फसलों के लिए प्राप्त दावों और दिए गए मुआवजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाते में आहरित होने वाले चैकों के संवितरण के कारण लाभार्थियों को अपना मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषकों के हितानुकूल मुआवजे का संवितरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं;

(ङ) क्या इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

**गेहूं की खेती वाले क्षेत्र में कमी**

790. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री मोहन सिंह:**
**श्री गणेश सिंह:**
**श्री नन्द कुमार साय:**
**श्री मधु गौड यास्खी:**
**श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्रीमती निवेदिता माने:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008 में गेहूं के उत्पादन और प्रापण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या देश में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति, कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा इस संबंध में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) फसल वर्ष 2007-08 में गेहूं के उत्पादन हेतु 75.50 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चूंकि सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्यों के अंतर्गत खाद्यान्नों का प्रापण स्पष्ट है अत: कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। फसल वर्ष 2007-08 के दौरान प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र व्याप्ति के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) सरकार साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी दल की बैठकों में फसल की बुआई की प्रगति पर लगातार समीक्षा करती है। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन रबी 2007-08 से आरम्भ की गई है। इसका उद्देश्य 11वीं योजना के अंत तक क्षेत्र का विस्तार करके, उत्पादकता को बढ़ाकर और अन्य सुक्ष्म पोषणों की आपूर्ति करके 8 मिलियन टन तक की वृद्धि करना है।

***विवरण***

**गेहूं**

| राज्य | क्षेत्र (000 हैक्टेयर) | | |
|---|---|---|---|
| | द्वितीय अग्रिम अनुमान 2007-08* | अन्तिम अनुमान 2006-07 | निरपेक्ष अन्तर |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 9.0 | 10.0 | -1.0 |
| असम | 58.0 | 60.0 | -2.0 |
| बिहार | 2050.0 | 2049.7 | 0.3 |
| छत्तीसगढ़ | 90.0 | 91.5 | -1.5 |
| गुजरात | 1353.0 | 1201.0 | 152.0 |
| हरियाणा | 2400.0 | 2376.0 | 24.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 361.0 | 362.2 | -1.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| जम्मू-कश्मीर | 251.0 | 260.0 | -9.0 |
| झारखण्ड | 65.0 | 84.3 | -19.3 |
| कर्नाटक | 230.0 | 269.0 | -39.0 |
| मध्य प्रदेश | 3520.0 | 3992.8 | -472.8 |
| महाराष्ट्र | 1182.0 | 1231.0 | -49.0 |
| उड़ीसा | 4.0 | 3.9 | 0.1 |
| पंजाब | 3480.0 | 3467.0 | 13.0 |
| राजस्थान | 2565.0 | 2564.8 | 0.2 |
| उत्तर प्रदेश | 8741.0 | 9197.6 | -456.6 |
| उत्तराखण्ड | 397.0 | 391.0 | 6.0 |
| पश्चिम बंगाल | 400.0 | 350.6 | 49.4 |
| अन्य | 43.0 | 32.1 | 10.9 |
| समस्त भारत | 27199.0 | 27994.5 | -795.5 |

*07.02.2008 को जारी

**मत्स्यन व्यापार में बढ़ोत्तरी**

791. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात में मत्स्यन व्यापार को बढ़ाने के लिए कई पत्तनों के आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना प्रस्तावों के ब्यौरा सहित उनकी लागत क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ग) जी, हां। राज्य में मात्स्यिकी व्यापार में वृद्धि करने के लिए मंगरोल, वेरावल और पोरबंदर नामक तीन मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों की आधुनिकीकरण के लिए पहचान की गई है। गुजरात सरकार ने फरवरी, 2008 में 615 लाख रुपए की लागत से मंगरोल मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अन्य दो मत्स्यन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करके पुन: प्रस्तुत करे।

**गांवों में डाकघर**

792. **श्री एल. राजगोपाल:**
**श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में चार लाख से भी ज्यादा गांव अभी तक डाकघर सुविधा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी गांव में डाकघर खोलने का मानदण्ड क्या है;

(घ) क्या कई ऐसे गांवों में भी नए डाकघर नहीं खोले जा रहे हैं जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) देश के प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/जा रहे हैं;

(छ) क्या देश के डाकघरों में मूल्य संवर्द्धित सेवाएं देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) जी नहीं। ऐसे गांवों में जहां अलग डाकघर खोलना औचित्यसम्मत नहीं है वहां निकटस्थ मौजूदा डाकघर/पंचायत संचार सेवा केंद्र के माध्यम से मूलभूत डाक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। डाक विभाग गांवों में ग्राहकों को डाक के नियमित वितरण, लैटर बाक्सों से पत्रों का संग्रहण और ग्राहकों के घर तक डाक-टिकटों एवं डाक लेखन-सामग्री की बिक्री जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ऐसी सुविधाएं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले सहित देश के सभी गांवों में प्रदान की जाती हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गांवों में डाकघर खोलने के मानदंड/मानक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले गांवों में आवश्यक संसाधनों एवं जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर डाकघर खोले जाते हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार की देश के प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने की कोई नीति नहीं है। इसके मद्देनजर इस संबंध में किए गए/जा रहे उपायों का प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त (छ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार**

**793. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**
**डा. के. धनराजू:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई मोबाइल सेवा प्रदाताओं की "रिसेप्शन" की गुणवत्ता बहुत संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सेल्युलर आपरेटरों को अपनी मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सेल्युलर आपरेटरों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) देश में लैंडलाइन तथा मोबाइल फोन कनेक्शनों दोनों की सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या हाल ही में प्रक्षेपित किए गए उपग्रह से इस संबंध में लाभ होगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) 31 दिसंबर, 2007 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की निष्पादन अनुश्रवण रिपोर्टों (पीएमआर) के अनुसार, अधिकतर सेवा प्रदाताओं ने ट्राई द्वारा निर्धारित नेटवर्क गुणवत्ता संबंधी सेवा-गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा किया है। तथापि, कुछ सेवा प्रदाता कुछ सेवा क्षेत्रों में अवरुद्ध काल दर और स्पष्ट आवाज वाले कनेक्शनों की प्रतिशतता जैसे कुछ नेटवर्क संबंधी पैरामीटरों के बेंचमार्कों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

(ख) ट्राई के अनुसार, सेल्युलर मोबाइल प्रचालकों की अपर्याप्त "सेवा की गुणवत्ता" संबंधी प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) हाल ही में प्रचालकों द्वारा किया गया अवसंरचना का विकास सेल्युलर मोबाइल सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि के अनुरूप नहीं रहा है।

(2) परियात संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार दूरसंचार सर्किट संसाधन की अपर्याप्त उपलब्धता अर्थात् अंतर्संयोजन बिंदु (पीओआई) संकुलन।

(ग) और (घ) ट्राई सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्क को पूरा करने के लिए कमियों को दूर करने में सेवा प्रदाताओं की सहायता कर रहा है। ट्राई ने विभिन्न बैठकों में सेवा प्रदाताओं को यह स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि उन्हें सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को पूरा करने के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करनी

ही चाहिए और उन्हें सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को पूरा करना होगा। सेवा प्रदाताओं ने इन मानदंडों को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है।

(ङ) सरकार देश में लैंडलाइन और मोबाइल फोन कनेक्शन दोनों सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

(1) मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें आयोजित करना।

(2) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और निजी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें आयोजित करना ताकि इंटरकनेक्शन की सुविधा सुलभ कराई जा सके।

(3) मौजूदा प्रयोक्ताओं से अतिरिक्त स्पैक्ट्रम निर्मुक्त करवाने तथा समन्वयन बनाने के लिए सतत प्रयास करना।

(च) और (छ) दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में लैंडलाइन एक्सचेंजों को जोड़ने के लिए सेटेलाइट लिंकों का प्रयोग किया जा रहा है। हाल में, दूरसंचार प्रचालकों ने भी मोबाइल सेवाओं हेतु बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) को बेस स्टेशन कंट्रोलर्स (बीएससी)/ मोबाइल स्विचन केंद्रों (एमएससी) के साथ जोड़ने के लिए सेटेलाइट लिंक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है।

## कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड चेन सुविधाएं

**794. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के लिए राज्य-वार कुल कितने कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड चेन सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उक्त सुविधाएं पूर्ण रूपेण सरकार के स्वामित्व एवं प्रबंधन में हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो निजी पार्टियों द्वारा चलाई जा रही ऐसी सुविधाओं के स्वामित्व का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी सुविधाओं की स्थापना करने के लिए निजी पार्टियों द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई एवं उपयोग में लाई गई तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी क्षमता का सृजन किया गया;

(च) क्या ऐसे कोल्ड स्टोरेज गोदामों से बेकार हो जाने वाले कृषि उत्पादों की मात्रा में कमी आई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) देश में नाशवान कृषि उत्पादों के लिए उपलब्ध शीत भंडारण सुविधाओं की कुल संख्या 5101 है (दिसम्बर, 2006 तक)। राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) देश में शीत भंडारण निजी क्षेत्र (90 प्रतिशत) सहकारी क्षेत्र (7 प्रतिशत) और सार्वजनिक क्षेत्र (3 प्रतिशत) के स्वामित्व में है और उनके द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। ब्यौरे विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की "शीत भंडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और बागवानी उत्पाद हेतु भंडागारों संबंधी पूंजी निवेश राज सहायता स्कीम" के तहत ऐसी सुविधाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्रों को आवंटित कोष और सृजित की गई क्षमता विवरण-III पर दी गई है।

(च) और (छ) शीत भंडारण सुविधाओं ने नाशवान वस्तुओं की सकल बर्बादी को कम किया है लेकिन मात्रा का आकलन नहीं किया गया है।

*विवरण I*

*31.12.2006 तक शीत भंडागारों का वस्तुवार विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शा. क्षेत्र | आलू (1) | | बहूद्देशीय (2) | | फल एवं सब्जी (3) | | मांस और मछली (4) | | दूध एवं दुग्ध उत्पाद (5) | | अन्य (6) | | कुल सं. (1+2+3+4+5+6) (7) | कुल क्षमता एम टी में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | क्षमता | संख्या | क्षमता | संख्या | क्षमता | संख्या | क्षमता | संख्या | क्षमता | संख्या | क्षमता | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | अ. एवं नि. द्वीपसमूह | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 210 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 210 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 00 | 00 | 199 | 761617 | 10 | 7884 | 44 | 26068 | 15 | 6838 | 08 | 18401 | 276 | 820808 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 00 | 00 | 01 | 5000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 5000 |
| 4. | असम | 00 | 00 | 23 | 70916 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 23 | 70916 |
| 5. | बिहार | 187 | 699780 | 51 | 210802 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 238 | 910582 |
| 6. | चंडीगढ़ | 01 | 1000 | 04 | 11131 | 00 | 00 | 01 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 12216 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 10 | 33742 | 42 | 232180 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 100 | 00 | 00 | 55 | 266022 |
| 8. | दिल्ली | 00 | 00 | 52 | 117306 | 01 | 53 | 04 | 1239 | 09 | 4757 | 27 | 2736 | 93 | 12609 |
| 9. | गुजरात | 177 | 658416 | 100 | 272517 | 03 | 1263 | 61 | 28442 | 32 | 13114 | 01 | 16 | 374 | 973768 |
| 10. | गोवा | 00 | 00 | 01 | 3633 | 00 | 00 | 25 | 3404 | 02 | 68 | 0 | 0 | 28 | 7105 |
| 11. | हरियाणा | 172 | 225991 | 65 | 164787 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 1343 | 00 | 00 | 243 | 392121 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 05 | 9748 | 04 | 2354 | 06 | 6100 | 01 | 78 | 01 | 95 | 00 | 00 | 17 | 18375 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 05 | 11281 | 12 | 31473 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 115 | 00 | 00 | 19 | 42869 |
| 14. | झारखंड | 06 | 22500 | 19 | 58125 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | 80625 |
| 15. | केरल | 00 | 00 | 06 | 8100 | 00 | 00 | 164 | 38108 | 06 | 1080 | 01 | 10 | 177 | 47298 |
| 16. | कर्नाटक | 09 | 16530 | 71 | 226158 | 02 | 1959 | 34 | 5141 | 15 | 3128 | 07 | 252 | 138 | 253168 |
| 17. | लक्षद्वीप | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 15 |
| 18. | महाराष्ट्र | 0 | 0 | 166 | 379629 | 110 | 46776 | 62 | 63263 | 70 | 18407 | 29 | 2779 | 437 | 510854 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 114 | 564600 | 49 | 192487 | 04 | 2577 | 00 | 00 | 11 | 3125 | 01 | 13 | 179 | 762802 |
| 20. | मणिपुर | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 21. | मेघालय | 00 | 00 | 03 | 3200 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 3200 |
| 22. | मिजोरम | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 23. | नागालैंड | 00 | 00 | 02 | 6150 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 6150 |
| 24. | उड़ीसा | 35 | 114580 | 28 | 98060 | 00 | 00 | 27 | 3780 | 00 | 00 | 00 | 00 | 90 | 216420 |
| 25. | पांडिचेरी | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | 01 | 50 | 00 | 00 | 03 | 85 |
| 26. | पंजाब | 344 | 1097609 | 74 | 229318 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 10590 | 00 | 00 | 420 | 1337517 |
| 27. | राजस्थान | 19 | 65896 | 75 | 244349 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 1781 | 04 | 104 | 106 | 312130 |
| 28. | सिक्किम | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 29. | तमिलनाडु | 00 | 00 | 63 | 204252 | 03 | 7675 | 51 | 10315 | 13 | 4512 | 06 | 475 | 136 | 227229 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | त्रिपुरा | 00 | 00 | 08 | 18450 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 18450 |
| 31. | उ.प्र. और उत्तरांचल | 1371 | 8163232 | 187 | 760240 | 04 | 3580 | 02 | 4027 | 02 | 801 | 01 | 38 | 1567 | 8931918 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 398 | 5159967 | 32 | 180000 | 00 | 00 | 02 | 32 | 02 | 43 | 00 | 00 | 434 | 5340042 |
| | कुल | 2853 | 16844872 | 1337 | 4492234 | 144 | 77882 | 482 | 184227 | 200 | 69947 | 85 | 24824 | 5101 | 21693986 |

*विवरण II*

*31.12.2006 तक शीत भंडागारों का क्षेत्र-वार विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र | निजी क्षेत्र | | सरकारी क्षेत्र | | सार्वजनिक क्षेत्र | | कुल सं. | कुल क्षमता एमटी में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | क्षमता | संख्या | क्षमता | संख्या | क्षमता | | क्षमता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | अं. एवं नि. द्वीपसमूह | 01 | 170 | 00 | 00 | 01 | 40 | 02 | 210 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 255 | 805759 | 11 | 11598 | 10 | 3451 | 276 | 820808 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 01 | 5000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 5000 |
| 4. | असम | 18 | 68796 | 01 | 1000 | 04 | 1120 | 23 | 70916 |
| 5. | बिहार | 220 | 833382 | 18 | 77200 | 00 | 00 | 238 | 910582 |
| 6. | चण्डीगढ़ | 05 | 11216 | 01 | 1000 | 00 | 00 | 06 | 12216 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 53 | 265952 | 01 | 29 | 01 | 41 | 55 | 266022 |
| 8. | दिल्ली | 75 | 103210 | 02 | 5201 | 16 | 17680 | 93 | 126091 |
| 9. | गुजरात | 346 | 941936 | 20 | 24093 | 08 | 7739 | 374 | 973768 |
| 10. | गोवा | 28 | 7105 | 00 | 00 | 00 | 00 | 28 | 7105 |
| 11. | हरियाणा | 233 | 377319 | 04 | 3403 | 06 | 11399 | 243 | 392121 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 08 | 11413 | 02 | 767 | 07 | 6195 | 17 | 18375 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 15 | 40689 | 03 | 2134 | 01 | 46 | 19 | 42869 |
| 14. | झारखंड | 17 | 53210 | 08 | 27415 | 00 | 00 | 25 | 80625 |
| 15. | केरल | 161 | 44628 | 06 | 1080 | 10 | 1590 | 177 | 47298 |
| 16. | कर्नाटक | 103 | 236885 | 18 | 6689 | 17 | 9594 | 138 | 253168 |
| 17. | लक्षद्वीप | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | महाराष्ट्र | 354 | 476667 | 51 | 20463 | 32 | 13724 | 437 | 510854 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 154 | 659020 | 20 | 101348 | 05 | 2434 | 179 | 762802 |
| 20. | मणिपुर | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 21. | मेघालय | 01 | 1200 | 00 | 00 | 02 | 2000 | 03 | 3200 |
| 22. | मिजोरम | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 23. | नागालैंड | 01 | 5000 | 01 | 1150 | 00 | 00 | 02 | 6150 |
| 24. | उड़ीसा | 75 | 191420 | 15 | 25000 | 00 | 00 | 90 | 216420 |
| 25. | पांडिचेरी | 02 | 35 | 01 | 50 | 00 | 00 | 03 | 85 |
| 26. | पंजाब | 402 | 1298425 | 18 | 39092 | 00 | 00 | 420 | 1337517 |
| 27. | राजस्थान | 96 | 308284 | 09 | 3832 | 01 | 14 | 106 | 312130 |
| 28. | सिक्किम | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 29. | तमिलनाडु | 119 | 214505 | 13 | 7562 | 04 | 5162 | 136 | 227229 |
| 30. | त्रिपुरा | 02 | 7750 | 01 | 5000 | 05 | 5700 | 08 | 18450 |
| 31. | उ.प्र. और उत्तरांचल | 1477 | 8642438 | 87 | 281480 | 03 | 8000 | 1567 | 8931918 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 387 | 5037042 | 47 | 303000 | 00 | 00 | 434 | 5340042 |
| | कुल | 4609 | 20648456 | 358 | 949586 | 134 | 95944 | 5101 | 21693986 |

## *विवरण III*

*शीत भंडागारों और बागवानी उत्पाद हेतु भंडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी पूंजी निवेश राजसहायता स्कीमों के तहत स्वीकृत शीत भंडागार की स्थिति*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2004-2005 | | | 005-2006 | | | 2006-2007 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | क्षमता (एमटी) | राजसहायता (लाख रु. में) | संख्या | क्षमता (एमटी) | राजसहायता (लाख रु. में) | संख्या | क्षमता (एमटी) | राजसहायता (लाख रु. में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | पंजाब | 18 | 47629 | 493.86 | 20 | 58316 | 434.22 | 2 | 5271 | 28.999 |
| 2. | हरियाणा | 1 | 3970 | 51.05 | 2 | 5169 | 32.12 | 1 | 0 | -5.676 |
| 3. | तमिलनाडु | 7 | 24637 | 241.11 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 30705.54 | 495.468 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 357659 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | उत्तर प्रदेश | 121 | 656199 | 3771.31 | 85 | 0 | 2585.98 | 88 | 460795 | 3338.508 |
| 6. | उत्तरांचल | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 11926 | 0.00 | 0 | 801.67 | 8.021 |
| 7. | महाराष्ट्र | 76 | 37688 | 327.66 | 4 | 16500 | 55.49 | 3 | 11020.74 | 126.394 |
| 8. | राजस्थान | 6 | 15006 | 164.26 | 5 | 65501 | 58.59 | 2 | 7693 | 70.394 |
| 9. | कर्नाटक | 5 | 21424 | 236.71 | 13 | 0 | 557.62 | 9 | 54646 | 363.889 |
| 10. | गुजरात | 0 | 72220 | 188.89 | 0 | 3000 | 0.00 | 16 | 0 | 347.629 |
| 11. | उड़ीसा | 4 | 21000 | 194.44 | 1 | 6705 | 24.09 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4 | 23675 | 159.44 | 9 | 6531 | 96.18 | 1 | 2130 | 27.539 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 2 | 10300 | 90.16 | 1 | 49634 | 42.08 | 6 | 23482 | 202.984 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 9 | 36522 | 299.00 | 8 | 28483 | 265.58 | 6 | 17614.6 | 212.733 |
| 15. | आंध्र प्रदेश | 8 | 32607 | 132.82 | 8 | 6500 | 328.61 | 29 | 191221 | 1032.417 |
| 16. | असम | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 12814 | 80.00 | 7 | 36900 | 393.3 |
| 17. | बिहार | 22 | 78152 | 608.20 | 3 | 8269 | 184.84 | 14 | 73971.8 | 528.048 |
| 18. | झारखंड | 6 | 30395 | 195.87 | 3 | 0 | 62.51 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | दिल्ली | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | केरल | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4349.529 | 48.495 |
| 22. | नागालैंड | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | गोवा | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | जम्मू-कश्मीर | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .0 |
| | कुल | 289 | 1111424 | 7154.78 | 163 | 637007 | 4807.91 | 199 | 921102 | 7219.14 |

कुल क्षमता 16.79 लाख एम.टी.

कुल संख्या 649

दी गई कुल सहायता 19182.25 लाख रुपये

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

**वस्त्र परियोजनाएं**

**795. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही वस्त्र परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनावार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और उसमें कितनी सफलता मिली; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो पाएंगी?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन ):** (क) देश में वर्तमान में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत चल रही वस्त्र परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

| राज्य | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | अनुमोदित परियोजना लागत (सामान्य अवसंरचना एवं सुविधाएं) | अनुमानित भारत सरकार का सहायता |
|---|---|---|---|
| | | (करोड़ रु. में) | (करोड़ रु. में) |
| आंध्र प्रदेश | 4 | 361.32 | 127.40 |
| गुजरात | 7 | 816.91 | 280.00 |
| महाराष्ट्र | 6 | 524.05 | 202.29 |
| तमिलनाडु | 6 | 529.83 | 187.51 |
| राजस्थान | 4 | 393.92 | 156.54 |
| कर्नाटक | 1 | 53.10 | 21.24 |
| पंजाब | 1 | 110.26 | 40.00 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 104.59 | 40.00 |
| कुल | 30 | 2893.42 | 1054.76 |

(ख) और (ग) इन पार्कों की वर्ष 2009 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्यान्वयन कार्य विभिन्न चरणों में है। इन परियोजनाओं के एसपीवी द्वारा पेश 'परियोजना रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट' के अनुसार, इन वस्त्र पार्कों को पूरा करने की अनुमानित तिथि निम्नलिखित है-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | पूरा करने की अनुमानित तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | हैदराबाद हाई-टेक विविंग पार्क | मार्च 2009 तक |
| 2. | हिंदूपुर व्यापार अपैरल पार्क लि. | |
| 3. | पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लि. | लगभग पूरा कर लिया गया है |
| 4. | ब्रेडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्रा.लि. | लगभग पूरा कर लिया गया है |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क लि. | मार्च 2008 तक |
| 6. | मुन्द्रा सेज टेक्सटाइल व अपैरल पार्क लि. | मार्च 2009 तक |
| 7. | फैयरडिल टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि. | |
| 8. | ब्रज इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लि. | |
| 9. | श्री लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्रीयल को-ओपरेटिव सर्विस सोसायटी | |
| 10. | सूरत सुपर यार्न लि. | |
| 11. | कपिला इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क | |
| 12. | मेट्रो हाई-टेक को-आपरेटिव पार्क लि. | जून 2008 तक |
| 13. | प्राइड इंडिया कोओपरेटिव टेक्सटाइल पार्क लि. | नवम्बर 2008 तक |
| 14. | वाडा हाई-टेक विविंग पार्क लि. | मार्च 2009 तक |
| 15. | तारापुर टेक्सटाइल्स पार्क लि. | |
| 16. | बारामती हाई टेक टेक्सटाइल पार्क लि. | नवम्बर 2008 तक |
| 17. | श्री धैर्यसील मेन टेक्सटाइल पार्क को-ओपरेटिव सोसाइटी लि. | मार्च 2009 तक |
| 18. | द ग्रेट इंडिया लिनेन एवं टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी | |
| 19. | सिमा टेक्सटाइल प्रोसिंग सेंटर | |
| 20. | पल्लाडम हाई-टेक विविंग पार्क लि. | लगभग पूरा कर लिया गया है |
| 21. | कोमारपल्लयम हाई-टेक विविंग पार्क लि. | लगभग पूरा कर लिया गया है |
| 22. | कुरूर इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क | मार्च 2009 तक |
| 23. | मदुरई इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लि. | |
| 24. | जयपुर टेक्सविविंग पार्क लि. | नवम्बर 2008 तक |
| 25. | किशनगढ़ हाइ-टेक टेक्सटाइल पार्क लि. | मार्च 2009 तक |
| 26. | नेक्सट जेन टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि. | |
| 27. | राजस्थान टेक्समार्ट पार्क प्रा.लि. | |
| 28. | डोडावल्लापुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क | नवम्बर 2008 तक |
| 29. | लोटस इंटिग्रेटेड टेक्स पार्क | मार्च 2009 तक |
| 30. | ईआईजीएमईएफ अपैरल पार्क लि. | |

**कम लागत वाले कम्प्यूटरों की व्यवस्था**

**796. श्री के. सुब्बारायण:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और आर्थिक श्रेणी-वार कितने प्रतिशत लोगों की पहुंच कंप्यूटर और इंटरनेट तक है;

(ख) क्या देश में डिजिटल अंतर को दूर करने के लिए सरकार कम लागत वाले कम्प्यूटर मुहैया करवाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** (क) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.12.2007 तक इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या 10.5 मिलियन और ब्रोड बैण्ड ग्राहकों की संख्या 3.19 मिलियन है। डायर करने पर इंटरनेट देश के ग्रामीण क्षेत्रों से भी उपलब्ध हो सकता है। राज्यवार इंटरनेट और ब्रोडबैण्ड ग्राहकों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) देश में कम्प्यूटरों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए योजना आयोग द्वारा राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को आगे बढ़ाने से संबंधित उपायों के लिए मंत्रालय/विभाग के बजट के 2-3 प्रतिशत भाग से अधिक राशि निर्धारित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयर का अधिग्रहण आदि शामिल है। सरकार देश में सस्ते मूल्यों पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग को सुविधाएं प्रदान कर रही है। सरकार ने इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और कम्प्यूटरों सहित इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर के मूल्यों में कमी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

***विवरण I***

*इंटरनेट/ब्रोडबैण्ड ग्राहक (31.12.2007 तथा 31.01.2008) की स्थिति के अनुसार*

| क्र.सं. | राज्य/दूर संचार मण्डल | इंटरनेट ग्राहक (31.11.2007 की स्थित के अनुसार) | ब्रोडबैण्ड ग्राहक (31.12.2008 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 5,274 | 1,293 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 747,134 | 248,428 |
| 3. | असम | 50,801 | 14,037 |
| 4. | बिहार (झारखण्ड सहित) | 129,634 | 39,461 |
| 5. | दिल्ली* | 1382,679 | 419,220 |
| 6. | गुजरात | 552,154 | 202,344 |
| 7. | हरियाणा | 186,572 | 45,565 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 37,063 | 7,908 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 64,290 | 8,364 |
| 10. | कर्नाटक | 749,751 | 357,473 |
| 11. | केरल (लक्षद्वीप सहित) | 671,761 | 151,180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | महाराष्ट्र (गोवा सहित) | 2369,185 | 680,816 |
| 13. | मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) | 385,770 | 88,599 |
| 14. | पूर्वोत्तर** | 385,770 | 5,201 |
| 15. | उड़ीसा | 102,549 | 22,948 |
| 16. | पंजाब | 381,408 | 110,566 |
| 17. | राजस्थान | 395,302 | 68,399 |
| 18. | तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित) | 1060,625 | 423,409 |
| 19. | उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) | 508,542 | 125,317 |
| 20. | पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित) | 671,207 | 171,343 |
| | कुल | 10,506,586 | 3191,871 |

*गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव शामिल हैं

**मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा शामिल हैं

*विवरण II*

*इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय*

**1. विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश**

- इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंदर हैं।

**2. सीमा शुल्क**

- वर्ष 2001-02 में 35 प्रतिशत सीमा शुल्क की उच्चतम दर को वर्ष 2007-08 में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। 217 सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं पर सीमा शुल्क 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है।

- आईटीए-1 में विनिर्माण की सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्तों के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

- इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों तथा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण के लिए विशिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0 प्रतिशत है।

- इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0 प्रतिशत है।

**3. उत्पाद शुल्क**

- कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत है जबकि अधिकांश वस्तुओं के लिए मध्यम दर 16 प्रतिशत है।

- माइक्रोप्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लापी डिस्क ड्राइव, सीडी राम ड्राइव, डीवीडी ड्राइव/डीवीडी राइडर, फ्लैश मेमोरी तथा कोम्बो ड्राइव को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

**4. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी)**

- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) के अंतर्गत 5 प्रतिशत सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति है।

- ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त हो।

**5. सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-I) वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्ति**

- इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-I) वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) के प्रयोजन से गिना जाएगा।

**6. विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड)**

- निर्यात के प्रयोजन से बाधा मुक्त विनिर्माण तथा व्यापार की सुविधा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है।

- एसईजेड से देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) को बिक्री को वास्तविक निर्यात माना जाता है। इसके फलस्वरूप, देशीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रति अदायगी/डीईपीवी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट प्राप्त है।

- एसईजेड इकाइयों को निर्यात से लाभ पर 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर से छूट, अगले 5 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत और उसके पश्चात 5 वर्षों के लिए प्लाऊबैक लाभ का 50 प्रतिशत प्राप्त होता है।

**7. पुरानी पूंजीगत वस्तुएं**

- पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

**8. इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए विदेश व्यापार नीति को उदार बनाया गया है**

**9. प्रक्रियाओं का सरलीकरण**

- इलेक्ट्रानिक डाटा आदान प्रदान (ईडीआई) का कार्यान्वयन सीमा शुल्क द्वारा किया गया है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। विदेश व्यापार से संबंधित आवेदन पत्र जैसे कि आईसीई कोड, ईपीसीजी, अग्रिम लाइसेंस आदि डीजीएफटी को इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

**10. अपने ही संगठन में अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय**

- इलेक्ट्रानिक उपस्कर, कम्प्यूटर तथा दूरसंचार उपस्कर के व्यवसाय से जुड़ी कम्पनी के मामले में अपनी ही संगठन में अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय के 150 प्रतिशत तक भारित कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (2एबी) के उपबंध (1) के अंतर्गत उपलब्ध है।

**नौसेना में एयरक्राफ्ट की कमी**

**797. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना को सी हैरियर एयरक्राफ्ट की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी शेष सी हैरियर एयरक्राफ्ट को उन्नत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्नयन कार्यक्रम पर अनुमानत: कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, हां। 'सी-हैरियर' के चल रहे स्तरोन्नयन कार्यक्रम ने भी वायुयान की उपलब्धता को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है।

(ग) और (घ) 'सी-हैरियर' वायुयान के सीमित स्तरोन्नयन के वास्ते मार्च 2005 में 476.69 करोड़ रुपए की लागत पर मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के साथ संविदा की गई थी।

(ङ) स्तरोन्नयन कार्यक्रम वर्ष 2009 तक पूरा होने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**फसल बोए जाने वाला क्षेत्र**

**798. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
**श्री रामजी लाल सुमन:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान रबी मौसम के दौरान देश में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न न बोए जाने वाला क्षेत्र पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान गेहूं, धान, तिलहन, दालों, गन्ना और कपास की खेती के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खेती के लिए कम क्षेत्र का प्रयोग करने के कारण उत्पादन में आई कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) निम्नलिखित सारणी रबी 2007 तथा रबी 2006 के दौरान तथा रबी 2008 के दौरान (दूसरी अग्रिम अनुमान) विभिन्न खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत अनुमानित कवरेज क्षेत्र प्रस्तुत करती है:

(लाख हैक्टेयर)

| फसल | रबी 2008 | रबी 2007 | रबी 2006 |
|---|---|---|---|
| गेहूं | 271.99 | 279.95 | 264.84 |
| धान | 40.93 | 42.12 | 43.25 |
| मोटे अनाज | 58.28 | 63.14 | 63.64 |
| दालें | 116.10 | 125.16 | 117.12 |
| खाद्यान्न | 487.29 | 510.37 | 488.84 |

जबकि गेहूं के अंतर्गत कवरेज क्षेत्र रबी 2008 में, रबी 2006 में की तुलना में अधिक है तथा रबी 2007 की तुलना में कम है, अन्य फसलों का कवरेज क्षेत्र रबी 2008 में, रबी 2007 तथा रबी 2006 की तुलना में कम है।

(ख) निम्नलिखित सारणी 2004-05 से 2006-07 (खरीफ तथा रबी दोनों मौसम) के दौरान गेहूं, धान, तिलहनों, दालों, गन्ने तथा कपास के अंतर्गत कवरेज क्षेत्र प्रस्तुत करती है:

(लाख हैक्टेयर)

| फसल | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| गेहूं | 279.95 | 264.84 | 263.83 |
| धान | 438.14 | 436.60 | 419.07 |
| तिलहन | 265.13 | 278.63 | 275.23 |
| दालें | 231.92 | 223.91 | 227.63 |
| गन्ना | 51.51 | 42.02 | 36.62 |
| कपास | 91.45 | 86.77 | 87.87 |

(ग) 7.2.2008 को जारी किए गए 2007-08 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खाद्यान्नों का उत्पादन 219.32 मिलियन टन है जोकि 2006-07 के दौरान 217.28 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन से 2.04 मिलियन टन अधिक है। पुन: सरकार ने चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबी 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है।

*[अनुवाद]*

## किसानों द्वारा आत्महत्याएं

799. **श्रीमती जयाप्रदा:**
**श्री एन.एन. कृष्णदास:**
**श्री बापू हरि चौरे:**
**डा. रतन सिंह अजनाला:**
**श्री अजय चक्रवर्ती:**
**श्री हन्नान मोल्लाह:**
**श्री रशीद मसूद:**
**श्री उदय सिंह:**
**श्री दुष्यंत सिंह:**
**श्री संजय धोत्रे:**
**श्री एस.के. खारवेलधन:**
**श्री चेंगरा सुरेंद्रन:**
**श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री सनत कुमार मंडल:**
**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**
**श्री परसुराम माझी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या आत्महत्या के बढ़ते हुए मामले यह दर्शाते हैं कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम विफल रहे हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए कोई विनिर्दिष्ट योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (च) किसानों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, संलग्न है। जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, मोटे तौर पर किसानों द्वारा आत्महत्या के कारण फसल न होना, ऋण ग्रस्तता, सूखा, सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा है।

किसानों द्वारा आत्महत्या की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों के 31 जिलों के लिए 16878.69 करोड़ रुपये की राशि का एक पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया है। पैकेज में लघु अवधि और दीर्घ अवधि के उपाय है जो जुलाई 2006 से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण राहत, संस्थागत ऋण की उन्नत आपूर्ति, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार और कृषि सहायता सेवाओं और सहायक आय के अवसरों के माध्यम से सतत तथा व्यवहार्य कृषि तथा आजीविका सहायता प्रदान करना है। पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन की प्रगति का नियमित आधार पर जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर समीक्षा और मानीटरिंग की जाती है।

किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान क्रमश: 4882.48 और 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय पर देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने और राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दो नई स्कीमों नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) को शुरू की है ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र स्कीमों की योजना और निष्पादन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की जा सके। इसके अलावा समुचित स्कीमों/परियोजनाओं और पर्याप्त संस्थागत ऋणों के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को पर्याप्त लचीलापन प्रदान करते हुए कई नीतिगत पहलों, योजना स्कीमों और कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें कृषि विस्तार सेवाओं, विपणन सुधारों, बागवानी विकास, वृहद प्रबंधन योजना का पुन: सक्रियकरण शामिल है।

*विवरण*

*राज्य सरकारों से प्राप्त किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अवधि | संख्या (राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों पर आधारित | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2004 | | 1251 |
| | | 2005 | | 632 |
| | | 2006 | | 514 |
| | | 2007 (30.06.2007 तक) | | 142 |
| 2. | कर्नाटक | 2004-05 | | 271 |
| | | 2005-06 | | 163 |
| | | 2006-07 | | 320 |
| | | 2007-08 (10.07.2007 तक) | | 73 |
| 3. | महाराष्ट्र | | कुल | विदर्भ |
| | | 2004 | 632 | 441 |
| | | 2005 | 595 | 431 |
| | | 2006 | 2355 | 1448 |
| | | 2007 | 1985 | 1230 |
| | | 2008 (जनवरी 2008 तक) | 110 | 72 |
| 4. | केरल | 2001 से 2006 | | 841 |
| | | 2007 (31.10.2007 तक) | | 64 |
| 5. | तमिलनाडु | 2000-2007 (मार्च, 2007 तक) | | 26 |
| 6. | पंजाब* | 2004 | | 11 |
| | | 2005 | | 6 |
| | | 2006 | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | गुजरात | 2004 | 7 |
| | | 2005 | 125 |
| | | 2006 | 149 |

*पंजाब की कपास बेल्ट से संबंधित राज्य सरकार के पत्र सं. 4/39/6 कृषि 2(10)/7257 दिनांक 21.3.2006 के तहत सूचना दी गई। पंजाब सरकार ने अपने पत्र सं. 4/15/07-कृषि 2(10)/3943 दिनांक 11.5.2007 के तहत भी सूचित किया है कि ऋण भार के कारण किसानों की आत्महत्या की संख्या वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 में क्रमशः 2, शून्य और 3 और 3 थी।

टिप्पणी: राज्यों नामतः उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, नगालैण्ड, गोवा, हरियाणा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और सभी केन्द्र शासित प्रदेशों से शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

## दुग्ध सरकारी समितियों हेतु ब्याज दरों में कटौती

800. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुग्ध सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादों और किसानों हेतु ब्याज दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

801. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्मार्ट कार्ड जारी करने की एक नई योजना शुरू की है जिसके धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में 30,000/- रुपए तक बीमा कवर प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य बीमा लाभ के लिए स्मार्ट कार्ड योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों (पांच की इकाई) के लिए 1 अक्टूबर, 2007 से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' नामक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। योजना चरणबद्ध रूप में लागू की जाएगी। योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले श्रमिकों की अनुमानित संख्या 6 करोड़ है और इन्हें पांच वर्षों की अवधि, यानी, 2012-13 तक कवर कर लिए जाने का प्रस्ताव है। योजना में लाभार्थियों (पांच की इकाई) को स्मार्ट कार्ड आधारित नकदरहित बीमा कवर देने की व्यवस्था है। योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारें करेंगी। बीमा कंपनी का चयन राज्य सरकारें प्रतिस्पर्द्धी बोलियों के माध्यम से करेंगी। योजना के लाभों में शामिल हैं:

(1) परिवार फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।

(2) सभी शामिल रोगों की नकदरहित परिचर्या।

(3) अस्पताल में भर्ती रहने का व्यय जिसमें अधिकतर आम रोग शामिल हैं और यथासंभव चंद रोगों को ही शामिल नहीं किया गया है।

(4) सभी पूर्व रोगों को शामिल किया जाएगा।

(5) परिवहन लागत 1000/- रुपए की समग्र सीमा के भीतर (प्रति यात्रा 100 रु. की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक)।

750/- रुपए के प्रीमियम को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा बशर्ते केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में प्रति परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम 565/- रु. हो। प्रति स्मार्ट कार्ड 60 रुपए की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। लाभार्थी पंजीकरण/नवीकरण शुल्क के तौर पर प्रतिवर्ष 30 रुपए देंगे।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं**

802. **श्री निखिल कुमार:**
**डा. अरुण कुमार शर्मा:**
**श्री गणेश सिंह:**
**श्रीमती मेनका गांधी:**
**श्री के.एस. राव:**
**श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
**श्री सनत कुमार मंडल:**
**श्री संतोष गंगवार:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्न योजना के अतंर्गत वितरण हेतु खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के संबंध में अनियमितताओं तथा इसके अन्यत्र उपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में हाल ही में नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा एनसीएईआई के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनियमितताओं तथा अन्यत्र उपयोग संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करने तथा इसे सुचारू बनाने या एक नई प्रणाली शुरू करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न समाज के लक्षित कमजोर वर्गों तक पहुंच सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रणाली में क्या-क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, हां। व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रैस रिपोर्टों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का विपथन होने के बारे मे शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों को जांच और कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने 6 राज्यों नामत: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006-07 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समवर्ती मूल्यांकन किया था।

राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने हाल में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के निष्कर्ष विवरण-I में दिए गए हैं।

पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रैस रिपोर्टों के जरिए प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

| 2005 | | 2006 | | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शिकायत | प्रैस रिपोर्ट | शिकायत | प्रैस रिपोर्ट | शिकायत | प्रैस रिपोर्ट |
| 5 | – | 20 | 11 | 33 | 24 |
| 5 | | 31 | | 57 | |

(घ) और (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समय-समय पर इसका अध्ययन कराया गया है। सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और ओ.आर.जी. मार्ग, नई दिल्ली ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन किया था और 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर एक 9 सूत्री कार्य योजना पहले ही राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। उक्त कार्य योजना की प्रति विवरण-II में दी गई है। इसके क्रियान्वयन की मानीटरिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, हाल ही में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक संशोधित नागरिक अधिकार

पत्र जारी किया गया है ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा सके।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न लक्षित परिवारों तक पहुंचे और इनके विपथन की संभावना को न्यूनतम किया जा सके गरीबी रेखा से ऊपर के आवंटन को युक्तिसंगत बनाया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समवर्ती मूल्यांकन शुरू किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए जा रहे हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को शुरू किया जा रहा है। गेहूं के आटे के वितरण की संशोधित नीति जारी की गई है।

मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए नई प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*विवरण I*

*राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्ष*

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस बात की जांच करना था कि देश में आबादी की गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों में से वास्तव में उन्हें कितनी मात्रा प्राप्त होती है और इस प्रणाली में क्या-क्या अनियमितताएं होती हैं और उनके क्या तौर-तरीके हैं। यह अध्ययन प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से किया गया था। 6 राज्यों नामत: असम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए चुना गया था। कुल 6000 परिवारों (प्रत्येक राज्य के लिए 1000) का सर्वेक्षण विस्तृत सूचना के लिए लगातार 6 महीने की अवधि के लिए किया गया था। 6 बार उन्हीं परिवारों का सर्वेक्षण करने का प्रयोजन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुपुर्दगी की नियमितता और उसके अन्य सक्षमता संकेतकों की जांच करना था। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के नमूने क्रमश: 80 और 20 के अनुपात में लिए गए थे। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुपुर्दगी तंत्र चुने हुए 6 राज्यों में से 4 में अधिक प्रभावी पाया गया था जहां गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 80 प्रतिशत से अधिक परिवारों को अनाजों की पात्रता की मात्रा पूर्णत: नियमित रूप से मिल रही थी। बिहार में सुपुर्दगी अधिक खराब थी और असम में संतोषजनक से नीचे थी (सारणी-1 देखें)। अंत्योदय अन्न योजना संहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की पात्रता 35 किलो पर निर्धारित की गई थी इसमें या तो गेहूं/चावल हो अथवा दोनों मिलाकर हों। मिजोरम के मामले को छोड़कर चुने हुए राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के अधिकांश परिवारों को इन दो अनाजों की निर्धारित पात्रता के आस-पास खाद्यान्न प्राप्त हो रहे थे जबकि मिजोरम में अधिकांश गरीब परिवारों को लगभग 25 किलो चावल मिला। बिहार को छोड़कर अन्य चुने हुए राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित खाद्यान्न गरीबों की खाद्यान्न की कुल आवश्यकता के दो तिहाई को पूरा कर सकता है। बिहार में यह गरीबों की केवल एक तिहाई आवश्यकता को पूरा कर सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के लिए अधिकांश अंत्योदय परिवारों से गेहूं के लिए दो रुपए प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम के आस-पास लिए जा रहे थे। इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवारों के लिए अधिकांश मामलों में भुगतान किया गया मूल्य निर्धारित मूल्य के आसपास था। तथापि, कुछ परिवारों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि ली गई थी क्योंकि दुकानदारों ने ढुलाई प्रभार परिवारों पर डाल दिए थे।

जहां तक वितरित किए गए अनाज की गुणवत्ता का संबंध है बिहार को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में अधिकांश परिवार इस मामले में संतुष्ट थे। बिहार में 70 प्रतिशत से अधिक परिवार सरकारी दुकानों के जरिए आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता से खुश नहीं थे। अनाज में अन्य तत्वों की मौजूदगी, कीट-जन्तुबाधा ग्रस्त अनाज की आपूर्ति, टूटे दाने और अनाज का खराब स्वाद होना उनके असंतुष्ट होने के आम कारण थे। इसी प्रकार की समस्याएं अन्य राज्यों में भी असंतुष्ट परिवारों द्वारा बताई गई थी। कमी की अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यनिष्पादन को छत्तीसगढ़, असम और मिजोरम में परिवारों ने संतोषजनक अथवा अत्यधिक संतोषजनक बताया। यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संतोषजनक थी, जबकि बिहार में साक्षात्कार लिए गए लगभग आधे परिवारों ने इसे खराब या अत्यधिक खराब बताया था।

यद्यपि, चुने हुए अधिकांश राज्यों में अनाज की सुपुर्दगी ठीक थी लेकिन इन सभी में लक्षित समूहों की पहचान करने की त्रुटि पाई गई। पहचान करने की समस्या के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अधिक संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं और चुने हुए राज्यों में से अधिकांश में खाद्यान्नों का अत्यधिक विपथन हो रहा

है। जनगणना के आंकड़ों और द्वितीयक स्रोत (खाद्य मंत्रालय) के आधार पर जारी कार्डों की संख्या का उपयोग करके सभी राज्यों तथा अखिल भारत के लिए अधिक संख्या में कार्डों/पहचान न किए गए परिवारों की गणना की गई। अधिक संख्या में कार्ड जारी करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। अखिल भारत आधार पर जारी किए अधिक कार्डों की कुल संख्या दो करोड़ से अधिक थी। इसी प्रकार बिना कार्ड वाले पहचान न किए गए परिवार अखिल भारत आधार पर 1.2 करोड़ थे। अध्ययन में सभी राज्यों और अखिल भारत के लिए एक ही स्रोत का उपयोग करके अधिक संख्या में लक्षित (गरीब इतर को शामिल करना) और लक्षति करने में विफल होने (राजसहायता से गरीब को बाहर रखना) की त्रुटियों की गणना की गई थी। राजसहायता स्कीम से गरीबों को गोवा और उत्तरांचल में सबसे अधिक संख्या में बाहर रखा गया था जहां लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 30 प्रतिशत तक लक्षित करने में विफल रही थी। राजसहायता प्राप्त खाद्यान न के लिए गरीब इतर लोगों को शामिल करने की समस्या अधिक गम्भीर थी और ये मामले लगभग सभी राज्यों में पाए गए थे। अखिल भारत स्तर पर शामिल करने की त्रुटि 25 प्रतिशत तक थी क्योंकि जारी किए गए गरीबी रेखा से नीचे के कार्डों की संख्या 5.8 करोड़ मौजूद परिवारों की तुलना में 9.7 करोड़ थी। योजना आयोग के साथ हमारे सर्वेक्षण आंकड़ों से प्रति व्यक्ति आय और व्यय की तुलना करके गरीबी के लिए निश्चित आय, शामिल करने की सीमा और शामिल न करने की त्रुटि का हिसाब लगाया गया (चुने हुए राज्यों के लिए)। औसत आय और व्यय के मानदण्ड से पता चला कि शामिल करने की त्रुटि मिजोरम में सर्वाधिक लगभग 75 प्रतिशत, असम में 50 से 60 प्रतिशत, राजस्थान और बिहार में लगभग 50 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में लगभग 35 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 20 से 30 प्रतिशत तक थी। शामिल न करने की त्रुटि के आंकड़ों से पता चलता है कि गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड जारी न करने के मामले पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम अर्थात् 15 प्रतिशत से कम थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आते हैं।

गलत लक्षित करने की बात के अलावा खाद्यान्न का कुछ हिस्सा ऐसा भी था जो वास्तव में किसी भी परिवार को वितरित नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसे राज्य के रिकार्ड में उठान किया हुआ दिखाया गया था। अत: हम मान सकते हैं कि वितरित न किए गए लेकिन राज्य के खाते से ले लिए गए खाद्यान्न कालाबाजार में अथवा खुले बाजार में जा रहे थे या अधिक मूल्य पर गरीब इतर लोगों के बीच वितरित किए जा रहे थे। चुने हुए राज्यों से दो राज्यों नामत: बिहार और मिजोरम में अंत्योदय खाद्यान्न का विपथन पाया गया था। गेहूं के लिए विपथन की मात्रा बिहार में 41 प्रतिशत तक और मिजोरम में चावल के विपथन की मात्रा 36 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवारों के मामले में राजस्थान को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में विपथन हुआ है। चावल के मामले में असम और मिजोरम में तथा गेहूं के मामले में बिहार और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विपथन हुआ। इन सभी मामलों में कुछ उठान का 40 प्रतिशत तक विपथन हुआ। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए निश्चित खाद्यान्नों के मामले में उठान किया गया समस्त गेहूं और उठान किए गए 80 प्रतिशत से अधिक चावल का विपथन असम और मिजोरम के दो पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ था। अन्य चार राज्यों में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्न का विपथन केवल छत्तीसगढ़ में पाया गया (सारणी-2 देखें)।

इस प्रकार अध्ययन मिली-जुली तस्वीर पेश करती है। एक ओर चुने हुए अधिकांश राज्यों में सर्वेक्षण अवधि के दौरान बिल्कुल नियमित रूप से गरीबों को खाद्यान्न दिया जा रहा था यह निर्धनतम लोग बिल्कुल नियमित रूप से अपनी पात्रता का खाद्यान्न ले रहे हैं जो उचित दर दुकानों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन की कुशलता को दर्शाता है। दूसरी ओर बड़े पैमाने पर पहचान करने की त्रुटि, जारी किए गए अधिक कार्ड और गरीबों की पात्रता के खाद्यान्नों का व्यापक विपथन बताने वाली घोर अनियमितताओं की गहरी समस्या का पता चला है। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करना है तो इन मुद्दों को सही करने की जरूरत है। इस दिशा में लाभार्थियों की सही पहचान करना पहला कदम है। यद्यपि, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों को शामिल करके पहचान करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने के प्रयास किए गए हैं लेकिन इस प्रक्रिया से गरीबों की पहचान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का कुछ सीमा तक राजनीतिकरण हुआ है। ऐसा किसी भी अवस्था पर प्रणाली की मानीटरिंग में पूर्ण कमी होने के कारण हो रहा है। वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए तब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना संभव नहीं हो सकेगा जब तक उपभोक्ता, विशेष रूप से निर्धनतम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो जाएंगे। इस मामले में अंत्योदय अन्न योजना अथवा गरीबी रेखा से नीचे या किसी अन्य कल्याण योजना के लिए पात्रता मानदण्ड के बारे में गरीबों के बीच सूचना/जागरूकता का अभाव होने के कारण पहचान करने की त्रुटि की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न वर्ग में आने वाले लोग अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड जारी करने में अपनाए जा रहे मानदंड से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। इस प्रणाली में तब तक सुधार करना संभव नहीं होगा जब तक उपभोक्ताओं को इन मुद्दों पर उचित रूप से शिक्षित न किया जाए। इस प्रयोजनार्थ स्थानीय भाषा के समाचार-पत्र, क्षेत्रीय रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों जैसे जन-सूचना प्रणाली का उपयोग ग्राम

वासियों को सूचित करने और मानदंड, पात्रता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज के मूल्य के बारे में नवीनतम जानकारी देने के लिए किया जाना चाहिए। प्रणाली की उचित मानीटरिंग और गलत पहचान करने के लिए दोषियों के खिलाफ प्रभावी दंड की जरूरत होगी। यह अधिक उपयुक्त होगा यदि पहचान करने के काम की क्रास जांच करने के लिए कई प्राधिकारी हों। बाद में वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाए और सभी उचित दर दुकानों तथा नागरिक आपूर्ति गोदामों को आन-लाइन जोड़ा जाए। इससे प्रणाली में अधिक सक्षमता और पारदर्शिता आएगी तथा लाभार्थियों से लाभों के विपथन की संभावनाएं घटेंगी।

*सारणी-1 सर्वेक्षण की 6 माह की अवधि के दौरान चुने हुए राज्यों में अनाज की पात्रता प्राप्त कर रहे परिवारों का प्रतिशत*

| | राजस्थान | छत्तीसगढ़ | उत्तर प्रदेश | बिहार | असम | मिजोरम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंत्योदय परिवार | 91.32 | 94.7 | 92.8 | 55.3 | 61.9 | 88.9 |
| गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवार | 90.7 | 95.8 | 85.8 | 36.3 | 66.7 | 85.4 |

*सारणी-2 चुने हुए राज्यों में खाद्यान्नों का विपथन (उठान का प्रतिशत)*

| | राजस्थान | छत्तीसगढ़ | बिहार | उत्तर प्रदेश | असम | मिजोरम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अंत्योदय परिवार | | | |
| चावल | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 36.2 |
| गेहूं | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| | | | गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवार | | | |
| चावल | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.3 | 45.0 | 37.4 |
| गेहूं | 0.0 | 42.3 | 46.9 | 20.7 | 0.0 | 0.0 |
| | | | गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार | | | |
| चावल | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 81.1 |
| गेहूं | 0.0 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |

***विवरण II***

*9 सूत्री कार्यक्रम*

(1) जाली राशन कार्डों को समाप्त करने और गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय के केवल पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का लीकेज मुक्त और विपथन मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना, दोषी व्यक्तियों/एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना-सलाहकार समितियों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि होना, उचित दर दुकानों को पंचायतों द्वारा चलाया जाना और सतर्कता समितियों में पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व होना।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित दर दुकानों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों का प्रदर्शन किया जाना, उचित दर दुकानों द्वारा अधिसूचित समय का पालन किया जाना।

(5) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करना, जनता द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए वेबसाइट पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उचित दर दुकान-वार और जिला-वार आवंटन प्रदर्शित करना।

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर दुकानों के द्वार पर सुपुर्दगी करना।

(7) उचित दर दुकानों द्वारा खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता और जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाना।

(8) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों की जटिलताओं के बारे में सतर्कता समितियों को प्रशिक्षण देना।

(9) उचित दर दुकानों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य दुकान बनाना-उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं की बिक्री आदि करने की अनुमति देना।

**विदेशी भूमि पर तिलहन व दालों का उत्पादन**

**803. श्री पी. मोहन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या विदेशी भूमि पर तिलहन व दालों के उत्पादन के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति द्वारा म्यांमार में दालों के उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है व इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या निजी व संयुक्त उद्यम के माध्यम से इस प्रकार का उत्पादन का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन की कारक लागत क्या है;

(छ) क्या स्वदेशी किसानों पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(झ) स्वदेशी किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) सरकार विदेशी भूमि पर तिलहनों के उत्पादन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, म्यांमार में आयल पाम की खेती में निजी निवेश को सुकर बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिए म्यांमार प्राधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (झ) मामले में केवल प्रारंभिक चर्चा की जा रही है।

**प्राथमिक शिक्षकों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उपदान**

**804. श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री नन्द कुमार साय:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को उपदान भुगतान उपलब्ध कराने का है जैसाकि दिनांक 25 जनवरी, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.1.2004 के निर्णय के दृष्टिगत, सरकार ने अध्यापकों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के दायरे में शामिल करने के लिए अधिनियम में 'कर्मचारी' की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए 26.11.2007 को संसद में उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शामिल नहीं किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.50 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

मध्याह्न 12.00 बजे

*लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।*

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** लालू जी, कृपया!

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** प्लीज आप लोग बैठ जाइए। मेहरबानी करके आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** महोदय, आप हमारी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हम किसी की बात नहीं सुनेंगे।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं कुछ टिप्पणियों की निंदा करता हूं जो देश में फूट डालने के इरादे से की गई थी। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। इसे पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है और मैं अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब हम लोग कुछ काम करें। श्री त्रिपाठी, मुझे सोचने दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया मंत्री महोदय द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण वक्तव्य को सुनें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब, श्री प्रणब मुखर्जी बोलेंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

### (एक) विदेश नीति से संबंधित घटनाक्रम

*[अनुवाद]*

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** मैं पिछले दिसम्बर में शीतकालीन सत्र के समापन के बाद से विदेश नीति से संबंधित प्रगति के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इस अंतर-सत्रीय अवधि के दौरान सरकार ने विदेशी परिवेश के अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं, जिससे कि भारत के बढ़ते हुए विकासात्मक प्रयासों को बल मिले और इससे हमारी सामरिक स्थिति में वृद्धि हो।

प्रधानमंत्री ने 13 से 15 जनवरी, 2008 को चीन लोक गणराज्य, जो कि हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, की सरकारी यात्रा की। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री और प्रीमियर वेन जियाबाओ ने ''भारत गणराज्य और चीन लोक गणराज्य के बीच 21वीं शताब्दी के लिए एक साझी दृष्टि'' संबंधी एक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिससे क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे साझे हितों की समानुरूपता और उन क्षेत्रों में एकजुट होकर काम करने की हमारी इच्छा शक्ति का पता चलता है प्रधानमंत्री ने सीमा पार नदियों के मसले को भी उठाया। विशेषज्ञस्तरीय तंत्र की पहली बैठक सितंबर, 2007 में हुई। हमने चीनी पक्ष से यह प्रस्ताव किया है कि हम इस क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाएं। हम चीन के साथ उच्चस्तरीय आदान-प्रदान को बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। मैं इस वर्ष चीन की यात्रा पर जाऊंगा और चीन के विदेश मंत्री भी भारत की यात्रा पर आएंगे। हम अपने सशस्त्र सेनाओं के बीच पारस्परिक सूझबूझ एवं विश्वास को गहन बनाए रखने के प्रयास में इस वर्ष द्वितीय वार्षिक वार्ता एवं द्वितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित करेंगे। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में लगातार ठोस वृद्धि हो रही है और दोनों सरकारों ने 2010 तक अपना व्यापार लक्ष्य 60 बिलियन डालर पुनर्निर्धारित किया है। हमारे वाणिज्य मंत्री संयुक्त आर्थिक समूह की आठवीं बैठक के लिए अप्रैल में चीन की यात्रा करेंगे।

सीमा प्रश्न पर प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अप्रैल, 2005 में संपन्न मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं राजनैतिक मानदंड संबंधी करार के आधार पर समाधान की परस्पर स्वीकार्य रूपरेखा तलाशने में विशेष प्रतिनिधियों के कार्य की समीक्षा की दोनों पक्षों

ने सीमा क्षेत्रों में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने पर भी सहमति व्यक्ति की है।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि चीन के अधिकारियों ने जून, 2008 के अंत में प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर खेद व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री की यात्रा अपने नागरिकों को यह आश्वस्त करने के लिए की गयी थी कि सरकार उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं के प्रति सजग है और ठोस परियोजनाओं के जरिए उनकी मदद करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक है। यह तथ्य कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है सरकार द्वारा चीनी पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है।

माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर भी ध्यान दिया होगा। एक घृणित आतंकवादी घटनाक्रम में श्रीमती बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद पाकिस्तान के लोगों की व्यथा में भारत उनका सहभागी है। हमें यह संतुष्टि है कि पाकिस्तान में हाल में हुए चुनावों में पाकिस्तान के लोग अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट एवं लोकतांत्रिक रूप से अपनी इच्छा व्यक्त कर सके। भारत पाकिस्तान को एक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में विकसित एवं समृद्ध होते देखना चाहता है। पाकिस्तान में जैसे ही किसी विधिसंगत सरकार का गठन होगा, सरकार संयुक्त वार्ता प्रक्रिया को पुन: शुरू करने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं कि हम बकाया मसलों का समाधान कर सकेंगे एवं अहिंसा एवं आतंकवाद से मुक्त परिवेश में पाकिस्तान के साथ परस्पर लाभकारी संबंध बना सकेंगे।

अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है, लेकिन इससे हम अफगानिस्तान के निर्माण के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रभावित नहीं होने देंगे। इस वर्ष जनवरी के प्रारंभ में हमने अफगानिस्तान की एक मुख्य सड़क परियोजना में आतंकवादी हमले में अपने दो कार्मिकों को खो दिया। इस हमले में हमारे 5 कार्मिक भी घायल हुए, जिसमें 12 अफगानी सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। हम उन सभी के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राष्ट्रपति करजई एवं उनकी सरकार का दृढ़तापूर्वक साथ देना चाहिए जो तालिबान के रूप में आतंकवाद के एक बड़े खतरे एवं लोकतांत्रिक तथा बहुलवादी राजव्यवस्था के निर्माण के प्रयास की दोहरी चुनौतियों का सामना करना कर रहे हैं।

नेपाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। दो बार स्थगित होने के बाद संविधान सभा के चुनाव 10 अप्रैल, 2008 को होने निश्चित हुए हैं। इन चुनावों से तराई क्षेत्र सहित सभी नेपालियों को अपने भविष्य के निर्धारण का अवसर मिलेगा। नेपाल के लोकतांत्रिक, स्थायी शांतिपूर्ण एवं समृद्ध राज्य के रूप में रूपांतरण में सरकार हर संभव मदद करने के लिए वचनबद्ध है।

भारत श्रीलंका में घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखे हुए है और उस देश में हिंसा तथा संघर्ष में हाल ही में हुई वृद्धि से चिंतित है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, श्रीलंका के प्रति हमारी नीति इस विश्वास पर आधारित है कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। इसका एकमात्र तरीका संयुक्त श्रीलंका की रूपरेखा के अंतर्गत शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से राजनीतिक समाधान है जो कि तमिलों सहित सभी समुदाय के लोगों को स्वीकार हो। श्रीलंका के साथ संबंधों में श्रीलंका में तमिल समुदाय के हित हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने श्रीलंका सरकार के इस आशय की घोषणा का पहले कदम के रूप में स्वागत किया है कि 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। हम अपने मछुआरों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी पूरी तरह सजग है। हालांकि, हमारे मछुआरों के लिए यह अत्यावश्यक है कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) का, विशेषकर श्रीलंका में जारी अभियानों को ध्यान में रखते हुए सम्मान करें, हमने श्रीलंका की नौसेना से आग्रह किया कि वे संयम से कार्य करें और हमारे मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए।

म्यांमार के विदेश मंत्री ने जनवरी, 2008 के प्रारंभ में भारत की यात्रा की और राजनीतिक सुधार एवं राष्ट्रीय सुलह के लिए म्यांमार सरकार द्वारा की गयी पहलकदमियों की हमें संक्षिप्त जानकारी दी। विदेश सचिव ने भी फरवरी, 2008 में म्यांमार की यात्रा की। म्यांमार भारत का अच्छा पड़ोसी है और "आसियान" का द्वार है। हमने म्यांमार से इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया व्यापक आधार वाली होनी चाहिए जिसमें आंग सांग सू की और विभिन्न नृजातीय समूहों सहित समाज के सभी वर्ग शामिल हों। भारत वार्ता प्रक्रिया शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सद्प्रयासों और उनके विशेष दूत श्री इब्राहिम गंबारी के मिशन का पूरी तरह समर्थन करता है। द्विपक्षीय स्तर पर भारत के भू-आबद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र से बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने के लिए सीमा पार के अवसंरचना विकास परियोजनाओं में सहयोग म्यांमार के साथ हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे सम्मान नृजातीय संपर्कों और सुरक्षा पक्षों पर विचार करते हुए भारत के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उसके राजनैतिक सुधारों की अवधि के दौरान म्यांमार में शांति और स्थायित्व हो।

मैंने 7-8 दिसम्बर, 2007 के बीच दिल्ली में आयोजित सार्क देशों की मंत्रिपरिषद के 29वें सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र में

[श्री प्रणब मुखर्जी]

सार्क को घोषणात्मक अवस्था से क्रियान्वयन चरण में पहुंचाने के लिए अप्रैल, 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन के बाद से हुए प्रगति की समीक्षा की गई। हमने सार्क विकास कोष को तत्काल प्रचालनीय बनाने का निर्णय लिया। लिए गए अन्य निर्णय दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना, सार्क खाद्य बैंक और भौतिक संपर्क को बढ़ाने से संबंधित है।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 30 नवम्बर, 2007 को अपनी ओर से दिए वक्तव्य में मैंने 25 नवम्बर, 2007 को कुवालालम्पुर में हिंदू राइट्स एक्शन फोर्स (हिंदराफ) द्वारा आयोजित रैली में भाग लेने वालों के कथित उत्पीड़न और तदुपरांत संबद्ध मामलों के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं को संदर्भित किया था। जैसा कि उस अवसर पर माननीय सदस्यों को बताया गया, सरकार विदेश स्थित भारतीय मूल के लोगों के कल्याण के प्रति काफी चिंतित है। मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों का एक बड़ा समुदाय है जो उस देश के नागरिक हैं। मलेशिया के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और हम इस मामले में मलेशियाई प्राधिकारियों के संपर्क में हैं। उनके साथ हमारे संपर्कों के दौरान मलेशिया में भारतीय समुदाय से संबंधित घटनाक्रमों पर संसद सहित अन्य मंचों पर भारत की चिंताएं समुचित रूप से व्यक्त की गई हैं।

गाजा और वेस्ट बैंक में हाल में हुई घटनाओं पर सरकार काफी चिंतित है। इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप हुई कठिनाई और दुख खेदजनक है। हमने यह सूचित किया है कि भारतीय फिलीस्तीन के लोगों द्वारा सामना किए जा रहे मुसीबतों पर काबू पाने में मदद करने के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है।

हमारे निकटतम पड़ोस के बाहर के देशों के कई महत्वपूर्ण दौर हुए हैं जिससे इन देशों के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है। हाल में रूस के प्रधानमंत्री विक्टर जुबकोव के हुए दिल्ली दौरे (12-13 फरवरी, 2008) से रूस के साथ सामरिक साझीदारी को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली है। उनके नई दिल्ली के दौरे के दौरान रूस के प्रधानमंत्री ने "भारत में रूस वर्ष" का उद्घाटन किया जिसके पश्चात् अगले वर्ष "रूस में भारत वर्ष" का आयोजन किया जाएगा। यू.के. के प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन ने चौथे भारत-यू.के. वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा (20-21 जनवरी, 2008) की। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी मुख्य अतिथि थे। यह राष्ट्रपति सरकोजी की भारत की पहली यात्रा थी और इससे हमारी सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने में मदद मिली है। जापान के प्रधानमंत्री की गत वर्ष अगस्त में हुई भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित रोड मैप के आधार पर जापान के साथ हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ रही है। हाल में मेरी और प्रधानमंत्री की जापान के नए समकक्षों के साथ हुई बातचीत में उन्होंने हम लोगों के द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में मिलकर कार्य करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। मालदीव के राष्ट्रपति गयूम ने 6-12 फरवरी, 2008 तक भारत की राजकीय यात्रा की। भारत ने माले में इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल सहित आपसी सहमति से निर्धारित क्षेत्रों में मालदीव में अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु आर्थिक और तकनीकी सहायता दी है। ओमान सल्तनत की मंत्रिपरिषद के उप-प्रधानमंत्री सैयद फहद बिन महमूद अल सैद ने पिछले दिसंबर में भारत का दौरा किया जो पिछले एक दशक में ओमान से पहली यात्रा थी। मैंने जनवरी, 2008 में ओमान की यात्रा की। इस अवधि के दौरान हमने डेनमार्क, हंगरी और यूनान के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं की मेजबानी की।

माननीय सदस्यों को यह जानकारी भी होगी कि अभी हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि विशेष रूप से भारत के लिए सहमत सुरक्षोपाय करार पर पहुंचा जा सके। ऐसा करार संपन्न किए जाने से नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह भारत के पक्ष में असैनिक नाभिकीय वाणिज्य के लिए अपने दिशा-निर्देशों को संशोधित कर पाएगा। इससे रूस, अमरीका, फ्रांस, यू.के. इत्यादि सहित अन्य देशों के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा जिनमें से अनेक के साथ ऐसे व्यापार के लिए आवश्यक द्विपक्षीय करारों के संबंध में चर्चा की गयी है और ये अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों में है। इस घटनाक्रम से अंततः तकनीकी से इंकार करने की अनुचित व्यवस्था और उन प्रतिबंधों का अंत होगा जिसका सामना भारत पिछले तीन दशकों से करता आ रहा है। इन विषयों पर अन्य देशों के साथ हमारे क्रिया-कलापों को आगे बढ़ाने के लिए हम देश के भीतर व्यापक राजनैतिक मतैक्य बनाने का प्रयास जारी रखेंगे।

इस संदर्भ में भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग प्रक्रिया पर हाइड अधिनियम के प्रभावों के संबंध में अमरीकी अधिकारियों के कुछ वक्तव्यों की ओर सदस्यों का ध्यान गया होगा। इस अवसर पर मुझे यह दोहराने का अवसर दें कि हाइड अधिनियम अमरीकी सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच का एक समर्थकारी प्रावधान है, अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग के संबंध में भारत के अधिकार और दायित्व द्विपक्षीय 123 करार से उत्पन्न होते हैं जिस पर अमरीका के साथ हमारी सहमति हो चुकी है।

संक्षेप में मैं इस बात पर बल दूंगा कि सरकार हमारे क्षेत्र के देशों और विश्व की सभी बड़ी ताकतों के साथ घनिष्ठ

राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध विकसित करने का अपना प्रयास जारी रखेगी ताकि अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करने की हमारी क्षमता बढ़ सके।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8132/2008]

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय:** इस पर चर्चा होगी।

*...(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 12.14 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8116/2008]

(3) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8117/2008]

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 685(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8118/2008]

(5) जिनेवा में 1993 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 80वें सत्र में स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 174 और प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना के निवारण से संबंधित सिफारिश संख्या 181 पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8119/2008]

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8120/2008]

**अध्यक्ष महोदय:** मद सं. 5—कृपया श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से श्री विजय हान्डिक सभा पटल पर पत्र रखें।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** महोदय, वे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। क्या मैं सभा पटल पर पत्र रख सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** जी हां।

**श्री शिवरंजन दासगुप्ता:** श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) गुजरात राज्य बीमा निगम लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8121/2008]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8122/2008]

(ख) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8123/2008]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8124/2008]

(6) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8125/2008]

(8) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8126/2008]

(10) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8127/2008]

(12) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8128/2008]

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जूट पैकेज सामग्री (पैकिंग वस्तु अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अधिसूचना संख्या एफ. सं. 9/5/2007-जूट जो 9 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि जूट वर्ष 2007-2008 के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनतम प्रतिशत में वितरण की आपूर्ति के लिए उसमें उल्लिखित वस्तुओं को जूट पैकेज सामग्री में पैक किया जाएगा।

(दो) का.आ. 1514(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना को संकल्प के स्थान पर सांविधिक आदेश के रूप में घोषित किया गया।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8129/2008]

(2) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8130/2008]

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:



(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) चावल (कंपनियों या फार्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2007 जो 27 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1991(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा.का.नि. 758(अ)/आ.व./गन्ना जो 6 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2006-2007 के चीनी वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 759(अ)/आ.व./गन्ना जो 6 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2007-2008 के गन्ना वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित गन्ने का न्यूनतम कीमत निर्धारित की गई है।

(चार) चीनी (2006-2007 के उत्पादन की कीमत का विनिश्चय) संशोधन आदेश, 2007 जो 6 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) गन्ना (नियंत्रक) संशोधन आदेश, 2007 जो 28 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2198(अ)/आ.व./गन्ना में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8131/2008]

---

**अपराह्न 12.15 बजे**

## राज्य सभा से संदेश
## और
## राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, जिसे राज्य सभा द्वारा

[महासचिव]

27 फरवरी, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं 27 फरवरी, 2008 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 सभा पटल पर रखता हूं।

---

अपराह्न 12.15½ बजे

## (एक) परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008*

*[अनुवाद]*

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि परिसीमन अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**श्री हंसराज भारद्वाज:** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

अपराह्न 12.16 बजे

## परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण@

*[अनुवाद]*

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज):** महोदय, मैं परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 1) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 3.3.2008 में प्रकाशित।
@सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8133/2008

अपराह्न 12.16½ बजे

## (दो) रेल (संशोधन) विधेयक, 2008*

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद:** मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

अपराह्न 12.17 बजे

## रेल (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण@

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** महोदय, मैं रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2) तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद): महोदय, रेलवे की अकस्मात दुर्घटना में झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के 18 लोग मारे गए हैं। यह संवेदना का विषय है। इस पर सदन को दुख व्यक्त करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी इस पर बयान दें कि यह

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 3.3.2008 में प्रकाशित।
@सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8134/2008

घटना क्यों और कैसे हुई, उनके परिवारों को क्या दिया गया है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने हरिन पाठक जी को टाइम दिया था, उनकी बात रिकार्ड हो गयी है।

*[अनुवाद]*

मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक:** महोदय, मंत्री जी को इस घटना के बारे में सदन में बयान देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री हरिन पाठक, यह तरीका नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री हरिन पाठक जी, आप मंत्री भी रह चुके हैं। यह तरीका नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अविनाश राय खन्ना कृपया बोलिये।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अविनाश राय खन्ना** (होशियारपुर): महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अविनाश राय खन्ना जो कुछ कह रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** यदि मैं महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति न दे सकूं तो मुझे दोष मत देना।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री हरिन पाठक, मैंने आपको अनुमति दी है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री हरिन पाठक की एक बात भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

**अपराह्न 12.19 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.00 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।*

**[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष जी, रेल मंत्री जी स्टेटमेंट देने को तैयार हैं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): उपाध्यक्ष जी, हम लोग भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र मुद्दे पर गृह मंत्री जी का भी स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रीय महत्व का एक संवेदनशील मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाएं। पहले लालू जी बोलेंगे।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइये। अभी मैंने श्री लालू प्रसाद को समय दे दिया है। इसके बाद मैं देखूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** लालू जी के स्टेटमेंट के बाद देखेंगे।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। केवल श्री लालू प्रसाद जी के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा और इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सिर्फ लालू जी का स्टेटमेंट ही रिकार्ड में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा।

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** उपाध्यक्ष जी, पहले महाराष्ट्र के सवाल पर स्पीकर साहब ने सबको आश्वस्त किया था कि होम मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। यह बात उचित भी है। हम भी आग्रह करते हैं कि वह जवाब दें। उससे पहले जो सूरत में रेल दुर्घटना हुई है, मैं उसके संबंध में एक वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं।

**अपराह्न 2.02 बजे**

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

**(घ) 27.2.2008 को ऊधना और सूरत रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी संख्या 9031 (मुंबई सेंट्रल-भुज) कच्छ एक्सप्रेस से कुचले जाने से हुई 16 लोगों की मौत**

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अत्यन्त दुखी हृदय से सदन को दिनांक 27.2.2008 को ऊधना तथा सूरत स्टेशनों के बीच लगभग 10 बजे रात्रि, गाड़ी संख्या 9031 भुज कच्छ एक्सप्रेस से कटकर 16 व्यक्तियों की हुई मृत्यु के संबंध में अवगत करा रहा हूं। प्रारम्भिक जांच से यह प्रतीत होता है कि सभी मृत व्यक्ति किसी ट्रेन से ऊधना स्टेशन पर उतरकर पैदल ऊधना एवं सूरत रेलवे स्टेशनों के मध्य स्थित एक रेल पुल पार कर रहे थे और इसी दौरान उपरोक्त गाड़ी से टकराकर कट जाने से सभी की मृत्यु हो गई।

घटना की प्रथम सूचना मिलते ही रेल प्रशासन, राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी चिकित्सक दल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उपरोक्त सभी 16 व्यक्ति, जिनमें 11 पुरुष, दो महिलाएं तथा तीन बच्चे थे, की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त रेल पुल का उपयोग केवल रेलगाड़ी के आने-जाने के लिए है तथा आम जनता के लिए इस पर चलना वर्जित है। उपरोक्त रेल पुल में केवल रख-रखाव हेतु प्रत्येक रेल लाइन के मध्य में रेल पथ का प्रावधान है, जिनका उपयोग जब कोई रेलगाड़ी न हो, तब केवल रेल कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि, प्रारम्भिक जांच के अनुसार रेल प्रशासन का उपरोक्त दुर्घटना में कोई दायित्व नहीं बनता है, तब भी पूरे मामले की गहन जांच हेतु तीन वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की गई है जो मौके पर जांच कर अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेंगे।

महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे द्वारा मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को दस हजार रुपए की अनुग्रह राशि भुगतान करने की घोषणा की गई थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को पांच लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है।

नियमानुसार इस तरह की दुर्घटना होने पर किसी भी ट्रेन के ड्राइवर तथा सहायक ड्राइवर को अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचना देनी चाहिए, परन्तु उपरोक्त दुर्घटना में गाड़ी संख्या 9031 कच्छ एक्सप्रेस के ड्राइवर श्री ए.के. शर्मा तथा सहायक ड्राइवर श्री अरुण कुमार ने स्टेशन मास्टर सूरत को उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी इसलिए उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। जी.आर.पी., सूरत द्वारा उक्त घटना के संबंध में संख्या-59/08 के अंतर्गत धारा 174 सीआरपीसी दर्ज किया गया है। *...(व्यवधान)* हमने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए देने की घोषणा की है। *...(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक:** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री काशीराम राणा** (सूरत): उपाध्यक्ष महोदय, हम रेल मंत्री जी के आभारी हैं कि इन्होंने मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए देने की बात कही है। ...*(व्यवधान)* मैं भी वहां रेल अधिकारियों के साथ गया था। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया अब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद:** उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि आम जनता के लिए वह स्थान वर्जित रहता है, लेकिन फिर भी हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे कि पुल को क्रास करने का आल्टरनेटिव उपाय क्या हो सकता है। ...*(व्यवधान)* नेता विरोधी दल माननीय आडवाणी जी को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके द्वारा सबसे पहले घटना की सूचना हमें मिली। हम नहीं थे तो उन्होंने राज्य मंत्री जी से बात की, इसलिए नेता विरोधी दल को धन्यवाद।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8135/2008]

---

**अपराह्न 2.06 बजे**

## सदस्यों द्वारा निवेदन–*जारी*

### मुंबई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं के बारे में

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** बहुत से मैम्बर्स चाहते थे कि होम मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र की घटना पर वक्तव्य दें। अगर वे चाहें तो स्टेटमेंट दे सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी): हमने भी इस बारे में अपना नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मंत्री जी, एक मिनट इनकी बात भी सुन लें। आप एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र, असम और देश के अन्य भागों में हुई घटनाओं ने हमें अत्यधिक विचलित किया है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया शांत रहें।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** अब ऐसी घटनाएं हो रही हैं क्योंकि देश के विभिन्न भागों से प्रवासी मजदूर कार्य के लिए देश के अन्य भागों में जा रहे हैं। उड़ीसा के कुछ मजदूर भी प्रवासी मजदूर के रूप में देश के विभिन्न भागों में गये हैं। वे वहां पर कार्य कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार की सांविधानिक जिम्मेदारी है। वे इस तरह चुप नहीं बैठ सकते हैं। संविधान ने भाषायी अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों के लिए सुरक्षोपाय प्रदान किये हैं। इसलिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उनकी संपत्ति और उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार क्या कर रही है? यह सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाले संबंधित राज्य का प्रश्न नहीं है। इसके लिए केवल भारत सरकार जिम्मेदार है।

यह घटना महाराष्ट्र में हुई है। सौभाग्यवश, महाराष्ट्र के चार कैबिनेट मंत्री हैं। माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र से हैं। कृषि मंत्री, श्री शरद पवार महाराष्ट्र से हैं। श्री अंतुले महाराष्ट्र से हैं। श्री शिंदे महाराष्ट्र से हैं। ये सभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये लोग इस समस्या के समाधान के लिए सभी दलों से परामर्श क्यों नहीं कर रहे हैं? यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अब, समस्त देश इस घटना की आलोचना कर रहा है। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही आवाज उठ रही है। हमारे सभी सांसदों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। यह क्या हो रहा है? ऐसा देश के किसी भाग, राज्य के किसी भाग में क्यों हो रहा है? समस्त देश एक है। ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार को इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** धन्यवाद।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** सरकार को सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करना चाहिए। सरकार को यह जिम्मेदारी राज्यों पर नहीं डालनी चाहिए। भारत सरकार क्या कर रही है? *...(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। यह महाराष्ट्र में हुआ है। यह असम में हुआ है। यह विभिन्न स्थानों पर हुआ है। *...(व्यवधान)* प्रवासी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। उनका जीवन खतरे में है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब, गृह मंत्री जी।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'** (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** नहीं। कृपया बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइये।

*[हिन्दी]*

आपकी पार्टी के सदस्य बोल चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':** महोदय, मैंने नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)* यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। यह सवाल देश से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**एडवोकेट सुरेश कुरूप** (कोट्टायम): महोदय, यह घटना दक्षिण भारतीय लोगों पर हमले से शुरू हुई थी। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है। मेरे लिए यह कैसे संभव है कि मैं आपको अनुमति दे दूं?

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो अन्य माननीय सदस्य भी अनुमति देने के लिए मुझसे कहेंगे।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)*

**एडवोकेट सुरेश कुरूप:** महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय:** यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**गृह मंत्री ( श्री शिवराज वि. पाटील ):** महोदय, हम माननीय सदस्यों की भावनाओं तथा उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को समझ सकते हैं। जो कुछ उन्होंने सदन में कहा है मैं उसे समझता हूं।

मैं एक बैठक में भाग ले रहा था और महाराष्ट्र में हुई घटनाओं के संबंध में सदन में सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को मैं नहीं सुन सका। इसलिए, उनके वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े बगैर मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में उत्तर नहीं दे सकता हूं। यदि ऐसा अपेक्षित है और इस बारे में निदेश दिया जाता है तो मैं जानकारी एकत्रित करूंगा। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (मड़ाराजगंज, बिहार): महोदय, हमने सवाल किया है और हमें उत्तर चाहिए। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अभी गृह मंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट कम्पलीट नहीं की है।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रभुनाथ सिंह जी आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे पहले मुझे सुनें। *...(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी कहने दें। यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे इसे बाद में उठा सकते हैं। *...(व्यवधान)* कृपया मेरे अगले वाक्य को सुनें। *...(व्यवधान)* महोदय, कृपया पहले उन्हें मेरे द्वारा कही गयी बातों को सुनने दें। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** पहले मंत्री जी को स्टेटमेंट देने दीजिए, फिर देखेंगे कि क्या करना है।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** उन्होंने अभी उत्तर शुरू किया है।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अगर आपको तसल्ली नहीं होगी तो फिर देखेंगे।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अगर जवाब सही नहीं होगा तो फिर देखेंगे।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** पहले उत्तर कम्पलीट होने दिया जाए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** उन्होंने अपने बारे में बात कही है।

*...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** आप पहले सुन लीजिए। यह क्या बात हुई? *...(व्यवधान)* आप बात सुने बिना बोलते जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** हम डराने-धमकाने में नहीं आने वाले हैं। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अगर आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं तो इसे रहने देते हैं।

*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** यह क्या तरीका है? ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अध्यक्ष के कक्ष में आएं।

सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 2.17 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.30 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई।*

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

## सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

### मुंबई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के साथ हिंसा की घटनाओं के बारे में—*जारी*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कल तैयार होकर आएं और सभा में वक्तव्य दें क्योंकि आज वे पूरी तरह तैयार होकर नहीं आए हैं।

**गृह मंत्री ( श्री शिवराज वि. पाटील ):** महोदय, मुझे एक या दो मिनट बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** ठीक है।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, मेरा अगला वाक्य जो मेरे पास लिखित रूप में है, मैंने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ और मुझे निर्देश दिया गया तो मैं इन मुद्दों पर जानकारी एकत्र करूंगा और मुझे बताई गई तिथि समय पर मैं उत्तर दूंगा। यही मेरा अगला वाक्य था। इसके बाद मैंने यह भी कहा है कि मैं उम्मीदों के अनुरूप भारत सरकार और राज्य सरकार की नीति के बारे में बोलने की स्थिति में हूं। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): आपने अपने आसन से नियमन दिया है, उसके बाद भी बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने इन्हें अनुमति दी है।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** यह आपके आसन की अवमानना है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** गृह मंत्री जी कल वक्तव्य देंगे। वे सिर्फ स्पष्टीकरण दे रहे थे।

...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि सचमुच मेरे वक्तव्य की सभा पटल पर आवश्यकता है, तो मैं किसी भी समय वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं। यदि मैं वक्तव्य देने के लिए खड़ा होता हूं और यदि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो मैं वक्तव्य कैसे दे सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि कल जब आप बोलेंगे तो कोई मैम्बर नहीं बोलेगा। इसलिए आप पूरी प्रिपेरेशन करके आएं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, जब भी आप मुझे निर्देश देंगे तो मैं वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं। कल मैं वक्तव्य दे सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

---

*[हिन्दी]*

**श्री अविनाश राय खन्ना** (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में कहना चाहता हूं और लंच

से पहले भी मैंने यह विषय उठाया था। मैं सरकार से क्लेरिटी चाहता हूं, मेरी कांस्टीटुएंसी के श्री कश्मीरा सिंह 35 साल से पाकिस्तान जेल में बंद हैं। पिछले दस वर्षों से उसकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान से मैसेज आ रहे हैं कि उसे आज रिहा कर दिया जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ट्रेवलिंग डाक्यूमेंट भेज दिए हैं? वह इंडिया वापिस आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि बहुत चर्चा अखबारों और मीडिया में हो रही है। वहां पर लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। महोदय, इतनी क्लेरिटी सरकार दे दे तो अच्छा होगा। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं बस इतनी क्लेरिटी उनसे जानना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप उनसे पर्सनली मिल लें।

**अपराह्न 2.33 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब हम मद संख्या 14 पर चर्चा करेंगे। आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा समझा जाए।

### (एक) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त निधियां आबंटित किये जाने की आवश्यकता

**श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): देश में अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से पांच योजनाएं क्रियान्वित की हैं? वे योजनाएं हैं (एक) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, (दो) मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति, (तीन) अ.पि.व. के लड़कों और लड़कियों हेतु छात्रावास की सुविधाएं, (चार) व्यवहार्य परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वित्त विकास निगम के माध्यम से पिछड़े वर्गों हेतु अतिरिक्त ऋण सुविधाएं, (पांच) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अ.पि.व. के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता। उपरोक्त स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु हमारी सरकार द्वारा गत दो वर्षों 2006-07 और 2007-08 में किया गया निधियों का आवंटन अन्य मांगों की तुलना में बहुत कम है।

इसके अतिरिक्त योजना स्कीमों और गैर-योजना स्कीमों हेतु निधियों का आवंटन वर्ष 2001 के बाद के वर्षों में घट रहा है। यह दर्शाता है कि अ.पि.व. के कल्याण हेतु निधियों के आवंटन में कमी आई है। विभिन्न समुदायों अर्थात् अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कुल आवंटन वर्ष 2001-02 के 1322 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 1495 करोड़ रुपये हो गया है लेकिन अ.पि.व. के कल्याण हेतु यह वास्तव में 71.45 करोड़ से घटकर 65.30 करोड़ रह गया है।

इस प्रकार, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि वे अगले आम बजट में अ.पि.व. के कल्याण हेतु अधिक धनराशि आवंटित करें। इसके अतिरिक्त मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे गरीबों और दबे-कुचले समुदायों के उत्थान में अपना जीवन न्योछावर कर देने वाले स्वर्गीय श्री के. कामराज के नाम पर अ.जा. और अल्पसंख्यक फाउंडेशन की तर्ज पर अ.पि.व. के कल्याण हेतु एक पृथक फाउंडेशन बनाने के लिए कदम उठायें।

### (दो) मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता

**डा. टोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): वर्ष 1997 से भारत सरकार और एनएससीएन(आईएम) युद्ध विराम की स्थिति में हैं और 10 वर्षों से अधिक समय से शांति वार्ता चल रही है। संसद और इसके सदस्यों को शांति वार्ता की प्रगति के बारे में अब तक अंधेरे में रखा गया है। जब कभी जनसंचार माध्यम में इसके बारे में खबरें छपती हैं तभी हम इस बारे में जान पाते हैं।

वर्ष 2001 में जब मेरे राज्य मणिपुर में 'बिना प्रादेशिक सीमा' के शांति वार्ता लागू की गई थी तो पांच लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। हिंसा में राज्य विधान और अनेक सरकारी कार्यालय जला दिए गए और अठारह निर्दोष व्यक्तियों और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी।

अभी-अभी हाल में सोलह-सूत्री समझौता, 1960 को अक्षरश: लागू करने की मांग की जा रही है जिसमें नागा के समीपस्थ क्षेत्रों को इकट्ठा करने की बात शामिल है।

वर्ष 1949 में राज्यों का भारतीय संघ में विलय हुआ तो मणिपुर एक स्वतंत्र स्वदेशी संप्रभुतासंपन्न रियासत थी। उस समय मणिपुर की सुस्पष्ट भौगोलिक प्रादेशिक सीमा थी। हमारी एक सही आशंका है कि मणिपुर की प्रादेशिक संप्रभुता के साथ छेड़-छाड़ करने का कोई प्रयास निश्चित रूप से अवांछनीय परिणाम को जन्म देगा और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा और रक्तपात होगा।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[डा. टोकचोम मैन्या]

इसलिए मणिपुर के लोगों की हार्दिक इच्छा यही है कि वर्ष 1949 में मणिपुर के भारतीय संघ में विलय की जो स्थिति थी उसे हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखा जाए और उसका आदर किया जाए।

**(तीन) गुजरात के वापी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री किसनभाई वी. पटेल** (बलसाड): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बलसाड में वापी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण की तरफ डालना चाहता हूं।

महोदय, वापी को ब्लैकस्मिथ पोल्यूशन की वर्ष 2007 की रिपोर्ट में विश्व में पांचवां स्थान मिला है। यहां के पानी के पारे की मात्रा डब्ल्यू एच ओ के स्टैंडर्ड से 96 प्रतिशत ज्यादा है। इस औद्योगिक नगरी में करीब 1402 कल-कारखाने इस शहर में बढ़ते प्रदूषण के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार है। इस प्रदूषण से वापी के आसपास के गांव में रहने वाले हजारों नागरिक तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं बल्कि दमनगंगा और मधुबन डैम के पानी से यहां की मछलियां और खेती योग्य भूमि भी इसके दुष्प्रभावों से अछूती नहीं रही है।

महोदय, राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन कल-कारखानों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को रोकने में असमर्थ रहा है। अत: मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र हस्तक्षेप करें और वापी में प्रदूषण को बढ़ाने वाले कल-कारखानों पर शीघ्र अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करें ताकि शहर और यहां के नागरिकों को प्रदूषण से बचाया जा सके।

**(चार) पालनपुर-खेड ब्रम्हा-श्यामला से होते हुए कांडला-अंबाजी को जोड़ने वाले मार्ग तथा अहमदाबाद-आबू मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता**

**श्री हरिसिंह चावड़ा** (बनासकांठा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा का मुख्यालय पालनपुर कई बड़े शहरों के बीच में है। कांडला एवं श्यामलाजी वाया अम्बाजी, अहमदाबाद एवं आबू रोड को आने जाने के लिए पालनपुर शहर का प्रयोग किया जाता है। इन शहरों के पर्यटन केन्द्र एवं धार्मिक केन्द्रों को आने जाने के लिए पालनपुर से आया जाता जाता है। परन्तु पालनपुर से इन शहरों को जाने के लिए कोई अच्छी सड़कें नहीं हैं और न ही सड़क की कोई अच्छी सुविधा है। जिससे इन पर्यटन केन्द्र और धार्मिक केन्द्रों को जाने वालों को बहुत ही दिक्कत होती है। इस संबंध में सरकार से काफी वर्षों से मांग की जा रही है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सड़क बनने से पर्यटन केन्द्रों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर गुजरात के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता मिलेगी।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कांडला से अम्बाजी, खेड ब्रम्हा एवं श्यामलाजी होते हुए मध्य प्रदेश तक के लिए एवं अहमदाबाद से आबू रोड जाने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये, जिससे पर्यटन केन्द्र को बढ़ावा मिल सके।

**(पांच) गुंटूर का अन्य शहरों से बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए नई रेल सेवाएं आरम्भ किये जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री रायापति सांबासिवा राव** (गुंटूर): मैं माननीय रेल मंत्री और भारत सरकार का ध्यान काफी समय से लंबित जायज मांगों की ओर अविलंब दिलाना चाहता हूं।

*(क) गुंटूर-तेनाली पटरी का दोहरीकरण और विद्युतीकरण:*

गुंटूर-तेनाली खंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस समय यह विद्युत कर्षण वाली एकल लाइन है।

*(ख) नल्लापाडु (गुंटूर के निकट)-परिगीपल्ली (बीबीनगर) लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण:*

गुंटूर-सिकंदराबाद खंड नए गुंटूर मंडल का प्रमुख रेल मार्ग है।

*(ग) नई रेलगाड़ियों का शुरू किया जाना:*

(एक) दिन में गुंटूर और तिरूपति के बीच इंटरसिटी सेवा: हजारों तीर्थयात्री प्रतिदिन तिरूपति का दौरा करते हैं। यह रेलगाड़ी उन्हें तिरूपति-कलहस्ती और कनिपकम पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान करेगी।

(दो) गुंटूर और चेन्नई के बीच इंटरसिटी सेवा: गुंटूर-चेन्नई के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू किए जाने से गुंटूर के लोगों को चेन्नई पहुंचने में मदद मिलेगी।

(तीन) बंगलौर के लिए नियमित रेलगाड़ी: गुंटूर से बंगलौर तक एक रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता है ताकि यह रेलगाड़ी बंगलौर प्रात: पांच बजे से पहले पहुंच जाए और प्रोफेशनल्स अपने कार्यालय सही समय पर पहुंच जाएं।

(चार) पिनाकिनी एक्सप्रेस (2711/2712): गुंटूर के लोग चेन्नई और इसके आस-पास के स्टेशनों पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं। विजयवाड़ा-चेन्नई के बीच पिनाकिनी एक्सप्रेस (2711/2712) इस उद्देश्य को पूरा करेगी यदि इसका मार्ग बदलकर न्यू गुंटूर रेलवे स्टेशन के बरास्ते कर दिया जाए।

(घ) निम्नलिखित एक्सप्रेस रेलगाडियों को गुंटूर/न्यू गुंटूर स्टेशन के बारस्ते चलाया जाना चाहिए:

(एक) तमिलनाडु (2621/2622)

(दो) केरल एक्सप्रैस ((2625/2626)

(तीन) एर्णाकुलम-पटना (6359/6360)

(चार) विजयवाड़ा-मनमाड एक्सप्रैस (7208/7207)

(पांच) नवजीवन (अहमदाबाद-चेन्नई-अहमदाबाद) (2655/2656)

(छह) शेषाद्रि एक्सप्रैस (7210/7209) (काकीनाडा-बंगलौर)

(ङ) देवगिरी एक्सप्रैस (7058/7057) का विस्तार:

देवगिरी एक्सप्रैस जो सिकंदराबाद-मुंबई के बीच चलती है, को नालगोंडा और नाडीकुडी के बरास्ते गुंटूर तक बढ़ाया जाए।

**(छह) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता**

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में 60 लाख से भी अधिक आबादी है। 'भागीरथी' नदी जिले के बीच से होकर बहती है और इससे जिला दो भागों में बंट जाता है। पूर्वोत्तर हिस्से में, क्षेत्र 'आर्सेनिक' से दूषित है जबकि पश्चिमी भाग में 'एक्वीफर स्तर' में तेजी से गिरावट के कारण लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम के दौरान जल की इतनी कमी हो जाती है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए खतरे की चिंता किए बगैर जिस किसी भी स्रोत से जल संग्रह करने को बाध्य हो जाते हैं।

जिले के पश्चिमी भाग के शहरी क्षेत्र भी जल की अत्यधिक कमी की समस्या से नहीं बचा है। 'कंडी' एक शहरी क्षेत्र है, जो अपने पुराने पर्यावास और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें पाइप के माध्यम से नियमित जलापूर्ति किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि शहर 'जलाकाल' के कगार पर खड़ा है। 'भगीरथी' नदी के तट पर जल शोधन संयंत्र की स्थापना कर जलाभाव वाले इस शहर में पेयजल आपूर्ति करना आसान है जो 'कंडी' शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है।

मैं संबंधित मंत्रालय से 'कंडी' और इसके आस-पास के क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए यथाशीघ्र पहल करने का अनुरोध करता हूं।

**(सात) गुजरात के राजकोट में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किये जाने की आवश्यकता**

**डा. वल्लभभाई कथीरिया** (राजकोट): राजकोट सौराष्ट्र राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी है जिसका वर्ष 1960 में गुजरात में विलय कर दिया गया था। पहले, सौराष्ट्र राज्य के दौरान राजकोट में उच्च न्यायालय था। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय की पीठों की स्थापना उन शहरों में की जा सकती है जहां ये न्यायालय पहले मौजूद थे। सौराष्ट्र के राजनीतिज्ञ, उद्योग, अधिवक्ता और अन्य लोग समय-समय पर उच्च न्यायालय की एक पीठ की मांग करते रहे हैं। गुजरात सरकार भी ढांचागत सुविधा प्रदान करने के लिए पहले से ही तैयार है। अनुरोध किया जाता है कि गुजरात के राजकोट में उच्च न्यायालय की एक पीठ यथाशीघ्र स्थापित की जाए।

**(आठ) गुजरात राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और एक आईआईटी स्थापित किये जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता**

**श्री काशीराम राणा** (सूरत): योजना आयोग, भारत सरकार ने सिफारिश की है कि वे राज्य जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास की क्षमता है, उनमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अध्यापन सुविधाएं आकर्षित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए योजना आयोग ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अकादमी (आईआईआईटीए) की स्थापना की सिफारिश की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक संस्थान को निःशुल्क 100 एकड़ भूमि उपलब्ध करानी चाहिए और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अकादमी (आईआईआईटीए) को भी कुछ ढांचागत सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इन संस्थानों को राज्य सरकार की न्यूनतम इक्विटी से सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। गुजरात सरकार भूमि और आवश्यक इक्विटी देने के लिए सहमत है।

[श्री काशीराम राणा]

इसके अतिरिक्त, 15 अगस्त, 2007 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्यों में आठ नए आईआईटी परिसरों की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार/गुजरात राज्य में नए आई.आई.टी. कैम्पस के लिए अपने औद्योगिक विकास और अनुसंधान एवं विकास हेतु विद्यार्थियों को उपलब्ध होने वाले अतुलनीय अवसरों के कारण बहुत उत्सुक है। अहमदाबाद में मौजूद प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईएम, आईएसआरओ, पीआरएल, एनआईडी और एनआईएफटी को देखते हुए नया आईआईटी कैम्पस अन्य संस्थानों की अकादमिक क्षमता का पूरक होगा। गुजरात सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मामले पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है। मैं सरकार से गुजरात सरकार के दोनों प्रस्तावों को तुरंत स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

**(नौ) बिहार के भागलपुर में प्राचीन ''विक्रमशिला विश्वविद्यालय'' को बौद्ध सर्कल में शामिल किये जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** (भागलपुर): महोदय, आठवीं-नौवीं शताब्दी में पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व के सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में भागलपुर के कहलगांव में स्थित है। पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण इस प्राचीन धरोहर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से संरक्षित यह ऐतिहासिक धरोहर विश्व की सबसे बड़े पुरातत्व स्मारक के रूप में स्थापित है। 1960 में पटना विश्वविद्यालय द्वारा एवं उसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस स्थल पर किये गये शोध एवं खुदाई से बौद्ध मठ एवं उससे संबंधित अन्य स्थल होने के प्रमाण मिले। 116 एकड़ में फैला यह विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें 108 शिक्षक होते थे और विश्वविद्यालय में छः गेट थे। यह विश्व का प्राचीन तथा प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय के पहले प्रमुख बौद्ध गुरु गुप्त थे इनके बाद दिगंकर श्री ज्ञान इसके प्रमुख बने, जो बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर तिब्बत गये थे और आतिसा के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह तिब्बत के लामा स्तूप के संस्थापक थे। बौद्ध क्षेत्र (कारिडोर) के साथ जोड़ दिया जाये तो इसकी महत्ता बढ़ जाएगी तथा शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। विक्रमशिला के उत्थान से न सिर्फ भारत के शोधार्थियों को बल्कि एशिया के अन्य देशों के साथ-साथ पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को लाभ होगा साथ ही यह देश में पर्यटन को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक होगा।

**(दस) उत्तर प्रदेश के बरेली में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली): महोदय, बरेली, उत्तर प्रदेश का मुख्य महानगर है। रेल की बड़ी आधारभूत संरचना बरेली में है। पूर्वोत्तर रेल मंडल कार्यालय के साथ पूर्वोत्तर रेल का क्रेन निर्माण व डिब्बा सुधार कारखाना बरेली में स्थित है, परन्तु काम न होने के कारण बरेली में इस कारखाने का कार्य समाप्त प्राय है। पूर्व में यहां 10,000 मजदूर कार्यरत थे। अब कार्य निरन्तर कम होता है। 20 वर्ष पूर्व बरेली में कोच फैक्ट्री हेतु इस स्थान को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, परन्तु राजनैतिक कारणों से फैसला नहीं हो पाया। यहां पर रेल के पास इस हेतु उपयुक्त भूमि है तथा पूरी आधारभूत संरचना है। आग्रह है इस संबंध में उपयुक्त विचार कर बरेली में एक उपयुक्त रेल कारखाना स्थापित करने हेतु उपयुक्त निर्णय लें।

**(ग्यारह) पाले और शीत लहर के कारण फसल की हानि झेल रहे राजस्थान के कृषकों को आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता**

**श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू): महोदय, आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत देय सहायता के लिए अनुमोदित 10 प्राकृतिक आपदाओं की सूची में कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे शीतलहर, लू एवं गर्म लहर, पाला आदि जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है, को सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान में खरीफ की फसल के समय अकाल एवं रबी की फसल के समय पाला और शीत लहर की मार से राजस्थान का किसान हर वर्ष पीड़ित रहता है। सी.आर.एफ. के अंतर्गत अकाल को स्थान तो दिया गया है, परन्तु शीत लहर व पाला जैसी गंभीर आपदाओं को शामिल नहीं किया गया है। इस वर्ष शीत लहर व पाला ने रबी की फसल सरसों, चना, तारामीरा, धनिया, जौ, सब्जियों आदि को नष्ट कर दिया है, जिससे किसान की कृषिगत अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान को राहत प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, वर्तमान नियमों में यह संभव नहीं है। अतः मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि पाला एवं शीत लहर को 10 अधिसूचित आपदाओं में शामिल करते हुए शीत लहर से प्रभावित राजस्थान के किसानों को सरसों, चना, आदि फसलों के लिए मुआवजा आदि प्रदान करने की व्यवस्था करवायें ताकि किसान बर्बाद होने से बच सके।

**(बारह) केरल में नोटरियों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्रीमती पी. सतीदेवी** (बडागरा): केरल राज्य में बहुत आबादी है और तुलनात्मक रूप से एनआरआई आबादी बहुत ज्यादा है जिन्हें नोटरी अनुप्रमाणन की बार-बार आवश्यकता पड़ती है और लोग शत-प्रतिशत साक्षर हैं जो बहुविध वैध लेन-देन करते हैं जिसके लिए नोटरी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन विधि और न्याय मंत्रालय ने केरल सरकार के बार-बार मांग किए जाने के बाद भी केरल राज्य के लिए नोटरियों की संख्या नहीं बढ़ाई है। केरल सरकार के पत्र के अनुसार, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने नोटरियों की संख्या को 563 तक बढ़ाते हुए नियम में संशोधन किया है। राज्य में बहुविध वैध लेन-देन को देखते हुए, राज्य में नोटरियों की संख्या बढ़ाकर कम से कम एक हजार करने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि केरल राज्य के लिए नोटरियों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 1000 करने हेतु कदम उठाए जाएं।

**(तेरह) झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में आग की घटनाओं पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता**

**श्री बंसगोपाल चौधरी** (आसनसोल): झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में आग को नियंत्रित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार को इस मुद्दे को राष्ट्रीय समस्या समझना चाहिए। क्षेत्र में जान-माल को खतरा हो गया है। विनाश से बचने के लिए उचित प्रौद्योगिकी के साथ तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए।

**(चौदह) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के लगभग सभी हिस्से पिछड़े हुए हैं और यहां के गरीब किसानों को वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है जिसके कारण लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं और जो लोग अन्य राज्यों एवं विदेशों में हैं, उनको अपने परिवारों को पैसे भेजने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक मेहरौना क्षेत्र विकास खंड लार में है यह क्षेत्र घाघरा और छोटी गंडक नदी के किनारे पर है जहां के अधिकांश लोग विदेशों में हैं। इस क्षेत्र के सर्वाधिक आबादी अल्पसंख्यक परिवार से जुड़ी हुई है। दूसरा क्षेत्र परडी जो विकास खंड बनकटा में है। इस क्षेत्र में पांच किलोमीटर की दूरी पर कोई भी बैंक नहीं है। तीसरा क्षेत्र वीपरपुर मिश्र जो भलूसनी विकास खंड में है। इस क्षेत्र से छः किलोमीटर की दूरी पर कोई बैंक नहीं है। इन क्षेत्रों में बैंकों के अभाव में किसानों को वित्तीय सहायता और सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिना वित्तीय सहायता के किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचेगा। केन्द्र सरकार की कृषि निवेश एवं अन्य लोग सुविधा का लाभ किसानों को नहीं मिल पायेगा। बैंकों के खोले जाने की मांग ग्रामीण जन पूर्व से कर रहे हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेहरौना, परडी एवं वीपरपुर मिश्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं जनहित में खोली जायें जिससे किसानों को वित्तीय सुविधा मिल सके।

**(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में बीड़ी कामगारों को पर्याप्त मजदूरी और सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता**

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): महोदय, देश के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल में लगभग 30 लाख बीड़ी मजदूर हैं जो असंगठित बीड़ी रोलर्स का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम फ्लोर लेवेल दर 80 रुपये के होते हुए उक्त राज्यों में 35 से 41 रुपये भुगतान करके खुलेआम बीड़ी मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम फ्लोर लेवेल दर 70 रुपये प्रति हजार बीड़ी और इसी अनुपात में अन्य श्रेणी के लिए सामान्य न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें। इलाहाबाद, कौशाम्बी जनपदों में बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल खोला जाये। विस्तृत चिकित्सा योजना के अंतर्गत गुर्दारोपण, हृदय, कैंसर, टी.बी. जैसी गंभीर बीमारी के उपचार की व्यवस्था किया जाये। नए अस्पतालों में पैथोलाजी जांच सोनाग्राफी/एक्सरे जांच के साथ रोगों की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। बड़ी श्रमिकों की बाहुलता वाले उत्तर प्रदेश के जनपदों इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गुरुसहायगंज (कन्नौज), अमरोहा, रामपुर, झांसी, मिर्जापुर, जौनपुर आदि में स्थित अस्पतालों में भी मेडिकल उपकरणों व दवा की उचित व्यवस्था हो। उक्त राज्यों के जिलों में रायबरेली, उत्तर प्रदेश की तरह बीड़ी श्रमिकों के लिए कालोनी की व्यवस्था हो। जहां बिजली, पानी, चिकित्सा एवं बच्चों के शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था अनिवार्य हो।

**(सोलह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-104 पर भुतही-बालान नदी पर एक पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-104 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण पथ है

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

तथा यह भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनरेखा है। इस पथ के कि.मी. 194-195 में लौकहा के समीप भुतहीबालान नदी के ऊपर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु डी.पी.आर. बनाने हेतु अधिसूचना निर्गत हुए एक वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक पुल निर्माण कार्य प्रारंभ करने संबंधी निर्माण पूर्व कार्यकलाप सम्पन्न नहीं हुआ है। उक्त नदी के ऊपर पुल नहीं होने के कारण वर्षा ऋतु में हर वर्ष नदी पार करते समय अनेक लोगों की पानी में डूब कर मृत्यु हो जाती है।

मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-104 में भुतहीबालान नदी के ऊपर स्वीकृत उच्चस्तरीय पुल निर्माण के अविलम्बनीय लोकमहत्व के कार्य को अतिशीघ्र प्रारंभ कराने के लिए सरकार त्वरित कार्रवाई करे।

**(सत्रह) देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक व्यापक नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरूपत्तूर): कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। कृषि लाखों लोगों को खाद्य उत्पादन और जीविकोपार्जन प्रदान करती है। हमारी 80 प्रतिशत से भी अधिक आबादी कम से कम एक वक्त के भोजन के लिए कृषि और कृषि-आधारित उद्योगों पर निर्भर करती है। तमिलनाडु के किसान संतोषजनक तरीके से खेती कर रहे हैं। लेकिन अब एक समस्या उत्पन्न हो गई है। कृषि आदानों जैसे यूरिया, पोटाश और कम्प्लेक्स की अत्यधिक कम आपूर्ति हो रही है। अब रसायन उर्वरकों की भारी मांग है तो उत्पादन और वितरण में परिणामस्वरूप अंतर के कृत्रिम खाद की अनुपलब्धता के कारण किसानों को भारी निराशा हो रही है। जब उर्वरक इकाइयों को सरकार द्वारा राजसहायता का भुगतान किया जा रहा है, तो समस्या की जांच करना सरकार का दायित्व है जो सरकार और किसान—दोनों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। यह समस्या सभी मंत्रालयों जैसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ भी समन्वय करके एक उर्वरक नीति बनाए जाने की आवश्यकता को उजागर करती है। केन्द्र सरकार द्वारा अनुसंधान और प्रोत्साहन के लिए उचित अनुपात में धनराशि प्रदान करने तथा राष्ट्रीय खाद को प्रोत्साहित करने वाली दीर्घकालिक संदर्भ में उर्वरक नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। चूंकि निजी उद्योग और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इसमें शामिल हैं, अत: सरकार को रासायनिक उर्वरकों और राष्ट्रीय खाद—दोनों के प्रभावी उपयोग हेतु व्यापक चर्चा करानी पड़ सकती है।

**(अठारह) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हाजी वारिस अली की "दरगाह" के पास रेलवे उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री कमला प्रसाद रावत** (बाराबंकी): महोदय, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) रेलवे स्टेशन बाराबंकी जंक्शन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तरी रेलवे फाटक (समपार) में अंतर्राष्ट्रीय हाजी वारीस अली का दरगाह है और यहां अंतर्राष्ट्रीय मेला देवा में लगता है तथा यह रेलवे फाटक बाराबंकी की तहसील फतेहपुर एवं सीतापुर जिले की तहसील महमूदाबाद, नेपालगंज (नेपाल) व जिला लखीमपुर का छोटा रूट है जो शहरों को भी जोड़ता है परंतु इस पर ओवरब्रिज न होने की वजह से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है क्योंकि इस पर रोजाना सैंकड़ों रेलगाड़ियां पूर्वोत्तर रेलवे तथा उत्तर रेलवे की गाड़ियां गुजरती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार अपना हिस्सा देने के लिए सहमत है क्योंकि इसकी परिस्थिति को जानती है। यदि रेलवे अपना हिस्सा दे तो ओवरब्रिज का निर्माण हो सकता है।

अत: अपनी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

**(उन्नीस) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में नौपदा इस्टेट गांव में रेल प्राधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को बेदखल किये जाने से रोके जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम): महोदय, नोवापाडा रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रीकाकुलम में है। नोवापाडा एक एस्टेट विलेज है जिसका सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। काफी पहले नोवापाडा के कुछ ग्रामवासियों ने भूमि पर कब्जा कर लिया था और उस पर घरों और वाणिज्यिक काम्प्लेक्स का भी निर्माण कर लिया। उनके द्वारा कब्जा की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रेलवे पोराम्बोक के रूप में वर्गीकृत नहीं है। यह ग्राम स्थल पोराम्बोक के रूप में वर्गीकृत है और सभी प्रयोजनों के लिए इसे निजी स्थल के रूप में निर्मित किया जा सकता है। अब, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व तटीय रेलवे, वाल्लेयर ने इस तर्क पर भूमि खाली कराने की कार्रवाई की है कि यह अनधिकृत कब्जा है और यह भूमि रेलवे की सम्पत्ति है। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा शुरू की गई कार्रवाई नियमों के विरुद्ध है।

मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि कब्जा करने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनका इस पर काफी

लंबे समय से कब्जा है और रेलवे ने कम्पाउंड दीवार बनाकर भूमि की सीमा निर्धारित भी कर दी है।

इस संबंध में, मैंने माननीय रेल मंत्री से मिलकर भूमि खाली कराने की कार्यवाही को तुरंत रोकने का अनुरोध भी किया है और उन्होंने इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

इसलिए, उक्त स्थिति के मद्देनजर मैं माननीय रेल मंत्री का मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और जमीन खाली कराने की कार्यवाही को तुरंत रोकने हेतु संबंधित रेल प्राधिकारियों को निर्देश देने हेतु ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि कब्जा करने वाले अधिकांश लोगों को दोनों वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा है।

---

**अपराह्न 2.33$^{1}/_{4}$ बजे**

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब हम मद सं. 15 को शुरू करेंगे- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।

श्री अजीत जोगी।

**श्री अजीत जोगी** (महासमुन्द): महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्न प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 25 फरवरी, 2008 को एक साथ समेवत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।"

*[हिन्दी]*

यह महज इत्तफाक ही नहीं, मात्र एक सुखद संयोग ही नहीं है कि जिस महामहिम के अभिभाषण को हम आधार ले रहे हैं, यह देश के इतिहास में पहला ऐसा अभिभाषण है जो एक महिला ने महामहिम राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें इसकी प्रतिछवि स्पष्ट दिखती है। जैसे मां अपने परिवार, अपने कुटुम्ब की परवाह करती है, चिंता करती है, उसी तरह से एक ममतामयी मां की तरह महामहिम राष्ट्रपति ने माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, श्रीमती सोनिया गांधी, सर्वोच्च नेता, यूपीए प्रेजीडेंट के माध्यम से पूरे भारत के हर वर्ग की पूरी चिंता करते हुए सबके लिए प्रावधान किया है। यदि मैं सही शब्दों में कहूं, सारांश में कहूं तो यह अभिभाषण 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की श्रेणी में आता है। जब महामहिम यह अभिभाषण दे रही थीं, तब सैन्ट्रल हाल के मुख्य द्वार की तरफ मेरा ध्यान बार-बार जा रहा था। क्योंकि हमारे सैंट्रल हाल के मुख्य द्वार पर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-समझकर ऋग्वेद का श्लोक लिखाया है। वह श्लोक है-

अयं निज: परो वेति गमना लघुचेतसाम्
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।

मैं-मैं और तू-तू, ऐसा कहने वाला बहुत ही संकुचित विचारधारा का होता है। परंतु जो पूरी वसुधा को, पूरे भारत को, पूरे देश को अपने कुटुम्ब की तरह मानता है, वह सही अर्थों में उदार चरित्र का होता है, वही सही भारतीय होता है और यही धारणा महामहिम राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में पूरी तरह से है। मैं बिना किसी को आघात पहुंचाए यह कहना चाहता हूं कि 'अयं निज: परो वेति' की धारणा कि मैं, मैं हूं और तुम, तुम हो। अभी इसके पहले ऐसी भावना की चर्चा चल रही थी। मैं हिन्दू हूं, तुम मुसलमान हो, मैं हिन्दू हूं; तुम सिख हो; तुम ईसाई हो; मैं ऊंचा हूं, तुम नीचे हो; मैं अगड़ा हूं, तुम पिछड़ा हो; मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो; ऐसी संकुचित भावना वाले लोग भी हमारे बीच में हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया कोई टिप्पणी न करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** हमारे संसद का मुख्य द्वार और राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हमें याद दिला रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। *...(व्यवधान)*

**श्री लाल मुनी चौबे** (बक्सर): यह भी बोलिये कि हिन्दी राष्ट्र भाषा का बहुत सम्मान हुआ। *...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** चौबे जी, इसीलिए तो मैं हिन्दी में बोल रहा हूं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** चौबे जी, कृपया बैठ जाएं। उन्हें बोलने दें। कृपया परेशान न करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** सबका सम्मान हो रहा है और ऐसी संकुचित विचारधारा वालों को मैं केवल यह स्मरण दिला रहा हूं कि यह अभिभाषण वसुधैव कुटुम्बकम् का अभिभाषण है। यह मैं, मैं और तू, तू का अभिभाषण नहीं है। दो लोगों को तोड़ने का अभिभाषण नहीं है, यह लोगों को जोड़ने वालों का अभिभाषण है। जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, जो जीव को निर्जीव से जोड़े, जैसे हमारे महामहिम डा. राधाकृष्णन ने हिन्दू धर्म की परिभाषा देते हुए कहा-

*[अनुवाद]*

"कि जो जोड़ता है वह धर्म है; जो तोड़ता है वह अधर्म है।"

*[हिन्दी]*

जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, हिन्दू को मुसलमान से, हिन्दू को सिख से, गरीब से अमीर को जो जोड़ता है, वह धर्म है और जो तोड़ता है, वह अधर्म है। हमारे महामहिम का वही अभिभाषण सबको जोड़कर, सबको एक ही धागे में पिरोकर, सारे मोतियों को एक ही धागे में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं महामहिम को समग्र अभिभाषण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष जी, इस अभिभाषण में जिनकी बात हम इतने दिनों तक अपनी इस संसद में करते रहे और संसद चली भी नहीं। चाहे बात उस गरीब वर्ग या किसानों की हो, चाहे भारत निर्माण की बात हो, जो शहर और गांव के बीच की दूरी को पाटता हो, तीन करोड़ लोगों को रोजाना रोजगार देकर एन.आर.ई.जी.पी. के माध्यम से ग्रामीण असंगठित मजदूरों के हित करने की बात हो। ये सारी बातें इस अभिभाषण में सन्निहित हैं। आपको ऐसा कोई वर्ग नहीं मिलेगा जिसके बारे में इस अभिभाषण में पूरी व्यवस्था करने का प्रयास न किया गया हो। भारत गांवों में बसता है। हमारी 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत आबादी गांवों में है। गांवों में किसान रहता है, गांव में मजदूर रहता है, गांवों का किसान कितना आहत है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। कितनी यातनाएं सहकर, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद हम सबका पेट भरने के लिए मेहनत-मजदूरी में किसान लगा हुआ है। यह बात मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसान की सच्चे अर्थों में चिंता की गई है और जैसा हमने अपने बजट में सुना, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, उसमें 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज किसानों का माफ किया गया है। यह ऐतिहासिक है, यह क्रांतिकारी है और यह पहली बार हुआ है।

मुझे याद है कि जब हम चुनाव प्रचार में निकलते थे, उपाध्यक्ष जी, मैं टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता परंतु सच है, इसीलिए बोल रहा हूं। दीवारों पर हम लिखा हुआ पढ़ते थे, हर चुनाव प्रचार में मैंने पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हर किसान का हर कर्जा माफ। लेकिन आपने ऐसा कर्ज माफ नहीं किया। आज भारत के किसान को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है, भारत के किसान को अगर पहली बार किसी ने हिम्मत दी है तो वह हमारी सरकार द्वारा किसानों के साठ हजार करोड़ रुपये के कर्जा माफ करके दी गई है। गांवों में रहने वाला किसान *...(व्यवधान)* सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्ज माफ किया है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आडवाणी जी ने अभी बोलना है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**श्री किरिप चालिहा** (गुवाहाटी): आप माननीय सदस्य को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** इसके बाद आडवाणी जी ने अभी बोलना है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मेरी एक बात सुन लें। श्री जोगी जी के बाद श्रीमती कृष्णा तीरथ बोलेंगी और उसके बाद आडवाणी जी को जो कुछ कहना होगा, यह खुद कहेंगे।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री जोगी, कृपया जारी रखें।

श्री गोयल, आप भी अपने स्थान पर जायें।

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** उपाध्यक्ष जी, मैं समझ सकता हूं कि देश के 8 लाख गांवों में रहने वाले किसानों को *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री गोयल, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाए।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** कर्ज माफी से कितनी खुशी हुई है और गांव के लोगों ने भी खुशी मनाई है। यदि कुछ लोगों को 60 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफी से खुशी नहीं हो रही है तो हम उन्हें समझ लेंगे। यदि इन लोगों को कोई आपत्ति है या कोई तकलीफ है तो देश समझ रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गांव में रहने वाले किसानों की आबादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी मजदूरों की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के 3 करोड़ मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार देने की व्यवस्था हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से की है। जो योजना पहले देश के केवल आधे जिलों के लिये लागू थी, हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल जी ने इसके लिये पहल की थी, यह योजना देश के पूरे 596 जिलों के लिये लागू की गई है। इसके लिये हम अपनी नेता श्रीमती सोनिया और युवा हृदय सम्राट राहुल जी को धन्यवाद देते हैं कि यह योजना देश के पूरे 596 जिलों के लिये लागू कर दी गई है। अब मजदूरों का अधिकार बन गया है और मजदूरी लेना भीख मांगना नहीं है। आज मजदूर अपने अधिकार के साथ मजदूरी मांग सकते हैं और प्रतिवर्ष उसे 100 दिन तक का रोजगार देना होगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस अच्छी योजना के कार्यान्वयन के लिये उसे प्रदेश सरकारों पर छोड़ दिया गया है। ऐसी बहुत सी राज्य सरकारें हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर मैंने नाम लिया तो ये लोग फिर खड़े हो जायेंगे। ऐसी बहुत सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इस योजना के पैसे का भयंकर दुरुपयोग किया है। मैं अपने राज्य के कांकेर जिले के बारे में जानता हूं जहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पैसे से 100 करोड़ रुपये की कीटनाशक दवायें खरीदी गई हैं। यह पैसा मजदूरों के लिये था, जहां मजदूरों को उनके पसीने का पैसा देना था, कुछ राज्य सरकारें भयंकर रूप से भ्रष्टाचार कर रही हैं। हमारे वर्मा साहब तो गुजरात की बात कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री वर्मा, कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो जब तक कि कुछ बहुत गंभीर बात न हो, कोई व्यवधान नहीं डालता। फिर, वे अपना भाषण आरंभ करेंगे और हम धैर्यपूर्वक उन्हें सुनेंगे। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बीच में न बोलें।

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** एक से एक अच्छी योजनाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। यदि मैं उनकी पुनरावृत्ति सारांश में कर रहा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अजीत जोगी]

हूं तो यह बताने के लिए कर रहा हूं कि यह सरकार डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार, गठबंधन की सरकार जो हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन पर चलती है, यह सरकार किस तरह से इन योजनाओं के माध्यम से समाज के, भारत के हर वर्ग की पूरी तरह से देखभाल कर रही है, उनके हितों में काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, आज जब हम एक महाशक्ति के रूप में उभरकर आ रहे हैं, जब बार-बार लोग कहते हैं कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए एक अभिशाप है तो उसी तस्वीर में रोशनी की एक किरण दिखती है जब सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ऐसे लोगों को, ऐसी बढ़ती हुई आबादी को हम शिक्षित कर रहे हैं, स्किल्ड कर रहे हैं जिससे वे हमारे ऊपर भार नहीं बनेंगे।

*[अनुवाद]*

वे हमारे लिए भार नहीं बनेंगे। वे हमारे लिए परिसम्पत्ति होंगे। वे न केवल इस देश की सेवा करेंगे, बल्कि वे पूरी दुनिया में संपूर्ण मानवता की सेवा करेंगे।

*[हिन्दी]*

इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के अतंर्गत हम पहली बार अपने बच्चों को उनके सपने साकार करने का अवसर दे रहे हैं। मुझे याद है जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे और अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था—"मैं युवा हूं, मेरा भी एक सपना है।" मैं नौजवान हूं और मेरा भी एक सपना है। ऐसा ही सपना आज देश का हर बच्चा देखता है और उसके सपने को साकार करने के लिए, उसके हाथ में अगर कोई हथियार देना चाहिए तो वह शिक्षा का अधियार है। मैं इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार तीनों स्तरों पर हमें संतुलन दिख रहा है। स्कूल के स्तर पर, सैकेन्ड्री एजुकेशन के स्तर पर और हायर एजुकेशन के स्तर पर बराबर जोर देकर हमारे राष्ट्र की भावी पीढ़ी को सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारे राष्ट्र की भावी पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनाने के लिए कोशिश की जा रही है।

*[अनुवाद]*

मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि "मेरा एक सपना है।"

*[हिन्दी]*

राजीव जी ने कहा था कि-

*[अनुवाद]*

"मैं युवा हूं, मेरा भी एक सपना है।"

*[हिन्दी]*

तो आज भारत का बच्चा-बच्चा कर रहा है कि

*[अनुवाद]*

"मेरा एक सपना है।"

*[हिन्दी]*

मेरा भी सपना है, मेरा भी ख्वाब है, मैं उसको साकार करना चाहता हूं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार हमने अपने बच्चों को उनका सपना साकार करने के लिए ऐसे अवसर दिये हैं।

महोदय, हमारे देश की स्थिति को देखते हुए किसानों की बात मैंने चालू की थी। मैं उसी बात पर आगे जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि किसानों को सस्ते दर पर पर्याप्त कर्ज मिले, इस दिशा में यूपीए की सरकार ने सबसे पहले प्रभावकारी कदम उठाए हैं। जैसे आंकड़े बताते हैं कि 2007-08 में दो करोड़ पच्चीस हजार रुपये का ऋण किसानों को बैंकों के माध्यम से दिया गया। 60 हजार करोड़ रुपये का ऋण हम माफ कर रहे हैं और प्रति वर्ष दो लाख पच्चीस हजार का ऋण उनको दे रहे हैं। किसानों के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, मैं मानता हूं कि किसान अब भी दुखी है। मैं मानता हूं कि किसान जो चाह रहा है, शायद उतना हम उसके लिए नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं भी मानता हूं कि पहली बार भारत के किसानों के लिए इतना ठोस और कारगर कदम उठाया गया है। आप देख रहे हैं कि पहली बार यह हुआ है कि गेहूं की एमएसपी, धान की एमएसपी बहुत अधिक बढ़ाई गई है। 1000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भाव किया गया है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद): महोदय, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा नहीं है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री हरिन पाठक, कृपया माननीय सदस्य को परेशान न करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब एनडीए की सरकार थी। इसे टिप्पणी न मानिए, एक यथार्थ की तरफ

स्मरण दिला रहा हूं। आपके छः सालों में जितनी एमएसपी में वृद्धि नहीं हुई थी, उतनी हम प्रत्येक वर्ष में गेहूं और धान के भावों में वृद्धि कर रहे हैं। किसानों के बारे में हमारी जो चिन्ता एवं दुख है, मैं उसे परिलक्षित कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री अजीत जोगी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** मैं गांवों के किसानों की बात कह रहा हूं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार 25 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपकी जब बोलने की बारी आएगी तब आप अपनी बात कहना।

**श्री अजीत जोगी:** आप सब हमारे पुराने मित्र हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक:** ये सब बातें प्रेसीडेंट एड्रेस में नहीं हैं। *...(व्यवधान)* किसानों के कर्जों की बात प्रेसीडेंट एड्रेस में नहीं है। *...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** आप मुझे बताइए कि कौन सी बात नहीं है, मैं अभी आपको पढ़ कर सुनाता हूं। *...(व्यवधान)* मैं प्रेसीडेंट एड्रेस से ही बोल रहा हूं। आप बताइए कि कौन सी बात इसमें नहीं है। आपने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है। आप इतने अच्छे अभिभाषण को पढ़ नहीं पाए, मुझे इसका दुख है। कृषि और सिंचाई के लिए आबंटन में वृद्धि करने का आश्वासन हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस अभिभाषण में दिया है और उसी के अनुसार 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो करीब 46-47 हजार करोड़ का प्रावधान सिंचाई के लिए था, वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण में यह बात कही गई है कि 46 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपए 11वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब को इस बात का दुख है, हमारे आदरणीय स्पीकर महोदय ने नागपुर में कहा कि यदि इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है तो यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। ये सारे कदम किसान के ऊपर से भार कम करने के लिए उठाए गए हैं, परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाएं। श्री अजीत जोगी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे कुछ अन्य पहलू हैं, जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें, हमारी सरकार और आप सब को मिल कर विचार करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र का किसान तथा हमारे जो समृद्ध राज्य हैं, वहां के किसानों ने ज्यादा संख्या में आत्महत्याएं कीं? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गरीब प्रदेशों के किसानों ने इतनी ज्यादा तादाद में आत्महत्याएं नहीं की हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यह संख्या समृद्ध देशों में इतनी क्यों बढ़ी हुई है, पिछड़े एवं जो गरीब प्रदेश हैं, वहां इस पर नियंत्रण क्यों है, यह हम सब के लिए विचार का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। किसान का दुख एवं दर्द हम सब के लिए एक बड़ी समस्या है। मैंने खुद अपने जीवन में, अपनी जिन्दगी के पहले दस-पन्द्रह साल खेती की है, हल चलाया है, इसलिए मैं जानता हूं कि किसान जितनी मेहनत करता है, जितना पसीना बहाता है, जितना इस देश को, हमें और आपको देता है, उसके बदले में हम उसे नहीं दे पाते। इसलिए मैं इस बात को बार-बार कहना चाहूंगा कि यदि कर्ज माफी की गई है तो हमने किसान के ऊपर, हमारी सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। हम किसान के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते। किसान का जो कर्ज हमारे और देश के ऊपर है, जो हमारा अन्नदाता है, किसान के उस ऋण से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते। 60 हजार करोड़ की जो कर्ज माफी की गई है, यह केवल उस किसान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए की गई है ताकि वह एक बार फिर नये सिरे से, कमर कस कर आगे बढ़े, इसके लिए प्रावधान किया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अजीत जोगी]

महोदय, मेरे बाद के वक्ता बहुत से अन्य विषयों पर भी बोलेंगे, लेकिन मैं एक-दो बातों पर जोर देकर करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए जो विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, उसका उल्लेख मैं कहना चाहता हूं। 30 लाख अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कालरशिप देने के लिए 900 करोड़ और 10 लाख अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को स्कालरशिप देने के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति जी ने इस अभिभाषण में यह घोषणा भी की है कि देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमकंटक में स्थापित किया जाएगा, जहां आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों का रहन-सहन, उनकी समस्याएं, उनकी मौलिक बातों इत्यादि पर अन्वेषण किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। मुझे इस बात पर गर्व है कि अमरकंटक, जहां यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, वह मेरा जन्मस्थान भी है। मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित पवित्र स्थान, जहां मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहां यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही दूरगामी कदम होगा।

महोदय, कुछ दिनों पहले हमने इसी सदन में आदिवासी बिल पास किया था। पहली बार आदिवासियों को, न केवल आदिवासियों को बल्कि जंगल में रहने वाले गैर-आदिवासियों को, जो जंगल की जमीन पर पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उनको उस जमीन पर खेती का अधिकार नहीं मिला हुआ था, लेकिन हम सभी ने मिलकर, इस सदन ने मिलकर उनको यह अधिकार दिया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लड़ाई चल रही है, एक तरफ आदिवासी और दूसरी तरफ शेर की। ट्राइबल वर्सिज शेर की लड़ाई का नाम इसे दिया गया है। हमारे पर्यावरण के विशेषज्ञ इस ट्राइबल एक्ट का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। आज भी इस एक्ट को न्यायालय में चुनौती दी गई है। मैं चाहता हूं कि उनकी इस गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए कि जंगल में रहने वाले आदिवासी और गैर-आदिवासी पर्यावरण विरोधी होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में पर्यावरण और शेरों को बचाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश के आदिवासियों का है। गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में लिखा है कि हमारे देश में एक राजा ने 1500 शेरों का शिकार किया था। लेकिन आज पूरे देश में केवल 1400 शेर ही हैं। शेरों को मारने वाले आदिवासी नहीं हैं। शेरों को मारने वाले दूसरे लोग हैं। हम लोग जंगल से प्यार करते हैं, हम लोग पर्यावरण से प्यार करते हैं। आपने हमें ट्राइबल एक्ट के माध्यम से अधिकार दिया है, मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

**अपराह्न 3.00 बजे**

महोदय, एक नया कानून बनाने का वादा भी राष्ट्रपति जी ने इस अभिभाषण में किया है। रिहेबिलिटेशन एण्ड रिलीफ बिल, 2007 इस संसद में लाया जाएगा। इसकी पीड़ा वही लोग समझ सकते हैं, जो अपने घर से उजड़ जाते हैं। जो उजाड़ा जाता है, वह गरीब है और हम लोगों का दुर्भाग्य है, विशेषकर आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि सारी बड़ी योजनाएं अब आदिवासी इलाकों में बन रही हैं, चाहे सिंचाई का बड़ा बांध हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे कोयले की खदानें हों, लोहे की खदानें हों, अगर कोई उजड़ेगा तो आदिवासी उजड़ेगा। उनके लिए क्या व्यवस्था होती है, यह आप और हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अभिभाषण में यह वायदा किया है और डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार इस वायदे को पूरा करने जा रही है कि अब जो इस तरह से उजड़ेगा, जो आदिवासी इस तरह से उजड़ेगा, उसके पुनर्स्थापन की सही और सच्ची व्यवस्था की जायेगी।

मुझे याद है, जब मैं सीधी जिले में कलैक्टर था, एक बूढ़ा आदिवासी मेरे पास तीन कागज लेकर आया। पहले कागज में उसने वह पत्र दिखाया, जब वहां रिहन्द बांध बन रहा था तो उसको वहां से हटाया गया, वह पट्टा लेकर आया कि इसका मुझे अभी तक कम्पेंसेशन नहीं मिला है। वह दूसरी जगह जाकर बस गया, वहां पर फिर कोयले की खदान खुल गई, वहां से फिर उसको हटाया गया, वह कागज भी उसने मुझे दिखाया और तीसरी बार, जब मैं वहां कलैक्टर था, उस समय उसने मुझे बताया कि अब यहां पर सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन बन रहा है। तीसरी बार मुझे मेरी जिंदगी में हटाया जा रहा है और मुझे कोई पर्याप्त कम्पेंसेशन नहीं दिया गया है, मेरी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, मेरा परिवार उजड़ गया। यह केवल एक आदिवासी की कहानी नहीं है। जहां भी हम योजनाएं बना रहे हैं, उनके साथ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हमारे सामने प्रस्तुत है।

एक और पहलू, जिस पर मैं विशेषकर बोलना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अल्पसंख्यकों की बात की है, अक्लियत की बात की है, सच्चर समिति की रिपोर्ट की बात की है। जिस किसी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, उसके लिए वह रिपोर्ट आई ओपनर है, आंखें खोल देने वाली बातें उसमें लिखी गई हैं कि किस तरह का नारकीय जीवन इस देश के अल्पसंख्यक व्यतीत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आपको बार-बार तकलीफ हो जाती है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपको किसी ने एलाऊ किया है क्या? कृपया डिस्टर्ब न करें।

...*(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** अल्पसंख्यकों के साथ कहां क्या हुआ, यह बोलकर मैं आपको फिर से खड़े होने का अवसर नहीं देना चाहता।

मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, मेरा निवेदन है कि उसको पढ़कर अक्लियत की इस देश में क्या सच्चाई है, इसने अपने आपको वाकिफ करना चाहिए, अपने आपको इसका ज्ञान कराना चाहिए। हमारे देश में इन्दिरा जी ने 15-सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए लागू किया था। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक नये 15-सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख किया है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने अल्पसंख्यकों के लिए बनाया है। एक ऐसा वर्ग, जिसके लिए अब इतना विशेष ध्यान का प्रावधान इस अभिभाषण में कहने पर दिया गया है, 800 करोड़ रुपये प्रोफेशनल एजुकेशन की अल्पसंख्यकों को स्कालरशिप, अल्पसंख्यकों को 3500 करोड़ रुपया पोस्ट और प्री-मैट्रिक स्कालरशिप्स और 3780 करोड़ रुपया 80 चुनिन्दा जिलों में, जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है, उसके लिए दिया जा रहा है। कुल मिलाकर आठ हजार करोड़ रुपये के प्रावधान का राष्ट्रपति जी ने अपने इस अभिभाषण में उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए किया जायेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह तुष्टीकरण है। उनके लिए यह कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, यू.पी.ए. की सरकार इसलिए कर रही है, क्योंकि वह मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ग की जितनी त्रासदी है, इस वर्ग के ऊपर जितनी कठिनाइयां हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, हालांकि, मैं उस वर्ग से आता हूं, इस देश में एससी-एसटी जितनी तकलीफ सहता है, उससे ज्यादा शायद जो हमारे देश का अल्पसंख्यक है, अकलियत है, वह सहता है। इसलिए उनके लिए जो आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, उसके लिए मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और यह बात कहना चाहूंगा और अपने दिल से कहना चाहूंगा कि यह तुष्टीकरण नहीं है, जो इतने पीछे रह गया है, जो दौड़ में हमसे इतना पिछड़ गया है। ...*(व्यवधान)* जो इतना गरीब रह गया है, जो इतना शोषित रह गया है। ...*(व्यवधान)* उसके लिए अगर विशेष ध्यान दिया जाता है। ...*(व्यवधान)* तो यह तुष्टीकरण नहीं है। यह तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं है। यह उनकी जायज मांग पूर्ति है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपका नाम रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** जो इस देश में राज रहा, उन्होंने इस देश में शासन किया, उनकी हालत यहां तक पहुंची है, तो उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, सब अपने गिरेबान में झांककर देखें। गुजरात में क्या किया? अयोध्या में क्या किया? ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया शांति बनाए रखें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** महोदय, इस तरह की घृणा की भावना फैलाकर, इन लोगों को समाज से अलग रखकर, इस धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर यह कहा जाता है, मैं कोई धर्म की बात नहीं कहना चाहता था, चूंकि यह कहा जाता है इसलिए कह रहा हूं, हमारे ये साथी कहते हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री विक्रम केशरी देव** (कालाहांडी): महोदय, क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं?

**उपाध्यक्ष महोदय:** यह हस्तक्षेप करने का समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने उनको अलाउ नहीं किया है, झा जी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक:** आपने 48 साल शासन किया। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया शांति बनाए रखें।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** अब मुझसे मत कहलवाइए, मुझे यह कहने के लिए मजबूर न किया जाए कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार हुआ? यह देखने के लिए हमें गुजरात में जाना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों के साथ कैसे व्यवहार हुआ, यह आपके शासन काल में अयोध्या में हुआ। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** सब बोलूंगा, सुनने का धीरज तो रखिए। सब कुछ खोलकर बताऊंगा, आप की एक-एक करतूत बताऊंगा। *...(व्यवधान)*

**श्री लाल मुनी चौबे** (बक्सर): भागलपुर में जो हुआ, वह भी बताइएगा। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा?

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** हम आपका कहना मानेंगे और जरूर कहेंगे। *...(व्यवधान)*

**श्री खारवेल स्वाईं** (बालासोर): जो माइनेरिटी वेल-बींग के लिए पैसा भेजा है, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल गुजरात में हुआ है। क्या यह गलत है? क्या यह रिपोर्ट नहीं निकली है? *...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** बिल्कुल गलत है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** वर्माजी, कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप यहां जिस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि हाउस तरीके से चले तो इस तरह मत कीजिए। इस तरफ से माननीय सदस्यों ने बोलना है, आडवाणी जी ने बोलना है, और माननीय सदस्यों ने भी बोलना है। यदि आप इसी तरह शोर जारी रखेंगे तो जब आपकी तरफ से सदस्य बोलेंगे तो

*[अनुवाद]*

इन लोगों को नियंत्रित करना मेरे लिए कैसे संभव होगा?

*[हिन्दी]*

इसलिए मैं चाहूंगा कि आप शान्ति रखें, खड़े होकर बोलने और शोर करने की कृपा मत कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं इसलिए उन्हें रोक रहा हूं। आप कृपा करके उन्हें बोलने दें।

*...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ी-बहुत टोका-टाकी अच्छी लगती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप भी सही तरीके से अपनी स्पीच जारी रखें।

**श्री अजीत जोगी:** मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि इसे तुष्टीकरण कहकर इस तरह से इस पहल का अपमान न किया जाए। मैंने जब मुस्लिम, मुसलमान शब्द कह दिया तो न जाने क्यों इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया हो जाती है। *...(व्यवधान)* एक बड़ी गलतफहमी इस धर्म के बारे में फैलाई जाती है। इसलिए मैं इसी सिलसिले में वह बात जरूर कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपको भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े रहना चाहिए।

**श्री अजीत जोगी:** महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा हुआ हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब हम सच्चर समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं; जब हम 15-सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं; जब हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं; जब हम ईसाई अल्पसंख्यकों की बात करते हैं; और जब हम सिख अल्पसंख्यकों की बात करते हैं; तो समाज के कुछ वर्ग अनावश्यक रूप से चिढ़ जाते हैं। वे इन बातों का प्रचार करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल झूठी और गलत है। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो एक दूसरे से नफरत करना सिखाता हो। यह बात इस महान और आधुनिक धर्म इस्लाम पर भी लागू होती है। इसलिए, इस्लाम को समझने की आवश्यकता है। मेरे मुसलमान भाई यहां मौजूद हैं और वे जानते हैं कि जब एक मुसलमान प्रार्थना करता है तो वह क्या कहता है।

*[हिन्दी]*

बिस्मिल्ला हिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, अलहम्दु लिल्लाहि, रब्बिल आलमीन। *...(व्यवधान)*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** (भागलपुर): आपने जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, उसके बाद मोहम्मदुर रसूल अल्लाह होता है। *...(व्यवधान)* आपने गलत पढ़ा है। *...(व्यवधान)* आपको इस तरह पढ़ने का राइट नहीं है। *...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** राइट है बिल्कुल।

*[अनुवाद]*

मैं आपको चुनौती देता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन:** आप गलत नहीं पढ़ सकते। *...(व्यवधान)*

**अपराह्न 3.19 बजे**

**[श्री मोहन सिंह *पीठासीन* हुए]**

**सभापति महोदय:** ठीक है, करैक्शन हो जाएगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** मैं आपको चुनौती देता हूं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कृपया बैठ जाएं। इसे ठीक कर दिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत जोगी:** उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं अभी 25 आयतें पढ़कर सुनाता हूं। *...(व्यवधान)* आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। *...(व्यवधान)* आप अकेले हाफिज़ नहीं हैं, मैं भी हाफिज़ हूं। मैंने कुराने पाक पढ़ी है। मुझे कुराने पाक को समझकर पढ़ना आता है। मैं यह तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि कुराने पाक दुनिया की वह किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है लेकिन सबसे कम समझी जाती है। मैंने उसे समझकर पढ़ा है और अगर आप कभी मेरे साथ बैठेंगे, मैं आपके पुराने घर में रह रहा हूं। आप मेरे पास अभी आ जाइये। मैं आपको पूरी कुरान-ए-पाक पढ़कर सुना दूंगा। *...(व्यवधान)* मैं आपको इसका मतलब बता दूं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** जोगी जी, आप अपनी बात कहिये। आप विवाद से आगे बढ़िये।

*...(व्यवधान)*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन:** मेरा कहना है कि अरबी में अगर एक वर्ड से खुदा जुदा होता है। *...(व्यवधान)* अगर आप अरबी नहीं जानते, तो राजनीतिक बात कहिये। *...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** हम अरबी जानते हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन:** आप बहुत बड़े पीर नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आपने अपनी आपत्ति उठा दी है।

*...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** हम आपके बराबर आलीन नहीं हैं परन्तु हमने भी कुरान-ए-पाक को पढ़ा है और समझने के लिए पढ़ा है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** निजी बात लिखी नहीं जाती है।

*...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब मुसलमान दुआ मांगता है, तो रब ओ आलमीन कहता है। कोई मुसलमान दुआ मांगते समय यह नहीं कहता कि रब ठल मुसलमीन यानी हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे खुदा, आप केवल मुसलमानों के रब हैं। ऐसा कहकर मुसलमान दुआ नहीं करता। मुसलमान भी दुआ करता है, तो कहता है कि रब ठल आलमीन यानी आप पूरे आलम के रब हैं। आप हिन्दु, मुसलमान, सिख और ईसाई के भी रब हैं। ऐसा कहकर मुसलमान दुआ करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे आप गलत मत समझिये। यह तुष्टिकरण नहीं है, यह जरूरी है। अगर हमें समाज में बराबरी लानी है, समाज से आतंकवाद खत्म करना है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन इस मूल में जाना पड़ेगा। सामाजिक न्याय करना पड़ेगा। हमको यह सामाजिक दूरी दूर करनी पड़ेगी तब जाकर एक समरसता का समाज बनेगा।

इस अभिभाषण में जैसी हम सबकी अपेक्षा थी, पहली बार इतना बड़ा महिला सशक्तिकरण हमने भारत में देखा है। हमारी राष्ट्रपति महिला हैं, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन महिला हैं। इसलिए महिलाओं के लिए जितना कुछ किया जाना चाहिए, उन सबका प्रावधान, वायदा और आश्वासन इस अभिभाषण में दिया गया है। महिला, माता, मातृ शक्ति हमारे समाज की धुरी हैं। पूरा परिवार गृहिणी के इर्द-गिर्द घूमता है। इसलिए आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जितने कानून अभी तक भारत में थे, जिनमें जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यूपीए की सरकार ने महामहिम के अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि जेंडर भेद करने वाले सभी कानूनों को बदला गया है और महिला और पुरुष को एक जैसा अधिकार है। इस अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया है कि दोनों को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है।

**सभापति महोदय:** जोगी जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए क्योंकि आपकी पार्टी के काफी लोग बोलने वाले हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी:** अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं थोड़ा सा और बोल लूं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप दो-चार मिनट और बोल लीजिए।

**श्री अजीत जोगी:** इस देश में पांच लाख सैल्फ हैल्प ग्रुप्स महिलाओं के चल रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि महिलाओं को उनकी ऊर्जा, शक्ति और योग्यता का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बहुत बड़ा, सशक्त और अच्छा माध्यम है। मैं इसे दोहराकर कहना चाहता हूं क्योंकि यही बात अभिभाषण में बार-बार दोहराई गयी है।

महोदय, एक विशेष बात, जिसका उल्लेख इस अभिभाषण के कई खंडिकाओं में किया गया है, वह हमारी आंतरिक सुरक्षा के बारे में है। मैं आंतरिक सुरक्षा के, बाहरी सुरक्षा के अन्य पहलुओं पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आपने कहा कि अब मुझे अपना भाषण समेट लेना चाहिए। परन्तु आंतरिक सुरक्षा के एक पहलू पर मैं जरूर बोलना चाहता हूं जिससे मेरा पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरा भारत प्रभावित है। जिसे हम नक्सलवाद का नाम देते हैं। रेड कारीडोर जो नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक पूरे देश को दो भागों में विभक्त कर रहा है, मैं मानता हूं कि राष्ट्र के सामने आंतरिक सुरक्षा के मामले में सबसे बड़ी समस्या के रूप में घूर कर हमें देख रहा है। इस समस्या का हल केवल बंदूक से नहीं होगा, इस समस्या का हल केवल ला एण्ड आर्डर के माध्यम से नहीं होगा, इस समस्या का हल केवल पैरामिलीटरी फोर्सेज भेजने से नहीं होगा, हमें यह समझना होगा कि इस समस्या का हल तभी होगा जब हम तीनों मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ें। सबसे बड़ी लड़ाई सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर लड़ना होगा। जब तक इन आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी बनी रहेगी, शोषण बना रहेगा, बेरोजगारी बनी

रहेगी, अन्याय बना रहेगा और अत्याचार होता रहेगा तो आज जो समस्या नक्सलवाद के रूप में पनपी है, वह कल किसी अन्य वाद के नाम से आएगी, लेकिन समस्या अवश्य पैदा होगी। इसलिए सबसे पहला क्षेत्र जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए वह सामाजिक और आर्थिक विकास का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र ला एण्ड आर्डर का है। आज नक्सलवाद को केवल किसी एक राज्य की समस्या के रूप में कोई नहीं देख रहा है। आज यह एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है और इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में जहां पर श्री राजशेखर रेड्डी जी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां इस समस्या का हल निकालने के लिए पहले उन्होंने बातचीत के माध्यम से कोशिश की और जब बातचीत विफल हो गयी तो उन्होंने अपने तरीके से इस समस्या पर नियंत्रण किया है। मैं आंध्र प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं कि वहां नक्सलवाद बहुत सीमित हो गया है। दूसरे प्रदेशों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़, जो मेरा प्रदेश है, वहां वर्तमान सरकार से पूर्व जब मैं मुख्यमंत्री था, उस जमाने में नक्सलवाद की समस्या हमारे प्रदेश के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से लगने वाले बार्डर्स तक सीमित थी। लेकिन आज यह पूरा प्रदेश नक्सलवाद से प्रभावित हो गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में नक्सलवादी पकड़े जा रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से नक्सलवाद बढ़ा और पनपा है, वह इस बात का प्रमाण है कि वहां की सरकार जिस दृष्टि से इस समस्या को देख रही है, वह सही नहीं है। जब तक सामाजिक-आर्थिक न्याय नहीं होगा, राजनीतिक पहल नहीं होगी, कानून-व्यवस्था का इंतजार नहीं होगा, नक्सलवाद की समस्या का अंत नहीं हो सकता है।

मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो एक आंदोलन चल रहा है, जिसे सल्वा जुडूम का नाम दिया गया है, इसका अर्थ होता है सभी को साथ लेकर शांति बनाने का प्रयास करना। कागजों पर यह शब्द बहुत अच्छा लगता है, अगर नक्सलवाद के खात्मे के लिए सभी को साथ लेकर प्रयास हो तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है, लेकिन धरातल पर इसका जो स्वरूप आया, वह बहुत भंयकर है। मैं सरकारी आंकड़े देकर यह बताना चाहता हूं कि वहां 700 गांवों में कोई निवासी नहीं रह गया है, ये गांव पूरी तरह से उजड़ गए हैं, इन सभी 70,000 गांवों को विभिन्न कैम्प्स में रखा गया है। आदिवासी कैम्पों में रहने के आदी नहीं हैं। आदिवासी वह होता है जिसका जमीन पर सबसे पहला अधिकार था, सबसे पहला अधिकार है और सबसे पहला अधिकार बना रहेगा, उस आदिवासी को विस्थापित करके, उसको उसकी जमीन से उखाड़कर, उसके गांव से उठाकर कैम्प में रखा गया और उनको नारकीय जीवन जीने के लिए विवश किया जा रहा है। वहां उनकी संस्कृति नहीं पनप सकती है। उनके शादी-ब्याह नहीं हो रहे हैं क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे के घर-बार न देख लें, शादी-ब्याह नहीं करते हैं। शादी-ब्याह बंद हो गए हैं। हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। कैम्पों में शिक्षा का प्रबंध नहीं है। कैम्पों में स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं है। कोई आंगनवाड़ी नहीं है, कोई प्राइमरी, सेकंडरी और हाई स्कूल नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि इन 700 गांवों के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हो जाएं? जब चाहें नक्सलवादी इन कैम्पों को साफ टार्गेट मानकर हमला करते हैं और 100-200 या 400 लोगों को मार देते हैं।

मैं अंत में एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ दिन पहले इस एरिया का एक आदिवासी किसी काम के बारे में मेरे से मिलने आया। मैं उस समय टेबल पर भोजन कर रहा था। वह मेरी पहचान का एक अनपढ़ व्यक्ति था और हमारी मित्रता थी। मैंने उसे वहीं बुलाकर कहा कि आओ तुम भी भोजन कर लो। आज भोजन में मछली बनी हुई है, जो कि शबरी नदी की है और तुम तो उस नदी के किनारे रहते हो इसलिए तुम्हारी मनपसंद की चीज है। इस पर उसने कहा कि हमारे गांव ने फैसला किया है कि हम मछली नहीं खाएंगे। मैंने पूछा कि आखिर ऐसा फैसला आप लोगों ने क्यों लिया, तो उसने कहा कि शबरी नदी में इतने निर्दोष आदिवासियों के शव फेंके गए हैं कि अब वहां की मछलियों को खाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। सलवा जुडूम के चलते यह सब काम हुआ है और हम लोगों से नक्सलवादियों से मुकाबला करने के लिए कहा जा रहा है। आप ही बताएं कि एक तीर और धनुष वाले का ए.के. 47 का मुकाबला कैसे हो सकता है और जिनके पास हथियार नहीं है, उसने कह रहे हैं कि तुम मोर्टार का मुकाबला करो। वहां इस तरह की रोज घोषणाएं होती हैं। कभी कुछ बताया जाता है और कभी कुछ नहीं बताया जाता है। इसलिए उस आदिवासी भाई ने कहा कि हमारी नदी में इतने शव फेंके जा चुके हैं कि हम गांव वालों ने फैसला किया है कि उस नदी की मछलियां नहीं खाएंगे। इस तरह से वहां नरसंहार हो रहा है।

मैं सदन के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हम सबको मिलकर आदिवासियों के नरसंहार को रोकना चाहिए। कैम्पों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसे दूर किया जाए।

मैं उपसंहार के रूप में केवल यही कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार इस बात से नहीं आंकी जाती कि वह आंकड़ों से आंकी जाए। बहुत पैसा खर्च करने से भी नहीं आंकी जाती, बहुत सी योजनाएं बनाकर नहीं आंकी जाती। सरकार इस बात से आंकी

[श्री अजीत जोगी]

जाती है कि उसने अपने नागरिकों को कैसे अवसर दिए हैं, कैसा वातावरण बनाकर दिया है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करने के लिए कितनी मदद की है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस अभिभाषण के माध्यम से उस वातावरण को निर्मित किया है, वह परिस्थितियां बनाई हैं, उस तरह का आश्वासन दिया है, उस तरह का परिदृश्य प्रस्तुत किया है, जिसमें इस देश के नागरिक अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सकें।

ऐसे अच्छे अभिभाषण के लिए जो समग्र रूप से समाज के सब वर्गों पर ध्यान दे रहा है, मैं महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं और उनकी इस सरकार को अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपने बहुत काम किया है, पर बहुत करना बाकी है।

सितारों से आगे जहां और भी है
अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं
तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा
तेरे सामने आसमां और भी हैं।

आपके सामने बहुत बड़ा आसमान है, उस पर चलें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

**श्रीमती कृष्णा तीरथ** (करोल बाग): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे साथी अजित जोगी जी ने अपने भाषण में सरकार के सारे पहलुओं पर और बहुत अच्छे ताने-बाने के साथ देश के हर वर्ग के व्यक्ति की भावना को यहां रखने की कोशिश की है।

बजट सत्र के शुरू में महामहिम राष्ट्रपति ने 25 फरवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जो अभिभाषण दिया था, उस पर उन्हें धन्यवाद देने के प्रस्ताव को अजित जोगी ने सदन में रखा और मैं उसे सेकंड करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं बताना चाहती हूं कि हमारी भारत सरकार ने जो तरक्की और उन्नति की है, जिसके चलते स्वतंत्र भारत में हम लोग चाहे महिलाएं हों या पुरुष आज गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश का चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति अपने को खुशहाल महसूस करता है।

मुझे इतिहास के पन्नों को देखने पर सुगंध आती है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने सपना देखा था कि आजादी के बाद हमारे देश की स्थिति क्या होगी? जिन्होंने देश के प्रति, अपने आपको कुर्बान किया, अपने को फांसी पर लटकवाया, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन् करते हुए, सरकार का जो काम रहा है, उसके बारे में कहना चाहूंगी।

जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश के नाम अपने संदेश में भारत के नव-निर्माण की बात कही। देश में उस समय सुई बनाने तक की क्षमता नहीं थी, लेकिन पंडित नेहरू जी के आह्वान ने देश के मजदूरों, नौजवानों और किसानों को आगे बढ़ाया। आज देश ने तरक्की की है और जहां देश में सुई तक नहीं बनती थी आज आसमान में उड़ने वाला हवाई-जहाज, समुद्र के नीचे चलने वाली पनडुब्बी और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की जो तरक्की हुई है वह किसी से छिपी नहीं है।

अभी सामने से एक साथी बोल रहे थे कि आपने 50 साल में क्या किया? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि हमने नहीं किया तो किसने किया? क्या आप 10 साल में देश को प्रगति पर लाए? दस साल में आपने क्या किया वह मैं आपको बताती हूं। आपने देश को साम्प्रदायिक ताकतों में बांटना चाहा। कभी जिन्ना की मजार पर जाकर कसीदे पढ़ते हैं कि वे धर्म-निरपेक्ष थे। साम्प्रदायिक ताकतों को धर्म-निरपेक्ष कहा जाए और जिस जिन्ना ने लाखों हिंदुओं और मुसलमानों की लाशों पर खड़े होकर पाकिस्तान का मुखिया बनने का ऐलान किया था, उसने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिये थे। ...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** यह शब्द कार्यवाही में नहीं जाएगा।

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** मैं लियाकत अली की बात करती हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान नाम दिया लेकिन कुछ मुंगेरी लालों ने उसे हिंदुस्थान कर दिया, हिंदुओं का स्थान। नहीं, यह हिंद जिसे हम जयहिंद कहते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं, हम हिंद के रहने वाले हिंदीभाषी लोग, जिसमें हिंदी राष्ट्र-भाषा है, उस हिंदुस्तान को जानते हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस देश में चलने वाली सरकार के तहत जो काम किये हैं मैं उसका विवरण बताना चाहती हूं। हमारे देश में हर व्यक्ति को क्या चाहिए? चाहे वह गरीब है, किसान है, मजदूर है, महिला है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी भाषा का बोलने वाला है, किसी भी जाति या धर्म को मानने वाला है या किसी भी प्रांत में रहने वाला है, उस व्यक्ति के लिए भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान में हमें अधिकार मिले हैं और हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकार मांगते हैं। चाहे दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग हैं, चाहे माइनोरिटीज के लोग हैं, हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वे अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे भारतीय हैं और उन्होंने भारत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में जन्म लिया है और जानते हैं कि इस भारत में मुझे तमाम अधिकार हैं। पहला अधिकार हमारा स्वास्थ्य पर है। जो मां हमें जन्म देती है उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसे संपूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद उसका रोजगार, उसका घर होना चाहिए और उस देश में बनने वाले कायदे-कानूनों पता तभी चलेगा, जब वह शिक्षित बनेगा।

बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। हमारी राष्ट्र-मां इंदिरा गांधी जी ने महिलाओं की जब ऐसी स्थिति देखी कि वे पौष्टिक आहार गरीबी के कारण नहीं खा सकती हैं तो आईसीडीएस की स्कीम शुरू हुई, जिसके तहत उस मां को कौन सा संतुलित आहार मिले, जिसके खून में कोई कमी न हो। सन् 1975 में इसी संसद से आईसीडीएस की बात शुरू हुई। उसके बाद देश के कोने-कोने में चाहे वह महिला गांव में रहती है, शहरों में रहती है या झुग्गी-कलस्टर में रहती है।

सभापति महोदय, किसी भी छोटे-छोटे घर में रहने वाली महिला को देश की सरकार द्वारा खाने को पौष्टिक आहार दिया जाता है। जन्म लेने के बाद का पूरा शारीरिक विकास हो, खाने को अच्छा भोजन मिले, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनके लिए भी पैसे का प्रावधान किया गया है। ये सब काम हिंदुस्तान की हमारी सरकार ने किए हैं। आप अगर सड़कों में इन विषयों के बारे में मुकाबला करना चाहें, तो हम तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो कहा कि गरीब दलितों के लिए नवोदय स्कूल बने। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जोगी जी अभिभाषण में से नहीं पढ़ रहे हैं। आप अभिभाषण को पढ़िए। हर चीज को पिन प्वायंट किया है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे गांवों को सड़कों के द्वारा शहरों से जोड़ने की बात हो, चाहे हवाई अड्डे बनाने की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, हर चीज के बारे में कहा गया है। हमने बिजली क्षेत्र में क्या तरक्की की है, यह मैं आपको अभी प्वायंट पर आ कर बताऊंगी। अनेकों-अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने आज जनता को दी हैं। देश का बच्चा-बच्चा, हर औरत, हर आदमी देश के वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट से खुश है और यह कहने के लिए तैयार है कि वे इस यूपीए की सरकार में, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह हैं, के नेतृत्व में खुश हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश के नवनिर्माण की बात कही थी, नवनिर्माण को भारत के कामन मिनिमम प्रोग्राम में हमारी यूपीए की सरकार ले कर आई, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाना होगा। इसी संदर्भ में कहना चाहूंगी कि जब हम बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे, तो उन्हें अख्तियार देना होगा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार देकर, नौजवानों की अपनी सरकार में भागीदारी स्थापित करने की बात कही थी। राहुल जी ने आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए देश की तरक्की में नौजवानों को योगदान देने की बात कही है। हमारी यूपीए की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा सशक्त करने की योजनाएं बनाई हैं। वे सभी आपके सामने आएंगी।

भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है। गांवों के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कृषि भूमि विवाद या अन्य विवादों को निपटाने के लिए किसानों को कोर्ट के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए हमारे मंत्री जी ने विलेज कोर्ट्स का निर्माण किया है। यह काम आपकी सोच से बहुत परे थे। कभी आपने यह काम नहीं किया कि लोगों को गांवों से बाहर न जाना पड़े और उन्हें वहीं जल्दी न्याय मिल जाए। हमने हर व्यक्ति को न्याय मिलने की बात कही है। कृषि ऋण माफ करने के लिए आप बार-बार कहते हैं। कृषि ऋण समाप्त कर दिया, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है। कृषि ऋण इसलिए माफ किया है, क्योंकि हमारे देश का किसान गौरव से जी सके और इस देश के लिए अच्छा अनाज, दाल-सब्जियां, फल पैदा कर सके और जब वह फल सब्जियां मार्केट में ज्यादा होंगी, तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे। हमने बीपीएल, एपीएल इसीलिए शुरू की थी। हमारी राज्य सभा की एक सदस्या हैं, जो कुछ दिन के लिए वर्ष 1998 से पहले मुख्यमंत्री बनी थीं। आपको याद होगा कि उस समय सब्जियों के क्या दाम थे। मैं केवल एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि सौ रुपए किलो नमक मिला था। हमारी मैमोरी बहुत कम है, लेकिन मेरे दिमाग में फीड है। आपके साथी जो बड़े-बड़े सरमाएदार हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने नमक का स्टाक कर लिया था। हमारे देश का गरीब आदमी नमक खाने के लिए भी मोहताज हो गया था। आप उन दिनों को क्यों भूलते हैं, उन दिनों को याद रखना चाहिए। प्याज और आलू की बात मैंने छोड़ दी है, सिर्फ नमक के बारे में आपको याद दिलाना चाहती हूं। उन दिनों लोग नमक भी नहीं खा सकते थे।

हम लोगों ने स्वर्ण जयंती रोजगार योजना शुरू की है। उसमें हमने गांवों की बात कही है। कृषि ऋण माफ किया। ग्रामीण स्वरोजगार योजना हम लेकर आए।

हमने स्वर्ण जयंती रोजगार योजना शुरू की है। इसमें सैल्फ हैल्प ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं। महिला जब शिक्षित होती है और इस तरह से कार्यक्रम करती है तो लगता है कि देश आगे तरक्की की ओर बढ़ रहा है। एक

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

शिक्षित महिला अकेली शिक्षित नहीं है, वह अपने पीछे पूरे परिवार को शिक्षित करती है, आने वाला बच्चा जो कल देश का भावी नागरिक होगा, अगर वह उसे शिक्षित करती है तो इसका मतलब यह है कि देश तरक्की कर रहा है। उस महिला में इतनी शक्ति है कि वह घर, बाहर, राजनीति और इकानमी आदि का सारा भार संभाल कर देश को आगे बढ़ाती है। ऐसी महिलाएं देश में बड़े गौरव के साथ इस अभिभाषण और बजट का स्वागत कर रही है। महिलाओं को रोजगार आर्गेनाइज्ड और अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में मिले हैं। हमने होटल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा कर, रोजगार देने की बात कही है लेकिन मेरे साथी जो एनडीए सरकार में थे, उन्होंने कई होटल निजी लोगों के हाथ में अपने लाभ के लिए कौड़ियों के भाव बेच दिए। दिल्ली में शंगरिला होटल इसका उदाहरण है जिसे 14 करोड़ रुपए में बेचा गया। इन्होंने जयपुर, उदयपुर, मुम्बई और मदुरै में कितने ही होटल निजी लोगों के हाथ बेच दिये। यह स्वदेशी की बात करते हैं। देश हमारा है। हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, पूर्वजों को फांसी के फंदे पर चढ़ते देखा। आज हम आजाद भारत में आजादी की बड़ी सांस ले रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके इतिहास के काले पन्नों में नाम हैं। उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की शिकायत करके, मुखबरी करके, उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया। भारत की धरती की सीना चीर कर देखो तो उनका खून आज भी उबल-उबल करके कह रहा है कि देश के नौजवानों, यह देश आपका है, गरीबों का है, महिलाओं का है, किसानों का है, मजदूरों का है, यह देश उनका है जो देश की पूजा करते हैं, जो देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, जो जयहिन्द का नारा लगाते हैं। ऐसा देश जहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल कर रहना चाहते हैं।

हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम बनाया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया। शिक्षा के बजट पर होने वाले खर्च को बढ़ाया गया। उसे 7.68 परसेंट से बढ़ा कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 19 परसेंट अधिक किया गया। आप सोच लीजिए कि हमारा शिक्षा को बढ़ावा देने का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि देश की जड़ कहां है, हम देश की कैसे तरक्की करेंगे, कैसे सशक्त करेंगे, कैसे नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे सैकिंड लीडरशिप शुरू करेंगे? मिड-डे मील देने के बारे में हम चिंतित हैं क्योंकि इससे दो लाभ हैं—एक तो वे गरीब बच्चे जिन को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, उन्हें इसके द्वारा पौष्टिक आहार मिले जिससे वे स्वस्थ रहें, दूसरा, इसके मिलने से गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आएं और शिक्षा ग्रहण करें। हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है। इसमें लाखों के तादाद में जो महिलाएं काम करती हैं, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताती हैं, हमारे बच्चों को कैसा होना चाहिए, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, कब उनको कौन सी दवाएं लेनी चाहिए, कौन सा टीकाकरण होना चाहिए, वे चीजें हम 'आशा' के माध्यम से उनको बताते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हमारे गांवों में काम करती हैं।

पंचायतों में 33 परसेंट महिलाओं को आरक्षण देना राजीव जी का सपना था जिसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने पंचायती राज शुरू किया। आज पंचायतों और लोकल बाडीज में 33 परसेंट महिलाएं हैं। राजीव जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, वह एक नया रास्ता दिखा कर गए हैं, हमें उस मंजिल की ओर पहुंचना है जिससे हम देश को आगे बढ़ा सकें और देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख सकें, ऐसे हमने कार्यक्रम बनाए हैं। 18 साल की बात मैंने पहले की। सूचना के अधिकार का अधिनियम हमारी सरकार ने बनाया है। किसानों को हर प्रकार से मदद मिले और उन्हें मजबूत किया जाए, इसलिए 60 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमारी योजना गेहूं, चावल और दालों का उत्पाद 8, 10 और 2 मिलियन टन करने की है जिससे हर व्यक्ति को कम दामों में अनाज दे सकें। मुझे वर्ष 1989 का वह दिन भी याद है जब पूरे देश में इतना सूखा पड़ा था जितना कि पिछले 100 वर्षों में भी नहीं पड़ा होगा, तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और तब भी ऐसे मंचों से चिल्ला-चिल्लाकर कहा था कि अगर एक भी आदमी भूख से मरा हो तो हम उसके लिए जो काम कर सकें, करने के लिए तैयार हैं लेकिन तब एक भी व्यक्ति सूखे में भूख से नहीं मरा था। आप इतिहास में जाइए, मेरे दिमाग के कंप्यूटर में बहुत सी चीजें है, मैं कभी भी बोल सकती हूं आप तो समय की बात कर रहे हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधनों तथा बाढ़ प्रबंधन को उचित करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1,38,548 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो पहले 46,131 करोड़ रुपए था। आप देखिए जनता के पैसे को जनता के विकास में लगाया है क्योंकि हम इसे जनता के विकास में लगाना चाहते हैं। शिक्षा सभी को मिले, एससी, एसटी, ओबीसी को एमपावर करने के लिए सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। अनुसूचित जातियों के लगभग 30 लाख बच्चों को 900 करोड़ रुपए से अधिक तथा अनुसूचित जनजातियों के दस लाख बच्चों को 225 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में जोगी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जल, जमीन और जंगल पर जनजातियों का अधिकार होना चाहिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय अद्धेयतावृत्ति में एससी और एसटीज को विशेष कोचिंग दी जानी चाहिए। एसटीज को वन, जंगल और जल अधिकार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, और तो और अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में जो मजदूर काम करते हैं या मकान बनाते हैं, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया गया है। इन परिवारों को 30,000 रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और उनके लिए बोनस का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया है। आईसीडीएस, आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से 1500 रुपए का प्रावधान किया है। श्रमिकों का बोनस को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह किया है। भवन निर्माण ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को भी बोनस दिया जाए, इनको पात्र बनाया गया है क्योंकि हम ठेकेदारी प्रथा नहीं चाहते हैं। अभी ग्राम न्यायालय खोलने का बिल लाया गया है। प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा करना है, एससी, एसटीज के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा है। इसके बाद छात्रवृत्ति की बात है, उन्हें आगे बढ़ाने की बात है ताकि एससी, एसटीज के लोगों को देश में ही नहीं विदेश में भी शिक्षा मिले। शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग विदेश में दाखिला लेते हैं इसके लिए चाहे 10, 15 या 20 लाख या जितना भी पैसा लगे उसे हमारी सरकार ने देने के लिए कानून बनाया है। मैं संसद के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो बच्चे होनहार हैं, वे विदेशों में दाखिला लें, विदेशों में जाएं और भारत सरकार उनका तमाम खर्चा वहन करेगी ताकि उन्हें बाहर शिक्षा दिलाकर वापिस बुलाकर लाभ उठाएगी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए और स्त्रियों को साक्षर बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लक्ष्य बनाया गया है। महिलाओं की पूर्ण समानता के लिए कानून बनाने में हम सब साथ आएं, ऐसा मेरा कहना है। सरकार दहेज, कन्या, शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी संबंधी कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए, लिंग भेद रहित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है। ग्रामीण को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिले इसके लिए 1.38 लाख उपकेंद्र, 3947 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 540 जिला अस्पतालों में संसाधन देकर बढ़ाया गया है। हमारे गांवों में लगभग आशा में 5 लाख पूर्ण स्वास्थ्यकर्ता कार्यरत हैं, हमने इनको लोगों की भलाई के लिए आगे किया है। भारत निर्माण में सड़कों द्वारा ग्रामों को जोड़ा जाए और उनके लिए बिजली, टेलिफोन, मकान का प्रबंधन किया जाए। ग्रामीण और निर्धनों के लिए 40 लाख मकान बनाए गए हैं और 2 लाख बस्तियों में पानी की योजना पहुंचाई गई है।

मैं एक बात कहना चाहती हूं कि इंडिया शाइनिंग, एक करोड़ मकान बनेंगे, लेकिन एक मकान भी नहीं बना, चालीस लाख मकान हमने बनाकर दिये हैं। जल, विद्युत, ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के विकास के लिए निवेश को बढ़ा दिया गया है, इसी से देश का चौतरफा विकास हुआ है। देश में श्री राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया, ताकि पेट्रोलियम क्षेत्र में तकनीकी कार्मिक शक्ति को बढ़ावा मिले, ऐसे कार्य हमने किये हैं। भारत के सभी रेलवे स्टेशन आधुनिक हों, यह हमारा प्रयास है। इसका रिजल्ट अच्छा हो। हमारे हवाई अड्डे भी आधुनिकीकरण के उदाहरण हैं। इस वर्ष बंगलौर और हैदराबाद में नये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली तथा अन्य महानगरों में टर्मिनल का निर्माण कार्य चल रहा है। नार्थ ईस्ट सहित देश के विभिन्न भागों को हवाई मार्ग से जोड़ें, ऐसा सम्पर्क बढ़ाया गया है। हमने कुछ नहीं छोड़ा है। प्रिंट मीडिया, दूरदर्शन में, मनोरंजन और फिल्मों के क्षेत्र में, भारतीय मनोरंजन मीडिया उद्योग में भारी वृद्धि हो रही है और इसमें भारी संख्या में हमारी बच्चियों और बच्चों को रोजगार मिल रहा है। मैं हमारे मंत्री जी, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी को मुबारकवाद देती हूं, जिन्होंने इस क्षेत्र में रोजगार की कमी को पूरा किया है।

**सभापति महोदय:** आप वित्त मंत्री जी के भाषण का हिन्दी अनुवाद बोल रही हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** मैं अपनी बात बता रही हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमें जातिविहीन समाज चाहिए, ऐसे जातिविहीन समाज के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम डा. मनमोहन सिंह जी ने दिया है, उसे हम लागू करने के लिए तैयार हैं और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार विश्व स्तर पर सहयोग देती और लेती है। विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय वार्ता फलदायी रही है। भारत, रूस और चीन की जो हमारी मंत्रियों की त्रिपक्षीय वार्ता फलदायी रही है। यही नहीं इब्सा समिट, 2007 अक्टूबर में, जिसमें डा. मनमोहन सिंह जी ने प्रधान मंत्री के रूप में पार्टिसिपेट किया, मैं खुद वहां मौजूद थी, उसमें भारत का नाम बहुत इज्जत और मान-सम्मान के साथ लिया गया और भारत को यह बताया गया कि भारत किसी से कम नहीं है। हम किसी से पिछड़े नहीं हैं। यही नहीं आज विश्व के इस महान लोकतंत्र भारत तो दुनिया अधिक आशाओं और आकांक्षाओं की नजर से देख रही है। एक स्वतंत्र समाज खुली अर्थव्यवस्था के ढांचे में है। हम लोग इस देश से आतंकवाद का खात्मा कर देना चाहते हैं।

**सभापति महोदय:** अब आप समाप्त कीजिए, आपकी बातें आ गई हैं।

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** हम आतंकवाद के खिलाफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो इसी संसद में आतंकवादी घुस आये थे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आतंकवाद को एबोलिश कर दें। हमारा देश आतंकवाद मुक्त हो। कोई किसी से डरे नहीं, कोई बिछुड़े नहीं और हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति की दिशा में काम करता चला जाए। बल्कि हमारे देश में रहने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जानते हैं कि इस देश को कौन आगे बढ़ा सकता है, हमारी उनसे प्रार्थना है कि किस तरह से देश को कौन आगे बढ़ायेगा, बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि के हिसाब से देखें कि कौन सी ऐसी सरकार है जो हमें आगे ले जा सकती है और हमारे देश का विकास कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 25 फरवरी, 2008 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।"

माननीय सदस्यगण, जिनके संशोधन धन्यवाद प्रस्ताव के लिए परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर पटल पर स्लिप भेजें जिसमें संशोधन की क्रम सं. दी गई हो जिसे वे प्रस्तुत करना चाहते हों। केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत माना जाएगा।

तत्पश्चात् नोटिस बोर्ड पर उन संशोधनों की क्रम सं. दर्शाने वाली सूची लगाई जाएगी जिन्हें प्रस्तुत माना गया। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई अनियमितता दिखती है तो वह कृपया तुरंत इसे पटल पर अधिकारी के ध्यान में लाएं।

**अपराह्न 4.00 बजे**

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर): मान्यवर सभापति महोदय, मैं पहले सोचता था कि मैं कल बोलूंगा, आज मेरे एक और सहयोगी बोलने वाले थे, लेकिन बाद में मुझे कहा गया कि मैं ही बोलूं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उनको जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मैं आज बोलूंगा तो आप स्वयं यहां आए। मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने विचार आपके सामने ही रखूंगा।

हमारे संविधान में अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रति वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे—या तो चुनाव के बाद करेंगे, या हर वर्ष के प्रारंभ में करेंगे। शुरू में संविधान जब बना था तो उसमें हर अधिवेशन में बोलते थे। एक साल तो वह व्यवस्था चली और राजेन्द्र बाबू एक साल में तीन बार बोले। बाद में उसमें संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि चुनाव के बाद अवश्य बोलेंगे, लेकिन प्रति वर्ष पहले सत्र में बोलेंगे। इसके कारण कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि दो बार राष्ट्रपति बोले हों—एक बार नए साल में और एक बार चुनाव के तुरंत बाद। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानंत्री जी इस बात का अहसास करते होंगे कि गत अगस्त के बाद से लगातार यह चर्चा चलती रही है कि आम चुनाव कब होगा। सामान्यत: आपका कार्यकाल मई, 2009 तक है लेकिन मैं अपनी बात आरंभ करते ही यह बात कहूंगा कि इस बात की पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण, जिस पर आज सदन चर्चा कर रहा है, इस सरकार के कार्यकाल में उनका अंतिम भाषण हो। इसकी संभावना है। ...*(व्यवधान)* मैं यह बात वैसे ही नहीं कह रहा हूं। बहुत सारी बातें जो सामान्यत: अभिभाषण में होनी चाहिए थीं। हमेशा लिखा जाता है कि पिछले साल में अमुक विदेश मंत्री आए, अमुक-अमुक प्रधानमंत्री आए, विदेशों से संबंध ऐसे रहे, वैसे रहे। बहुत सारी बातें जो आज सदन के नेता ने अपने प्रात: काल के वक्तव्य में कहीं, सामान्यत: वे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में होती हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में वे बातें नहीं लिखी गईं जो आज उन्होंने आईएईए के बारे में अपने वक्तव्य में कहीं। अन्यथा वे इसमें आतीं और सदन को पता लगता। यह सरकार की व्यवस्था है कि उनमें उन बातों को शामिल करे, लेकिन उसके कारण भी मुझे लगा और संभव है कि सरकार के मन में कल्पना यह है कि चुनाव 2009 में न करके 2008 में करे या यह कल्पना है कि 2009 में भी करे तो भी अभिभाषण करने की जरूरत फिर से न पड़े। यह तो अनुमान की बात है कि लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूंगा कि जोगी ने जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है और जिसका कृष्णा तीरथ जी ने समर्थन किया है, परंपरा यही है कि अगर कोई सरकार प्रस्ताव का विरोध नहीं करती तो मोशन आफ थैंक्स का विरोध नहीं होता। मोशन आफ थैंक्स का कोई विरोध नहीं करता। अधिक से अधिक उस पर संशोधन दिये जाते हैं कि हम आपकी बात से सहमत हैं, किंतु हमें खेद है कि इस अभिभाषण में अमुक-अमुक बात नहीं है। हम समर्थन करते हैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने में, विरोध नहीं करते, लेकिन हमें इस बात का खेद

है कि आपने इसका उल्लेख ही नहीं किया है कि पिछले साल में कितने किसानों ने आत्महत्याएं कीं। कोई कहेगा कि हमने बजट में इतना कुछ दे दिया, लेकिन उससे आत्महत्या की बात और उससे जो गंभीर अर्थ हैं, एक साल में हजारों लोगों ने आत्महत्याएं कीं। पता नहीं किसी ने गिनती की है या नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में 16 हजार लोग थे। पिछले साल राधाकृष्ण समिति का गठन किया गया था—कृषि ऋणग्रस्तता पर विशेषज्ञ समूह। उसमें जो बातें कही गई हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि वही दुखी है।

*[अनुवाद]*

कृषक समुदाय में विभिन्न प्रकार के बढ़ते जोखिम आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं। यह एक बड़े सामाजिक-आर्थिक बुराई का सूचक है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक किसान जिसने आत्महत्या की है, उससे अधिक किसान हताश हैं।

*[हिन्दी]*

यह महत्व की बात है कि अगर एक किसान आत्महत्या करता है, इसका मतलब कई गुना अधिक किसान परेशानी एवं तकलीफ में हैं। वे परेशानी स्वयं महसूस कर रहे हैं, चाहे वे आत्महत्या न कर रहे हों। कुछ लोग कहते हैं कि यह गलत किया है, मैं नहीं मानता हूं कि गलत किया है। किसानों की ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें कर्ज से मुक्ति देना उचित है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन क्या वास्तव में जो कर्ज के कारण आत्महत्या करते थे, उन्हें मुक्ति मिलेगी। वैसे इसकी चर्चा बजट में अलग होगी, लेकिन इसका उल्लेख बार-बार किया गया है कि किसान को हमने 60 हजार करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं, हमने वित्त मंत्री जी से यह अपेक्षा जरूर की थी कि वे जब 60 हजार करोड़ रुपए की बात कहेंगे तो हमें यह भी बताएं कि जब इतना कर्ज बैंक आफ कर देगी, तब उसकी व्यवस्था बजट में क्यों नहीं है? यह उन्होंने नहीं बताया। अखबारों में हम बाद में पढ़ते हैं कि बांड्स इश्यु किए जाएंगे जो तीन साल में बैंकों को दिए जाएंगे। मैंने कल यह बात एक पत्रकार से सुनी, जो टेलीविजन में काम करता है तो मुझे आश्चर्य हुआ। वित्त मंत्री जी से जब यह बात पूछी गई कि इसका प्रबंध नहीं है, इसका प्रबंध कैसे करेंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना होगा, वह मैं संसद में कहूंगा। फिर उस पर इतनी कहा-सुनी हुई कि वित्त मंत्री जी उसे छोड़ कर चले गए। उन्हें बाद में बताया गया कि यह तो लाइव प्रोग्राम चल रहा था। ये जो चीजें हैं, इसके कारण मुझे इतना कहना है कि आज यह उचित होगा कि प्रधानमंत्री जी सदन को अवगत करवा दें कि इसकी व्यवस्था करने का आपका क्या विचार है? यह कोई नहीं कहेगा कि किसानों को राहत नहीं मिले, उन्हें राहत जरूर मिलनी चाहिए और खास करके ऐसी स्थिति में जब किसान इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो किसान आत्महत्या करते हैं, जो स्माल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत तकलीफ में हैं, वे बैंकों से उधार नहीं लेते।

*[अनुवाद]*

सीमांत और छोटे किसानों की निर्भरता और गैर-संस्थानिक एजेंसियों पर अधिक थी न कि बड़े किसानों पर। सीमांत किसानों को निजी साहूकारों पर अधिक निर्भर रहना होता था।''

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** श्रीमती कृष्णा तीरथ जी की कुछ भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** 29 तारीख को जब बजट पेश हुआ तो कुछ प्रदेशों से मुझे फोन आया, जो इस विषय में जानकार हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहां बैंकों से कर्ज लेने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर किसान मनीलैंडर्स से लोन लेते हैं। *...(व्यवधान)*

यहां सदन में जब मोशन आफ थैंक्स पेश किया गया और उसमें किसानों की सहायता का उल्लेख किया गया तो मुझे लगा कि इस पर मुझे प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि सरकार के मन में क्या है? पहली बात जो मैंने कही कि आज जो किसानों की हालत है, उसमें उन्हें कर्ज से राहत देना सर्वथा उचित है। यह गलत नहीं है। लेकिन यह सहायता उन्हीं को मिलनी चाहिए, जिनको इसकी आवश्यकता है। मनी लैंडर से कर्ज लेने वालों को यह सहायता नहीं मिल सकेगी, जो कि सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसान केवल कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है।

*[अनुवाद]*

''कृषि मूल्यों के अलावा.....''

*[हिन्दी]*

एग्रीकल्चर प्राइसिज के कारण कर्ज लेता है। लेकिन जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उसके बारे में लिखा है-

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

"ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि मूल्यों के अलावा किसान के ऊपर बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि बच्चों की शिक्षा और परिवार के स्वास्थ्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बढ़ते खर्च का भार है।"

*[हिन्दी]*

अर्थात्, महंगाई का योगदान किसानों की इस स्थिति में कम नहीं है। मैं कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं कि आम आदमी के नाम पर जीती हुई इस सरकार ने सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को दी है तो वह आम औरत को दी है। आम आदमी को तो दी है। आम औरत फैमिली बजट के साथ डील करती है और उसका बजट बिगड़ गया है। हर चीज महंगी हो गई है। खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई महंगी हुई है। ये सभी चीजें ऐसी हैं। *...(व्यवधान)* जब आप बोल रही थीं, उस समय मैं एक बार भी नहीं बोला था। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप इनको सुनिए। आप जो कुछ कह रहे हैं, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। इसलिए टोकाटाकी करने से कोई फायदा नहीं है।

*...(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** महोदय, मैं समझता हूं कि यदि पिछले चार सालों में जिस समस्या ने समाज के सभी वर्गों, खासकर कमजोर वर्ग और ग्रामीण जनता को परेशान किया है, तो वह महंगाई है। महंगाई के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत ही हिम्मत के साथ पैराग्राफ चार में कहा गया है।

*[अनुवाद]*

"वृद्धि को बनाए रखने के लिए मेरी सरकार प्रयास जारी रखेगी....."

*[हिन्दी]*

ज्यादा प्रयत्न ग्रोथ को सस्टेन करने पर है।

*[अनुवाद]*

".....मूल्यों को नियंत्रित रखते हुए मेरी सरकार ने भारतीय उपभोक्ताओं को इन वैश्विक ट्रेंड को अलग करने का प्रयास किया है।"

*[हिन्दी]*

मैं समझता हूं कि यह पैराग्राफ या इस तरह का स्टेटमेंट वर्ष 2004-05 में उपयुक्त होता,

*[अनुवाद]*

इस सरकार के अंतिम वर्ष तक

*[हिन्दी]*

तब भी कहें कि हम प्रयत्न करेंगे—ग्रोथ बढ़ाते जाएंगे, लेकिन कीमतें रुकी रहें—मुझे इस पर आपत्ति है।

*[अनुवाद]*

यह समय भविष्य में इस प्रकार के वक्तव्य के लिए नहीं है।

*[हिन्दी]*

कहते हैं कि हमने पिछले चार साल में इसे बांधे रखा है और दुनिया भर के इन्फलेशनरी ट्रैंड को हमने यहां प्रभावित नहीं होने दिया है। मैं इसे इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानता हूं।

*[अनुवाद]*

मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में असफल और मुझे लगता है

*[हिन्दी]*

कि फूड स्टफ्स की कीमत और बढ़ेगी, जिसके कारण आम आदमी और परेशान होगा।

जब हमको अन्दर की सूचना मिलती है, जितनी भी मिलती है, उसके आधार पर कहते हैं कि यह भी एक फैक्टर है, जिसके कारण शायद चुनाव जल्दी हो जायें। हो जायें, कोई आपत्ति नहीं। आम जनता को यू.पी.ए. के चार साल का असैसमेंट करने का, निर्णय देने का मौका मिलेगा। उन्होंने पहले एन.डी.ए. के 6 साल का शासन देखा और जब चार साल यू.पी.ए. का भी देखा, उसके आधार पर फैसला करने का मौका मिलेगा, हमको कोई आपत्ति नहीं। हम उनमें से नहीं हैं जो यह कहें कि तुमने अगर यह नहीं किया तो हम सपोर्ट विथड्रा कर लेंगे। यह हमारी स्थिति भी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगस्त से लेकर जो लगातार चलता रहा है कि अगर यह हो गया, जो स्टेटमेंट आज हो गया है, हमारे सदन के नेता ने जिसको रखा था, वह यह है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं और हम तो जितना पहुंचे हैं, इतना पहुंचे हैं और थोड़े दिन में कम्पलीट कर लेंगे, जिसको जो करना है, करे। मैं समझता हूं कि इधर के लोग सुबह उनका उत्तर सुन रहे होंगे। हमें किसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो केवल देश में राजनैतिक क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रहे, इसको ठीक नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मानता। मैं मानता हूं कि अगस्त, 2007 तक हम सब लोगों के मन में निश्चित था कि चुनाव 2009 में होंगे, लेकिन अचानक पिछले 5-6 महीनों में रोज एकाध स्टेटमेंट ऐसा आता है, जिसके कारण अनिश्चितता बढ़ती है। अनिश्चितता बढ़ती है तो अस्थिरता बढ़ती है और अस्थिर सरकार अपने शासन के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकती।

इस अभिभाषण में भी इस बात का गर्व किया गया है कि हमारी ग्रोथ रेट 9 परसेंट हो गई। कुछ लोग इस पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध नहीं करते। बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है, अगर देश में 9 परसेंट जी.डी.पी. ग्रोथ है। बात यह है कि इसी स्थान पर तब जो विपक्ष की नेता थीं, जब हमारे वित्त मंत्री ने एक बार कह दिया था कि आठ परसेंट जी.डी.पी. ग्रोथ तो उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने साकार नहीं होने हैं, लेकिन वे साकार हुए। आज भी मैं कहता हूं कि 9 परसेंट ही नहीं, ग्रोथ रेट 10 परसेंट हो सकती है और होनी चाहिए। टू डिजिट जी.डी.पी. ग्रोथ होनी चाहिए। अलबत्ता मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह जो ग्रोथ हो रही है, यह इन्क्लूसिव ग्रोथ है। इस बार भी इन्क्लूसिव शब्द का फिर से प्रयोग किया गया, जो इस अभिभाषण में भी है। मेरे मित्र पत्रकार एम.जे. अकबर हैं, उन्होंने पिछले दिनों बहुत अच्छी तरह से कहा। उन्होंने कहा है कि

*[अनुवाद]*

भारत में हम जिस प्रकार के असमान आर्थिक वृद्धि को देख रहे हैं वह यह दर्शाता है कि अल्पसंख्यक के लिए जहां झरना है वहीं प्यासे बहुसंख्यक के लिए पानी की कुछ बूंदें भी नहीं हैं।

*[हिन्दी]*

कुछ लोग एम.जे. अकबर की बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं एक और व्यक्ति को कोट करूंगा, जिसकी अभी कुछ दिन पहले कुछ अखबारों में हैडलाइन बनी है,

*[अनुवाद]*

आज 20 सबसे धनी भारतीय 30 करोड़ निर्धन भारतीयों से अधिक कमाते हैं।

*[हिन्दी]*

यह किसने कहा? यह श्री विमल जालान, फोर्मर गवर्नर आफ दि रिजर्व बैंक आफ इंडिया और दूसरे सदन के सम्माननीय सदस्य ने कहा। इसको कोई इन्क्लूसिव ग्रोथ नहीं कह सकता।

आरम्भ के वर्षों की मुझे याद है, मैं पत्रकार हुआ करता था, ऊपर बैठता था। डा. राम मनोहर लोहिया ने एक बात शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति हिन्दुस्तान का आज तीन आने ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** 27 करोड़।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** उन्होंने तीन आने कहा। आप लोहिया जी के भक्त हैं, मैं तो पत्रकार के नाते ही उन्हें जानता था। जब उन्होंने तीन आने कहा था तो इतनी बड़ी बहस हुई थी। जब प्लानिंग कमीशन ने 15 आने कहा है, तीन आने बनाम 15 आने पर एक दिन बहस हुई थी और आज लगता है कि बीस कुबेर और 30 करोड़ गरीब। ...*(व्यवधान)* उनके साथी कौन-कौन हैं, यह सब जानते हैं, वह सब जानते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, जो 20 कुबेर धनी हैं, उनमें से एकाध के लिए मेरे मन में बहुत आदर है क्योंकि सारी दुनिया में उनका नाम हुआ है और दुनिया के बाकी देशों में भी जाकर वे अपना नाम करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अलग-अलग लोग हैं। लेकिन यह व्यवस्था की बात है और कम से कम इन्क्लूजिव ग्रोथ का दावा मत करिए, इन्क्लूजिव ग्रोथ अभी नहीं हुई है। हम भी उसके कारण भुगत चुके हैं, कहीं पर आ गया-इंडिया शाइनिंग, तो उसके कारण हमें नुकसान हुआ। हम इंडिया राइजिंग कहते तो गलती नहीं होती और आज भी इंडिया राइजिंग है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह आगे बढ़े।

अगर देश की प्रगति होती है, तो उसमें सभी को खुशी होती है, हम कोई उससे अलग नहीं हैं। लेकिन देश की प्रगति इन्क्लूजिव हो, सब लोग उसमें समाविष्ट हों, यह जरूरी है। अगर आज ऐसा नहीं है, उसको भी कह दें कि ऐसा है और बहुत ठीक हो रहा है, हमको इस बात पर भी सोचना चाहिए कि बिना सोचे-विचारे अगर हम व्यवस्था किए बिना कुछ कदम उठाएंगे, तो उसका इन्फ्लेशनरी असर भी होता है और इन्फ्लेशनरी असर यदि होगा, तो सबको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैंने महंगाई की बात कही, इन्क्लूजिव ग्रोथ की बात कही और मैं कहना चाहता हूं कि विरोध कोई मोशन आफ थैंक्स का नहीं करता है, लेकिन यह कहता है कि इसमें यह चीज नहीं है, यह चीज नहीं है और यह चीज नहीं है।

राष्ट्रपति जी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, चूंकि बहुत से लोगों ने, वे महिला राष्ट्रपति हैं, इसका उल्लेख किया। मैं इतना ही कहूंगा कि यह अपेक्षा जरूर थी कि इस बार कम से कम जो एकमात्र चीज कामन मिनिमम प्रोग्राम में इस एलायंस ने महिलाओं के बारे में लिखी, और कोई चीज नहीं लिखी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

खत्म होनी चाहिए और प्रेगनेंसी में मोर्टेलिटी खत्म होनी चाहिए, इन्फैंटेसाइड हो जाता है, उसे खत्म करना चाहिए, बाकी महिलाओं की समस्याओं का उल्लेख नहीं था, लेकिन एक का उल्लेख था कि हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम उनको विधानसभाओं और संसद में रिप्रेजेंटेशन देंगे।

*[अनुवाद]*

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में महिलाओं के कल्याण के संबंध में तीन पृष्ठ हैं। विपक्ष के माननीय नेता ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को पढ़ा होगा।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैं अपनी बात में सुधार करता हूं। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

वह भी होगा, लेकिन यह भी लिखा है कि हम उनको लेजिस्लेचर्स में एक तिहाई रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसके लिए लगातार कहा जाता रहा है।

**श्री जयराम रमेश:** आप पूरी बात करिए, सेलेक्टिव कोटेशन मत करिए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैंने मान लिया।

*[अनुवाद]*

जब महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि यह क्यों नहीं किया गया है? मैं इसे प्रतिष्ठा का विषय क्यों बना रहा हूं। राष्ट्रपति भवन इस पर चुप क्यों है। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

इसके बारे में क्यों नहीं कहा? हमारी तरफ से लगातार कहा गया कि एक प्रपोजल है, जो हम लाए थे, जिसे हम कार्यान्वित नहीं कर सके। दो बार बिल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो लोग उसका विरोध करते थे और उन विरोध करने वालों में बहुत सारे आपके साथ हैं। उन्होंने हाथ से फिजिकली छीनकर हमें नहीं करने दिया। हमारे दोनों लॉ मिनिस्टर थे, वे उसे नहीं कर सके। कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शोर-शराबे में पास नहीं हो सकता। यह संसदीय कार्य मंत्री जी भी जानते हैं। इसीलिए बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल दिया कि

*[अनुवाद]*

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने हेतु संविधान में संशोधन करने के बजाए राजनीतिक दलों के लिए, जब वे उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो महिलाओं के लिए कुछ प्रतिशत देने हेतु, अनिवार्य क्यों न बनाया जाए।

*[हिन्दी]*

यह मैं मानता हूं कि इस तरीके से वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो ओरिजनल उद्देश्य की कल्पना थी, लेकिन फिर भी बहुत बढ़ोत्तरी होगी। बहुत बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ एक एडवांटेज होगा कि

*[अनुवाद]*

यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में मामूली संशोधन करने से किया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

दूसरा, उसमें चूंकि रोटेशन का प्रिंसिपल नहीं आएगा,

*[अनुवाद]*

प्रतिनिधियों के मन में उनके निर्वाचन क्षेत्रों की चिंताओं को कम नहीं आंकना चाहिए।

*[हिन्दी]*

इसीलिए हमने कहा कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। दोनों प्रपोजल्स में से जिस पर भी सरकारी पक्ष और कैबिनेट सहमत हो, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आना जरूर चाहिए। महिलाओं के साथ आपने वचन दिया, हमने वचन दिया, इसीलिए मैं आज फिर से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से भी आप करना चाहें, वह ओरिजनल प्रपोजल था या इलैक्शन कमीशन का प्रपोजल, दोनों में से जिस पर भी आप सहमति करवा सकें, देखें। *...(व्यवधान)*

मैं दूसरी बात करूंगा जिसका उल्लेख मैंने आज सुबह शुरू किया था जब यहां से विरोध हुआ था और मैंने संक्षेप में अपनी बात कही थी, वह यह था कि इस सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक यह आइडिया दिया कि हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे। श्री जयराम रमेश को याद होगा कि आपके कामन मिनिमम प्रोग्राम में क्या लिखा है। मैंने आज भी पढ़ा है। उसमें लिखा था कि हम इसके पक्ष में हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री जयराम रमेश:** पुन: आप इसे सही ढंग से नहीं उद्धृत कर रहे हैं। सही शब्द यह था कि सभी दलों के साथ उचित परामर्श और सहयोग से हम एक सहमति बनाएंगे। लेकिन कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं व्यक्त की गई।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** वह कनसैन्सस रूलिंग पार्टी, जिसने टीआरएस को जन्म दिया और अपने साथ-साथ मिलाकर चलाया कि हम दोनों सहमत हैं, उसके बाद भी कनसैन्सस नहीं है, यह कैसे कह सकते हैं। आज आपने उन्हें कम्पैल किया कि वे यहां से इस्तीफा देकर जाएं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आपकी बात लिखी नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैं इनसे सहमत नहीं हूं।

*[हिन्दी]*

मैंने जयराम रमेश जी को यील्ड किया क्योंकि

*[अनुवाद]*

वे सुस्पष्ट थे, वे सही थे जब उन्होंने कहा,

*[हिन्दी]*

उसमें कनसैन्सस की बात थी। लेकिन उस कनसैन्सस की बात के पीछे *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बैठिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** इसलिए मेरा कहना यह है कि आज आपने अपनी कही हुई बात को एक तरफ रखकर अपने साथियों को, जो इतने सालों तक आपके साथ एलायंस पार्टनर थे और संसद के मैम्बर्स थे, उन सबको निकलने के लिए मजबूर किया, जोकि आज तक कभी नहीं हुआ। हिन्दुस्तान के साठ साल के संसद के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वे सदन में खड़े होकर, अपनी बात कहकर इस्तीफा दें और स्पीकर महोदय उन्हें कहें कि *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय:** आप बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैं सहमत नहीं हूं। *...(व्यवधान)* मैं सहमत नहीं हूं। *...(व्यवधान)* मैं सहमत नहीं हूं। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** आपकी बात हो गई है। कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** हिन्दुस्तान के अलग-अलग भागों में अलग-अलग राज्यों की मांग होती रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन तीन मांगों का हमने समर्थन किया—झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़—हमें जब अवसर आया तो हमने उस पर एक ही शर्त लगाई *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** आप उनको बोलने दीजिए। आप अपने नेता को तो बोलने दीजिए। आप अपने नेता को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** जब वे ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या करें? वे लोग बीच में टोक रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** वे तो चाह रहे हैं कि आप बोलने न पायें। उन्हीं की इच्छा ये पूरी कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा तरीका हमने निकाला कि वह केवल क्षेत्रीय मांग न हो। ...*(व्यवधान)* लेकिन जिस प्रदेश में वह क्षेत्र है, उस प्रदेश की विधान सभा भी अगर उसे एंडोर्स करती है, तो हम उसे कार्यान्वित करेंगे। हमने जैसे ही इन तीनों प्रदेशों, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने, इन तीन मांगों की पुष्टि की, हमने उसे कार्यान्वित कर दिया। मुझे ख़ुशी है कि पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बैठिये। आप क्यों हल्ला कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैं इसके साथ और भी जोड़ दूं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** मिस्टर गोयल, रिकार्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है। आप शांति बनाये रखिये।

...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैं चाहूंगा कि वूमैन्स बिल के बारे में, तेलंगाना के बारे में प्रधान मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें कि सरकार क्या चाहती है और क्या अपेक्षा करती है? मैं यह मानता हूं कि कभी-कभी हमारे जो एलायंस पार्टनर्स होते हैं, कोलिएशन पार्टनर्स होते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। अब हमारी पार्टी बेशक विदर्भ के पक्ष में हों, लेकिन हमारे एलायंस पार्टनर्स पक्ष में नहीं हैं, यह भी स्थिति हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप शांत रहिये। कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** आठवले जी, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक विषय और लूंगा। मैं मानता हूं कि जैसे महंगाई एक बहुत बड़ी विफलता इस सरकार की रही है वैसे ही आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता रही है। वर्ष 2004 के बाद देश में आतंकवाद की जितनी घटनाएं हुई हैं, ...*(व्यवधान)* हमारी संसद के ऊपर हमला हुआ। ...*(व्यवधान)* संसद पर हमला करने वाले जो पांचों आतंकवादी थे, वे यहीं पर मार दिये गये। ...*(व्यवधान)* हमारे नौ सुरक्षाकर्मी उस आतंकवाद को रोकने में मारे गये। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** रिकार्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** आप लोग बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** महोदय, मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट्स हुए थे, जिनमें सात लोकल ट्रेन्स में सात बम विस्फोट एक साथ हुए थे, क्या कारण है कि उसमें जो अपराधी थे, वे आज तक पड़े नहीं गए हैं? क्या कारण है कि वर्ष 2004 से लेकर अब तक जो मेजर घटनाएं हुईं, जैसे वाराणसी और अयोध्या में मंदिरों पर हमले, मालेगांव की घटना, दिल्ली, हैदराबाद इम्फाल और बंगलौर की घटनाएं, ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** बैठ जाइए, कोई बात लिखी नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** महोदय, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अपने उत्तर में, अब तक जो इंवेस्टीगेशन्स हुई हैं, जिन लोगों पर प्रासीक्युशन हुई है उसका भी विवरण दें। वर्ष 2004 से अब तक की घटनाएं, चाहे वह मालेगांव की घटना हो, हैदराबाद और बंगलौर की घटनाएं हों, उन सभी के बारे में जानकारी दें। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप लोग बैठ जाइए, कोई बात लिखी नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** महोदय, अफजल के बारे में कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसका अभी तक आदर क्यों नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)* अगर कोई क्लेमेंसी पेटीशन पेंडिंग है, तो वह कब तक पेंडिंग रहेगी? ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय:** कोई बात लिखी नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री अजीत जोगी ने अमरकंटक में बनाई जा रही नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का स्वागत किया। उसका नाम इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा गया है। इसमें जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आरम्भ किए गए हैं, उनके नाम इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, राजीव गांधी फेलोशिप, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम टेक्नोलाजी, जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युवल मिशन रखे गए हैं। *...(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान में बहुत बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे सरदार पटेल, जय प्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अन्ना दुरई, मोरारजी देसाई जैसे महापुरुष हुए हैं, आप जिनके साथ काम करते थे नरसिंह राव जी जैसे, फिर क्या कारण है कि एक ही परिवार के लोग इसमें आते हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया आप बैठ जाएं। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है। यह सारा हंगामा रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** मैंने कहा है कि आप जो भी कह रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आपको जब मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहें।

*...(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** मैंने जो टिप्पणियां की हैं, वे प्रमुख रूप से इस कारण की हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां उपस्थित हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** मैंने कहा है कि रिकार्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है इसलिए आप बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** महोदय, यह आपत्तिजनक है। वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह एक राष्ट्रीय नेता का अपमान है। *...(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण): आपको इस पर शर्म आनी चाहिए। *...(व्यवधान)* पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोई नहीं है। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** इन्होंने विलम्ब से सूचना मिलने पर भी ये यहां आए, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** आप परेशान न हों, सदन की कार्यवाही समुचित रूप से चलने दें इसलिए कृपया बैठ जाएं।

**संशोधनों का पाठ**

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (91)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए उन्हें वित्तीय और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (93)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नक्सलियों और माओवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (94)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में एक आईआईटी स्थापित किए जाने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा मे एक आईआईएम खोले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (96)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं की शिक्षा का विस्तार करने के लिए किसी व्यापक योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (98)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के जनजातीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा सहित देश के पिछड़े राज्यों में अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में ग्रामीण निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा अनुदान सहायता प्राप्त श्रम आधारित परियोजनाओं में वृद्धि किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामान्यत: पूरे देश में और विशेषकर उड़ीसा में जरूरतमंद व्यक्तियों को ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछले डेढ़ दशक से चल रहे आर्थिक सुधारों के कारण देश में निरंतर बढ़ रही बेरोजगारी को रोके जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस की कीमतों को घटाए जाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों की लागत को कम करने के लिए उर्वरक, बीज और बिजली की कीमतें कम किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

**श्री अर्जुन चरण सेठी** (भद्रक): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (339)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की तर्ज पर उड़ीसा में 1000 करोड़ रुपये की

लागत से विश्व स्तर के राष्ट्रीय विज्ञान तथा अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (340)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में एक आईआईटी और एक आईआईएम की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (341)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भुवनेश्वर और देश के अन्य भागों में तत्काल छह रीजनल इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस सेंटर शुरू किए के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (342)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य में कैंसर मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेंटर, कटक, उड़ीसा के रेडिएशन विभाग में लाइनर एक्सिलरेटर लगाए जाने के लिए वित्तीय सहायता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (343)

कि प्रस्ताय के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय तेल निगम द्वारा पारादीप, उड़ीसा में तेल परिष्करणशाला शुरू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (344)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (345)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चार लेन वाला बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (346)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए विशेषकर बनासधारा और गोदावरी जैसी अंतरराज्यीय नदियों में बांधों के संबंध में किसी तंत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (347)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीजू पटनायक हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (348)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में बढ़ रही माओवादी गतिविधियों से उत्पन्न खतरों को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (349)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षित युवकों में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (350)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि तथा आम आदमी पर उसके प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (351)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों द्वारा आत्महत्याओं की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (352)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में असमान आर्थिक विकास के मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (353)

**श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के कालाहांडी-बोलांग कोरापुट क्षेत्र में किसानों का ऋण माफ किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (464)

[श्री बिक्रम केशरी देव]

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेती के लिए किसानों द्वारा फार्मर्स को-आपरेटिव से लिए गए ऋण को माफ किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (465)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अन्य धान उत्पादक राज्यों में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (466)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बोलांगीर जिले में और अधिक भूमि को सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाए जाने संबंधी किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (467)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के केबीके क्षेत्रों में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (468)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केबीके ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों और चिकित्सीय कर्मचारियों के अभाव के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को चालू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (469)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्ग 201 को छह लेन वाला राजमार्ग बनाने में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (470)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में झारसुगुड़ा में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन खोलने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (471)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी महानगरीय विमान पत्तनों में सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (472)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अखिल भारतीय किसान मंच के संबंध में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (473)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (474)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी लोगों को पाईप आपूर्ति वाला स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (475)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नवरंगपुर और कालाहाण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली उपलब्ध कराने में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (476)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कालाहाण्डी जिले में टूल रूमों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (477)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भुवनेश्वर में केन्द्रीय सामुद्रिक और समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना करने में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (478)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के केबीके क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (479)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोरापुट जिले की अविभाजित जोड़ियां परजा जनजाति को शामिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (480)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अविभाजित कोरापुट और कालाहाण्डी जिले में पुराने पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार करने के संबंध में सरकार की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (481)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कराने के संबंध में सरकार की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (482)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर कालाहाण्डी और नवरगंपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत और आश्रम सेवाश्रम और आश्रम हाई स्कूलों शिक्षकों को नियुक्त करने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (483)

**मोहम्मद सलीम:** धन्यवाद, सभापति जी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया था, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री अजीत जोगी ने सदन में पेश किया है और श्रीमती कृष्णा तीरथ ने उसका समर्थन किया है। धन्यवाद ज्ञापित प्रस्ताव के ऊपर तर्क होना जरूरी है, लेकिन यहां जिस तरह की बहस हो रही है और जो लांछन लगाए जा रहे हैं, उसके लिए हमारी अपनी दुविधा है। प्रतिपक्ष के नेता ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जब संसद में राष्ट्रपति जी अभिभाषण देते हैं तो उस अभिभाषण को लेकर, उस बात को लेकर और उस गरिमा को लेकर कोई बहस नहीं होती। सब लोग मिलकर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन वह अभिभाषण हमें एक अवसर प्रदान करता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की बैलेंसशीट क्या है, उस पर हम चर्चा करें। इसलिए धन्यवाद का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। यह कोई चुनावी बइस नहीं है और चुनावी मैदान भी नहीं है। लेकिन जो बैलेंस-शीट प्रस्तुत की जा रही है उसमें यह सवाल इसलिए आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह भाषण चुनावी तो नहीं है। संसद के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति जी का यह पहला अभिभाषण था लेकिन उसके साथ-साथ इस प्रस्ताव के ऊपर दोनों तरफ से चुनावी वातावरण आ गया। प्रतिपक्ष के माननीय नेता जब यह कहते हैं कि हमें लगता है कि 6 महीने या 8 महीने में चुनाव हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जब से यूपीए सरकार आई है तब से ये लोग 6 महीने का रिन्युवल करते आ रहे हैं और "हम आस लगाए बैठे हैं" वाला गीत सुना रहे हैं। पहले कहते थे कि ज्योतिषियों से संपर्क किया गया है, उससे पता चल रहा है लेकिन अब कहते हैं कि भाषण पढ़कर समझ रहे हैं कि चुनाव आने वाला है। ...*(व्यवधान)* माननीय आडवाणी जी की बात के अलावा आप किसी की बात सुनते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार के पास अवसर था कि जिन मुद्दों के ऊपर यूपीए सरकार बनी और कामन-मिनिमम-प्रोग्राम दोनों तरफ से रैफर किया गया, उसकी के आधार पर क्या बैलेंस-शीट प्रस्तुत करते हैं, यह होना चाहिए। सरकार का चौथा साल है और नयी उम्मीद जगाने से ज्यादा, जो किरण सरकार बनने पर लोगों ने देखी थी और सन् 2004 में जो उम्मीद पैदा की गयी थी वह कहां तक सरकार के काम के अनुसार कारगर हुई, उसका नतीजा क्या आया, अभिभाषण में ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि वह सही बैलेंस-शीट होती।

अभिभाषण में ग्रोथ और रीजनल बैलेंस की बात कही गयी और वह कामन मिनिमम प्रोग्राम में भी है। लेकिन जो छवि दी गयी वह बैलेंस्ड छवि नहीं है। हम अभी चर्चा में सुन रहे हैं और एक यूफोरिया भी तैयार हो रहा है, ग्रोथ की कहानी भी सुनाई जा रही है और वह छवि इस अभिभाषण में भी है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि हमारी अर्थ-नीति किस तरह प्रगति की ओर अग्रसर है। एक तरफ जब शाइनिंग-इंडिया की छवि दी गयी तो दूसरी तरफ जो सफरिंग-इंडिया है उसकी छवि भी आती तभी बैलेंस-शीट पूरी होती। वामपंथी होने के नाते मैं समझता हूं कि इस देश में डालर की इन्कम के तहत 48 बिलियनेअर तैयार हुए हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि जो 78 फीसदी लोग 20 रुपये से कम इन्कम के ऊपर अपना खर्च चलाते हैं, उनकी भी फिक्र सरकार को होनी चाहिए, तभी वह बैलेंस-शीट पूरी होती है। दोनों पहलू लोगों के सामने आने चाहिए। मुझे अफसोस है कि चार-पांच साल में आपका फील-गुड फैक्टर फील बैड हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि सरकार को फील-गुड फैक्टर आता है, और विपक्ष का फील बैड होता है, अच्छी बात है।

सभापति जी, अभिभाषण में जिन पहलुओं को रखा गया है मैं कुछ बातें उनके बारे में कहूंगा। देश की जनता के सामने महंगाई है, मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी है, गरीबी है और उसके लिए

[मोहम्मद सलीम]

किसानों के बीच, कृषि क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, जिनकी वजह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो जब हम संसद में चर्चा कर रहे हैं और देश के 100 करोड़ लोगों की समस्याओं को सामने रखकर भाषण देकर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करें, तभी सही बात होगी। हमारे देश के 70 प्रतिशत लोगों की स्थिति आज क्या है, उसका भी जायजा राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के हमारे सामने आनी चाहिए थी। सिर्फ 20 प्रतिशत की जय-जयकार नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से हमारे सामने छवि नहीं आई है। बात ही बात में दोनों तरफ से बजट के प्रावधान की बात आ गई है। मैं समझता हूं कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव आता है, उसमें लोक सभा में बजट वाला प्रावधान नहीं लाने से अच्छा होता। चूंकि अभिभाषण में ही इतनी सारी बातें हैं, जिन पर चर्चा करने से सारा समय समाप्त हो जाएगा, हालांकि बजट पर अलग से बहस होगी, लेकिन जब प्रस्ताव का पुर:स्थापन करने वाले या समर्थन करने वाले और परोक्ष रूप से प्रतिपक्ष के नेता भी बजट वाला सवाल ले आते हैं या कर्जा माफी का सवाल ले आते हैं, इसका मतलब है कि उनके अनुसार अभिभाषण में इतने मुद्दे नहीं हैं, जिन्हें लेकर चर्चा की जा सके। लेकिन इस अभिभाषण में इतने मुद्दे हैं, हम इसकी सराहना करते हैं। जो विरोध की बात कही गई, विकास की बात कही गई, वे सभी बातें मैनडेट हैं और उन बातों को दोहराया गया है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये-ये प्रावधान किए गए, ये यूपीए सरकार के लिए उपलब्धि नहीं हैं। "बाबा मरिए तो बैल बटिएं नहीं" इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वर्ष मई, 2004 से लेकर 2007 या फरवरी 2008 तक क्या स्थिति हुई, उसमें हम कहां-कहां सफल हुए और नेशनल कामन मिनिमम प्रोग्राम में हमारा जो मैनडेट है, उसे देखना पड़ेगा। बेशक हमें गौरव है कि हमारे देश को प्रथम महिला राष्ट्रपति मिली और सर्वोच्च कक्ष के संयुक्त अधिवेशन में महिला राष्ट्रपति ने संबोधित किया। इसकी हम सराहना करते हैं।

**अपराह्न 4.53 बजे**

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

*[हिन्दी]*

कामन मिनिमम प्रोग्राम में महिलाओं के चेप्टर में पहला शब्द यह लिखा गया था कि लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए यूपीए सरकार बिल ले कर आएगी। मैं पढ़ कर सुनना चाहता हूं, विमेन-चाइल्ड सैक्शन में यह बात लिखी हुई है कि

*[अनुवाद]*

संप्रग सरकार एक-तिहाई आरक्षण के विधान को पुर:स्थापित करने के लिए आगे आएगी-इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है:

"संप्रग सरकार एक-तिहाई आरक्षण के विधान को पुर:स्थापित करने के लिए आगे आएगी-इसका विधान सभा और लोक सभा में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव के संबंध में विधान अधिनियमित किया जाएगा।"

*[हिन्दी]*

जैसे लेजिस्लेशन आन डामेस्टिक वायलेंस लाया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। समर्थन के रूप में हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, लेकिन हम अफसोस भी जाहिर करते हैं और मांग भी करते हैं कि जो उसकी पहली लाइन थी कि-

*[अनुवाद]*

"हम विधान सभाओं और लोक सभा में महिलाओं हेतु एक-तिहाई आरक्षण के लिए विधान को पुर:स्थापित करने हेतु नेतृत्व प्रदान करेंगे।"

*[हिन्दी]*

जब अमरीका से आकर रोबर्ट गेट्स बोलते हैं कि

*[अनुवाद]*

"समय समाप्त हो रहा है।"

*[हिन्दी]*

तो हम सरकार का समर्थन करने वाले वामपंथी यह नहीं कह सकते हैं कि यूपीए सरकार तो पांच साल से बनी है और न्यूक्लियर डील के लिए टाइम टिकिंग हो रहा है, उसके लिए फिकरमंद है, लेकिन महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लाने के लिए.

*[अनुवाद]*

समय समाप्त हो रहा है।

*[हिन्दी]*

उसके लिए भी थोड़ी फिक्र होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, जो कि कमिटिड हैं।

*[अनुवाद]*

ऐसा इसलिए है क्योंकि डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया है और उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर शपथ ली है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** शपथ संविधान के अंतर्गत लिया जाता है।

**मोहम्मद सलीम:** इस सरकार का आधार न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यथाउल्लिखित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। यही जनादेश है। हम असामान्य अनकामनों मुद्दों और अधिकतम (मैक्सिमम) कार्यक्रम पर चर्चा करने की बजाए "साझा" और 'न्यूनतम' पर जोर देते है। हम 'न्यूनतम' जनादेश को पूरा करें, जो हमने स्वयं स्वीकार किए हैं। हम इसकी मांग करते हैं।

*[हिन्दी]*

अगर उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो मैं समझता कि हमारे लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक कदम होता। मैं अभी भी समझता हूं कि अभी भी समय है, बजट सत्र के अंदर ही इस चरण में या दूसरे चरण में, महिला आरक्षण बिल लाया जाए इस संबंध में कुछ ऐतिहासिक भाषण में होना चाहिए था, वह उसमें नहीं है।

जो कामन मिनिमम प्रोग्राम में मैंडेट है, वह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है, जो कामन मीनिमम प्रोग्राम में मैंडेट नहीं है, वह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है-इसीलिए हमारे लिए दुविधा हो जाती है।

वूमैन एंड चिल्ड्रन के अंतर्गत बच्चों के अधिकार के बारे में कही है। फैमिली हैल्थ सर्वे के जब आंकड़े निकलते हैं, तो हमें अफसोस होता है कि देश में 70 फीसदी बच्चे एनिमिक हैं। हम कौन से ग्रोथ की बात कर रहे हैं? 21वीं सदी में भारत में 70 फीसदी बच्चे एनिमिक हों, यह दुख की बात है। बच्चे जिन को हम देवता मानते हैं, उनके बारे में हम चिंतित नहीं है। हम आसमान के तारे छूने जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की शक्ल में जो तारे जमीन पर उतर आए हैं, उनके लिए पौष्टिक आहार का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। इससे कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं बन सकती। आसमान के तारों से ज्यादा, जमीन के तारों पर सरकार नजर रखे। आज बच्चों की बहुत दयनीय स्थिति है। महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और पिछले एक दशक में इनकी संख्या बढ़ी है। मैं एनडीए या यूपीए सरकार की बात नहीं कर रहा है लेकिन ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या बढ़ी है, सरकारी आंकड़ा यह बता रहा है। एक तरफ ग्रोथ बढ़ रही है और दूसरी तरफ बच्चों और महिलाओं में कुपोषण बढ़ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी इन दोनों को मिलाने की है। किस तरह हम ग्रोथ को टारगेट करें जिससे हम चुनौती से निपट सकें। इसे करने के लिए कामन मीनिमम प्रोग्राम में आईसीडीएस के यूनिवर्सलाइजेशन की और इसे पांच साल में पूरा करने की बात थी। सरकार हर साल एक रफ्तार से आगे बढ़ रही है जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं इसमें बजट का मामला नहीं लाऊंगा क्योंकि बजट पर डिस्कशन के समय इसे रेज करूंगा लेकिन अब भी यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पाया। यह आखिरी साल है जिसमें आपको इसे करने का मौका मिला था। अभिभाषण में अगर यह बात होती कि 31 मार्च, 2009 के अन्दर यूनिवर्सलाइजेशन और आईसीडीएस के टारगेट को एचीव कर लेंगे, इससे हम दोनों हाथ से ताली बजाते और कहते कि जो मैंडेट है, उसके लिए काम किया, कुछ-कुछ आगे बढ़े। आपने हर साल प्रावधान बढ़ाया है लेकिन वह काफी नहीं है। उस मैंडेट को पूरा करना चाहिए।

पीडीएस को मजबूत करने की भी बात है। कामन मीनिमम प्रोग्राम में लिखा है-

*[अनुवाद]*

> "संप्रग सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विशेषकर देश के गरीबतम और पिछड़े क्षेत्रों में सुदृढ़ करेगी और इसके प्रबंधन में महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों की भागीदारी को भी मजबूत करेगी।"

*[हिन्दी]*

यह मई 2004 का प्रावधान है। हम अभिभाषण में यह बात सुनना चाहते थे कि आपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हम यह नहीं सुनना चाह रहे हैं कि इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में लिखा गया है। मैं समझता हूं कि इसके विपरीत कुछ काम हुए हैं। किसानों को राहत देने के लिए बेशक कर्ज माफी एक बड़ा काम है लेकिन यह भी जरूरी था कि पहले यह काम करते जिससे आत्महत्या की कतार पर रोक लग सकती थी। अगर हम आगे प्रोक्योरमैंट मैसिव नहीं करेंगे और प्रोक्योरमैंट कारगिल जैसी मल्टी नैशनल कम्पनी को देंगे, आईटीसी जैसी इंडियन मल्टीनैशनल कम्पनी को देंगे, जो मांगने पर हिसाब तक नहीं देना चाहती कि कितना चावल, गेहूं उनके गोदाम में पड़ा है, कितना प्रोक्योर किया है? हम प्रोक्योरमैंट की बात इसलिए करते हैं कि वह डबल-ऐन्ड

[मोहम्मद सलीम]

है। जैसे ही फसल आती है, उस समय मीनिमम सपोर्ट प्राइज से प्रक्योर करते हैं तो छोटे किसानों को राहत मिलती है और दूसरी तरफ फूड सिक्योरटी भी एश्योर करते हैं। अगर हम प्रोक्योरमेंट को ढीला करते हैं और समझते हैं कि प्राइवेट सैक्टर इसका ध्यान रखेगा तो इसका लाभ नहीं मिलता। जो उदारीकरण की नीति 1991 से देश में चलायी गई है, उसका नतीजा क्या हुआ, कहां का गेहूं और चावल कहां गया, उसका सरकार के पास भी कोई हिसाब नहीं है।

**अपराह्न 5.00 बजे**

आज के दिन यहां जो पेपर सभा पटल पर रखे गए हैं उसमें कहा गया है कि हम कानून में संशोधन कर रहे हैं ताकि कितना चावल और गेहूं कहां गया, इसके बारे में कंपनी से पूछें तो वह बताए। लेकिन वे कंपनियां नहीं बता रही हैं, आईटीसी कंपनी नहीं बता रही हैं। कामन मिनिमम प्रोग्राम में जो बातें थी, ऐसी बात नहीं है कि वे पूरी नहीं हुईं लेकिन उनके विपरीत काम हुआ जिसकी वजह से लोगों का फूड इनटेक घटा है, अवेलिबिल्टी कम हुई है। हम महंगाई के बारे में तमाम बातें नहीं कहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं। जब मैं राज्य सभा का सदस्य था तब मैंने उनके बहुत कुछ सीखा। लेकिन पहले कहा गया कि फूड इनटेक कम रहा है, चूंकि आज कहा जा रहा है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ गई है। मैं अर्ली 90 में इंटरनेशनल मैगजीन देख रहा था उसमें आस्ट्रेलियन मैगजीन में आर्डर कार्टून था।

*[अनुवाद]*

यह कोई नया विश्व आर्डर नहीं है। यह गेहूं का नया आर्डर है।

*[हिन्दी]*

जो अमेरिका और वर्ल्ड बैंक उस कार्टून में कह रहे थे।

*[अनुवाद]*

बहुत अधिक धनराशि शामिल है।

*[हिन्दी]*

यह गेहूं का नया आर्डर है। मैं 1991 के आस्ट्रेलियन मैगजीन के कार्टून की बात कह रहा हूं जिसका हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा था और इसे हमने अपनी मैगजीन में रिप्रोड्यूज भी किया था। लेकिन हर बार इस किस्म की व्याख्या दी जा रही है, पहले कहा गया वामपंथी क्यों चीखते हैं कि सीरियल अवेलेबिलिटी कम है, दाल और चावल कम मिल रहा है, इनको मालूम नहीं है कि उदारीकरण से लोगों की अवस्था में परिवर्तन हो गया है, जो न्यू मिडल क्लास 20 करोड़ मार्किट की बात करते हैं वे पीजा खाते हैं, वे पेटीज खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, में विम्पीज में लाइन लगाते हैं, आप गेहूं चावल का हिसाब क्यों करते हो, वह तो कम ही जाएगा, लेकिन गेहूं चावल की अवेलेबिलिटी कम होने का मतलब यह नहीं है कि विकास घट गया बल्कि विकास अच्छा हो गया, तब यह व्याख्या दी गई। लेकिन अब क्या व्याख्या दी जा रही है कि लोगों के पास ज्यादा पैसे हो जाने से जब यह पैसा मार्किट में रश करता है तो ज्यादा पैसा होने से कमोडिटी की कीमत बढ़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, उन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं जो बारह या बीस रुपए से अपना संसार चला रहे हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं आया है कि वे चेज करें। जो बिलिनेयर्स हैं वे सड़क पर गेहूं और चावल के लिए लाइन नहीं लगाते हैं, जिनके पास पैसे हैं वे इस कमोडिटी को चेज नहीं कर रहे हैं, वे कमोडिटी को कन्ज्यूमर की हैसियत से नहीं बल्कि होर्डिंग के लिए, गोदाम में रखने के लिए चेज कर रहे हैं। एनडीए सरकार ने आने के पहले दिन से ही पहला काम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को तब्दील करने का किया था ताकि होर्डर्स को राहत मिल जाए, वे दूध, मक्खन, मलाई, घी देकर बनाएं और जय सिया राम हो गया, काम होने पर बोलें, इस तरह से उनका काम पूरा कर दिया। लेकिन मैं उनको नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि किस तरह से चार साल में इस स्थिति से निपटें? अगर आजादी के साठ साल बाद 21वीं सदी में लोग रात को खाना नहीं खाकर सोते हैं और बच्चे कुपोषण झेलते हैं तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? इस तरह से डिस्पेरिटी बढ़ रही है, हमारा अरमान बहुत दिन से था और अब प्रतिपक्ष के नेता आडवाणी जी से सुना और उन्होंने कोट भी किया, विमल जलान जी को भी कोट किया और एम.जे. अकबर को भी कोट किया कि डिस्पेरिटी बढ़ रही है। उन्होंने इस उम्र में इतने दिनों बाद एक चश्मा उतारकर दूसरा पहनने की कोशिश तो की। डिस्पेरिटी की बात कही गई, इनइक्वेलिटी बढ़ रही है। हमारे सामने मामला महाराष्ट्रियन-गैर महाराष्ट्रियन, मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुसलमान का नहीं है, मामला यह है कि इनइक्वेलिटी की खाई बढ़ रही है। हमने जो नियो लिब्रल पालिसी ली है और इससे बेशक पिछले 17 साल से उद्योग में कुछ फायदा हुआ है, हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चरल में फायदा हुआ है, शहरों में चकाचौंध हुई है, हम बहुत किस्म की गाड़ियों के माडल देख रहे हैं, एयर कंडीशन गरीब रथ भी चला रहे हैं।

जो लोग एक्सक्लूसिव पोलिटिक्स करते हैं, जो यह कहते हैं कि हमारे जैसा नहीं है, पीपल नाट लाइक अस, ये हमारी तरह भजन नहीं करते, हमारी तरह प्रार्थना नहीं करते, ये हमारी तरफ

लिबास नहीं पहनते। चाहे कोई भी हो, चाहे वह मुस्लिम फंडामैन्टलिस्ट हो, चाहे हिन्दू कम्युनल हो, क्रिश्चियन कम्युनल हो, उन लोगों की थ्योरी पोलिटिक्स में एक्सक्लूशन होती है। इससे अलग, उससे अलग, यह ऐसा नहीं, यह वैसा नहीं, अपने समाज के अंदर भी यह व्यवहार करते हैं। लेकिन यू.पी.ए. सरकार एक नई उम्मीद लेकर बनीं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम सबको साथ जोड़ लेंगे, सियासत में जोड़ेंगे, समाज में जोड़ेंगे और आर्थिक रूप से विस्तार के काम में भी उन्हें जोड़ना पड़ेगा। यह इनक्लूशन, ग्रोथ विद इक्युटी होगा, ग्रोथ अलोन जो 15 साल से इस देश में या पूरे विश्व में कहा गया, वह हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। वह एक लम्बे खम्बे जैसा होता है। इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में अगर एकाध खम्बा खड़ा कर देते हैं, वह बहुत टिकाऊ नहीं होता है। पिरामिड टिक गया, क्योंकि इंजीनियरिंग की बेसिक यूनिट ट्राइएंगल होता है। उसे सपोर्ट करने के लिए जब ट्राइएंगल बनाते हैं तो वह फिर टिक जाता है, पिरामिट इसी तरह का होता है। हमें ग्रोथ की कहानी सुनाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि इनक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है, अगर ग्रोथ थोड़ी नीचे भी हो जाए तो वह ट्राइएंगल के रूप में होनी चाहिए, उसकी बेस लाइन बढ़नी चाहिए, इक्युटी में ज्यादातर हिस्सों को वह छू रहा है या नहीं, यह 20-25 लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी आफ लाफ इनक्रीज करनी चाहिए, ताकि वह ग्रोथ को जाकर छू सके या ग्रोथ उसकी क्वालिटी आफ लाइफ को छू सके।

*[अनुवाद]*

यदि यह समीकरण नहीं है, तो हमारे आम आदमी के जीवन स्तर में विकास के साथ वृद्धि और समानता करना संभव नहीं होगा।

*[हिन्दी]*

तब यह सस्टेनेबल होगा। वरना हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। दो डिजिट्स ग्रोथ क्या है। हम अचीव कर सकते हैं। अभी भी अगर ग्रोथ इंजीनियरिंग में हम सबको नहीं जोड़ पाये हैं, सबको उसमें नहीं ले पा रहे हैं। हम 7 से 9 परसैन्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर हम बाकी हिस्सों को जोड़ सकते हैं, उसकी इनर्जी को और उसे भी अगर हम हम कदम बना सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं तो फिर हम यह अचीव कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। यू.पी.ए. सरकार का हम वामपंथी इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि प्रथम एक्सक्लूसिव पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, दूसरा एक्सक्लूसिव इकोनोमी नहीं होनी चाहिए, इनक्लूसिव होनी चाहिए, साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हम अगर आलोचना भी कर रहे हैं तो इसी कारण कर रहे हैं और उस आलोचना की एक लाइन भी कामन मिनिमम प्रोग्राम के बाहर नहीं है, बल्कि आलोचना उस उक्त होती है तो जब कामन या मिनिमम से हटकर बात हो रही है। कामन मिनिमम प्रोग्राम के आखिर में एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का हैडिंग है- 'ए फाइनल वर्ड'। अक्सर कामन मिनिमम प्रोग्राम कोटेड होते हैं, फाइनल्स वर्ड कोटेड नहीं होते हैं।

*[अनुवाद]*

यह संप्रग सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। यही एक समग्र एजेंडा है। यही शुरूआती बिन्दु है। मैं इन शब्दों पर जोर देता हूं। यह मुख्यत: प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों को उजागर करता है। संप्रग सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम दूसरे न्यूनतम साझा कार्यक्रम-सामूहिक अधिकतम कार्य-निष्पादन की आधारशिला है। इसलिए चौथे वर्ष के अंत में और पांचवें वर्ष के शुरूआत में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए न्यूनतम वादे के बारे में आपको स्मरण कराने को हमारी इच्छा नहीं है। इसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम है के अधिकतम निष्पादन के आधार का पता लगाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

हम अगर इसकी बैलेंसशीट लेते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम फरफार्मेंस स्टार्टिंग प्वाइंट से क्या हुए।

*[अनुवाद]*

मैं आपको शुरूआती बिंदु को दिलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में स्मरण करा रहा हूं। लेकिन आपको इसे यह कहकर चुप करा सकते हैं कि यह वर्ष 2004-05 में था। यही साझा न्यूनतम निष्पादन कार्ड है। यही उपलब्धि हमने पाई है। हमने वर्ष 2004 में शुरूआत की थी और यह वर्ष 2005, 2006 और 2007 तक जारी रहा। यह 2008 है और यह रिपोर्ट कार्ड है।

*[हिन्दी]*

तब इस अभिभाषण को हम कहते हैं कि यह समावेशी विकास है। आज हम यह कह रहे हैं कि हम समावेशी विकास की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसलिए जो यूफोरिया तैयार की जा रही है, हर एक मामले में आप देखें। जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। कामन मिनिमम प्रोग्राम में क्या था, मैं कोट नहीं करूंगा, चूंकि समय कम है। उसमें था कि हम एक कमीशन बनायेंगे, जो जांच करेगा और क्या स्थिति है, देखेगा। सरकार की

[मोहम्मद सलीम]

जो पोलिटिकल कमिटमैन्ट रहती है, वह इस सरकार की भी है, मैं उसे मानता हूं तो वह स्थिति का जायजा लेगी, उसके बाद कुछ कारगर कदम उठायेगी और उसके बाद कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में मार्च, 2005 में कमेटी बनी, मई, 2004 में सरकार बनी और मार्च, 2005 में कमेटी बनी। जून 2006 में रिपोर्ट देने की बात थी, नवंबर 2006 में रिपोर्ट दी, दिसंबर 2006 में रिपोर्ट पार्लियामैंट में पेश की गई। वर्ष 2007 चला गया, आप उसको हर सैशन में लिस्ट के आखिर में डाल देते हैं लेकिन आज तक हम उसको यहां पर चर्चा में नहीं लाए। "उम्रदराज मांगकर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह सूची में था। माननीय सदस्यों के पास इस पर चर्चा करने के लिए समय नहीं था।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** लेकिन क्या हुआ? एक तरफ तुष्टिकरण की बात करते हैं कि देखो सब मिल गया। सच्चर कमेटी रिपोर्ट को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। लेकिन वह कोई प्रैस्क्रिप्शन नहीं है और वह कोई बीमारी भी नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि वह बीमारी है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि यह प्रैस्क्रिप्शन है, सब कुछ दे दिया गया। वह एक डायग्नास्टिक रिपोर्ट है। क्या हालत है माइनारिटीज की, हमने कहा कि इसका ब्लड टैस्ट कर दो, ब्लड प्रैशर देख दो, शुगर देख दो और वह रिपोर्ट आपके सामने लाकर डाल दी गई कि इतने दिनों से जैसे आप समझ रहे थे कि बहुत तुष्टीकरण हुआ, बहुत अपीजमैंट हुआ, आजादी के बाद सब कुछ मुसलमानों को मिल गया, ऐसा नहीं है। बल्कि उनकी हालत और बिगड़ गई है और स्थिति दयनीय हो गई है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके अनुसार काम करे। सरकार ने मई 2007 में इस विषय को कैबिनेट चर्चा में लिया। मैंने घोषणा सुन ली। संसदीय कार्य मंत्री जो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, उन्होंने बाहर आकर कहा कि हम यह करेंगे। अगस्त 2007 में माइनारिटीज अफेयर्स मिनिस्टर आकर दिया

*[अनुवाद]*

अनुवर्ती कार्रवाई की जाए न कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट।

*[हिन्दी]*

पहली बार इंडियन पार्लियामैंट में एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आई।

*[अनुवाद]*

सरकार रखे गए अनुवर्ती कार्यवाही पर विचार कर रही है।

*[हिन्दी]*

जो मई में प्रैस रिलीज थी, अगस्त में फालो अप एक्शन टु बी टेकन भी वही थी। आज बजट में भी वही बात कही जा रही है। पिछले साल मैंने बजट के अगले दिन इंडियन एक्सप्रैस देखा। उसमें लिखा था-

*[अनुवाद]*

अल्पसंख्यकों को बहुत बड़ा फायदा हुआ।

*[हिन्दी]*

चूंकि घोषणा हो गई इसलिए बिग डील! पिछले साल बजट में कहा गया 500 करोड़ रुपये माइनारिटीज वैलफेयर के लिए दिये गये पूरे डिपार्टमैंट का खर्चा-कैपिटल आउटले। रिवाइज्ड में खामोशी से उसको 350 करोड़ कर दिया गया। वह घोषणा नहीं होती है, वह बात अभिभाषण में नहीं आती है। 500 करोड़ रुपये की घोषणा हो गई, अखबारों में हैडलाइन्स आ गई, रिवीजन में 350 करोड़ रुपये हो गया। मैं चैलेन्ज करके कहता हूं कि 31 मार्च के बाद जो एक्चुअल रिपोर्ट आएगी, वह 200 से 250 करोड़ रुपये होगी। फिर इस बार की घोषणा में आप 1000 करोड़ कर दो। लालकिले से आप बोल दो और अखबार कहेंगे बिग डील। आप कहेंगे चलो बहुत हो गया, तुष्टीकरण हो गया, सबको बहुत मिल गया। तो ये बेचारे मुसलमानों की हालत सैंडविच की तरह हो रही है। एक तरफ आर्ग्यूमैंट है कि बहुत कुछ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से बहुत कुछ दिखाया जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। फिर मैं अगर कामन मिनिमम प्रोग्राम पढ़कर सुनाऊं तो उसमें प्रोफैशनल एजुकेशन, टैक्निकल एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार, उसकी बढ़ोत्तरी के लिए, कोई टोकनिज्म के लिए नहीं कि चंद उलेमाओं और मौलानाओं को बुलाएं, एक ट्रेडीशनल फोटो हो जाए, आप कुछ कहें कि हमने कुछ कब्रिस्तान दे दिया, कुछ वक्फ दे दिया, कुछ हज कर दिया। नहीं। 21वीं शताब्दी के विकासशील देश जो विकसित होना चाह रहे हैं, उसके आधुनिक नागरिक के रूप में उसको आधुनिक शिक्षा चाहिए, तकनीकी शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार के आधुनिक साधन चाहिए। वह बुनकर होकर जी नहीं पा रहा है, खेती में जी नहीं पा रहा है। इसलिए उसको मार्डन प्रोफैशन के लायक बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। सच्चर कमेटी ने आंख में अंगुली देकर वह बात गिना दी है। हम इसे पोलिटिकल कंट्रोवर्सियल एजेन्डा बना रहे हैं। हम इसे इलेक्शन का एजेन्डा बना रहे हैं।

*[अनुवाद]*

इस तरह या उस तरह

*[हिन्दी]*

उससे हालत और भी खराब होगी। फिर कभी एक रिपोर्ट आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि

*[अनुवाद]*

आपको याद होगा कि इस समिति का नाम 'प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय समिति' था। प्रधान मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है।

*[हिन्दी]*

यह सच्चर कमेटी कोई पार्लियामैंट्री कमेटी नहीं थी, दूसरी कोई एक्जीक्यूटिव कमेटी नहीं थी,

*[अनुवाद]*

यह प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति थी।

*[हिन्दी]*

हाइ लैवल कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, लोग उसके बाद देखेंगे कि

*[अनुवाद]*

प्रधानमंत्री ने कैसे पहल की है। पंद्रह प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण

*[हिन्दी]*

अभिभाषण में है। अभिभाषण में यह बात है कि प्रायारिटी सैक्टर लैन्डिंग जो 40 प्रतिशत प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है वीकर सैक्शंस के लिए, वह माइनारिटीज को 15 प्रतिशत मिलनी चाहिए। इतनी दी जा रही है, लेकिन बजट भाषण में उसका जिक्र नहीं है। मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि किस तरह से झांसा दिया गया। हां बजट भाषण में कहा गया कि हमने बैंक की शाखाएं खोल दी हैं तथा और भी शाखाएं खोल देंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की अवमानना हो रही है। कहीं भी प्रोग्राम में 15 परसैंट नहीं है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है कि सरकार प्रायरटी सैक्टर में 15 फीसदी वीकर सैक्शन में माइनोरिटीज के लिए लोन देगी। अगर 15 प्रतिशत को 40 प्रतिशत के अंदर देते हैं तो सौ प्रतिशत में कितने होते हैं, छः प्रतिशत। देश में 13 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, उनमें छः प्रतिशत वीकर सैक्शन के लोगों को लोन मिलना चाहिए या नहीं? नहीं तो उनका विकास कैसे होगा, वे कारोबार कैसे करेंगे? यह आजादी के बाद स्कवीज हो गया है, उसे आपको फिर से खोल देना है। लेकिन आपका वित्त मंत्रालय, बैंकिंग डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक नहीं चाहते। मेरे पास पी.एम. कार्यालय की चिट्ठी है। वित्त मंत्रालय के दफ्तर से खत वित्त मंत्रालय को लिखे गए, अभिभाषण तो अभी आया। पिछले साल मैंने सिफारिश की थी कि सन् 2007 में 15 प्रतिशत प्रायोरिटी सैक्टर की लैंडिंग माइनोरिटीस के लिए दी जाए, वे छोटे-छोटे कारोबार करेंगे। आप देखेंगे कि इस देश में मुसलमान होटल चलाते हैं, लेकिन वे टू स्टार, थ्री स्टार एवं फाइव स्टार होटल्स नहीं हैं। वे गैराज चलाते हैं, वह ट्रांसपोर्ट कम्पनी नहीं है। वे ड्राइवर, खलासी हैं लेकिन उनके पास बस लाइनर्स नहीं है, इसलिए वे स्कीवज हो गए हैं। उन्हें अगर यह क्रेडिट दिया जाएगा तो उनके पास जो हुनर एवं दिमाग है, उसे वे काम में लगाएंगे और अपग्रेड करेंगे, उससे वह अच्छा काम करेंगे। अगर उन्हें लोन मिलेगा तो उससे वे आधुनिक उपकरण खरीदेंगे। वे लोन लेंगे, कोई भीख नहीं। बलराज साहनी जी की एक फिल्म गर्म हवा थी, जो आजादी के बाद बनी थी, उसमें यह साट था। मुझे याद है कि वह एस.एम. सथ्यु की फिल्म थी। पार्टिशन के समय बलराज साहनी जी काम कर रहे थे, उनका जूतों का अच्छा कारोबार था। कर्फ्यु लग गया, पार्टिशन हो गया और देश का बंटवारा हो गया। झगड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे हिन्दुस्तान में ही रहेंगे। कानपुर के एक व्यवसायी मुस्लिम करेक्टर अदा कर रहे थे। वे बैंक में गए, वहां उन्होंने कहा कि आइए, समोसा खाइए, चाय पीजिए, पुराने कारोबारी है। उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम समझते हैं, आर्डर हमारे पास है, लेकिन काम बंद है, आप अगर कुछ कर्ज दे देंगे तो हम फिर से काम शुरू कर देंगे। फिर मैनेजर कहता है कि आप इधर रहेंगे या पाकिस्तान जाएंगे? यह तो हमें मालूम नहीं है। श्री सथ्यू ने उसे बड़ी संवेदनशीलता के साथ डील किया। बलराज साहनी जी बहुत पावरफुल एक्टर थे। वे वहां से वापस निकले, उनके गेट के सामने एक शाट जूम करके सिर्फ बलराज साहनी का चेहरा देख पाए। आजादी के 60 साल बाद भी वह चेहरा बदला नहीं है। क्रेडिट स्कवीज हो गए। यूपीए सरकार से यह उम्मीद थी, इनक्लुसिव ग्रोथ का यही मतलब है कि उसे ओपन कर देना पड़ेगा। आप अर्थशास्त्री, फार्मर गर्वनर, रिजर्व बैंक, फार्मर वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के रूप में लिख रहे हैं और वह मान्यता नहीं हो रही है। अगर मान्यता होती तो जब इस बजट को चुनावी भाषण बोला जा रहा था तो उस बजट में वित्त मंत्री जी के भाषण में मैं यह सुनता कि वहां इस अभिभाषण का वहां पर इको होता है कि हमने घोषणा कर दी है, अगले साल 15

[मोहम्मद सलीम]

प्रतिशत प्रायोरिटी सैक्टर में माइनोरिटीस को लोन मिलेगा, लेकिन यह नहीं है।

*[अनुवाद]*

कृपया आप इसे एक चुनौती के रूप में लें, प्रधान मंत्री जी। यह न्यूनतम कार्यक्रम है।

*[हिन्दी]*

हम इतनी मिनिमम बात अपनी सरकार में बोल रहे हैं, उसके बाद यह सरकार नहीं चलेगी। आप वामपंथियों को लांछन देते हैं, वामपंथी सरकार यह काम करने नहीं देती, वामपंथी मिनिमम प्रोग्राम के बाहर जो कार्यक्रम हैं, उन पर हम रोग लगा रहे हैं, लेकिन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो कार्यक्रम है, प्राइम मिनिस्टर की जो हाई पावर कमेटी डिसीजन लेती है, जो प्राइम मिनिस्टर के आफिस में चिट्ठी लिखी है और उस पर अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री यह कहती है कि हम यह नहीं करेंगे तो किस के ऊपर वह लांछन होगा? हम बहुत सारी बातें बजट पर कह सकते हैं, जब चर्चा होगी तो तब हम कहेंगे, लेकिन वह एक टोकनजिम नहीं है।

*[अनुवाद]*

कुछ ठोस कदम, कोई सांप्रदायिक एजेंट नहीं और कोई सांप्रदायिक रंग नहीं।

*[हिन्दी]*

यह सेंटीमेंटल इमोशनल इश्यु भी नहीं है।

*[अनुवाद]*

कुछ ठोस कठोर अर्थव्यवस्था, शैक्षिक मुद्दे

*[हिन्दी]*

जो काम करें, सोशली, इकोनोमिकली, एजुकेशनली एजवांस करने में मदद करेंगे। इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड देंगे, इक्वल फुटिंग पर माडर्न इंडिया में अच्छे नागरिक हो सकेंगे। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा।

*[अनुवाद]*

इसके लिए भी समय कम है। आपको इसे चुनौती के रूप में लेना है।

*[हिन्दी]*

ये सिर्फ धर्म के दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक का मामला नहीं है, भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक की भी समस्या है।

*[अनुवाद]*

एक प्रकार की अर्थव्यवस्था को वे लागू कर रहे हैं। पलायन पूरी दुनिया में हो रहा है। यह होता रहेगा। आवधिक पलायन हो रहा है।

*[हिन्दी]*

गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है। इस जगह पर हम अगर यह पाते हैं कि जो हमारी आलीशान मुंबई नगरी है, उसके बारे में इसी यूपीए सरकार के तीन साल पहले के बजट में यह कहा गया है कि हम इसे एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेन्टर बनाना चाहते हैं। उस समय कहा गया था कि टोक्यो और लंदन के बीच एक फाइनेंशियल सेंटर होना चाहिए, जो कि मुंबई ही हो सकता है। मैं कलकत्ता को रिप्रेजेंट करता हूं। आजादी के बाद डेलीबरेटली रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए कलकत्ता से स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर ले जाया गया, बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स वहां से ले जाए गए, क्योंकि उस समय हमारी लुक वेस्ट पालिसी थी। हम चूंकि मिडिल ईस्ट को सर्व करना चाहते थे, अमेरिकन मार्केट में जाना चाहते थे, पोस्ट सेकण्ड वर्ल्ड वार में सिनौरियो ऐसा था कि हमारी इकोनामी वेस्ट-बाउण्ड थी। अब हम लुक ईस्ट की बात कह रहे हैं, लेकिन हम फिर पैट्रोनाइज कर रहे हैं। राष्ट्रपति के भाषण में कहा गया है कि रीजनल इंबैलेंस को दूर करना पड़ेगा। हमने इसे दूर करने के लिए बैकवर्ड रीजन फंड बनाया है, कुछ लागत लगाई है जिसकी हम सराहना करते हैं। आजादी के बाद बहुत दिनों तक जम्मू-कश्मीर, नार्थ-ईस्ट, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर देखा नहीं गया था, उनके लिए कुछ योजनाएं दी गयी हैं। इस तरह इन बैकवर्ड रीजन्स को खुश करने की कोशिश की गयी। लेकिन क्या इतनी कोशिश की गयी है कि हम पांच साल बाद जाकर यह दिखा सकें कि पहले हम यहां पर थे, अब वहां पहुंच गए हैं। अगर लोगों ने इन्टरनल माइग्रेशन किया, तो वह उनका संवैधानिक अधिकार है। वहां पर राजनेता बनकर भड़काऊ भाषण देंगे, लोगों को मारा जाएगा, हाथ काटा जाएगा, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के हैं, यह कहा जाएगा और उन्हें वापस किया जाएगा, तो ऐसे में गेहूं के साथ-साथ घुन भी पिस जाएगा। बंगाल के 27,000 कारीगर जो जेम्स एण्ड ज्वैलरी में काम करते थे, वे भी पिछले एक महीने में वापस मिदनापुर जिले में चले गए। साठ-सत्तर के दशक में यह समझा गया था कि ऐसी बात लेफ्ट को थोड़ा टाइट कर देगी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत मिलिटेंट है, इसे थोड़ा खत्म कर देगा मुंबई से। आज की यह घटना उसकी धरोहर है। जब वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करने की बात करते हैं,

*[अनुवाद]*

तब, आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक रूप से सोचते हैं; और आप राजनीति और समाज के क्षेत्र में स्थानीय और संकीर्ण दृष्टि से सोचते हैं।

*[हिन्दी]*

यह 21वीं सदी की एक बड़ी चुनौती है। यदि हम वैश्विक तौर पर नस्लीय, भाषायी, धार्मिक मुद्दे एड्रैस नहीं करेंगे, बढ़ावा देंगे अथवा सौदेबाजी करेंगे, जैसा कि मुम्बई में हुआ है। यह गलत हुआ है। यूपीए सरकार से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे कामन मिनीमम प्रोग्राम में यह है कि हम ऐसी सभी ताकतों से सांप्रदायिक, कट्टरपंथी संकीर्ण रुढ़िवादी..... जो सर उठाने की कोशिश करेगी, उससे हम निपटेंगे। फिर आपकी सरकार ने मुम्बई में क्यों नहीं किया? केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश क्यों नहीं दिया? आपके गृह मंत्री वहां क्यों नहीं गए, जबकि वे महाराष्ट्र से ही आते हैं। इस सब पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यदि इस तरह की घटनाओं पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो वह धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। मैं कोलकाता से आता हूं,

*[अनुवाद]*

यह अल्पसंख्यकों और बांग्ला भाषी लोगों का एक महानगर है।

*[हिन्दी]*

बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, गुजरात और पंजाब के लोग वहां हैं और यह फख्र की बात है। इकानामी के इंजन को चलाने के लिए सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। यदि इस तरह से होगा तो यह फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा और यह बढ़ता जाएगा। इसलिए कामन मिनीमम प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में ही यह है और

*[अनुवाद]*

मुझे आपको एक बार फिर स्मरण कराना है। मैं यह उद्धृत करूंगा। यह कहता है:

> "सामाजिक सौहार्द को, न कि सांप्रदायिक विचारों को बचाना, संरक्षित करना तथा बढ़ावा देना और सामाजिक सद्भाव तथा शांति में बाधा डालने वाले सभी रुढ़िवादी और कट्टरपंथी तत्वों से निपटने के लिए निर्भीकतापूर्वक बिना किसी पक्षपात के कानून को लागू करना।"

*[हिन्दी]*

लेकिन मुम्बई में जो कुछ हुआ है, क्या वह इससे मैच करता है। मैं लेफ्ट की तरफ से बोलते हुए कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं। हमने इस सरकार का चार साल से समर्थन किया और करेंगे, लेकिन किस आधार के ऊपर खरा उतरना चाहिए, कौन इसे करेगा, कोई यार्डस्टिक तो होना चाहिए। सीएमपी यह यार्डस्टिक है। यह मैं पढ़ रहा हूं, यह स्थिति हो रही है। यह हमारे लिये है, आगे अलग बात थी कि हमने कुछ लिख दिया, कुछ पढ़ दिया, कुछ बोल दिया और बाद में फिर पांच साल बाद देखा जायेगा, लेकिन जब लैफ्ट इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है तो हम यह चाहेंगे कि आपने जो लिखा, आपने जो सही किया, आपने जो वायदा किया, वह निभाना पड़ेगा।

इसी के साथ इण्टरनल सिक्योरिटी का मामला है। मैं पोलिटिकल पाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**श्री धावरचन्द गेहलोत** (शाजापुर): जो वायदा किया, वह किसको मालूम है।

**मोहम्मद सलीम:** मैं इसीलिए तो याद दिला रहा हूं। इण्टरनल सिक्योरिटी की बात प्रतिपक्ष के नेता ने भी कही है। आन्तरिक सुरक्षा का जो मामला है, बेशक उसमें कुछ सुधार हुआ है। हम जब कश्मीर की तरफ देखते हैं, कुछ सुधार हुआ है। नोर्थ ईस्ट में कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार प्रयास में भी है। आपको ऐसी शक्तियों को पनपने से रोकना पड़ेगा, कुछ सख्ती से समझौता करने से अपने लालच को संभालना पड़ेगा कि हम फिर से ऐसी किसी शक्ति को पोलिटिकल प्रेस्टीज दे दें और इक्वल पैडस्टल पर लाकर बिठा दें और फिर वह देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी छोटे-मोटे चुनावी फायदे के लिए काम कर लें। नोर्थ ईस्ट में ऐसा ही हुआ, कश्मीर में ऐसा ही हुआ। वर्षों से ऐसे खेल खेलने से बाद फिर वे खून की होली खेले। ...*(व्यवधान)* हां, बंगाल में भी हुआ। बंगाल में नन्दीग्राम हमारे लिए एक मिसाल है। वर्ष 2007 में इसके लिए बहुत...*हमें सुननी पड़ी। मैं अभी नन्दीग्राम के बारे में कह रहा हूं। आप जानते हैं कि जो माओविस्ट के लीडर्स पकड़े गये, नवम्बर में झारखण्ड में यादव और फरवरी में बंगाल में अभी हमारे यहां सोमेन पकड़े गये। क्या डाक्यूमेंट्स निकल रहे हैं, क्या इन्फोर्मेशंस निकल रही हैं। झारखण्ड, बंगाल, बिहार के एरिया कमाण्डर पकड़े जा रहे हैं, उनकी पाकेट में मेनस्ट्रीम पार्टी, जो एन.डी.ए. की अभी भी मैम्बर हैं, तृणमुल कांग्रेस का खत मिल रहा है। वे अपने बयान में बोल रहे हैं कि हमें बुलाया गया था, हम लोगों ने लोगों को भेजा है, हमने ट्रेनिंग दी है। ऐसे लोग भी पकड़े गये हैं, जो कहते हैं कि हम वहां औजार लेकर गये थे और वहां लड़े ए.के. 47 से हैं। पूरे देश के अन्दर माओविस्ट के बारे में आपने कहा जो इण्टरनल सिक्योरिटी कांफ्रेंस हुई थी,

*[अनुवाद]*

यह सबसे बड़ी चुनौती है।

*[हिन्दी]*

और उसी माओविस्ट के बंगाल के एक नम्बर लीडर, जो स्टेट के सैक्रेटरी जनरल हैं, वे पकड़े गये हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली): वे एन.डी.ए. में कहां हैं, वे कांग्रेस के साथ हैं। यह कहने में आपको डर लग रहा है क्या? आपको हमने ज्यादा जानकारी है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने नहीं सुना है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** अच्छी बात है। चलो, ठीक है।

*[अनुवाद]*

मैं अपनी बात ठीक करता हूं।

*[हिन्दी]*

दिक्कत यह है कि वह एक माया है। आप समझ रहे हो, आपके साथ है और आप समझ रहे हो, आपके साथ है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सलीम, आपके दल के दो और माननीय सदस्यों ने नाम भेजे हैं। आप समय ले सकते हैं लेकिन अन्य सदस्यों का समय घटा दिया जाएगा।

...*(व्यतधान)*

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** मैं यह कह रहा हूं कि सिर्फ उनको क्यों बदनाम करें, सब बड़ी-बड़ी पार्टियां और आडवाणी जी क्या दो बार नन्दीग्राम नहीं गये? दांतेवाड़ा में कितनी बार गये? दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में माओविस्ट इलाका है, वहां बी.जे.पी. की सरकार है। अभी अजीत जोगी बोल रहे थे कि 44 हजार हैक्टेयर जमीन में फसल नहीं उगी, खेती नहीं हुई, दांतेवाड़ा जिले के 70 हजार किसान सिर्फ कैद में नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइये। ऐसा मत करिये।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें। माननीय सदस्य नहीं सुन रहे है।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** वहां से उनका पलायन हुआ है, यह सरकारी आंकड़ा है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा से लोग सलवा जुडूम के नाम पर भागे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं बार-बार कह रहा हूं कि माओविस्ट थ्रेट को आप नैरो पोलिटिकल मामले से मत देखिये। हम तो नहीं छिपा रहे, आप क्यों छिपा रहे हैं। दांतेवाड़ा में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर चुनौती है और आप स्वीकार नहीं करोगे, सच्चाई को नहीं देखेंगे तो स्वीकार कैसे करेंगे। उसे छिपाकर क्या होगा। पहले इसे बहुत दिन तक छिपाकर रखा गया। हम तो बोल रहे हैं कि यह गलत है। आंध्र प्रदेश में पी.डब्ल्यू.जी. वाया छत्तीसगढ़ बंगाल के बोर्डर में, झारखंड के बोर्डर में, उड़ीसा के बोर्डर में या छत्तीसगढ़ के कोरीडोर को इस्तेमाल करके वहां पनपाया। आज वे उसे बंगाल में और उड़ीसा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह तो सबका मामला है।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी): नेपाल में तो ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सलीम, यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप बैठ जाइए। अन्यथा यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपनी बात जारी रखें। आपका समय समाप्त हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** लगता है, पालिटिकल साइंस फिर से पढ़ना होगा। नेपाल के माओइस्ट और झारखंड तथा उड़ीसा के माओइस्ट एक नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** आपसे ज्यादा पढ़ा है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मोहम्मद सलीम:** आप केवल झंडे का रंग देखकर कह दें कि एनडीए में चले गए। ...*(व्यवधान)* आपको राजनीति शास्त्र देखना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** आप जैसे पैंडुलम नहीं हैं।

**मोहम्मद सलीम:** इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बार-बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप भी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को रोकिए, इक्का-दुक्का का ही फायदा होगा, ज्यादा नहीं होगा। आप पैंडुलम की बात कह रहे हैं, झारखंड में जो पार्टी का नेता पकड़ा गया, जो डाक्यूमेंटेड है, पुलिस के सामने वे बोले हैं, ऐसे मंत्री उसको इस्तेमाल किए हैं, जो बीजेपी सरकार में थे और अभी मधु कौड़ा जी की सरकार में भी हैं, वह डाक्यूमेंटेड हैं। वह पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि नंदीग्राम में भी इसी तरह है, बड़ी परेशानी है, लार्जर ईश्यू है, लेकिन माओइस्ट इस तरह के ईश्यू को इस्तेमाल करके, इस तरह से जो फंडामेंटलिस्ट फोर्स है, जो टेररिस्ट फोर्स है, ऐसे वातावरण का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस चुनौती को नहीं समझते हैं, तो बड़ी परेशानी होगी। ...*(व्यवधान)*

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सलीम साहब, जो 14 किसान मारे गए, क्या वे माओइस्ट थे? जवाब दीजिए। ...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** जो बात बोले नहीं हैं, जो हम नहीं बोल रहे हैं, वह क्यों बोल रहे हैं?

**श्री अधीर चौधरी:** वे माओइस्ट हैं या नहीं? ...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** हम तो उनको किसान बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री चौधरी, यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** जितनो को कत्ल किया, वे क्या-क्या थे, आप जिनको मारे अपने हाथ से गोलियां चलाकर, उनका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)**

**श्री अधीर चौधरी:** ...*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसे हटाया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** यह सैंपल है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री चौधरी, मैं इस प्रकार की भाषा की अनुमति नहीं देता हूं। यह सही नहीं है। इसे हटाया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मोहम्मद सलीम, क्या आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करेंगे?

**मोहम्मद सलीम:** महोदय यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करेंगे?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मोहम्मद सलीम, क्या आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करेंगे? आपका समय बीता जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री लाहिरी, कृपया बैठ जाएं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** मैं यह देखना चाहता था कि किसी कांग्रेस नेता अथवा उनके मंत्री में इसका सामना करने की हिम्मत है अथवा नहीं ...* उनके श्रेणी में। क्या किसी मंत्री अथवा कांग्रेस नेता में इसका सामना करने की हिम्मत है .... मुझमें हिम्मत है। मैं उसका सामना करना सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मो. सलीम, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार व्यक्त करें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं अगले वक्ता को बुलाता हूं।

**मोहम्मद सलीम:** जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है। आप क्या कर रहे हैं? मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री लाहिरी, आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाएं। आप अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं। श्री लाहिड़ी जी आप अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** आपके संसद सदस्य स्वयं की रक्षा करने में सक्षम हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। आप अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** एक भी शब्द रिकार्ड नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मोहम्मद सलीम, आपने अपना भाषण समाप्त कर लिया है। श्री रमेश दूबे।

**मोहम्मद सलीम:** महोदय, मैंने समाप्त नहीं किया है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप रूक क्यों रहे हैं?

**मोहम्मद सलीम:** महोदय, यदि कोई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि *...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। मैं उसे बाद में देख लूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मोहम्मद सलीम:** केवल इसी आश्वासन पर मैं बोलना जारी करूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार:** आप चाहे कुछ भी कहें, आप इतने वर्षों से सरकार में रहे तो सारे गलत काम दूसरे लोगों ने किए और आपने कुछ नहीं किया। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री संतोष गंगवार, कृपया ऐसा न करें। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री सलीम, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो चुका है।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** इसी तरह इंटरनल सिक्युरिटी में जो टैरेरिज्म का मामला है, वह भी एक बड़ा थ्रेट है। हम देखते हैं कि जो भी खतरनाक वाक्या हुए हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। इसी सदन में जब इंटनरल सिक्युरिटी के बारे में डिबेट हुई थी, तब हमने कहा था कि एक भी सुराग नहीं मिला, कनक्लूजन नहीं हुआ। उसकी सही इन्वैस्टीगेशन होनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले ऐलान हो जाता है, कुछ संगठनों का नाम बोल दिया जाता है, पुलिस कहती है कि हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया और उसके बाद देखा जाता है कि कहीं नहीं है, चाहे वह मालेगांव हो या कहीं भी हो। अभी तमिलनाडु में तेनकासी में एक ब्लास्ट किया गया। तमिलनाडु पुलिस *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मोहम्मद सलीम, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** महोदय, मैं तमिलनाडु पुलिस को बधाई देता हूं। उन्होंने इन्वैस्टीगेट किया कि किस तरह से बम ब्लास्ट किए गए और हिन्दु मुन्नानी आफिस में और बाद में पुलिस ने इन्वैस्टीगेट करके निकाला कि खुद हिन्दु मुन्नानी के कार्यकर्ताओं ने वहां बम ब्लास्ट करवाए और वहां टोपी रखकर गए। उसके बाद अखबारों में पहले दिन आ गया कि मुसलमानों ने किया। जब ऐसा नजरिया हो रहा है, मैं यह नहीं कहता कि कोई गलती नहीं

हुई, लेकिन उसकी सही इन्वैस्टीगेशन होनी चाहिए। पहले से कोई प्री-कन्सीव नोशन नहीं होना चाहिए।

मैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में कहूंगा, अभिभाषण में भी सही कहा गया कि हम सब देशों के साथ संबंध चाहते हैं। लेकिन खुद यूपीए सरकार जानती है कि न्यूक्लियर डील के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। मेकेनिज्म है, बातचीत चल रही है, आईएईए में बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री जी का आज का बयान और अभिभाषण में भी फिर वही कामन मिनिमम प्रोग्राम के बाहर है, सरकार के कार्यक्रम के बाहर है। जब तक सरकार फैसला नहीं करती है, इस मामले को नहीं छोड़ना ही अच्छा है। चूंकि राबर्ट गेट्स से लेकर एक के बाद एक सिनेटर्स आ रहे हैं, रोजाना थ्रेट किया जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, इस जगह हम समझते हैं कि सरकार को अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए कि हम अभी किस स्थिति में हैं।

आखिर में मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि इजराइल जिस तरह से गाजा में हमले कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** सलीम जी, बेहतर होगा अब आप अपनी बात समाप्त करें। आपके दल के लिए आबंटित समय समाप्त हो चुका है।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** इंटरनैशनल फोरम में हमारी एक अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ यह कह देना कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, इतना कहना काफी नहीं होगा, इजराइल का जो मामला है, उसे हमें कनडैम करना चाहिए, उसके बजाए हम उसके स्पाई सेटेलाइट को महाकाश में भेज रहे हैं, किसी ज्ञानवर्धन के लिए नहीं बल्कि स्पाइंग के लिए, यह अफसोसनाक है। यह भी यूपीए सरकार के मैनडेट से बाहर ओवर स्टैपिंग है। मैं समझता हूं कि इजराइल से जिस तरह से ग्रोइंग इंगेजमैंट हो रहा है, वह हमारे देश के लिए भी सही नहीं है और हमारे देश की इंटरनैशनल स्टैंडिंग के लिए भी सही नहीं है। इसी तरह से कोसोवो का मामला भी है। चूंकि भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, युगोस्लाविया हमारा पुराना दोस्त था। जिस तरह से नेटो फौजें वहां पहुंची और कोसोवो ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी, भारत सरकार को इससे समझना चाहिए, हमारे यहां भी इनसर्जैंसी है, हमारे यहां भी कुछ लोग अलग-अलग रहना चाहते हैं। इसकी टेंडैंसी बढ़ रही है। अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी मिलकर देश का विघटन कर रहे हैं, बालकनाइजेशन कर रहे हैं, भारत को कम से कम अपने सामने आइना रखकर इस पर विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए और एक ठोस कदम उठाकर कहना चाहिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी बात को, समझ को अपने राजनीतिक दर्शन पर नहीं बोल पाएंगे तो हम जानना चाहते हैं कि हम किसके डर से नहीं बोल पा रहे हैं।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि बोल, अब भी लब तेरे आजाद हैं।

**श्री रमेश दूबे** (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहना चाहता हूं कि जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया बोल रही थीं, मैं पहली बार उनका अभिभाषण सुन रहा था, मैं भाव विभोर हो उठा था। उनके भाषण में भारत के गरीब, अमीर, किसान, मजदूर सभी की समस्याओं का दर्शन हो रहा था। जहां तक सामूहिक ग्रोथ की जो बात यहां कही जा रही हैं, मेरे साथी ने कहा, प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा, मैं उनसे करीब-करीब सहमत हूं। अमीर-अमीर हो रहा है, गरीब-गरीब हो रहा है। अभी यहां बीस कुबेर लोगों का उदाहरण दिया गया। अगर यह इस तरह बढ़ता रहेगा तो एक दिन निश्चित तौर से हम इन बड़े कुबेरों के हाथों में रह जाएंगे और उन्हीं के माध्यम से सारी सत्ता और शासन यहां चलता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मुम्बई के बारे में हमारे एक साथी ने चर्चा की थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह बहुत ही खराब घटना थी। उसका जितना विरोध किया जाये, उतना ही कम है। लेकिन जब यह घटना घट रही थी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मारे जा रहे थे, उस समय केन्द्र सरकार के राज्य गृह मंत्री और दूसरे मंत्री वहां भोजपुरी फिल्म का अवार्ड बांट रहे थे। हजारों पुलिस वालों की व्यवस्था लगाकर वह अवार्ड बांट रहे थे। उनके मन में यह तक नहीं आया कि वे अस्पताल में भर्ती लोगों को जाकर देखते या उन लोगों के बारे में दो शब्द बोलते। लेकिन वे वहां न बोलकर यहां दिल्ली में आकर प्रैस कांफ्रेंस करते हैं, इस बात का हमें बहुत दर्द है। केन्द्र सरकार के लोग आयें और ऐसे मौकों पर चर्चा न करें, यह बड़ी दुखद बात थी।

महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने यहां पर कुछ संस्थानों के नाम का उद्धरण किया जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदि। सभी नेताओं के बारे में हम लोगों के मन में बड़ा सम्मान है।

**अपराह्न 5.41 बजे**

**[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं*]**

*[हिन्दी]*

उन संस्थानों को जो नाम दिया गया है, उसमें हम लोगों का कहीं कोई विरोध नहीं है। हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसे

[श्री रमेश दूबे]

संस्थानों का नाम देते समय एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि समाज परिवर्तन के लिए जिन संतों ने काम किया है चाहे महात्मा फूले हों, साहू जी महाराज हों या सावित्री भाई फूले हों, उन लोगों के नाम भी संस्थानों को दिये जाने चाहिए ताकि उनके बारे में भी लोगों की याददाश्त बनी रहे।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों के दर्द को समझा और उनके दिशा-निर्देश पर किसानों का कर्ज माफ हुआ, यह सराहनीय बात है। मैं इसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया गया है। उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने वहां के विकास के लिए 88 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था, लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और न ही उस बारे में कोई बात की गयी। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के विकास का अनदेखा किया गया है, फिर भी हम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद का समर्थन करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं।

**सभापति महोदय:** श्री बी. मेहताब-अनुपस्थित।

श्री अजय चक्रवर्ती-अनुपस्थित।

श्री आलोक कुमार मेहता।

**श्री आलोक कुमार मेहता** (समस्तीपुर): सभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उन्हें अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में इन्क्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास के संदर्भ में विस्तारपूर्वक एक चित्र प्रस्तुत करने का काम किया। सबसे पहले उन्हें मैं बधाई देता हूं कि इस देश की प्रथम नागरिक, वह भी महिला ने पहली बार राष्ट्रपति महोदय के रूप में सदन के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए देश के इन्क्लूसिव ग्रोथ के नक्शे को यहां पर रखा। भारत निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन आदि जो मिशन और योजनाएं हैं, जिनको लेकर यूपीए सरकार ने पिछले चार वर्षों में विकास के मामले में एक मील का पत्थर स्थापित किया है, उसका एक चित्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में दिखता है। इस चित्र को पिछले चार वर्षों में आम जनता और जनप्रतिनिधियों ने देखा है, उससे यह महसूस होता है कि इस सरकार ने गांव के अंतिम छोर तक बसने वाले लोगों और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों के साथ न्याय करने की एक कोशिश की है। चार वर्षों में 9 प्रतिशत विकास दर देना एक उपलब्धि है। इस वर्ष का रेल बजट और सामान्य बजट आया है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी पता नहीं क्यों देश की प्रथम नागरिक के अभिभाषण में भी अपने आप को संयमित नहीं कर सके और अब सदन में भी उस गरिमा का ख्याल अवश्य रखना चाहिए था क्योंकि यह देश की प्रथम नागरिक का अभिभाषण था। उनके द्वारा टिप्पणी भी सरकार पर नहीं, महामहिम पर की जा रही थी। इस तरह उन्होंने डिग्निटी का प्रदर्शन नहीं किया। यह रिकार्ड ग्रोथ रेट देखकर, यह सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ती हुई दर देखकर और फिर इस बजट को इलेक्शन बजट का नाम देना, मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष कितना घबराया हुआ है, लेकिन इस घबराहट में महामहिम के अभिभाषण और उन पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि न्यायसंगत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान रखे गए हैं, उन प्रावधानों पर और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बातें कही गयी हैं, उन अधिकांश बातों को बजट के माध्यम से पेश किया गया है और इसमें अगर कुछ कमियां रह गयी हैं तो उनको हम लोग सदन के माध्यम से सामने रखना चाहेंगे जिससे उसमें यथासंभव तब्दीली और सुधार किया जा सके। सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह घोषणा की है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। पूरे देश में इस योजना की जो सफलता है, उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस योजना के रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। योजना को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है और उसके रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं, उनका निराकरण करना भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सफलता राज्य सरकार के खाते में और असफलता केन्द्र सरकार के खाते में दिखाई जाए। इसलिए ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे राज्य सरकारें योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वहन करें और इन योजनाओं को अच्छी सफलता मिले। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से देश में कृषि पर बहुत जोर देने का संकेत महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो संकेत दिया, उसके लिए इस बजट के माध्यम से सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण किसानों के माफ कर दिए हैं। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संदर्भ में, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांवों में महाजन होते हैं जिनसे छोटे एवं सीमान्त किसान ऋण लेते हैं। मेरा आग्रह है कि आने वाले दिनों में किसानों द्वारा महाजनों से जो ऋण लिए जाते हैं, उनके रिपेमेन्ट के लिए भी किसानों को अनुमति दी जानी चाहिए। जिन राज्यों में छोटे किसानों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, हमें उम्मीद है कि सरकार के इस कदम के बाद

उस दिशा में बहुत सुधार होगा और बहुत हद तक उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा।

हम महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 66 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की बात कही है। यह खास तौर से असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए एक अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार भी इस ओर पहल करेगी उसे बेहतर स्वरूप देने की कोशिश करेगी।

प्रधानमंत्री जी के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत कुल परिव्यय का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए निर्दिष्ट होगा, इस बात का जो आश्वासन दिया है, वह स्वागतयोग्य कदम है। इसके अलावा सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए 3,780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसके लिए भी हम महामहिम को धन्यवाद देते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले चार वर्षों में गेहूं पर करीब 50 प्रतिशत बढ़ा है और धान पर 33 प्रतिशत बढ़ा है। यह यूपीए सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम था। इससे निश्चित रूप से गेहूं और धान का उत्पादन करने वाले किसानों की स्थिति सुधरी है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनकी स्थिति खराब है और मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज से 20 वर्ष पहले आलू का जो मूल्य था, आज भी वही है। महंगाई का शोर करने वाले प्रतिपक्ष के साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि 20 वर्ष पहले जो जूता 100 रुपए में आता था, वह अब 2,000 रुपए में आता है और हम सब उसे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब खाद्य सामग्री में मूल्य वृद्धि की बात आती है तो उसका बड़ा अंश किसानों को भी जाए, तो इसमें क्या हर्ज है। जब हर जगह मुद्रास्फीति बढ़ने और मूल्य वृद्धि की बात होती है, तो छोटे किसान जो खाद्यान्न पैदा करते हैं, उस पर भी नियंत्रण क्यों किया जाए, उन्हें भी उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए समय-समय पर मुद्रास्फीति की जो रफ्तार है, वह अधिक न हो और न ही उससे अधिक मूल्य वृद्धि हो। इस बात का हमें प्रयास करना चाहिए।

भारत निर्माण के बारे में भी महामहिम ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है, जिसके लिए फंड का प्रावधान बजट में किया गया है, वह काबिले तारीफ है। अभी जो रेल बजट पेश किया गया, उसमें 25,000 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया गया है और कुलियों को नौकरियां देने तथा भाड़े को कम करने की बात कही गई है। यह देश की जनता के लिए बहुत लाभप्रद है। इस बात के लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

अब मैं चंद बातें बिहार और उस जैसे पिछड़े राज्यों के बारे में कहना चाहता हूं। बिहार में हमने परमाणु विद्युत इकाई की मांग लम्बे समय से की थी। इस संबंध में लालू जी के नेतृत्व में हम लोग प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस बजट में कहीं न कहीं से अवश्य स्थान दिया जाएगा। बिहार में मेडिकल कालेज, मैनेजमेंट कालेज, प्रोफेशनल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज तथा पोलीटैक्नीक संस्थान की बहुत आवश्यकता है। इसके अभाव में वहां के बच्चे काफी बड़ी तादाद में कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली आदि राज्यों में पढ़ने जाते हैं। वहां पर एक आईआईटी का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वहां पर प्रोफेशनल कालेज की भी बहुत आवश्यकता है।

अभी महाराष्ट्र में जो घटनाएं घटीं, उस पर सदन में बहस हुई। मेरा कहना है कि आज राज्यों के सम्यक विकास की आवश्यकता है। क्षेत्रीय बैलेंस की बात भी की गयी है और यह सही भी है। जिन क्षेत्रों को लम्बे समय से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है और जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उनका सम्यक विकास होना चाहिए। देश की आबादी का 8 या 9 प्रतिशत हिस्सा बिहार में बसता है, लेकिन एलोकेशन के मामले में उसे एक-डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा पैसा किसी भी सेक्टर में नहीं मिलता है। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ का उदाहरण नहीं हो सकता है। जब तक आप बिहार जैसे राज्यों की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप इन्क्लूसिव ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। सरकार किसानों और देश की बड़ी जनसंख्या के ऊपर सहानुभूति रखती है और उसने चौधरी चरणसिंह तथा रामनोहर लोहिया जी की उक्ति पर अमल किया है कि विकास का रास्ता खेत-खलिहानों से होकर गुजरता है। इसके लिए यूपीए सरकार धन्यवाद की पात्र है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ऐसे संकेत दिये हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जब महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तब इन्क्लूसिव ग्रोथ के लिए बिहार जैसे राज्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां पर बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर की इकाइयां लगाई जानी चाहिए और बिहार में भी कोल-इंडिया जैसा पब्लिक सेक्टर का कार्यालय खुलना चाहिए। रिजर्व-बैंक मुम्बई में ही क्यों रहे, दूसरी जगह क्यों नहीं, इस पर भी विचार होना चाहिए। देश के जोड़ने का प्रयास हर तरह से होना चहिए। हमारे देश में नागरिक किसी भी राज्य में जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है और संविधान में इस बात का प्रावधान है। यदि कोई भी प्रयास देश को तोड़ने का होता है तो हमारा निवेदन पूरे देश के लोगों की हिस्सेदारी ऐसी बातों में नहीं है और न ही उनकी ऐसी मानसिकता है। जिस धरती ने देश को बड़े-बड़े पुत्र दिये, ऐसी गलत बातों में उनकी भागीदारी नहीं

[श्री आलोक कुमार मेहता]

हो सकती है। गलत मानसिकता वाले चंद लोगों का यह गलत प्रयास है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में एक वहां एक हारमानी बनेगी और इन्क्लूसिव ग्रोथ के तहत देश के सभी भागों को विकसित होने का मौका मिलेगा और इस तरह की स्थितियां वहां पैदा नहीं होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सर्वप्रथम, मैं यह अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण लोकतंत्र के इस महान हाल में दिया है और हमें यह याद दिलाया है कि पूरी दुनिया हमें आशा और अपेक्षा के साथ देख रही है। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि एक उन्मुक्त समाज और उदार अर्थव्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से अपने को कैसे मुक्त रखें। पिछले डेढ़ दशक से भारत आर्थिक सुधारों पर बल दे रहा है, एक ऐसी समस्या जिससे प्यारा देश ग्रसित है। समस्या यह है कि जैसे-जैसे भारत धनी देश हो रहा है, वैसे-वैसे भारतीय महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। बहुतों के लिए, यह तथ्य प्रति-अन्तर्ज्ञानी जान पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है कि जैसे-जैसे आमदनी बढ़ी है, वैसे-वैसे उनकी प्लेटों से अत्यंत आवश्यक कैलोरी गायब होती जा रही है, जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है? अर्थशास्त्रियों को इसका उत्तर नहीं मिला है। ऐसा क्यों है कि पिछले सात वर्षों में जो कि विकास की अवधि रही है-पांच वर्ष से कम आयु के कई बच्चों जो कि कुपोषण के शिकार हैं, की संख्या में केवल एक प्रतिशत, 47 प्रतिशत से 46 प्रतिशत की कमी आई है?

**सायं 6.00 बजे**

**सभापति महोदया:** श्री महताब, आप कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाएं।

अब छह बज चुके हैं। सभा का क्या मत है? क्या हम चर्चा जारी रखें?

**श्री प्रहलाद जोशी:** महोदया, आप पहले शून्य काल आरंभ कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** महोदया, कार्य मंत्रणा समिति ने बहस पर उत्तर के लिए 5 मार्च को 12 बजे दोपहर का समय तय किया है। इसलिए, व्यावहारिक रूप से बहस समाप्त करने के लिए हमारे पास केवल एक दिन शेष है। अब, यदि आज हमें कम से कम एक घंटा और मिल जाता है तो पांच या छह और वक्ताओं को बोलने का समय मिलेगा। इसलिए, मैं एक घंटा समय बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

**सभापति महोदया:** सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है अर्थात् 7 बजे तक किया जाता है। तत्पश्चात्, हम देखेंगे कि इसे और बढ़ाया जाए अथवा नहीं।

श्री महताब, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

**श्री भर्तृहरि महताब:** यह हाल ही में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार है। हाल ही में एक पुस्तक, "द रिपब्लिक आफ हंगर" में जेएनयू की प्रो. उत्सा पटनायक ने लिखा है और मैं इसे उद्धृत करता हूं: "भारत में 1950 और 1991 के बीच प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत 152 किलोग्राम प्रतिवर्ष से बढ़कर 177 किलोग्राम प्रतिवर्ष हो गई है। परंतु 1991 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत में कमी आनी शुरू हुई। 1998 तक यह 3 किलोग्राम तक कम हुई और 2003 में यह फिर से लगभग 1950 के स्तर तक थी।" मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके कारण जानने का प्रयास करेगी। क्यों? यह देश दुनिया की तीसरी अथवा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह एक गरीब गर्भवती महिला को दूध का एक गिलास नहीं दे सकती है ताकि अगली पीढ़ी का विकास अवरुद्ध न हो जाए। लेकिन सुधार की वर्तमान प्रकृति है, "समस्या को आरंभ में ही मत सुलझाओ।" आज की सुधार मानसिकता है कि उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि किसी न किसी दिन परिस्रवण से मुद्दे का समाधान हो जाएगा। यह वर्तमान सरकार की मानसिकता है।

आज भारत में अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों की संख्या 301 मिलियन तक पहुंच गयी है जो कि 1993 के मुकाबले केवल 19 मिलियन कम है। इस दर से क्या सभी लोगों को गरीबी के स्तर से उपर उठाने में 300 वर्ष नहीं लग जाएंगे? मजदूरों की स्थिति पर श्री अर्जुन सेनगुप्ता के एक और हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के 50 प्रतिशत लोग, कुल मिलाकर 500 मिलियन से अधिक, 20 रुपये प्रतिदिन से भी कम पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं; जिससे कि वे नियमानुसार गरीबी रेखा से ऊपर है परंतु घोर गरीबी के शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल

ही में प्रकाशित की गयी मानव विकास संबंधी रिपोर्ट में भारत को 193 राष्ट्रों में से 126वें स्थान पर रखा गया है। यह तब है जबकि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर लगभग 9 प्रतिशत है। यह नोट करना उचित होगा कि जबकि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या काफी कम हुई है, अर्थात् पूरी दुनिया में 1970 मिलियन से 970 मिलियन हो गई है। दुनिया में निर्धनतम लोगों में भारत की हिस्सेदारी, जो कि 1980 में 25 प्रतिशत थी, बढ़कर 39 प्रतिशत हो गई है। निर्धनतम और असमानता का सबसे अधिक प्रभाव भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां भारत की 60 प्रतिशत से भी अधिक की आबादी रहती है। हमारे देश की इस 60 प्रतिशत आबादी को हमारी कृषि से सहायता नहीं मिल सकती है। सरकार कौशल विकास के लिए क्या कर रही है? हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में समग्र विकास के बारे में बताया जा रहा है। निवेश की राशि समान रूप से नहीं दी जा रही है। उड़ीसा में किए गए निवेश की राशि कर्नाटक और केरल में किए गए निवेश के बराबर नहीं है।

इसी तरह कुछ सप्ताह पहले एनआरइजी पर हमने चर्चा की थी। दो रिपोर्टों में गरीबों के लिए कार्यक्रमों का उल्लेख है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरइजी) के बारे में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 3 प्रतिशत लाभार्थियों को ही 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। यह केवल 3 प्रतिशत है। दूसरी रिपोर्ट इंगित करती है कि हालांकि पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए ऋण बढ़ा है तथापि ऋण लेने वाले किसानों की संख्या घटी है। यह सरकार की रिपोर्टें हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि छोटे और मझौले किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं हुआ है और सहकारी समितियों द्वारा ऋण देने में भी कमी आयी है। एनआरइजीएस पलायन रोकने में विफल रहा है। चाहे यह नक्सली प्रभावित छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा हो या पूरी तरह शांत पश्चिम मिदनापुर हो, केवल 3.5 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो सका और यह तब हुआ जब कार्य की उपलब्धता थी। लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण की बजाय मांग आधारित कार्यक्रम स्थानीय अधिकारियों को सीमित कार्य के लिए असीमित भ्रष्टाचार के अवसर प्रदान करता है। अब सभी जिलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, लेकिन इस पर नियंत्रण रखने और सामाजिक लेखापरीक्षा के अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

खाद्यान्नों की उत्पादकता भी एक चिंता का कारण है और यह देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता बताता है। दिसम्बर, 2007 में एक अध्ययन में बताया गया कि जनसंख्या दर में कमी आने के बावजूद खाद्यान्नों की कुल संख्या मध्यम अवधि में 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ेगी। ग्यारहवीं योजना के दौरान खाद्यान्नों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 1.86 प्रतिशत प्रतिवर्ष खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। हमारा ट्रैक रिकार्ड क्या है? पिछले 10 वर्षों के दौरान, 1997-98 से 2006-07 तक, भारत के खाद्यान्न उत्पादकता में प्रतिवर्ष केवल 0.48 प्रतिशत वृद्धि हुई। क्या होगा? खाद्य पदार्थों के मूल्य आसमान को छूएंगे। इस समस्या के समाधान के के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है? बजट पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और मुझे यह कहते हुए खेद है कि निकट भविष्य में हम बहुत बड़े खतरे का सामना करना होगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2008 में यह चेतावनी दी है कि यदि वर्ष 2030 तक अनाज उत्पादन 50 प्रतिशत तक नहीं बढ़ता है, तो विश्वव्यापी मांग पूरी नहीं की जा सकती। और हमारा अनुमान क्या है? ग्यारहवीं योजना के अंत तक उत्पादन 2 मिलियन टन है।

बार-बार यह घोषित किया गया है कि ग्यारहवीं योजना में ऊर्जा क्षेत्र में 80,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन जोड़ा जायेगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि बिजली की मांग जो 2007 में 94,000 मेगावाट थी वह 2012 में 1.53 लाख मेगावाट हो जायेगी। अनुमानित बढ़ोत्तरी 80,000 मेगावाट कर दिया है। लेकिन पिछले दस वर्षों के दौरान बिजली खपत की क्या प्रवृत्ति रही है? वित्त मंत्रालय ने कहा है: वर्ष 1997-2001 में देश में विद्युत उत्पादन औसतन 5.8 प्रतिशत और 2001-06 के दौरान 4.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा है।

2001-06 के दौरान यह दर 4.7 प्रतिशत रही। वर्ष 2007-2011 के दौरान यह बढ़ोत्तरी यदि 4 प्रतिशत नहीं तो कितनी होगी। वर्ष 2006 में उत्पादन 94,000 मेगावाट था। इसमें केवल 20,000 मेगावाट की बढ़ोत्तरी होगी। किस आधार पर सीइए भविष्यवाणी कर रहा है कि यह 60,000 मेगावाट हो जायेगी? मांग कहां है? क्या हम लैटिन अमेरिकन देशों, अर्जेन्टीना और कोलंबिया की राह पर जा रहे हैं, जो विश्व बैंक और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के जाल में फंस गए? सरकार से यह मेरा सीधा प्रश्न है?

जैसा कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, मैं यहां राधाकृष्णन समिति का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ाने और समाज में ऋण ढांचे से निपटने के लिए भी अनेकों सिफारिशें की गई थी। मैं केवल दो विषयों का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे खुशी होगी अगर सरकार इस बारे में उत्तर दे। एक तो कृषि ऋणग्रस्तता है जिस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन नहीं दिया गया। समिति द्वारा कृषि समुदाय के आर्थिक रूप से परित्यक्त वर्गों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। ऋण माफी स्कीम

[श्री भर्तृहरि महताब]

के बारे में इस सभा में जोरदार ढंग से कहा गया था लेकिन इससे संस्थागत ऋण सुविधा से बाहर रखे गये किसानों को कुछ नहीं दिया है। इस संबंध में कौन-कौन से विशेष उपाय किए गए हैं? दूसरा मुद्दा 'प्राइस रिस्क मिटिगेशन फंड' बनाये जाने के बारे में की गयी सिफारिश से संबंधित है। मूल्य गिरावट की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए इसका गठन किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ऋण देने वाले लोगों से किसानों को बचाने तथा मूल्यों की अस्थिरता के जोखिम से बचाने के लिए कोई कदम उठाया है। अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

यदि मैं महाराष्ट्र में हुई दु:खद घटनाओं का उल्लेख नहीं करता तो मैं अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में विफल रहूंगा। संविधान में परिभाषित हमारे देश की छवि सहनशील और उदार भारत की है, वह भारत जो "जीयो और जीने दो" के सूत्र को समझता है और उस पर अमल करता है, देश के आस-पास के छोटे-छोटे समूह इसी पर आक्रमण कर रहे हैं। सरकार अर्थात् राज्य तथा केन्द्र सरकारें एक या अधिक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है और जो हमारी एकता और अखंडता के विचार के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है और न था भारत में जहां लोकतांत्रिक, गणतंत्रीय संविधान के अंतर्गत भाषा जाति और धर्म के रूप में इतनी विविधता है जितनी कहीं नहीं है। यह एक अपवाद स्वरूप प्रयोग है जिसमें बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा कर एक राष्ट्र, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ तथा यूगोस्लाविया, बनाने का महत्वाकांक्षी प्रयास किया है। वे विफल रहे हैं। लेकिन हम सफल रहे हैं और बड़े आराम से कुशलता से चल रहा है। हमारे विधान निर्माताओं ने ऐसे गणतंत्र का निर्माण किया है क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे राष्ट्र को कोई भी राजा इकट्ठा नहीं रख सकता। मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन ने तहलका मचा दिया है और भारी संख्या में महाराष्ट्र से मेहनतकश लोग पलायन कर रहे हैं। असम में हिन्दी भाषी लोगों का कत्ल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक मंत्री उस राज्य के एक समुदाय को धमकी दे रहा है। इस तरह की घटनाएं वास्तव में भारत के लोकतांत्रिक और गणतंत्र की जड़ों को हिला कर रख देती है।

हम श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के आभारी हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "किसी भी राजनीतिक दल को कुछ भी ऐसा नहीं कहना अथवा करना चाहिए। जिससे हमारे देश की एकता के लिए खतरा हो अथवा संविधान का महत्व कम होता हो।" मैं यह देखकर हैरान हूं कि इन घटनाओं की निंदा करने हेतु न तो प्रधानमंत्री और न ही अध्यक्ष, संप्रग ने कोई वक्तव्य दिया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि अपवर्जनावादी, अपने समुदाय से बाहर वाले लोगों से घृणा करने वालों और उप-राष्ट्रवादियों की मांगों का पता लगते ही उन्हें तत्काल नहीं दबाया जाता तो उससे लगने वाली आग पूरे देश में फैल सकती है। इसके बारे में हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार की संकीर्णता को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाए क्योंकि भारतीय गणतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है।

अंत में, मैं केवल एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि हमारी विदेश नीति से संबंधित है। अभी हम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करते ही हैं-सदन के नेता, माननीय विदेश मंत्री जी ने भी आज एक वक्तव्य दिया है-उधर एक नया राष्ट्र गठित कर दिया गया है। मैं सदन का ध्यान विश्व में घटित एक अजीब स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन के तहत से सदस्यों के विरोध के बावजूद एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आ गया है। कोसोवो अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक गंभीर उदाहरण प्रस्तुत करता है। समुचित रूप से संस्थागत मध्यस्थता के बिना ही पृथकता की एकपक्षीय घोषणा को मान्यता दे दी गई है। कोसोवो में अल्बीनियाई वंशक्रम की बीस लाख जनसंख्या मुख्यत: मुस्लिम है। इसका प्रतिकूल प्रभाव अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहे है रूस और चीन जैसे देशों के अलावा स्पेन जैसे बहुत से यूरोपीय देशों पर भी पड़ा है। रूस में चेचन्या जैसे 20 स्वायत्तशासी एक जातीय गणराज्य हैं और ये सब कोसोवो जैसे हैं। इससे अलगाववादी प्रकृतियों को अवश्य ही बढ़ावा मिलेगा। इस सबके प्रति हमारा रवैया क्या है? क्या हम इस प्रकार की विखंडनकारी गतिविधियों से प्रभावित नहीं हुए हैं? इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। क्या हमें यह कहना चाहिए की एक चुप सौ सुख? संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका और इसके पश्चिमी गठबंधन किसी देश की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की अनुलंघनीयता के परंपरागत सिद्धांत को वैध ठहराने के कतई इच्छुक नहीं है। क्या हमें यह मानना चाहिए कि वे एक जातीय लोगों के आत्म निर्णय को ज्यादा पसंद करते हैं? क्या हमें स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहना चाहिए कि "कोसोवो उदाहरण" से अस्थिरता का वातावरण पैदा होगा। हम चुप क्यों हैं? मेरी समझ में यह नहीं आता है। हमें किस बात का डर है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा गणराज्य बहुभाषी, बहुजातीय है और इसने विगत में सभी तरह की उथल-पुथल को देखा है।

कोसोवो घटना के पश्चात छाई चुप्पी न केवल आश्चर्यजनक है अपितु यह हमारे नीति निर्माताओं की कमजोरी को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। यह भारत के हित में नहीं है। आप एक नये राष्ट्र के उदय को स्वीकार कर सकते हैं परन्तु जिस कुचक्र से यह बना है वह वास्तव में चिंताजनक और चौंका देने वाला है। मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

**सभापति महोदया:** धन्यवाद श्री महताब। कृपया अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

**श्री भर्तृहरि महताब:** धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा। कुछ महीने पहले सभी माननीय सदस्यों के लिए एक भाषण दिया गया था जिसमें हमने गोसावी पवार के बारे में सुना था। मैं किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक समाचार छपा है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस समाचार का एक छोटा पैरा पढ़ता हूं।

**सभापति महोदया:** हरेक इसके बारे में जानता है। हरेक समाचार पत्र पढ़ता है। इसलिए, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री भर्तृहरि महताब:** यह एक विषम परिस्थिति है। जब 60,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी की घोषणा की जा रही है तो मैं इतना उल्लेख करना चाहता हूं कि किसानों के एक कितने बड़े वर्ग को किस प्रकार छोड़ दिया गया है। इससे चार करोड़ किसान लाभान्वित होने जा रहे हैं। हमने वित्त मंत्री को यह कहते सुना है कि इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। आज यह समाचार आया है कि यह राशि 60,000 करोड़ रुपये नहीं होगी अपितु यह 65,000 करोड़ रुपये होगी। परन्तु इस देश में किसानों की वास्तविक ऋणग्रस्तता कितनी है? यह 3.5 लाख करोड़ रुपये है। इसमें से 60,000 करोड़ रुपये अथवा 65,000 करोड़ रुपये की ही राशि माफी हेतु उपलब्ध होगी।

मैं इस समाचार को उद्धृत करता हूं।

"कमलाबाई गोसावी पवार, आयु 46 वर्ष, जिसके पति, गोसावी ने विगत वर्ष 8 मई को प्रधानमंत्री का यवतमल स्थित उनके गांव केलझारी का दौरा करने से 22 दिन पूर्व गत वर्ष 8 मई को आत्महत्या कर ली, जिससे उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है।"

गोसावी को अपनी सात एकड़ भूमि में कृषि करने हेतु 65,000 रुपये की आवश्यकता है। परन्तु उस पर बैंक का 50,000 रुपये का कर्ज था।"

उसने एक साहूकार से 50,000 रुपये उधार लिये और बैंक का ऋण लौटा दिया। उसे 2500 रुपये प्रतिमाह अदा करना था। आज, उस विधवा की क्या स्थिति है? उस पर 65,000 रुपये का एक नया कर्ज है। 50,000 रुपये का कर्ज भी उस पर है। यह विधवा इस ऋण और कर्ज माफी योजना की हकदार नहीं है क्योंकि उसके पास सात एकड़ भूमि है। उसकी क्या स्थिति है? व्यावहारिक तौर पर यह कर्ज माफी 60,000 करोड़ रुपये जारी करने का यह हो-हल्ला वास्तविक रूप से संकटग्रस्त किसानों को कोई लाभ पहुंचाने वाला नहीं है।

मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्थिति पर विचार करे। मैं खेद के साथ यह उल्लेख करता हूं कि हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की समग्र तस्वीर प्रस्तुत की गई है फिर भी सरकार गरीबी, खाद्य उत्पादन, पोषण किसानों की जारी आत्महत्याओं वास्तविकता पर काबू पाने में सक्षम नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री अजय चक्रवर्ती** (बसीरहाट): सभापति महोदया, धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी ने केंद्रीय कक्ष में संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित किया। यह कोई नई बात नहीं है। यह एक सामान्य प्रथा है। प्रत्येक वर्ष बजट सत्र से पहले महामहिम राष्ट्रपति जी संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार यह एक सामान्य व्यवस्था है।

इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ है। यह भी एक सामान्य व्यवस्था तथा परम्परा है कि सभी शीर्षस्थ सरकारें जो कि देश का शासन चला रही है, राष्ट्रपति जी के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष कुछ परियोजनाओं और योजनाओं की घोषणा करती है। सरकार अपना कार्य करती है कि हमारे देश के लोगों के लिए शुरू के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है।

इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने राष्ट्र के समक्ष राष्ट्रपति जी के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों-मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करने जा रहा हूं-के नाम पर बहुत सारी परियोजनाओं की घोषणा की है।

बजट के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है। विभिन्न राज्य में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इस योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा और क्या इसे कार्यान्वित किया जाएगा, मुझे इस बारे में शत प्रतिशत संदेह है।

रेल बजट के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है। हमें रेल बजट पर आपत्तियां हैं, परंतु हम उन मुद्दों पर नहीं जा रहे हैं। लोग अनुमान लगा रहे हैं, अफवाहें हैं और हम भी यह अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी समय से पहले चुनाव करवाएगी। ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, परन्तु हमें इस बारे में कोई चिंता नहीं है।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

परन्तु, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। इनमें से एक मुद्दा है मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि ने देश के आम लोगों, देश के गरीब लोगों और हमारे देश की मेहनतकश जनता को प्रभावित किया है। यदि आप बाजार जाते हैं तो आप गेहूं, चावल, दलहन, सरसों के तेल, नमक, चीनी, मिट्टी के तेल, आलू, प्याज और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कीमतों के बारे में जान सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया है कि सरकार मूल्यों को कैसे कम करेगी और मूल्य वृद्धि को कैसे रोकेगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में फूड प्लाजा, खाद्य सुरक्षा मिशन और इन सब बातों की घोषणा की गई है। बहुत बड़े शहरों और कस्बों में फूड प्लाजा है। फूड प्लाजा में कौन जाते हैं? वे फूड प्लाजा में नहीं जाते हैं। धनी लोग और उच्च मध्यम वर्ग के लोग फूड प्लाजा में जाते हैं।

उन्होंने खाद्य सुरक्षा मिशन की घोषणा की है परन्तु सरकार के हाथ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य वृद्धि की स्थिति पर काबू पाने का तरीका है। सरकार को आम लोगों, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं अथवा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग है, को चावल, गेहूं, नमक, चीनी, मिट्टी का तेल आदि वितरित करने हेतु पहल करनी चाहिए। परन्तु इसके विपरीत सरकार देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही पंगु बना रही है। श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह जी के साथ हमारे कृषि मंत्री का फोटो हर रोज अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में बड़े पृष्ठ पर छप रहा है।

वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेअसर क्यों बना रहे हैं? महोदया, आप जानती हैं कि केरल, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफलातपूर्वक चला रहे है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सामान्य लोग राशन की दुकान से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु सरकार इसे निरर्थक बना रही है। सरकार ने केरल और पश्चिम बंगाल के कोटे को कम कर दिया है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरल और पश्चिम बंगाल के कोटे को कम कर दिया है। यह बहुत शर्म की बात है। सरकार के रवैये की निंदा की जानी चाहिए।

महिला राष्ट्रपति पाकर हम बहुत प्रसन्न है परंतु, जो भी कारण हो, उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। भाजपा नीत राजग सरकार ने 2004 में संसद के आम चुनाव में अपने घोषणापत्र में यह लिखा था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो महिला आरक्षण विधेयक लाएंगे और वे इसे पारित करने का प्रयास करेंगे। यह बात उनके घोषणापत्र में शामिल है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि वे महिला आरक्षण विधेयक लाएंगे और उस विधेयक को सभा में पारित करेंगे। प्रत्येक सत्र में, माननीय प्रधान मंत्री यह घोषणा करते हैं कि वे अगले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करेंगे। इसे कब पारित किया जाएगा? सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का पूरी तरह से उल्लंघन कर रही है।

अब, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं और वह है-बेरोजगारी की समस्या। श्री अजीत जोगी जी ने सौ दिन तक कार्य के संबंध में कहा, लेकिन इस कार्य में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास सीमित समय है। लेकिन, महोदया, जहां तक 100 दिन तक कार्य का संबंध है, क्या कोई स्नातक अथवा कोई स्नातकोत्तर अभ्यर्थी अथवा कोई शिक्षित युवक अथवा युवती 100 दिन तक के लिए कार्य करना चाहेगा? क्या वे स्वयं को किसी तालाब से कीचड़ निकालने अथवा उसकी खुदाई करने अथवा किसी नहर को खोदने के कार्य में लगाएंगे?

वे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार में रोजगार खोज रहे हैं। वे विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में शिक्षक के रूप में रोजगार की खोज कर रहे हैं लेकिन उनके लिए केन्द्र सरकार अथवा भारत की विभिन्न राज्य सरकारों में रोजगार के सभी द्वार बंद हो गए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्या हो रहा है? एलआईसी और जीआईसी में क्या हो रहा है? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। मेरे घर के सामने, भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा है। नए भवन में इस शाखा के स्थानांतरण से पूर्व, इसमें 65 व्यक्ति कार्यरत थे। इस शाखा के नए भवन में स्थानांतरित होने के पश्चात् इसमें मात्र 15 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार नए भवन में इस शाखा के स्थानांतरित होने के पश्चात कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गयी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् रिक्तियां नहीं भरी गयी हैं। एलआईसी में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् रिक्तियां नहीं भरी गयी हैं। ऐसा ही मामला रेलवे का है। हर बार लालू जी यही कहते हैं: "मैं इतने लोग भर्ती करूंगा।" लेकिन यह भ्रम में डालने वाला वक्तव्य है। रेलवे में कोई भर्ती नहीं हो रही है। संभवतः कुछ गैंगमेन अथवा कुलियों की भर्ती की गयी है। हमारे देश में बेरोजगारी की यह हालत है।

अब, मैं आंतरिक सुरक्षा की बात करता हूं। मैं आंतरिक सुरक्षा के विस्तार में नहीं चाहता कि मुंबई, हैदराबाद और बंगलौर में क्या हुआ। प्रत्येक व्यक्ति नक्सलवाद और माओवाद की चर्चा कर रहा है। नक्सलवाद और माओवाद की गतिविधियों से कुछ

राज्य प्रभावित हो रहे है। मेरे राज्य में तीन जिले नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोलकाता के निकट कुछ नक्सली नेता गिरफ्तार किये गए हैं। मेरे प्रतिष्ठित मित्र, मोहम्मद सलीम पहले ही उनके नामों का उल्लेख कर चुके हैं। मैंने टीवी पर देखा कि उन्होंने पुलिस से क्या कहा। एक नक्सली नेता ने कहा "मैं नंदीग्राम की घटना में शामिल था।" उसने मीडिया में ऐसा कहा था। मैंने इस सभा में अलग-अलग अवसरों पर और विशेषकर आंतरिक सुरक्षा संबंधी चर्चा के दौरान कहा था कि ए.के.-47, अस्त्र-शस्त्र एवं गोलाबारूद से नक्सलवाद और माओवाद की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका जन्म लोगों की गरीबी से होती है। हमारी स्वतंत्रता के 60 साल बाद, हमें जनजातीय लोगों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर शर्म महसूस हुई। भूमि सुधार प्रभावी ढंग से लागू किए जाने चाहिए थे। अन्यथा, इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। हमें भूमि जोतने वालों और निम्नवर्ग को दे देनी चाहिए। उनकी पीड़ा अधिक है और उन्हें अपूर्णनीय क्षति एवं आघात लग रहा है। महोदया, पश्चिम बंगाल, केरल और अन्य दो राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में भूमि सुधार कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। विधान सभा में विधेयक पारित किया गया है लेकिन उसे निम्न स्तर पर कार्यान्वित नहीं किया गया है। अत:, जमीन की चाहत भी नक्सलवाद और माओवाद का एक कारण है। श्री अजीत जोगी ने ठीक ही कहा है कि ये नक्सलवादी कौन हैं ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

**श्री अजय चक्रवर्ती:** जनजातीय लोग, आदिवासी लोग और बड़ी संख्या में अन्य लोग माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। कुछ धूर्त लोग इन जनजातीय लोगों को बहला-फुसलाकर नक्सलवादी और माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार और रा.ज.ग. का कर्त्तव्य है कि कांग्रेस अथवा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा शासित राज्य और भा.ज.पा. अथवा रा.ज.ग. भागीदारों द्वारा शासित राज्य उचित ढंग से और प्रभावी रूप से भूमि सुधारों को कार्यान्वित करें और गांवों के सुदूर कोनों विशेषकर गरीब लोगों और जनजातीय वाले क्षेत्रों में विकास कार्य करें।

**सभापति महोदया:** कृपया अब आप अपनी बात पूरी कीजिए।

**श्री अजय चक्रवर्ती:** महोदय, दो मिनट में, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। एक अन्य बात जिसका उल्लेख नहीं किया गया, वह है-संकीर्ण प्रवृत्ति और प्रान्तवाद। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है? हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। जाति, पंथ अथवा धर्म के भेदभाव को भुलाकर हम तिरंगा लेकर चल रहे हैं; हम अपने देश की संप्रभुता और एकता के लिए, हम रणभूमि में अपनी मातृभूमि की एकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जवान अपने देश की एकता और संप्रभुता के लिए बार्डर पर खून बहाते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि कुछ राज्य संकीर्ण प्रवृत्ति और प्रान्तवाद से बुरी तरह प्रभावित है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। सरकार को यह दु:ख-दर्द समझना चाहिए।

हमारे देश में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अन्य बड़े औद्योगिक नगर हैं; और प्रत्येक व्यक्ति को देश में अपनी आजीविका के लिए कहीं भी जाने अथवा बसने का अधिकार है।

**सभापति महोदया:** श्री चक्रवर्ती, इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री अजय चक्रवर्ती:** महोदया, कृपया परेशान न हों। मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

**सभापति महोदया:** आपका समय पहले ही समाप्त हो चुका है।

**श्री अजय चक्रवर्ती:** सभा में अब कोई वक्ता नहीं है।

**सभापति महोदया:** अभी बोलने के लिए कई वक्ता हैं।

**श्री अजय चक्रवर्ती:** आप इतने परेशान क्यों हैं? जब आप बोल रही थीं, तब आपने बहुत समय लिया था। अब, आप परेशान हैं जब मैं बोल रहा हूं। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं अपना यह वचन निभाऊंगा।

महोदया, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी और गर्व होता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और यहां तक कि आंध्र प्रदेश सहित देश भर से बड़ी संख्या में लोग मेरे राज्य पश्चिम बंगाल एवं कोलकाता और अन्य बड़े नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अपने रोजगार अपनी आजीविका के लिए आ रहे हैं। यहां तक कि मेरे जिले में भी लाखों लोग रोजी-रोटी के लिए विभिन्न भागों से आ रहे हैं। वे सभी हमारे भाई-बहन हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख होता है कि देश के दिल, मुंबई में जो भारत के वाणिज्यिक राजधानी भी है, क्या हो रहा है? सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और दुष्ट लोगों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करनी चाहिए चाहे वह कोई भी हो। हमने समाचार-पत्रों और टी.वी. पर यह देखा कि गिरफ्तारियां होंगी अथवा नहीं। यह खेल अब भी चल रहा है। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमें हर

[श्री अजय चक्रवर्ती]

कीमत पर देश की एकता और संप्रभुता के लिए प्रयत्नशील रहना होगा।

तत्पश्चात्, अल्पसंख्यकों का प्रश्न आता है, मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा क्योंकि आप बार-बार घंटी बजा रही है। मेरे सम्माननीय सहयोगी, मोहम्मद सलीम ने इस विषय पर ठीक ही कहा है कि इस सरकार का यही रवैया है।

सरकार ने माननीय राष्ट्रपति जी के मुख से अनेक परियोजनाएं एवं कार्यक्रम घोषित किए हैं। लेकिन मैं अधिक संतुष्ट नहीं हूं, बल्कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए भाषण से मैं बहुत अधिक निराश हुआ हूं।

**सभापति महोदया:** अब, श्री खारबेल स्वाईं।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर): महोदया, क्या मैं आपकी अनुमति से इसी स्थान से बोल सकता हूं।

**सभापति महोदया:** निश्चय ही।

**श्री खारबेल स्वाईं:** धन्यवाद।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर): महोदया, विपक्ष के माननीय नेता भा.ज.पा. की ओर से और विपक्ष की ओर से पहले ही बोल चुके हैं। मैं यह पुन: कहूंगा कि सामान्यत: राष्ट्रपति के भाषण का विरोध नहीं किया जाता। इसलिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन विपक्ष के सदस्य के रूप में मैं केवल कुछ कमियों और अन्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। जिनके बारे में हमें आशा थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था।

धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, माननीय सदस्य श्री अजीत जोगी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, ने आंतरिक सुरक्षा, विशेषकर नक्सलवाद के बारे में कुछ बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नक्सलवाद में वद्धि के मूल कारण क्या हैं।

पहला बिंदु यह है कि इसका कारण ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध न कराया जाना है। वहां विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं हैं। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से आदिवासी नक्सलवाद और बंदूकों का रास्ता अपना रहे हैं।

महोदया, मुझे श्री अजीत जोगी का मस्तिष्क बहुत भ्रम में लगता है और यही बात मैं कांग्रेस पार्टी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के संबंध में कहूंगा। नक्सलियों ने उड़ीसा के नयागढ़ जिले पर हमला क्यों किया? वाहनों पर 800 से 1000 लोग आए और उन्होंने हमला किया। उन्होंने किन लोगों को मारा? उन्होंने किसी अमीर आदमी की हत्या नहीं की, उन्होंने जिलाधीश की हत्या नहीं की; उन्होंने एसपी को भी नहीं मारा; जबकि वे वास्तव में उन्हें मार सकते थे। उन्होंने सिर्फ उनका घेराव किया; उन्होंने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन, उन्होंने किन लोगों को मारा? उन्होंने कांस्टेबलों को मारा जिन्होंने उनका विरोध किया। जब वे एक गरीब आदमी की दुकान से कुछ टायर ले जा रहे थे।

इसलिए, यह बोध कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं न होने के कारण नक्सलवाद अपना सिर उठा रहा है, गलत है। भारत में कुछ सीमा तक नक्सलवाद इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि राज्य भ्रम में हैं। मैं अपने राज्य के बारे में यही कहता हूं। इसकी ऐसी समस्या थी जिसके कारण मेरे मुख्य मंत्री ने संभवत: यह सोचा कि यदि वे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन, संभवत: अब वह समझ गए हैं कि यदि आप सक्रिय नहीं होंगे तो नक्सलवादी कभी नहीं रूकेंगे। यह केवल बंदूक के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करना हुआ। केवल यही बात है। इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए।

नक्सली सभी ठेकेदारों से उस क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विकास कार्यों से 30 प्रतिशत वसूल रहे हैं। वे नहीं चाहते कि वहां सड़क बने। वे नहीं चाहते कि कोई सरकारी अधिकारी वहां जाकर रूके। एक तरफ, आप कहते हैं कि क्योंकि वहां कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, न सड़क, न अस्पताल आदि हैं, इसलिए नक्सली इसका लाभ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ आप वहां सड़क नहीं बनने देते, आप वहां किसी सरकारी अधिकारी को नहीं ठहरने देते। इस राष्ट्र को पहले अपनी मन:स्थिति स्थिर करनी पड़ेगी। इस राष्ट्र को पहले यह समझना पड़ेगा कि ये नक्सली कौन हं। नक्सली सर्वहारा वर्ग का उद्धारक नहीं है। वे सत्ता-व्यापारी हैं, वे सत्ता झपटने वाले हैं। जब तक हम इस सिद्धांत को नहीं समझते और जब तक राज्य केन्द्र सरकार से हाथ नहीं मिलाते, तब तक हम सफल नहीं होने वाले हैं।

मैं अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे वरिष्ठ सदस्य को भ्रमित नहीं होना चाहिए और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि 'सल्वा जुडुम' गलत कार्यक्रम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नक्सलियों ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अत्यधिक निर्धन आदिवासियों पर हमला किया, ऐसा ही हुआ है। वे अपने गांव से भाग गए और सरकार उनके शिविरों में रखने पर बाध्य है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि 'सल्वा जुडुम' गलत है? सारा विश्व देख रहा

है कि कौन किसके विरुद्ध है। मैं नक्सली इन सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध हैं।

कांग्रेस पार्टी को भी सब जगह यही समस्या है। आंध्र प्रदेश में, जब वर्तमान कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने कहा- हम उनके साथ बात-चीत करेंगे, हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे। उन्होंने बात की। जब वे बातचीत कर रहे थे तो नक्सलियों ने कहा- 'हम बैठक स्थल तक अपने साथ बंदूक भी ले जाएंगे। यह बंदूक हमारे अस्तित्व और हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है और हम जहां भी जाते हैं बंदूक अपने साथ ले जाते हैं।' इसलिए, मुख्यमंत्री खुद बैठक में नहीं आए। गृह मंत्री आए। लेकिन वे काफी सहमे हुए थे कि ये लोग बैठक स्थल तक बंदूक लेकर आए हैं।

मैं यह कहूंगा कि सब लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले चुनाव के दौरान, कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों के साथ गुप्त समझौता था और उन्होंने कहा था कि यदि वे सत्ता में आए, तो वे यह देखेंगे कि वे मुक्त हो जाएं। यही चीज असम में हुआ। असम में, कांग्रेस पार्टी ने उल्फा के साथ गुप्त समझौता किया था और सत्ता में आने के बाद, उन्होंने युद्ध विराम भी किया था, जब नक्सलियों ने अपने आपको पुनर्गठित किया, उन्होंने धन की उगाही की, अधिक-से-अधिक लोगों को भर्ती किया और उन्होंने अधिक-से-अधिक हथियार और गोला-बारूद खरीदे और फिर इस देश के विरुद्ध हमला किया।

मैं यह समझाता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह समझ लिया होगा कि इस तरह के अपराधियों की सहायता करना राष्ट्र के विरुद्ध है।

अब मैं दूसरे बिन्दु पर आता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का ही उदाहरण लीजिए। इस देश में एक दूसरी बड़ी गंभीर समस्या है। मैं इसे कोलकाता से प्रकाशित होने वाले 'टेलीग्राफ' से उद्धृत करूंगा। यह कल्पना से परे है, आप कह सकते हैं कि यह एक साम्प्रदायिक समाचार-पत्र है और यह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। यह 12.2.2008 को प्रकाशित हुआ। इसमें एक बहुत गंभीर बात कही गई है कि असम, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई सीमावर्ती जिलों में अब हिन्दू इस भय से गांव छोड़कर जा रहे हैं कि ये गांव मुस्लिम-बहुल गांव हो गए हैं। ये मुस्लिम-बहुल गांव कैसे हो गए? यदि आजादी के समय ये मुसलमान-बहुल क्षेत्र थे तो पूर्वी पाकिस्तान में क्यों नहीं गए? ये भारत में कैसे रहे? अब, मुसलमान वहां बहुसंख्यक हो गए हैं।

अब हमारी गुप्तचर एजेंसियां कह रही हैं कि भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र, भारत-बांगलादेश सीमा क्षेत्र और असम-बांगलादेश सीमा क्षेत्रों में 'मदरसों' की संख्या बढ़ गई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये मदरसा राष्ट्रविरोधी हैं, लेकिन 'मदरसों' का उपयोग इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अपने हथियारों और गोला-बारूदों को रखने तथा राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए किया जा रहा है। असम के धुबरी क्षेत्र में, वर्ष 1999 और 2001 के बीच मुसलमानों की आबादी में 29.5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई और गैर-मुस्लिम आबादी में मात्र 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ग्वालपाड़ा में मुसलमानों की आबादी 31.7 प्रतिशत बढ़ी और गैर-मुस्लिम आबादी में 14.4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। हैलाकंडी जिले में 27.2 प्रतिशत मुस्लिम आबादी और 13 प्रतिशत गैर-मुस्लिम आबादी में बढ़ोत्तरी हुई। बिहार के किशनगंज क्षेत्र में, मुस्लिम आबादी में 35.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि गैर-मुस्लिम आबादी में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत है। पूर्णिया में मुस्लिम आंकड़ा 34.1 प्रतिशत है और गैर-मुस्लिम 30.8 प्रतिशत।

**सभापति महोदया:** अपने आपको केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही सीमित रखें।

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आता हूं। अब आप मुझे निर्देश दें कि क्या कहना है और तब मैं उतना ही कहूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं जो कहता हूं, यदि आप उसे नहीं पसंद करती हैं, तो आप मुझे गाइड कर सकती हैं, मैं उतना ही कहूंगा और बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** मैं यह कह रही हूं कि आप अपने विषयों को सीमित रखें। यह अच्छा होगा कि आप अपनी बात संक्षिप्त और ठोस तरीके से रखें।

**श्री खारबेल स्वाईं:** यदि आप चाहती हैं तो विपक्ष को एक विशेष तरीके से, एक निश्चित तरीके से कहना चाहिए तो आप मुझे बताएं। मैं बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** विपक्ष का समय समाप्त हो गया।

...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** मेरी पार्टी का समय समाप्त नहीं हुआ है। मैं दूसरा वक्ता हूं।

**सभापति महोदया:** कृपया आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात ठोस तरीके से रखें।

...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदया, आप मुझे बोलने की अनुमति दें। कृपया बाधा न डालें। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** मैं बाधा नहीं डाल रही हूं। मैं कह रही हूं कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित विषयों पर ही बोलें।

*...(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदया, 10 सदस्यीय दल का एक सदस्य, आपकी आपत्ति के बावजूद आधे घंटे तक बोलता है और आप मुझे 10 मिनट बाद ही रोक रही हैं।

कोलकाता में भी मुस्लिम आबादी में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गैर-मुस्लिम आबादी में 0.7 प्रतिशत। सरकार इस बारे में क्या कर रही है? जब पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल से लगे सीमा क्षेत्र दूसरे पाकिस्तान में बदलते होते जा रहे हैं, तो यह सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है? यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। मैंने इसे 'टेलीग्राफ' से उद्धृत किया है, जो हमारी पार्टी का समाचार-पत्र नहीं है, जो न तो हमारी पार्टी का समर्थन करती है और न ही हमारी विचारधारा को।

मुझे खुशी है कि मोहम्मद सलीम यहां है। वह कहते हैं कि जब भाजपा सत्ता में थी, इसने बहिष्कार की राजनीति की ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे सुनें। मैं दिनांक 26.2.08 को प्रकाशित 'दी टाइम्स आफ इंडिया' से कुछ चीजों को पढ़ूंगा। वह कह सकते हैं कि यह हमारा समाचार-पत्र नहीं है। इस समाचार-पत्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है:-

> "प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा करने के बाद अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने 15-सूत्री कार्यक्रम की नौ योजनाओं को कार्यान्वित करने के संबंध में राज्यों को श्रेणीबद्ध किया है। इन योजनाओं में शिक्षा, श्रम रोजगार और कुशलता विकास शामिल हैं और केन्द्र द्वारा वित्त पोषित हैं।"

इसमें कहा गया है, "वामपंथ का गढ़ पश्चिम बंगाल सूची में सबसे नीचे है जबकि भाजपा शासित राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और उड़ीसा को 'अच्छी' श्रेणी में रखा गया है तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार को 'उत्तम' बताया गया है। श्री सलीम, क्या यह गलत है?

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): आप समाचार पत्र से क्यों उद्धृत कर रहे हैं? आप योजना आयोग की रिपोर्ट देखें। समीक्षा रिपोर्ट संसद में उपलब्ध है।

**सभापति महोदया:** श्री स्वाईं, कृपया समाप्त करें। समय केवल सात बजे तक उपलब्ध है। कई अन्य वक्ता भी हैं।

**श्री खारबेल स्वाईं:** यदि मैं आज पूरा नहीं कर सका तो कल जारी रखूंगा।

महोदया, मुझे यह आशा नहीं थी कि कम से कम आप मुझे इस तरह रोकेंगी। मैं समझ सकता हूं कि उस तरफ के सदस्य ऐसा कह रहे हैं।

**सभापति महोदया:** अन्य वक्ता भी बोलने वाले हैं।

**श्री खारबेल स्वाईं:** अन्य वक्ता भी हैं लेकिन मैं अपनी पार्टी का दूसरा सदस्य हूं।

**सभापति महोदया:** आप पीठ की आज्ञा नहीं मान रहे हैं।

**श्री खारबेल स्वाईं:** रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले कांग्रेस शासित राज्य आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा और जम्मू और कश्मीर को 'खराब' श्रेणी दी गई है।

**मोहम्मद सलीम:** उस रिपोर्ट की क्या प्रमाणिकता है? यह सरकारी दस्तावेज नहीं है।

**श्री खारबेल स्वाईं:** यह रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा दी गयी है। इससे कथनी और करनी के बीच फर्क पता चलता है। वे क्या बात करते हैं और भाजपा और राजग के कार्य क्या हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है। हमने पैसा लिया और अल्पसंख्यकों एवं मुसलमानों के लाभ के लिए योजनाओं को कार्यान्वित किया। लेकिन संप्रग सरकार ऐसा करने में समर्थ नहीं है। सरकार की तरफ से यह असफलता है।

मैं एक अन्य रिपोर्ट उद्धृत करूंगा जो 11 फरवरी, 2008 को 'दी इकनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है। इसमें 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन' (एनएसएसओ) को उद्धृत किया गया है और कहा है, "एनएसएसओ के अद्यतन सर्वेक्षण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण परिवारों की अधिकतम संख्या है जहां सदस्यों को वर्ष के कुछ महीने में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के 10.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है।" उस राज्य में 30 वर्षों के वामपंथी सरकार की यह उपलब्धि है। अब वे केन्द्र में संप्रग सरकार को यह उपदेश दे रहे हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कैसे कार्यान्वित किया जाए जबकि उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम को उनके राज्य में किस तरह कार्यान्वित किया गया है।

श्री अजय चक्रवर्ती यह कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल और केरल में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित तरीके से संचालित किया जा रहा है। यदि पूरे देश में केवल एक ही राज्य है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन और असंतोष हुआ है, तो वह है पश्चिम बंगाल। वहां डीलर कौन थे? डीलर माकपा (मा.) के नेता थे। वे विधायक हैं वे जिला परिषद के सदस्य हैं ...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** यह क्या है, महोदया। वे किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं? उनकी जानकारी के क्या स्रोत हैं। वे इस तरह का भारी भरकम दावा नहीं कर सकते हैं। यह पश्चिम बंगाल विधान सभा या उड़ीसा विधान सभा नहीं है। यह भारत की संसद है। भारत सरकार का कौन-सा दस्तावेज उनके दावे को प्रमाणित करता है? मैं उनको चुनौती देता हूं क्योंकि वह गलत बोल रहे हैं। यदि उनमें साहस हैं, तो वे प्रामाणिक रिपोर्ट के उद्धृत करें। क्या ऐसा कोई सरकारी दस्तावेज है जिसके आधार पर वे इसे प्रमाणित कर सकते हैं। वे गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदया, मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, इन्हें बैठने दीजिए।

**मोहम्मद सलीम:** नहीं, मैं कोई न्यायालय तो नहीं हूं। यदि आप कुछ कहते हैं तो आपको इसे प्रमाणित करना होगा।

**श्री खारबेल स्वाईं:** मैं इसे साबित कर दूंगा। क्या यह सही नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर विचार करते हुए एक नया कानून पारित किया है कि पश्चिम बंगाल में जन प्रतिनिधि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलर (कंट्रोल डीलर) नहीं बन सकते हैं? इस आंदोलन के बाद उन्होंने यह संकल्प पारित किया है। महोदया उन्हें कहने दें कि यह गलत है। मैं आपको साक्ष्य दिखाऊंगा। मेरे पास साक्ष्य है।

उन्होंने ऐसा एक संकल्प क्यों पारित किया? उन्होंने यह संकल्प पारित किया क्योंकि वे नेता स्वयं कंट्रोल डीलर थे।

वे लूट रहे हैं ...*(व्यवधान)* यदि मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं संसद में ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। भाकपा (मा.) सरकार इस तरह का व्यवहार करती है ...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** मैं आपके दिमाग की उर्वरता की प्रशंसा करता हूं।

**सभापति महोदया:** श्री स्वाईं, अपना भाषण संक्षेप में दें। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

**श्री अधीर चौधरी:** मैं सदैव सच का साथ देता हूं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** श्री स्वाईं, अब अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**श्री खारबेल स्वाईं:** अब सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) का उदाहरण लें। सभी रिपोर्टें कहती है कि कांग्रेस शासित राज्य इसे लागू करने में अक्षम रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां तक कि बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य जो सभी राजग शासित राज्य है ने इसे सबसे अधिक लागू किया है और वे सभी सफल हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** आप अपनी बात दो मिनट में पूरी करें।

**श्री खारबेल स्वाईं:** मैं एक दूसरी बात कहूंगा। भारत निर्माण का उदाहरण लें। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2004 से यह सरकार कह रही है कि इस वर्ष 2009 तक सभी गांवों और सभी घरों में विद्युत आपूर्ति कर देंगे। इस बार माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं अपने बजट भाषण में कहा कि 20,000 करोड़ रुपये में से जिसे दिया जाना है, सरकार इस बजट में मात्र 5,500 करोड़ रुपये दिया था। सभी गांवों और सभी क्षेत्रों के लिए बिजली देने में कितने वर्षों का समय लगेगा। सरकार मुझे बताए। मैं वाम दलों के सदस्यों से पूछ रहा हूं। उन्हें बताने दें ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** उनसे मत पूछिए। अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**श्री खारबेल स्वाईं:** सरकार द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2009 तक विद्युत आपूर्ति की जाएगी। सरकार ने अब एक इस कार्यक्रम पर जितना व्यय किया है उससे लगता है कि इसमें एक और 15 वर्ष लगेंगे। यदि यह सरकार उस समय तक सत्ता में रहती है तो वे काफी भाग्यशाली होंगे क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है यह उन्हें भाग्यशाली वित्त मंत्री बनने में मददगार होगा। वे भाग्यशाली हैं क्योंकि इसने आर्थिक सुधार किये हैं, हमने वित्त संबंधी बुनियादी सुधार किये हैं और वे उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार खुशकिस्मत है क्योंकि इसके पहले राजग की सरकार थी। हमने कुछ अच्छे काम किये हैं। क्या सरकार कोई भी एक सुधारात्मक कार्य का उदाहरण दे सकती है जो उसने किया है। सरकार वाम दलों से डरी हुई है। वाम दल विश्व में किसी भी तरह का विकास किये जाने के विरुद्ध है। वाम दल एक पतोन्मुख दल है। सरकार इससे भयभीत है। मात्र सत्ता में रहने के लिए वे इनकी बात नहीं सुनते और इसी कारण से वे सुधारात्मक बजट

[श्री खारबेल स्वाईं]

नहीं लाते। जितनी जल्दी सरकार को हटा दिया जाए उतना बेहतर होगा। देश में राजग दल को लाइए जो कि देश में समृद्धि और विकास को बहाल करने में मजबूत गठजोड़ साबित होगा मेरी देशवासियों से अपील है कि वे इस पर विचार करें और अगली बार राजग सरकार को लाएं। आपका बहुत बहत धन्यवाद।

**सभापति महोदया:** श्री अधीर चौधरी, आप अपना भाषण कल दीजिए।

अब हम विशेष उल्लेख पर चर्चा करेंगे।

चूंकि अभी एक मिनट का समय बाकी है। इसलिए श्री चौधरी जी अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

**श्री अधीर चौधरी:** माननीय सभापति महोदया, हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण पर बोलने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। एक कहावत है कि पुरुष के पास दृष्टि होती है और महिला के पास अंतर्दृष्टि होती है। इसी अंतर्दृष्टि के कारण हमारी राष्ट्रपति ने राष्ट्र के समक्ष भाषण दिया था। महोदया, भाषण का सार यह था कि यह सरकार एक ऐसे समाज का निर्माण करने जा रही है जो सामाजिक रूप से व्यापक, पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित और क्षेत्रीय संतुलन होगा और इस तरह के समाज की संरचना समग्र विकास को ध्यान में रखकर किया गया। जैसाकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी सरकार की भावी योजना का पथप्रदर्शक होता है।

**सभापति महोदया:** श्री अधीर चौधरी आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब विशेष उल्लेख पर चर्चा करें।

**सायं 7.00 बजे**

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दरपुरम): जब अंकामली से मनुथी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर चार लेनों वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो चलाकुडी म्युनिसिपल जंक्शन पर सभी यातायात गतिविधियां बाधित हो जाएंगी। सभी महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी शैक्षणिक संस्थान और रेलवे स्टेशन राजमार्ग के पश्चिमी छोर पर स्थित है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय, व्यापार और वाणिज्यिक केन्द्र, अस्पताल और पूजा स्थल राजमार्ग के पूर्वी छोर पर स्थित है। इस प्रकार यह राजमार्ग चलाकुडी शहर को दो भागों में बांटता है। चलाकुडी-साया मार्ग पर सैकड़ों बसें चालाकुडी म्युनिसिपल जंक्शन से होकर गुजरती है। इसलिए एक फ्लाईओवर या अंडरपास को म्युनिसन जंक्शन पर निर्माण करने की आवश्यकता है। इस स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा अंडरपास का निर्माण किया जाता है और राज्य सरकार ने संपर्क सड़क का निर्माण करने का वादा किया है। संपूर्ण मुकुन्दपुरम निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए एक अपरिगामी पुल (फ्लाईओवर) अथवा निम्नगामी पुल (अंडरपास) आवश्यक है।

अंकामली से, मैनुथी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए और चार लेनों वाली सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। वैसे भू-स्वामियों जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है, की प्रतिपूर्ति भूमि के बाजार दर से की जानी चाहिए।

इस विषय के संबंध में दिनांक 3 मई, 2007 को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की बैठक के दौरान जिससे कैबिनेट मंत्री और संसद सदस्यों ने भाग लिया था, तीन संसद सदस्यों, पांच विधान सभा सदस्यों और नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन आपको प्रस्तुत किया गया था।

इसलिए इस मुद्दे को सभा पटल पर पहले भी प्रस्तुत किया गया था। हम मंत्री जी से एक सकारात्मक पहल का अनुरोध करते हैं।

**सायं 7.02 बजे**

**[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

**श्री भर्तृहरि महताब:** उपाध्यक्ष महोदय, अविलंबनीय लोक महत्व के महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने विवादास्पद मामले को पाठ्यपुस्तक में शामिल करे की अनुमति क्यों प्रदान की। विश्वविद्यालय और संस्थान अकादमी सत्र के नाम पर समाज के बड़े तबके को चोट क्यों पहुंचाती है। हिन्दू देवी और देवताओं का मजाक बनाने की उन्हें किसने लाइसेंस दिया है।

साथ ही शहीदों को अतिवादी के साथ में भी चित्रित किया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों को आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है और अब दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास संकाय में इतिहास के स्नातक कार्यक्रम में एक संदर्भ सामग्री है जिसमें आपत्तिजनक सामग्री है। इतिहास की किताबों में किस तरह की आपत्तिजनक बातें छापी जा रही हैं। या इस तरह के शब्द को

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किसी विदेशी अथवा मुस्लिम धर्म के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है? रामायण के पौराणिक चरित्रों की किस तरह की आपत्तिजनक व्याख्या दिल्ली विश्वविद्यालय में की जा रही है। इसके कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, अप्रिय वारदात हुई है और छात्रों ने विरोध किया है।

पहले मुझे बताया गया कि उनके विरोध के बावजूद इतिहास विभाग ने उस पुस्तक को वापस लेने से इंकार कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि किसने यह पुस्तक लिखी है और किसने इस पुस्तक का संकलन किया है। क्या यह सच है कि संकलक किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित है और इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय, यदि इस पुस्तक को नहीं तो कम से कम इस आपत्तिजनक अध्याय को हटाने में हिचक रहा है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे विवादास्पद लेख को शीघ्र हटाएं जो श्री ए.के. रामानुजम द्वारा लिखा गया है और संकलक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस देश के एक बड़े तबके की भावना, आस्था और विश्वासों के साथ खिलवाड़ किया है।

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदय, मैं उनसे संबद्ध होना चाहता हूं।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप इनका नाम मेहताब जी के साथ एसोसिएट कर दीजिएगा।

*[अनुवाद]*

**डा. के.एस. मनोज** (अलेप्पी): महोदय, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** हां, आप बोल सकते हैं।

**डा. के.एस. मनोज:** देश के विभिन्न भागों में ईसाई गिरिजाघरों कॉन्वेंटों तथा अन्य ईसाई अल्पसंख्यक संस्थानों पर हमले की बढ़ती घटनाओं के विरुद्ध मैं अपना गहरा रोष तथा विरोध प्रकट करात हूं और धार्मिक कट्टरपंथियों के इन घृणित कार्यों की घोर निन्दा करता हूं।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 अंत:करण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है लेकिन देश में अक्सर आयोजित ढंग से ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहते हैं।

महोदय, ईसाई इस देश में अति-अल्पसंख्यक हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 1.3 प्रतिशत मात्र है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा के क्षेत्र में उनका समर्पित योगदान उल्लेखनीय है और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी सराहना करेगा। वे हमेशा इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं जहां कोई भी पहुंचने की हिम्मत नहीं करता है जैसे कि आदिवासियों के क्षेत्र में अथवा एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए अथवा कुष्ठ रोगियों आदि की देखभाल के लिए भी लेकिन जनसामान्य के प्रति इन सभी सेवाओं के बावजूद, धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथों वे यन्त्रणा, नृशंसता और घातक हमले के शिकार बनते हैं।

महोदय, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो कुछ हुआ, वह काफी निंदनीय तथा हमारे देश के लिए शर्मनाक है। इसने हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के ताने-बाने को गहरी चोट पहुंचाई है। उड़ीसा राज्य के कंधामल जिले में 24 तारीख की शाम को, जब ईसाई समुदाय के लोग ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए पवित्र पूजा की तैयारियां कर रहे थे, कट्टरपंथी स्वभाव के कुछ बदमाशों ने पादरियों, ननों तथा उन सभी लोगों पर, जो पवित्र पूजा के लिए वहां एकत्र हुए थे, हमला किया तथा गिरिजाघर में आग लगा दी। यह घटना उड़ीसा के कई हिस्सों में दोहराई गई जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक सामूहिक प्रयास था *...(व्यवधान)*

**श्री भर्तृहरि महताब:** यह बिल्कुल भी सही नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**डा. के.एस. मनोज:** फिर, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा अरुणाचल प्रदेश में गिरिजाघरों पर हमले किये गये।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपकी क्या मांग है?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगड़): सर, उन्होने गरीब आदिवासियों का हक छीनने की कोशिश की है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**डा. के.एस. मनोज:** पिछले सप्ताह नई दिल्ली में तीन गिरिजाघरों पर हमले किये गये। यह सब दर्शाता है कि ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमले की प्रवृत्ति बढ़ रही है *...(व्यवधान)* केरल

तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर संपूर्ण देश में ईसाई समुदाय भय तथा असुरक्षा की स्थिति में है ...*(व्यवधान)* मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह दोषियों के विरुद्ध तत्परता से कार्रवाई करे ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपकी क्या मांग है?

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** आपने आदिवासियों का अधिकार छीनने की कोशिश की है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**डा. के.एस. मनोज:** मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ईसाई संस्थानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे जिन पर कट्टरपंथियों के हमले का डर है और इस प्रकार वह सुरक्षा की भावना को सुनिश्चित करे तथा हमारे संविधान के अनुसार ईसाई अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करे।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाएं। अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** (बोब्बिली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

**श्री भर्तृहरि महताब:** महोदय, माननीय सदस्य ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। वह यह सब कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)* उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अगर कोई ऑब्जैक्शनेबल बात होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री आचार्य, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** इन्होंने उड़ीसा के ऊपर आपत्तिजनक बात कही है। ...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): उड़ीसा के ऊपर नहीं, हिंदू फंडामेंटलिस्ट-फोर्सेज के ऊपर कहा है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री आचार्य, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइए, अगर कोई ऑब्जैक्शनेबल बात होगी तो उसे रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा। यह मैंने कह दिया है।

**श्री बसुदेव आचार्य:** कुछ भी ऑब्जैक्शनेबल नहीं है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह मैं देखूंगा।

**श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:** महोदय, मैं जनता के महत्व का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं जो आंध्र प्रदेश में फसलों की भारी हानि से पीड़ित किसानों के संबंध में है। यह हानि 9 से 13 फरवरी, 2008 में आंध्र प्रदेश के तट पर हवा के दबाव के कारण हुई बेमौसम की भारी वर्षा के कारण हुई है।

प्रारंभिक अनुमान दर्शाता है कि छह तटीय जिलों, नामत:, प्रकासम, कृष्णा, गुंटुर, श्रीकाकुलम, नैल्लोर तथा विशाखापत्तनम में लगभग 2.36 लाख हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वास्तव में फसल काटने के लिए तैयार थी लेकिन बेमौसम की भारी बारिश ने उन्हें उनकी आजीविका से वंचित कर दिया।

केन्द्रीय दल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तत्काल राहत के लिए 90 करोड़ रु. के अंतरिम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राहत का अनुरोध किया है। अंतिम रिपोर्ट केन्द्रीय दल के पास लंबित है, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हूं कि किसानों की मदद करने तथा शीघ्रातिशीघ्र उनके कष्टों को दूर करने के लिए 90 करोड़ रु. जारी करे।

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख करना चाहूंगा। देश में लगभग 10 लाख श्रमिक कोयला खदानों में कैजुअल लेबर के रूप में काम करते हैं। देश में लगभग 4 लाख लोग जो कोल इंडिया की डिफरेंट सब्सिडरीज के पे-रोल में है। इसी तरह 10 लाख लोग, जो कैजुअल लेबर के नाते काम कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज देश में लगभग 400 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है। ये लोग अंडरग्राउंड और ओपन माइनंग का काम भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट सैक्शन इन्हीं लोगों के भरोसे चलता है। इसके अलावा सारा मेंटेनेंस काम इन्हीं के हाथ में है, कोल हैंडलिंग का काम और रेलवे में रैक को भरने का काम इन्हीं की बदौलत होता है, लेकिन अगर इनकी हालत और तनख्वाह को देखा जाए, तो पता चलेगा कि ये बहुत खराब स्थिति में है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इनकी तनख्वाह और सुरक्षा के बारे में सोचा जाए। उनके लिए जूता, टोपी और पोशाक का प्रबंध किया जाए। सरकार को इनके मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रबंध और उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में विचार करना चाहिए। कोल माइनंग में प्रॉविडेंट फंड सिस्टम की अलग व्यवस्था है, बहुत सी सब्सिडरीज में तो कैजुअल मजदूरों का पीएफ कटता ही नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप क्या चाहते हैं, वह पूछिए?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार दस लाख कैजुअल मजदूर, जो कोयला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेज दे और कन्सॉलिटेड फंड का प्रबंध करे और उनकी स्वास्थ्य, सुरक्षा और वेजेज के बारे में विचार करे।

**डा. करण सिंह यादव** (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों अत्यधिक सर्दी और पाले की वजह से समूचे उत्तर भारत में विशेषकर राजस्थान में, मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र अलवर में सरसों की फसल सर्दी और पाले के लगातार होने से बहुत मात्रा मे क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमारे यहां के किसानों ने धरने और प्रदर्शन किए ताकि किसानों को इस क्षति का कुछ मुआवजा दिया जाए। राजस्थान सरकार पहले भी टालती रही और अब मैं केन्द्र सरकार से इस बात का निवेदन करता हूं कि जब सूखे और ओले से क्षतिग्रस्त सरसों को कैलेमिटी रिलीफ के नाम से मुआवजा दिया जाता है तो पाले से जो क्षतिग्रस्त हो जाए, उसे भी मुआवजा दिया जाए। राजस्थान सरकार ने सर्वे करवाया लेकिन अलवर जिले को बिल्कुल छोड़ दिया गया। अलवर के एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि अलवर जिला ऐसा जिला है, जहां सबसे बड़ी संख्या में कांग्रेस के एमएलए और एमपी जीत कर आते हैं। इस जिले के साथ इस दुर्भावना से ये सब हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार को निर्देश दे कि मेरे जिले के किसानों का सर्वे कराए और उन्हें मुआवजा दिलाए और सीआरएफ की गाईडलाईन में भी पाले की बात को शामिल किया जाए।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। वैसे बुंदेलखंड चार साल से सूखे की स्थिति को झेल रहा है। वहां जिन किसानों ने फसल बो दी थी, वह भी नष्ट हो रही है। अभी सर्वे के दौरान बुंदेलखंड से लगी यमुना पट्टी जिस में इटावा, औरैय्या, कानपुर देहात, फतहपुर, इलाहाबाद के किनारे के जो क्षेत्र लगे हैं, उनकी भी स्थिति बुंदेलखंड जैसी पाई गई। निश्चित ही हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि यमुना पट्टी के किनारे के क्षेत्र का मुआयना करने के लिए यहां से एक टीम भेजी जाए और उसका सर्वे कराया जाए क्योंकि वहां के किसान भी दयनीय स्थिति में हैं, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। उनका सर्वे करवा कर उन्हें स्पेशल सहायता दी जाए, बुंदेलखंड के साथ भी न्याय किया जाए और उसे भी स्पेशल पैकेज दिया जाए जिससे वहां के किसानों को राहत प्राप्त हो सके तथा वे किसी तरह अपनी जीविका चला सकें।

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कई स्थानों पर जहां पानी के लिए ट्यूब-वैल का खनन हुआ है, वहां जैसे-जैसे फरवरी-मार्च में पानी कम निकलना शुरू होता है, उनमें से गैस निकलने लगती है। इस वर्ष बारिश कम होने से जिले में कई स्थानों पर उन ट्यूब-वैलों से बड़ी मात्रा में गैस निकल रही है। इस संबंध में मैंने पूर्व में भी 2005 में सदन का ध्यान आकर्षित कराया था कि राहतगढ़ में एक ढाबा इस गैस से चलाया जा रहा है। अभी गढ़ाकोटा के आसपास कई गांवों में गैस निकल रही है। वहां व्यापक मात्रा में गैस निकलने से जहां एक ओर ग्रामीण जनों में भय व्याप्त है कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना न होने पाए, वहीं दूसरी ओर एक उत्सुकता भी है कि इस गैस के संबंध में केन्द्र सरकार ओएनजीसी के माध्यम से व्यापक जांच कराए ताकि इस तरह की भ्रांतियां दूर

हो सके। इसके ऊपर आधारित उद्योगों को लगाए जाने से क्षेत्रीय युवकों को रोजगार भी उपलब्ध होगा।

*[अनुवाद]*

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): तमिलनाडु में 40 लाख पारिवारिक राशनकार्ड है जिसमें नई श्रेणी वाले कार्ड भी सम्मिलित हैं। ऐसा माना जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को प्रतिमाह लगभग 77 हजार किलोमीटर मिट्टी तेल जारी किया जाता है। अप्रैल, 2005 से अब केवल 59 हजार किलोलीटर मिट्टी का तेल जारी किया जाने वाला है।

केन्द्र पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति में कमी के बारे में बार-बार दबाव डाला गया है। तमिलनाडु सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री ने निजी तौर पर तथा पत्राचार के माध्यम से इसे केन्द्र सरकार के सामने उठाया है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करती हूं कि वह मिट्टी के तेल का पूरा कोटा जारी करे। इस स्थिति में, मैं तमिलनाडु में, विशेषकर मदुरई में एलपीजी सिलेंडर की कम आपूर्ति का मुद्दा उठाना चाहूंगी। जिन्होंने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया है वे निरन्तर प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। जिनके पास दो सिलेंडर हैं वे भी एक समय में एक सिलेंडर के लिए ही बुक कर सकते हैं। जिन्होंने रिफिल के लिए बुक किया उन्हें दस दिन से भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रकार, बहुत से परिवारों को बहुत दिनों तक सिलेंडर के बिना गुजारा करने की तकलीफ सहनी पड़ती है। जब हमने एलपीजी कम्पनियों तथा एजेंसियों से इस एलपीजी कमी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, तो उन्होंने पहली बार उत्तर में कहा कि रेगुलेटरों की कम आपूर्ति की जा रही है। बाद में यह बताया गया कि कमी सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण और एलपीजी की कम आपूर्ति के कारण है। यद्यपि दावा किया जाता है कि परिस्थिति बदल चुकी है, कमी फिर भी बनी हुई है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु के लिए तय मिट्टी के तेल को पूरे कोटे की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और एलपीजी की आपूर्ति को नियमित किया जाए जो कि मध्यमवर्गीय परिवारों के जीवन को चलाती है अथवा अवरुद्ध करती है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मेरे पास एक ही इशू पर बोलने के लिए दो मैम्बर्स के नाम हैं-एक प्रहलाद जोशी जी और दूसरा अनन्त कुमार जी, आप दोनों फैसला कर लो कि कौन बोलेगा?

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

**श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़ उत्तर): पहले अनन्त कुमार जी को बोलने दिया जाए, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं केवल एक मिनट ही बोलूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय:** एक ही इशू है।

**श्री प्रहलाद जोशी:** मैंने सुबह आठ बजे नोटिस दिया है इसलिए मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण): महोदय, 26 फरवरी को, तमिलनाडु की राज्य सरकार होगेनकल पेय जल तथा पनबिजली परियोजना के नाम से एक परियोजना लेकर आयी है तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आगे कहा था...* कि वे इसकी आधारशिला रखेंगे। वास्तव में, होगेनकल कर्नाटक का हिस्सा है और हम तमिलनाडु सरकार के लगातार यह बात कह रहे हैं कि यह कर्नाटक का हिस्सा है और वे केन्द्रीय जल आयोग की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** जो श्री अनंत कुमार कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)***

**श्री अनंत कुमार:** महोदय, मूल बात यह है कि विधि विशेषज्ञों ने तथा भूतपूर्व मद्रास सरकार मानचित्र में स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया है कि होगेनकल कर्नाटक का हिस्सा है *...(व्यवधान)* कावेरी जल न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु सरकार इस परियोजना के बारे में कावेरी जल न्यायाधिकरण के समक्ष कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने न्यायाधिकरण को गुमराह किया और अब जब न्यायाधिकरण ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, पूरा मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है। मामला न्यायाधीन है। चूंकि होगेनकल परियोजना के संबंध में पूरा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने हैं, इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, कर्नाटक राज्य के हम सभी लोग होगेनकल परियोजना का कड़ा विरोध करते हैं।

हम यह भी अनुरोध करते हैं कि केन्द्रीय जल आयोग तथा जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस अवैध जल परियोजना को रोके। *...(व्यवधान)* महोदय, उनका जल पर कोई अधिकार नहीं है। उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्योंकि भूमि कर्नाटक की है और जल कर्नाटक का है। उन्होंने न्यायाधिकरण को पूरी तरह से गुमराह किया है। जब मामला उच्चतम न्यायालय के सामने हैं, तो उन्हें इस क्षेत्र में कुछ भी वहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री अनंत कुमार द्वारा उठाये मुद्दे का श्री प्रहलाद जोशी, श्री जी. करुणाकर रेड्डी, श्री मंजुनाथ कुन्नुर, श्री गद्दीगउडर तथा श्री जी.एम. सिद्दीश्वर समर्थन करते हैं।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सभा कल दिनांक 4 मार्च, 2008 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 7.22 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 मार्च, 2008/ 14 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

## अनुबंध I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रबोध पाण्डा<br>डा. चिन्ता मोहन | 61 |
| 2. | श्री आनंदराव विठोबा अडसूल<br>श्री मोहन सिंह | 62 |
| 3. | श्री मनसुखभाई डी. वसावा<br>डा. धीरेंद्र अग्रवाल | 63 |
| 4. | श्री नवीन जिन्दल<br>श्री बृज किशोर त्रिपाठी | 64 |
| 5. | श्री के.सी. सिंह 'बाबा'<br>श्री संतोष गंगवार | 65 |
| 6. | श्रीमती जयाप्रदा<br>श्री पंकज चौधरी | 66 |
| 7. | डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय<br>श्री रूपचन्द पाल | 67 |
| 8. | श्री एन.एन. कृष्णदास<br>श्री पी. करुणाकरन | 68 |
| 9. | श्री बची सिंह रावत 'बचदा' | 69 |
| 10. | श्री हंसराज ग. अहीर<br>श्री सी.के. चन्द्रप्पन | 70 |
| 11. | डा. सत्यनारायण जटिया<br>श्री किसनभाई वी. पटेल | 71 |
| 12. | श्री वी.के. दुम्मर<br>श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव | 72 |
| 13. | श्री बापू हरी चौरे | 73 |
| 14. | श्री चन्द्रभूषण सिंह | 74 |
| 15. | श्री सुभाष महरिया | 75 |
| 16. | श्री विजय कृष्ण<br>श्री बालासोवरी वल्लभनेनी | 76 |
| 17. | श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील<br>श्री एम. अंजन कुमार यादव | 77 |
| 18. | श्री बाडिगा रामकृष्णा<br>श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील | 78 |
| 19. | श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली<br>श्री राजनरायन बुधौलिया | 79 |
| 20. | श्री रघुवीर सिंह कौशल | 80 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आचार्य, श्री बसुदेव | 606, 690, 700, 727 |
| 2. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 690, 741, 771, 787 |
| 3. | अग्रवाल, डा. धीरेंद्र | 672, 742, 751, 757 |
| 4. | अहीर, श्री हंसराज गं. | 680, 738, 769, 789 |
| 5. | अजय कुमार, श्री एस. | 620, 690 |
| 6. | अजनाला, डा. रतन सिंह | 799 |
| 7. | अनंत कुमार, श्री | 715 |
| 8. | अंगड़ि, श्री सुरेश | 656, 685, 692, 789 |
| 9. | अप्पादुरई, श्री एम. | 618, 708 |
| 10. | आठवले, श्री रामदास | 610, 702 |
| 11. | 'बाबा', श्री के.सी. सिंह | 675, 736, 773, 788 |
| 12. | 'बचदा', श्री बची सिंह रावत | 679, 692 |
| 13. | बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई | 587, 688, 749, 776, 791 |
| 14. | बर्मन, श्री हितेन | 586 |
| 15. | भगोरा, श्री महावीर | 637, 690, 700 |
| 16. | भक्त, श्री मनोरंजन | 621, 646, 722 |
| 17. | बोस, श्री सुब्रत | 624, 778 |
| 18. | बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी | 609, 692 |
| 19. | बुधौलिया, श्री राजनरायन | 684 |
| 20. | चक्रवर्ती, श्री अजय | 613, 705, 753, 799 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | चन्द्रप्पन, श्री सी.के. | 690, 703 |
| 22. | चौरे, श्री बापू हरी | 799 |
| 23. | चावड़ा, श्री हरिसिंह | 642 |
| 24. | चिन्ता मोहन, डा. | 686, 689, 750, 777 |
| 25. | चित्तन, श्री एन.एस.वी. | 635, 692, 718 |
| 26. | चौधरी, श्री पंकज | 692 |
| 27. | चौधरी, श्री अधीर | 692 |
| 28. | दासगुप्त, श्री गुरुदास | 614, 706 |
| 29. | देवरा, श्री मिलिन्द | 711, 788 |
| 30. | धनराजू, डा. के. | 648, 692, 724, 793 |
| 31. | ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह | 799 |
| 32. | धोत्रे, श्री संजय | 623, 692, 799 |
| 33. | गढ़वी, श्री पी.एस. | 612, 704 |
| 34. | गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव | 653, 661, 777, 790 |
| 35. | गांधी, श्रीमती मेनका | 644, 802 |
| 36. | गंगवार, श्री संतोष | 692, 745, 788, 802 |
| 37. | गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव | 692 |
| 38. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 611 |
| 39. | गुढ़े, श्री अनंत | 771 |
| 40. | जाधव, श्री प्रकाश बी. | 771 |
| 41. | जगन्नाथ, डा. एम. | 638, 719, 794 |
| 42. | जैन, श्री पुष्प | 692 |
| 43. | जगावले, श्री हरिभाऊ | 607 |
| 44. | जयाप्रदा, श्रीमती | 689, 692, 799 |
| 45. | झा, श्री रघुनाथ | 650, 725, 753, 764, 773 |
| 46. | जिन्दल, श्री नवीन | 677, 729, 743, 759 |
| 47. | जोगी, श्री अजीत | 711, 753 |
| 48. | जोशी, श्री प्रहलाद | 773 |
| 49. | कनोडीया, श्री महेश | 612, 704 |
| 50. | करुणाकरन, श्री पी. | 701, 800 |
| 51. | खैरे, श्री चन्द्रकांत | 652, 726, 765, 782 |
| 52. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 640, 692, 781, 799 |
| 53. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 666, 735, 768, 786 |
| 54. | कृपलानी, श्री श्रीचन्द | 781 |
| 55. | कृष्ण, श्री विजय | 628, 695, 697, 789 |
| 56. | कृष्णदास, श्री एन.एन. | 693, 799 |
| 57. | कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह | 611 |
| 58. | 'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह | 632, 750, 798 |
| 59. | माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई | 663, 732 |
| 60. | माधवराज, श्रीमती मनोरमा | 608, 651 |
| 61. | महरिया, श्री सुभाष | 696, 789 |
| 62. | महतो, श्री नरहरि | 585 |
| 63. | महताब, श्री भर्तृहरि | 619, 692, 709 |
| 64. | महतो, श्री टेक लाल | 636 |
| 65. | माझी, श्री परसुराम | 598, 683, 799 |
| 66. | मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार | 692, 788 |
| 67. | मंडल, श्री सन्त कुमार | 799, 802 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 68. | माने, श्रीमती निवेदिता | 653, 661, 777, 790 |
| 69. | मनोज, डा. के.एस. | 664, 733 |
| 70. | मसूद, श्री रशीद | 611, 616, 689, 799 |
| 71. | मेघवाल, श्री कैलाश | 584, 668, 690, 759, 788 |
| 72. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 802 |
| 73. | मोहन, श्री पी. | 602, 713, 757, 781, 803 |
| 74. | मोल्लाह, श्री हन्नान | 615, 799 |
| 75. | मंडल, श्री अबु अयीश | 657, 753 |
| 76. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 625, 692, 789 |
| 77. | मुर्मू, श्री रूपचन्द | 596 |
| 78. | नन्दी, श्री अमिताभ | 654, 730, 766 |
| 79. | नायक, श्री अनन्त | 659 |
| 80. | निखिल कुमार, श्री | 621, 692, 710, 802 |
| 81. | निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर | 662, 789 |
| 82. | ओराम, श्री जुएल | 619, 689, 717 |
| 83. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 692, 702, 802 |
| 84. | पाल, श्री रूपचंद | 632, 640 |
| 85. | पल्लानी शामी, श्री के.सी. | 600, 685, 690, 739, 753 |
| 86. | पाण्डा, श्री प्रबोध | 686, 689, 740, 770 |
| 87. | पाण्डेय, श्री लक्ष्मीनारायण | 643, 671, 692, 744 |
| 88. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 623 |
| 89. | पासवान, श्री रामचन्द्र | 665 |
| 90. | पटेल, श्री जीवाभाई ए. | 712, 772 |
| 91. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 699, 748, 755, 790 |
| 92. | पाठक, श्री हरिन | 612 |
| 93. | पाटील, श्री प्रतीक पी. | 643 |
| 94. | पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. | 603, 758 |
| 95. | पटले, श्री शिशुपाल एन. | 622, 692, 700, 711, 755 |
| 96. | पिंगले, श्री देविदास | 604 |
| 97. | प्रसाद, श्री हरिकेवल | 631, 642, 745, 751, 774 |
| 98. | राजगोपाल, श्री एल. | 594, 687, 752, 778, 792 |
| 99. | राजेन्द्रन, श्री पी. | 658 |
| 100. | रामदास, प्रो. एम. | 626, 715, 760, 782 |
| 101. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 698, 747 |
| 102. | राणा, श्री काशीराम | 631, 691, 746, 758 |
| 103. | राव, श्री के.एस. | 583, 617, 667, 763, 802 |
| 104. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 649, 788, 799 |
| 105. | रावले, श्री मोहन | 633 |
| 106. | रेड्डी, श्री जी. करुणाकर | 593, 678, 737, 783, 795 |
| 107. | रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. | 645, 729, 753, 781 |
| 108. | रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन | 689, 690, 692 |
| 109. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 599, 728 |
| 110. | रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर | 614, 690, 706, 754, 779 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 111. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 587, 674, 746, 774 |
| 112. | रिजीजू, श्री कीरेन | 592, 692, 744, 788 |
| 113. | साई प्रताप, श्री ए. | 590, 689 |
| 114. | साय, श्री नन्द कुमार | 696, 788, 790, 804 |
| 115. | सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी | 630 |
| 116. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 588, 624, 692, 717, 777 |
| 117. | शर्मा, डा. अरुण कुमार | 601, 714, 769, 802 |
| 118. | सतीदेवी, श्रीमती पी. | 777 |
| 119. | सत्यनारायण, श्री सर्वे | 655, 753, 781 |
| 120. | सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव | 787 |
| 121. | शाक्य, श्री रघुराज सिंह | 692, 789 |
| 122. | शर्मा, श्री मदन लाल | 629, 700, 717 |
| 123. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 611, 617, 689, 707, 801 |
| 124. | शिवन्ना, श्री एम. | 608, 651 |
| 125. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 626, 715, 760, 782 |
| 126. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 589, 673, 734, 780, 793 |
| 127. | सिद्धू, श्री नवजोत सिंह | 597, 682, 700, 701 |
| 128. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 669, 742, 758 |
| 129. | सिंह, श्री चन्द्रभूषण | 695 |
| 130. | सिंह, श्री दुष्यंत | 603, 692, 712, 756, 799 |
| 131. | सिंह, श्री गणेश | 627, 790, 802, 618 |
| 132. | सिंह, श्री मोहन | 700, 790 |
| 133. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 628, 641, 720, 762, 784 |
| 134. | सिंह, श्री सुग्रीव | 748, 775, 790, 797, 804 |
| 135. | सिंह, श्री सूरज | 689 |
| 136. | सिंह, श्री उदय | 690, 692, 715, 799 |
| 137. | सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन | 619 |
| 138. | सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह | 612, 704 |
| 139. | सुब्बा, श्री मणी कुमार | 604 |
| 140. | सुब्बारायण, श्री के. | 731, 767, 785, 796 |
| 141. | सुमन, श्री रामजीलाल | 632, 686, 777, 798 |
| 142. | सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा | 647, 723, 799 |
| 143. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 591, 676 |
| 144. | थामस, श्री पी.सी. | 605, 721 |
| 145. | ठुम्मर, श्री वी.के. | 694, 712, 745 |
| 146. | त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि | 592, 643, 671, 792 |
| 147. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 692, 696, 716, 761 |
| 148. | वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी | 690 |
| 149. | वसावा, श्री मनसुखभाई डी. | 691, 742, 772 |
| 150. | वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. | 639 |
| 151. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 611, 617, 689, 690, 692 |
| 152. | यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु | 653, 661, 777, 790 |
| 153. | यादव, श्री एम. अंजनकुमार | 670 |
| 154. | यादव, श्री गिरिधारी | 595, 681 |
| 155. | यादव, श्री पारसनाथ | 634 |
| 156. | यास्खी, श्री मधु गौड | 653, 661, 777, 790 |
| 157. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 628 |

# अनुबंध II

## तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| कृषि | : | 61, 66, 73, 74, 76, 80 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी | : | 69, 79 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | : | 68, 70, 71, 72, 75 |
| रक्षा | : | 62, 64, 65, 67 |
| श्रम और रोजगार | : | 78 |
| वस्त्र | : | 77 |
| जल संसाधन | : | 63 |


---

## अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| कृषि | : | 585, 586, 590, 596, 598, 599, 600, 603, 607, 609, 615, 618, 619, 624, 626, 628, 633, 638, 639, 642, 644, 645, 646, 648, 654, 655, 659, 669, 671, 672, 678, 682, 683, 685, 688, 689, 692, 695, 697, 699, 703, 712, 715, 717, 721, 722, 723, 724, 730, 731, 732, 733, 736, 737, 738, 742, 745, 749, 757, 759, 760, 763, 765, 772, 778, 780, 781, 784, 789, 790, 791, 794, 798, 799, 800 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी | : | 587, 588, 591, 592, 595, 601, 605, 608, 610, 625, 630, 631, 636, 637, 647, 649, 653, 656, 661, 662, 666, 667, 670, 673, 674, 675, 679, 680, 681, 684, 693, 696, 701, 705, 707, 708, 718, 719, 726, 727, 734, 739, 740, 743, 744, 746, 748, 768, 769, 773, 776, 779, 782, 783, 785, 786, 792, 793, 796 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | : | 602, 606, 616, 623, 641, 643, 677, 686, 713, 725, 747, 750, 752, 753, 761, 764, 777, 802, 803 |
| रक्षा | : | 583, 589, 594, 617, 621, 629, 634, 657, 664, 710, 716, 735, 758, 771, 775, 787, 788, 797 |
| श्रम और रोजगार | : | 584, 593, 604, 614, 620, 622, 632, 751, 652, 658, 663, 665, 676, 687, 691, 706, 720, 754, 762, 801, 804 |
| वस्त्र | : | 597, 612, 613, 627, 640, 660, 694, 698, 700, 704, 711, 728, 741, 751, 770, 774, 795 |
| जल संसाधन | : | 611, 635, 650, 668, 690, 702, 709, 714, 729, 755, 756, 766, 767 |


---

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

### लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

### लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/32/6/2008 ( एन० )
215

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एशोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।